



और उसका निवारण किस प्रकार करना चाहिये। जो पाठक राष्ट्रभाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी-बाद पर मेरे विचार जानना चाहें, उनसे निवेदन है कि वे मेरी पुस्तके 'राष्ट्रभाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन' तथा 'मौलाना गांधी ?' \* ( जो हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री श्री श्रीमन्नारायण के 'मौलाना गांधी' शीर्षक लेख के उत्तर में लिखी गई है ) पढ़ लें।

परिशिष्ट में कुछ ऐसी सामग्री एकत्र की गई है जिसका पुस्तक के विषय से सम्बन्ध है, अथवा जिससे विषय के प्रतिपादन में सहायता मिलती है। परिशिष्टों का परिचय यथास्थान दे दिया गया है। परिशिष्ट १५ प० रामचन्द्र शुक्ल की पुस्तिका 'हिन्दुस्तानी का उद्गम' का मुख्यांश है। इसे यहाँ प० सुन्दरलाल और डा० ताराचन्द्र जैसे युक्त-प्रान्त और विहार के हिन्दुस्तानी वालों के लाभार्थ दिया गया है जो उर्दू को ही वास्तविक हिन्दुस्तानी समझते हैं, उर्दू को हिन्दी से प्राचीन, हिन्दुओं और मुसलमानों की 'मुश्तरका जवान' और न जाने क्या क्या समझते हैं, और जिन्होंने बचपन में मौलवी से उर्दू सीखने के बाद शायद कभी उर्दू के इतिहास पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा और जो शायद आज भी उससे अनभिज्ञ हैं। आशा है इसमें उन राजनीतिक नेताओं को भी विचार करने की सामग्री मिलेगी जिनका 'हिन्दुस्तानी'-प्रेम राजनीति पर निर्भर है और जिन्होंने अभी तक 'हिन्दुस्तानी' को किसी दूसरी दृष्टि से देखना, जाँचना-पड़तालना आवश्यक नहीं समझा है। हमें विश्वास है, इससे गांधी जी, श्री राजगोपालाचारी और श्रीयुत् वी. जी. खेर जैसे अहिन्दियों को भी लाभ होगा जिन्हें हिन्दी-उर्दू सम्बन्धी वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं और जिनकी बहक का कारण बहुत कुछ यही है। हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी के

---

\* दोनों पुस्तके गंगा पुस्तकमाला, लाटूर रोड, लखनऊ से मिल सकती हैं।

भँवरों में पड़ कर गँदली हो गई है। फलस्वरूप हिन्दी प्रेमी हिन्दी प आने वाले सकट को भी स्पष्टतया नहीं देख पा रहे हैं। राजनीति के मैदान में जो धूल उड़ रही है उसमें इस सकट का आकार-प्रकार छिप सा गया है। पर वह सकट तो विद्यमान है ही। युद्ध की गर्मी में राजनीतिज्ञों को इसकी पर्वाह नहीं रह गई है कि उनकी चालों का देश के दूर भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हिन्दी के दुर्भाग्य में हिन्दी के अधिकांश प्रेमी और समर्थक भी राजनीतिज्ञ ही हैं, और इस कारण वे भी हिन्दी-मसार का वैसा नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं जैसे नेतृत्व की उसे इस समय आवश्यकता है। वे स्वयम् राजनीति के शिकञ्जे में जकड़े हुये हैं। उनके हाथ पैर राजनीति के उलझट्टे में उलझे हुये हैं और उनके मुँह पर राजनीति का ताला पड़ा हुआ है। शायद उनके दिमाग में भी राजनीति का घटाटोप छाया हुआ है। उनके पास हिन्दी को देने के लिये समय भी नहीं। उनसे अधिक आशा करना व्यर्थ है।

ऐसी स्थिति में राजनीति के कोलाहल से दूर बैठे हुये एक हिन्दी-प्रेमी का जो कर्त्तव्य हो जाता है, उसी को सामने रखकर मैंने इस पुस्तक को लिखा है। मेरा दृष्टिकोण शुद्ध हिन्दी के हित का दृष्टिकोण है। मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, राजनीतिक नेताओं में मेरी श्रद्धा-भक्ति नहीं। राजनीतिक नेता व्यक्तिगत रूप से कितनी ही ऊँची श्रेणी के व्यक्ति क्यों न हों, मैं उन्हें भापा के विषय में बोलने का अधिकारी मानने को तैयार नहीं। भापा के विषय में मैं किसी राजनीतिक सस्था, भले ही वह वयस्क मताधिकार के आधार पर बनी हो, का फेसला मानने को भी तैयार नहीं। इतिहास साक्षी है कि किसी देश का उद्धार केवल राजनीतिज्ञों द्वारा नहीं हुआ है। विशेष रूप से इस देश में देश का साहित्यिक और सांस्कृतिक नेतृत्व राजनीतिज्ञों के हाथ में कभी नहीं रहा। भापा और साहित्य की परंपरायें हमें व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और तुलसी में मिली हैं, अशोक,

## प्रकरण—सूची

प्रकरण		पृष्ठ
१. हिन्दी की अपनी समस्या	---	१
१. हिन्दी का द्वैतवाद	--	१
२. द्वैतवादियों के कुछ तर्क	-	१०
३. क्या करें ?	--	१८
४. कुछ आक्षेपों के उत्तर	-	८१
५. क्या हिन्दी कृत्रिम है ?	---	८७
२. हिन्दुस्तानी की बला	-	१०५
१. हिन्दुस्तानी आन्दोलन का एकतरफा स्वरूप	---	१०६
२. हिन्दुस्तानी वालों की कारगुजारी	-	१२०
३. हिन्दुस्तानी वालों के हथकरंडे	-	१२५
४. क्या करें ?	---	१५५

### परिशिष्ट

परिशिष्ट १ ( हिन्दी की कृतियों में मुसलमान पात्रों का उद्घूर्णन में कथोपकथन )	--	१६७
परिशिष्ट २ ( The Vernacular of United Provinces )	--	२०४
परिशिष्ट ३ ( हम हिन्दी वाले ! )	---	२१५
परिशिष्ट ४ ( वर्धा की हिन्दुस्तानी )	---	२२१
परिशिष्ट ४ पर टिप्पणी	---	२२६



उनमें से कुछ के मूल स्रोतों के विषय में मुझमें भूल भी गई हो। आशा है विन पाठक इन भूलों को क्षमा करेंगे। मैंने कृपा से शब्दों के उदाहरण दूढ़ने की विलकुल चेष्टा नहीं की है। जो शब्द नित्य सुनने और पढ़ने में आते हैं, उन्हीं को उदाहरण-स्वरूप पेश कर दिया है। एक बात और। हिन्दी को शुद्ध और स्टैण्डर्ड शैली के विषय में मैंने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, उनके अनुसार अपनी भाषा सुधारने का मैंने विलकुल प्रयत्न नहीं किया है। पाठक मेरी भाषा को इन सिद्धान्तों की कसौटी पर न कमें। मैंने अपनी स्वाभाविक शैली में ही लिखा है, जिससे पाठकों को आनन्द की औसत दर्जे की हिन्दी अर्थात् आजकल के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के हिन्दी लेखकों की हिन्दी, जिसमें सुधार की आवश्यकता मैंने बनाई है, का नमूना दूढ़ने के लिये पुस्तक के बाहर न जाना पड़े। मैंने शुद्ध हिन्दी के विषय में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है उनके विपरीत बातें पाठकों को पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर मिल जायेंगी। उनमें पाठकों को पता चलना कि हिन्दी की बीमारी की जड़ कितनी गहरी है और उसे उखाड़ कर फेंकने के लिये कितनी शक्ति और प्रयास की आवश्यकता है। प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार शुद्ध और अच्छी हिन्दी का आदर्श तो चोटी के लेखक और साहित्यिक हो उपस्थित कर सकते हैं। मैं उन पर चल कर केवल अपनी शैली का अस्वाभाविक और अपने को उपहासास्पद बनाता। इन सिद्धान्तों का मेरी शैली पर अनजाने में जो प्रभाव पड़ गया हो, उसकी बात दूमरी है।

पुस्तक के दूसरे भाग में हिन्दुस्तानी की बला का निरूपण किया गया है। उसके विषय में यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ मैंने 'हिन्दुस्तानी' के समर्थकों के तर्कों का उत्तर देने का अथवा राष्ट्र-भाषा की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न नहीं किया है। यहाँ मैंने केवल यह प्रतलाने की चेष्टा की है कि 'हिन्दुस्तानी' से हिन्दी को क्या खतरा है

## हिन्दी की अपनी समस्या

मरु-भूमि में एक जानवर होता है जो बालू की ओघी चलने पर अपना सिर भूमि में गड़ा लेता है। हिन्दो ससार में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं। वे स्वयम् तो सो ही रहे हैं, औरों को भी चादर ओडे सोये रहने का उपदेश दे रहे हैं। यदि कोई उठने का उपक्रम करता भी है तो उसे थपकी देकर सुला देना चाहते हैं। ऐसे पलायनवादियों को छोड़कर शेष को मालूम है कि हिन्दी पर एक महान् संकट आया हुआ है। इस संकट का नाम है 'हिन्दुस्तानी'। ब्रिटिश सरकार तो उर्दू या हिन्दुस्तानी नामधारी उर्दू के नाम पर हिन्दी को मिटा डालने के लिये बहुत समय से प्रयत्नशील है ही, परन्तु हम समझते थे कि अपनी सरकार आने पर शायद यह अनानुचार बन्द हो जाय। अब वह आशा भी नष्ट होगई, बल्कि यह नया संकट उसी की ओर से आया है या आना चाहता है। यह हिन्दी को भीतर ही भीतर समाप्त करना चाहता है अथवा उसे केवल कविता की भाषा बनाना चाहता है। जब कोई संकट आता है तो सबसे पहले अपने घर की स्थिति देखी जाती है। देखें, आज हिन्दी की क्या हालत है।

### १. हिन्दी का द्वैतवाद

हिन्दी के एक प्रसिद्ध मासिक पत्र का एक अंक सामने है। इसके प्रथम ५० पृष्ठों में आये हुये अग्नी फारसी अर्थात् उर्दू के शब्द ये हैं —

मक़मद, मुवर्रर, सूवा, खत, दो.त, सुबह, फर्ज, वारिश, नफ़रत, सदारत,

तिकोने भगदों में जिन्हें मत्थ की चिन्ता हो और जो चान्तिप्रकृता का अधिक चिन्ता में जानना चाहते हों, उनमें निवेदन है कि वे काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित श्री चन्द्रबली पोंटे की ग्जोजपूर्य पुनर्कें 'उर्दू का उद्गम', 'उर्दू का रहस्य', 'भाषा का प्रश्न' 'कच्छरी की भाषा और लिपि', 'मुगल वादशाहों की हिन्दी', 'विद्यार में हिन्दुस्तानी', आदि और सबके ग्रन्थ में विद्यामदिग्-प्रकाशन, मुगल ( ग्वालियर ) द्वारा प्रकाशित उनकी नवीन कृति 'नागरी का अभिशाप' अचश्य पटे । हमें विश्वास है, इन पुस्तकों से उर्दू और 'हिन्दुस्तानी' के ईमानदार समर्थकों की आँखें खुल जायेंगी ।

अह पुस्तक गत वर्ष सितम्बर में पूर्ण हो गई थी, परन्तु कागज, आदि की कठिनता के कारण अब तक न छप सकी । इस बीच में देश में ऐसी अनेक घटनायें घटी हैं जिनका भाषा के प्रश्न पर व्यापक प्रभाव पड़ा है । कुछ और बातें ऐसी हुई हैं जिनसे भाषा की समस्या पर तीव्र प्रकाश पड़ता है । परन्तु इस कारण मूल पुस्तक में कोई परिचर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई । मूल पुस्तक में जो दो-एक बातें ऐसी आई हैं जो अब तक सुलभ चुकी हैं, पुस्तक में उनकी चर्चा इतिहास का काम देगी, और भविष्य के लिये पथ-प्रदर्शन करेगी । गत वर्ष सितम्बर में अब तक जो नई बातें हुई हैं उनका समावेश परिशिष्ट १७ और उत्तर परिशिष्ट १, २ और ३ में कर दिया गया है, और मूल पुस्तक में उनका सम्बन्ध पुस्तक में तथास्थान पाठ-टिप्पणी देकर जोड़ दिया गया है । कहना न होगा, इस बीच की सबसे बड़ी घटना भारत का विभाजन है । परिशिष्ट १७ तथा उत्तर परिशिष्ट १, २ और ३ पर इसकी छाप प्रत्यक्ष है । इसका राष्ट्र-भाषा की समस्या पर जो गहरा और एक अर्थ में निर्णयात्मक प्रभाव पड़ता है उसका उत्तर-परिशिष्ट ३ में विशेष रूप से विवेचन किया गया है ।

ऐसी धारणा थी कि राष्ट्र-भाषा का प्रश्न भारतीय विधान-परिषद के

में केवल उर्दू शब्द ही आवेंगे—इसे कोई तर्क या भाषा-प्रेम रोक नहीं सकता। यह बात प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। उदाहरण के लिये, ऊपर लिन उर्दू शब्दों को एकत्र किया गया है उनके हिन्दी पर्याय उर्दू वाले भूलकर भी नहीं लिखते और परिणाम-स्वरूप हिन्दी प्रदेश की शिष्ट बोलचाल में इन हिन्दी शब्दों में से अधिकांश प्रायः नहीं चलते, जब कि उर्दू पर्याय बाजारों में, गलियों में, रेल के डिब्बों में, आदि सब जगह सुनने को मिल जायेंगे। यदि कहीं पर हिन्दी पर्याय चलते भी हैं तो उनका प्रयोग करने वाले उर्दू पर्याय अचर्य जानते हैं, परन्तु उर्दू शब्दों का प्रयोग करने वालों में से अधिकांश हिन्दी पर्यायों को जानते ही नहीं, अर्थात् बोलचाल की कामन भाषा में ये ही उर्दू शब्द हैं, हिन्दी पर्याय नहीं हैं। इन हिन्दी पर्यायों को हिन्दी वाले आपस में बैठ कर या समा सोंसाइटियों में भले ही प्रयुक्त कर लें, परन्तु ये आम जनता में नहीं चलते, और जब तक लिखित हिन्दी में शब्दों का यह द्वैतवाद ऐसा ही रहेगा तब तक कभी नहीं चलेंगे। यह केवल हिन्दुस्तानी को कृत्रिम रूप से गढ़ने की बात नहीं है कि हिन्दी उर्दू दोनों में जो शब्द आते हैं उन्हें ले लो। वास्तव में ऐसे ही शब्द बोलचाल में प्रचलित हैं, और ऐसे ही शब्द आगे चलकर भी बोलचाल में प्रचलित होंगे\*। विद्वानों के साहित्य में हिन्दी उर्दू अलग अलग रहेंगी पर बोलचाल की हिन्दुस्तानी बन कर रहेगी, उसे बनाने का प्रयत्न कोई करे चाहे न करे। किसी भी स्थान की बोलचाल की

---

\* ऐसा हाने में रेडियो और सिनेमा बहुत बड़ा सहायता पहुँचा रहे हैं और पहुँचायेंगे। आज हमें रेडियो से शिकायत है और शिकायत का पूरा मौका है। उसे जाने दीजिये। सिनेमा को लीजिये। सिनेमा तो शुद्ध व्यापारिक सिद्धान्तों पर चलता है; वह तो साम्प्रदायिकता से श्रोत प्रीत अफसरों के हाथ में नहीं है, उसे तो जनता से काम है और इस कारण सिनेमा तो बता सकता है कि अधिकाधिक संख्या में जनता किन शब्दों को समझती है। आज हमें सिनेमा से क्यों शिकायत है? यदि सिनेमा 'अन्तर' के बजाय 'कर्म', 'सहाय-

न होगी, तो हिन्दी प्रान्तों में भाषा की समस्या तो ज्यों की त्यों रहेगी ही, राष्ट्र-भाषा के पद और हिन्दी प्रान्तों में राज-भाषा के पद पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का निर्णय भी बहुत हद तक निर्णयक और अघास्तपिक सिद्ध होगा। दूसरी बात जिस पर ध्यान देना होगा यह है कि गेडियो में 'हिन्दुस्तानों' का पूर्ण बहिष्कार करके हिन्दी की उचित प्रतिष्ठा की जाय और अन्य सब सरकारी विभागों में, हिन्दी प्रान्तों में और केन्द्र में, नेपाल लिपि ही देवनागरी न हो चरन् भाषा भी यथार्थ में हिन्दी ही, और इस हेतु शासन सम्बन्धी और अदालती पारिभाषिक शब्दों का एक स्टडर्ड हिन्दी कोष बनाया जाय।

यदि इस पुस्तक से हिन्दी-प्रेमियों को हिन्दी पर आये हुये 'हिन्दुस्तानों' रूपी सकट को पहचानने में सहायता मिली और उन्होंने समय रहते सावधान हो कर उसका सामना करने के लिये उचित कदम उठाये तो मैं अपना प्रयत्न सफल समझूँगा।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, }  
७ सितम्बर, १९४७ }

रविशंकर शुक्ल

यी, परन्तु पाली उसी सभ्यता और सस्कृति का वाहन थी और उसमें संस्कृत साहित्य स्वाभाविक रूप से उतरता चला आता था। पाली भी बदली, परन्तु स्वाभाविक रूप से। भारत पर यूनानियों के आक्रमण के फलस्वरूप ग्रीक के प्रभाव के कारण भारतीय भाषा के विकृत होने का भय उत्पन्न हुआ। परन्तु भारतीय समाज उस समय सजग था। उसने भाषा को विकृत होने से बचाने का पूरा प्रयत्न किया। समाज के नेताओं ने आदेश दिया, 'कण्ठेऽपि प्राणो यावन्ती न वदेत्'। क्यों? उन्हें शुद्ध सस्कृत या पाली लिखने से तो कोई रोकता न था। परन्तु नहीं, उन्होंने समझा कि यदि बोलचाल में ग्रीक शब्द भारतीय शब्दों को निकालकर घुस गये तो कालान्तर में उनका साहित्य में भी घुस जाना अनिवार्य है, और इससे संस्कृति की अवश्य हानि होगी। संस्कृत की इस अखण्ड पीढ़ी में आज हिन्दी है। आज हिन्दी को वही काम करना है जो सस्कृत ने, पाली ने और अपभ्रंश ने किया है। हिन्दी के सस्कृत शब्द हमें अपने अतीत से, अपने प्राचीन साहित्य से जोड़ते हैं। उनमें जाति का जीवन है, जाति को मर मिटने की प्रेरणा देने की शक्ति है। हिन्दी जानने वाले के लिये सस्कृत अपेक्षाकृत सुगम है। हिन्दी के सस्कृत शब्दों के कारण हिन्दी में सस्कृत साहित्य उतारना, उसका अनुवाद करना सरल है। अगर हम आज अपनी मूर्खता के कारण हिन्दी में अपने शब्दों के होते हुये अरबी फ़ारसी के शब्द भरते चलेंगे तो परिस्थिति ऐसी है कि हमारे अपने शब्द हमसे सदा के लिये छूट जायेंगे और हम अपनी सारी पैतृक सम्पत्ति से हाथ धो बैठेंगे। आजकल के हजारों हिन्दी कवियों और लेखकों से भी हाथ धो बैठेंगे। हिन्दी में अनावश्यक अरबी फ़ारसी शब्द भरने की जो प्रवृत्ति आज हम देख रहे हैं, उससे हमें यही खतरा है। जो हिन्दी लेखक एक प्रचलित हिन्दी शब्द के स्थान में उर्दू शब्द का प्रयोग करता है, वह साउदे के शब्दों में अपनी मातृ-भाषा के प्रति अज्ञान्य आराधना करता ही है, परिस्थिति ऐसी है कि वह एक प्रकार से हिन्दी शब्द की कब्र तैयार करना है।

प्रकरण		पृष्ठ
परिशिष्ट ५ ( हिन्दुस्तानी )	—	२३५
परिशिष्ट ६ ( “हिन्दुस्तानी का प्रचार क्यों” पर एक दृष्टि )		२३६
परिशिष्ट ७ ( दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार मभा किधर ? )		२४५
परिशिष्ट ८ ( महाराष्ट्र में हिन्दी-हिन्दुस्तानी का संघर्ष क्यों ? )		२४६
परिशिष्ट ९ ( महाराष्ट्र में राष्ट्र-भाषा का प्रचार )	—	२५२
परिशिष्ट १० ( महाराष्ट्र की राष्ट्र-भाषा समस्या )	—	२५७
परिशिष्ट ११ ( महाराष्ट्र की राष्ट्र-भाषा समस्या )	—	२६०
परिशिष्ट १२ ( भारत की राष्ट्र-भाषा की समस्या )	—	२६३
परिशिष्ट १३ ( हिन्दुस्तानी का वेदान्त )	—	२६६
परिशिष्ट १४ ( ‘हरिजनसेवक’ )	—	२७४
परिशिष्ट १५ ( हिन्दुस्तानी का उद्गम )	—	२८१
परिशिष्ट १६ ( युक्त-प्रान्त की अदालतों की भाषा )	—	२६७
परिशिष्ट १७ ( हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम )	—	३०२

### उत्तर-परिशिष्ट ( पृष्ठ ३२४ )

उत्तर-परिशिष्ट १ ( रोमन लिपि का जयजयकार )	—	१
उत्तर-परिशिष्ट २ ( ‘राष्ट्रीय’ सरकार की रेडियो की भाषा बिषयक नीति )	—	१५
उत्तर-परिशिष्ट ३ ( ‘हिन्दुस्तानी’ का गृहस्य — एक हिन्दी के मुख से )		३६

कर सकती ( यद्यपि वह इंगलिस्तानी में चलता भी है ) । यही बात उर्दू शब्दों के साथ लागू होनी चाहिये । उर्दू हिन्दी की एक शैली है, इस कारण उर्दू शब्दों के साथ रियायत नहीं की जा सकती । यदि उर्दू के हिन्दी की एक 'शैली' होने के कारण हिन्दी में आने वाले अनावश्यक उर्दू शब्दों पर आपत्ति नहीं की जा सकती, तो उस 'शैली' की लिपि में हिन्दी लिखे जाने पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये, अर्थात् आवश्यकता न होने पर भी एक अतिरिक्त लिपि, उर्दू लिपि, हिन्दी के लिये स्वीकृत हो जानी चाहिए । वर्षा से भी एक कदम आगे !

फिर इंगलिस्तानी भी हिन्दी की एक 'शैली' है, इसलिये हिन्दी में अनावश्यक, इंगलिस्तानी के अँगरेजी शब्दों पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये, और रोमन लिपि स्वीकृत होने पर भी नहीं !

वास्तव में 'उर्दू हिन्दी की एक शैली है', इसी कारण हिन्दी को उर्दू से सबसे अधिक खतरा है, और इसी कारण उर्दू हिन्दी का मैदान मार सकती है और मार रही है । यह शैलीवाद हिन्दी को बहुत हानि पहुँचा चुका । अब इसका अन्त होना चाहिये । जिस प्रकार हम उर्दू लिपि से द्वेष नहीं करते, परन्तु उसमें हिन्दी लिखने के लिये तैयार नहीं, उमी प्रकार हम उर्दू शब्दों से द्वेष नहीं करते, परन्तु अपने शब्द होते हुये हम उन्हें हिन्दी में स्थान देने के लिए तैयार नहीं । फिर, यह शैलीवाद एकतरफा नहीं चल सकता । उर्दू भी हिन्दी को अपनी एक 'शैली' मान कर हिन्दी शब्दों के साथ वैसा ही व्यवहार करने का तैयार है जैसा व्यवहार उर्दू शब्दों के साथ करने की सलाह हमें दी जाती है ?

यदि हिन्दी और उर्दू दोनों के लिखने वाले ( और पढ़ने वाले ) एक ही होते और दोनों में ( और दोनों लिपियों में ) हिन्दी उर्दू के शब्द एक समान आते होते तो भी विशेष हानि न थी, क्योंकि अन्त में स्वाभाविक रूप से छुट छुटाकर वे ही शब्द रहते जिन में जीवित



पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२१६	८	चन	चैन
२१६	२५	र्यंतः	पूर्णतः
२१८	१४	का	की
२१८	१८	अतनी	अपनी
२२३	१०	उदारण	उदाहरण
२२६	१५	मथिली	मैथिली
२५०	२४	नने	नेने
२८७	२५	श्रुकी ति-रुचि	की श्रुति-रुचि

### उत्तर-परिशिष्ट ( पृष्ठ ३२४ )

१२	२५	'इङ्गलिस्तनी'	'इङ्गलिस्तानी'
२३	२५	समाचा	समाचार
४१	फुटनोट	'पुनर्लेख'	'पुनश्च'
४६	६	हिन्दी	हिन्दी तो
५३	२५	Persani	Persian
५४	५	or	of

### निवेदन

४	१	प	पर
४	४	कोर	को
४	२५	अशो	अशोक
५	२१	सफलना	सफलता
५	२५	कसम्भव	सम्भव
१०	११	स्तानी	-स्तानी

ही शब्द कई अर्थों में रूढ़ कर सकते हैं जैसे कितने ही शब्द इस समय भी कई कई अर्थों में रूढ़ हैं, हिन्दी में भी और उर्दू में भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि अँगरेजी में एक एक शब्द के कई कई पर्याय हैं तो उनका प्रयोग, ध्वनि का अन्तर करके या ध्वनि का अन्तर किये बिना, अँगरेजी के सभी लेखक करते हैं और उन्हें एक ही लिपि में लिखते हैं—न अँगरेजी के लेखक हिन्दी उर्दू के लेखकों की भाँति दो दलों में बँटे हुये हैं और न अँगरेजी 'हिन्दी उर्दू' की भाँति दो लिपियों में लिखी जाती है। स्पष्ट है, अँगरेजी की तुलना हिन्दी या हिन्दुस्तानी से नहीं की जा सकती, और न अँगरेजी कोष की तुलना 'हिन्दी कोष + उर्दू कोष' से की जा सकती है। यदि हम आज अपने शब्दों के साथ उर्दू पर्याय जोड़ भी लें, तो उर्दू लेखक हिन्दी पर्यायों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। हम यदि 'speech', 'discourse', 'lecture', 'talk', 'address', आदि की ध्वनि को स्पष्ट करने के लिये 'भाषण', 'वक्तृता', 'व्याख्यान', 'प्रवचन', 'अभिभाषण', आदि के साथ 'तकरीर' को और जोड़ भी लें, तो भी उर्दू वालों को सिवा 'तकरीर' के और कोई शब्द स्वीकार न होगा (और होगा भी तो 'lecture', 'speech', 'talk', आदि, हिन्दी का शब्द नहीं), और फलतः सब अर्थ 'तकरीर' में ही रूढ़ हो जायँगे, केवल 'तकरीर' चोलचाल में चलेगा और शेष सब मर जायँगे।

हमसे प्रायः कहा जाता है, अरे, एक एक शब्द के अनेक हिन्दी पर्याय याद करते हो या नहीं (कितने शब्दों के ?), एक उर्दू पर्याय (क्या वह सदैव एक ही होगा ?) और याद कर लो। उत्तर में इतना कहना काफी है—क्या उर्दू वाले भी उर्दू पर्यायों के साथ एक एक हिन्दी पर्याय याद करने को तैयार हैं ?

सारांश यह कि ध्वनि में अन्तर करके उर्दू शब्द ग्रहण करने वाला खेल एक इद तक ही—बहुत कम शब्दों के विषय में—खेलना संभव है, और

तरजुमा, मरीज, सजा, वेच कूफ़, नुमायन्दा, हुक़म, ग्रहम, वजीर, एतगाज, गरहद, सदी, माहिर, तहजीब, महदूद, सन्न, शुक्रिया, रकबा, इफ़रात, नज्जारा, दुश्मन, शाम, जरूम, मेहमान, किताब, मुलाकात, इन्तजाम, मुश्कल, आसमान, इन्सान, दिमाग, वक्त, मशहूर, ताटाट, तनख्वाह, ख्वाब, मिसाल, जिन्दगी, नजर, फैसला, तकलीफ़, मौजूद, खत्म, रोज, ताज्जुब, काश्त, जायका, इम्त-हान, मदद, फ़ायदा, जगह, फर्क, सिर्फ़, एलान, खास, मुनासिब, मुताबिक, मजा, चाकई, फस्त, ईमानदारी, सतर, खिलाफ़, कोशिश, हमला, मुखालफ़त, सब्ज़ी, रोजाना, रिश्ता, कायदा, मुफ्त, आघाज, रोशनी, मुल्क, रूह, बेरहम, जुल्म, फ़ौरन, शहशाह, वगैरह, कमजोर, जिम्मेदार, अलावा, वादशाह, सलाह, मशघिरा, तारीफ़, पैगाम, बइस मुवाहिदा, तब्ख़ा, कामयाब, मातहत, यकीन, ख्वाहिश, मिजाज, खिदमत, तमन्ना, हरूफ़, शराफ़त, आमदनी ।

लगभग इन सब शब्दों के हिन्दी पर्याय भी इन्हीं ५० पृष्ठों में आवे हैं और विलकुल उन्हीं अर्थों में प्रयुक्त हुये हैं जिनमें उर्दू शब्द । प्रायः एक ही लेख में, बल्कि एक ही वाक्य में, हिन्दी और उर्दू के पर्यायवाची शब्द मौजूद हैं, और एक ही भाषा या वस्तु के लिये एक वार हिन्दी का शब्द आया है और दूसरी वार उर्दू का शब्द । क्या आप बता सकते हैं कि सत्कार की किस भाषा में, हिन्दी को छोड़कर, ऐसा देखने में आता है ? उर्दू में तो अवश्य ही नहीं ।

अंग्रेज़ी में ऊपर से पर्यायवाची जान पड़ने वाले कई कई शब्द होते हैं, परन्तु उनमें ध्वनि और अर्थ का सूक्ष्म अन्तर होता है, और अच्छी अंग्रेज़ी जानने वाला एक के स्थान में दूसरा शब्द प्रयुक्त करने की भूल नहीं करेगा । 'Letter' के स्थान में 'Despatch', 'Able' के स्थान में 'Compete nt', 'Speech' के स्थान में 'Discourse', 'Hate' के स्थान में 'Co ntempt' आदि, आदि कोई नहीं लिखेगा । फिर ऐसे सूक्ष्म अर्थ-भेद वाले कई कई शब्द प्रायः गम्भीर भावों को प्रकट करने के लिये होते हैं । नित्य

का कष्ट नहीं करते कि उधार मागने की आवश्यकता भी है या नहीं, और न यह सोचते हैं कि ऐसा करने का क्या परिणाम हो रहा है और अपने घर की दालत पर क्या गुजर रही है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि अरबी फारसी शब्दों की मर्यादा निश्चित होनी चाहिये, और जो अरबी फारसी शब्द आवश्यक हैं अथवा जिन्हें परिस्थिति देखते हुये रखना अभीष्ट है उन्हें छोड़ कर शेष का बहिष्कार कर देना चाहिये और भविष्य के लिये भी बिना सोचे समझे अनावश्यक उर्दू शब्दों को हिन्दी में घुसेड़ने की बढती हुई प्रवृत्ति का दमन कर उन सिद्धान्तों को स्थिर कर देना चाहिये जिनके अनुसार अरबी फारसी शब्द ग्रहण किये जा सकते हैं । हिन्दी के एक स्टैंडर्ड कोष का निर्माण किया जाय जिसमें शब्द निश्चित किये हुये रूप, निश्चित की हुई स्पेलिंग में, निश्चित की हुई लिग के सकेत, आदि के साथ तो छपें ही, उसमें केवल उन्हीं अरबी फारसी ( या अँगरेजी ) शब्दों का समावेश किया जाय जो हिन्दी में ग्रहीत माने जायँ । जिन उर्दू शब्दों का हिन्दी से बहिष्कार होना चाहिये उनकी एक तालिका अलग से भी सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।

स्पष्ट है, यह स्टैंडर्ड कोष हिन्दी-शब्द-सागर से बहुत भिन्न होगा । हिन्दी-शब्द-सागर में से वे सब अरबी फारसी शब्द निकालना पड़ेंगे जिनको हिन्दी में स्थान नहीं दिया जा सकता । यदि नागरी प्रचारिणी सभा को उर्दू शब्दों और 'उर्दू शैली' से विशेष प्रेम है, तो वह उस 'शैली' के शब्दों को अलग कोष-बद्ध करके उसी 'शैली' की लिपि में छाप दे, और उसे अप-डु-डेट रखने के लिये अपने कोष-फंड का आधा रुपया इयरमार्क कर दे \* ।

---

\* जब रूस, चीन, आदि विदेश 'हिन्दी' के स्टैंडर्ड कोष की मांग करें, तो नागरी प्रचारिणी सभा चाहे तो केवल 'हिन्दी' शैली का स्टैंडर्ड कोष भेज दें और चाहे तो उसके साथ उर्दू 'शैली' का उर्दू लिपि में छपा हुआ उर्दू-कोष भी भेज दे । नागरी हिन्दी-कोष में अंजुमन-तरकी-उर्दू के पास से

शब्द हिन्दी लेखक और उर्दू लेखक दोनों प्रयुक्त करते हैं उनके आधार पर 'हिन्दुस्तानी' क्यों न बनाई जाय ? हिन्दी वाले कहेंगे ( जैसा श्रीसम्पूर्णानन्द ने ही कहा है ), बात तो ठीक है, परन्तु उन हिन्दी पर्यायों को कैसे छोड़ा जा सकता है जिनको भी हिन्दी लेखक प्रयुक्त करते हैं ? इस तर्क में विलकुल जान नहीं। हिन्दी वाले इन शब्दों को प्रयुक्त करते होंगे, परन्तु उर्दू वाले तो नहीं करते। हिन्दी पढ़ने वाले इन शब्दों को जानते होंगे, परन्तु उर्दू पढ़ने वाले तो नहीं जानते। फिर कामन भाषा में ये शब्द 'आम-फहम', कामन पर्यायवाची शब्दों के मौजूद होते हुये कैसे लिये जा सकते हैं ? हिन्दी वालों को हजारों शब्दों के दो दो पर्यायों को घोटने की, लिखने की और कोप-बद्ध करने की फुरसत होगी, परन्तु कामन, आमफहम भाषा में यह शब्दाडंबर नहीं चल सकता। है हिन्दी वालों के पास इसका कोई उत्तर ?

बात वहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। भाषा एक सिद्धान्त नहीं, जो तर्क से सिद्ध किया जा सके। भाषा एक व्यवहार की, नित्य के काम की चीज है। भाषा में वे ही शब्द जीवित रहेंगे जो नित्य बोलचाल में आते हैं, और उन्हीं में भाषा के जीवन और शक्ति की अभिव्यक्ति होगी। और बोलचाल में वे ही शब्द अपने आप आँवेंगे जिन्हें सब समझते हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उनी भाषा और उसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिसे दोनों समझते हैं। इस नियम में कोई तर्क व्याघात नहीं डाल सकता। अब हिन्दी की परिस्थिति पर गौर काजिये। समस्त हिन्दी प्रदेश में हिन्दी के साथ साथ उर्दू चलती है और सब जगह हिन्दी पढ़ने वाले और उर्दू पढ़ने वाले घुले मिले रहते हैं। ऐसी अवस्था में यदि हिन्दी वाले अपने हिन्दी शब्द जानते हैं और हिन्दी में प्रचलित उनके उर्दू पर्याय, भी जानते हैं, परन्तु उर्दू वाले केवल उर्दू पर्याय जानते हैं, तो हिन्दी प्रदेश की बोलचाल

सुन पड़ते हैं) हो गया है। चूँकि इस समय राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी हलचलों में शहरवालों के हाथ में प्रभुत्व है, प्रत्येक बात शहरों के मापदंड से नापी जाती है। विदेशी शासन ने शहरों को गाँवों से और बुद्धिजीवी वर्ग को वास्तविक जनता से इतना दूर कर दिया है कि शहरवाले हर एक बात को अपने दृष्टिकोण से देखने के आदी हो गये हैं। भाषा के मामले में भी यही बात है। लखनऊ में हिन्दुस्तानीवादी बड़े तपाक से पूछेंगे, म्याँ, यहाँ 'अतिथि' कौन बोलता है ( बिलकुल ठीक ), और 'मेहमान' को ( 'गैस्ट' को नहीं ) 'हिन्दुस्तानी' की उपाधि दे देंगे, मानो लखनऊ से तीन कोस पर चारों ओर बसने वाले विशाल जन समुदाय में, जिसे अवध आवाद है, चलने वाले 'पाहुन' शब्द का कोई महत्व ही न हो। हिन्दी वाले जब लिखने बैठेंगे तो या तो 'मेहमान' रहने देंगे या उसके स्थान पर 'अतिथि' धर देंगे जिसे कोई नहीं बोलता। 'पाहुन' उन्हें भी नहीं सूझेगा या रुचेगा।

तात्पर्य यह कि हिन्दी वाले, जो अपनी भाषा के लिये जनता की भाषा होने का दावा करते हैं, या तो एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों को 'हजम' कर लेंगे जो दाल में नमक के बराबर भी नहीं है या उनके स्थान में अमर-कोष से शब्द चुन लायेंगे जिन्हें कोई नहीं बोलता—कथा कहते समय पंडितजी भी नहीं बोलते। \*अपने घर की दौलत— वास्तविक हिन्दी शब्द जो अधिकांश जनता और वास्तविक मातृ-भाषा में प्रचलित हैं—नहीं रुचनी। यह सत्य है कि हिन्दी में यह प्रवृत्ति उर्दू से आई है ( उर्दू का फसाहत बाद ), प्राचीन हिन्दी साहित्य में ऐसा नहीं है, उसमें देशज और तद्भव शब्द निसंकोच भाव से और घड़ल्ले से आते हैं और बाद ही कौं हम उर्दू के प्रवाह में बह गये। परन्तु यदि आज हिन्दी को उर्दू

\*ऐसे ही शब्दों के कारण 'हिन्दी' पर 'कृत्रिम' होने का ताँछन लगाया जाता है। आगे देखिये।

भाषा सदैव एक रही है और एक रंगी, और उनमें हजारों शब्दों के दो दो पर्याय न कभी चले हैं और न कभी चल सकते हैं। यदि एक मूति के बजाय 'हमदर्दी', 'मनुष्यता' के बजाय 'इन्सानियत', अर्थात् वे सभी उर्दू शब्द जो हिन्दी उर्दू दोनों में आते हैं और इस कारण जिन्हें उत्तरी भारत की ( अर्थात् हिन्दी उर्दू प्रदेशों की ) सब जनता समझती है, प्रयुक्त करता है और उनके हिन्दी पर्यायों को कभी प्रयुक्त नहीं करता, तो वा क्या सुरा करता है ? सिनेमा भाषा का प्रेमी नहीं, रूप्य का प्रेमी है। उसे हमारे शब्दों से प्रेम क्यों हो, जब हमें ही उनसे प्रेम नहीं हम ही उनके उर्दू पर्यायों को धड़कते से लावते हैं ( और बोलते तो केवल उर्दू शब्द ही हैं ) ? सिनेमा के पात्र उन शब्दों को क्यों बोलें जिन्हें हम ही नहीं बोलते, और उन शब्दों को क्यों न बोलें जिन्हें सब बोलते हैं ? जब कोई चित्र-निर्माता विरोध कारणों से, विशेष कर धार्मिक चित्रों में, ऊपर वाले उर्दू शब्दों के बजाय हिन्दी शब्दों का प्रयोग करता है, तब हम उनकी प्रशंसा के पुल बांध देते हैं और 'हिन्दी प्रेम' के लिये उसे बधाई देते हैं, परन्तु यह सोचकर गर्म नहीं आती कि इसकी प्रशंसा करने की नीयत ही क्यों आई। यह एक ऐसी साधारण बात क्यों नहीं है जिसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता ही न हो और जिसे प्रत्येक चित्र-निर्माता स्वयम् अपने लाभ के लिये करना आवश्यक समझे ? वास्तव में हम अपनी कमज़ोरी की तरफ़ देखना नहीं चाहते। यह सोचने नहीं बैठते कि ऐसे चित्र कितने हैं जिनमें इन हिन्दी शब्दों का प्रयोग हुआ है ( और क्यों हुआ है ) और ऐसे चित्र कितने हैं जिनमें इनके उर्दू पर्यायों का प्रयोग हुआ है, और इस व्यापारिक युग में ऐसे, हिन्दी शब्दों वाले, दो चार चित्र भी क्या तक बन सकेंगे। ऐसा क्यों है कि कलकत्ता ( अर्थात् बंगला प्रदेश ) और बम्बई ( अर्थात् मराठी-गुजराती प्रदेश ) में जो 'हिन्दुस्तानी' के चित्र बनते हैं उनमें भी यही उर्दू शब्द आते हैं। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि यह बात कि हमारे हिन्दी शब्द अन्य भाषाओं के अधिक निकट हैं विल्कुल बेकार है, वास्तव में हिन्दी प्रदेश में प्रचलित हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही मुख्य है ?

सारांश यह है कि सिनेमा का मामला एक ऐसा मामला नहीं है जिसे हम आन्दोलन चलाकर या केन्द्रीय धारा-सभा में उठा कर ठिकाने पर ला सकें।

भाग-में उस भाग विशेष के देशज शब्द खड़ी बोली में प्रयुक्त होते हैं । मान लीजिये कहीं अरबी फारसी शब्द भी प्रयुक्त होते हैं । हम प्रत्येक शब्द के दर्जनों पर्याय तो ले नहीं सकते । हमें भाषा को सार्वदेशिक रूप देने के लिए सबसे अधिक निकट पर्याय छोट लेना है । क्यों न हम अरबी फारसी शब्द के बजाय उसका कोई देशज पर्याय छोटें ? हिन्दी सम्पूर्ण हिन्दी-प्रदेश की साहित्यिक भाषा इसीलिये है कि उसमें हिन्दी प्रदेश की सभी बोलियाँ अन्तर्निहित हैं । जब हिन्दी ब्रज, अवधी, बुन्देली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, आदि बोलियों से अपना घरेलू नाता जोड़ती है तो उसे इन बोलियों को अरबी फारसी की अपेक्षा प्राथमिक महत्व भी देना पड़ेगा, और विदेशी भाण्डार की ओर ताकने से पहले इन बोलियों के शब्द-भाण्डार से शब्द चयन करना होगा । इन हिन्दी बोलियों के बाद राजस्थानी और विहारी बोलियों की बारी आयगी जिनके बोलने वालों ने हिन्दी को अपनी साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है । इतना बड़ा देशी खजाना सामने होते हुये विदेशी शब्दों को अपनाना घोर मूर्खता और पागलपन है । ( हाँ, अगर हिन्दी को केवल शहरों के थोड़े से लोगो की और उनमें से भी केवल पुरुषों की भाषा बनाना अभीष्ट है, तो बात दूसरी है ।) यही देशज-शब्द-प्रधान हिन्दी वास्तविक हिन्दुस्तानी या जनता की भाषा होगी जो सब प्रकार से स्वदेशी, बोलचाल की, जीवित भाषा होगी । यदि कोई हिन्दुस्तानी वाला कहेगा कि अरबी फारसी शब्द बोलचाल में प्रचलित है इसे क्यों नहीं लेते, तो हम कह सकेंगे कि इसका यह देशज या तद्भव पर्याय भी बोलचाल में प्रचलित है इसलिये इसे ही क्यों न रहने दें ? बोलचाल में प्रचलित एक एक शब्द के डेढ़ दर्जन पर्यायों को रखना है तो वे अपनी हिन्दुस्तानी में रखें, हमें इस गड़बड़-घोटाले की आवश्यकता नहीं ( और उर्दू को तो नहीं है ही—बह छोटे से बर्ग में प्रचलित केवल अरबी फारसी शब्दों को ही लेकर सतुष्ट है ) ।

यहाँ दो आक्षेपों का उत्तर देना असगत न होगा । पहला आक्षेप यह



हमें पृथ्वी की जगह जमीन, आकाश की जगह आममान और अम्यास की जगह आदत कहने की आदत पड़ गई है .." ( 'अच्छी हिन्दी', पृष्ठ १८५ ), उसी प्रकार तीस वर्ष बाद दूसरी पीढ़ी 'तक़रीर', 'मकसद', 'त्यासी', 'बजारत', 'सदर', 'सदारत' .. को सरल और 'भाषण', उद्देश्य', 'राजनैतिक', 'मंत्रि-मंडल', 'सभापति', 'सभापतित्व'..... को रुठिन समझेगी, और फिर धीरे धीरे लिखित हिन्दी से भी इन हिन्दी शब्दों का बहिष्कार हो जायगा, और इस सबके लिये वे हिन्दी लेखक ही उत्तरदायी होंगे जो आज उर्दू कोप से छॉट छॉट कर उर्दू शब्दों को हिन्दी में घुमेड़ने में ही अपना पाँडित्य समझते हैं । कोई जीवित साहित्यिक भाषा, यदि उसे जीवित रहना है, बोलचाल की उपेक्षा नहीं कर सकती । यदि हिन्दी में साधारण बोलचाल में सब जगह प्रचलित उर्दू शब्दों के स्थान में हिन्दी शब्दों का जबरदस्ती प्रयोग किया गया, तो यह संस्कृत के समान मृत-भाषा हो जायगी, और यदि हिन्दी में बिना मर्यादा के और अनावश्यक उर्दू शब्द घुमेड़ने की यही प्रवृत्ति रही और हिन्दी जीवन के साथ भी चली, तो कालान्तर में साहित्यिक हिन्दी भी उर्दू में परिणत हो जायगी, और जो हिन्दी शब्द आज अपने उर्दू पर्यायों के साथ साथ हिन्दी में दिखाई देते हैं वे एक एक करके विलकुल लुप्त हो जायेंगे । बोलचाल की वास्तविक कामन भाषा तो उर्दू होगी ही, और उसी में सरकारी काम होगा, रेडियो बोलेंगा और सिनेमा चित्र बनायेगा ।

इसका परिणाम भी समझ लेना चाहिये । अपने प्राचीन शब्दों के छूट जाने से अपना प्राचीन साहित्य भी हमसे दूर हो जायगा और हमारी सत्कृति तथा सम्यता को एक जबरदस्त धक्का लगेगा । भाषा सत्कृति और सम्यता का जीता जागता प्रतीक होती है । भाषा का स्वामादिक विघात या परिवर्तन होना और घात है, उसका चिह्न और दूषित होना और घात । मध्यदेश की भाषा संस्कृत युद्ध के समय में बोलचाल में पाली का रूप धारण कर चुकी

हैं उनके विषय में ऊपर जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं उन्हीं के अनुसार हिन्दी में से उन अरबी फ़ारसी शब्दों को भी निकाल डालना चाहिये जिनके संस्कृत तत्सम और तद्भव पर्याय जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं, भले ही वे अरबी फ़ारसी शब्द भी विशिष्ट वर्गों की अथवा जनता की ही बोलचाल में प्रचलित हों। ऐसे अरबी फ़ारसी शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं—

इक ( अधिकार ), वेरहम ( निर्दयी ), वेशर्म ( निर्लज्ज ), संजीदा ( गम्भीर ), रूह ( आत्मा ), गुनाह ( पाप ), सबाव ( पुण्य ), वदनसीव ( अभागा ), हुकम ( आज्ञा ), कब्जा ( अधिकार ), रोजाना ( नित्य ), रोज ( दिन ), किला ( गढ़ ), जहर ( विष ), ज़हरीला ( विपैला ), मर्ज ( रोग ), मरीज ( रोगी ), दरिया ( नदी ), बलगम ( कफ ), मुलाकात ( भेंट ), यकीन ( विश्वास ), सजा ( दंड ), जुर्म ( अपराध ), मुजरिम ( अपराधी ), कसूर ( दोष ), खिदमत ( सेवा ), बेवकूफ ( मूर्ख ), इन्साफ़ ( न्याय ), इन्साफ़-पसन्द ( न्यायी ), खैरियत ( कुशल ), खैर सल्ला ( कुशल मगल ), बेचा ( विधवा ), ख्वाहिश ( इच्छा, अभिलाषा ), रज ( दुःख ), तकलीफ ( कष्ट ), बारिश ( वर्षा, बरखा ), तफरीह ( आनन्द ), फौरन ( तुरन्त ), बदहज्मी ( अपच, अौगुन ), शाम ( सभा, सँभ ), जिस्म ( शरीर, देह ), रोजगार ( व्यापार ), जमीन ( धरती, भूमि, भू ), शादी ( विवाह, ब्याह ), मुल्क ( देश ), रिश्तेदार ( सम्बन्धी ), रिश्ता ( सम्बन्ध ), मुराद ( इच्छा ), औलाद ( सन्तान ), कदम ( पग ), कतार ( पक्ति, पॉती ), ख्वाव ( स्वप्न, सपना ), जायका ( स्वाद ), बजीर ( मन्त्री ), हिस्सा ( भाग ), तजुर्बा ( अनुभव ), तजुर्वेकार ( अनुभवी ), एतवार ( विश्वास ), पनाह ( शरण ), दौलत ( धन ), बजह ( कारण, कारन ), उम्मीद ( आशा, आस ), बेफिक्र ( निश्चिन्त, निचिन्त ), फिक्र ( चिन्ता ), बादशाह ( राजा ), मिज़ाज़ ( स्वभाव ), खुश ( प्रसन्न ), हुकूमत ( राज ), सल्तनत ( राज्य,

## २. द्वैतवादियों के कुछ तर्क

हिन्दी की इस द्वैत की बीमारी को स्वास्थ्य सिद्ध करने के लिये कुछ तर्क भी उपस्थित किये जाते हैं। उन पर भी विचार कर लेना चाहिये।

(१) प्रचलित अरबी फारसी शब्दों को कैसे छोड़ा जा सकता है।

अवश्य नहीं छोड़ा जा सकता। इतना ही नहीं, प्रचलित शब्द छोड़ने से भी नहीं छूट सकते। चास्तव में इसीलिये हिन्दी वालों को सावधान करने की ज़रूरत है। परन्तु 'प्रचलित' से तात्पर्य क्या है? ससार की जीवित भाषाओं का ऐसा कौनसा शब्द है जो कहीं न कहीं प्रचलित नहीं है? जिस प्रदेश को हम 'हिन्दी प्रदेश' कहते हैं (अर्थात्, युक्त-प्रात, विहार, मध्य-प्रात और राजस्थान) उसमें प्रचलित अर्थात् उसकी विभिन्न बोलियों में प्रचलित सभी शब्द क्या हिन्दी में ही अथवा लिये जा सकते हैं? यदि केवल खड़ीबोली (लिखित खड़ीबोली या बोली जाने वाली खड़ीबोली?) में प्रचलित शब्दों को 'प्रचलित' की उपाधि दी जा सकती है, तो उर्दू का ऐसा कौनसा शब्द है जो 'प्रचलित' नहीं है—और वह भी इसी हिन्दी प्रदेश में? फिर हिन्दी में केवल इतने ही उर्दू शब्दों को घुसेड़ कर कनात क्यों कर ली जाती है? हिन्दी को उर्दू से भिन्न रखने की ही क्या जरूरत है? चूँकि मुसलमान उर्दू छोड़ नहीं सकते और न उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं, हिन्दी वाले ही हिन्दी को उर्दू बना दें—कामन भाषा भी बन जाय और हिन्दी उर्दू का भगड़ा भी रहतम हो जाय। सब उर्दू शब्द 'प्रचलित' ही होंगे। फिर, इंगलिस्तानी या बाबू हिन्दुस्तानी भी तो खड़ी बोली हैं। उसके 'प्रचलित' अंगरेजी शब्द क्यों छोड़ दिये जाते हैं? 'खन', 'तकरीर', 'स्वामी', 'बजारत' आदि, आदि ही क्यों? 'लेटर', 'स्वीच', 'पोलीटिकल', 'मिनिस्टरी' आदि, आदि भी क्यों नहीं?

ईमानदारो, ईमान, मुफ्त, परेशान, ताज़ा, मंसूख, मुअत्तल, तफतीश, शिनाख्त, मुआवज़ा ।

हमें कुछ अरबी फारसी शब्द ऐसे भी लेने पड़ेंगे जिनके हिन्दी पर्याय हैं तो, पर वे अरबी फारसी शब्दों के सब प्रयोगों और अर्थों में रूढ़ नहीं हैं । उदाहरणार्थ, 'यह दिलचस्प कहानी है' के बजाय यह तो कह सकते हैं 'यह मनोरंजक कहानी है,' परन्तु 'इस मामले से मुझे दिलचस्पी है' में 'दिलचस्पी' को नहीं बदला जा सकता । 'इधर उधर से पूँजी जमा की' क्ली जगह 'इधर उधर से पूँजी इकट्ठी की' हो सकता है, परन्तु 'डाकघर में रुपया जमा कर दो' के बजाय 'डाकघर में रुपया इकट्ठा कर दो' नहीं हो सकता । 'हिसाब सीखो' में 'हिसाब' की जगह 'गणित' हो सकता है, परन्तु 'खर्च का हिसाब यों है' में 'हिसाब' की जगह 'गणित' भद्दा और मुहावरे के विरुद्ध होगा ( 'हिसाब' 'Mathematics' और 'Account' दोनों के अर्थ में रूढ़ है, 'गणित' नहीं है ) । 'पत्र को प्रतिलिपि' हो सकता है, परन्तु 'अंगरेजों की नकल' कहना पड़ेगा । परन्तु ऐसे अरबी फारसी शब्दों को हमें तभी प्रयुक्त करना चाहिये जब उनके स्थान में अपने शब्द प्रयुक्त करना सम्भव न हो, अर्थात् जब मुहावरे, बोलचाल या रोजमर्रा का तकाजा हो । इन शब्दों से यही प्रकट होता है कि ज्यों ज्यों कोई शब्द अधिकाधिक व्यवहार में आता है त्यों त्यों वह अनेक अर्थों में रूढ़ होता चला जाता है । ( 'मौसम' का उदाहरण पहले दिया जा चुका है । ) हमने अपने स्वदेशी शब्दों की ओर से नज़र फेर ली, इसलिये उनके अर्थ संकुचित होते चले गये । हमें अब अपने शब्दों का अर्थ विस्तृत करना चाहिये और उन्हें विभिन्न ध्वनियों और अर्थों में रूढ़ करना चाहिये ( उदाहरणार्थ, 'यात्रा' को केवल धार्मिक यात्रा के लिये रिज़र्व करने की आवश्यकता नहीं, रेल के 'सफर' को भी 'यात्रा' कहना चाहिये ) । मुहावरों में जो अरबी फारसी शब्द पैठ गये हैं उन्हें भी केवल मुहावरों के साथ लेना होगा, परन्तु भविष्य में अपने ही शब्दों से मुहावरे बनाने चाहिये ।

के दो दो ( वल्कि तीन तीन ) पर्याय होना बड़े हुये हाजमे की निशानी है । यह तो वादी है । इसे छोटना है, बढ़ाना नहीं है ।

यह तो हाजमा बढ़ाने के विषय की बात हुई जो सदैव लागू है । परन्तु हिन्दी को तो परिस्थिति ही दूसरी है । जैसा ऊपर कहा जा चुका है, एक भी अनावश्यक उर्दू शब्द हजम करने का अर्थ है उसके हिन्दी पर्याय में सदैव के लिये हाथ धो बैठना । यदि हम इसी प्रकार उर्दू शब्द 'हजम' करते चलेंगे तो हिन्दी उर्दू को नहीं बरन् उर्दू हिन्दी को हजम कर जायगी, अर्थात् हिन्दी लुप्त हो जायगी और केवल उर्दू, अपने इमी रूप में, रहेगी । उर्दू ने जमाने से हिन्दी शब्दों का सफलता के साथ मतरूक कर रक्खा है और यह क्रम अब भी जारी है । यह नहीं हो सकता कि उर्दू वाले तो हजम किया हुआ उगलते जायँ और हिन्दी वाले स्वदेशी माल छोड़कर विदेशी माल निगलते जायँ । यदि हिन्दी को समाप्त करना ही अभीष्ट हो तो बात दूसरी है, परन्तु यदि हिन्दी को रक्षा करनी है तो बहुत सोच समझ कर खाना होगा ।

( ३ ) सभी भाषायें अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करती हैं ।

अवश्य ग्रहण करती हैं । परन्तु वे ही शब्द ग्रहण किये जाते हैं जो भाषा की अभिव्यजना शक्ति के पूरक होने हैं और अपने भाण्डार में नहीं होने । आखिर उर्दू भी तो एक भाषा है जो हिन्दी के साथ साथ उभी प्रदेश में प्रचलित है । परन्तु उर्दू में तो हिन्दी जैसी धोंघली देखने में नहीं आती । उर्दू भी हिन्दी से शब्द ग्रहण करती है, परन्तु आँख मीच कर, अनावश्यक शब्द नहीं । हिन्दी को ही 'सभापति' या 'अध्यक्ष' होने हुए 'सदर' की क्या आवश्यकता पड गई ? अँगरेजी ने भी हजारों शब्द विदेशी भाषाओं से ग्रहण किये हैं परन्तु अपने शब्दों के होते हुये नहीं । 'Friend' होते हुये अँगरेजी 'मित्र' या 'दोस्त' कभी ग्रहण नहीं कर सकती । हिन्दी ने भी बगना, अँगरेजी, आदि भाषाओं से शब्द ग्रहण किये हैं और आगे भी करेगी, परन्तु केवल आवश्यक शब्द ही । 'मित्र' होते हुये हिन्दी 'Friend' ग्रहण नहीं

सलामत, मलका, उस्ताद, मग़रूर, मर्दुमशुमारी, ओहदा, अजीबो गरीब, मुतफ़र्रिक, कुदरती, कुदरत, हमदर्दी, ज़रब, तरमीम, शहंशाह, वाजिव, तकरीबन, सेहत, करीब, अखितयार, नाराज, नाखुश, ख़रीद-फ़रोख्त, अमन, दरिन्दा, निज़ाम, शुक्रिया, सरहद, हैरतअंगेज, वरखिलाफ, वेशकीमत, मुतल्लिक, हसीन, सदी, मुस्तकिल, लफज़, साजिश, वाक़या, वारदात, फेहरिस्त, तनहा, तनहाई, नुकताचीनी, जायज़, इज़हार, शराफ़त, तमन्ना, नुस्ख, हरूफ ।

हिन्दी प्रदेश की अधिकांश साधारण जनता को अभी तक साधारण बोलचाल के लिए इन शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये अरबी फ़ारसी शब्द 'जनता' की बोलचाल में प्रचलित नहीं, और इसलिए इन्हें हिन्दी में प्रयुक्त करना अपराध है। इनमें से कुछ शब्द या मभी शब्द विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित माने जा सकते हैं, परन्तु ऐसे विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में इनके हिन्दी पर्याय भी प्रचलित हैं, और इसलिए हम इन विदेशी शब्दों को नहीं ले सकते ( इङ्गलिस्तानी के अँगरेजी शब्दों की भाँति)। यदि विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित कुछ अरबी फ़ारसी शब्द ऐसे भी हैं जिनके हिन्दी पर्याय विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में भी प्रचलित नहीं, तो भी हम उन विदेशी शब्दों को नहीं ले सकते ( इ गलिस्तानी में प्रचलित, कितने ही हिन्दी के अप्रचलित शब्दों के अँगरेजी पर्यायों की भाँति)। जैसा पहले कहा जा चुका है, हमें उनके हिन्दी पर्याय प्रचलित करने का पूर्ण अधिकार है और हमें उन्हें अवश्य प्रचलित करना चाहिए। इस वर्ग के शब्दों के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, उनमें से जिन शब्दों को हिन्दी में सुसेड़ना लेखक की राय में महापाप है, उन्हें मोटे अक्षरों में छाप दिया गया है। वास्तव में हिन्दी के जो लेखक अमावधानी से या जान बूझकर ( या 'हिंदुस्तानी' के आग्रह से ? ) इन शब्दों को और इस प्रकार के अन्य शब्दों को हिन्दी में प्रयुक्त कर रहे हैं वे हिन्दी को हत्या कर रहे हैं,

रहने की नैसर्गिक शक्ति होती और जो समाज को भा जाते । यदि उर्दू न होती और मैदान में एकमात्र हिन्दी होनी तब तो हिन्दी में अनावश्यक और आवश्यक अरबी फारसी शब्द आने से विनकुल हानि न होती । जो शब्द अनावश्यक सिद्ध होते वे पुराने, जमे हुये शब्दों के मुकारण में अपने आप मर जाते और आवश्यक शब्द भाषा में स्वयं जाते— किसी दल को यह आग्रह न होता कि नहीं, हमारी भाषा में तो केवल वही अरबी फारसी शब्द आयेंगे, और न किसी दल को एक भिन्न लिपि में लिख कर एक भिन्न शैली और एक भिन्न साहित्य की सृष्टि करने का आग्रह होता । यदि आज अँगरेजी में सौ दो सौ अँगरेजी शब्दों के अरबी फारसी पर्याय जोड़ भी दिये जायें, तो चूँकि किसी अँग्रेजी लेखक को इन अरबी फारसी शब्दों के प्रति कोई आग्रह न होगा, वे चलेंगे ही नहीं—अधिक से अधिक कोप में पड़े रहेंगे । स्पष्ट है कि हिन्दी क अँगरेजी या किसी अन्य प्रदेश की एक लिपि में, एक सत्कृति वाले लेखकों द्वारा लिखी जाने वाली एकमात्र भाषा में तुलना नहीं की जा सकती । हिन्दी की विशेष परिस्थिति है । हिन्दी का पाला उर्दू में पड़ा है जिससे उसका पग पग पर मुकाबला है । और उर्दू ने प्रण कर रक्खा है कि वह हिन्दी का शब्द चारों तरफ से निराश और लाचार होकर ही लगे और वह अपना प्रण पूर्ण रूप में निभा रही है । ( उर्दू लिपि की अपूर्णता के कारण इस प्रण के निभाने में और भी सहायता मिल रही है । ) उर्दू वाले हिन्दी शब्दों का वहिष्कार करने पर तुले हुये हैं । फिर हिन्दी किस प्रकार सब कुछ भूल कर 'उदार' बन जाय ? यह 'उदारता' तो मौत का फन्दा प्रमाणित होगी ।

( ४ ) हिन्दी में हिन्दी शब्दों के उर्दू पर्यायों को ध्वनि का अन्तर करके लिया जा सकता है ।

परन्तु कितने शब्दों को लिया जा सकता है ? 'आशार्वा' और

चाल में 'तकरीर' ही चलेगा, 'भाषण' पीछे पड़ता जायगा। किमी बह्ना या सिनेमावाले को भी 'भाषण' की ज़रूरत न रह जायगी। लिखित हिन्दी में भी फिर अधिकाधिक 'तकरीर' का ही प्रयोग होगा और एक पीढ़ी बाद डा० ताराचन्द और प० सुन्दरलाल के वशज पूछेंगे, अमाँ, यह 'भाषण' क्या चीज है ? यह हिन्दुस्तानी तो मालूम नहीं देता। वास्तव में वह एक अजीब चीज होगा, और उसका उपयुक्त स्थान मुर्दा अजायबघर या अमर-कोष होगा। 'समबन्ध' ( एक तरफा ? ), 'उदारता' ( या आत्म-समर्पण ? ), 'राष्ट्रीयता' ( या अराष्ट्रीय मूसलमानों की चापलूसी ? ), 'प्रचलितवाद' ( या उर्दू की गुलामी ? ) आदि, आदि का नारा लगा कर आज जो हिन्दी लेखक 'तकरीर' और ऐसे ही अन्य अनावश्यक उर्दू शब्दों को हिन्दी में घुसेड़ रहे हैं, वे हिन्दी को जड़ से खोद रहे हैं।

साधारण श्रेणी के हिन्दी लेखकों को सच्चेप में यह सलाह निःसकोच दी जा सकती है कि वे किसी भी अरबी फारसी शब्द का प्रयोग करने से पहले यह सोच लें कि उसका हिन्दी पर्याय है या नहीं, और यदि है तो उससे काम चल सकता है या नहीं। यदि इस प्रकार वे एक बार हिन्दी में ग्रहीत या ग्रहण करने योग्य अरबी फारसी शब्द के वजाय भी अपना हिन्दी शब्द लिख जायँ, तो वह गलती हिन्दी में अनावश्यक अरबी फारसी शब्द घुसेड़ने की गलती से कहीं अधिक क्षम्य होगी। प्रथम श्रेणी के हिन्दी लेखकों से निवेदन है कि वे हिन्दी में किसी नवीन अरबी फारसी शब्द को प्रयुक्त करने से पहले यह सोच लें कि हिन्दी के अपने स्रोत उस शब्द का स्वदेशी पर्याय देने में समर्थ हैं या नहीं, और उस शब्द के कारण हिन्दी के किसी प्राचीन या प्रचलित शब्द का जीवन तो खतरे में नहीं पड़ता। प्रत्येक अवस्था में, किसी भी अरबी फारसी शब्द को प्रयुक्त करने से पहले यह याद कर लेना लाभदायक सिद्ध होगा कि उसका हिन्दी पर्याय, यदि वह वर्तमान है, उर्दू में भूल कर भी प्रयुक्त नहीं होगा।



कोई 'I am sensible of it', कोई 'I have an understanding of it', कोई 'I have a knowledge of it', इसी प्रकार 'हिन्दुस्तानी' में हिन्दी उर्दू के सभी शब्दों के लिये गुन्जाइश हो सकती है और हम प्रकार भाषा 'समृद्ध' हो जायगी ( शायद राजा जी तामिल बालों को इस प्रकार तामिल को 'समृद्ध' बनाने की सलाह न देंगे ) । प्रथम तो हिन्दी और उर्दू में क्रियायाँ, विभक्तियों और थोड़े से देशज शब्दों को छोड़कर और सब शब्द भिन्न भिन्न हैं । आज भी भिन्न शब्दों की संख्या २० हजार से अधिक है, और दिन पर दिन बढ़ती जाती है । जिस भाषा की कुल शब्द-संख्या लगभग ५० हजार हो, उसमें २० हजार शब्दों के—और वह भी ज्यादा प्रयुक्त होने वाले शब्दों के— २० हजार और पर्याय जोड़ देना भाषा को उस बच्चे के समान बना देना होगा जिसकी टाँगें तो दो हों परन्तु दो मिर हों और जुड़े हुये दो पेट हों । वह भाषा काम की चीज नहीं रहेगी । वह नुमाइश में रखने की चीज हो जायगी । अँगरेजी में 'Friend', 'Difference', 'Sky' जैसे हजारों शब्दों के दर्जनों या दो दो पर्याय नहीं हैं और न हम प्रकार के हजारों शब्दों के दो दो पर्यायों में ध्वनि का अन्तर करना संभव है । अँगरेजी में सब पारिभाषिक शब्द भी एक ही एक हैं और उनके अर्थ निश्चित हैं, परन्तु हिन्दी और उर्दू के पारिभाषिक शब्द सर्वथा भिन्न हैं । पारिभाषिक शब्दों में ध्वनि का अंतर करना किसी भी प्रकार संभव नहीं, और न हजारों ( शीघ्र ही लाखों ) पारिभाषिक शब्दों के जोड़े रखकर भाषा से एक दिन भी काम चल सकता है, और न उन्हें प्रत्येक को सिखाया जा सकता है । दूसरे, उर्दू लिपि में हिन्दी के हजारों शब्द लिखे ही नहीं जा सकते । तीसरे, यदि अँगरेजी में एक एक शब्द के दर्जनों पर्याय हैं तो एक एक शब्द के दर्जनों अर्थ भी हैं, और हमें अपनी भाषा का 'समृद्ध' बनाने के लिये अँगरेजी के सभी पर्याय-वाची शब्दों के उतने ही पर्याय ढूँढने की जरूरत नहीं—हम भी अपना एक

(आ) सस्कृत के शब्द लेते समय या सस्कृत से शब्द गढ़ते समय इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिये कि वह शब्द हिन्दी की ध्वनि-प्रणाली पर भार न हो। हमें उस शब्द को हिन्दी की ध्वनि-प्रणाली के अनुसार ढालकर ग्रहण करना चाहिये। बँगला वाले ऐसा ही करते हैं। बँगला में सस्कृत शब्द हिन्दी से भी अधिक हैं, परन्तु वे सब शब्द बँगला की ध्वनि-प्रणाली में ढाल लिये गये हैं। इसीलिये बँगला इतनी मधुर भाषा है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हिन्दी की कर्कशता दूर न होगी। 'सान्निद्ध्य', 'नैक्य', 'दौर्बल्य', 'गाम्भीर्य', 'स्वातन्त्र्य', आदि 'सन्निद्धता', 'निकटता', 'दुर्बलता', 'गम्भीरता', 'स्वतन्त्रता', आदि के मुकाबले में लिखने में ही नहीं, बोलने में भी कितने कठिन हैं। ऐसे शब्दों को बोलते समय बक्ता को ऐसे शब्दों के प्रति स्वाभाविकतया अरुचि उत्पन्न होती है, और वह उनके सरल पर्याय ढूँढता है। ऐसे समय प्रायः अरबी-फारसी शब्द आड़े आते हैं और बक्ता भाषा-प्रेम को तिलार्जल देकर सीधी राह पकड़ता है। यह प्राकृतिक नियम है कि यदि एक शब्द बोलने में कठिन हो और उसका कोई पर्याय बोलने में सरल, तो सरल पर्याय ही चलेगा। अपने अपने प्रदेश में एकाधिपत्य और अखड राज राजने वाली भाषाओं की बात दूसरी है ( उदाहरणार्थ तामिल प्रदेश में तामिल के कठिन से कठिन और लम्बे से लम्बे शब्द चल जायेंगे ), परन्तु हिन्दी प्रदेश में हिन्दी शब्दों का उर्दू शब्दों से मुकाबला है। 'आजादी' के मुकाबले में 'स्वतन्त्रता' कहाँ चला ? हाँ, 'सुर्ख फौज' या 'आजाद हिन्द फौज' के बजाय 'लाल सेना' या 'आजाद हिन्द सेना' ( यदि हिन्दी वालों को इसकी चिन्ता हो तो ) चल सकता है। 'जग-ए आजादी' के मुकाबले में 'स्वातन्त्र्य-युद्ध' नहीं चल सकता, हाँ, 'स्वाधीनता-संग्राम' चल सकता है। भाषा की ध्वनि-प्रणाली सदैव एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चीज है, हिन्दी वालों को तो हिन्दी की ध्वनि-प्रणाली का ध्यान रखना अन्य कारणों से और भी आवश्यक है। जो शब्द हिन्दी की ध्वनि-

उस हद तक भी अपने शब्दों के मृत हो जाने का पूरा भय है क्योंकि दूसरी पार्टी यह खेल हमारे साथ खेलने के लिये तैयार नहीं।

( ५ ) उर्दू लेखक भाषा के मामले में सजग और जागरूक ( language conscious ) हैं, हिन्दी लेखक नहीं हैं।

इसी का तो रोना है। मुसलमानों ने जमाने से उर्दू के विषय में प्यूरिटन ( विशुद्धतानादी ) रुख ग्रहण कर रखा है। वे अपनी भाषा और सस्कृति के मामले में जागरूक और सावधान रहे हैं, और हैं। वे जान-बूझकर हिन्दी शब्दों का वहिष्कार करते हैं। उनकी देखा देखी उर्दू के हिन्दू लेखकों ने भी वैसा ही किया ( और कर रहे हैं ), परन्तु हिन्दी वालों ने भाषा का महत्त्व नहीं समझा, उन्होंने उसकी शुद्धता की ओर ध्यान नहीं दिया और बिना सकोच और सोच-बिचार के अपनी भाषा में अनावश्यक अरबी-फारसी शब्दों को घुसने दिया। इसी प्रवृत्ति को अब बदलना है। यदि इस प्रवृत्ति को नहीं बदला गया तो हिन्दी उर्दू में बदल जायगी। सदैव से इतिहास में दो भाषाओं ( या दो शब्दों ) की प्रतिद्वन्द्विता में उसी की भाषा ( या शब्द ) की विजय होती आई है जो उसका अपेक्षाकृत अधिक ध्यान रखता है और उससे अधिक दृढ़ता के साथ चिपका रहता है।

### ३. क्या करें ?

अब प्रश्न उठता है कि हिन्दी के इस द्वैतवाद को किस प्रकार दूर किया जाय, और इससे हिन्दी को जो खतरा पैदा हो गया है, उससे हिन्दी की रक्षा किस प्रकार की जाय। यह हिन्दी के विद्वानों, हिन्दी-प्रेमियों, हिन्दी-हितैषियों और हिन्दी की संस्थाओं के लिये अत्यन्त विचारणीय और चिन्तनीय विषय होना चाहिये। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कदम उठाना चाहिये। विद्वानों के विचारार्थ कुछ सुझाव नीचे दिये जाते हैं।

( १ ) हिन्दी का स्वरूप निश्चित हो जाना चाहिये। हिन्दी में इस समय जो घर्षण चल रही है, उसे समाप्त कर हिन्दी का एक निश्चित,

हिन्दी को अदालती, दफ्तरी और सरकारी काम काज एव शासन (administration) में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की भी विशेष आवश्यकता है, क्योंकि पिछली कई शताब्दियों से इन स्थानों में या अरबी फारसी के शब्द चले हैं या अँगरेजी के। हिन्दी का एक स्टैंडर्ड अदालती और शासन-शब्द-संग्रह प्रकाशित किया जाय जिसमें उन अरबी फारसी या अँगरेजी शब्दों को रक्खा जाय जिन्हें हिन्दी में रखना मंजूर है और शेष के हिन्दी पर्याय देशी धातुओं से बना कर या प्राचीन ग्रन्थों को शोध कर कोप-बद्ध किये जायें।

वैज्ञानिक, अदालती या शासन सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों के विषय में घाँघली और गडबड की विलकुल गुन्जाइश नहीं रहनी चाहिये। विद्वान् मिल कर पारिभाषिक शब्दों को अन्तिम रूप से तय करें, और फिर स्टैंडर्ड कोप छपे। इस समय इस मामले में बड़ी गडबड दिखाई देती है। कोई 'त्रिकोण' लिखता है, कोई 'त्रिभुज', कोई 'धारा-सभा' लिखता है, कोई 'व्यवस्थापिका-सभा' (कोई 'असेम्बली' भी), कोई 'अदालत' लिखता है, कोई 'कोर्ट', कोई 'मुद्दई मुद्दालह' लिखता है, कोई 'वादी प्रतिवादी', कोई 'जज' लिखता है, कोई 'न्यायाधीश', इत्यादि, इत्यादि। हिन्दी के समाचार-पत्रों का तो बुरा हाल है। मालूम होता है उनके सामने कोई आदर्श है ही नहीं। खूब मनमानी चल रही है। चाहे कोई संस्कृत का,

---

शब्दों और धातुओं से बनाये जा रहे हैं जिससे सब भारतीय, आर्य तथा द्रविड़, भाषाओं की पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्दावली एक ही हो। इस अँगरेजी-हिन्दी (भारतीय) पारिभाषिक कोष का प्रत्येक शब्द देवनागरी, बँगला, तामिल तथा कन्नड़ लिपियों में छपा जा रहा है। हिन्दी की साहित्यिक संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे डा० रघुवीर से सम्पर्क स्थापित करें, उनके कार्य में सब प्रकार से पूर्ण सहयोग दें और इस महाकोष से पूरा लाभ उठायें तथा अदालती, शासन संबन्धी, आदि शब्दावली को अलग से छाप कर हिन्दी संसार के सामने रखें और उन शब्दों को प्रचलित करें।

परन्तु यहाँ केवल अरबी फारसी शब्दों के विषय में हिन्दी के स्वरूप के निश्चयीकरण पर थोड़ा सा विचार किया जायगा ।

जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है, अरबी फारसी शब्दों के सन्ध में हमें प्रचलित-वाद से सहायता नहीं मिलती । हिन्दी-प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ के कुछ लोग 'जुमा', 'जुमेरात' और 'पीर', न बोलते हों, परन्तु इस कारण वे हिन्दी में 'शुक्र', 'वृहस्पत' और 'सोमवार' के साथ साथ नहीं लिये जा सकते । और हिन्दी-प्रदेश में शिक्षित समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 'फ्राइडे', 'थर्सडे', 'मडे', 'संडे', आदि न बोलता हो (खड़ी बोली में ही), परन्तु इस कारण वे भी हिन्दी में नहीं लिये जा सकते । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें सब अरबी फारसी शब्दों को हिन्दी में से निकाल देना चाहिये । हमें बहुत से अँगरेजी शब्दों को रखना है और आगे भी बहुत से अँगरेजी शब्दों को लेना है । इसी प्रकार हमें बहुत से अरबी फारसी शब्दों को रखना है और आगे भी बहुत से अरबी फारसी शब्दों को लेना है । क्या अँगरेजी और क्या अरबी फारसी, दोनों के विषय में हमारे सिद्धान्त एक से होने चाहिये । अन्तर केवल इस बात से पड़ता है कि खड़ी बोली लिखने वालों में, कम से कम अभी तक, ऐसा कोई दल नहीं जिसका अँगरेजी शब्दों अर्थात् 'इङ्गलिस्तानी' के प्रति आग्रह हो । फलतः अनावश्यक अँगरेजी शब्द साहित्य में प्रवेश नहीं करने पाते । सब खड़ी बोली लिखनेवाले—हिन्दीवाले और उर्दूवाले—लिखते समय अँगरेजी शब्दों से मतर्क रहते हैं, उन्हें बोलचाल में प्रचलित होते हुए भी नहीं लिखते यदि उनके अपने अपने पर्याय मौजूद हैं या बनाये जा सकते हैं, और प्रत्येक अँगरेजी शब्द को ठोक बजा कर और नितान्त आवश्यक ससभ कर ही लिखते हैं । उर्दू वाले इसी प्रकार हिन्दी शब्दों से भी सतर्क रहते हैं, परन्तु हिन्दी वाले अरबी फारसी शब्दों को अपना ही माल समझते हैं और इच्छानुसार चाहे जिस अरबी फारसी शब्द को ला बैठाते हैं—कभी यह सोचने

त्याम्ना होगा। कांग्रेस नेता जब अँगरेजी बोलते या लिखते हैं तब शुद्ध और अच्छी अँगरेजी बोलने या लिखने का शक्ति भर प्रयत्न करते हैं। ईश्वर की कृपा से उन्हें अच्छी अँगरेजी आती भी है, इसलिये अँगरेजी पत्रों को उनके भाषण, वक्तव्य, लेख, आदि ज्यों के त्यों छापने में कोई उज़्र नहीं होता। परन्तु जब वे 'हिन्दुस्तानी' बोलते हैं तो हिन्दी या उर्दू की साहित्यिक परंपरा और शुद्धता का ध्यान नहीं रखते (कुछ नेताओं को छोड़ कर किसी प्रकार की 'हिन्दुस्तानी', जिसके वे गुण गाते फिरते हैं, अच्छी तरह उन्हें आती ही नहीं और न वे अच्छी तरह सीखने की आवश्यकता समझते हैं, कोई सा हिन्दी शब्द किसी भी उर्दू शब्द के साथ बैठाल दिया, होगई कांग्रेस मार्का 'हिन्दुस्तानी')। वे भाषा को जान बूझकर विकृत करने का प्रयत्न करते हैं। हिन्दी पत्र उनकी अनर्गल और अटपटी 'हिन्दुस्तानी' छाप कर अपनी भाषा की मट्टी पलीद नहीं कर सकते।

(आ) हिन्दी में विदेशियों या मुसलमानों का कथोपकथन उर्दू में नहीं होना चाहिये। यह एक अत्यन्त अस्वाभाविक और आपत्तिजनक बात है, इसलिये और भी कि बड़े बड़े साहित्यिके इस भ्रम में फँसे हुये मालूम पडते हैं कि विदेशियों और मुसलमानों से उर्दू में ही बातचीत कराना उचित है। इस विषय में कुछ समय पहले हिन्दी पत्रों में प्रकाशित 'हिन्दी कृतियों में मुसलमान पात्रों का उर्दू में कथोपकथन' शीर्षक लेख में (देखिये परिशिष्ट १) विद्वान लेखक ने जो कहा है, उसके बाद कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

(इ) हिन्दी गद्य या पद्य में इस प्रकार के वाक्यांश लिखना अत्यन्त भूर्खतापूर्ण और अनुचित है—'हिन्दी का विद्वान्, उर्दू का माहिर,' 'हिंदुओं की देशभक्ति, मुसलमानों की हुबुलबतनी,' 'हिन्दुओं का धर्म और मुसलमानों का मजहब,' 'श्री-ने कविता सुनाई, जनाब ने अपनी नज्म सुनाई' आदि, आदि। ये सब उदाहरण हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रों से लिये गये हैं।

वेचारे हिन्दी के कोप-प्रकाशकों का कागज और रुपया और हिन्दी के कोप-पाठकों का समय नष्ट नहीं होना चाहिये ।

ज्यों ज्यों हिन्दी का शब्द-भांडार बढे त्यों त्यों हिन्दी के स्टैंडर्ड कोप का आकार भी बढे, परन्तु उसमें सदैव वे ही अरबी फारसी शब्द समाविष्ट किये जायँ जो स्टैंडर्ड हिन्दी में प्रहीत समझे जायँ । ऐसा नहीं होना चाहिये कि जिस किसी लेखक ने हिन्दी में जिस किसी उर्दू शब्द का प्रयोग कर दिया, उसे हिन्दी कोप में उठा कर धर दिया ।

अरबी फारसी शब्दों की मर्यादा जिन मिदान्तों के अनुसार निश्चित होनी चाहिये, यहाँ उनका आभास देना अनुचित न होगा । इस समय हिन्दी में प्रचलित अरबी फारसी शब्द निम्नलिखित वर्गों में बाँटे जा सकते हैं । ऊपर जो अरबी फारसी शब्द इकट्ठे किये गये हैं वे सब के सब इन वर्गों में विभक्त हो जाते हैं । इनके अतिरिक्त हिन्दी में प्रचलित कुछ अन्य अरबी फारसी शब्द भी प्रत्येक वर्ग के शब्दों के उदाहरण-स्वरूप पेश किये गये हैं—

( अ ) वे अरबी फारसी शब्द जिनके देशज ( या संस्कृत तद्भव ) पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं और इसलिये जिन्हें हिन्दी में से तुरत निकाल देना चाहिये । उदाहरण—

तलाश ( खोज ), सूरख ( छेद ), सुर्प ( लाल ), बजनी ( मारी, गरु ), बजन ( बोझ ), बर्दाश्त करना ( सहना ), शोरगुल ( हल्ला, दुन्द ), तमशा ( विल्ला ), सहन ( आँगन ), बेशुमार ( अनगिनती ), स्याह ( काला ), जर्द ( पीला ), आवपाशी ( सिंचाई ), काश्त ( खेती ), पैदावार ( उपज ), जरखेज ( उपजाऊ ), काश्तकार ( किसान ), जेवर ( गहना ),

आये हुये सम्पूर्ण उर्दू-कोप को समाया हुआ देख कर विदेशों को हैरानी तो न हो और हमें लज्जा और हानि तो न उठाना पड़े । जो भाषा अपने को एक अलग स्वतंत्र भाषा कहती है, अपना अलग नाम रखती है और अपने को अलग लिपि में लिखती है, उसका अपना अलग कोप भी होना चाहिये जो केवल उसी का हो और उसे छोड़ कर और किसी का न हो ।

रेजी के मूल अवतरण अँगरेजी की लिपि अर्थात् रोमन लिपि में दिये जाते हैं और देवनागरी में उनका हिंदी अनुवाद दिया जाता है, उसी प्रकार यदि उर्दू का अवतरण मूल रूप में देना आवश्यक हो तो उसे उर्दू लिपि में दिया जाय और देवनागरी में उसका हिन्दी अनुवाद दिया जाय । जो पाठक उर्दू जानता है और मूल समझ सकता है, वह उर्दू लिपि में पढ़ भी लेगा— देवनागरी द्वारा हिंदी पाठको को उर्दू क्यों सिखाई जाय ? जब तक उर्दू चाले देवनागरी को स्वीकार नहीं करते अर्थात् जब तक उर्दू देवनागरी में नहीं लिखी जाती, और जब तक उर्दूवाले एक पृथक लिपि में लिखकर उर्दू नामक एक पृथक भाषा या शैली की सृष्टि और विकास करना नहीं छोड़ते, तब तक देवनागरी में सदेव हिंदी ही होनी चाहिये, उर्दू कभी नहीं । हिंदी पत्र पत्रिकाओं को देवनागरी में उर्दू के लेख, कवितायें भी नहीं छापनी चाहिये और न उर्दू पुस्तकों की समालोचना करनी चाहिये ।

हिंदी में जब किसी अग्रहीत अरबी फारसी शब्द को किसी विशेष कारण से प्रयुक्त करना पड़े, तो उसे उसी प्रकार उल्टे कामाओं के बीच में और उसके आगे कोष्ठक में उस शब्द को फारसी लिपि में लिखकर प्रयुक्त करना चाहिये जिस प्रकार हिंदी में अग्रहीत और अपरिचित अँगरेजी शब्द उल्टे कामाओं के बीच में लिखा जाता है और उसके आगे कोष्ठक में उसे रोमन लिपि में लिखा जाता है । इससे पाठक को मालूम हो जायगा कि यह शब्द विदेशी है, हिंदी का नहीं है और यहाँ किसी विशेष कारण से प्रयुक्त किया गया है । अँगरेजी में इस प्रकार के शब्दों को प्रायः इटैलिक्स में लिखा जाता है ।

( उ ) हिन्दी के कुछ लेखकों और कवियों ने हास-परिहास की परिभाषा अधिकाधिक उर्दू शब्दों का प्रयोग ही मान रखी है । उनकी राय में परिहास की पराकाष्ठा यही है कि हिन्दी शब्दों के स्थान में ढूँढ ढूँढ कर दूरूह अरबी फारसी शब्द धर दिये जायँ । अपनी ही भाषा में अपने ही शब्दों



वह भूलना न चाहिये कि अंग्रेजी फारसी और उर्दू का प्रभाव जनता—गाँवों में बसने वाली जनता जो सम्पूर्ण जन-संख्या का ६० प्रतिशत है और शहरों में भी निम्नवर्ग की जनता—की भाषा पर बहुत कम पड़ा है। शहरों में इंग्लिश की भाषा अर्थात् घर के भीतर बोली जाने वाली भाषा—बाल्मिकि मातृ-भाषा—पर भी विदेशी प्रभाव बहुत कम पड़ा है। अरबी फ़ारसी शब्दों का बाहुल्य तो अदालतों, कचहरियाँ, दफ्तरों, पुलिस की चौकियों, म्यूनि-सिपैलिटियों, आदि के चारों तरफ़ मँडराने वाले लोगों की बोलचाल में मिलता है क्योंकि इन सब जगहों में विदेशी शासन ने पहले फ़ारसी को और फिर उर्दू को बैठा रक्खा है। हमारी मानसिक गुलामी ने इन्हीं लोगों की भाषा को प्रधानता दे दी है। (जिस प्रकार आज इंगलिस्तानी की नकल करना शिष्टता का टूट-मार्क बन गया है; कांग्रेस के नेता आपस में और बोलचाल में उस उर्दू उर्फ़ हिन्दुस्तानी का प्रयोग नहीं करते जिसे वे जनता के सामने जनता की भाषा कहकर मच्च से बोलते हैं, परन्तु शुद्ध इंगलिस्तानी बोलते हैं)। अपने को जनता का प्रतिनिधि कहने वाले, विदेशी शासन और विदेशियत के पीछे नोन सच्चू बाँधकर चलने वाले, गाँधीवादी, राष्ट्रवादी, घोर राष्ट्रीयता और शुद्ध स्वदेशी के पुजारी कांग्रेसजनों को भी यही भाषा प्रिय है। उन्हें भाषा छोड़कर जोप सब स्वदेशी और जनता का प्रिय है। भाषा के मामले में अदालतों की भाषा ही उनका आदर्श है। (चाहे जब युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जाकर 'हिन्दुस्तानी' सुन लीजिये; उदाहरणार्थ, सबके मुँह से 'मुल्क' सुन पड़ेगा—बेचारा देश अपने ही देश में देशियों द्वारा देश से निर्वासित मिलेगा)। सारांश यह कि 'आमफहम', 'बोलचाल', 'प्रचलित' का माप दूढ़ शहरों (और वह भी मुख्यतः दिल्ली और लखनऊ के बीच के शहरों) के इसी कलमजीबी, अर्ध-राजनीतिक अल्पसंख्यक वर्ग की बोलचाल (और वह भी घर के बाहर की बोलचाल—मुंशीजी घर में 'जौजे' नहीं, 'हमार मेहरारू' ही कहते

है'। किसी अखिल भारतीय सभा में युक्त-प्रान्त वाले से पूछिये, 'आप कौन हैं, कहाँ के हैं ?' उत्तर मिलेगा, 'हिन्दुस्तानी'। बंगाली अपनी मातृ-भाषा बंगला बतायेगा, 'बंगला' में बोलने का आग्रह करेगा और अपने आप को बंगाली बतायेगा ( 'हिन्दुस्तानी' तो हिन्दुस्तान के सभी निवासी हैं )। इसी प्रकार बिहारी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, आदि अपनी अपनी मातृ-भाषा और अपना अपना प्रान्तीय नाम लेंगे, किन्तु अपनी मातृ-भाषा 'हिन्दी' और अपने आप को 'हिन्दी' बताने वाले बिरले ही मिलेंगे।

साराश यह कि इस 'हिन्दुस्तानी' नाम के कारण यह भावना दृढ़ होती जा रही है कि हिन्दी किसी प्रदेश की, किसी की मातृ-भाषा नहीं, उसे कोई नहीं बोलता और उसकी जगह जो कुछ है सो यह 'हिन्दुस्तानी' है। इससे हिन्दी को प्रान्त-भाषा की पदवी से भी हटाने में ( जैसे रेडियो में ), और उसकी छाती पर उर्दू और उर्दू लिपि को बैठाने में बड़ी सहायता मिल रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये १९४१ की जन-गणना के समय लखनऊ रेडियो से और अन्य उपायों से जन-गणना से सम्बन्धित अफसरों ने युक्त-प्रान्त की जनता को सलाह दी कि वे अपनी मातृ-भाषा 'हिन्दुस्तानी' लिखावे ( वे बोलते ब्रज, अचधी, आदि चाहे जो हो ) , और जन गणना के फारम भरने वाले को सरकारी आदेश दिया गया कि वे मातृ-भाषा के बताने में किसी के हिन्दी या उर्दू बताने पर केवल 'हिन्दुस्तानी' लिखें। ये सब 'हिन्दी' का नाम निशान मिटाने की तैयारियाँ हैं। मजे की बात यह है कि सन् १९३१ की जन-गणना तक जन-गणना के फारमों और रिपोर्टों में युक्त-प्रान्त की मातृ-भाषा 'हिन्दी' लिखी गई है। उस वर्ष में हिन्दी बदलकर 'हिन्दुस्तानी' हो गई। यह है गांधी-कांग्रेस-चम्कर ! गांधी-वादी, राष्ट्र-वादी कहेंगे, हिन्दी उर्दू के साथ समान व्यवहार किया गया, जलो हिन्दी उर्दू का भेद मिट गया (कितनी आसानी से, जादू का डबा फिरा कर !), आदि, परन्तु वास्तव में हिन्दी का अस्तित्व मिट गया। उर्दू तो किसी प्रदेश की मातृ-भाषा है ही नहीं, उम्का क्या विगड़ा ?

ने लोहा लेना है, बोलचाल की भाषा बनना है तो उर्दू इस प्रवृत्ति का चुगन्त त्याग कर वास्तव में जनता की भाषा बनना पड़ेगा। 'अनुनय विनय' का मोह त्याग कर 'चिरौरी' को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो शिष्ट बोलचाल में 'आगू मिनन' ही चलता रहेगा। लागू 'प्रांता' निमित्त, शिष्ट बोलचाल में 'इन्तजार' ही चलेगा, परन्तु यदि साहित्यिक हिन्दी 'घाट' अपना लेगी तो शिष्ट बोलचाल में भी 'घाट' चल जायगा और यदि ऐसा नहीं करेगी तो जो जनता आज 'घाट' बोलती है वह भी 'इन्तजार' चलेगी, क्योंकि यह प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक आदमी अपनी ने ऊँची श्रेणी के आदमी की बोलचाल को अपनाता है। जब तक साहित्यिक हिन्दी 'चिरौरी', 'घाट' जैसे ठेठ हिन्दी शब्दों को शिष्ट साहित्य में स्थान देगी नहीं, तब तक उच्च श्रेणियों और गहरवाला की इन शब्दों के प्रति भिन्नक दूर होगी नहीं, और जब तक ये शब्द ऊँची श्रेणियों और गहरवालों की बोलचाल में स्थान पावेंगे नहीं, तब तक इन शब्दों को बोलने वाली जनता भी इन शब्दों को गँवारू समझेगी और इन्हें छोड़कर शिष्ट बोलचाल में प्रचलित अरबी फारसी शब्द अपनाती जायगी। इस प्रकार इन शब्दों का न अपना कर उनके स्थान में विदेशी शब्दों को प्रयुक्त करके एक ओर तो हिन्दी वाले साठदे के शब्दों में अपनी मातृ-भाषा के प्रति अक्षम्य अपराध करने और दूसरी ओर अपने इन शब्दों की मौत का कारण बनने।

यदि तनिक ध्यान से देखा जाय तो हिन्दी में प्रचलित सैकड़ों अरबी फारसी शब्दों के बोलचाल में प्रचलित ऐसे देशज और तद्भव पर्याय मिल

\* "Ours is a noble language, a beautiful language. I can tolerate a Germanism for family sake, but he who uses a Latin or a French phrase where a pure old English word does as well, ought to be hung, drawn and quartered for high treason against his mother tongue"

(Southey in 'Essay on Style')

( ८ ) बोलचाल की भाषा का सुधार होना चाहिये ।

लिखते समय तो भाषा का कुछ ध्यान रक्खा भी जाता है, परन्तु बोलचाल में शिक्षित समाज भाषा का तनिक भी ध्यान नहीं रखता । परिणाम-स्वरूप शहरों के शिक्षित समाज की बोलचाल में एक ओर अनावश्यक ( भाषा की दृष्टि से ) अँगरेजी शब्दों की भरमार है—यहाँ तक कि उसका अलग नाम 'इङ्गलिस्तानी' या 'बाबू हिंदुस्तानी' रख दिया गया है, और दूसरी ओर अनावश्यक अरबी फारसी शब्दों की भरमार है । दोनों बातों के कारण एक ही प्रकार के हैं । पहले 'इंगलिस्तानी' को लीजिये जिसका अभी साहित्य में प्रवेश नहीं हुआ है । इसके विषय में डा० रामकुमार वर्मा कहते हैं, "... मैं तो आज देखता हूँ कि भाषा के बोलने के सम्बन्ध में अधिक से अधिक लापरवाही बरती जाती है । मेरे विश्वविद्यालय ही में किन्हीं दो विद्यार्थियों की बातचीत सुन लीजिये । उनके सारे वार्तालाप में सम्भवतः एक भी वाक्य ऐसा न होगा जिसे अच्छी हिंदी कह सकें । उदाहरण के लिये मेरे एक विद्यार्थी ने एक दिन मुझसे कहा—डाक्टर साहब, आप उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे । बड़ा इन्टरेस्टिंग डिसकशन हुआ । मैं स्पीकर के प्वाइन्ट अव्व्यू से ऐग्री नहीं कर सका और मैंने ऐसी फोर्सफुल स्पीच डेलीवर की कि आडिअंस बाज मून्हड कम्पलीटली एड दि हाउस बाज इन माइ फ़ोवर । मैंने उसे उसी समय रोककर कहा कि मैं नहीं समझा । जरा हिंदी में कहिये । वह लजित हुआ और 'एक्सक्यूज मी' कह कर चला गया । उसने 'क्षमा कीजिये' नहीं कहा ।..... यदि अँगरेजी की सजाओ, उसके विशेषणों और क्रिया विशेषणों के मिश्रण की यही प्रवृत्ति भाषा में रही तो आज से सौ वर्ष बाद हिंदी से सघर्ष लेने के लिये आज की हिंदुस्तानी की-भाँति कोई इङ्गलिस्तानी भाषा खड़ी होगी और वही राष्ट्र-भाषा होने के लिये हिंदी से युद्ध करेगी । भाषा-सुधार सम्बन्ध में हमारा जो गम्भीर उत्तरदायित्व है, उसे अभी हम आँख खोलकर नहीं देख सकते, यह हमारा नैतिक पतन है ।"

अवस्था न सुधरे तो वेकार है उसका होना आर भूठ बात है उसे मातृ-भाषा बनाना ।

आज हिन्दी एक विशाल प्रदेश की साहित्यिक भाषा है । मसूम में नहीं आता कि उसे 'आमफहम' बनाने के लिये एक छोटे से वर्ग में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों को बुसेड़ना ही क्यों आवश्यक है । इस भाषा का आधार खड़ी बोली है, खड़ी बोली के प्रत्येक देशज शब्द को, किसी भी अरबी फारसी शब्द के मुकाबले में, हिन्दी में होने का जन्मसिद्ध अधिकार तो है ही, हिन्दी-प्रदेश की किसी भी जनपदीय बोली के किसी देशज शब्द को भी अरबी फारसी शब्द के मुकाबले में हिन्दी में होने का कहीं अधिक अधिकार है । दूसरे शब्दों में, हम हिन्दी से उन सभी अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार कर देना चाहिये जिनके देशज पर्याय हिन्दी-प्रदेश की किसी भी बोली में मौजूद हैं, और हिन्दी प्रदेश के किसी भी जनपद की बोलचाल में प्रचलित हैं । ये देशज शब्द अरबी फारसी शब्दों की अपेक्षा हमारे कहीं अधिक निकट हैं, और ये शब्द जीवित हैं जब कि इन अरबी फारसी शब्दों के संस्कृत पर्याय बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, इसलिये ये शब्द भाषा में जान फूँक देंगे और उसे वास्तव में आमफहम बना देंगे । इन शब्दों का कोई हिन्दुस्तानी मुकाबला न कर सकेगी । हिन्दुस्तानी का कोई समर्थक इन शब्दों का विरोध न कर सकेगा । जब बोलचाल ही भाषा के आमफहम होने का माप-दण्ड है तो हम एक अरबी फारसी शब्द के बजाय हिन्दी-प्रदेश के किसी भी भाग की जनता की बोलचाल में प्रचलित उसका देशज पर्याय क्यों न लें, भले ही वह अरबी फारसी शब्द भी कहीं बोलचाल में चलता हो । हम हिन्दी जनता के किसी विशेष वर्ग या हिन्दी प्रदेश के किसी विशेष भाग को प्रधानता क्यों दें ? आज खड़ी बोली हिन्दी केवल खड़ी बोली जनपद में नहीं बोली जाती । वह सम्पूर्ण हिन्दी-प्रदेश में बोली जाती है, क्योंकि उसके बोलने वाले सम्पूर्ण हिन्दी प्रदेश में फैले हुये हैं । हिन्दी-प्रदेश के प्रत्येक

है। जब तक जैसी हिन्दी बोलना मजूर है वैसी ही नहीं लिखी जायगी, और जैसी लिखी जाय वैसी ही नहीं बोली जायगी, तब तक हिन्दी का उद्धार नहीं हो सकता। यह त्रिकुल सोधी सी बात है कि जैसी हिन्दी बोलना मजूर है वैसी ही लिखो और जैसी लिखते हो वैसी बोलो। और बोलते समय भाषा का उसी प्रकार ध्यान रक्खो जिस प्रकार लिखते समय रक्खा जाता है। इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो समय कराके छोड़ेगा और फिर बात को पछताने से कुछ हाथ न आवेगा। लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा का सीधा और अटूट सबध है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। कृत्रिम उपायों से दोनों में अन्तर अधिक समय तक कभी नहीं रक्खा जा सकता, इसलिये उनको सावधानी से एक दूसरे के निकट लाने में ही बुद्धिमानी है। आज हिन्दी में इतने ज्यादा अनावश्यक अरबी फारसी शब्द (जिनके विरुद्ध यह पुस्तक एक विद्रोह है) क्यों आते हैं? उर्दू में सैकड़ों उर्दू शब्दों के साथ उनके हिन्दी पर्याय क्यों नहीं आते? इसका कारण यही है कि आज के हिन्दी लेखक जिस समाज के अंग हैं और जिस समाज में उनका उठना बैठना होता है, उसकी बोलचाल में यही उर्दू शब्द आते हैं, उनके हिन्दी पर्याय नहीं आते। इस लिये जब वे हिन्दी लिखने बैठते हैं तो वे हिन्दी शब्दों को तो प्रयत्न करके, आग्रह करके वैठाते हैं, परन्तु नजर बचते ही, ध्यान बँटते ही उर्दू के शब्द, जिन्हे वे चौबीसो घन्टे चारो ओर सुनते हैं और जो उनके दिमाग में चक्कर काटते होते हैं (और जिनमें शायद वे अपनी सोचाई भी करते हैं), अनायास कलम से निकल पडते हैं। इसलिये एक ही वाक्य में, एक ही अर्थ में हिन्दी और उर्दू के पर्यायवाची शब्द दिखाई देते हैं। हिन्दी के द्वैतवाद का कारण बोलचाल की भाषा ही है। यदि बोलचाल का सुधार नहीं होगा और उसमें हिन्दी शब्द नहीं आयेंगे, तो हिन्दी लेखकों के लिये अप्रचलित हिन्दी शब्दों के प्रति आग्रह और प्रचलित उर्दू शब्दों के विरुद्ध चौकसी रखना अधिक समय तक सम्भव न होगा, और जब तक लिखित हिन्दी की

हो सकता है कि इस प्रकार हिन्दी में स्थानिकता का दोष आ जायगा। उत्तर में इतना कहना यथेष्ट है कि छोटे से बर्ग में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों को लेना भी स्थानिकता के दोष में खाली नहीं है ( और उनके अप्रचलित संस्कृत पर्यायों को रखना तो नितान्त दोषपूर्ण है, कृत्रिम है और, जैसा ऊपर बताया जा चुका है, व्यर्थ प्रयास है )। यह बात दूसरी है कि राजनीतिक कारणों से अदालतों और कचहरियों में बैठकर ये अरबी फारसी शब्द हिन्दी-प्रदेश के शिक्षित समाज के विशिष्ट वर्गों से परिचित हो गये हैं ( इस प्रकार अँगरेजी शब्द भी शिक्षित समाज से परिचित हैं )। हमारे देशज और तद्भव शब्द भी, जिन्हें हम छोटेंगे, साहित्यिक हिन्दी के द्वारा सब जगह एक समान परिचित हो जायेंगे। इतना अनर्थ है कि प्रत्येक लेखक को चाहे जिस देशज शब्द को प्रयुक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से तो खड़ी बोली हिन्दी के इतने ही रूप हो जायेंगे जितनी हिन्दी प्रदेश में बोलियाँ हैं, और सम्पूर्ण प्रदेश को एक साहित्यिक भाषा के सूत्र में बाँधने के लिये सब जगह एक समान रूप वाली कोई भाषा न रहेगी। हमें हिन्दी की बोलियों से शब्द सावधानी और सोच-विचार के साथ ग्रहण करने होंगे, और तब उन्हें हिन्दी में, साहित्यिक हिन्दी में, स्थान मिलेगा। परन्तु यह बात इससे सम्बन्ध रखती है कि भाषा का स्वरूप किस प्रकार, किस ढंग से स्थिर किया जाय और कौन स्थिर करे, न कि इस सिद्धान्त से कि अरबी फारसी शब्दों के स्थान में उनके देशज पर्याय लेने चाहिए अथवा नहीं। भाषा का स्वरूप किस ढंग से स्थिर किया जाय और कौन करे, इस पर आगे विचार किया जायगा।

दूसरा आक्षेप यह हो सकता है कि इस प्रकार हिन्दी राष्ट्र-भाषा होने के इतने उपयुक्त न रहेगी। परन्तु क्या इस समय अरबी फारसी शब्दों के कारण वह राष्ट्र-भाषा होने के उससे अधिक उपयुक्त है? जिन प्रान्तीय भाषाओं से हिन्दी अपना सामीप्य जताती है उन भाषाओं के बोलने वाला

न आई तो लिखित हिन्दी की भी आत्मा मर जायगी। आज चारो ओर जो यह सुनने में आता है कि हिन्दी की प्रकृति मर रही है, उसमें जाति की आत्मा का प्रतिबिम्ब नहीं दीख पड़ता, आदि, इसका कारण यही है कि हिन्दी लिखने वाले साधारण बोलचाल में या इङ्गलिस्तानी बोलते हैं या उर्दू ( और उसी में सोचते हैं )। फिर हिन्दी की प्रकृति सुरक्षित रहे तो कैसे रहे ? भाषा की प्रकृति बोलने से बनती है, बोलने से ही वह पहचानी जाती है, बोलने से ही मुहावरे बनते हैं, शब्दों के अर्थों का विस्तार होता है, उनमें अपेक्षित ध्वनि आती है, आदि। भाषा जब बोली जाती है तभी उसमें स्वाभाविकता, प्रौढता, लचक व्यञ्जना-शीलता और जीवन तथा प्रवाह आता है। यदि बोलचाल में हिन्दी वाले उर्दू शब्द, उर्दू मुहावरे अपनाते चले जायेंगे तो हिन्दी में लिखते समय अपने शब्द और मुहावरे अपने आप अपरिचित से, कृत्रिम और बेजान मालूम पड़ेगे।

हिन्दी वालों को चाहिये कि वे सदैव—साधारण बोलचाल में, मित्रों की गोष्ठी में या मंच से—शुद्ध और स्टैंडर्ड हिन्दी बोले और बोलते समय भाषा का उसी प्रकार और उतना ही ध्यान रखें जितना लिखते समय रखते हैं, या रखना आवश्यक है। वे हिन्दी प्रान्तों के निवासियों—हिन्दू, मुसलमान, सिख या ईसाई—से या उनके बीच में बोलते समय उर्दू में बोलने की या उर्दू शब्दों का व्यवहार करने की भयकर भूल कदापि न करें, क्योंकि ऐसा करके वे यही सिद्ध करेंगे कि हिन्दी प्रान्तों के सब निवासी हिन्दी नहीं समझते, बहुत से निवासी उर्दू ही बोलते और समझते हैं, और उर्दू ही इन प्रान्तों का कामन भाषा है। हमें हिन्दी मुसलमानों से वात-चीत करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हम हिन्दी

---

‘हिन्दुस्तानी’ किस प्रकार अपनाते हैं। हिन्दी का भविष्य हिन्दी वालों—हिन्दी के लेखकों, साहित्यिकों और हिन्दी भाषियों—के ही हाथ में है। ( आगे दूसरा भाग देखिये। )



हिन्दिया और हिन्दी प्रदेश की मातृ-भाषा या बोलचाल की भाषा ही हो सकती है। इसमें कोई काट छाँट नहीं की जा सकती। हाँ, हिन्दी को यदि नये शब्दों की आपश्यकता पड़े और वे हिन्दी की प्रकृति में अनुसार हिन्दी के देशज शब्दों और हिन्दी की स्वामाधिक उपजीव्य भाषा संस्कृत में न मिल सकें तो उन्हें इधर उधर न जा कर राष्ट्र की अन्य भाषाओं में ग्रहण करना चाहिये। 'राष्ट्र-भाषा' का यही अर्थ हो सकता है। राष्ट्र-भाषा बनाने के लिये किसी भाषा की प्रकृति नहीं बदली जा सकती और न उसकी निजी शब्दावली में परिवर्तन किया जा सकता है। सारांश यह कि पहले हिन्दी को अपनी बोलचाल की भाषा, अपने प्रदेश की मातृ-भाषा बनाना चाहिये। किसी भाषा का प्रचार अन्य भाषाओं के समीप होने के कारण नहीं होता, इसने प्रचार में आसानी भले ही हो जाय। किसी भाषा का प्रचार तो उच्च भाषा के बोलने वालों की शक्ति पर निर्भर है। जब वे ही उस भाषा को उसके लिखित रूप में नहीं बोलेंगे तो उसे दूसरे कैसे बोल सकेंगे? जब हिन्दी वाले जैसी हिन्दी लिखेंगे वैसी बोलेंगे, और जैसी बोलेंगे वैसी लिखेंगे, अपना सारा काम काज उसमें करेंगे और उसमें उत्तम साहित्य की रचना करेंगे तब हिन्दी में शक्ति आयेगी, उसके उदाहरण, मुहावरों आदि का आदर्श स्थिर होगा और वह चारों ओर फैल कर राष्ट्र-भाषा का पद प्राप्त करेगी। हिन्दी को हिन्दी-प्रदेश की जनता की बोलचाल के निकट लाने के लिये हिन्दी के देशज शब्दों और घातुओं को पहला ध्यान देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार हिन्दी आमफहम, जनता की भाषा, वास्तविक हिन्दुस्तानी बनेगी।

(आ) वे अरबी फारसी शब्द जिनके संस्कृत तत्सम या तद्भव पर्याय जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं और इसलिये जिनका हिन्दी से बहिष्कार कर देना चाहिये।

हिन्दी में प्रचलित जिन अरबी फारसी शब्दों के देशज पर्याय प्रचलित

वे अपनी बोलचाल की भाषा सुधारें, और शुद्ध हिन्दी बोलचाल का आदर्श उपस्थित करें, और मंच से भी शुद्ध हिन्दी बोलें। ग्रामीण जनता की भाषा बिलकुल विकृत नहीं हुई है। जब गाँवों में शिक्षा का प्रसार और प्रचार होगा, और उनका शहरों से सम्पर्क बढ़ेगा, तो ग्रामीण जनता शहरों के शिक्षित समाज की बोलचाल को अपनायेगी। हमें चाहिये कि हम उन्हें शुद्ध हिन्दी बोलचाल दें, नहीं तो वे भी इसी वर्तमान अँगरेजी और अरबी फारसी शब्दों से बोझिल बोलचाल को अपनायेंगे, और इस प्रकार जनता की भाषा का नहीं, शहरों के मुट्ठी भर आदमियों की विकृत भाषा का प्रसार-प्रचार होगा और वही बोलचाल की व्यापक भाषा होगी। फिर उसका बदलना या सुधार करना असंभव हो जायगा।

## ४. कुछ आक्षेपों के उत्तर

ऊपर पेश किये गये सुझावों और उनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों पर जो आक्षेप ग्रामतौर से किये जाते हैं या किये जायेंगे, उनका उत्तर दिये बिना संभव है कुछ लोगों को ये व्यर्थ और पाच जान पड़ें। इसलिये कुछ ग्राम आक्षेपों ( वर्तमान अथवा सभावित ) का उत्तर नीचे दिया जाता है।

( १ ) कोई हिन्दी एकाडेमी भाषा पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती।

प्रश्न भाषा को बाँधने का नहीं, उसकी मर्यादा रखने का है। स्टैंडर्ड हिन्दी शब्द-कोष के सम्बन्ध में यह पहले कहा जा चुका है ( पृष्ठ २२ ) कि दिन प्रति दिन अधिकाधिक विदेशी शब्द हिन्दी में गृहीत होते ही रहेंगे और स्टैंडर्ड हिन्दी शब्द-कोष में स्थान पाते जायेंगे, परन्तु किसी भी समय यह कहा जा सकेगा कि अब तक की अर्थात् वर्तमान हिन्दी का यह कोष है। हिन्दी एकाडेमी भाषा सबधी प्रत्येक बात में समय और आवश्यकतानुसार अपनी नीति बदलेगी, परन्तु हर समय उच्छ्रूलता और धाँधली

गज ), मेहरवानी ( कृपा ), मोहब्बत ( प्रेम ), कमजोर ( दुर्बल ), रन्जित ( प्रबन्ध ), मुश्किल ( कठिन ), अच्छा ( बालक ), मदद ( सहायता ), माफ ( क्षमा ), जगन ( जोष ), इस्तहान ( परीक्षा ), गुश्न ( सुगन्ध ), बडबू ( दुर्गन्ध ), बू देना ( गंधाना ), गक ( गन्देह ), गानीम ( गिना, पढाई ), अक़लमन्द ( बुद्धिमान ), फायदा ( लाभ ), नुक़्तान ( हानि ), तरुदीर ( भाग्य ), जगह ( स्थान ), वतन ( देश ), इत्तिफ़ाक़ ( गदांग ), इत्तिफ़ाक़न ( मयोग मे ), कर्ज ( ऋण ), पैगाम ( मन्देश ), तरकीब ( उपाय ), काविल ( योग्य, जोग ), तसल्ली ( धीमज, मनोप ), गूदग़रत ( सुन्दर ), दौलतमन्द ( धनी ), मदद या इमदाद ( सहायता ) ।

( इ ) हिन्दी प्रदेश की जनता की बोलचाल में प्रचलित अरबी फ़ारसी शब्द जिनके देशज, तद्रूप या संस्कृत नत्सम पर्याय जनता की बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं । ऐसे शब्दों को हिन्दी में निःकोच ले लेना चाहिये ।

यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि हिन्दी प्रदेश की बोलचाल का माप-दण्ड हिन्दी प्रदेश के गाँवों, कसबों और शहरों में बसने वाली ६५ प्रतिशत जनता की बोलचाल है, शहरों में बसने वाले विशिष्ट वर्गों की बोलचाल नहीं । वास्तव में इन विशिष्ट वर्गों की कोई बोलचाल है ही नहीं । वह राजनीतिक परिस्थितियों के साथ बदलती चलती है । कभी यह हिन्दी थी, फिर उर्दू हुई, आज वह इङ्गलिस्ताना है । कल वह हिन्दी के राजभाषा होने पर फिर हिन्दी हो जायगी । इन इन विशिष्ट वर्गों का बोलचाल में प्रचलित विदेशी—अरबी फ़ारसी या अँगरेजी—शब्दों को हिन्दी में लेने के लिये बिलकुल बाध्य नहीं । परन्तु जो विदेशी—अरबी फ़ारसी या अँगरेजी—शब्द अपने स्वदेशी पर्यायों के साहित्यिक अस्तित्व के बावजूद हमारे दुर्भाग्य से, हमारी राजनीतिक परतन्त्रता के कारण जनता की बोलचाल में प्रचलित हो गये हैं, उन्हें हमें जनता की भाषा के नाते ले लेना चाहिये । हमारे सौभाग्य से ऐसे शब्दों की संख्या अधिक नहीं है । सिद्धान्ततः हमें इन शब्दों

‘हिन्दी’ नाम से बोध होता है—मिट जायगी, और उसके साथ हमारी सस्कृति मिट जायगी, हमारा साहित्य मिट जायगा, हम अर्थात् वह सब कुछ जिसका ‘हम’ और ‘हमारा’ से बोध होता है, मिट जायगा, गहरी धार्मिक हानि होगी और आने वाली पीढ़ियाँ हमें कोसेगी। हमें आज हिन्दी की रक्षा करनी ही है, उसे चाहे प्रतिक्रिया कहा जाय, चाहे सकुचितहृदयता कहा जाय और चाहे रिवाइवलिज्म कहा जाय।

( ४ ) साधारण जनता भाषा के प्रति जागरूक ( language conscious ) नहीं है।

नहीं है तो करना होगा। जनता तो भेड़ों के झुन्ड के समान है, उसे नेताओं ने जिधर हाँक दिया उधर चल दी। जनता किसी चीज से ‘काशस’ नहीं होती, उसे काशस’ किया जाता है। जनता को पेट भर खाने और तन भर कपड़े के सिवा किसी और चीज की चिन्ता नहीं होती। सस्कृति का निर्माण और उसकी रक्षा जनता नहीं, जननायक किया करते हैं। भाषा के मामले में भी नेतृत्व साहित्यिक और विद्वान् ही करते हैं, जनता केवल उनका अनुसरण करती है। भारतीय जनता भी न ‘लैंगुएज काशस’ है और न कभी थी। उसने सैकड़ों साल तक राजभाषा फारसी का पानी भरा फिर भी ‘लैंगुएज काशस’ नहीं हुई। परन्तु फारसी से जनता की जो व्यावहारिक और सास्कृतिक हानि हुई, वह जननायकों को मालूम, है। भला हो अँगरेज बहादुर का जिसने फारसी को हटाकर प्रान्तीय भाषाओं को प्रतिष्ठित किया, वना न ‘जनता’ ने फारसी को हटाने की माँग की और न उसे ( कितने ही जननायकों को भी ) फारसी लदे रहने पर कोई उज्र था। आज ‘जनता’ को राजभाषा अँगरेजी से भी कोई शिकायत नहीं है—यह शिकायत तो उसमें अब नेता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें, उन्हीं को, मालूम है कि इस अँगरेजी से क्या हानि होगी। ‘जनता’ तो अब भी खुशी से पैसे देकर अँगरेजी में दरखास्त लिखाने के लिये तैयार है। हाँ, यदि कांग्रेस सरकार उससे उसकी भाषा में ही

उमर, रोजी, दया, अन्दाजा, आगान, आदमी या इंसान, खुशी, सूत्रा, मुकर्रर, फर्ज, नफरत, आवहवा, वायदा, जुल्म, मौका, असल में, कमजोरी, मजबूती, सवाल, बटनामी, नामधरी, मुमीयत, आजादी, ज़रूरत, सिर्फ, फरक, मिमाल, रफतार, मजूर, ऐलान, तबदीली, खजाना, चक्र, हद, जिन्दगी, दरखास्त, तनखाह, मशहूर, कोशिश, दिमाग, फौज, मेहनत, जवाब, हिम्मत, शहर, शुरू, खतम, मौजूद, मर्द, कैद, कैदी, तसवीर, फेसला, रास्ता, नजर, याद, हिमाय, लायक, बग़्वाद, शामिल, आमदनी, खुद, पैदा, इस्तीफा, जाहिर, इत्तिला, बुखार, गुरुआद, मुनासिब, कीमत, कीमती, अक्सर, तन्दुरुस्ती, आखिरी, खबर, दशारा, खास, सत्र, आमदनी ।

इन अरबी फारसी शब्दों के हिन्दी पर्यायों को सर्वत्र बोलचाल में प्रचलित करने का हमें अधिकार है क्योंकि वे कृत्रिम नहीं कहे जा सकते । अर्थात् ये अरबी फारसी शब्द हिन्दी और हिन्दी-कोष में रहें, परन्तु इनका प्रयोग विशेष अवसरों पर विशेष कारणों से ही किया जाय । साधारणतया अपने हिन्दी पर्यायों का ही प्रयोग होना चाहिए क्योंकि वे सर्वत्र बोलचाल में तभी प्रचलित हो सकते हैं ।

( ई ) वे अरबी फारसी शब्द जिनके हिन्दी पर्याय हमारे पास हैं ही नहीं या जिनके हिन्दी पर्याय अत्यन्त कठिन, दुरुह और भारी भरकम हैं । इन्हें ले लेना चाहिए और इनके हिन्दी पर्यायों को गढ़-गढ़ा कर प्रचलित करने का प्रयत्न करके हास्यास्पद नहीं बनना चाहिये ।

उदाहरण—

कागज, इज्जत, जवर्दस्ती, ज्यादाती, जोर, जमाना, शिकायत, सिफारिश, खुशामद, मजा, तन्नियत, नवाब, कब्र, कमी, गलती, शर्त, मौसम, रियायत, मामला, तखत, फसल, मसलहत, कार्रवाई, मेज, तलाक, दिलचस्पी, अरमान, फर्श, सफ़ाई, जमानत, तगादा, तखमीना, उम्मीदवार, हिज्जे, क़ानून, मुहावरा, मसविदा, गलत, वकील, करार, माकूल, नागवार, मुखातिब,

कम प्रचलित अरबी फारसी शब्दों की भरमार है (हिन्दी का द्वैतवाद)। इस भरमार को दूर करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है। इस उद्देश्य के सफल होने पर हिन्दी आज की हिन्दी से अधिक सस्कृत-निष्ठ ही होगी, और उसमें अरबी फारसी शब्दों की संख्या और कम होगी। जहाँ तक हिन्दी में प्रचलित सस्कृत शब्दों का सम्बन्ध है वहाँ तक हिन्दी पर कृत्रिमता का आरोप केवल उन सस्कृत शब्दों के कारण किया जा सकता है जो हिन्दी प्रदेश की बोलचाल में नहीं—विशिष्ट शिक्षित वर्गों में या साधारण जनता में—प्रचलित नहीं हैं, परन्तु जिनमें से कुछ के देशज, कुछ के अरबी फारसी और कुछ के देशज और अरबी फारसी दोनों पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं। यदि, जैसा कि होना चाहिये, बोलचाल का माप-दण्ड विशिष्ट वर्गों की बोलचाल नहीं, बल्कि हिन्दी प्रदेश की साधारण, बहुसंख्यक जनता की बोलचाल माना जाय, और इन सस्कृत शब्दों में से उन शब्दों को निकाल दिया जाय जिनके किसी भी प्रकार के पर्याय केवल विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित हैं, साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं क्योंकि उसे अपने नित्य के काम के लिये अभी तक उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अर्थात् यदि इन सस्कृत शब्दों में से उन सस्कृत शब्दों को छोड़ दिया जाय जिन्हें, ईरानिस्तानी में प्रचलित अँगरेजी शब्दों की भाँति विशिष्ट वर्गों में उनके अरबी फारसी पर्यायों के प्रचलित होते हुए, प्रचलित करने का हमें अधिकार है, तो शेष सस्कृत शब्दों की संख्या कुछ सौ से अधिक न होगी, क्योंकि दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश साधारण जनता के जीवन का स्तर इतना ऊँचा ही न हुआ कि उसे अपनी नित्य की बोलचाल के लिये एक लम्बी चौड़ी शब्दावली की आवश्यकता पड़ती, और यदि उसे कभी आवश्यकता पड़ी भी, तो वह अपने प्राचीन शब्दों और प्राचीन शब्द-स्त्रोतों को छोड़कर अरबी फारसी की शरण लेने के लिये उस प्रकार मजबूर न हुई जिस प्रकार शहरों का शिक्षित समाज

हमें कुछ ऐसे अरबी फारसी शब्द भी लेना पड़ेंगे जिनके अर्थ में और जिनके हिन्दी पर्यायों के अर्थ में ध्वनि का अन्तर है। उदाहरणार्थ, 'अनुभव' में वह ध्वनि नहीं है जो 'महसूस' में है। 'भाग्य' और 'किस्मत', 'लज्जा' और 'शर्म' में ध्वनि और अर्थ का अन्तर है। परन्तु ऐसे शब्दों की संख्या अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। इस मामले में अत्यन्त मत्कर्तता से काम लेना पड़ेगा। कारणों का निर्देश पहले किया जा चुका है (देखिये पृष्ठ १५-१७)। हमें अपने शब्दों में ही सब ध्वनियाँ और अर्थ रूढ़ करने चाहिये। इन्हीं तीन शब्दों को लें, तो व्यवहार करने से 'अनुभव' में 'महसूस' की ध्वनि वही सरलता से आ सकती है, क्योंकि शब्द में विभिन्न ध्वनियाँ शब्द का प्रयोग करने से ही आया करती हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो चूँकि उर्दू वाले 'अनुभव' नहीं अपनायेंगे और 'महसूस' में ही 'अनुभव' की ध्वनि भी रूढ़ कर लेंगे, बोलचाल में केवल 'महसूस' रह जायगा और इस अर्थ में 'अनुभव' का व्यवहार विलकुल बन्द हो जायगा। 'भाग्य' के बारे में, यदि अब तक भारत जैसे भाग्यवादी देश का 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' से काम चल गया, तो अब 'Luck,' 'Fate,' 'Fortune' और 'Destiny' के अर्थों और ध्वनियों को स्पष्ट करने के लिये 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' के अतिरिक्त 'किस्मत,' 'तकदीर,' 'नसीबा' और 'मुकद्दर' में से दो शब्द छोटने की आवश्यकता नहीं—सब काम 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' से अब भी चल सकता है और चलना चाहिये, नहीं तो चूँकि उर्दू वाले 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' लेंगे नहीं, चारों ध्वनियाँ उन्ही दो उर्दू शब्दों में रूढ़ हो जायँगी जिन्हें हम ग्रहण करेंगे (क्योंकि बोलचाल में वे ही दो शब्द हिन्दी उर्दू में कामन होने के कारण चलेंगे), और 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' हमसे विदा हो जायँगे। 'शर्म' और 'लज्जा' के विषय में, उर्दू वालों को 'लज्जा' की आवश्यकता नहीं। उन्होंने पहले से ही 'शर्म' को 'Shame' और 'Shyness' दोनों अर्थों में रूढ़ कर लिया है—वे यह भी कहते हैं, 'शर्मिन्दा होना पड़ा,'

है ही, तो हिंदी को संस्कृत और प्राचीन हिंदी साहित्य के पास जाने का एक हजार गुना अधिक अधिकार है। तथाकथित 'स्वाभाविकता' या 'हिंदुस्तानी' का कोई भक्त इसके विरुद्ध चूँ कर सकता है ? हिन्दी में इस समय भी लगभग १५ हजार संस्कृत शब्द हैं जो उर्दू के अरबी फ़ारसी शब्दों में सर्वथा भिन्न हैं और जिनके साथ साथ उनके उर्दू पर्याय हिंदी में कभी नहीं आते। १५ हजार ऐसे संस्कृत शब्दों के सामने एक हजार हिंदी शब्दों का, जिनके साथ साथ अरबी फ़ारसी पर्याय हिंदी में आते हैं, कोई विशेष महत्त्व नहीं। इन एक हजार शब्दों के विषय में चाहे जो कुछ निर्णय हो—चाहे सब के सब हिंदी शब्द निकाल दिये जायँ और उनके स्थान में केवल अरबी फ़ारसी शब्द रखे जायँ, चाहे थोड़े से हिन्दी शब्द निकाले जायँ और चाहे हिंदी शब्द और अरबी फ़ारसी शब्द दोनों रखे जायँ—इससे हिंदी के स्वतन्त्र अस्तित्व और उर्दू से पृथक्त्व पर बिलकुल अँच नहीं आती। हमें बाजारू बोलचाल की नहीं, एक समृद्ध साहित्यिक भाषा की आवश्यकता है। हिंदी का भाग्य तो ऐसा फूटा है कि हिंदी के लेखक केवल बोलचाल—साधारण बोलचाल अथवा विशिष्ट वर्गों की बोलचाल—में प्रचलित अरबी फ़ारसी शब्दों को ( बोलचाल में प्रचलित अथवा अप्रचलित अपने पर्यायों के होते हुए ) लेकर ही सन्तुष्ट नहीं हैं वरन् वे उन शब्दों के मामले में भी जो कहीं बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, और इसलिये जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों को संस्कृत या अरबी फ़ारसी से उधार लेना है, हिंदी में द्वैतवाद फैला रहे हैं ( हिंदुस्तानीवालों और 'हिंदुस्तानी' के प्रताप से ? ), अर्थात् हिंदीवाले अप्रचलित और अनावश्यक उर्दू शब्द हिंदी में घुसेढ रहे हैं, और हिंदुस्तानीवालों की सिखाई हुई राष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता की परिभाषा की लपेट में आकर अपने बहुप्रचलित हिंदी शब्द बोलने से भी शर्माते हैं। लेखक को इसकी अधिक आशा नहीं कि हिन्दीवाले इस पुस्तक को पढ़कर हिंदी में घुसे हुये इन एक हजार अरबी फ़ारसी शब्दों को यहाँ प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार धटाने



आवश्यकता होती है तो अँगरेजी शब्द को अपनाते हुए सकुचाते हैं, वगलें भाँकने लगते हैं और अन्त में अरबी फ़ारसी को ही गले से लगाते हैं। उदाहरण के लिये, हिन्दी पत्रों में 'मुअत्तल' चलता है। कितने हिन्दी पाठक ऐसे हैं जो 'सस्पेंड' नहीं समझते या पहले से नहीं जानते, परन्तु 'मुअत्तल' समझते और जानते हैं? दोनों में से किसी शब्द को न जानने वालों और अशिक्षितों के लिये दोनों शब्द एक समान अपरिचित हैं, फिर इस 'मुअत्तल' को 'सस्पेंड' से प्रीफर (या 'तरजीह') क्यों किया जाय? 'मुहय्या' के वजाय 'सप्लाई' क्यों न कहा जाय? यही बात उन शब्दों के लिये कही जा सकती है जिन्हें ऊपर मोटे अक्षरों में छापा गया है।

(उ) वे अरबी फ़ारसी शब्द जो ऊपर के किसी वर्ग में नहीं आते। इनका हिन्दी से बहिष्कार होना चाहिये। उदाहरण—

मक़सद, सदर, सदारत, तरज़ुमा, ज़बान (भाषा के अर्थ में), वाकई, तलफ़ुस, वाशिन्दा, महदूद, मुख्तलिफ़, मुख्तलिफ़, मुख्तल-फत, मुताबिक, मुल्तवी, नुमायन्दा, तक्रीर, रहनुमाई, सतर, अहम, अमूमन, ग़ालबन, मुकम्मल, तन्खा, उसूल, महरूम, फख़, इलज़ाम, ताकीद, इन्सानियत, हुकूमत, ज़वानी, याददास्त, मौजू, वहस, मुवाहसा, मातहत, दरअसल, हासिल, मिकदार, वज़ीफ़ा, वगैरह, ईजाद, एतराज़, तोहमत, नाज, आयन्दा, अफसाना, फसाना, राज़, मुद्दई, मुद्दालह, बालिग, नामजद, मेहनतकश, तबाह, जालिम, ज़ुरत, ग़ैर-वाजिब, जमात, वाचजूद, दाखिल, बागी, वगावत, लाजमी, कुर्बानी, कुर्बान, बफ़ादारी, एलन्नी, रुख़सत, शुक्रगुज़ार, नज़्जारा, ऐशोआराम, गुरबत, मुफ़ीद, निस्वत, रहोबदल, यानी, बेजा, गुमगह, सुलह, कौमी, ग़ैर-मुनासिब, उल्फत, माली हालत, ग़दार, अहलकार, असल्ला, शराफत, तहज़ीब, माहिर, खान्दिन्द, मानी, रकबा, हामी, हिमायत, ख़िलाफ़, दरियादिल, मामू या मामू जान, चचा या चचा जान, भाई जान, सिपहसालार, बादशाह

वे हिन्दुस्तानी को जिस प्रदेश की भाषा बनाना चाहते हैं उस सम्पूर्ण प्रदेश की बोलचाल में एक शब्द के प्रचलित विभिन्न पर्यायों में से उस पर्याय को हिन्दुस्तानी में लेंगे जिसे सब से अधिक व्यक्ति बोलते हों, और उन शब्दों के मामले में जिनकी अभी तक नित्य की साधारण बोलचाल में आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अर्थात् जो बोलचाल में हैं ही नहीं, वे हिन्दुस्तानी के लिये हिन्दुस्तान के अपने स्रोतों को शरण लेंगे। बोलचाल में प्रचलित सभी अरबी फ़ारसी शब्द हम लेते हैं ( और एक बार को हम बोलचाल में प्रचलित उनके स्वदेशी पर्यायों को, चाहे वे अपेक्षाकृत कम प्रचलित हों अथवा अधिक, विलकुल छोड़ने को भी तैयार हैं ), बोलचाल में अप्रचलित सभी आवश्यक शब्द उर्दूवाले और हिन्दुस्तानीवाले हिन्दुस्तानी स्रोतों से लें। यही सीधी और सच्ची बात है, और 'बोलचाल की भाषा सबसे पहले', इस सिद्धांत का यही अर्थ हो सकता है। यदि हिन्दुस्तानीवाले इस बात के लिये, अर्थात् बोलचाल में अनुपस्थित शब्दों के लिये हिन्दुस्तान के पुराने 'मुर्दा' स्रोतों को प्राथमिक महत्त्व देने को तैयार नहीं, तो हम कहते हैं कि बोलचाल में अनुपस्थित शब्द वे उस प्रदेश, जिसकी भाषा वे हिन्दुस्तानी बनाना चाहते हैं, में प्रचलित साहित्यिक भाषाओं से लें, और एक शब्द के विभिन्न पर्यायों में से उसको लें जिसे सबसे अधिक व्यक्ति लिखते हों। ( उदाहरण के लिये यदि इन्तजार, बाट, प्रतीक्षा में से 'बाट' सब से अधिक व्यक्तियों की बोलचाल में आता है तो 'बाट' लें, आसमान, आकाश में से 'आसमान' अधिक चलता है तो 'आसमान' लें, एतराज, आपत्ति में से 'एतराज' बोलचाल में अधिक आता है तो 'एतराज' लें, तहजीब, सभ्यता में से 'सभ्यता' अधिक व्यक्तियों की बोलचाल में आता है तो 'सभ्यता' लें, और 'अन्तर्राष्ट्रीय' 'राजनीतिक,' 'दशमलक', 'वैजुलअकवामी', 'स्यासी', 'आशार्या' में से 'अन्तर्राष्ट्रीय', 'राजनीतिक', 'दशमलक' लें, क्योंकि ये शब्द या उनके उर्दू पर्याय कहीं बोलचाल में नहीं आये, परन्तु साहित्य में इन शब्दों को उर्दू पर्यायों की

और इस समय जब कि हिन्दी अपने जीवन के सबसे नाजुक दौर में से गुजर रही है और उम पर चांगे और से प्रहार हो रहे हैं, ऐसे लेखकों को साहित्यिक दृष्ट देना अनुचित न होगा।

ऊपर प्रत्येक वर्ग के शब्दों के उदाहरण-स्वरूप जो शब्द पेश किये गये हैं, उनके विषय में विद्वानों में मतभेद हो सकता है। कुछ विद्वान् एक शब्द को निकालने की सलाह देंगे, कुछ उसको रखने की सलाह देंगे। कुछ विद्वान् एक शब्द को किसी वर्ग में रखेंगे, कुछ विद्वान् किसी दूसरे वर्ग में। ऊपर अरबी फारसी शब्दों के जिन वर्गों को बहिष्कार-योग्य बतलाया गया है, उनमें से प्रत्येक वर्ग के कुछ शब्दों को शायद सिद्धान्त के अपवाद-स्वरूप लेना भी आवश्यक होगा। इन सब बातों के विषय में लेखक को अपनी और ने बिल्कुल आग्रह नहीं है। उसका उद्देश्य तो केवल विद्वानों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना है कि हिन्दी में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों की मर्यादा निश्चित होनी चाहिये, और हिन्दी में नये नये अनावश्यक अरबी फारसी शब्दों की जो बाढ़ आ रही है, उसे रोकने का प्रयत्न होना चाहिए। कौन सा शब्द रखना चाहिये और कौन सा शब्द निकालना चाहिये (और किन सिद्धान्तों के अनुसार), इसका अन्तिम निर्णय तो हिन्दी के विद्वानों को एक समा ही कर सकती है। परन्तु इतना फिर कहना पड़ेगा कि जिन शब्दों का बहिष्कार करना है, उनका प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। यदि हिन्दी पर्याय के साथ बहिष्कृत अरबी फारसी शब्द का भी प्रयोग होगा तो हिन्दी पर्याय बोलचाल में कदापि प्रचलित न हो सकेगा, और यदि पहले से प्रचलित होगा तो अप्रचलित हो जायगा। कारण पहले बतलाये जा चुके हैं। दूसरे शब्दों में, हिन्दी को एक दृष्ट नानि पर दृष्टता के साथ चलाना होगा। उसमें भूँठी 'उदारता', वाक्य 'हजम'-वाट या शब्दों के द्वैतवाट के लिये कोई गुजादश नहीं रखी जा सकती। वा तो सदैव हिन्दी शब्द, वह बोलचाल में चाहे अप्रचलित

अब रही मातृ-भाषा की बात । सो खड़ी बोली ही कितने व्यक्तियों की मातृ-भाषा है ? खड़ी बोली केवल डेढ़ जिलों की मातृ-भाषा है । वहाँ भी सब लोग एक ही प्रकार की खड़ी बोली नहीं बोलते और एक ही शब्दावली का प्रयोग नहीं करते । कोई 'बोली' एक विशाल प्रदेश की और बहु-संख्यक जनता की मातृभाषा नहीं हो सकती । जो खड़ी बोली उत्तरी भारत के शहरों में बोली जाती है, वह उसके बोलने वालों की मातृ-भाषा तो नहीं है ही, उसका स्वरूप भी सब जगह एक सा नहीं है । फिर किस खड़ी बोली को आदर्श मानें, अर्थात् किस खड़ी बोलचाल को साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार मानें ? यह कहना बिल्कुल गलत और बेकार है कि किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल ऐसी है कि वह पेशावर से पटना तक के विशाल प्रदेश में सब जगह एक समान 'आमफहम' है, और इसलिये उसी को साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार बनाया जाय । पेशावर से पटना तक के विस्तृत प्रदेश में स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार की खड़ी बोली बोली जाती है, अर्थात् भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता है । हाँ, हिन्दी और उर्दू का रूप सब जगह एक सा है, क्योंकि वे साहित्यिक, लिखित भाषाएँ हैं और सब जगह एक ही रूप में पढाई जाती हैं, और उन्हें जो पढ़ते हैं, वे उन्हें समझते हैं—सब अपने आप नहीं समझने लगते । इसी प्रकार जो भी साहित्यिक हिन्दुस्तानी बनाई जायगी वह भी पटना से पेशावर तक सब जगह सबकी समझ में अपने आप नहीं आ जायगी । उसे भी हिन्दी उर्दू के समान पढ़ाना पड़ेगा । फिर किसी खास, छोटे से स्थान या वर्ग की हिन्दुस्तानी बोलचाल को उस साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार क्यों बनाया जाय ? यदि हिन्दुस्तानी या खड़ी बोली उत्तरी दोआब की मातृ-भाषा है और इसलिये उत्तरी दोआब का विशेष महत्त्व है, तो भी एक जिले की हिन्दुस्तानी बोलचाल को ( जो स्वयम् जिले में भी सब जगह एक सी नहीं है ) इतने विशाल प्रदेश या सम्पूर्ण

को खड़ी बोली में बोले जाने वाले हिन्दी सम्भृत शब्दों में कोई मरोफा नहीं), अन्त में खड़ी बोली में केवल उर्दू-कोष ही लक्षित होगा, और फिर लिखित हिन्दी में भी केवल यही दिग्गज देगा। मिनेमा, रेडियो, आदि में भी नहीं दिखाई देगा—कोई जाकर यह देखने का दृष्ट नहीं करेगा कि हिन्दी-कोष में उन उर्दू शब्दों के, जो उर्दू कोष में हैं और मर जगह चल गये हैं और जिनमें सब समझ रहे हैं, और कौन कौन से पर्याय भी सँजोये द्ये हैं \* । 'तकरीर' को ही लें। चूँकि उर्दू वाले 'तकरीर' द्योदधर 'भाषण' रूप में भी नहीं लिखेंगे, हिन्दी में 'भाषण' के साथ साथ 'तकरीर' घुमेड़ने का केवल यही परिणाम होगा कि हिन्दी वाले 'तकरीर' भी सीख जायेंगे और फिर बोल-

\* प० रामनरेश त्रिपाठी एक जगह लिखते हैं 'हिन्दी के कितने ही शब्द, जो उर्दू में लिखे नहीं जा सकते, हमें के लिए हमसे छूट जायेंगे—जैसे भाग्य, सदिग्ध, आवश्यक, प्रमाण, साहित्य और विद्वान के स्थान पर हमें क्रिस्मत, मशफूक, ज़रूरी, मवूत, अदब और आलिम लेना पड़ेगा। लेने के हम विरोधी नहीं, क्योंकि नए शब्दों से हमारा शब्द-कोष बढ़ता ही है, घटता नहीं—'। स्पष्ट है, इस प्रकार शब्द लेने से हिन्दी शब्द-कोष का बढ़ना तो अलग रहा. 'हिन्दी शब्द-कोष' नाम की कोई चीज़ ही न रह जायगी। उर्दू वाले स्वप्न में भी क्रिस्मत, मशफूक, ज़रूरी, मवूत, अदब और आलिम के रहते भाग्य, सदिग्ध, आवश्यक, प्रमाण, साहित्य और विद्वान नहीं लिखेंगे—उनकी लिपि में लिखना संभव हो तो भी नहीं (वे लिखें भी क्यों? एक एक शब्द के दो दो पर्यायों की ज़रूरत?)। हिन्दी में क्रिस्मत, मशफूक—आलिम घुमेड़ने से आज हिन्दी बालकों को दूना बोसू, कोष-प्रकाशकों को दूना कागज़ और छपाई का सर्चा, आदि तो उठाना ही पड़ेगा, कल तक भाग्य, सदिग्ध—विद्वान का हिन्दी से टिकट ही फट जायगा। क्रिस्मत, मशफूक—आलिम ही कामन भाषा, राष्ट्र भाषा के शब्द कहे जायेंगे, और वास्तव में होंगे भी। भाग्य, सदिग्ध—विद्वान उर्दू लिपि की अपूर्णता और अवैज्ञानिकता के कारण नहीं, अपने ही कर्मों (या 'उदारता', 'हज़मवाद'!) के कारण हमसे सदैव के लिये छूट जायेंगे।

## हिन्दुस्तानी की बला

अब तक हिन्दी के परिष्कार को, अर्थात् अपने घर की वात कहीं गई । जब किसी बाहरी शत्रु से मुकाबला करना होता है, तो पहले अपने घर की स्थिति ही ठीक करनी होती है । आज हिन्दी को एक नये शत्रु 'हिन्दुस्तानी' का मुकाबला करना है, इसलिये पहले इसी पर विचार किया गया कि हिन्दी को अन्दर से मजबूत बनाने के लिये हिन्दी में क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है । अब यह देखना होगा कि इस शत्रु का क्या स्वरूप है, उसकी क्या चाल है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका क्या अभिप्राय है और उसका दमन किस प्रकार करना चाहिये ।

जहाँ तक राष्ट्र-भाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी-वाद के सैद्धान्तिक पहलुओं का सम्बन्ध है, वहाँ तक उनका विवेचन लेखक अपनी पुस्तक 'राष्ट्र-भाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन'† में कर चुका है । उस पुस्तक में हिन्दुस्तानी वालों के सब तर्कों का समुचित उत्तर दे दिया गया है, और उनके आन्दोलन की पोल भी खोल दी गई है । परन्तु यह शक्ति का युग है, तर्क का नहीं । जिसकी लाठी, उसकी भैंस । इसी युग-धर्म को पहचान कर हिन्दुस्तानी वाले अपने हिन्दुस्तानी-वाद को तर्क-सगत और न्याय-सगत सिद्ध करने की चिन्ता किये बिना एक ओर अपने विरोधियों—हिन्दी, और हिन्दी साहित्य सम्मेलन—को नेस्तनाबूद करने में व्यस्त हैं और दूसरी ओर येन केन प्रकारेण जनता को भ्रॉसा देकर, उसकी राष्ट्रीय भावना, गांधीजी और कांग्रेस के नाम से लाभ उठाकर शक्ति प्राप्त

† प्रकाशक, गंगा-पुस्तकमाला, लाटूश रोड, लखनऊ ।

एक बात और । अरबी फारसी का जो भी प्रचलित शब्द हिन्दी में लिया जाय, उसे तद्वच रूप में ही लिया जाय । जब एक ऐम शब्द को ग्रहण करने का कारण वही है कि वह प्रचलित है, तो जिस रूप में वह प्रचलित है उसी रूप में उसे न लेने का कारण ? हम एक ऐसे शब्द को इस लिये नहीं लेते कि वह अरबी फारसी का शब्द है, चरन् इसलिये लेते हैं कि हिन्दी भाषी जनता ने उसे अपना लिया है, हिन्दी ने उसे अपने में खपा लिया है और अपने साँचे में ढाल लिया है, वह चाहे जहाँ से आया हो । जब ऐसी बात है, तो उसे उसके हिन्दी रूप में ही लेना चाहिए और उसे उसका पुराना अरबी फारसी जामा पहनाने का प्रयत्न करके अपनी भाषा की हीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए । सभी उन्नत भाषायें परकीय शब्दों के साथ ऐसा करती हैं । उर्दू वाले भी जब किसी प्रचलित हिन्दी शब्द को ग्रहण करने पर मजबूर हो जाते हैं, तो उसे उसके चलते रूप में ही ग्रहण करते हैं ( उदाहरण—'वैपार', 'गाहक', 'समन्दर', 'देस' ), परन्तु हिन्दी के लेखक या तो उर्दू की पुरानी गुलामी के कारण या अपना पाडेत्प दिखाने के लिये 'ज्वादह', 'वेजह', 'दर्जह', 'तवीअत', 'मुआमला', 'मुआफी', आदि भी लिखते देखे जाते हैं, 'शुरुआत', 'कसूर', 'तगदीर', 'तमादा', 'जवाब' आदि, आदि के बजाय 'शुरुआत', 'तकदीर', 'कुसूर', 'तकाजा', 'जभाव', आदि की तो कोई बात ही नहीं । शायद कोई हिन्दी लेखक हिन्दी में 'टिकट', 'लालटैन', या 'अस्पताल' छोड़ कर 'टिकेट', 'लैन्टन' या 'हॉस्पिटल' लिखने की धृष्टता न करेगा, परन्तु हिन्दी के बहुतरे लेखक हूँ हूँ कर, काप देल दल कर उर्दू शब्दों को उनके तत्सम अरबी फारसी रूप में लिखने का प्रयत्न करते देखे जाते हैं । यह प्रवृत्ति घोर हीनता और टीनता की द्योतक है । ऊपर ग्रहण करने योग्य अरबी फारसी शब्दों के जो उदाहरण दिये गये हैं, ( बर्ग ( इ ) और ( ई ) के शब्द ) उन्हें उसी रूप में लिखा गया है जिस रूप में उन्हें लेना चाहिये ।

( जिसकी वे अभी तक केवल कल्पना कर रहे हैं उसे ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष कर दिखाया ! )

रेडियो का मामला हमें हिन्दुस्तानी-आन्दोलन के दूसरे पहलू पर ले आता है। वह है इस 'हिन्दुस्तानी' का स्वरूप। आखिर वह 'हिन्दुस्तानी' जो सब जगह से—केन्द्र से और प्रान्तों से—हिन्दी को निकाल रही है और उसका स्थान लेना चाहती है, कैसी होगी ? रेडियो की हिन्दुस्तानी को हम जानते हैं। उसे कांग्रेस और हिन्दुस्तानी वालों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। इसे सिद्ध करने के लिये हमें यह देखने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस वाले और हिन्दुस्तानी वाले क्या कहते हैं, बरन् यह देखने की जरूरत है कि वे क्या करते हैं। कांग्रेस ने अपने उच्च आसन से क्या किया अथवा क्या करना चाहती है, इसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। अन्य हिन्दुस्तानी वालों ने क्या किया है, इसे सुन लीजिये। सम्मेलन द्वारा संचालित आन्दोलन में उन्होंने कभी सहायता तो नहीं दी ही, उन्होंने सम्मेलन के मार्ग में रोड़े अटकaye हैं, और सम्मेलन की माँग को अराष्ट्रीय घोषित किया है। इस सम्बन्ध में प० सुन्दरलाल और डा० ताराचन्द्र जैसे हिन्दुस्तानी के दिग्गालों का नाम लेना काफी है। रेडियो वाले इन्हीं हिन्दुस्तानी वालों के बल पर कूद रहे हैं, और इन्हीं का सहारा पाकर अपनी नीति पर दृढ़ हैं। पिछले दिनों सर मुलतान अहमद ने अपनी नीति के समर्थन में गांधी जी का नाम लिया, परन्तु गांधी जी फिर भी चुप रहे। इस सबसे सिवाय इसके कि कांग्रेस और हिन्दुस्तानी वालों को रेडियो की हिन्दुस्तानी मान्य है ( ऊपरी मन से ईद बकरीद चाहे जो कुछ कह दिया करते हों ) और क्या निष्कर्ष निकल सकता है ? अच्छा, यदि जरा

---

नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि स्वयम् उनकी हिन्दुस्तानी के कोई सिद्धांत नहीं हैं। ( यदि होते तो 'शिक्षा' के स्थान में 'तालीम' और 'साहित्य' के स्थान में 'श्रद्ध' कैसे आ बैठता ? ) वे रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' को उद्घोषित तो केवल हिन्दी वालों को फुसलाने के लिये बतलाते हैं।



का प्रयोग करना लगभग उतना ही बुरा है जितना एक स्वदेशी शब्द के होने हुये एक विदेशी शब्द का प्रयोग करना । ऐसा करने से भाषा कठिन और जनसाधारण के लिये अपरिचित सी भी बनती है। देशज शब्दों के विषय में पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है । उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं । सोचने की बात है कि ऊपर जिन शब्दों को मोटे अक्षरों में छपा गया है, उनकी क्या आवश्यकता थी ? उनसे भाषा को क्या लाभ हुआ ? संस्कृत हिन्दी की माता है, हिन्दी को संस्कृत से उधार लेने का अधिकार है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हिन्दी को संस्कृत बना दिया जाय । हमें नये शब्द गढ़ते समय भी सबसे पहले देशज शब्दों और धातुओं पर नजर डालनी चाहिये । यदि उनसे काम न चले, तभी संस्कृत या अन्य स्वदेशी और विदेशी भाषाओं को टटोलना चाहिये । तद्भव शब्द होते हुये तत्सम शब्द का प्रयोग भी अवाञ्छनीय है और भाषा को कठिन बनाता है । अर्शाक्षरों द्वारा विगाड़े हुये शब्दों जैसे 'देस', 'लछमीनरायन', 'लच्छमी', 'गनेस', 'गाहक', 'बैपार', 'बैपारी', 'सकत' ( शक्ति ), 'समन्दर', आदि को सुधारना और बात है, और सर्वमान्य 'नींद', 'लाख', 'जीभ', 'रात', आदि के बजाय 'निद्रा', 'लक्ष', 'जिह्वा', 'रात्रि', आदि का लिखना और बात है । वास्तव में देशज और तद्भव शब्द ही हिन्दी के निजी, असली हिन्दी शब्द हैं, शेष तो उधार लिये हुये ही कहे जायेंगे । हिन्दी अपनी निजी सम्पत्ति की रक्षा करके एक धनी और स्वतंत्र भाषा नहीं बन सकती । एक बात और है । संस्कृत के शब्द प्रायः नुकीले और बोलने में कठिन होते हैं, परन्तु देशज और तद्भव शब्द हिन्दी की ध्वनि प्रणाली में ढले हुये, बोलने में सरल, मधुर, छोटे और गोलमटोल होते हैं, क्योंकि असंख्य प्राणियों के मुख में बुलते बुलते उनके कोने झुक चुके होते हैं । भाषा पर ये शब्द भार स्वरूप नहीं मालूम देते । वास्तव में यही भाषा को गति और प्रवाह प्रदान करते हैं ।

वलिज्म है', आदि। वस, एक हजार साल से गुलामी का बोझ ढोने वाले हिन्दू चुपचाप सहन कर लेते हैं। वे भाषा का महत्व कैसे समझे ? हिन्दुस्तानी वाले तर्क भी बहुत मुन्दर उग्रस्थित कर देते हैं। एक प्रेस प्रतिनिधि के प्रश्न के उत्तर में प० सुन्दरलाल ने बताया, "अदालतों की भाषा ऐसी होनी चाहिये जिसे हिन्दू मुसलमान दोनों समझें, परन्तु दोनों लिपियों में काम करने की छूट होनी चाहिये" ( क्योंकि अभाग्यवश उन्होंने कोई लिपि तो कामन बनाई नहीं ! )। चूँकि अदालतों की भाषा पिछले सौ वर्षों से उर्दू है और इसलिये चूँकि जिन्हें—हिन्दू और मुसलमान—अदालतों से काम पड़ता है वे सब इसी को समझते हैं, प० सुन्दरलाल के कथन का सीधा अर्थ यह है कि वही भाषा बनी रहे। अदालतों की भाषा के विषय में एक हिन्दी वाले से बातचीत के सिलसिले में प० गोविन्दवल्लभ पंत ने कहा, "आप 'अदालत' रखेंगे, 'मुकदमा', 'वकील', 'मुद्दई', 'मुद्दालह' रखेंगे या नहीं ? आपका सिद्धान्त तो ठीक है, परन्तु जब जनता के एक भाग की भावना प्रतिकूल हो तो क्या किया जाय ?" हिन्दीवाले यह आशा त्याग दें कि पंत का मन्त्रिमंडल अदालतों, दफ्तरों, पुलिस, म्यूनिसिपैलटी, आदि की भाषा में कोई परिवर्तन करेगा \*। कांग्रेसी मन्त्रिमंडल लीगी

\* पंत जी के राजनीतिक भाषा-शास्त्र का एक और नमूना देखिये। बातचीत के सिलसिले में उनसे कहा गया कि युक्त-ग्रन्थ में एक भाषा और लिपि को कामन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन प्रांतों में एक से अधिक भाषायें और लिपियाँ हैं वहाँ सब की सब राजभाषा भी नहीं बनाई जा सकती, और प्रांतीय जीवन को एक सूत्र में बाँधने के लिये भी एक कामन भाषा और लिपि की आवश्यकता पड़ेगी ही, और वह प्रांत की मुख्य भाषा और लिपि ही हो सकती है, जैसे हैदराबाद में तेलगू, मराठी, कन्नड़ और तमिल हैं, चारों भाषायें और लिपियाँ राजभाषा नहीं हो सकती, और यद्यपि प्रत्येक हैदराबादी को अपनी मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, हैदराबाद की राजभाषा और कामन भाषा वहाँ की मुख्य

प्रणाली में नहीं लेंगे व या तो लिखन नहीं चलेंगे या, यदि उनके मुताबके पर दूसरे शब्द न हुए तो, हिन्दी की ध्वनि-प्रणाली में स्पष्ट, दल लक्षण और लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा में भारी अन्तर पड़ जायगा। हिन्दी में 'ट्रिपेट' नहीं गप सकता था, इसलिये यह 'ट्रिपेट' हो गया, 'लैन्डन' 'लान-टेन' हो गया। 'गंगेजी' में 'गंगे' नहीं गपता था, इसलिये यह 'गाम्गे' हो गया, 'कलकत्ता' 'कैलकटा' हो गया, 'मथुरा' 'मथुरा' हो गया, उन्हादि। हिन्दीपालों की अपनी भाषा की ध्वनि-प्रणाली पहचानना चाहिये और उसके अनुसार चलना चाहिये। तुलसी और हिन्दी के अन्य प्राचीन कवियों की रचनाओं में संस्कृत शब्दों को हिन्दी के गोंच में ढालकर ही लिया गया है। उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यही है। गाँपवाले आनन्द के साथ कबीर की साहित्यों गाते हैं और गा पाते हैं। 'प्रसाद', पन्ना या 'निगला' की कविता का प्रवाह भी क्या उनके कण्ठ में इसी स्वच्छन्दता के साथ निकल सकता है ? संस्कृत शब्दों की व्यर्थ की तोड़-मरोड़ अच्छी नहीं ( इस मामले में प्राचीन हिन्दी कवि भी निर्दोष नहीं रह जा सकते ), परन्तु संस्कृत शब्दों को सदैव अपने मूल तत्सम रूप में लेने का मोह भी अच्छा नहीं।

( इ ) हिन्दी में यौगिक और समास-युक्त शब्दों का कम से कम प्रयोग होना चाहिये। जहाँ तक हो सके, शब्द लम्बे न हों।

( ई ) विषय चाहे गम्भीर हो चाहे हल्का, भाषा सरल में सरल होनी चाहिये। जो बात कम शब्दों में, सरल शब्दों में, और सीधी तरह कही जा सकती है, उसे शब्दाहम्बर के साथ, कठिन शब्दों में, घुमा फिराकर कहने की प्रवृत्ति कभी अच्छी नहीं कही जा सकती। आधुनिक हिन्दी को 'ग्रामफहम' बनाने के लिये उसे कांग्रेस की या वर्धा की हिन्दुस्तानी बनाने की ज़रूरत नहीं और न वह इस प्रकार ग्रामफहम हो सकती है परन्तु उसे अभी और सरल अपश्य बनाया जा सकता है। सदैव सरल से सरल शैली का प्रयोग होना चाहिये।

को जहाँ होना चाहिये वहाँ तो उर्दू रहेगी ही, वस जहाँ हिन्दी को होना चाहिये वहाँ ही 'हिन्दुस्तानी' होगी जो ६० प्रतिशत उर्दू और कालान्तर में शुद्ध उर्दू होगी, और होगी उनकी उर्दू लिपि। 'हिन्दुस्तानी' केवल हिन्दी की जड़ काटेगी, भारत के कोने कोने में उर्दू और उर्दू लिपि को ले जायगी जहाँ उन्हें एक हजार वर्ष का मुस्लिम शासन भी न ले जा सका, और प्रत्येक हिन्दू को उर्दू लिपि और उर्दू सीखने के लिये विवश करेगी। भला ऐसा 'पैकट' उन्हें क्यों न भायेगा? वस, केवल हिन्दुओं के गले के नीचे इस पैकट को उतारना बाकी है। सो 'राष्ट्रीयता' में भली भाँति सान कर उतारा जा रहा है। बेचारे हिन्दू तो कांग्रेस की जेब में हैं। भाषा तो भाषा है, यदि कल गाधीजी यह कहने लगें कि स्वराज्य-प्राप्ति का सबसे सरल उपाय यह है कि भारत में एक ही धर्म के अनुयायी हों और चूँकि मुसलमान हिन्दू हो नहीं सकते इसलिये सब हिन्दू मुसलमान हो जायँ, तो जैसे आज कांग्रेस वालों को उर्दू पढाने के लिये मौलवी ढूँढे नहीं मिलते, कल से हिन्दुओं को कलमा पढाने के लिये मुल्लाओं की कमी पड जायगी। परन्तु फिर भी क्या स्वराज्य मिल जायगा? मिले या न मिले, गाधी-दर्शन के अनुसार विरोधी के हृदय को पिघलाने का शुद्ध अहिंसात्मक उपाय तो यही है, और भाषा के मामले में इसी का हिन्दुओं को उपदेश दिया जा रहा है। यदि वे उपदेश मानें तो 'राष्ट्रीय' हैं, यदि न मानें तो उन्हें "स्वराज्य की इच्छा नहीं है।"

ॐ श्री श्रीमन्नारायण अपने हिन्दुस्तानी-वाद की सफ़ाई यह कह कर देते हैं कि जिस प्रकार हिन्दी पत्रों में 'हिन्दुस्तानी' के विरुद्ध प्रचार हो रहा है, उसी प्रकार उर्दू पत्र 'हिन्दुस्तानी' का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह धोखा है, हिन्दुस्तानी का अर्थ हिन्दी-प्रचार है, (कहाँ कहाँ?) आदि। ठीक है, उर्दू पत्र ऐसा क्यों न कहें? उन्हें इस प्रकार कहते रहने में ही लाभ है। मुसलमानों को अपनी ब्लैकमेल की नीति से किस क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ है?

का भी मार्ग-प्रदर्शन कर सकता है। मासूम में हिन्दी के कवियों की अत्यन्त प्रशस्त और प्राचीन परम्परायें विद्यमान में मिली हैं। यदि वे उसने लाम न उठाये, तो वह हिन्दी का दुर्भाग्य है। आधुनिक युग में बंगाल में रवीन्द्र ने जनता को जन-कविता दी, फलस्वरूप बंगाल के एक एक बच्चे की जवान पर टैगोर के गीत विद्यमान हैं। इस प्रकार कवीन्द्र रवीन्द्र ने साहित्य और जनता के बीच की गड़बड़ को पाटा, परन्तु हिन्दी के कवि साहित्य और जनता के बीच की गड़बड़ को और चौड़ा कर रहे हैं। हिन्दी के कवियों को तुरन्त अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिये। उन्हें राष्ट्र की कविता का निर्माण करना है। यदि हिन्दी कवि अपनी भाषा को सरल कर लें, तो कवि-सम्मेलना द्वारा हिन्दी-प्रचार में भी बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। कवि-सम्मेलनों की लोकप्रियता भी बढ़ेगी और उनमें जनता के सांस्कृतिक जीवन का स्तर भी ऊँचा होगा और जनता की नवि परिमार्जित होगी।

( ३ ) उच्च विषयों के लिये पारिभाषिक शब्द बनाये जायें और उन्हें निश्चित ( standardise ) किया जाय। इन शब्दों की अल्प भारतीय भाषाओं को भी आवश्यकता है। अच्छा हो यदि सभी भाषणीय भाषाओं के विद्वान् मिलकर पारिभाषिक शब्दों के एक 'स्टैंडर्ड कोड' का निर्माण करें। उर्दू के प्रतिनिधि न चुलाये जायें, क्योंकि उर्दू वाले अपनी डेढ़ चावल की पिचड़ी अलग पकाने पर तुले हुये हैं। उन्हें चुलाने में केवल व्यर्थ का विबाड होगा, और जो काम हो सकता है वह भी न होगा \*।

\* पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्दावली गढ़ने के विषय में डा० रघुवीर के आधीन इंटरनेशनल एकाडेमी आफ इंडियन कल्चर, लाहौर, का प्रयत्न अत्यन्त सराहनीय है। डा० रघुवीर देश और विदेश के विद्वानों की सहायता और सहयोग से आधुनिक ज्ञान और विज्ञान को लगभग ६०० विशिष्ट शाखाओं के लगभग २० लाख अँगरेजी तथा अन्य पाश्चात्य भाषाओं के पारिभाषिक शब्दों के स्वदेशी पर्याय गढ़ने में संलग्न हैं। ये सब पर्याय संस्कृत

यह है 'जनता की भाषा हिन्दुस्तानी', 'राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी' की सेवा ! हिन्दुस्तानी वाले गाधीजी के नाम और उनके साथ अपने सम्पर्क से लाभ उठाकर सरकार द्वारा अपनी 'हिन्दुस्तानी' और उर्दू-लिपि अनिच्छुक जनता के ऊपर लादना चाहते हैं—यह सब राष्ट्रीयता की ओट में ! ऊपर से कहने यह है कि हिन्दुस्तानी का स्वरूप तो करोड़ों जनता निश्चित करेगी ! उन्हें यह भी सह्य नहीं कि सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति स्वतंत्रता-पूर्वक अपना काम करती रहे और वे अपना कार्य करे । उन्होंने साम दाम दण्ड भेद से सम्मेलन के राष्ट्र-भाषा प्रचार के पूरे सगठन को अपनी मुट्ठी में करने का और सम्मेलन के कार्य-कर्त्ताओं को फोड़ने का दृढ निश्चय कर लिया है । उन्हें भय है कि यदि राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति भी मैदान में रही तो जनता हिन्दुस्तानी को पूछेगी ही नहीं, इसलिये उनका प्रथम ध्येय राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के सगठन को ध्वस्त करना है और इसकी पूर्ति में उन्होंने अपनी समस्त 'राष्ट्रीय' शक्ति लगा दी है । अस्तु, वे इस प्रकार गाधीजी के इस वाक्य का पालन कर रहे हैं कि "सम्मेलन के खिलाफ कुछ काम न होगा ।" कुछ लोग शायद कहेंगे कि स्वयम् गाधीजी को अपने अनुयायियों के ये दग पसद नहीं आयेगे । परन्तु क्या गाधीजी को अपने अनुयायियों की करतूतों का पता नहीं है ? और फिर क्या स्वयम् गाधीजी ने दक्षिण में हिन्दी प्रचार बन्द कराके हिन्दुस्तानी प्रचार कराने के लिये सब कुछ नहीं किया, अथवा क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वह उनके सामने नहीं हुआ ? रही सरकारों पर जोर डालने की बात, सो क्या स्वयम् गाधीजी ने कांग्रेसी मन्त्रि मण्डलों पर अपने सिद्धान्तों पर चलने के लिये जोर नहीं डाला है ? मद्य-निषेध ही का उदाहरण दिया जा सकता है । अस्तु, काका कालेलकर ने आसाम में जो कुछ किया और करना चाहते हैं, वह हिन्दुस्तानी वालों की नीति का एक प्रमुख अंग है । उनकी नीति में यह भी शामिल है कि यह सब हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों में ही किया जाय । काका

अंगरेजी का या अरबी फारसी का शब्द उठा कर घर दिया जाता है और फिर भी एक अर्थ में सदैव एक ही शब्द का प्रयोग नहीं होता। साधारण से साधारण शब्द के मामले में यही हाल है ( उदाहरण के लिये 'Dead-lock' के लिये 'जिन्न', 'अडगा', 'गति-अवरोध' आदि, आदि चलते हैं जिनमें से कोई भी ठीक अर्थ को व्यक्त नहीं करता )। इसमें समाचार-पत्रों का अधिक दोष नहीं। उनके सामने कोडे स्टैंडर्ड और पूर्ण पारिभाषिक शब्दावली है ही नहीं। कारण जो भी हों, 'भाषा' की सजा का टावा करने वाली किसी भाषा के लिये यह अत्यन्त लजा की बात है।

( ४ ) एक हिन्दी एकाडेमी की स्थापना होनी चाहिये जो भाषा-विषयक सब विवादों का फैसला करे, ऊपर भाषा सवन्धी जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है उनके अनुसार भाषा में परिवर्तन, सशोधन करके भाषा का स्वरूप निश्चित करे और उसका आदर्श सामने रखे। यही हिन्दी हमारी 'आदर्श हिन्दी' या 'किंग्स हिन्दी' होगी। अब तक जो कार्य हिन्दी के कुछ लेखकों ने व्यक्तिगत रूप से किया है, वह अब एक हिन्दी एकाडेमी ही कर सकती है। अब एक हिन्दी एकाडेमी ही हिन्दी पर उचित नियंत्रण रख सकती है और हिन्दी लेखकों पर दृष्ट और व्यापक प्रभाव डाल सकती है। यही एकाडेमी अरबी फारसी शब्दों की मर्यादा निश्चित करे और हिन्दी का स्टैंडर्ड कोष प्रकाशित करे जिसमें केवल वे ही अरबी फारसी शब्द हों जिन्हें हिन्दी में रखना है। इस कोष में सब शब्द अपने निश्चित रूपों में हों। इस स्टैंडर्ड कोष को अपटुडेट रखना अर्थात् ममय समय पर उसके परिवर्द्धित संस्करण प्रकाशित करना भी इसी एकाडेमी का काम होगा। इस एकाडेमी को एक स्टैंडर्ड और परिपूर्ण अंगरेजी-हिन्दी कोष भी प्रकाशित करना चाहिये। यह एकाडेमी उन अरबी फारसी शब्दों की एक अलग तालिका भी प्रकाशित करे जिनका हिन्दी से बहिष्कार होना चाहिये, और आगे के लिये भी उचित कार्रवाई करे जिससे हिन्दी अरबी-

हिन्दी ने राष्ट्रीय भावना और स्वातन्त्र्य प्रेम को जागृत करने में जो सहायता दी है और सम्मेलन के राष्ट्र-भाषा प्रचार ने अहिन्दी भाषियों को हिन्दी भाषियों के साथ भाषा के बन्धन में बँधकर देश में जो ऐक्य स्थापित किया है, वह कहने की नहीं, अनुभव करने की चीज है। और सम्मेलन के कार्यक्रम और सिद्धान्तों से देश को कोई हानि तो पहुँची ही नहीं। फिर सम्मेलन अराष्ट्रीय कैसे हो सकता है? देखना यह है कि सम्मेलन को अराष्ट्रीय घोषित करने वाले कितने गहरे में हैं, उनका कार्यक्रम और उनके सिद्धान्त कहाँ तक राष्ट्रीय हैं। जहाँ तक उनके कार्यक्रम का सम्बन्ध है, वहाँ तक उनकी कारगुजारी पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। जो बात सबसे अधिक स्पष्ट है वह यह है कि जिनको खुश करने के लिये हिन्दी छोड़ 'हिन्दुस्तानी' का नारा बुलन्द किया गया है वे, अर्थात् मुसलमान, हिन्दुस्तानी के कार्यक्रम से रत्ती भर प्रभावित नहीं हुये हैं और न हो सकते हैं। हिन्दुस्तानी का प्रचार केवल हिन्दुओं और हिन्दू-प्रान्तों तक सीमित है और रहेगा। सोचने की बात है कि हिन्दुओं और हिन्दी प्रान्तों में तो भाषा-ऐक्य हिन्दी ही स्थापित कर सकती है, कहीं अच्छी तरह और आसानी से स्थापित कर सकती है और सफलता के साथ स्थापित कर ही रही थी। हिन्दुस्तानी आन्दोलन ने केवल हिन्दुओं में भी फूट डाल दी, और जो कार्य हिन्दी कर रही थी उसमें भी बाधा उपस्थित कर दी। हिन्दुस्तानी आन्दोलन का केवल इतना ही परिणाम हुआ है। हिन्दुस्तानी आन्दोलन केवल आर्य समाज, नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के करे कराये पर पानी फेर रहा है। यह कैसी 'राष्ट्रीयता' है? हिन्दुस्तानी वालों को चाहिये तो यह था कि वे यह कहते कि जो हिन्दी को राष्ट्र-भाषा मानकर हिन्दी पढ़ना चाहे वे हिन्दी पढ़े, और जो उर्दू पढ़ना चाहें वे उर्दू पढ़े। यह कदम हमें और आगे ले जाता। इसके बजाय उन्होंने हिन्दी उर्दू दोनों और दोनों लिपि अनिर्धार्य करके उनको भी राष्ट्र-भाषा पढ़ने से रोक दिया जो राष्ट्र-भाषा



( ५ ) एक हिन्दी समाचार एजेन्सी की स्थापना की जाय जो हिन्दी पत्रों को शुद्ध, आदर्श, स्टैंडर्ड हिन्दी अर्थात् 'किंग्स हिन्दी' में समाचार सप्लाइ करे। इससे भाषा का स्वरूप निश्चित करने में सहायता मिलेगी, भाषा विषयक धॉधलीवाजी दूर होगी, पत्रों का स्तर और स्टैंडर्ड ऊँचा होगा, पत्रों के अनुवाद-सम्पादकों की कठिनाइयाँ दूर होंगी और हिन्दी पत्र अँगरेजी पत्रों का स्थान ले सकेंगे। पढ़ने में आया है कि कोई सज्जन देवनागरी का टेलीप्रिन्टर बना रहे हैं जिससे हिन्दी में समाचार अँगरेजी में समाचारों की भाँति भेजे जा सकेंगे, परन्तु जब तक वह नहीं बनता तब तक हिन्दी समाचार एजेन्सी को डाक और तार से ही काम निकालना चाहिये। यह एजेन्सी कांग्रेस नेताओं के 'हिन्दुस्तानी' भाषण और वक्तव्य भी स्टैंडर्ड हिन्दी में भेजे जिससे हिन्दी पत्रों द्वारा भाषा कलुषित न होने पावे। ( आज-कल कितने ही पत्र कांग्रेस नेताओं के हिन्दुस्तानी उर्फ उर्दू के भाषण ज्यों के त्यों छाप देते हैं ; नेताओं को उपस्थित जनता के ६५ प्रतिशत के वजाय मुसलमानों को अपनी बात समझाने की ज्यादा चिन्ता होती है, पर हिन्दी पत्र तो हिन्दी का न सही, कम से कम हिन्दी पाठकों का ख्याल रखें। ) जब आल इन्डिया रेडियो हमारी न्यायोचित माँग पूरी करने के लिये विवश होगा, तो जिस प्रकार वी. वी. सी. अँगरेजी भाषा का और उसके शुद्ध उच्चारण का आदर्श सभार के सामने रखता है, उसी प्रकार हिन्दी समाचारों के प्रसार द्वारा अच्छी हिन्दी का आदर्श सामने रखा जा सकेगा।

( ६ ) हिन्दी और देवनागरी के माध्यम से उर्दू प्रचार विलकुल बन्द हो जाना चाहिये। कुछ विशेष बातें जिनकी ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है, निम्नलिखित हैं—

( अ ) पहला कर्त्तव्य हिन्दी पत्रों के सम्पादकों का है। उन्हें सब समाचार, वक्तव्य, आदि शुद्ध और अच्छी हिन्दी में छापना चाहिये। कांग्रेस नेताओं की 'हिन्दुस्तानी' को ज्यों का त्यों छापने का मोह

“देशी नरेशों के प्रश्न की तरह सम्पादक सम्मेलन के कुछ लोग हिन्दुस्तानी नहीं जानते, यह प्रश्न भी सामने लाया गया” । क्या यह बात झूठ थी ? अवश्य ही, क्या सम्मेलन में कोई ऐसा सम्पादक भी था जो अँगरेजी न जानता हो ? अँगरेजी के भाषण, अँगरेजी की कार्रवाई तो सम्मेलन में उपस्थित प्रत्येक सम्पादक ने समझ ली । अब प्रश्न यह है कि अखिल भारतीय सभाओं और सम्मेलनों में उपस्थित प्रत्येक भारतीय एक भारतीय भाषा समझ सके, यह परिस्थिति हिन्दी उर्दू दोनों और दोनों लिपि अनिवार्य करने से शीघ्रतर उत्पन्न होगी या एक राष्ट्र-भाषा और एक राष्ट्र-लिपि की शिक्षा अनिवार्य करने से ? प्रस्ताव का विरोध ‘नेशनल हेरल्ड’ के सम्पादक श्रीरामा राव ने भी किया । उनके विषय में इदूरकरजी लिखते हैं, “आपने टूटी फूटी हिन्दुस्तानी में भाषण यह दिखाने के लिये ही किया कि हिन्दुस्तानी गभीर विचारों का प्रतिपादन नहीं कर सकती । आपने अन्त में यह भी कहा कि मैं हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकता” । इस पर इदूरकर जी टिप्पणी करते हैं, “मेरी समझ में नहीं आया कि १० साल यू० पी० में रहने के बाद भी श्रीरामा राव हिन्दुस्तानी क्यों न सीख सके ?” ठीक है, यदि कोई यू० पी० में रहने के कारण ही गभीर विचारों के प्रतिपादन करने योग्य ‘हिन्दुस्तानी’ सीख सकता होता तो यू० पी० में पैदा होने वाले किसी बालक को तो स्कूल में ‘हिन्दुस्तानी’ पढ़ाने की आवश्यकता ही न होती ! जिन १८ करोड़ व्यक्तियों की ‘मातृ-भाषा’ गांधीजी ‘हिन्दुस्तानी’ बताते हैं, उनको भी ‘राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी’ में पारगत करने के लिये हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को कल ग और अलिफ वे के सिवा और कुछ पढ़ाने का कष्ट न करना पड़ता । और विलायत का एक अपठ देहाती दिना किसी स्कूल में अँग्रेजी पढे चंचल का भाषण समझ लेता और ऐटली के समान बोलकर पार्लामेन्ट को मुग्ध कर लेता ! वास्तव में श्रीरामा राव के कथन से श्री इदूरकर को सोचना तो यह चाहिये था कि एक अहिन्दी

भाषा के इस पाकिस्तान और वर्ण-भेद के विषय में कुछ कहना अनावश्यक है। यह दोष बहुत हद तक ऊपरवाले दोष (आ) के अन्तर्गत है। यह उर्दू की गुलामी के सिवा और कुछ नहीं। अँगरेजी में इस प्रकार लिख कर कोई नाम पैदा करना नहीं चाहेगा:—'Patriotism of Christians, desh-bhakti of Hindus, hubbulvatni of Muslims', 'Christian religion, Hindu dharma and Muslim mazhab', 'English poems, Hindi kavitas, Urdu nazms'. आदि।

दूसरे शब्दों में, हिंदी की एक निश्चित संस्कृति होनी चाहिये। प्रत्येक भाषा की एक संस्कृति होती है, अर्थात् प्रत्येक भाषा एक विशिष्ट संस्कृति का प्रतीक होती है, और उसमें उसी संस्कृति का वातावरण लक्षित होता है तथा उसी की विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है। अँगरेजी की संस्कृति ईसाई अँगरेजों की संस्कृति है। उसमें प्रत्येक धर्म का पात्र अँगरेजी में बात करता है, सब को 'मिस्टर' कहा जाता है (किसी को 'श्री' या 'जनाब' नहीं), सबके धर्म को 'रिलीजन', सब के पिता को 'फादर', सब की माता को 'मदर', इत्यादि कहा जाता है। हिन्दी की संस्कृति क्या हो? उर्दू की संस्कृति मुसलमानी संस्कृति है। तथाकथित 'हिन्दुस्तानी' की संस्कृति भी वही है। डा० ताराचन्द और प० सुन्दरलाल की प्रयागवाली 'हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी' की 'हिन्दुस्तानी कलचर' की परिभाषा है शिक्षित समाज के आदाबअर्ज और पैजामा वाले वर्ग की संस्कृति। उनके लिये वही हिन्दू-मुस्लिम सम्मिलित संस्कृति का आदर्श है, और उसी वर्ग की भाषा आदर्श 'हिन्दुस्तानी' है। उनकी नजर में न नमस्ते और घोती वाले वर्ग की संस्कृति का कोई महत्त्व है, और न शहरों और गाँवों में बसनेवाली करोड़ों हिन्दू और मुसलमान जनता की संस्कृति का—जिस प्रकार उनकी नजर में इनकी 'हिन्दुस्तानी' का कोई महत्त्व नहीं। परन्तु हम तो आदाबअर्ज और पैजामा वाले वर्ग की संस्कृति को गुड मार्निंग और पतलून वाले वर्ग की संस्कृति से

सस्कृत निष्ठ और दूसरी ओर मुसलमानों ने फारसी-निष्ठ किया। यदि वे सच्ची बात अर्थात् यह कि सस्कृत-निष्ठ हिन्दुस्तानी अर्थात् हिन्दी को बाद में बदल कर मुसलमानों ने उसे फारसी-निष्ठ किया, कहने लगे, तो उनकी 'साम्प्रदायिक' ६५ प्रतिशत उर्दू + ५ प्रतिशत हिन्दी=हिन्दुस्तानी का आधार जो नष्ट हो जाय।

हिन्दुस्तानी वालों का साम्प्रदायिकता-प्रचार लिपि के नामले में और भी प्रत्यक्ष है। हम हिन्दी वाले तो चाहते हैं और प्रयत्न करते हैं कि राष्ट्र-भाषा ही नहीं, बरन् सारी भारतीय भाषायें एक ही लिपि देवनागरी में लिखी जायें ( इस प्रयत्न में हमें अहिन्दियों से भी सहयोग मिला है ), परन्तु हिन्दुस्तानी वाले राष्ट्र-भाषा की भी दो लिपियाँ रखना चाहते हैं, और 'देवनागरी हिन्दुओं की लिपि है, फारसी लिपि मुसलमानों की', यह नारा लगा कर भारत के कोने कोने में लिपि-साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे हैं, और सब जगह देवनागरी-फारसी लिपि का भगड़ा पैदा कर रहे हैं। वे शायद समझते हैं कि ऐसा करने से उनके 'हिन्दुस्तानी की दो लिपि' वाले सिद्धांत के लिये रास्ता साफ हो जायगा। वे इस सिद्धांत को स्वीकृत कराने के लिये देवनागरी और फारसी लिपि को केवल साम्प्रदायिक लिपियाँ ही घोषित नहीं करते हैं, बरन् देवनागरी और फारसी लिपि को एक दूसरे के समकक्ष रख देते हैं। उन्हें स्वदेशी, पूर्ण और वैज्ञानिक लिपि देवनागरी और विदेशी, अपूर्ण और अवैज्ञानिक फारसी लिपि में कोई अन्तर नहीं दीखता। उनके लिये यह कहना फेशन हो गया है कि हिन्दुस्तानी की दो लिपियाँ हैं, इसलिये दोनों मान्य होनी चाहिये। यदि वे सच्ची बात अर्थात् यह कि हिन्दुस्तानी की लिपि केवल एक देवनागरी थी, और बाद में मुसलमानों ने उसे फारसी लिपि में लिखना शुरू किया, तो उनके दोनों लिपि वाले सिद्धांत का साम्प्रदायिक आधार जो नष्ट हो जाय। आश्चर्य नहीं यदि दोनों लिपि के साम्प्रदायिक नारे के फल-स्वरूप प्रत्येक भारतीय भाषा की दो दो लिपियाँ

उर्दू प्रचार में सहायक तो है ही, हिंदीवालों की मूर्खता और होनता और हिन्दी की अपमानजनक स्थिति का द्योतक भी है। इन पाकिस्तान को तुरत दूर करना चाहिये।

( ई ) हिन्दी में उर्दू के अवतरण, शेरें, इत्यादि प्रायः इस प्रकार उद्धृत की जाती हैं मानो वे हिन्दी की ही हों। कुछ और हिन्दी लेखक हिन्दी और देवनागरी द्वारा उर्दू प्रचार के पुण्य कार्य को पूर्ण करने के लिये उर्दू शब्दों के आगे कोष्ठकों में उनके हिन्दी पर्याय लिख देते हैं जिससे हिन्दी पाठकों को उर्दू सीखने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह एक अत्यन्त शोचनीय अवस्था है जिसे तुरन्त दूर होना चाहिये। उर्दूवाले उर्दू में हिन्दी के अवतरण देवनागरी से उल्था करके उर्दू लिपि में ज्यों के त्यों धरने की मूर्खता करके उर्दू पाठकों के कोम-भाजन नहीं बनते और न अपनी मूर्खता को छिपाने के लिये ( या उसे पूर्णतया सिद्ध करने के लिये ! ) फिर हिन्दी शब्दों के आगे कोष्ठकों में उर्दू शब्द लिखते हैं। यदि वे ऐसी मूर्खता करने की सोचें भी, तो उनकी लिपि उन्हें तुरन्त ठीक रास्ता दिखा देगी। अँगरेजी में जब किसी दूसरी भाषा का अवतरण उद्धृत किया जाता है तो उसका मूल न देकर उसका अँगरेजी अनुवाद दिया जाता है। यदि मूल देना आवश्यक ही होता है, तो उसके साथ उसका अँगरेजी अनुवाद अवश्य दिया जाना है। ऐसा ही हिन्दी में होना चाहिये। उर्दू से हिन्दी में अनुवाद करना तो फिर अपेक्षाकृत सरल है। जिस हिन्दी लेखक को उर्दू का अवतरण उद्धृत करना हो वह यदि मूल को उर्दू लिपि से ज्यों का त्यों देवनागरी में रखने के बजाय देवनागरी में उसका हिन्दी अनुवाद लिखता चले, तो उसे तो कोई विशेष कष्ट नहीं होगा, परन्तु पाठक पर उसकी बड़ी कृपा होगी और हिन्दी की रक्षा भी हो जायगी। यदि मूल देना आवश्यक ही हो तो उसे उर्दू लिपि में दिया जाय। उर्दू हिन्दी की एक शैली ही सही, परन्तु उसकी अपनी अलग लिपि भी तो है। जिस प्रकार हिन्दी में आवश्यकता पड़ने पर अँग-

के जान के अनुरूप शैली बदला ही करती है, परन्तु इस कारण न भाषा का नाम बदलता है और न उसकी शब्दावली। हिन्दी में भी ऐसा ही होता है। जिस प्रकार अँगरेजी का 'लिटरेचर' शब्द नहीं बदल जाता, उसी प्रकार हिन्दी में उच्च साहित्य में आने वाला शब्द 'साहित्य' समाचार पत्रों में जाकर 'अदव' नहीं हो जाता। पत्रों के मामले में भी वही बात है। जो अँगरेजी अँगरेज बच्चों को पढ़ाई जाती है, वह अँगरेजी साहित्य वाली अँगरेजी से भिन्न नहीं होती, और जो अँगरेजी गैर-अँगरेज बच्चों को पढ़ाई जाती है, वह अँगरेज बच्चों को पढ़ाई जानेवाली अँगरेजी से भिन्न नहीं होती। जैसी अँगरेजी इङ्गलैंड की भाषा है वैसे ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्य-भाषा है, और वैसे ही सार-भाषा है। इसी प्रकार हिन्दी प्रान्तों में पढ़ाई जानेवाली हिन्दी साहित्य की हिन्दी से भिन्न नहीं हो सकती, और अहिन्दी प्रान्तों में प्रचारित की जानेवाली हिन्दी हिन्दी प्रान्तों की हिन्दी से भिन्न नहीं हो सकती, अर्थात् राष्ट्र-भाषा हिन्दी प्रान्त-भाषा हिन्दी या मातृ-भाषा हिन्दी से भिन्न नहीं हो सकती ( देखिये परिशिष्ट १२ )। और, हिन्दी प्रान्तों की वह बोलचाल की भाषा क्या है, कैसी है, सब जगह एक सी है अथवा नहीं, उसका सबसे अधिक सुलभ स्वरूप क्या है, और वह किस लायक है, इन सब बातों पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। वास्तव में बात यह है कि हिन्दुस्तानी के समर्थक अन्य राजनीतिक नेताओं की भोंति बावू राजेन्द्रप्रसाद भी राष्ट्र-भाषा की समस्या पर अपने राजनीतिक दृष्टि-कोण को अलग रखकर विचार करने में असमर्थ हैं।\*

\* बावू राजेन्द्रप्रसाद की राजनीतिक उल्लेखन के कुछ और नमूने देखिये—  
( १ ) अपने भाषण में पहले उन्होंने कहा, "भाषा के स्वरूप निर्धारण पर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भाषा बनाने की चीज़ नहीं है। वस्तु, काल, आदि से प्रभावित होकर वह स्वयं बनती है और स्वयं भू राष्ट्र-भाषा हो सकती है", और आगे चलकर कहा, "आज इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि बंगाल, पंजाब, मद्रास, आदि देश के विभिन्न

द्वारा हँसने हँसाने में उन्हें आनन्द नहीं आता। जब तक वे हास्य के स्तम्भ में 'हमारी न्यायशीला सरकार ने हमें न्याय प्राप्त करने की जो सुविधायें प्रदान की हैं' लिखने के बजाय 'हमारी इन्साफ़रसन्द सरकार ने इन्साफ़ हासिल करने की जो सहूलियतें हमें बख़शी हैं' न लिखेंगे, तब तक उनकी समझ में इस वाक्य में हास्य का पुट नहीं आ सकता। उदाहरण के लिये, हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक 'देशदूत' को लीजिये। उसके सबसे पहले पृष्ठ पर ही 'सीबी टेढी खरी मजेदार' शीर्षक हास्य का स्तम्भ रहता है। ऐसा मालूम होता है कि इस स्तम्भ के लेखक की राय में, और सम्पादक की राय में भी, इस स्तम्भ की मुख्य विशेषता और आकर्षण अरबी फ़ारसी शब्दों का प्रयोग ही है। केवल एक ही अंक में इस स्तम्भ के अन्तर्गत चुटकुलों में प्रयुक्त कुछ अरबी फ़ारसी शब्दों के नमूने देखिये—खसूसियत, शायी, तनज्जुली, ज़ुरत, मुतफ़ज़ी, मह-रूम, इलहाम, निजात, फिरकापरस्ती, तरमीम, अखवारनबीस, वाशिन्दा, हुब्बुलमतनी, राज, पैगाम, मुखलिफ़, मौजू, खाबिन्द, महदूद, चाकड़, शिगूफ़ा, इमदाद, इत्यादि।

हास्य के कवियों का भी वही हाल है। हास्य-जगत के दो प्रमुख कवियों 'वेधक' और 'वेढक' बनारसी की हास्यपूर्ण कवितायें या तुकबन्दियाँ प्रायः साप्ताहिक 'ससार' और 'देशदूत' में छपती हैं। इन कविताओं और तुकबन्दियों की एक विशेषता यह है कि इनकी भाषा में किसी अरबी फ़ारसी शब्द के प्रवेश करने पर कोई रोक-टोक नहीं—हिंदी के शब्दों की संख्या की अपेक्षा कहीं अधिक संख्या में अनाधिकारी अरबी फ़ारसी शब्द इन कविताओं और तुकबन्दियों में विगजमान रहते हैं।

हास्य की यह परिभाषा हिंदी को छोड़कर ससार को किसी दूसरी भाषा में नहीं मिलेगी। उर्दू में तो कदापि नहीं।

(७) कांग्रेस की ओर से देश भर में प्रचार किया जाता है कि युक्त-प्रान्त की भाषा 'हिंदुस्तानी' है जिसका अर्थ हुआ कि 'हिंदी' किसी प्रदेश

रहा है और नहीं बिगाड़ेगा, अथवा उसके स्वरूप को विकृत नहीं करेगा और उसकी प्राचीन परंपरा को नहीं तोड़ेगा ? क्या 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी की ही एक विकृत शैली नहीं है, और क्या 'हिन्दुस्तानी' लिखने, बोलने और प्रचार करने का प्रयास मिशनरियों द्वारा विकृत मराठी लिखे और बोले जाने के समान नहीं है ? जैसा घोर विरोध श्री काका कालेलकर के सहभाषियों ने मिशनरियों का किया, क्या हिन्दुस्तानी वालों का वैसा ही घोर विरोध करना हम हिन्दी वालों के लिये उचित नहीं, जिससे उनकी हिन्दी के प्रति ऐसा अपराध करने की फिर हिम्मत न हो ?

मामले के इस पहलू को अच्छी तरह से समझ लेना अति आवश्यक है। हिन्दी वालों के लिये तो आवश्यक है ही, उन हिन्दुस्तानी वालों के लिये भी आवश्यक है जिनके चित्त में वास्तव में यह धारणा जम गई हो कि हिन्दुस्तानी से हिन्दी को हानि नहीं पहुँचेगी, और जो इस प्रकार हिन्दी की ओर से निश्चिन्त हो एक भूठी राष्ट्रीयता का लबादा ओढ़े हुये आन्दोलन के प्रभाव में आकर हिन्दुस्तानी वालों के गिरोह में जा मिले हो। 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी से भिन्न कोई भाषा नहीं। यदि वह हिन्दी से उन्हीं प्रकार एक भिन्न भाषा होती जिस प्रकार बँगला या मराठी हैं, तो उसके प्रचार से हम हिन्दी वालों को उससे अधिक चिन्ता न होती जितनी बँगला या मराठी या गुजराती या अन्य संस्कृत-निष्ठ भाषा-भाषियों को इस समय है। परन्तु 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी की ही एक भ्रष्ट शैली है, और वह राजनीतिक और साम्प्रदायिक हेतुओं को सिद्ध करने के लिये और एक भूठे राष्ट्र-धर्म का प्रचार करने के लिये हिन्दी की स्वाभाविक शैली को ही मनमाने तौर से बिगाड़ कर, परिवर्तित और तोड़-मरोड़ कर बनाई जा रही है। वह हिन्दी की 'सगी' दुश्मन है। हिन्दी पर 'हिन्दुस्तानी' का हमला दो प्रकार से हो रहा है, और होगा। एक का उद्देश्य हिन्दी के अस्तित्व को अर्थात् हिन्दी की स्वाभाविक शैली के अस्तित्व को एकदम मिटा



सुन्दरलाल खुशी के लड्डू बाँटे !) बँगला के आधार पर बंगाल, मराठी के आधार पर महाराष्ट्र, गुजराती के आधार पर गुजरात, तामिल के आधार पर तामिलनाडु, तेलगू के आधार पर आन्ध्र और इसी प्रकार अपनी अपनी मातृ-भाषाओं के आधार पर अन्य प्रान्त बन जायेंगे जिनमें उनकी अपनी अपनी मातृ-भाषाएँ और मातृ-लिपियाँ राजभाषा और राजलिपि बनेंगी और फलेंगी-फूलेंगी ( स्कूलों में द्वितीय भाषा के रूप में अँगरेजी की भाँति 'हिन्दुस्तानी' या किसी दूसरी भाषा को भले ही पढाया जाय ), परन्तु हिन्दी के पल्ले पड़ेगा 'हिन्दुस्तानी भाषी प्रदेश' जहाँ हिन्दी को नहीं, 'हिन्दुस्तानी' को प्रतिष्ठित किया जायगा, अर्थात् उर्दू को इसी प्रकार अखण्ड राज्य करने दिया जायगा । 'हिन्दी' का, 'हिन्दी भाषी' कोई प्रदेश या प्रान्त ही नहीं होगा, जिनका अर्थ होगा कि भारत में 'हिन्दी' कहीं बोली ही नहीं जाती । यह है युक्त-प्रान्त की भाषा को 'हिन्दुस्तानी' बताने का रहस्य । कांग्रेस के इस प्रचार का युक्त-प्रान्त के निवासियों पर भी प्रभाव पड़ा है । युक्त-प्रान्त के निवासी किसी शिक्षित व्यक्ति से पूछिये, 'आपकी मातृ-भाषा क्या है ?', उत्तर मिलेगा, 'हिन्दुस्तानी' । अपनी मातृ-बोली गई, जिस भाषा की वह बोली है वह भी गई, रह गई वस 'हिन्दुस्तानी' । ब्रज-वासी भी 'हिन्दुस्तानी' बोलते हैं, अवध-निवासी भी 'हिन्दुस्तानी' बोलते हैं, काशी-वासी भी 'हिन्दुस्तानी' बोलते हैं । हिन्दी गई सो गई, 'ब्रज' और 'अवधी भी उठ गई जिनके साहित्य का इस 'हिन्दुस्तानी' का साहित्य अभी सैकड़ों साल तक पानी भरे ! जब तक 'हिन्दी' थी तब तक ब्रज और अवधी का भी अस्तित्व था, 'हिन्दुस्तानी' में उन्हें स्थान कहाँ ? कांग्रेस प्रचार के मारे हुये शिक्षित सज्जन कहते हुये मुनाई देंगे, 'अँगरेजी में नहीं, हिन्दुस्तानी में बात कीजिये' । अपने मुँह में 'हिन्दी' कहना उन्हें साम्प्रदायिकतापूर्ण और ओझा मालूम पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें यही सिखाया है कि हिन्दी का अर्थ है साम्प्रदायिकता, 'क्योंकि हिन्दी साम्प्रदायिक भाषा है, विशुद्ध राष्ट्रीयता की हुगली तो 'हिन्दुस्तानी'

स्तानी' चल रही है, ऐसी अवस्था में हिंदी की स्वाभाविक शैली का क्या होगा ? यहाँ इतिहास से कुछ मदद मिल सकती है, यद्यपि आज के युग में राज्याश्रय पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक फारसी राजभाषा रही, तब तक फारसी का बोलचाला रहा—उसी प्रकार जिस प्रकार आज अंगरेजी का है, 'पढ़े' फारसी वेचें तेल, यह देखो विधना के खेल', यह कहावत बनी\*, तेल बेचने से बचनेवालों ने फारसी पढ़ी, संस्कृत और देशी भाषाओं की पूछ न रही, खूब फारसी का प्रचार हुआ और देशी भाषाओं पर फारसी का खूब प्रभाव पड़ा। फारसी का यह घटाटोप कब हटा ? जब १८३७ में फारसी से राज्याश्रय हटा। फारसी से राज्याश्रय हटाकर जब देशी भाषाओं को राज्याश्रय दिया गया, तब देशी भाषाओं की पूछ शुरू हुई—उससे पहले नहीं। हिन्दी प्रान्तों में दुर्भाग्यवश उर्दू और उर्दू लिपि को राज्याश्रय मिला, हिन्दी और देवनागरी को नहीं। उसका जो परिणाम हुआ है, वह इस समय जीवित बहुत से हिंदीवालों ने अपने जीवन में ही अनुभव किया है। खूब उर्दू का प्रचार हुआ, वही शिष्ट-समाज की भाषा समझी जाने लगी, अंगरेजों और विदेशियों ने भी उर्दू ही सीखी, विदेशों में उर्दू का ही प्रचार हुआ हिंदी गँवारू हो गई, उर्दू लिपि के कारण खूब शब्दों का उच्चारण भ्रष्ट, हुआ, हिंदुओं ने हिंदी को त्यागा, हिंदी साहित्य को त्यागा, हिंदी साहित्य रचना त्यागा, अपने आचार विचार और वेश-भूषा को त्यागा, हिंदू अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होते चले गये, गमायण तक उर्दू में पढ़ने लगे, एक मामूली सा पत्र भी देवनागरी में लिखना भूल गये, और उर्दू का पंडित होने में गर्व का अनुभव करने लगे। यह है राजभाषा और राज्याश्रय का प्रभाव ! उस पीढ़ी के

---

\* उसी परिस्थिति में जिसमें आज अंगरेजी पास अजेण्ट को जूतों पर पालिश करते देखकर महान आश्चर्य होता है और हम धारोधार अँसू बहाते हैं, परन्तु एक हिंदी साहित्य रत्न को भूखों मरते देख कर हमें कुछ आश्चर्य नहीं होता।

उल्टे 'हिन्दुस्तानी' के नाते उर्दू और उर्दू लिपि का युक्त-प्रान्त पर उतना ही अधिकार हो गया जितना हिन्दी और देवनागरी का, और यह करने की गुंजाइश और यह बतलाने का साधन भी न रहा कि युक्त-प्रान्त में इतनों की मातृ-भाषा हिन्दी है और केवल इतने अपनी मातृ-भाषा उर्दू बताने हैं। सब प्रकार से हिन्दी की बंद शानि हुई, और इसी कारण मुसलमान तांद्दिल ने युक्त-प्रान्त की भाषा को 'हिन्दी' के बजाय 'हिन्दुस्तानी' करे जाने में साथ हैं।

हिन्दी की रक्षा के निमित्त इन बातों की आवश्यकता है—

(अ) सद्यः घोषणा की जाय और प्रचार किया जाय कि १. युक्त-प्रान्त की प्रादेशिक या देशज भाषा अर्थात् मातृ भाषा हिन्दी है, 'हिन्दुस्तानी' नहीं, क्योंकि यहाँ की विभिन्न जनपदीय बोलियाँ हिन्दी भाषा की बोलियाँ हैं। हिन्दुस्तानी या उड़ी बोली स्वयं हिन्दी की एक बोली है जो युक्त-प्रान्त के एक डेढ़ जिले में बोली जाती है, इसलिये युक्त-प्रान्त की भाषा का नाम 'हिन्दुस्तानी' कदापि नहीं हो सकता। 'लैंगुएज सर्वे आफ इन्डिया' में युक्त-प्रान्त की भाषा को 'हिन्दी' ही बताया गया है और यही नाम अब तक बराबर जन-गणना की रिपोर्टों में प्रयुक्त होता आया है; २. युक्त-प्रान्त विशुद्ध हिन्दी प्रान्त है, और यहाँ की जनता की मातृ-भाषा और बोल-चाल की भाषा हिन्दी है, 'हिन्दुस्तानी' नहीं, इसलिये यहाँ हिन्दी का ही एकाधिकार हो सकता है। उर्दू किसी प्रदेश को जन-भाषा या मातृ-भाषा नहीं। वह एक साहित्यिक भाषा है, और युक्त-प्रान्त में उर्दू पढ़ने पढ़ाने और उसमें काम करने की छूट उसी हद तक और उसी प्रकार दी जा सकती है जिस प्रकार किसी अन्य साहित्यिक भाषा जैसे अंगरेजी, बंगला, इत्यादि में; ३. साहित्यिक दृष्टि से भी आधुनिक, साहित्यिक खड़ी बोली हिन्दी ही युक्त प्रान्त की साहित्यिक भाषा हो सकती है, क्योंकि यहाँ की विभिन्न बोलियों के साहित्य की और लोक-साहित्य की आधुनिक हिन्दी साहित्य से एका-कारना और एकरूपता है, उर्दू साहित्य या किसी 'हिन्दुस्तानी' साहित्य से नहीं।

वाली 'हिन्दुस्तानी' का क्या स्वरूप है और होगा, यह पहले बतलाया जा चुका है ) ।

हिन्दी पर 'हिन्दुस्तानी' के दूसरे प्रकार का हमला भी साधारण नहीं है । हिन्दुस्तानी की शैली हिन्दी की स्वाभाविक शैली पर अवश्य बीरे धीरे प्रभाव डालेगी और उसे विकृत करेगी । एक भाषा की दो शैलियों ( वे परस्पर विरोधी ही क्यों न हों ) का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है । नितान्त भिन्न भाषाये तक परस्पर सम्पर्क में आकर एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं (उदाहरण—फारसी का हिन्दी पर प्रभाव, अंगरेजी का सब देशी भाषाओं पर प्रभाव), फिर एक भाषा की दो शैलियों या दो रूपों का कहना ही क्या है । जो 'हिन्दुस्तानी' शैली वर्धा में, 'नया हिन्द' के सम्पादकीय कमरे\* में और

---

\* असल में 'एडिटरियल', 'एडिटर' या 'एडिटरीय' कमरा या 'कमरा ए-एडिटरीय' होना चाहिये, क्योंकि 'नया हिन्द' के हिन्दुस्तानी विशेषज्ञों ने 'एडिटर' शब्द को हिन्दुस्तानी माना है, 'सम्पादक' को नहीं । पाठकों को शायद मालूम न हो, पुण्य-तीर्थ प्रयाग की स्वनामधन्य 'हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी' ने 'हिन्दुस्तानी बोली' और 'दोनों लिखावटों' में एक 'माहवारी' 'नया हिन्द' निकालने का निश्चय किया है । 'एडिटर बोर्ड' के दो माननीय 'मेम्बर' हैं पं० सुन्दरलाल और डा० ताराचन्द्र । 'हिन्दुस्तानी बोली' में लिखी हुई 'हि० कलचर सोसाइटी' के 'सेक्रेटरी' पं० सुन्दरलाल की 'नया हिन्द' विषयक सूचना, जिसे ज्यों का त्यों छापकर हिन्दी पत्रों ने 'हिन्दुस्तानी बोली' के प्रचार का पुण्य कमाया, से अनुमान होता है कि 'हिन्दुस्तानी बोली' से अभिप्राय है उर्दू—उर्दू की शैली, उर्दू के मुहावरे, उर्दू का वाक्य—जिसमें कहीं कहीं उर्दू 'लिखावट' में लिखे जाने योग्य हिन्दी शब्द धर दिये जायें । नमूना देखिये: “.. यह साहवारी हिन्दुस्तान की पूरी आज़ादी का हामी होगा जिसे मुक्त की सभी पार्टियों हासिल करना चाहती हैं । साथ ही हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी के नक्सद को सामने रखते हुये यह पार्टियों के छोटे छोटे और दो दिन के आपसी म्गाइयों से अलग रहने की कोशिश करेगा । गुरिथियों का सुखमाना भी इसका काम होगा सिर्फ इसलिये कि कुछ बने और

जिस प्रकार पञ्जाब में यह कहने का कोई साहस नहीं कर सकता कि पञ्जाब की मातृ-भाषा उर्दू है, पञ्जाबी नहीं) । अन्य प्रांतीय भाषाओं के समान हिंदी की कम से कम एक प्रांतीय भाषा की सी स्थिति होगी और केंद्रीय प्रकरणों में उसकी उपेक्षा करना सम्भव न होगा । बंगालियों, गुजरातियों, तामिलों, आदि की भाँति हिन्दियों को भी अनुभव होगा कि उनकी भी एक विशिष्ट भाषा और संस्कृति है, और उनमें मातृ-भाषा, एकभाषा-भाषा उत्पन्न होगा और उनका अपनी मातृ-भाषा हिन्दी के प्रति प्रेम जाग्रत होगा । जिस प्रकार अन्य प्रांतवाले अपनी अपनी मातृ-भाषा या प्रांत-भाषा से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हिंदी-जन अपनी मातृ-भाषा और प्रांत-भाषा हिंदी से प्रेम करना सीखेंगे और उसकी रक्षा के लिये कटिबद्ध होंगे । आज युक्त-प्रांत में हिंदी के प्रति जनता में जो उपेक्षा भाव पाया जाता है उसका कारण यही है कि उन्हें अपनी मातृ-भाषा का असली नाम ही साफ साफ नहीं बताया जाता जिससे उनमें उसके प्रति प्रेम, उसकी उन्नति करने और उसके स्वरूप को विशुद्ध रखने की इच्छा उत्पन्न होमके । उल्टे उन्हें 'हिन्दुस्तानी' नाम द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में यह पाठ पढ़ाया जाता है कि उनकी भाषा गन्दी हुगली तो है ही, और यदि नहीं है तो उसे अक्षय दनाया जाय । 'हिन्दुस्तानी' के चक्कर में फँस कर हिंदी-जनता हिंदी की उपेक्षा करती है । इस नाम के कारण उसे हिंदी और उर्दू में अन्तर भी दिखाई नहीं देता, हिंदी शब्द और उर्दू शब्द में अन्तर दिखाई नहीं देता और हिंदी उर्दू दोनों एकसी जान पड़ती हैं । फलतः 'हिन्द' में हिंदी की वैसी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती जैसी एक भाषा को अपने निजी प्रदेश में होनी चाहिये । 'हिंदी' नाम के बजाय 'हिन्दुस्तानी' नाम से बड़ी अन्तर हो जाता है । 'हिंदी' नाम यदि शुद्धता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है तो 'हिन्दुस्तानी' नाम बरबस गन्दगी की ओर धकेलता है । जब तक 'हिंद' नाम और हिंद की भाषा के नाम की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक हिंदी को शुद्ध करने और शुद्ध रखने की स्वाभाविक प्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी ।

दीक्षा दी जा रही है। एक हिन्दी पत्र 'विश्ववाणी' ने ही अपनी भाषा हिन्दी बदल कर डके की चोट 'हिन्दुस्तानी' कर दी। इत्यादि, इत्यादि।

“‘हिन्दुस्तानी’ का उद्देश्य हिन्दी की शैली को नष्ट करना या विकृत करना नहीं है,” यह हिन्दी वालों को मोह-निद्रा में सुलाने के लिये एक अफीम की गोली है, अथवा यों कहिये, पीछे से हिन्दी का शिकार खेलने के लिये एक घोखे की टट्टी है। इस टट्टी को खड़ा करने वाले हिन्दुस्तानी के सेना-नायक हिन्दी पर 'फाटल अटैक' न करके (या इतना साहस न होने के कारण) उसे 'फ्लैक मूवमेन्ट' द्वारा घेरना चाहते हैं।\*

## ४. क्या करें ?

हिन्दुस्तानी की बला का स्वरूप भली भाँति देख लिया। हिन्दी वालों को इस बला का अपनी पूरी शक्ति में मुकाबला करना ही है। परन्तु किस प्रकार ? यह बला साधारण नहीं है। इसने अपने पीछे राष्ट्रीय आन्दोलन की समस्त शक्ति को लगा लिया है, इसलिये बिना किसी सगठन और योजना के 'हिन्दुस्तानी' का विरोध करना केवल शक्ति का अपव्यय सिद्ध होगा। शत्रु जितना अधिक बलशाली हो, उतनी ही अधिक अपनी शक्ति को सगठित और केन्द्रित करने की आवश्यकता होती है। इस समय जरूरत इस बात की है कि सब हिन्दी-प्रेमी एकत्र होकर समस्या पर गहरा विचार करें, और 'हिन्दुस्तानी' का मुकाबला करने के लिये सगठित रूप से उचित कदम उठायें। ये कदम क्या होने चाहिये, इस विषय में लेखक अपने विचार अन्यत्र प्रकट कर चुका है। यहाँ केवल कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करना यथेष्ट होगा।

---

\*श्री श्रीमध्वारायण का यह कथन कि हिन्दी उद्वृत्त वाले अपनी-अपनी भाषा को चाहे जैसा रक्खें पर उन्हें हिन्दुस्तानी रूपी एक मिली जुली शैली का विरोध करने की आवश्यकता नहीं, भी इसी कोटि का है और उसका भी यही उत्तर है।

( अ. भा. हिंदी साहित्य सम्मेलन के उदयपुर अधिवेशन में साहित्य-परिषद् के सभापति पद से दिये भाषण में ) इसके बाद कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती । हमें हम ईंगलिस्तानी से पीछा छुड़ाना ही होगा, और इसके लिये शिक्षित समाज में जोरदार आन्दोलन करना चाहिये । अब दूसरी बीमारी—अरबी फ़ारसी शब्दों की भग्मार—लीजिये जो अपेक्षाकृत अधिक पुरानी है और जो 'उर्दू' नाम से साहित्य में भी स्थान पा चुकी है और इस कारण जिसे बहुत से लोग अब बीमारी नहीं मानते ( ईंगलिस्तानी को अभी तक सब—हिंदुस्तानी वाले भी—बीमारी मानते हैं ) । यह बीमारी कहीं अधिक भयकर है क्योंकि यह उर्दू साहित्य में और पुष्ट होती है और एक दल इसको ( एक अलग लिपि में ) लिख कर और बोल कर फैलाने में यत्नशील है जब कि ईंगलिस्तानी को अपने किसी विशेष साहित्य का सहारा नहीं है और कोई दल उसका प्रचार नहीं चाहता । हिंदी वालों ने बोलचाल का महत्व बिलकुल नहीं समझा है । वे ममभूते हैं, लिखो हिंदी, बोलते रहो चाहे उर्दू । उर्दू के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री रघुपति सहाय 'फिराक' ने कुछ दिन हुये गोरखपुर में कहा, "उर्दू हिंदीकी अपेक्षा बोलचाल की भाषा के अधिक निकट है । हिन्दी के लेखक और साहित्यिक स्वयं वह भाषा नहीं बोलते जिसे वे लिखते हैं ।" मियाँ बशीर अहमद का कथन है, "युक्त प्रान्त की लिखी जाने वाली भाषा हिन्दी है और बोली जाने वाली भाषा उर्दू है ।" यदि हम केवल शिक्षित समाज के विशिष्ट वर्गों की बोलचाल को लें, तो दोनों कथनों में बहुत कुछ सच्चाई है । यह बात तो सोलह आने सच है कि हिन्दी के लेखक और साहित्यिक नित्य बोलचाल में वह भाषा नहीं बोलते जिसे वे लिखते हैं । स्टेशन पर, रेल में, बाजार में—चाहे जहाँ उनकी बातचीत सुन लीजिये । पर उर्दू के लेखक और साहित्यिक वही भाषा बोलते हैं जिसे वे लिखते हैं । इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता—भले ही उर्दू वाले प्रयत्न करके ही ऐसा करते हों या कर

भी केन्द्र को 'हिंदुस्तानी' प्रान्तों की राजभाषा 'हिंदुस्तानी' ( अर्थात् उर्दू ) से भिन्न नहीं रही है )। ऐसी अवस्था में यदि हमारी हिन्दी में राष्ट्र और राष्ट्रियता की अभिव्यक्ति हुई, और उसमें राष्ट्र-सुलभता भी हुई, तो वह मध्यदेश की भाषा होने के कारण अपने आप फैलते फैलते वास्तविक राष्ट्र-भाषा हो जायगी, हिंदुस्तानी वाले उसके विरुद्ध चाहे जितनी चिल्ला पायें मचायें। हमें भी हिंदुस्तानी पर 'फ्राटल अटैक' करने की जरूरत नहीं, बस 'फ्लैक मूवमेन्ट' को विफल कर अपने हिंदी-प्रान्तों में सर्वत्र हिंदी को प्रतिष्ठित करें, और केन्द्र में प्रान्त-भाषा के नाते हिंदी के लिये अन्य प्रान्तीय भाषाओं जैसे अधिकार प्राप्त करें ( उदाहरण के लिये, रेडियो में, सरकारी फ़िल्मों में, आदि )। लेखक दावे से कह सकता है कि इतना होने पर हिंदुस्तानी वाले लाख सिर पटकने पर भी अपनी 'हिंदुस्तानी' को बाल भर भी आगे न बढ़ा सकेंगे—या तो राष्ट्र-भाषा केवल हिन्दी होगी, या हिन्दी और उर्दू दोनों राष्ट्र-भाषा होंगी।

स्पष्ट है, सब प्रकार से हिंदी का भविष्य स्वयं हिन्दीवालों के हाथ में है। हमें राष्ट्र-भाषा हिन्दी के पचड़े में पड़कर प्रान्त-भाषा हिन्दी को हाथ से नहीं जाने देना चाहिये। इस कड़ी के हाथ में रहते पूरी श्रमखला अनायास खिंचती चली आयेगी, और यदि यह कड़ी हाथ से छूट गई तो सर्वनाश निश्चित है। यदि देश को हमारी हिन्दी राष्ट्र-भाषा के रूप में मान्य नहीं है, तो राष्ट्र-भाषा जाय भाव चूल्हे में। हम अपनी हिन्दी क्यों बिगाड़े ? और कौन अपनी प्रान्तीय भाषा को बिगाड़ रहा है ? या तो देश हमारी हिन्दी को राष्ट्र-भाषा स्वीकार करे, हिन्दी की वर्तमान शैली (और केवल देवनागरी लिपि) से आरम्भ करे, काम होते-होते हिन्दी राष्ट्र की दृष्टि से आवश्यक शब्द, धातु, मुहावरे, आदि अन्य भारतीय भाषाओं से अपने आप आत्मसात करती चली जायगी, और नहीं तो हम अहिन्दियों से प्रार्थना करेंगे कि खुदा के वास्ते वे हमारी हिन्दी को बरूश दें और किसी अन्य भाषा पर ( मिसाल के



उल्टे शर्म आती है और इसलिये उर्दू की शरण लेते हैं। वे अपनी चेष्टाओं से सिद्ध करते हैं कि मुसलमानों की मातृ-भाषा तो उर्दू ही है और वे उर्दू के सिवा और कुछ नहीं बोलते या समझते। उर्दू वाले तिलकवारी पंडित-जी से भी शुद्ध उर्दू में बोलेंगे। कोई समझे या न समझे, उनकी बला में। उन्हें जो आता है, जो वे लिखते हैं वही बोलेंगे, चाहे कोई मौजूद हो। उन्हें अपनी उर्दू में बोलने में कोई अस्वाभाविकता या भिन्नक प्रतीत नहीं होनी। वे अपनी स्वाभाविक शैली छोड़कर क्यों इधर उधर ताकें? मौलाना आजाद (या प० नेहरू) किसी अखिल भारतीय सभा के सम्मुख शुद्ध उर्दू में बोलने के लिये किसी की क्षमा-याचना नहीं करते, परन्तु प० गोविन्द वल्लभ पन्त, टा० राजेन्द्रप्रसाद, यहाँ तक श्री टहनजी भी या तो शुद्ध हिन्दी में बोलेंगे ही नहीं (बिना आगे पौने उर्दू शब्दों को मिलाये वे अपने आप को 'विशुद्ध राष्ट्रीयता से च्युत समझेंगे—गांधीजी का भी तो डर है कि कहीं कांग्रेस की 'इनर काउन्सेल्स' में वे 'साम्प्रदायिक,' 'संकुचित हृदय,' 'तग खयाल,' 'महासभाइट' न घोषित कर दिये जायँ।), और यदि बोलेंगे तो चेहरे से मालूम होगा कि बड़ी बहादुरी तो की है, परन्तु अपराध हुआ, आशा है उपस्थित सज्जन क्षमा करेंगे। यह हिन्दी वालों की सभसे बड़ी कमजोरी है जो उन्हें पग पग पर नीचा दिखाती है।\*

शिक्षित समाज की साधारण बोलचाल का भी वही हाल है। उसके विषय में पहले बतलाया जा चुका है। नेताओं की देखा देखी कांग्रेस के छोटे भाई भी उर्दू में बोलना स्वराज्य-प्राप्ति का सीधा रास्ता समझते हैं।

अब प्रश्न होता है, बोलचाल का सुधार किस प्रकार होना चाहिये? सबसे पहली आवश्यकता है हिन्दी के परिमार्जन और सशोधन की। उसके विषय में सभी आवश्यक बातें पहले कही जा चुकी हैं। जिन सिद्धान्तों के अनुसार हिन्दी का परिमार्जन सशोधन होना है, उनका निर्देशन भी किया जा चुका

\*परिशिष्ट ३ भी देखिये।

मुसलमान होंगे) किसी भिन्न भाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कारण, १. ऐसा करना अव्यावहारिक होगा, २. जहाँ एक और प्रत्येक को मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वहाँ किसी को अपनी मातृ-भाषा छोड़कर भिन्न भाषा की माँग करने का भी अधिकार नहीं है (उदाहरण के लिये दक्षिण का मुसलमान नहीं कह सकता कि मैं तामिल के बजाय उर्दू के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करूँगा)। जनपद की सीमा वैज्ञानिक दृष्टि से अर्थात् भाषा-विज्ञान की दृष्टि से निर्धारित की जानी चाहिये।

(३) व्यावहारिक दृष्टि से यह वास्तविक है कि प्राथमिक शिक्षा के माध्यमों की संख्या कम से कम हो। अतः यदि किसी जनपद या क्षेत्र का बहुमत जनपदीय बोली के बजाय हिन्दी या उर्दू में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहे, तो उस समस्त जनपद में हिन्दी तथा उर्दू प्राथमिक शिक्षा के माध्यम बनाये जायँ। प्रत्येक स्कूल में, यदि हिन्दी या उर्दू माध्यम लेने वाले छात्रों की संख्या एक निश्चित सीमा से कम न हो, दोनों माध्यमों का प्रवन्ध होना चाहिये। हिन्दी स्कूल अलग और उर्दू स्कूल अलग भी खोले जा सकते हैं (जैसे बम्बई शहर में गुजराती स्कूल अलग और मराठी स्कूल अलग हैं)।

(४) माध्यमिक और उच्च शिक्षा के माध्यम हिन्दी और उर्दू हो। जिन स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में दोनों माध्यमों का प्रवन्ध होगा, उनमें हिन्दी माध्यम वालों के अलग और उर्दू माध्यम वालों के अलग क्लास लेना पड़ेंगे। इस व्यवस्था से छात्रों की संख्या के अनुसार प्रत्येक नगर में हिन्दी और उर्दू स्कूल या कालेज अलग अलग स्थापित करना कहीं श्रेयस्कर होगा। विश्वविद्यालयों के साथ भी यही बात लागू है। उदाहरण के लिये इस समय युक्त प्रान्त में लखनऊ और प्रयाग विश्व-विद्यालय दोनों में दोनों माध्यमों का प्रवन्ध करने से यह कहीं अच्छा,

यही वशा रहेगी तब तक हिन्दी के पाठक हिन्दी उर्दू दोनों के पर्याय मीखते रहेंगे और ऐसी अवस्था में हिन्दी पर्याय बोलचाल में कभी प्रचलित न हो सकेंगे। उर्दू वालों के साथ मामला मिलकुल उल्टा है। उन्होंने साहित्य से ही नहीं, अपनी बोलचाल से भी हिन्दी शब्दों को मतरूक कर दिया है, जब कि हिन्दी वाले साहित्य में तो उर्दू शब्दों को मतरूक करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु बोलचाल में वही उर्दू शब्द बोलते रहते हैं। उर्दू वालों को कुत्ते ने थोड़े ही काटा है जो वे उर्दू शब्दों को, जिन्हें वे स्वयम् चौबीस घण्टे बोलते हैं और दूसरों को बोलते सुनते हैं, छोड़ कर हिन्दी शब्द लिखें। इसलिये उर्दू में शब्दों का द्वैतवाद दिखाई नहीं देता। हिन्दी वाले 'उद्देश्य' लिखते लिखते 'मकसद' लिख जायेंगे क्योंकि वे स्वयम् 'मकसद' बोलते हैं, 'उद्देश्य' नहीं बोलते। उर्दू वाले 'मकसद' छोड़ कर 'उद्देश्य' क्यों लिखें? यह सच है कि उर्दू से कितने ही प्रचलित देशज और तद्रथ शब्दों को मतरूक कर दिया गया है, परन्तु उर्दू वालों ने उन शब्दों को अपनी बोलचाल से भी मतरूक कर दिया है। जैसा पहले कहा जा चुका है, हिन्दी वालों ने उन उर्दू शब्दों के स्थान में संस्कृत शब्द धर दिये परन्तु बोलते रहे वही उर्दू शब्द। या वे अपनी बोलचाल से भी उन उर्दू शब्दों को मतरूक करें और अपने संस्कृत शब्द बोलें, या फिर प्रचलित देशज और तद्रथ शब्द लिखें और वही बोलें, और जिन उर्दू शब्दों को लेना है उन्हें निश्चित रूप से अपना लें और उनके स्थान में संस्कृत शब्द लिखने या बोलने का प्रयत्न न करें। जिन प्रचलित संस्कृत तत्सम शब्दों को उर्दू वालों ने अपने साहित्य या बोलचाल से मतरूक कर दिया है, उन्हें बोलने में तो हिन्दी वालों को अवश्य ही गर्व अनुभव करना चाहिये और उनके उर्दू पर्यायों को भूलकर भी नहीं लिखना या बोलना चाहिये। जैसा पहले कहा जा चुका है, बोलचाल की एक कामन भाषा या हिन्दुस्तानी तो बन कर रहेगी। यदि हिन्दी वाले अपने हिन्दी शब्द बोलेंगे ( उर्दू वाले

हिन्दियों को जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि

उर्दू दोनों को राष्ट्रभाषा मानने को तैयार हैं, और प्रत्येक को स्वतंत्रता देना चाहते हैं कि वह इनमें से चाहे जिसको राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ने के लिये चुन ले, मगर शर्त यह है कि जो सुविधा हिंदू प्रान्तों में सरकार की ओर से राष्ट्रभाषा उर्दू पढ़ने वालों को दी जाय, वही सुविधा मुस्लिम प्रान्तों—पंजाब, सीमाप्रान्त, सिन्ध, बलूचिस्तान और बंगाल—में ईमानदारी के साथ, राष्ट्रभाषा हिन्दी पढ़ने वालों को दी जाय। हमारी बात व्यावहारिक होगी, उसमें सत्य होगा, धोखे की कोई गुजाइश नहीं होगी, और संभव है हमारा उर्दू वालों से समझौता हो जाय। हिन्दुस्तानी वालों से उनका या हमारा समझौता होना असंभव है। हिन्दुस्तानी वालों के आधारभूत सिद्धान्त गलत हैं, बनावटी और दिखाऊ हैं और वास्तविकता से बहुत दूर हैं। 'हिन्दुस्तानी' धोखे की टट्टी है। हिन्दुस्तानी प्रचार से हम जितने रुष्ट और असंतुष्ट हैं, उतने ही उर्दू वाले उससे सशंकित हैं। हिन्दी और उर्दू दोनों राष्ट्रभाषा मान ली जाने पर इनमें से जिसमें अधिक जान होगी, राष्ट्रीयता की अधिक अभिव्यक्ति होगी, अधिक राष्ट्र-सुलभता होगी, वह कालान्तर में अपने आप प्रधान हो जायगी और एक समय आ सकता है जब उर्दू वाले भी हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार कर लें। विज्ञान और यथार्थ की उपेक्षा अधिक समय तक संभव नहीं। परन्तु इस समय हिन्दी और उर्दू दोनों को राष्ट्रभाषा मान लेना ही राष्ट्र-भाषा की समस्या के समाधान का एकमात्र सच्चा और ईमानदारी का रास्ता है, अन्यकोई नहीं। प्रत्येक प्रान्त की एक कामन भाषा तो होगी ही, जिसके द्वारा अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार संभव होगा। केवल अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार की और केन्द्रीय सरकार की दो भाषायें हिन्दी और उर्दू होंगी। जो चाहेंगे जिन्हें फुरसत होगी अथवा जिन्हें आवश्यकता पड़ेगी, वे अपने आप हिन्दी और उर्दू दोनों सीख लेंगे।

( भारत के विभाजन से परिस्थिति बिलकुल बदल गई है। इसमें हिन्दी वालों और उर्दू वालों के बीच में समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत के विभाजन का राष्ट्र-भाषा की समस्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे उत्तर-परि-शिष्ट २ ( पृष्ठ ६६ ) में देखिये, और हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे परिशिष्ट १७ में देखिये। )

बोलकर केवल हान्यास्पद बनेंगे। जो भाषा सब लोग बोलेंगे वही कामन भाषा 'हिन्दुस्तानी' कहलायेगी, लिखा चाहे जो कुछ जाय। यदि बोलचाल में हिन्दी

मित्र से (या बाजार में) खड़ी बोली में बात करने समय बोलेगा, 'इत्तम', 'जिस्म', 'रिस्ता', 'जबान', 'फर्ज़', 'आदमी या शक्य', 'तरजुमा', क्योंकि अपने चारों ओर की खड़ी बोलचाल में—हिन्दी वालों की अथवा उर्दू वालों की—वह नित्य इन्हीं शब्दों को सुनता है, लिखित हिन्दी में 'जेप', 'शरीर', 'सम्बन्ध', 'भाषा', 'कर्त्तव्य', 'मनुष्य', 'अनुवाद' उमने भले ही देखे हों। (भाषा के साथ मस्कृति का भी वही हाल है। लखनऊ में बसा हुआ एक हिन्दू बंगाली दूसरे हिन्दू बंगाली से सदैव 'नमस्कार' करेगा, परन्तु दूसरी ही सास में अपने लखनौआ हिन्दू मित्र से 'आटावअर्ज़' करेगा। कारण वही है।) हाँ, यदि लखनऊ की खड़ीबोली बोलचाल में उसे 'इत्तम', 'जिस्म', 'रिस्ता', 'जबान', 'फर्ज़', आदि के साथ साथ 'जेप', 'शरीर', 'सम्बन्ध', 'भाषा', 'कर्त्तव्य', आदि भी—नि मन्देह हिन्दी वालों के मुँह से—सुनने को मिलेंगे तो उसके मुँह से भी खड़ी बोली में यही हिन्दी शब्द अधिक सुगम और परिचित होने के कारण निकलेंगे (और जब वह हमें आपस में एक दूसरे को 'नमस्कार' करते देखेगा तब वह हमें भी 'नमस्कार' करेगा, जो भाषा हम स्वयम् नहीं बोलेंगे, बस केवल लिखेंगे, उसके लिये हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि अन्य भाषा भाषी उसे—उस लिखित भाषा को—बोलें? पहले हम स्वयम् अपनी लिखित भाषा को इसी रूप में बोलकर आदर्श उपस्थित करें, फिर अहिन्दी भाषी उसे अपेक्षाकृत अधिक सुगम, परिचित और सरल होने के कारण अपने आप अपनायेंगे। उर्दू या वर्धा की हिन्दुस्तानी अपने आप धरी रह जायगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक प्राणी सबसे सरल मार्ग (line of least resistance) अपनाता है। इस नियम की अवहेलना अधिक समय तक कदापि नहीं हो सकती, चाहे गाधीजी, कांग्रेस और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा एड़ी चोटी का जोर क्यों न लगा दें।

(यही बात लिखित हिन्दी के साथ लागू है। हम सदैव शब्द हिन्दी लिखें, झूठी राष्ट्रीयता और 'हिन्दुस्तानी' के चक्कर में आकर उसमें उर्दू शब्द न भरें, फिर देखेंगे अहिन्दी भाषी इस हिन्दी को छोड़कर वर्धा की

$$\frac{\text{हिन्दी} + \text{उर्दू}}{2}$$

हो सकेगा। हम हिन्दी प्रान्तों में उर्दू को जो स्थान देने को तैयार हैं, वह उदारता की सीमा है, उर्दू के न्यायोचित प्राप्य से कहीं अधिक है। उससे और आगे जाना हमारे लिये अत्यन्त हानिकारक है, हमारी उन्नति में बाधक है। हिन्दी की विशुद्धता और अबाध विकास के लिये भी यह आवश्यक है कि वह अन्य प्रांतीय भाषाओं के समान हिंदी प्रांतों में एकमात्र राजभाषा हो और कामन भाषा हो, जिसका पढ़ना प्रत्येक के लिये अनिवार्य हो (जिस प्रकार पंजाब में प्रत्येक के लिये उर्दू पढ़ना अनिवार्य है), अन्यथा वह दूषित और विकृत होती चली जायगी, हिंदुस्तानी के रोलर के नीचे दबती चली जायगी और उन अधिकारों से भी वञ्चित होती चली जायगी जो अन्य प्रांतीय भाषाओं को प्राप्त हैं। उर्दू प्रांतों में उर्दू का अखण्ड साम्राज्य है, और वह विशुद्ध रहेगी, हिंदी चाहे अपने आपको मिटा डाले।

हिन्दियों को इससे अधिक करना है। उर्दू प्रांतों में, अन्य प्रांतों में, मुस्लिम रियासतों में और केन्द्र में 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर या बिना किसी आड के हिंदी के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका भी प्रतिकार उन्हे करना है, और हिंदी रियासतों पर ध्यान देना है। वर की राज्य-व्यवस्था सँभाल कर साम्राज्य की व्यवस्था ठीक करना है। इसके लिये हिंदीवालों को उर्दू प्रांतों, अन्य प्रांतों और रियासतों में प्रबल आन्दोलन तो करना ही पड़ेगा, एक और उपाय का अवलम्बन करना पड़ेगा। जब तक उर्दू प्रान्त अपने यहाँ हिंदी को न्यायोचित स्थान न दें, तब तक हमें भी हिन्दी-प्रान्तों में उर्दू के साथ वही व्यवहार करना पड़ेगा जो उर्दू प्रान्त हिंदी के साथ करेंगे। हम कायरो को अहिंसा और दिल-पिघलाव-योग में विश्वास नहीं कर सकते। हम उर्दू प्रांतों में मुसलमान आक्राओं के सामने बहुत नाक रगड़ चुके, परन्तु बदले में मिला केवल तिरस्कार और अजब। मुसलमान केवल एक ही तर्क समझते हैं, और वह है शक्ति का। उर्दू प्रांतों ने यदि अपनी हिन्दी-द्रोही नीति न त्यागी, तो हम भी युक्त-प्रान्त और बिहार से उर्दू को

मे ही बोलें। यदि कोई हिन्दी मुसलमान किसी हिन्दी शब्द को न समझे तो तो वह उसका अर्थ पूछ ले। यदि हिन्दी मुसलमान उर्दू में बोलें (जैसा कि वह बोलता है), तो हमें हम पर आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं, परन्तु हम भी उससे उर्दू में क्यों बोलें? हम अपनी मातृ-भाषा, जो उसकी भी मातृ-भाषा है यद्यपि वह हमसे इन्कार करता है, क्यों छोड़ें? जिन प्रकार हम उसकी उर्दू समझने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार वह हमारी हिन्दी समझने का प्रयत्न करे। यदि कोई हिन्दी भाषी उर्दू भी जानता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह किसी हिन्दी मुसलमान ने उर्दू में बोले। वह अपनी उर्दू विशेष अवसर और उपयोगों के लिये (जैसे सीमा-प्रान्त में भ्रमण करने समय) उठा रखे। गांधीजी कहते हैं कि मैंने अपनी अँगरेजी अँगरेजों और विदेशियों के लिये रिजर्व कर रखी है, मगर हिन्दुस्तानियों के लिये मेरे पास 'हिन्दुस्तानी' है। हिन्दी बाला को इसमें शिक्षा लेनी चाहिये। वे अपना उर्दू-ज्ञान पाकिस्तान निवासियों के लिये रख छोड़ें, परन्तु सब हिन्दियों से, धर्म का कोई भेद भाव किये बिना, हिन्दी में बोलें, जिन प्रकार एक बंगाली या मराठी या गुजराती किसी भी धर्म के अनुयायी बंगाली या मराठी या गुजराती ने क्रमशः बंगाली, मराठी और गुजराती में बात करना है। ऐसा होने पर ही हिन्दी हिन्द-प्रान्त और हिन्दी प्रान्तों की वास्तविक मातृ-भाषा या प्रान्त-भाषा कहलाने की अधिकारिणी होगी। हिन्दी वाले हिन्दी मुसलमानों से उर्दू में बोलकर स्वयम् हिन्दी को इस स्वभाव-सिद्ध व्यापकता में अविश्वास उत्पन्न करते हैं। उन्हें अपने प्रान्तों की सीमा के अन्दर और अपने प्रान्त-निवासियों के साथ या उनके बीच में निसकोच, बिना भिन्नक या द्वि-क्रिचाहट के हिन्दी में बोलना चाहिये। यदि वे चाहें तो इस मामले में अपने पड़ोसी शिक्षित हिन्दी मुसलमान से ही, जो हिन्दी शब्द जानते हुये भी सदैव उर्दू में बोलता है या बोलने का प्रयत्न करता है, शिक्षा ले सकते हैं\*।

\* भाषा के साथ संस्कृति का अटूट संबंध है। हिन्दी बोलचाल के साथ

उन्नति का मूल' भूल नहीं सकते। यदि हमारे मुकाबले में कांग्रेस अपनी समस्त शक्ति से डट जाय तो भी हमें खम ठोंक कर भिड़ जाना चाहिये। इस संघर्ष में यदि हम सफल हुये, तो हम केवल अपनी मातृ भाषा के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे, और यदि हम पीस डाले गये तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कापुरुष न ठहरा सकेंगी—यह न कह सकेंगी कि उन्होंने बुद्धि होते हुये, भविष्य को जानते हुये भी बाप दादों की दी हुई भाषा को नष्ट होने से बचाने का प्रयत्न नहीं किया। हो सकता है, हमें अन्त में गांधीजी के विरुद्ध उन्हीं के दिये हुये हथियार सत्याग्रह का प्रयोग करना पड़े। हमें इसके लिये भी तैयार हो जाना चाहिये। यह याद रखना चाहिये कि यदि अन्नकी हिन्दी डूबी तो फिर नहीं उबरने की। पीछे पड़ताने से कुछ हाथ न आवेगा। यह समय चुप बैठे रहने का नहीं, मर मिटने का है। हमें वर्त्तमान कांग्रेसी सरकारों से आशा त्याग देनी चाहिये। शायद हमें इन्हीं का मुकाबला करना पड़े। अपनी भाषा की रक्षा स्वयं अपने हाथों से करनी होगी।

कुछ और कहने से पहले 'हम' से क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट करना उचित होगा। 'हम' से अभिप्राय समस्त हिन्दी प्रेमियों से है। विशेष रूप से 'हम' से अभिप्राय हिन्दी लेखकों और साहित्यिकों से है। हिन्दी का नेतृत्व सदैव हिन्दी के साहित्यिकों ही ने किया है। अब भी उन्हें ही करना है। अब तक उन्हें विदेशी सरकार के उर्दू-प्रचार से लड़ना पड़ा, अब उन्हें कांग्रेस के 'हिन्दुस्तानी'-प्रचार से लड़ना है। हिन्दी को राजनीतिक नेताओं से न कभी सहायता मिली, और न अब मिल सकती है। वास्तव में 'हिन्दुस्तानी' की जड़ में राजनीतिक नेता ही हैं जो हिन्दी को अपनी हिन्दू-मुस्लिम राजनीतिक दौंव-पेंचों का शिकार बनाना चाहते हैं। 'हम' में अगर कोई शामिल नहीं है, तो बस यही राजनीतिक नेता।

हिन्दी प्रान्तों में कुछ खास काम जो हमें तुरत करने चाहिये ये हैं—



साहित्य का बहुतेरा प्रचार हो चुका, हो रहा है और शिक्षा के प्रसार के साथ अपने आप होगा, अब हिन्दी बोलचाल के प्रचारकी आवश्यकता है जिसे गैर-सरकारी तौर से ही किया जा सकता है। हिन्दी बोलचाल की स्थापना और प्रचार के बिना हिन्दी की दशा एक पहिये के रथ के समान हा जायगी— वह आगे बढ़ ही न सकेगी और अन्त में वह मुर्दा समझ ली जायगी। हिन्दी बोलचाल को अँगरेजी और उर्दू दोनों के पजों से मुक्त करना है। अभी हाल में पत्रों में यह समाचार छपा था कि प्रयाग के चकीलों ने एक 'हिन्दुस्तानी वोलो क्लब' की स्थापना की है, और वह नियम बनाया है कि उस क्लब का जो सदस्य बोलचाल में अनावश्यक अँगरेजी शब्द प्रयुक्त करेगा उन पर प्रति अँगरेजी शब्द एक पैसा जुर्माना किया जायगा। पता नहीं उस क्लब का क्या हुआ, परन्तु उसकी राय में 'वाइफ', 'पालिटिक्स', 'मिनिस्ट्री', 'रिटिन', 'प्लैटिफ', 'कल्पेविल होमीसाइट', 'मूवेविल प्रापर्टी', आदि बोलने पर जुर्माना किया जायगा, क्योंकि ये शब्द अँगरेजी के और 'विदेशी' हैं पर 'बीबी', 'स्यामत', 'बजारत', 'तहरीरी', 'मुद्ई', 'कल इन्मान मुन्तलिजम मजा', 'जायदाद मनकला, आदि बोलना स्वाभाविक समझा जायगा क्योंकि ये 'हिन्दुस्तानी' हैं ! हिन्दी वोलो क्लब 'वाइफ' और 'बीबी', 'पालिटिक्स' और 'स्यामत', 'मिनिस्ट्री' और 'बजारत', 'रिटिन' और 'तहरीरी', 'प्लैटिफ' और 'मुद्ई', 'कल्पेविल होमीसाइट' और 'कल इन्मान मुन्तलिजम मजा', 'मूवेविल प्रापर्टी' और 'जायदाद मनकला' दोनों को विदेशी और त्याज्य समझेगा। 'हिन्दुस्तानी वोलो क्लब' का शर-संधान शिक्षितों की इंगलिस्तानी के विरुद्ध होगा, 'हिन्दी वोलो क्लब' का शर-संधान शिक्षितों की इंगलिस्तानी और उर्दू-हिन्दुस्तानी दोनों के विरुद्ध।

जो भाषा सभ्य-समाज बोलता है उसी का अनुकरण और लोग करते हैं। इसलिये हमारे नेताओं, राज-मंत्रियों, शिक्षकों, समाज-व्यवस्थापकों, धारा-सभाओं के सदस्यों, आदि पर इस बात का विशेष उत्तरदायित्व है कि

सरकारी अधिकारियों के पास भेजना, ८ जनता में और विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों, धारासभाओं के सदस्यों और नेताओं में 'हिंदी बोली' प्रचार करना ( देखिये पृष्ठ ६६-८१ ), ९. जनता में, विशेष रूप से कायस्थों और काश्मीरियों में, यह आन्दोलन करना कि वह अपने बच्चों को स्कूलों में हिंदी ( 'बर्नाक्वूलर' के रूप में ) ढिलावे, १०. जनता में जोरदार आन्दोलन करना कि वह केवल हिंदी के चित्र देखे और उर्दू तथा 'हिंदुस्तानी' के चित्रों का, जो अधिकतर गन्दे और अश्लील भी होते हैं, बहिष्कार करे, आदि ।

हिंदी प्रान्तों के बाहर अन्य प्रान्तों में भी हिंदुस्तानी प्रचार के विरुद्ध नेतृत्व हिंदियों को ही ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी से सबसे अधिक हानि हिंदियों को ही है । इस सम्बन्ध में कुछ खास खास बातें जो हमें करनी चाहिये ये हैं:—

( १ ) अहिंदियों को 'हिंदुस्तानी' का ऊँच-नीच समझाया जाय, यह बतलाया जाय कि जैसा हिंदुस्तानी-प्रचार हो रहा है उसका परिणाम केवल यह होगा कि उर्दू और उर्दू लिपि वास्तविक राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि बन जायँगी । ऐसा होने पर हमसे कहीं अधिक असुविधा उन्हीं को होगी । उससे राष्ट्र का कल्याण कदापि न होगा ।\*

( २ ) \*अहिंदियों को समझाया जाय कि ऐसी बात नहीं है कि हिन्दुस्तानी से केवल हिंदी को खतरा है । 'हिंदुस्तानी' से अन्य सस्कृत-निष्ठ प्राचीय भाषाओं को भी घोर हानि पहुँचेगी । परस्पर सम्पर्क होने पर दो भाषाओं का एक दूसरे की शब्दावली को प्रभावित करना अनिवार्य है । कालान्तर में राष्ट्र-भाषा का भारत की सबसे प्रमुख, शक्तिशाली और प्रभावशाली भाषा हो जाना भी अनिवार्य है । सब से ज्यादा साहित्य राष्ट्र-भाषा का ही होगा, और देश के सब बड़े बड़े काम राष्ट्र-भाषा में ही होंगे और उसका पढ़ना व्यवहार में प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिये अनिवार्य होगा ( जैसे आज कल

वाजी का दमन कर भाषा की मर्यादा रक्खेगी। उदाहरण के लिये, व्याकरण मदैव भाषा के बाद आता है और भाषा के पीछे पीछे लँगड़ाता हुआ चलता है, परन्तु प्रत्येक समय पर भाषा की मर्यादा बताने के लिये और भाषा को एक सीमा के भीतर रखने के लिये उस समय के व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हिन्दी एकाडेमी प्रत्येक समय पर स्टैंडर्ड हिन्दी का आदर्श रक्खेगी, यद्यपि वह आदर्श स्वयम् समय के अनुसार बदल सकता है। दूसरे शब्दों में, हिन्दी एकाडेमी भाषा पर स्थिर नियंत्रण नहीं, गतिशील नियंत्रण रक्खेगी।

( २ ) ये सब बातें प्रतिक्रियावादी हैं।

होगी। जवर्दस्ती विदेशी अरबी फारसी शब्द मिलाकर 'हिन्दुस्तानी' गढ़ने, देवनागरी की छाती पर विदेशी फारसी लिपि बैठाने और उसे देश पर लादने जैसे प्रतिक्रियावादी कार्यों की प्रतिक्रिया अपने आप होगी। अगर एक ओर भाषा को 'हिन्दुस्तानी' के नाम से अरबी-फारसीमय बनाने का जोरदार और जानबूझ कर प्रयत्न किया जा रहा है, तो देश की भाषा और संस्कृति के अभिमानियों को हिन्दी के नाम से भाषा विशुद्ध रखने और करने का प्रयत्न जानबूझ कर करना ही होगा। अगर 'हिन्दुस्तानी' की सर्व-भक्षी दानवी ने जन्म न लिया होता, अथवा उसके जन्म के लिये वर्षा में यज्ञ न हो रहा होता, तो हिन्दी को किलेबन्दी करने की जरूरत न पड़ती। अगर 'हिन्दुस्तानी' की वाढ न आई होती, तो हिन्दी पर मँढ़ बाँधने की आवश्यकता न होती। ऊपर जितनी बातें कही गई हैं उनके पीछे 'प्रतिक्रिया' और 'सांप्रदायिकता' की भावना नहीं, आत्म-रक्षा की भावना है। अपने का बचाना हमारा धर्म है। भारत के इतिहास में एक समय संस्कृत को भी यावनी भाषा के प्रभाव से बचाने की जरूरत पड़ चुकी है। आज मराठी, मैसूरका अपने प्रदेश में अखण्ड राज्य है, का अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार-कोष छुप चुका है। आज अँगरेज़ी जैसी विकसित और शक्तिशाली

है कि मुसलमान माँग करेंगे कि प्रान्तीय जीवन में भी प्रान्तीय भाषा की दोनों लिपियों को एक ही स्थान दिया जाय (जैसा आज मुसलमान हिन्दी प्रान्तों में कहते हैं, और दयालु कांग्रेसी सरकार इस माँग को ही पूरा नहीं करती, वरन् हिन्दुओं को भी 'अपनी मातृ-भाषा की दोनों लिपियों' सीखने के लिये मजबूर करती है)। इस सबके लिये भी स्वयं अहिन्दी जन जिम्मेदार होंगे जो आज गांधीजी के इशारे से अपने पैसे से उर्दू लिपि का प्रचार करना परम राष्ट्रीय कार्य समझते हैं। उर्दू लिपि के कारण प्रान्तीय भाषाओं में उच्चारण की भी जो दुर्दशा होगी, वह हम हिन्दी वाले प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं।

प्रान्तीय भाषाओं की लिपि का विभाजन होने के बाद उनकी शैली का विभाजन होना भी अनिवार्य है। प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की दो दो शैलियाँ हो जायँगी—एक 'हिन्दू शैली' और एक 'मुस्लिम शैली'—बिल्कुल हिन्दी उर्दू की तरह (फिर क्या गांधीजी प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की 'सरस्वती' प्रकट करने का भगीरथ प्रयत्न करेंगे ?)। उर्दू शैली हिन्दी शैली से लिपि भिन्न होने के कारण ही भिन्न हुई, 'मुस्लिम बँगला' का आन्दोलन अब तक लिपि एक रहने के कारण ही सफल न हो सका है (आगे की राम जाने—सभवतः बंगाल की लीगो सरकार अब 'मुस्लिम बँगला' फारसी लिपि में लिखेगी)। पारसियों की गुजराती रोमन लिपि में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओं की गुजराती से सर्वथा भिन्न है, और गोआ के ईसाइयों की कोंकणी रोमन लिपि में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओं की कोंकणी (देवनागरी में लिखित) से सर्वथा भिन्न है। लिपि और भाषा का अटूट सम्बन्ध होता है। जिस प्रकार रोमन लिपि के प्रभाव से अँगरेजी शब्द फारसी गुजराती और ईसाई कोंकणी में अनायास धर करते चले जाते हैं, उसी प्रकार फारसी लिपि के प्रभाव से उर्दू शब्द प्रान्तीय भाषाओं की मुस्लिम शैली में (फारसी लिपि में लिखित) अनायास धर करते चले जायँगे\*। 'हिन्दुस्तानी' की शब्दावली

---

\*फारसी लिपि के प्रभाव से सिन्धी अरबी फारसी में ऐसी रंगी है और

रहे हैं। हम आज अँगरेजियत, अँगरेजी भाषा और कोट पतलून का ही विरोध क्यों करते हैं? क्या ये सब बातें समाज में, समाज की चोटी की श्रेणियों के जीवन में नहीं घुस गई हैं, और उर्दू के समान नहीं लट गई हैं? राजभाषा अँगरेजी को ही निकालने की बात क्यों की जाती है? क्या अँगरेजी पिछले ढो सौ वर्षों से राजभाषा नहीं है? क्या शिक्षित समाज के लिये आज अँगरेजी मातृ-भाषा से भी बढ़कर नहीं है? फिर उसकी जगह मातृ-भाषा को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है? क्या अँगरेजी के शब्द शिक्षितों की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों के समान नहीं घुस गये हैं? उन्हीं को मातृ-भाषा में क्यों बहिष्कृत किया जाता है? जब मनुष्य चेतता है और 'स्व' को पहचानने की योग्यता प्राप्त करता है, और अपने पिछले ऐश्वर्य को याद कर उसे पुनः प्राप्त करना चाहता है, तभी उसमें कुछ करने की शक्ति आती है और तभी वह महानता की ओर अग्रसर होता है। "मैं बड़ा होता हूँ तो अपनी शक्तियों से।" मुझे प्रेरणा मिलती है, जाननी शक्ति मिलती है तो अपनी भाषा से, अपने शब्दों से, इसलिये मैं अपनी भाषा को शुद्ध करना और रखना चाहता हूँ। आज फारसी तो फारसी में से घुले मिले अरबी शब्द निकाल रहा है, और तुर्की अपनी भाषा में से घुले मिले अरबी और फारसी शब्द निकाल रहा है। फिर यदि [हम हिन्दी में से उन विदेशी शब्दों को निकालना चाहते हैं जो उसमें जबरदस्ती या अज्ञानतावश घुसेड़े जा रहे या घुस गये हैं, तो हमें को दोष क्यों दिया जाता है? यह संस्कृति का प्रश्न है, और भाषा संस्कृति को प्रधान पोषक है। यदि हम आज हिन्दी की विशुद्धता की रक्षा नहीं करेंगे तो हिन्दी—वह भाषा जिसका

श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल लिखते हैं कि जब कोई गांधीजी से 'हिन्दुस्तानी' में बात करते समय किसी अँगरेजी शब्द का व्यवहार करता है तो वे उसका मज़ाक उड़ाते हैं। हिन्दू मुसलमानों में समान भाव से प्रचलित अँगरेजी शब्दों के प्रति हिन्दुस्तानी वालों का यह रुझान है, परन्तु अरबी फारसी शब्द बढ़ाये बिना 'हिन्दुस्तानी' हिन्दुस्तानी नहीं कहला सकती!

साहित्य का सच्चा दिग्दर्शक होता चला जायगा। शुरुआत हिन्दी वालों को करनी है। उन्हें प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यिको से सम्पर्क बढ़ाना चाहिये, उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिये। प० बनारसीदास चतुर्वेदी के शब्दों में उन्हें 'साहित्यिक सगाइयाँ' करनी चाहिये। हर्ष का विषय है कि हिन्दी साहित्य सभा, नई दिल्ली ने इस दिशा में कदम उठाया है। परन्तु काम बहुत बड़ा है। सब हिन्दीवालों को मिलकर प्रान्तीय भाषाओं से साहित्यिक मेलजोल बढ़ाने की योजना बनानी चाहिये। एक काम जो हिन्दी वाले तुरन्त कर सकते हैं वह है भारतीय साहित्य परिषद की पुनः स्थापना और 'हस' जैसे पत्र का पुनः संचालन। हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि श्रीमुन्शी की 'सर्व-भाषा-मंदिर योजना' शीघ्र कार्य रूप में परिणत हो।

ऊपर के काम से हिन्दी के राष्ट्र-भाषा-पद प्राप्त करने में भी वह सहायता मिलेगी जो किसी अन्य उपाय द्वारा संभव नहीं। अन्य भाषा-भाषियों पर हिन्दी का महत्व अपने आप प्रकट हो जायगा। 'हाथ कगन को आरसी क्या' ? वे देख लेंगे कि जो काम हिन्दी कर सकती है, वह न उर्दू कर सकती है और न 'दोनों लिपि' वाली 'हिन्दुस्तानी'।

( ४ ) एक हिन्दी प्रचार विद्यालय खोलना चाहिये जो हिन्दी प्रचारक तैयार करे। इस विद्यालय में केवल वे ही लिये जायें जिनकी मातृ-भाषा हिंदी हो। इस विद्यालय की परीक्षा पास करके प्रचारक विभिन्न अहिन्दी प्रान्तों में जाकर राष्ट्र-भाषा हिंदी का सगठित रूप से प्रचार करें। अच्छा हो यदि यह विद्यालय सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के तत्वावधान में खोला जाय। (हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा भी हिन्दुस्तानी प्रचारक तैयार करने के लिये वर्धा में एक विद्यालय खोल रही है)। इस समय हिन्दियों का कर्तव्य है कि वे विभिन्न प्रांतों में राष्ट्र-भाषा हिंदी के प्रचार के काम में हाथ बटावें। राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के सगठन पर हिन्दुस्तानी वालों के जो प्रहार हो रहे हैं, उनका प्रतिकार हिन्दियों को करना होगा। राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति

लिखी हुई दरख्वास्त मजूर कर ले तो उसे खुशी अवश्य होगी, परन्तु 'अँगरेजी निकालो' की जो और जैसी भावना गाधीजी या अन्य नेताओं के दिमाग में काम कर रही है, उसकी वू भी 'जनता' को नहीं छू गई है। उसे तो यह अब बताया जा रहा है कि अँगरेजी भिटेगी है, उसका बहिष्कार करो, अँगरेजी में भाषण मत दो, पत्रव्यवहार मत करो, आदि। यह सब जनता को 'लैंगुएज काशस' करना ही तो है। जनता को इंगलिस्तानी से भी कोई चिढ़ नहीं, वह खुशी खुशी अँगरेजी शब्द बोलने के लिये भी तैयार है, बल्कि वह उसे बहपन का चिन्ह समझती है। चाहिये तो यह कि जनता से शिक्षित समाज की इंगलिस्तानी की नकल न करने के लिये भी न कहा जाय। अँगरेजी शब्दों के मामले में ही उसे 'काशस' क्यों किया जाय ? यदि 'हिन्दी बोलो क्लब' से माधारण जनता को दिलचस्पी नहीं हो सकती, तो प्रयाग के 'हिन्दुस्तानी बोलो क्लब' से भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, ऐसा क्लब भी नहीं स्थापित होना चाहिये। यदि 'हिन्दुस्तानी बोलो' का आन्दोलन हो सकता है, तो 'हिन्दी बोलो' का आन्दोलन भी हो सकता है। यदि हम जनता से अपनी प्राचीन मस्कृति और भाषा के अनुरूप अपनी भाषा सुधारने के लिये कहते हैं, तो इस पर किसी को क्यों आपत्ति होती है ? जनता के लिये क्या अच्छा है, और भाषा की कौन सी प्रवृत्ति त्याज्य है और कौन सी ग्राह्य, इस पर तो जननायकों में मतभेद हो ही सकता है। यदि हम यह समझते हैं कि हिन्दी में 'हिन्दुस्तानी' के नाम से या किसी और नाम या 'बाद' की आड़ में अरबी फारसी शब्द भरने की प्रवृत्ति उतनी ही बुरी है जितनी अँगरेजी शब्द भरने की, और भाषा में से अनावश्यक अरबी फारसी शब्द उसी प्रकार निकालना चाहिये जिस प्रकार अनावश्यक अँगरेजी शब्द, तो क्या गलत समझते हैं ? इस पर तर्क हो सकता है और विरोधियों को हम तर्क के लिये आमंत्रित करते हैं, परन्तु यह बात कि जनता 'लैंगुएज काशस' नहीं है फिर क्या महत्व रखती है ?

देते हैं, जनता बेचारी जाकर उस 'हिन्दुस्तानी' को समझे चाहे न समझे। अब तक जितने तथाकथित 'हिन्दुस्तानी' चित्र बने हैं, उनमें से अधिकांश की भाषा 'अच्छी उर्दू', खराब उर्दू, भद्दी उर्दू, खराब हिन्दी या भद्दी हिन्दी' है, अच्छी हिन्दी के चित्र शायद ही कुछ बने हैं। यदि चित्र-समालोचक सब चित्रों की भाषा को इस 'हिन्दुस्तानी' का पासपोर्ट न देकर चित्र की भाषा को इन्हीं विशेषणों से सम्बोधित करें, तो जनता का भी लाभ हो और फिल्म निर्माताओं का भी। हिन्दी जनता या तो एक 'उर्दू' चित्र देखने ही न जायगी (वे ही जायेंगे जो उर्दू समझ सकते हैं), और यदि जायगी भी तो उसे मालूम रहेगा कि वह किस भाषा का चित्र देख रही है। हिन्दी जनता को भी सभार्ये करके चित्रों की भाषा के विरुद्ध अपना असतोष प्रकट करना चाहिये। यह सब होने पर सिनेमा के मालिक पूँजीपतियों को हवा का रुख पहचानते देर न लगेगी। जब वे हमारे पैसे से ही मोटे होते हैं, तो उन्हें वह देना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, यह हम बतलावें तो।

हिन्दी वालों को अधिकाधिक संख्या में सिनेमा कम्पनियों खोलनी चाहिये, जो चित्रों में हिन्दी और हिन्दी संस्कृति की रक्षा करें और सुरक्षित का पूरा ध्यान रखें। जनता का सांस्कृतिक स्तर उठने वाला है, जनता शीघ्र ऐसे चित्रों की माँग करेगी। हिन्दी साहित्यिकों और लेखकों को भी अधिकाधिक संख्या में सिनेमा में प्रवेश करना चाहिये, और सिनेमा की दुनिया पर अधिकार करना चाहिये। सिनेमा दुरदुराने से नहीं, अपना से सुधरेगा। सिनेमा का राष्ट्र की शिक्षा और सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रम में इतना उँचा स्थान है कि वह अच्छे से अच्छे साहित्यिक के सर्वथा योग्य है, और यदि इस समय नहीं है तो अब हमें बनाना है। परन्तु सिनेमा के वर्तमान या भविष्य के हिन्दी लेखकों से हमारा एक नम्र निवेदन है। वे अपनी कला को सिनेमा की टेक्नीक के अनुकूल अवश्य बनावें,



सलाह दी कि हिन्दी भाले जितने ही अधिक अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना ही वे हिन्दी को अच्छा बनायेंगे। जो 'हिन्दुस्तानी' जैसी कृत्रिम भाषा गढ़ने वालों के एक अगुआ हैं, जिन्होंने कृत्रिम रूप से 'हिन्दुस्तानी' गढ़ने के लिये कमेटियों बेंटाई हैं और जो स्वयम् हिन्दुस्तानी गढ़नेवालों के एक मुखिया हैं, उन्हें हिन्दी पर 'कृत्रिमता' का लालून लगाना शोभा नहीं देता। हम उनसे यह भी पूछना चाहेंगे कि जिस 'हिन्दुस्तानी' को उन्होंने बिहार पर लदवाया और अब फिर लदवाना चाहते हैं, वह ही कितने बिहारियों की 'मातृ-भाषा' है, और उन महमूद सीरीज और राजेन्द्र सीरीज की रीउंग की 'हिन्दुस्तानी' जिसने सीता को 'विगम' और चाल्मीकि को 'मौलवी' बना दिया, कहाँ तक अकृत्रिम और स्वाभाविक है, और फारसी लिपि जिसका सीखना वे सब बिहारियों के लिये अनिवार्य करना चाहते हैं, कहाँ तक किसी 'हिन्दुस्तानी' की, और कितने बिहारियों की स्वाभाविक लिपि है? यदि अधिकाधिक अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग ही अकृत्रिमता लाने का सबसे सरल नुस्खा है, तो क्यों नहीं उन्होंने रवीन्द्र को अरबी-फारसीमय बँगला लिखने की सलाह दी, और क्यों नहीं वे गांधी जी से अरबी-फारसीमय गुजराती लिखने के लिये कहते? हिन्दी पर ही उनकी कृपा-दृष्टि क्यों है, उसी को वे अरबी-फारसीमय क्यों बनाना चाहते हैं? अस्तु, डा० गजेन्द्र प्रसाद के विचारों का तो उचित मूल्यांकन फिर होगा, परन्तु क्या हिन्दी वास्तव में कृत्रिम है?

हाँ, हिन्दी कृत्रिम है। वह कृत्रिम इसलिये नहीं है कि उसमें बहुत से अचाहनीय या बोलचाल में अप्रचलित संस्कृत शब्द हैं—उर्दू में अचाहनीय या बोलचाल में अप्रचलित अरबी फारसी शब्दों की संख्या और अन्य प्रान्तीय भाषाओं में अचाहनीय या बोलचाल में अप्रचलित संस्कृत शब्दों की संख्या इससे कम नहीं है, परन्तु वह कृत्रिम इसलिये है कि उसमें अनावश्यक, अचाहनीय, या बोलचाल में अप्रचलित, या हिन्दी शब्दों की अपेक्षा

परिशिष्ट

मजबूर हुआ। ये बचे हुये कुछ सी संस्कृत शब्द ऐसे हैं जो कहीं बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, परन्तु जिनके देशज या अरबी फारसी पर्याय या दोनों प्रकार के पर्याय साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं। इनमें से कुछ ऊपर के (२) (अ) वर्ग (पृष्ठ ४७) में आजाते हैं और शेष के अरबी फारसी पर्याय ऊपर के (१) (इ) (१) वर्ग (पृष्ठ ३५) में आ जाते हैं। इनके साथ क्या होना चाहिये, यह पहले बतलाया जा चुका है। यदि हिन्दी को कृत्रिमता या अकृत्रिमता की दृष्टि से नहीं, परन्तु शुद्ध जनता की सुविधा की दृष्टि से देखा जाय, तो इन कुछ सी संस्कृत शब्दों में उन संस्कृत शब्दों को और जोड़ना पड़ेगा जो शिक्षित समाज की बोलचाल में तो प्रचलित हैं परन्तु जनता की बोलचाल में जिनके अरबी फारसी पर्याय प्रचलित हैं (इनके अरबी फारसी पर्याय ऊपर के (१) (इ) (११) वर्ग (पृष्ठ ३५) में आ जाते हैं, इनके साथ क्या होना चाहिये, यह भी वहीं बताया जा चुका है)। इस प्रकार इन शब्दों की संख्या लगभग ५०० हो जायगी। यदि इन शब्दों में उन संस्कृत शब्दों को भी जोड़ ही दिया जाय जिन्हें छोड़ने के लिये ऊपर कहा गया है, अर्थात् उन संस्कृत शब्दों को भी जोड़ दिया जाय जो शिक्षित समाज की बोलचाल में भी प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके अरबी फारसी पर्याय केवल शिक्षित समाज की साधारण बोलचाल में प्रचलित हैं—साधारण जनता को उनकी या उनके अरबी फारसी पर्यायों की अब तक जरूरत ही नहीं पड़ी (और इसलिये जिन्हें, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्रचलित करने का और उनके अरबी फारसी पर्यायों का बहिष्कार करने का हमें अधिकार है), अर्थात् यदि, जहाँ तक बोलचाल का संबंध है, हिन्दी के केवल वे ही संस्कृत शब्द सब प्रकार से अकृत्रिम और अधिकारी समझे जायें जो या तो साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं या, यदि उनकी या उनके अरबी फारसी पर्यायों की आवश्यकता जनता को नहीं पड़ी—केवल शिक्षित समाज को पड़ी, तो

आश्चर्य तो इस बात का है कि इस 'लोकल-कलर' का सबसे अधिक ख्याल हिन्दी वालों को है। आज तक कोई अँगरेजी का लेखक अँगरेजी की कृतियों में अँगरेजी को छोड़कर हिन्दुस्तानी पात्रों से किसी भारतीय भाषा में या चीनियों से चीनी भाषा में बातचीत कराता हुआ देखने में नहीं आया। यही बात सभार की अन्य भाषाओं के विषय में कही जा सकती है। दूर जाने की जरूरत नहीं, उर्दू के लेखक भी ऐसी गलती नहीं करते कि हिन्दू पात्रों से हिन्दी में बातचीत करावें। कुछ ऐसे शब्दों की बात दूसरी है जो एक देश विशेष अथवा जाति विशेष से ही सम्बन्ध रखते हैं और किसी विशेष गुण या वस्तु को जताने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं और जिनका उनकी ध्वनि नष्ट किये बिना सरलता से अनुवाद नहीं हो सकता। ऐसे शब्दों का अर्थ प्रायः कोष्ठकों में या पाद-टिप्पणियों में स्पष्ट कर दिया जाता है, और अँगरेजी में प्रायः ऐसे शब्दों को इटैलिक्स (italics) में वह जताने के लिये लिखा जाता है कि ये विदेशी शब्द हैं, और किसी विशेष कारण से ही प्रयुक्त किये गये हैं। लेकिन हिन्दी की कृतियों में मुसलमानों की बातचीत उर्दू में वेखटके और वेरोकटोक कराई जाती है, और उर्दू शब्दों के अर्थ को भी स्पष्ट नहीं किया जाता, बल्कि यह समझा जाता है कि यह तो हिन्दी ही है और हिन्दी-पाठक इसे समझते ही होंगे, और यह लेखक की मेहरबानी है कि उसने आदि से अन्त तक सब जगह ऐसी हिन्दी नहीं लिखी !

इस सम्बन्ध में दो एक बातें और विचारणीय हैं। 'नई दुनिया' शीर्षक कहानी में चिरागी और गजरा समाज की बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं। इन निम्न श्रेणियों में शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली उर्दू नहीं बोली जाती, फिर इनका साहित्यिक उर्दू में बोलना ही कहाँ तक स्वाभाविक है और कहाँ तक वास्तविकता से सम्बन्ध रखता है? ये दोनों व्यक्ति बनारस के रहनेवाले दिखाये गये हैं। तो क्या इनसे पूर्वा या किसी और देहाती बोली में बोलवाना कहीं

तियां को विश्वास दिलाते हैं कि इन सिद्धान्तों के अनुसार हिन्दी में से जितने सस्कृत शब्दों को निकालना पड़ेगा, उनमें उन अरबी फारसी शब्दों की संख्या कई गुना अधिक होगी जिन्हें हिन्दी में से इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार निकालना पड़ेगा। यहाँ यह बात देना भी आवश्यक है कि हिन्दी में आने वाले जिन अरबी फारसी शब्दों के विरुद्ध इस पुस्तक में आवाज उठाई गई है, उनकी संख्या भी इस समय एक हजार में अधिक नहीं है। इस पुस्तक को पढ़कर कोई यह कहन का माहस न करे कि हिंदी कोई भाषा नहीं, उसमें तो उर्दू के सभी शब्द आते हैं। वे एक हजार अरबी फारसी शब्द वही हैं जिन्हें हिंदी लेखक हिंदी प्रदेश में अपने चारों ओर बोलचाल में सुनते हैं (देशज, सस्कृत तत्सम वा तद्भव शब्दों के साथ साथ वा अकेले), और असावधानी के कारण हिन्दी में स्थान दे देते हैं अथवा, यों कहिये, लिख जाते हैं। बोलचाल में बहुत अधिक शब्द हैं ही नहीं। एक गुलाम और पिछड़े हुए देश के निवासियों की जिन पर पिछले एक हजार वर्षों से विदेशी शासकों ने सब गम्भीर कार्यों और व्यवहारों के लिये विदेशी भाषाओं का लाद रक्खा हो, बोलचाल की शब्दावली समृद्ध ही ही कैसे सकती है। बोलचाल की शब्दावली से मध्य ही कितने काम सकते हैं ? यदि हिंदी में आनेवाले बोलचाल में प्रचलित इन एक हजार अरबी फारसी शब्दों को रहने ही दिया जाय, और उनके देशज और बोलचाल में प्रचलित अथवा अप्रचलित सस्कृत पर्यायों का हिंदी से पूर्ण बहिष्कार कर भी दिया जाय, तो कौन सी समस्या हल हो जायगी ? यह प्रश्न तो फिर भी रह जायगा कि उन शब्दों को जिनकी गम्भीर कार्यों के लिये आवश्यकता है (और जिनकी संख्या बहुत अधिक है और दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है) परन्तु जो बोलचाल में कहीं नहीं पाये जाते, कहीं से और किन सिद्धान्तों के अनुसार लाया जाय। ऐसे शब्दों के लिये उर्दू अरबी और फारसी, अरब और फारस की शरण क्यों लेती है ? यदि ऐसे शब्दों के लिये उर्दू को अरबी फारसी का दरवाजा खटखटाने का कोई अधिकार

पूर्ण और संसार की सभी भाषाओं के नियमों के विरुद्ध है। भाषा विचारों को प्रकट करने का एक साधन है, और भाषा यह तभी कर सकती है जब उसका एक प्रचलित, सर्वमान्य और निश्चित स्वरूप हो। जब हम किसी भाषा में अपने विचार प्रकट करने बैठते हैं तो हम काल के अनुसार या व्यक्ति के अनुसार भाषा नहीं बदलते चल सकते। बात चाहे आज की हो, चाहे हजार वर्ष पहले की, व्यक्ति चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म का हो, भाषा का स्वरूप वही रहता है। फिर हिन्दी में ही मुसलमानों से या विदेशियों से उर्दू में कथोपकथन क्यों कराये जाते हैं? आशा है विद्वान लेखक इस ओर ध्यान देंगे, और हिन्दी को इस दोष से बचायेंगे। कम से कम पात्रों के सम्पादक यह कर सकते हैं कि इस दोष से दूषित लेखों को लौटाने का कारण बताते हुये वापस कर दें, या उनके उर्दू सवादों को हिन्दी में अनुवाद करके छापें।

( सितम्बर, १९४५ की 'माधुरी' से )



का प्रयत्न करेंगे। उसे केवल थोड़ी सी आशा यह है कि हिंदीवाले गारद प्रागे के निचे सावधान हो जायें और अपने ही हाथों हिन्दी की कव नैयाफ करना छोड़ दें। हिंदुस्थानीवाले इम पुस्तक को पढ़कर भड़कें नहीं।

जब हिन्दी की कृत्रिमता का म्पाल उठा है तब उर्दू की हालत पर भी मन्सगी नजर डालना अमगन न होगा। उर्दू उेदू मौ माल से अधिक मे हिन्दी शब्द मतरुक करनी आगही है। उर्दू ने जनता की बोलचाल मे प्रचलित मैकड़ों देशज, और मसूत के तत्सम और तद्भव शब्दों को मतरुक कर दिया है और उनके स्थान में अरबी फारसी शब्दों को भर लिया है। इन अरबी फारसी शब्दों में से कुछ जनता की बोलचाल मे प्रचलित होगये हैं, कुछ केवल शिक्षित समाज की बोलचाल में प्रचलित हैं, कुछ बिशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित हैं, और शेर कहीं बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं। हिन्दी में बोलचाल मे प्रचलित किसी देशज या संस्कृत तत्सम या तद्भव शब्द को मतरुक करने का कभी प्रश्न ही नहीं उठा और न कभी उठ सकता है। इतना ही नहीं, हिन्दी में बोलचाल में प्रचलित सभी अरबी फारसी शब्द भी, बोलचाल में प्रचलित हिन्दी पर्यायों के होते हुये, आते हैं, परन्तु उर्दू में बोलचाल में प्रचलित हिन्दी शब्द, यदि बोलचाल में उनके उर्दू पर्याय प्रचलित हों तो, कभी नहीं आते। उर्दू के ऐसे अरबी फारसी शब्दों की संख्या भी जो साधारण बोलचाल में कहीं प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके हिन्दी पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं, उन संस्कृत शब्दों की संख्या से कहीं अधिक है जो बोलचाल में कहीं प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके अरबी फारसी पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं। हिन्दी में जहाँ ऐसे बोलचाल में अप्रचलित संस्कृत शब्दों के साथ उनके बोलचाल में प्रचलित अरबी फारसी पर्याय भी आते हैं, वहाँ उर्दू में बोलचाल में अप्रचलित अरबी फारसी शब्दों के साथ उनके बोलचाल में प्रचलित हिन्दी पर्याय कभी नहीं आते। हिन्दी के जितने संस्कृत शब्दों के विरुद्ध हमें यह शिकायत है कि उनके देशज पर्याय प्रचलित होते हुए उन्हें क्यों

this province in the various dialects bears close affinities with modern Hindi literature and is a part and parcel of 'Hindi' literature and not of Urdu literature or of any 'Hindustani' literature

#### HIND AND HINDUSTAN

All the provinces or, more correctly, territorial divisions of India with the exception of U P, C P and N W F. P. have got their distinctive names which signify the spoken, indigenous mass language or 'vernacular' of the area as also the indigenous people inhabiting the area. For the Madras province has been recognised, particularly by the Congress, as consisting of Andhra, i e the Telegu speaking part, Tamil Nadu i e, the Tamil speaking part and Carnatic i e, the Kannada speaking part. Bombay province is similarly regarded as consisting of Gujarat i e, the Gujarati speaking part and Maharashtra i e, the Marathi speaking part. Even in C P, thanks to the efforts of Pt. Dwarka Prasad Misra, a Minister in the present as well as in the last Congress Ministry of C P, the old name of the Hindi speaking part, viz, Mahakoshal (Koshal or Eastern Hindi is the mass language of the Hindi speaking C P) has been officially recognised. The Marathi speaking part of the C P. is, linguistically speaking, a part of Maharashtra. 'N W. F P' is more a political phrase than a name, and is bound to be appropriately renamed soon. So the U P is the only province which has no name signifying the distinctive language, culture and the people of the province. During the previous Congress regime the name 'Hind' was



हिन्दी शब्द—देशज, संस्कृत तन्मम या वद्वय—भी प्रायें, और यदि उर्दू इस क्षेत्रपाठ को नहीं अपना सकती तो ऊपर प्रतिपादित जिन सिद्धान्तों के अनुसार हम अरबी फारसी शब्द हिन्दी में रचना चाहते हैं कम से कम उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार उर्दू में हिन्दी संस्कृत शब्द प्रायें—यह हमारा उन उर्दू वालों का जवाब है जो हिन्दी में अरबी फारसी शब्दों का वर्णिकार करने का लक्ष्य ऊपर प्रतिपादित सिद्धान्तों पर डँगनी उठाना चाहें। जिन सिद्धान्तों और नियमों के अनुसार हिन्दी के संस्कृत शब्दों को साधारण बोलचाल में प्रचलित, परन्तु उनके अरबी फारसी वा देशज पर्यायों को साधारण बोलचाल में प्रचलित न कराया जाता है और जिन सिद्धान्तों और नियमों के अनुसार हिन्दी के संस्कृत शब्दों को उनके अरबी फारसी वा देशज पर्यायों की अपेक्षा साधारण बोलचाल में कम प्रचलित बनाया जाता है उन्हीं सिद्धान्तों और नियमों के अनुसार उर्दू अपने ऐसे अरबी फारसी शब्दों का त्याग करे जो साधारण बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके संस्कृत वा देशज पर्याय साधारण बोलचाल में प्रचलित हैं और ऐसे अरबी फारसी शब्दों का त्याग करे जो संस्कृत वा देशज पर्यायों की अपेक्षा साधारण बोलचाल में कम प्रचलित हैं, और यदि उर्दू ऐसा नहीं कर सकती तो कम से कम वह अपने आपत्तिजनक अरबी फारसी शब्दों के साथ वसा व्यवहार करने को तैयार हो जैसा हिन्दी के आपत्तिजनक संस्कृत शब्दों के साथ करने के लिये ऊपर जोर दिया गया है—यह हमारा उन उर्दू वालों का जवाब है, जो हिन्दी को कृत्रिम बनाते हैं।

अब 'हिन्दुस्तानी' की अकृत्रिमता (!) को लीजिये। 'हिन्दुस्तानी' के मतकों के सामने ठो हो रहते हैं। वे 'हिन्दुस्तानी' का ढाँचा सड़ी बोली को आधार मान कर या तो बोलचाल को भाषा की दृष्टि से खड़ा कर सकते हैं या लिखित भाषा की दृष्टि से। पहले बोलचाल को लीजिये। हम हिन्दुस्तानी वालों को आमंत्रित करते हैं कि वे इस सिद्धान्त को रक्षें कि

the teaching of Urdu. It may even grant the same facilities to other language groups in the province, but let the vernacular of the province remain what it is, i. e. Hindi. Truth must not be sacrificed. Urdu or Hindustani is certainly not the vernacular of this province. A time may come when those who want Urdu and its script to-day may take kindly to the vernacular of this province, i. e., their real mother tongue, and to its natural script, thus ushering in the era of complete linguistic unity in this province; just as in the Punjab where Urdu too is medium of instruction, language of administration, etc., a time may come when adherents of Urdu, despite late Sir Sikandar Hayat Khan's frantic declaration regarding Urdu being the 'national language of Punjab', may take kindly to and adopt Punjabi, their mother tongue and the vernacular of Punjab, provided that Punjab remains 'Punjab' and Punjabi is not renamed 'Hindustani' or something like that. Thus 'Hindi' has got seeds of unity in it. But 'Hindustani', besides being an untruth, will, with its shifty and shifting meaning and its concomitant, the 'two scripts' clause, never allow this province to be one in the matter of language and script, will be a permanent obstacle on the way of progress and thus defeat the very purpose for which this untruth is (probably) sought to be imposed on this province. We appeal to the Congress that plumes itself in truth to do away with this palpable untruth, which seems to be inspired by political opportunism but which has infinite potentialities for permanent wrong-doing and injustice. It must give up its attempt to give a habitation to its concoction 'Hindustani' at the cost of

अपेक्षा अधिक व्यक्ति लिखते हैं । ) यदि वे हिंदुस्तानी को हिंदी प्रदेश की भाषा बनाना चाहते हैं, तो वे इन सिद्धांतों को, जो किसी स्वदेशी-भावना पर नहीं, बल्कि शुद्ध प्रजातन्त्र या लोकतंत्र पर अवलम्बित हैं, संपूर्ण हिंदी प्रदेश की बोलचाल और हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषाओं अर्थात् हिंदी और उर्दू पर लागू करके हिंदुस्तानी गढें । यदि वे हिंदुस्तानी को सम्पूर्ण भारत की भाषा अर्थात् राष्ट्र-भाषा बनाना चाहते हैं, तो वे इन सिद्धान्तों को संपूर्ण भारत की बोलचाल और संपूर्ण भारत की साहित्यिक भाषाओं पर लागू करके हिंदुस्तानी गढें । हम दावा करते हैं कि इस प्रकार जो हिंदुस्तानी बनेगी वह दोनों ही प्रकरणों—हिंदी प्रदेश के अथवा समूचे राष्ट्र के—में आधुनिक हिंदी से केवल इतनी भिन्न होगी कि उसमें आधुनिक हिंदी की अपेक्षा अरबी फारसी शब्दों की संख्या और भी कम होगी—वह बिलकुल वही होगी जो ऊपर प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार हिन्दी का परिष्कार करने के बाद हिंदी हो जायगी । यदि हिंदुस्तानीवाले दूसरे रास्ते से अर्थात् लिखित भाषा की दृष्टि से चलना चाहते हैं, तो वे हिंदी प्रदेश के प्रकरण में हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषाओं अर्थात् आधुनिक हिंदी और आधुनिक उर्दू में से उन शब्दों को लें जिन्हें हिंदी प्रदेश में अधिक व्यक्ति लिखते हों, और राष्ट्र-भाषा के प्रकरण में खड़ी बोली को आधार मान कर संपूर्ण भारत की साहित्यिक भाषाओं में से उन शब्दों को लें जिन्हें अधिक व्यक्ति लिखते हों । हम दावा करते हैं कि इस प्रकार जो हिंदुस्तानी बनेगी उसमें हिंदी प्रदेश के प्रकरण में आधुनिक हिंदी की अपेक्षा एक भी अरबी फारसी शब्द अधिक न होगा, और राष्ट्र-भाषा के प्रकरण में वे वह आधुनिक हिंदी से भी अधिक संस्कृत-निष्ठ होगी । परन्तु हिंदुस्तानीवाले कहीं ठहरे, अपने श्रीमुख से किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करें तब तो । सिद्धांत का तो यह भी तकाजा है कि एक भाषा हिंदुस्तानी एक ही लिपि में लिखी जाय\*, और वह लिपि ऐसी हो

\* पं० राधेग्याम कथावाचक ने एक बार 'उर्दू' हिन्दी से अधिक बोली

कर बड़े बड़े भारतीय नेताओं और विद्वानों तक को भ्राति में डाल देनेवाले 'हिन्दुस्तानी' शब्द के लुप्त रूप का भण्डाफोड किया, लेकिन आल इंडिया रेडियो की नीति 'अब भी जहाँ की तहाँ है'—उसके अधिकारियों ने हिन्दी-भाषा को बहिष्कृत करने का बीड़ा सा उठा लिया है। हिन्दुस्तानी के जाल में फँसे हुए लोग अभी स्वतंत्र हुये हैं कि नहीं, यह हमें अभी देखना है। उससे मुक्त होने का सबसे अच्छा उपाय है कि वे परिइत रविशकरजी की पुस्तकों को पढ़ लें। मैं तो प्रत्येक हिन्दी प्रेमी और देश-भक्त का यह कर्तव्य समझता हूँ कि वह इन पुस्तकों को पढ़े और हिन्दुस्तानी के घोखे से शीघ्र से शीघ्र सावधान हो जाय।

परन्तु, क्या हम हिन्दीवालों ने कभी यह भी सोचा है कि हमारी भाषा पर होनेवाले इन अत्याचारों के लिये स्वयं हमारा उत्तरदायित्व कहाँ तक है? हमारे किन अपराधों और हमारी किन त्रुटियों और निर्बलताओं के कारण हिन्दी इस अपमानित स्थिति में आ पड़ी है? हमने हिन्दी का मन्तक ऊँचा करने के लिये अभी तक क्या किया है? इन प्रश्नों का उत्तर हिन्दी प्रदेशों के केन्द्र सयुक्त-प्रान्त पर ही नज़र डालने से मिल जायगा—

( १ ) पाँच प्रचलित अँगरेजी के समाचार-पत्र—लेकिन क्या इनमें से किसी का भी सम्पादक हिन्दी की गोद में तुतलाया और पला हुआ व्यक्ति है? यदि होता तो 'आल इंडिया रेडियो की हिन्दी-विरोधी नीति एक पग भी आगे न बढ़ सकती। इनमें से किस समाचार पत्र ने किसी हिन्दी-विरोधी नीति के विरुद्ध 'आन्दोलन' किया है? यह विश्वास करने को मंरा जी नहीं चाहता कि अब तक अँगरेजी समाचार-पत्रों के सम्पादन की योग्यता रखनेवाला कोई हिन्दी का लाइला पैदा ही नहीं हुआ।

( २ ) हमारे प्रात के सबसे बड़े जगद्विख्यात नेता को हमारी प्रमुख प्रान्तीय भाषा हिन्दी के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं—शायद वह टूटी फटी ही हिन्दी लिख सकता हो। और उसकी इस उदासीनता ने हमारे अन्व

आरोप करनेवाले डा० राजेन्द्रप्रसाद ने बिहार पर लाटा और अब फिर लादना चाहते हैं। यदि वे वास्तव में हिंदी को कृत्रिम भाषा समझते हैं, और उर्दू को अकृत्रिम भाषा समझते हैं, तो समझ में नहीं आता वे हिन्दुस्तानी क्यों गढ़ना चाहते हैं, उर्दू को ही वे वास्तविक हिन्दुस्तानी और बिहार की भाषा क्यों नहीं घोषित कर देते? यदि वे उर्दू को भी कृत्रिम समझते हैं, तो समझ में नहीं आता कि वे दो कृत्रिम भाषाओं हिंदी और उर्दू से कृत्रिम उपायों से एक अकृत्रिम हिन्दुस्तानी किस प्रकार मय कर निकाल लेंगे। हाँ, यदि हिन्दुस्तानी, श्री आनन्द कौसल्यायन के शब्दों में, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की नहीं, हिन्दू-मुस्लिम पैक्ट की भाषा है, तो बात दूसरी है। और वह पैक्ट भी कैसा जिसकी नाब में पानी मरता है, जो बनावटी और अस्थाई है, और जिस पर एक फरोक तो जान देने को तैयार है, दूसरा दस्तखत करने को भी तैयार नहीं—जिसे मान कर अपनी इमानदारी दिखाने के लिये एक तो अपनी गर्दन काटने को तैयार है (बल्कि काट रहा है), दूसरा अपनी मूँछें नीची करने को भी तैयार नहीं! यह याद रहे कि बिहार की कांग्रेस सरकार ने हिन्दुस्तानी गढ़ कमेटी बैठाई, और बिहार पर हिन्दुस्तानी को लाटा, परन्तु सीमा-प्रांत की कांग्रेस सरकार ने शुद्ध उर्दू और केवल उर्दू लिपि छोड़ कर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी या लिपि से नाता नहीं जोड़ा \*। यह भी याद रहे कि डा० राजेन्द्रप्रसाद की राय में, मालूम होता है, 'हिन्दुस्तानी' केवल बिहार के हिन्दुओं की 'स्वाभाविक' भाषा है, क्योंकि राजेन्द्र-प्रसाद-इक समझौते के अनुसार बिहार के मुसलमान छात्र 'हिन्दुस्तानी' पढ़ने के लिये बाध्य नहीं किये गये—उन्हें 'हिन्दुस्तानी' के बजाय उर्दू पढ़ने का विकल्प दिया गया, परन्तु हिन्दू छात्रों को यह विकल्प नहीं दिया गया। यह है डा० राजेन्द्रप्रसाद की 'अकृत्रिम' हिन्दुस्तानी, और कांग्रेस की तथाकथित कामन भाषा, राष्ट्र-भाषा का पोलखाता।

\* आगे 'हिन्दुस्तानी की बत्ता' शीर्षक प्रकरण भी देखिये।

कुछ मुसलमान सज्जनों ने भाषण दिये—उर्दू में, ठीक है ऐसा तो होता ही। अब उठे एक एक करके हमारे दो नेता—दोनों हिन्दी के यशस्वी विद्वान् और लेखक। कुछ मनचले साहसी छोकरो ने आवाज लगाई 'उर्दू, उर्दू'—और यह लीजिये उर्दू। फिर क्या था, वे छोकरे विजय से फूल गए और हिन्दी वाले विद्यार्थी मुँह बाये, मुँह ताकते रह गये। हमने मौलाना अबुलकलाम आजाद, श्री रफी अहमद किदवाई, आदि किसी भारतीय मुस्लिम नेता को हिन्दी में लिखते-बोलते न देखा है और न सुना है। क्यों ? क्योंकि उर्दू अपने नाम से अथवा हिन्दुस्तानी के नाम से उर्दू ही रहना चाहती है, हिन्दी अपने को चाहे नष्ट कर डाले।

( ३ ) लखनऊ की बड़ी प्रदर्शनी ( १९३६ )—एक पडाल के नीचे 'हिन्दुस्तानी ऐकेडमी' की एक बैठक में हिन्दुस्तानी की समस्या हल हो रही थी। जा बैठा। देखता क्या हूँ कि 'आमफहम जुवान' हिन्दुस्तानी का ही समर्थन करते हुए उर्दू वाले बड़े जोश खरोश से फारसी बूक रहे थे—और ढिलमिल हिन्दी वाले भी, जिनमें हिन्दी के कुछ दिग्गज विद्वान भी थे, ( कदाचित तकल्लुफ में आकर ) उर्दू में ही भाषण देने का प्रयत्न कर रहे थे। हिन्दुस्तानी तो कुछ थी ही नहीं, हिन्दी भी न रही, रह गई केवल कोरी उर्दू—न रहेगा बॉस और न बजेगी बॉसुरी। उठा, और इन हिन्दी वालों से कुछ कुपित, कुछ निराश, कुछ इन पर हँसता और कुछ इन अशुभ लक्षणों से हिन्दी पर आगे आने वाले सकट का अनुमान करता अपने घर चल दिया।

सारांश यह कि जब तक हिन्दी वाले स्वयं अपने ही इन अपराधों से मुक्त न होंगे, तब तक हिन्दी-माता अपने ऊपर दूसरो द्वारा किए हुये अत्याचारों पर कम रोवेगी, अपने ही पुतों की निष्क्रियता और कर्तव्यहीनता पर सिर पटकती रहेगी। यदि उसके ही बेटे ऐसे न होते तो कैसे कोई उसका अपमान कर सकता ? अभी बहुत देर नहीं हुई है—क्या हम अपने

भारत की साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार क्यों बनाया जाय ? ( एक वाग प० मुन्टरलाल ने फरमाया कि राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी का आदर्श दिल्ली नगर की गलियों में बोली जाने वाली हिन्दुस्तानी है । ) यदि आज खड़ी बोली युक्त-प्रान्त, बिहार, मध्य-प्रान्त और गजम्यान की साहित्यिक भाषा, या राष्ट्र भाषा का आधार मानी जा रही है, तो इसका कारण यह नहीं है कि खड़ी बोली एक या दो जिलों की मातृ-भाषा है, वरन् यह है कि खड़ी बोली दूर दूर तक फैल गई है, दूर दूर तक बोली जा रही है और सेकड़ों वर्षों के दौरान में खड़ी बोली का एक ऐसा स्वरूप तैयार हो चुका है जो हिन्दी प्रान्तों में और सारे देश में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये सुलभ है । तात्पर्य यह कि पेशावर से पटना तक के प्रदेश की साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल नहीं, वरन् खड़ी बोली का वही स्वरूप हो सकता है जो इस प्रदेश के अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये सुलभ हो, अर्थात् उसमें हिन्दी प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित शब्द ही रक्खे जा सकते हैं । देश की राष्ट्र-भाषा साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार भी किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल नहीं, वरन् खड़ी बोली का वही स्वरूप हो सकता है जो देश के अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये सुलभ हो, अर्थात् उसमें देश में सबसे अधिक प्रचलित शब्द ही रक्खे जा सकते हैं । जैसा पहले कहा जा चुका है, दोनों ही दृष्टियों से यह आधार आधुनिक खड़ी बोली हिन्दी में अन्तर्निहित है, और यदि खड़ी बोली के इस सर्वाधिक सुलभ स्वरूप के आधार पर सर्वाधिक सुलभता के सिद्धान्त के अनुसार ही एक साहित्यिक हिन्दुस्तानी का निर्माण किया जाय, तो वह आधुनिक साहित्यिक हिन्दी से भिन्न न होगी । दूरे शब्दों में, आधुनिक हिन्दी ही हिन्दी प्रदेश और सम्पूर्ण देश के लिये सबसे अधिक सुलभ और सबसे अधिक उपयुक्त हिन्दुस्तानी है । यदि हिन्दुस्तानी वाले हिन्दी उर्दू की खिचड़ी किसी जनतन्त्रात्मक सिद्धान्त के अनुसार

शब्दों का भी बहिष्कार होकर उनके स्थान पर अरबी फारसी बहुल उर्दू शब्दों को इननी भरमार हो जायगी कि वह वही हिन्दुस्तानी बन जायगी जो ऐंग्लो-प्रसिद्ध गुट्ट को अभीष्ट है ।

हम यह मानते हैं कि उन्नतिशाल भाषा पढ़ासो भाषाओं के ही नहीं प्रत्युत विदेशी भाषाओं के शब्दों से भी अपने शब्द-भाण्डार का भरने में आगा-पीछा नहीं करती । पर इसका यह अभिप्राय कभी नहीं है कि अपने आत्मसात किये हुये शब्दों का या उपजोव्य भाषा के शब्दों का बहिष्कार करके दूसरी भाषा के शब्दों को अनायास जाय, उनके पीछे दौड़ा जाय ।

वर्षा की हिन्दुस्तानी कैसा साहित्य निर्माण कर रही है, इसके कुछ उदाहरण देखिये :—

‘खेनी की शिक्षा’—एक सौ तीस पृष्ठों की ग्यारह अध्यायों में विभक्त यह एक पुस्तक है । यह ‘खेनी शिक्षण’ नाम की मराठी पुस्तक का अनुवाद है । इसके प्रथम दो अध्यायों में ही उर्दू के शब्दों तथा वाक्यांशों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, देखिये :—वाग बग चें, ताल्लुक, नजदीकी सम्बन्ध, बगेरा, मौजू, मददगार साबित होग, कदरत, जिन्दगी गुजारनी, इम्तहानों, वेमजा, वेहद ताकतवर, खुदा की शान, जिन्दगी की अजमत, गुजरेग, कुदरत के ये एलची, होशियारी, चीज में खूबसूरती, तरक्की जरूर हागी, गौर करने को ताकत, हासिल, बजह, बाफायदा सोचने का माद्दा पैदा होगा, बयान, खयालो को जाहिर करना, पावन्दी, एहसास, मुसव्वरी, आवाज, बारीक, ज़्यादा मजबूत, खासकर, चूँकि ज्यादातर, कौमी फायदा, शर्को, कौमी निगह, मुताबिक, दस्तकारी के जरिये, बकन, मादरी ज़बान, नज्म, मुकद्दम धदे, मजबूतों की तरह, जरूरी, शामिल, जमातो, मक़्दुद्, गुजाइश, और हालात मुआफिक हों, तनखाह, पैदावार का सवाल, गुलामो, बदनाम, नसोब, बदकिस्मती, आजादा की तरफ, तालीम, शानदार, खास पहलुओं, खास मरकज, सिर्फ, जरूरी पहलुओं पर खास ध्यान, काम-



बोली में यही अन्तर होता है। किसी प्रदेश की साहित्यिक भाषा बही कहलाती है जिसमें उम प्रदेश की बोलियाँ अन्तर्निहित होती हैं। इस प्रकार आधुनिक हिन्दी हिन्दी प्रदेश की साहित्यिक भाषा है। यदि वह इसी रूप में अधिक मनुष्यों की मातृ-भाषा नहीं है, तो उर्दू भी इसी रूप में अधिक मनुष्यों की मातृ-भाषा नहीं है, पर्षा की हिन्दुस्तानी भी अधिक मनुष्यों की मातृ-भाषा नहीं है, कोई भी साहित्यिक हिन्दुस्तानी उसी रूप में अधिक मनुष्यों की मातृ-भाषा नहीं हो सकती, आधुनिक साहित्यिक बँगला भी उसी रूप में अधिक बंगालियों की मातृ-भाषा नहीं है, और आधुनिक साहित्यिक गुजगनी, मराठी, तामिल या तेलगू भी उन्हीं लिखित रूपों में अधिक व्यक्तियों की मातृ-भाषायें नहीं हैं (और इन भाषाओं में भी हिन्दी की भाँति ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, परन्तु उनके अन्य पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं, अर्थात् इन भाषाओं के भी लिखित रूपों और बोलचाल के रूपों में वही अन्तर है जो लिखित हिन्दी और बोलचाल की हिन्दी में है, और जो सर्वत्र लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा में होता है), परन्तु इस कारण उन्हें कृत्रिम बताने का या उनमें अरबी फारसी का पुट डेने का साहस किसी ने नहीं किया।

---

## परिशिष्ट ४ पर टिप्पणी

( लेखक—रविशंकर शुक्ल )

वर्धा की हिन्दुस्तानी के पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही है वह तो ऊपर के लेख से प्रकट है ही, इस लेख से बिहार की हिन्दुस्तानी पर भी भरपूर प्रकाश पड़ता है। यह है बिहार जैसे हिन्दी प्रान्त की उस हिन्दुस्तानी का स्वरूप जो बिहारी जनता पर 'राष्ट्रीय सरकार' द्वारा लादी जा रही है और बिहारो बालको के मस्तिष्क में प्रारम्भ से हो पैटाई जा रही है ! देवनागरी पुस्तकों में हिन्दुस्तानी के नाम पर भाषा की जो दुर्दशा की गई है उससे अधिक आश्चर्य फारसी लिपि की पुस्तको की भाषा देख कर होता है। इन उर्दू पुस्तकों में हिन्दी के साधारण से साधारण देशज शब्द तक के लिये स्थान नहीं। उनके स्थान में भी ढूँढ ढूँढ कर अरबी फारसी शब्दों को ठँसा गया है, और जहाँ यह सम्भव नहीं वहाँ अँगरेजी शब्द रक्खा गया है ( जैसे 'अडीटर'—'सम्पादक' सह्य नहीं ) और वस्तुतः क्रियाओं और विभक्तियों को छोड़ कर भाषा में कोई भी भारतीय तत्व न रहने दिया गया है। ऊपर से तुरा यह कि इस भाषा का नाम रक्खा गया है 'हिन्दुस्तानी' और उसे जनता की सरल भाषा कह कर लादा गया है बिहारी जनता पर जिमकी ( हिन्दू या मुसलमान ) मातृ-भाषायें भोजपुरी, मथिली और मगाही हैं और जिसने अपनी वाणी बिद्यापति ऐसे कवि से पाई है ! यदि पंजाब, सिन्ध या सीमा-प्रान्त का मगल्ला होता तो वहाँ तो वैशिक स्कूलों की 'हिन्दुस्तानी' बनाई जाती उर्दू और पुस्तकों को देवनागरी लिपि में भी न

करने में म्लग्न है। हिन्दी वाला को तनिक चिन्ता से बनाने की जरूरत है।

## १. हिन्दुस्तानी आन्दोलन का एकतरफा स्वरूप

हिन्दुस्तानी आन्दोलन एकतरफा है। कठने के लिये तो हिन्दुस्तानी वाले हिन्दी और उर्दू के साथ एक समान व्यवहार करना चाहते हैं, परन्तु सत्य कुछ और ही है। हिन्दी का—और केवल हिन्दी का—अस्तित्व ही मिटाया जा रहा है, उस भारतीय भाषाओं की सूची में से ही निकाला जा रहा है। निम्नलिखित मर्थों पर गौर कीजिये—

१ काग्रेस वाले अर्थात् सब हिन्दू अपनी राष्ट्रीयता दर्शाने के लिये 'हिन्दुस्तानी' अर्थात् जवगदस्ती उर्दू शब्द मिला-मिला कर—कोई कोई सा शब्द, कोई कोई सा शब्द—बोलें, सब मुसलमान—लीगी या काग्रेसी या नेशनलिस्ट—फिर भी शुद्ध उर्दू बोलें। विभिन्न प्रान्तों वाले अपनी अपनी प्रान्तीय भाषायें बोलें। 'हिन्दी' कोई नहीं बोलें।

२. आन्ध्र प्रान्तीय काग्रेस कमेटी अपनी सारी कार्रवाई तेलगू में करे, महाराष्ट्र काग्रेस कमेटी मराठी में, पंजाब काग्रेस कमेटी उर्दू में, युक्त-प्रान्तीय काग्रेस कमेटी, बिहार काग्रेस कमेटी और मध्य-प्रान्तीय काग्रेस कमेटी 'हिन्दुस्तानी' में। 'हिन्दी' में कार्रवाई कही नहीं।

३ विभिन्न प्रान्त अपनी अपनी प्रान्त-भाषा को राज-भाषा बनायें, पंजाब और सीमा-प्रान्त ( जो काग्रेस के ही अधिकार में है ) जहाँ की मातृ-भाषा उर्दू नहीं है, उर्दू को राज-भाषा बनायें, हिन्दी प्रान्त अर्थात् युक्त-प्रान्त, बिहार और मध्य-प्रान्त 'हिन्दुस्तानी' ( और 'दोनों लिपि' ) को राज-भाषा बनायें। 'हिन्दी' कहीं की, किन्ती प्रान्त की राज-भाषा नहीं।

४ 'बुनियादी तालीम' ( बेसिक एजुकेशन ), 'नई तालीम', आदि वर्धा की शिक्षा-योजनाओं का माध्यम विभिन्न प्रांतों में हो विभिन्न प्रांतीय भाषायें, पंजाब में उर्दू, बिहार और मध्य-प्रान्त ( विद्या-मन्दिर योजना ) में 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि'। 'हिन्दी' माध्यम कहीं नहीं।

में अधिक की भाषा हिन्दी है। इन प्रान्तों को हिन्दी को बनाये रखने की सजा दी जाती है। पंजाब में जाकर 'हिन्दुस्तानी' चलाने की फिक्र कोई नहीं करता। वहाँ तो उर्दू ही सबकी 'हिन्दुस्तानी' होकर रहना चाहती है और कांग्रेस इससे सहमत है।

जहाँ एक ओर फारसी लिपि स्वयं राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्रचलित की जा रही है, वहाँ दूसरी ओर बिहार और मध्य-प्रान्त में आदिवासियों, सथालों तथा अन्य पिछड़ी हुई और जंगली जातियों में मिशनरी रोमन लिपि का प्रचार कर रहे हैं जो उनके ईसाइत प्रचार का ही एक अंग है, क्योंकि इस प्रकार वे इन लोगों को अनायास भारतीय सभ्यता और मस्कृति के प्रभाव से दूर ले जाते हैं। इन प्रान्तों में रोमन लिपि की समस्या भीषण रूप धारण करने वाली है, और लिपि का एक और पाकिस्तान बनने वाला है। परन्तु राष्ट्रीय सरकार डकुर-डकुर देख ही नहीं रही है, रोमन लिपि के प्रचार में सहायता दे रही है \*। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि इस देश की भाषा बने उर्दू और लिपि हो रोमन। इसी रोमन उर्दू को वह सेना में, सरकारी दफ्तरों में, रेडियो, आदि में प्रचारित कर रही है। इसी कारण बिहार और मध्य-प्रान्त में हाँ नहीं, आसाम, बंगाल, आदि में भी पिछड़ी हुई जातियों में और ट्राइबल एरियाज में जो स्वयं वायसराय के आधीन हैं रोमन लिपि का ज़ार शोर से प्रचार किया जा रहा है। इधर युक्त-प्रान्त की सरकार ने रोमन

---

७७ बिहार के पिछले कांग्रेसी मंत्री-मडल के समय में बिहार प्रान्तीय निरक्षरता निवारण सघ ने सथाल बच्चों की पाठ्य पुस्तकें रोमन लिपि में छपाईं। सथाल परगना में रोमन लिपि प्रचार को सरकार से पूरी सहायता मिल रही है। इधर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर निकाल कर सथाली स्कूलों की आरम्भिक कक्षाओं में रोमन लिपि को अनिवार्य कर दिया है। इस सब में डा० सैयद महमूद का हाथ प्रत्यक्ष है। उनकी राय में जहाँ फारसी लिपि को अकेले या देवनागरी के साथ चलाना संभव नहीं, वहाँ रोमन लिपि का बखेड़ा खड़ा हो जाय तो अच्छा।

एक शब्द नहीं निकला। वह तो 'साम्प्रदायिकता' होती ! ) उनकी नई राष्ट्रीयता तो यह चाहती ही है कि हिन्दी की सुन्नत हो जाय जिमसे 'हिन्दू-मुस्लिम ऐक्व' स्थापित हो सके। यदि सरकार ने 'हिन्दुस्तानी' को उर्दू से अभिन्न मान लिया तो उस पर भी कांग्रेसवालों को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि मुसलमान इस 'हिन्दुस्तानी' के साथ तभी तक हैं जय तक 'हिन्दुस्तानी' उर्दू का ही दूसरा नाम है, और जिस दिन 'हिन्दुस्तानी' उर्दू से कुछ भिन्न हुई उस दिन उनका हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानीवाली राष्ट्रीयता का ढकोसला एक घटा नहीं टिक सकेगा। उन्हें अपना ढकोसला अधिक प्रिय है, इसलिये कुछ नहीं बोलते। मुसलमान तो अति सन्तुष्ट हैं ही—चलो उर्दू की उर्दू रही और 'हिन्दुस्तानी' नाम के प्रताप से हिन्दी की जड़ ही कट गई। हिन्दुस्तानीवाले क्यों बोलें ? उनकी तो मनचीनी ही हो रही है न। X

\* यह निश्चित है कि केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार भी इस व्यवस्था को नहीं बदलेगी। वह आज की भाँति इन्फर्मेशन फिसम, न्यूज़ फिसम, आदि का निर्माण भी प्रान्तीय भाषाओं और 'हिन्दुस्तानी' में करेगी, हिंदी में नहीं। ( देखिये उत्तर-परिशिष्ट २ )

X यदि कोई हिन्दुस्तानीवालों से पूछे कि हिन्दुस्तानी कहाँ है, तो वे उत्तर देंगे, फिजहाल हिन्दुस्तानी के दो प्रचलित रूप हैं—हिंदी और उर्दू, परन्तु वे रेडियो से यह कहने को तैयार नहीं कि वे दोनों प्रचलित रूपों में सबरें ब्राडकास्ट करे। वे रेडियो से यह कहने का भी कष्ट नहीं करते कि वह हमारी 'हिन्दुस्तानी' में ही ब्राडकास्ट करे। हाँ, कभी कभी यह सोचकर कि कहीं हिंदीवाले 'हिन्दुस्तानी' से बेतरह न भड़क उठें श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल यह अवश्य कह देते हैं कि रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' उर्दू है। परन्तु क्या वे यह बताने का कष्ट करेंगे कि रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' में ऐसे शब्द कौन से हैं जो उनके 'हिन्दुस्तानी अदब' ( श्री श्रीमन्नारायण ने हाल में एक लेख में बताया है कि 'हिन्दुस्तानी' के नमूने रखने के लिये वर्षों में हि. प्र. सभा कुछ 'हिन्दुस्तानी अदब' तैयार करा रही है ) में नहीं हैं, अर्थात् रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' में प्रयुक्त होनेवाले ऐसे शब्द कौन से हैं जिन्हें वे गैर-हिन्दुस्तानी करार देंगे ?

गया है, मानों ये शब्द पहले मय शब्दों की अपेक्षा सरल हों, 'आमफहम' हो, लेकिन तब भी क्या दोनों लिपियों में एक ही भाषा लिखी जा सकी ? देवनागरी में 'क्रियात्रां' है, उर्दू में 'इफत्राल' है ('फेन' का बहुवचन 'फेलो' हो जाता लेकिन तब तो वह हिन्दी व्याकरण के अनुसार होता !), देवनागरी में 'पुल्लिंग' है तो उर्दू में 'मुजक्कर' है, देवनागरी में 'स्त्रीलिंग' है तो उर्दू में 'मुबन्नस' है ।

दूसरा उदाहरण लें—पृष्ठ १४ पर—“मुतकल्लम-हाजिर-गायब हालतो की मश्क फेले-हाल के मुजक्कर मुबन्नस की सूक्तों में करा दी जाय ।” दोनों लिपियों में एक ही भाषा लिखने के इच्छुकों को देवनागरी में इसे यूँ लिखना पड़ता है—“उत्तम और मव्यम पुरुष की मश्क वर्तमान-काल के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों में करा दी जाय ।” दोनों वाक्यों में एक 'मश्क' शब्द को छोड़कर कौन सा विशेष शब्द समान है ? यदि 'हम 'अभ्यास' की जगह इस 'मश्क' शब्द को ही अपनी भाषा में जगह दें और हिन्दुस्तानी की खातिर 'अभ्यास' को देश निकाला भी ठे ठें तब भी क्या इससे वह हिन्दी 'हिन्दुस्तानी' हो जाती है ?

अभी अभी दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा के १२वें-१३वें पदवी-दान के अवसर पर जनाब सैयद अब्दुल्ला वरेलवा साहब ने एक तकरीर फरमाई है । उसमें आपने दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा को नेक सलाह दी कि वह अपना नाम 'हिन्दी प्रचार सभा' न रखकर 'हिन्दुस्तानी प्रचार सभा' में तबदील कर दे । आप फरमाते हैं—“हिन्दी नाम में पैदा होने वाले भ्रम को हटाने के लिये मैं अपनी अपील पर जोर दूँगा, खाम करके इसलिये कि मुझे यकीन है कि इस तवादले से मुसलमानों के मन पर अच्छा असर पड़ेगा ।” कुछ लोग कहा करते हैं कि नाम में क्या रक्खा है, लेकिन वरेलवा साहब नाम के तवादले से ही मुसलमानों के मन पर बड़ा अच्छा असर पैदा करने की उम्मीद करते हैं । आपने अपनी तकरीर में फरमाया है कि

देश के लिये रेडियो की हिन्दुस्तानी को छोड़ भी दिया जाय, तो क्या हिन्दुस्तानी वालों ने 'हिन्दुस्तानी' के नाम के विषय में कोई सिद्धान्त निश्चित किया है, क्या उन्होंने अपनी नीति स्पष्ट की है ? नहीं। उनका मन में प्रत्येक हिन्दी शब्द और प्रत्येक उर्दू शब्द 'हिन्दुस्तानी' है, कोई शब्द गर-हिन्दुस्तानी नहीं, कोई शब्द ऐमा नहीं जो 'हिन्दुस्तानी' में न आ सकता हो। फिर 'हिन्दुस्तानी' क्या है ? कोई व्यक्ति यह तो कह नहीं सकता कि जैसी हिन्दुस्तानी में लिखता हूँ वही 'हिन्दुस्तानी' है \*। सिद्धांतों की अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति अपनी हिन्दुस्तानी के नमूने में भाषा की सम्पूर्ण शब्दावली को रख भी नहीं सकता जिनमें टटा मिट जाय। परन्तु 'हिन्दुस्तानी' चाहिये अभी ही। सरस्वती कब प्रकट होगी ( और होगी भी या नहीं ), कब जनता 'हिन्दुस्तानी' का एक सर्वमान्य, निश्चित स्वरूप स्वीक करेगी—यह सब तो भविष्य की बातें हैं, परन्तु 'राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी है', यह नारा लगानेवालों को और अपनी राष्ट्रीयता का ढोल पीटनेवालों को विभिन्न स्थलों पर प्रयुक्त करने के लिये एक 'राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी' चाहिये अभी ही। गांधीजी, मौलाना आजाद, प० नेहरू, प० गोविन्द वल्लभ पंत, श्रीमोहनलाल मकसेना, आदि जैसी भी भाषा बोलें, उस सबको 'हिन्दुस्तानी' का नाम तो दे दिया, परन्तु इनमें से काम नहीं चलता। सरकारी तौर से प्रयुक्त करने के लिये भी तो एक हिन्दुस्तानी चाहिये। सो इसके लिये हिन्दुस्तानी वालों ने एक अत्यन्त सरल और व्यावहारिक फार्मूला तैयार कर लिया। यह यह कि जहाँ पहले से उर्दू नहीं बँठी हुई

---

\* इस मामले में हिन्दुस्तानी वाले गांधी जी को 'हिन्दुस्तानी' को भी आदर्श नहीं मान सकते। उन्हें गांधी जी का हिन्दुस्तानी-वाच प्रिय है, गांधी जी को 'हिन्दुस्तानी' नहीं। ( और गांधी जी को हिन्दुस्तानी भी ऐसी इसलिये है कि उन्हें अभी तक यथेष्ट उर्दू आती ही नहीं। वे उर्दू सीख रहे हैं, अभी उसमें पारंगत नहीं हुए। )

श्रीआनन्द कौसल्यायनजी ने कहा—

“कल और आज मैंने जो भाषण सुने, उनसे मुझे आशा की बनिस्वत निराशा ही अधिक हुई ।... ‘हिन्दी’ और ‘उर्दू’ शब्दों से तो मेरे दिमाग से कुछ अर्थ निकलता है, मगर ‘हिन्दुस्तानी’ क्या चीज है ? .....मुख्य प्रश्न लिपि का है ।... मेरी समझ में नहीं आता कि एकता के नाम पर हम जो बात भाषा के नाम पर कहते हैं, वही लिपियों के बारे में क्यों न कहे ? एक भाषा की तरह एक लिपि का आग्रह हम क्यों न रखें ?”

श्रीसिद्धनाथजी पत ने कहा—

“लिपि के बारे में यह तय किया जाय कि जिसे जो लिपि पसन्द होजाय, उसे वह स्वीकार करे । दोनों लिपियाँ लाजिमी करने से फ़ायदा न होगा । ‘राष्ट्रभाषा एक, राष्ट्रलिपि अनेक’ वाला नया नारा देश में काफ़ी गड़बड़ी करेगा । ..दक्षिण भारत में हमने पिछले २५-२६ वर्षों से देवनागरी के द्वारा प्रचार करते हुये बड़ी सफलता पाई है, और हम देवनागरी के देशव्यापी प्रचार के क़ायल हो गये हैं । इसलिये हमें देवनागरी के द्वारा हिन्दुस्तानी का प्रचार करने को आजादी मिलनी चाहिये ।”

इस सम्मेलन में सौलाना सैयद सुलेमान नदवी डा० जाफ़र हसन, श्रीसत्यनारायण, डा० अब्दुल हक और डा० ताराचन्द के बड़े लम्बे चौड़े भाषण हुये, जिनमें उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा की जबरदस्त बकालत की ।

इस सम्मेलन में दो ‘ठहराव’ पास हुये थे । पहला ठहराव प० सुन्दरलाल ने पेश किया—

“इस कान्फरेन्स की राय में हिन्दुस्तानी ज़बान को फैलाने और तरकी देने के लिये इस बात की जरूरत है कि हिन्दी जाननेवाले उर्दू लिखावट को और उर्दू जाननेवाले नागरी लिखावट को जल्दी से जल्दी सीख लें और जो लोग इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानते, वह भी दोनों ही को सीखें, ताकि सब लोग हिन्दुस्तानी के रूपों—हिन्दी और उर्दू को—पढ़



प्रमिद है, बदल देगी। रेडियो के सर्वेसर्चा श्री ए० एम० बोखारी के सहोदर भ्राता श्री जट० ए० बोखारी ने ( जो सेना की 'हिन्दुस्तानी' निर्मित करने के लिये नियुक्त हुये थे ) भारतीय सेना की रोमन उर्दू का यथाविधि नामकरण 'रोमन हिन्दुस्तानी' कर दिया है, और अब यही नाम चलता है। यह सोचना बेबल दुगगा है कि केन्द्र की राष्ट्रीय सरकार इस 'हिन्दुस्तानी' में या केन्द्र की सरकारी 'हिन्दुस्तानी' में कोई परिवर्तन करेगी। जिन्हें राष्ट्रीय सरकारों से बहुत आशा है, उनका स्वप्न भग करना आवश्यक है। युक्त-प्रान्त के पिछले कांग्रेसी मन्त्रिमंडल के समय में प्रान्तीय असेम्बली के एक सदस्य श्री चरणसिंह के एक प्रश्न के उत्तर में कांग्रेसी पार्लामेन्टरी सेक्रेटरी ने फरमाया ( ७ फरवरी, १९३६ ), "अदालती भाषा हिन्दुस्तानी है, और सरकार दोनों लिपियों को समान महत्व देगी", अर्थात् कांग्रेसी मन्त्रिमंडल ने अदालतों की भाषा में बेबल इतना 'सुधार' किया कि उसका नाम जो अभी तक उर्दू था बदलकर 'हिन्दुस्तानी' रख दिया, और गर्व के साथ युक्त-प्रान्त में उर्दू लिपि को अनन्त काल तक देवनागरी के समान महत्व देने की स्पष्ट घोषणा करके अपनी राष्ट्रीयता, निष्पक्षता एवं न्याय-प्रियता का परिचय दिया। इन बातों में एक बड़ी गहरी चाल है। वह यह कि अगर नाम उर्दू रहेगा तो हिन्दी वाले माँग करेंगे कि हिन्दी क्यों नहीं, और इस प्रकार हिन्दुस्तानी वाली राष्ट्रीयता खटाई में पड़ जायगी, वस चट से नाम 'हिन्दुस्तानी' धर दो, कट गई हिन्दी वालों की माँग की जड़। और भाषा ? उसमें कोई परिवर्तन कैसे किया जा सकता है ? मुसलमान जो रुष्ट हो जायेंगे। और, हिन्दुओं में विरोध करने का साहस कहाँ। वे तो राष्ट्रीयता के शिकजे में जकड़े हुये हैं ( अगर कुछ कहे तो 'साम्प्रदायिक', 'तग-खयाल' न घोषित किये जाँय ? )। और फिर हिन्दू तो इस भाषा को अब तक सहन करते ही आ रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक यह मालूम पड़ेगा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु मुसलमान तो कहेंगे, 'यह हिन्दू राज है, हिन्दू रिवाज-

## परिशिष्ट ७

### दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा किधर ?

( लेखक—रविशंकर शुक्ल )

लगभग ३० वर्ष हुए, महात्मा गांधी ने एक राष्ट्र-भाषा और एक राष्ट्र-लिपि की आवश्यकता अनुभव की। उन्हें हिन्दी और देवनागरी क्रमशः राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि होने योग्य जँची। वे इस निष्कर्ष पर देश की भाषा-स्थिति पर निष्पक्ष भाव से विचार करके पहुँचे। उस समय आज जैसा साम्प्रदायिकता का दौर दौरा नहीं था। गांधीजी ने दक्षिण को उत्तर से राष्ट्र-भाषा के बन्धन में बाँधने के लिये दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से भी प्रकट है, दक्षिण भारत में राष्ट्र-भाषा हिन्दी और राष्ट्र-लिपि देवनागरी का प्रचार करना था। सभा अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल रही है। अपनी रजत जयन्ती के अवसर पर आज दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा अपनी जिन्दगी के पिछले २५ वर्षों पर सन्तोष भरी दृष्टि डाल सकती है। अब सभा की जिन्दगी का दूसरा दौर—हिन्दुस्तानी वाला दौर—आरम्भ होना चाहता है, अर्थात् सभा अब गांधीजी की नई परिभाषा के अनुसार दक्षिण में हिन्दी और उर्दू दोनों और देवनागरी और फ़ारसी लिपि दोनों का प्रचार करेगी, और राष्ट्र-भाषा सीखने के इच्छुक प्रत्येक दक्षिण-वासी को हिन्दी उर्दू दोनों और दोनों लिपियों सीखनी पड़ेंगी। इस दूसरे दौर के आरम्भ होने के अवसर पर सभा और हिन्दी के हितेषियों के विचार सभा के कार्य-कर्त्ताओं और सचालकों के सामने रखना अनुचित न होगा।

मुसलमानों को अप्रसन्न करने का साहस कर भी ले, परन्तु मौलाना आजाद, श्री आसफ़अली और श्री रफीअहमद किटबई से किस प्रकार निवृत्ते ? ये लोग न कहने लगेंगे, “क्यों, क्या यही तुम्हारी असलियत है ?” कांग्रेस में होने का वे इतना लाभ भी न उठावें ? पञ्जाब, सिन्ध, आदि में जा होता है सो तो ‘लीगी’ मुसलमान करते हैं, कांग्रेस को तो ‘साम्प्रदायिक’ न होना चाहिये । उसे तो ‘नेशनलिस्ट’ मुसलमानों का ध्यान रखना ही चाहिये । वस, यही उर्दू बहाल रहेगी, केवल नाम ‘हिन्दुस्तानी’ धर दिया जायगा जिससे सदा के लिये ‘हिन्दी उर्दू का भगड़ा’ खत्म हो जाय । सब जगह तर्क भी वही प० सुन्दरलाल या प० पत वाले दिये जायेंगे, अर्थात्, “कितने मुसलमान ऐसे हैं जो ‘बादी’, ‘प्रतिबादी’ समझते हैं, और कितने हिन्दू ऐसे हैं जो ‘मुद्ई’ ‘मुद्दालह’ नहीं समझते ? रेडियों का ऐसा कौन हिन्दू सुनने वाला है जो सुनते सुनते ‘आशार्थी’, ‘स्थामी’ और ‘नामानिगार’ नहीं समझने लगा है, और ऐसे मुसलमान सुनने वाले कितने हैं जो ‘दशमलब’, ‘राजनीतिक’ और ‘रुबाद-दाता’ समझ लेंगे ? हिन्दी वालों की माँग ‘साम्प्रदायिक’ है, ‘अराष्ट्रीय’ है, फूट डालने वाली है, आदि ।” चलो छुट्टी हुई । अब तक विदेशी सरकार ने उर्दू लाद रक्खी थी, किन्तु बड़ी बड़ी आशार्थे थी कि राष्ट्रीय सरकारें इस अन्याय को दूर कर जनता की हिन्दी को प्रतिष्ठित करेंगी । अब राष्ट्रीय सरकारें ही उर्दू का नाम ‘हिन्दुस्तानी’ धर कर, उस पर ‘राष्ट्रीयता’ की छाप लगा कर उसे जमी रहने देंगी । वोलो ‘राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी’ की जय !

कांग्रेस और हिन्दुस्तानी वालों की सरकारी नीति के अनुकरण पर और लोग भी ऐसा ही करते हैं । सब जगह लोग प्रायः यह प्रस्ताव करते

---

भाषा तेलगू होगी, और उसकी शिक्षा प्रत्येक हैदराबादी के लिये उसी प्रकार अनिवार्य होनी चाहिये जिस प्रकार बृटिश भारत में अँगरेज़ी की है । मूट से उत्तर मिला, “क्या शुद्ध तेलगू, बिना मराठी, तामिल आदि मिलाये हुये ?”

## परिशिष्ट ८

### महाराष्ट्र में हिन्दी-हिन्दुस्तानी का संघर्ष क्यों ?

( लेखक—ग० स० आपटे )

पिछले दिनों महात्मा गांधी के पूना में निवास करने तथा समय समय पर नेताओं के आगमन से राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य में कुछ सरगर्मी दिखाई देने लगी है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा संचालित राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के हिन्दी प्रचार का कार्य यहाँ काफी अरसे से हो रहा है और पूना तो उसका एक गढ़ सा बन गया है। राष्ट्रभाषा प्रचार की शिक्षाओं में महाराष्ट्र प्रांत के काफ़ी विद्यार्थी परीक्षा देते और उत्तीर्ण होते आये हैं। महाराष्ट्र के अच्छे से अच्छे विद्वानों का इस कार्य में बराबर सहयोग रहा है, किन्तु जब से गांधी जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन से अलग हुए हैं तब से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का भी काम यहाँ जोरो से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता श्री शंकरराव देव तथा ववाई के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री वी० जी० खेर, श्री टत्तो वामन पोद्दार, आदि नेता और विद्वान हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के काम में पूरा सहयोग दे रहे हैं, इससे इस ओर काफ़ी प्रगति दिखाई दे रही है। पहले तो हिन्दुस्तानी प्रचार का काम यहाँ एकदम ठप्प सा हो गया था क्योंकि अकेले काका माहव कालेलकर कहीं तक इसका भार वहन कर सकते थे, किन्तु जब से उसे देश की कुछ महान् शक्तियों का बल मिला है तब से हिन्दुस्तानी प्रचार के काम में चेतना आई है। इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के काम में किसी तरह की शिथिलता आ गई हो, किन्तु आज के वातावरण से यह

यह है उस हिन्दुस्तानी का स्वरूप जिसे राष्ट्रीय अथवा विदेशी, सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा हिन्दी प्रदेश पर बतौर मातृ-भाषा और प्रान्त-भाषा के और सारे ढेग पर बतौर राष्ट्र-भाषा के लादा जा रहा है। अरबी फारसी का जो रैला 'हिन्दी' नाम ने रोक रक्खा था, वह गाधीजी, हिन्दुस्तानी वालों और कांग्रेस द्वारा खोले हुये 'हिन्दुस्तानी' के फाटक में से अर्रा कर हिन्दी सत्कृति और हिन्दी भाषा को गर्क करना चाहता है।

हमने ऊपर देखा कि किस प्रकार हिन्दुस्तानी आन्दोलन और 'हिन्दुस्तानी' वाली राष्ट्रीयता हिन्दी को राष्ट्रीय और प्रान्तीय जीवन के प्रत्येक विभाग से जड़ सहित निकाल रही है। उसके स्थान में या तो ६० प्रतिशत उर्दू वाली 'हिन्दुस्तानी' है (उदाहरण, बर्धा की हिन्दुस्तानी, बिहार की हिन्दुस्तानी, युक्त-प्रान्त की हिन्दुस्तानी), या हिन्दुस्तानी नामधारी शुद्ध उर्दू है (उदाहरण, रेडियो, इन्फर्मेशन फिल्म्स, आदि की हिन्दुस्तानी)। उर्दू अपनी जगह पर वैसी ही स्थिर है। उसका बाल भी बॉका नहीं हुआ है और न हो सकता है। यह 'कामन भाषा', 'राष्ट्र-भाषा' केवल हिन्दी को चट कर जाना चाहती है। यह है हिन्दुस्तानी आन्दोलन का सच्चा स्वरूप। जो मुसलमान इस आन्दोलन के साथ हैं, वे इसलिये हैं कि उनकी उर्दू

---

की शिक्षा अनिवार्य कर दी। शीघ्र ही वह सब सिन्धी हिन्दुओं के लिये भी अनिवार्य कर दी जायगी। यह हिन्दुस्तानी कैसी है, यह घताने की ज़रूरत नहीं। परन्तु मझे की बात यह है कि सिन्ध सरकार ने इस हिन्दुस्तानी के लिये केवल उर्दू लिपि ठहराई। तर्क दिया, "क्योंकि यही लिपि सिन्धी लिपि से मिलती जुलती होने के कारण सिन्धियों के लिये सबसे सुगम है"। इस पर कांग्रेस वाले, हिन्दुस्तानी वाले सब चुप हैं। वे केवल बिहार में कैथी जाननेवाले बिहारियों के लिये या महाराष्ट्र में देवनागरी जानने वाले मराठियों के लिये हिन्दुस्तानी की लिपि केवल देवनागरी कभी न होने देंगे। वहाँ 'दोनों लिपि' अवश्य ठूसी जायँगी।

अराष्ट्रीय हो गया ! उनकी हिन्दुस्तानी की परिभाषा भी 'कांग्रेस की परिभाषा' हो गई ! क्या जोशीजी बतलाने को कृपा करेंगे कि कांग्रेस ने किस प्रस्ताव में राष्ट्रभाषा की परिभाषा दी है, और क्या देश के पाकिस्तानी प्रान्त भी अब तक गांधी जी के कारण सम्मेलन को 'खिराज' देते रहे हैं और अब गांधी जी के हट जाने के कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को खिराज देने लगे हैं ? क्या जोशी जी को विश्वास है कि हिन्दुस्तानी की परिभाषा को पाकिस्तानी प्रान्तों ने मान लिया है, अथवा क्या उनके 'सारे देश' में ये प्रान्त और ये लोग शामिल हैं ही नहीं ?

जोशी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का हिन्दुस्तानी प्रचार सभा से सम्बन्ध नहीं है और उसकी परिभाषा भी अलग है । सम्बन्ध नहीं है तो हो जायगा । परिभाषा भी शीघ्र वही हो जायगी । इसीलिये तो वह सम्मेलन से अलग हुई है । परिभाषा में और पाठ्य-क्रम में परिवर्तन करते करते ही तो होगा । अभी तो पाठ आरम्भ हुआ है ।

विभिन्न प्रान्तों की राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ अलग अलग होकर अलग अलग परिभाषा को मानकर चाहे जिस भाषा का अपने अपने प्रान्त में प्रचार करें, परन्तु वे उन्हें 'राष्ट्रभाषा' कैम कह सकती हैं ? महाराष्ट्र की जोशी जी वाली राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ही अपने आपको इम नाम से क्यों सम्बोधित करती है ? क्या उसे विश्वास है कि देश के हिन्दी प्रान्तों तथा अन्य प्रान्तों ने भी उसकी परिभाषा को मान लिया है ? जोशी जी के महाराष्ट्र ने यह कैसे समझ लिया कि हिन्दी प्रान्तों को अहिन्दी प्रान्त पर अपनी राष्ट्रभाषा लादने का अधिकार नहीं है लेकिन अहिन्दी प्रान्तों को हिन्दी प्रान्तों तथा अन्य प्रान्तों पर अपनी परिभाषा लादने का अधिकार है ?

हिन्दुस्तानी आन्दोलन से जो होना था सो हो रहा है । प्रत्येक प्रान्त की अलग अलग परिभाषा होगी, एक एक प्रान्त में दो-दो राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ हो जायेंगी, और 'हिन्दुस्थान' की राष्ट्रभाषा खटाई में पड़ जायगी।

## २. हिन्दुस्तानी वालों की कारगुजारी

यह तो सबको मालूम ही है कि नियमित हिन्दुस्तानी चक्र-प्रवर्तनम् गाधी जी के फरवरी, १९४५ में वर्धा में हुये 'हिन्दुस्तानी प्रचार कान्फ्रेंस' से हुआ। इस कान्फ्रेंस का कुछ हाल परिशिष्ट ६ से मिल सकता है। इस कान्फ्रेंस में गाधीजी ने यह विश्वास दिलाया कि "हिन्दी साहित्य सम्मेलन के खिलाफ कुछ काम न होगा", परन्तु शीघ्र ही स्वयम् गाधीजी ने 'मुखालफत' का श्रीगणेश सम्मेलन से त्याग-पत्र देकर कर दिया। वस, हिन्दुस्तानी वालों को राह मिली, और उन्होंने अपना प्रथम कर्तव्य अपने प्रतिद्वन्दी सम्मेलन को धराशायी करना समझ लिया। बड़े बड़े राष्ट्रकर्मी जो अब तक हिन्दी के प्रचारक और समर्थक थे रातो रात कलावाजी खाकर हिन्दुस्तानी के प्रचारक और समर्थक हो गये, और हिन्दुस्तानी के प्रति अपने नये उत्साह में हिन्दी के विरोधी भी हो गये। सबसे पहला हमला दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा पर हुआ जिसकी अगवानी स्वयम् गाधीजी ने की। जो सभा पिछले २५ वर्षों से हिन्दी को राष्ट्र-भाषा और देवनागरी को राष्ट्र-लिपि मान कर दक्षिण में हिन्दी और देवनागरी का प्रचार कर रही थी, २४ घंटे के अन्दर अपनी २५ वर्ष पुरानी विचार-धारा त्यागने पर उतारू हो गई। अपनी रजत-जयन्ती के अवसर पर सभा ने अपने नये प्रोग्राम की नियमित घोषणा कर दी। इसी अवसर पर जयन्ती-समारोह के समापति गाधीजी ने सभा को अपना पुराना नाम बदल कर 'दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा' नाम धरने की सलाह दी। (श्रीयुत बरेलवी फूले न समाये होंगे!) हिन्दुस्तानी विचार-धारा के पीछे गाधीजी के अतिरिक्त लगभग आधे दर्जन व्यक्ति और हैं जिन्होंने देश पर हिन्दुस्तानी और दोनों लिपि लादने की जिद पकड़ ली है (इनमें प्रमुख हैं काका कालेलकर, प० मुन्दरलाल और डा० ताराचन्द)। जहाँ कहीं हिन्दुस्तानी की चकालत करने का मौका होता है, वहाँ ये सज्जन पहुँच जाते हैं और अपने विचारों से उपस्थित जनता को कुतार्थ करते हैं।

## परिशिष्ट १०

### महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा समस्या

( लेखक—श्रीगङ्गाधर इन्दूरकर )

“ हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यालय मन्त्री श्री श्रीपाद जोशी का एक पत्र 'देशदूत' के पिछले एक अंक में प्रकाशित हुआ था। उसमें जोशी जी ने महाराष्ट्र में इस समय होनेवाले राष्ट्रभाषा सम्बन्धी मतभेद की चर्चा करते हुये सम्मेलन को साम्प्रदायिकतापूर्ण कहने का प्रयत्न किया है। आपने जिस ढंग से सम्मेलन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे उसके संबन्ध में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। हाल ही में मैं अपने निजी काम से पूना गया था। रास्ते में वर्धा में रुका था। जब वर्धा में जोशीजी से मेरी मुलाकात हुई तब आपने कहा था कि हम लोगों ने अब यह निश्चय कर लिया है कि 'सम्मेलन साम्प्रदायिक संस्था है' इस बात का प्रचार किया जाय। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप का यह निश्चय हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के किसी जिम्मेदार अधिकारी की अनुमति से हुआ है, या स्वयं उनके दिमाग की उपज है? आपके इस निश्चय से आपके कथन को कितना महत्व दिया जाय यह सोचने की बात है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा प्रचारसमिति, वर्धा की परीक्षाओं द्वारा राष्ट्रभाषा हिंदी का काफी प्रचार हुआ है। प्रति वर्ष केवल महाराष्ट्र से राष्ट्रभाषा की परीक्षाओं में लगभग १४-१५ हजार विद्यार्थी बैठते हैं। महाराष्ट्र के कार्यकर्ता हिंदी का काम सम्मेलन के ही विचारों के अनुसार करते हैं। महात्माजी के सम्मेलन से अलग होने के बाद भी महाराष्ट्र के लोग सम्मेलन के विचारों



महान विद्वान् पोटदारजी को मराठी की रत्ना के विषय में और महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों की राष्ट्रीयता की परिभाषा के विषय में कुछ गलतफहमी हुई हो, उनके लाभार्थ ३१-३-४६ के 'देशदूत' में प्रकाशित श्रीसूर्यप्रकाश के एक लेख का कुछ अश परिशिष्ट ११ में दे दिया गया है। अस्तु, हिन्दुस्तानी वालों ने महाराष्ट्र में सम्मेलन को निकाल बाहर करने में कुछ कसरनहीं उठा रखी है।

अब तीसरे हमले का हाल सुनिये जो लेखक को मालूम हुआ है। अभी हाल में लेखक ने आसाम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के मंत्री श्रीकमलनारायण ने एक पत्र लिखकर आसाम में हिन्दुस्तानी प्रचार का हाल पूछा था। उत्तर में उन्होंने लिखा कि आसाम की जनता हिन्दुस्तानी नहीं चाहती, वह हिन्दुस्तानी का विरोध भी करती है, परन्तु निष्क्रिय रूप से। उसके कुछ समय बाद लेखक ने उन्हें एक पत्र और लिखा। उसके उत्तर में श्रीकमलनारायण का जो पत्र आया (ता० १५-४-४६) वह अँखें खोलनेवाला है। उसका महत्वपूर्ण अश निम्नलिखित है।

“काका साहब ने श्रीगोपीनाथ वरदले को ही अपना सिपहसालार बनाकर हमारी समिति पर बुरी तरह हिन्दुस्तानी का हमला चलाया। वे राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति को हिन्दुस्तानी के चंगुल में जकड़कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वरदले उनके हाथों में कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। मेरे ऊपर राष्ट्रीयता के नाम पर तरह तरह के अत्याचार किये जा रहे हैं—फुसलाते हैं, धमकी भी देते हैं। काका साहब सरकार के साथ भी साँट-गाँठ जोड़ चुके हैं। मैं—सिर्फ मैं—अड़ा हूँ, नहीं तो यहाँ कब की लुटिया डूब गई होती। मैंने आज ही पू० आनन्दजी को तार दिया है। वे सरकारी ताकत का भय दिखाकर मुझमें हिन्दुस्तानी जैसी बोगस बौद्ध भाषा का समर्थन कराना चाहते हैं। काका कालेलकर के इस अन्याय का मुकाबला हमें करना ही होगा। आप लोगों को मदद तो करनी ही है। कहिये किम तरह ? मौका आ गया है।”

अंगरेजी शब्द घुसते चले जा रहे हैं उस प्रकार जब हिन्दुस्तानी अर्थात् हिन्दी-उर्दू की खिचड़ी के प्रभाव के कारण मराठी में उर्दू शब्दों का प्रवेश होगा, उस दिन पोतदारजी समझेंगे कि उन्होंने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। जब महाराष्ट्र के लोग हिन्दुस्तानी के नाते देवनागरी और उर्दू लिपि दोनों सीख जायेंगे और महाराष्ट्र के मराठी भाषी मुसलमान उर्दू लिपि में मराठी लिखना आरम्भ करेंगे तब पोतदार जी के किये कुछ न होगा, और उनकी सन्तान उन्हीं को कोसेगी कि उन्होंने अपने हाथो हिन्दी-उर्दू का सा भगड़ा मराठी में उत्पन्न किया। पोतदार जी तथा मराठी के अन्य शुभचिन्तक भली भाँति सोच देखें जिससे उन्हें बाद में पछुताना न पड़े। हम हिन्दी वाले मराठी की परमोन्नति चाहते हैं और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर महाराष्ट्र की हिन्दुस्तानी वाली राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के कर्णधारों को यह चेतावनी देना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। संस्कृत के द्वारा जिस प्रकार हमारे पुरखो ने राष्ट्र की भाषा-एकता तथा सांस्कृतिक एकता साधी थी, उसी प्रकार आज सम्मेलन हिन्दी द्वारा भाषा तथा सांस्कृतिकी एकता साधना चाहता है। यदि उनका यही विश्वास है कि राष्ट्र-भाषा के अत्यधिक प्रचार से मराठी को हानि पहुँचेगी, तो इसके लिये हिन्दी का बाना उतार कर हिन्दुस्तानी का बाना धारण करने की जरूरत नहीं, और देवनागरी के साथ उर्दू लिपि का प्रचार करने की जरूरत नहीं। वे सरल हिन्दी का प्रचार करें। वही ताँगे चालो की, और मजदूर किसानों की भाषा है। और देवनागरी तो वे मराठी की लिपि होने के कारण जानते ही हैं। यदि उनको उर्दू लिपि द्वारा विनाश का बीज बोना ही अभीष्ट है, तो उनकी इच्छा। इस लिपि-विमानन के फल को हम हिन्दी वाले तो भोग ही रहे हैं, वे भी चख देखें।”

महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों के विषय में क्या कहा जाय ? प्रत्येक पत्र का यह प्रमुख कर्त्तव्य होता है कि वह प्रत्येक घटना की खबर जनता को

कालेलकर आसाम गये और श्रीगोपीनाथ बरदले से मिलकर उन्होंने अपना चक्र चलाने का प्रयत्न किया। सीमा-प्रान्त में भी कांग्रेस सरकार है, परन्तु काका कालेलकर सीमा-प्रान्त जाकर डा० खान साहब के जरिये अपनी 'हिन्दुस्तानी' और देवनागरी का प्रचार कराने की बात कभी नहीं सोच सकते। वहाँ उन्हें क्या मिलना है! व्यवहार-कुशल और चतुर पटान एक भाषा और दो लिपियों के भ्रान्ति में आ ही कैसे सकता है। यह गुण तो केवल हिन्दुओं में है कि राष्ट्रीयता में लपेटकर चाहे चिप की गोली दे दो, वे निगल जायेंगे। इसी कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा की शाखायें भी पंजाब, सीमा प्रान्त और सिन्ध में नहीं, काशी, प्रयाग, विहार, मध्य-प्रान्त, महाराष्ट्र और दक्षिण में स्थापित की जा रही हैं, और हिन्दू और हिन्दी प्रान्तों में ही हिन्दुओं के रुपये में हिन्दुओं द्वारा हिन्दुओं को उर्दू और उर्दू लिपि सिखाने का काम जोर शोर से हो रहा है। व्यवहार में हिन्दुस्तानी प्रचार केवल उर्दू और उर्दू लिपि का प्रचार है, क्योंकि जहाँ जहाँ हिन्दुस्तानी का जाल फँलाया जा रहा है वहाँ वहाँ हिन्दी और देवनागरी तो पहले ही में हैं—केवल 'पूरी राष्ट्रीयता' का सर्टीफिकेट लेने के लिये हिन्दी और देवनागरी जाननेवालों को उर्दू और फारसी लिपि सीखने के लिये उकसाया जा रहा है\*। जहाँ जहाँ उर्दू और फारसी लिपि पहले से हैं

---

\* नवम्बर, १९४५ में चम्बई में विद्वत्-भवन में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के सदस्यों को आदेश देते हुए गांधीजी ने स्पष्ट कहा, वैसे तो सभा का उद्देश्य हिन्दी और उर्दू दोनों ही का प्रचार करके राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी की स्थापना करना है, परन्तु जहाँ तक चम्बई, गुजरात और महाराष्ट्र, आदि प्रदेशों का सम्बन्ध है, नागरी लिपि का ज्ञान तो वहाँ के लोगों को है ही, इसलिये उन प्रदेशों में उर्दू लिपि के अनिवार्य प्रचार का कार्य ही हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्य-कर्त्ताओं के सामने प्रमुख रूप से आता है। यह है हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का वास्तविक, व्यावहारिक रूप और कार्य-क्रम, और यह है श्री श्रीमन्नारायण के इस कथन का अर्थ कि "गांधीजी का जोर

हमारे इस प्रान्तीय सम्मेलन के द्वार पर आप सवने देखा होगा लिखा है 'जय हिन्द'। यह इस समय का हमारा राष्ट्रीय उद्बोध है। जिस प्रकार हम 'जय हिन्द' कहते हैं उसी प्रकार हमें 'जय हिन्दी' भी कहना चाहिये।

हम हिन्दी वाले वपों से प्रचार करते आये हैं कि चूँकि हिन्दी राष्ट्रभाषा है इसलिए प्रत्येक हिन्दी को, प्रत्येक भारतवासी को इसे सीखना चाहिये। इस नई विचार-धारा ने जिससे हमें सावधान रहना चाहिये कहना शुरू किया है कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की। यह ठीक है कि हिन्दी हिन्दुओं की भी भाषा है किन्तु हिन्दुओं की ही नहीं—और इसी प्रकार उर्दू भी मुसलमानों की ही नहीं। सर तेजवहादुर सप्रू उर्दू के सुप्रसिद्ध समर्थक हैं। वे मुसलमान नहीं, काश्मीर के ब्राह्मण हैं। और अंजुमन तरक़ी-ए-उर्दू की मुख्य पत्रिका 'हमारी जवान' के सम्पादक भी श्री ब्रजमोहन टत्तात्रेय हैं। उर्दू लिपि में आपका गोत्र ठीक ठीक लिखा ही नहीं जा सकता। कोई भी भाषा किसी धर्म की वपौती नहीं। जो लोग हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा कहकर और उसी प्रकार उर्दू को मुसलमानों की भाषा कह कहकर हिन्दुस्तानी के द्वारा हिन्दू मुसलिम ऐक्य के सम्पादन की बात करते हैं, मुझे भय है कि इतिहास ऐसे लोगों को साम्प्रदायिकता के असाधारण प्रचारक न सिद्ध करे।

'हिन्दी' के राष्ट्रभाषा होने पर एक और आपत्ति उटाई जा रही है। उसके गुण को उसका दोष कहा जा रहा है। कहा जाता है कि ऐसी भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, जिसमें न सस्कृत के शब्द हों, न अरबी फारसी के। यदि हमारी राष्ट्रभाषा को वह सब काम करने हैं जो आज दिन हम अंगरेजी के माध्यम से करते हैं तो ऐसी भाषा जिसमें 'न सस्कृत के शब्द हों न अरबी फारसी के, हमारे लिये तीन कौड़ी काम की भाषा होगी। हमें यह निर्णय करना ही होगा कि विशेष शब्द आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होने पर कहाँ से लें ? त्याग में बैंक को 'धनागार' कहते हैं और नोट को

इसका जिक्र पहले हो चुका है। कुछ हिन्दुस्तानी वाले साफ साफ ऐसा कहते हैं, और जो साफ साफ कहना नहीं चाहते (जैसे श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल) वे इशारे से कहते हैं। यह घोषणा करके कि हमारा कार्यक्रम ही राष्ट्रीय है, हिन्दुस्तानी वाले अप्रत्यक्ष रूप से भी यह प्रदर्शित करते हैं कि जिनका कार्यक्रम इससे भिन्न है वे अराष्ट्रीय हैं। उनका लक्ष्य सम्मेलन होता है \*। यह नारा कि सम्मेलन अराष्ट्रीय है, गांधीजी के भक्त तभी से लगाने लगे हैं जब से गांधी जी ने सम्मेलन से त्याग-पत्र दिया। उसी दिन से सम्मेलन 'अराष्ट्रीय' हो गया (गांधीजी की बात क्यों नहीं मानी? यह क्या कम अपराध है?), इससे पहले उन्हा सिद्धान्तों के होते हुये वह परम राष्ट्रीय था। यह याद रखना चाहिये कि जब गांधीजी ने सम्मेलन से सहयोग करना आरम्भ किया, तब उन्होंने कहा था, "हिन्दी का काम मेरा अपना काम है। हिन्दी से स्वराज्य प्राप्ति में सहायता मिलेगी"। वे काफी लम्बी अवधि तक सम्मेलन के सदस्य रहे, अर्थात् तब तक उन्हें सम्मेलन के सिद्धान्त मान्य थे। वे सम्मेलन के सभापति भी हुये। उन्होंने ही इस वाक्यांश को प्रचलित किया, "हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी"। उन्होंने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की। परन्तु विचार बदल जाने के कारण गांधीजी के सम्मेलन के त्याग-पत्र देते ही २४ घंटे में सम्मेलन 'अराष्ट्रीय' हो गया। (गांधीजी के भारत के विभाजन और पाकिस्तान के विषय में भी विचार बदले हैं, परन्तु जिनके नहीं बदले हैं वे क्या अराष्ट्रीय हैं?) अस्तु, यहाँ सम्मेलन की राष्ट्रीयता प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। उसके लिये सम्मेलन के पिछले २५ वर्षों के सफल इतिहास की ओर इङ्कित करना यथेष्ट है। सम्मेलन के कारण हिन्दी का जो प्रचार हुआ है,

ॐ अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू नहीं, जो उर्दू को राष्ट्र-भाषा मानता है। इस अंजुमन का कार्य ही तो हिन्दुस्तानी प्रचार सभा 'हिन्दुस्तानी' नाम से कर रही है। केवल सम्मेलन को गालियाँ सुनाई जाती हैं।

## परिशिष्ट १३

### ‘हिन्दुस्तानी’ का वेदान्त

( लेखक—श्री सूर्य प्रकाश एम० ए० )

‘हिन्दुस्तानी’ के समर्थकों अथवा अर्थ-समर्थकों में एक दल ऐसे व्यक्तियों का है जो कल तक राष्ट्रभाषा हिन्दी के समर्थक थे, हिन्दी और देवनागरी छोड़ कर हिन्दुस्तानी या उर्दू लिपि का नाम नहीं लेते थे, शुद्ध हिन्दी और देवनागरी का प्रचार करते थे, परन्तु जिनका हृदय उनके मस्तिष्क से अधिक बलवान था, और यदि उनका मस्तिष्क राष्ट्र और राष्ट्रीयता के साथ था तो हृदय गांधी के साथ था, और इस लिये जो आज अपने आप को हिन्दुस्तानी के कैम्प में खड़ा पाते हैं। परन्तु पुरानी आदतें जल्दी नहीं छूटतीं, और इसलिये वे अपने आप को नये बन्दोबस्त में फिट करने में जरा दिक्कत महसूस करते हैं—हृदय और मस्तिष्क के बीच में एक संघर्ष का अनुभव करते हैं। इस संघर्ष को शान्त करने के लिये, अपने अतःकरण की आवाज को दबाने के लिये, अपने मन को सतोंप देने के लिये अर्थात् अपने आप को धोखा देने के लिये उन्होंने एक ‘हिन्दुस्तानी वेदात’ की सृष्टि कर ली है। इस वेदात के अनुसार हिन्दी भी वही है, उर्दू भी वही है, हिन्दुस्तानी भी वही है—तीनों एक ही तत्व हैं अथवा एक ही ब्रह्म-तत्व के तीन नाम हैं, तीनों के उपासक एक ही गति को प्राप्त होते हैं, बस केवल आजकल हिन्दुस्तानी पूजा का अधिक माहात्म्य है और इस कारण उन्होंने अपने इष्ट-देवता ( या आराध्य देवी ? ) राष्ट्र भाषा का नाम भर ‘हिन्दुस्तानी’ रख लिया है। इस दर्शन का दर्शन कीजिये—

हिन्दी पढ़ रहे थे या पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी हिन्दुस्तानी लादने का प्रयत्न केवल महाराष्ट्र, दक्षिण, बंगाल, आसाम ऐसे प्रान्तों में ही किया जिनके निवासियों के लिये सबसे सरल हिन्दुस्तानी हिन्दी ही है और सबसे सुगम लिपि देवनागरी। यह 'राष्ट्रीयता' की कैसी परिभाषा है? हिन्दुस्तानी वालों को चाहिये तो यह था कि वे परंपरागत हिन्दी का मौष्ठ्य नष्ट करने का प्रयत्न न करते, और हिन्दी और उर्दू दोनों से काम लेते। इसके बजाय उन्होंने हिन्दी उर्दू में सौदा पटाकर 'हिन्दुस्तानी' गढ़ी जो न हिन्दी वालों को पसन्द है और न उर्दू वालों को, और चूँकि उनका उद्देश्य मुसलमानों को पटाना था, उन्होंने धीरे धीरे हिन्दुस्तानी को उर्दू का ही दूसरा रूप बना दिया और हिन्दी के मूल पर कुठाराघात किया। यह हिन्दुस्तानी वालों के कार्यक्रम की बात हुई। अब उनके सिद्धान्तों को लीजिये। प्राचीन, बहु-प्रचलित, स्वदेशी शब्दों को निकाल निकाल कर उनके स्थान में विदेशी शब्द भरना और उन्हें जनता पर लादना कहीं की राष्ट्रीयता है? जनता में प्रचलित अरबी फारसी शब्द तो हिन्दी ने ले ही लिये हैं। प्राचीन, बहु-प्रचलित, वैज्ञानिक स्वदेशी लिपि के होते हुये उसकी छाती पर एक विदेशी लिपि बैठाना और उसे जनता पर लादना कहीं की राष्ट्रीयता है? एक निरक्षर देश में जहाँ की ६० प्रतिशत जनता को अपनी मातृ-भाषा का ज्ञान भी नहीं, प्रत्येक के लिये दो राष्ट्र-भाषाओं (हिन्दी और उर्दू) और दो राष्ट्र-लिपियों का ज्ञान अनिवार्य करना कैसी राष्ट्र-सेवा है? इससे तो केवल राष्ट्र-भाषा-प्रचार का कार्य और कठिन हो रहा है, व्यावहारिक कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं और गुत्थियाँ और उलझ रही हैं। यहाँ एक उदाहरण देना असंगत न होगा। अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन के पाँचवे अधिवेशन (फरवरी, १९४६) में एक सम्पादक ने प्रस्ताव पेश किया कि सम्मेलन की कार्रवाई 'हिन्दुस्तानी' में होनी चाहिये। सम्मेलन में बहुमत 'राष्ट्रीय' पत्रों के सम्पादकों का ही था, परन्तु प्रस्ताव

अन्त में शर्मा जी लिखते हैं, “यही हिन्दी की खासियत है, उसका लोच है। वह काका जी की ‘सबकी बोली’ है, पू० बापू जी की हिन्दुस्तानी है, राष्ट्रपति आजाद साहब की कौमी जवान है और श्रद्धेय टडन जी की राष्ट्रभाषा है”, अर्थात् हिन्दी भी वही है, उर्दू भी वही है ( देखिये न ‘लोच’, ‘कौमी’ और ‘जवान’ वही तो दो शब्द हैं न जो ‘राष्ट्र’ और ‘भाषा’—जरा अन्तर्दृष्टि से देखिये ! ), और हिन्दुस्तानी भी वही है। यह है शुद्ध ‘हिन्दुस्तानी का वेदान्त’ ( अफसोस, इसे श्रद्धेय टडन जी और राष्ट्रपति आजाद नहीं समझ पाते ! )। इस वेदान्त की अन्तिम कड़ी शेष है—देवनागरी भी वही है, फ़ारसी लिपि भी वही है। धैर्य धारण कीजिये, इसको सिद्ध करने वाला शकराचार्य भी शीघ्र प्रकट हो जायगा।

( अक्टूबर, १९४६ की ‘सरस्वती’ से )



भी 'हिन्दुस्तानी' के पत्र में पढ़ लेता और समझ लेता ? स्पष्ट है कि यदि अँगरेजी का मफल विरोध करना है तो उसके बदले में एक ऐसी भारतीय भाषा देनी पड़ेगी जिसका स्वरूप अँगरेजी की भाँति काश्मीर में कन्या कुमारी तक और आसाम से सीमा-प्रान्त तक निश्चित और एक हो, और इस भाषा का ऐसा नाम रखना पड़ेगा जिससे भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक एक ही भाषा और उसके एक ही स्वरूप का बोध हो। यह भाषा 'हिन्दुस्तानी' नहीं है और चाहे जो हो।\* अब प्रश्न यह होता है कि सम्मेलन में इस 'हिन्दुस्तानी' कार्रवाई का रिकार्ड स्ट्रेनोग्राफर किस लिपि में लेते, और सम्मेलन का अन्य कार्य किस लिपि में होता—देवनागरी में या फारसी लिपि में ? ( और क्या फारसी लिपि में सब 'हिन्दुस्तानियों' का लिखना संभव होता ? ) इससे क्या यह स्पष्ट नहीं है कि अँगरेजी की अकेली लिपि रोमन की भाँति अँगरेजी की जगह लेनेवाली भारतीय भाषा की भी केवल एक लिपि देवनागरी हो ? इन्दूरकरजी अपने लेख में आगे लिखते हैं,

---

\* जितने हिन्दुस्तानीवाले हैं उतने प्रकार की हिन्दुस्तानियों हैं और उतने ही प्रकार की हिन्दुस्तानियों की कल्पना है। किसी हिन्दुस्तानीवाले ने कोई सा हिन्दी शब्द बदलकर उर्दू शब्द रख दिया और किसी ने कोई सा। वस्तुतः यदि सम्पूर्ण हिन्दी कोप और सम्पूर्ण उर्दू कोप मिलाकर रख दिया जाय तो वही प्रचलित 'हिन्दुस्तानियों' का कोप कहलाने का दावा कर सकेगा। एक अखिल भारतीय सम्मेलन में ऐसी 'हिन्दुस्तानी' अँगरेजी को कैसे निकाल सकती है ?

। जिसमें रोमन की भाँति 'हिन्दुस्तानी' ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के समाचार, आदि भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजे जा सकें। अभी तो इस क्षेत्र से रोमन को निकाल कर एक भारतीय लिपि को ही प्रतिष्ठित करना कठिन मालूम होता है। दोनों लिपि कैसे प्रतिष्ठित होंगी ? अथवा क्या हिन्दुस्तानी वाले विदेशी भाषा अँगरेजी को तो अपदस्थ करना चाहते हैं किन्तु विदेशी लिपि रोमन को नहीं ?

है ? इससे कौन सी समस्या हल होती है ? हिन्दुस्तानी वाले स्वीकार करें या न करें, परन्तु इसमें सन्देह करने की अब कोई गुजाइश नहीं रही कि ‘हिन्दुस्तानी’ का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से भाषा में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को धुसेड़ कर मुसलमानों को खुश करना है। परन्तु अफ़सोस ! यह उद्देश्य भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। शायद अब १०० में ७५ शब्द उर्दू के रक्खे जायँ !—और फिर पूरे १०० !!

‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ में प्रायः हिन्दी शब्दों के आगे कोष्ठकों में उनके उर्दू पर्याय, और उर्दू शब्दों के आगे कोष्ठकों में उनके हिन्दी पर्याय दिये जाते हैं। इस प्रकार शब्दों के जोड़े दे कर हिन्दुस्तानी वालों ने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि ‘हिन्दुस्तानी’ कोई अलग चीज नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं जो हिन्दी और उर्दू दोनों से भिन्न हो और सबकी समझ में आती हो, और ‘हिन्दुस्तानी’ कोई भाषा नहीं, वह हिन्दी और उर्दू सिखाने का सबक भले ही हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हिन्दुस्तान में ‘एतकाद’ ‘तहरीक’ और ‘कफ़ारा’ जैसे शब्दों को कोषों में से छोट-छाँट कर फिर उन्हें उनके पुराने, प्रचलित स्वदेशी पर्यायों द्वारा सिखाने का नाम ही ‘राष्ट्रीयता’ है।

गांधीजी ने ‘उत्तर की बोलचाल’ का हवाला दिया। दक्षिण की बोलचाल क्यों छोड़ दी ? उत्तर में भी बंगाल और आसाम को क्यों छोड़ दिया ? कौन सी भारतीय भाषा का ऐसा कौनसा शब्द है जो भारत के किसी न किसी भाग की बोलचाल में घर न कर चुका हो ? फिर भारत की राष्ट्र-भाषा में सब शब्दों को समान स्थान क्यों नहीं दिया जाता ? केवल ‘हिन्दी शब्द’ और ‘उर्दू शब्द’ ही क्यों ? कोष्ठक में केवल हिन्दी या उर्दू पर्याय ही क्यों दिया जाता है, सभी भारतीय पर्याय ( जिनमें द्रविड़ पर्याय भी शामिल हैं ) और अंगरेजी पर्याय भी ( क्योंकि लाखों भारतीय, उत्तर में भी और दक्षिण

के लिये अकेली हिन्दी ही बोलना और सीखना कितना कठिन है। यू० पी० में दस साल रहने के बाद भी श्रीरामा राव जैसे शिक्षित व्यक्ति केवल उतनी ही हिन्दी सीख सके जितनी उन्होंने यू० पी० के बाजारों और गलियों में सुनी, और वह भी टूटी फूटी। अहिन्दियों को राष्ट्र-भाषा के बचन में बाँधने के लिये और उन्हें राष्ट्र-भाषा सीखने की प्रेरणा देने के लिये उन पर हिन्दी उर्दू दोनों या अपरिचित शब्दों से लदी हुई हिन्दुस्तानी, और दो लिपियाँ जिनमें से एक उनके लिये नितात अपरिचित है, लादना ज्यादा अच्छा होगा या केवल हिन्दी और देवनागरी ❀ ? फिर इदूरकरजी लिखते हैं, “हिन्दुस्तानी परिपूर्ण भाषा नहीं है, वह तर्क भी उपस्थित किया गया”। इस तर्क में क्या अत्युक्ति है ? साहित्य और समृद्धि की दृष्टि से अँगरेजी का मुकाबला बेचारी हिन्दी भी नहीं कर सकती, हिन्दुस्तानी की जिसके साहित्य की कौन कहे, स्वरूप की भी रूप रेखा तैयार नहीं हुई है, क्या त्रिसत है। अँगरेजी को निकालने के लिये अँगरेजी के समान समृद्ध भाषा देनी ही पड़ेगी। सोचना यह है कि अँगरेजी का मुकाबला थोड़ी बहुत सफलता के साथ ही हिन्दी कर सकती है या ‘न अरबी फारसी न संस्कृत’ वाली ‘हिन्दुस्तानी’ ? इन सब बातों के कारण यदि सम्पादक सम्मेलन के महापति श्री तुषार कान्ति घोष ने कहा कि प्रस्ताव अव्यावहारिक है, वापस लिया जाय, तो अनुचित तो नहीं कहा। यह कदापि नहीं माना जा सकता कि सम्मेलन में ‘राष्ट्रीयता’ केवल प्रस्तावक और ममर्थकों के पल्ले पड़ी थी, और जोष

---

❀ जब मदरास के पिछले मंत्रि-संढल ने स्कूलों में ‘हिन्दुस्तानी’ का विषय अनिवार्य किया तब उसी के विरुद्ध मदरासियों ने कठोर सत्याग्रह किया। वह हिन्दुस्तानी वर्धा की वर्तमान हिन्दुस्तानी की अपेक्षा हिन्दी अर्थात् तामिल और तेलगू के अधिक निकट थी। अब यदि वर्धा की हिन्दुस्तानी और दोनों लिपियाँ अनिवार्य की गईं, तो उसका मदरास में और भी तीव्र विरोध होगा, इसमें संदेह नहीं। इस हिन्दुस्तानी-वाद से क्या राष्ट्र का हित होगा ?

# परिशिष्ट १५

## हिन्दुस्तानी का उद्गम

( लेखक—प० रामचन्द्र शुक्ल )

साहित्य किसी जाति की रक्षित वाणी की वह अखंड परंपरा है जो उसके जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुई जगत् की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अतर्विकास करती चलती है। उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि उसके दीर्घ इतिहास में कालगत विभिन्नताओं के रहते हुए भी यहाँ से वहाँ तक एक ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है। जब कि साहित्य व्यक्त वाणी या वाग्बिभूति का सचित भंडार है तब पहले भाषा ही पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। व्यक्त वाणी का यह सचय असंभ्य जातियों में तो केवल मौखिक रहता है, पर संभ्य जातियों में पुस्तकों के भीतर हिफाजत के साथ बंद रखा जाता है। मौखिक अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता, पर पुस्तकस्थ होकर हजारों वर्ष तक चला चलता है।

साहित्य की अखंड दीर्घ परंपरा सभ्यता का लक्षण है। यह परंपरा शब्द की भी होती है और अर्थ की भी। शब्द परंपरा भाषा को स्वरूप देती है और अर्थ परंपरा साहित्य का स्वरूप निर्दिष्ट करती है। ये दोनों परंपराएँ अभिन्न होती हैं। इन्हें एक ही परंपरा के दो पक्ष समझिए। किसी देश की शब्द-परंपरा अर्थात् भाषा कुछ काल तक चलकर जो अर्थ-विधान करती है वही उस देश का साहित्य कहलाता है। कुछ काल तक लगातार चलते रहने से शब्द-परंपरा या भाषा को भी एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाता है

को केवल मुसलमानों की। 'हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की, यह प्रचार करके साम्प्रदायिकता तो हिन्दुस्तानी वाले फैला रहे हैं ( देखिये परिशिष्ट १२ )। वे शायद समझते हैं कि ऐसा करने से उनकी हिन्दुस्तानी की दीनइलाही के लिये रास्ता साफ़ हो जायगा। वे अपनी 'हिन्दुस्तानी' को आगे ठेलने के लिये हिन्दी और उर्दू को केवल साम्प्रदायिक भाषायें ही घोषित नहीं करते हैं, वरन हिन्दी और उर्दू को एक दूसरे के समकक्ष रख देते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रवादियों के लिये यह फैशन हो गया है कि वे अपनी राष्ट्रीयता और निष्पक्षता प्रदर्शित करने के लिये एक ही साँस में मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा को कोसें, दोनों को एक समान साम्प्रदायिक सस्थायें घोषित करें, उसी प्रकार हिन्दुस्तानीवाले अपनी हिन्दुस्तानी के गुणों का बखान करने के लिये सस्कृत-निष्ठ हिन्दुस्तानी या हिन्दी और फारसी-निष्ठ हिन्दुस्तानी या उर्दू को एक ही साँस में कोसते हैं, और दोनों को एक समान साम्प्रदायिक करार देते हैं। जिस प्रकार कांग्रेसी राष्ट्रवादियों को भारत को एक अखण्ड देश और भारतीयों को एक अखण्ड राष्ट्र माननेवाली हिन्दू महासभा और भारत के टुकड़े टुकड़े चाहनेवाली और भारतीयों को दो राष्ट्र मानने वाली मुस्लिम लीग में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार हिन्दुस्तानी वालों को मुसलमानों के आगमन से भी पुरानी अपनी सस्कृत-निष्ठ परंपरा पर आरुढ़ और अन्य भारतीय भाषाओं के समान सस्कृत-निष्ठ हिन्दी में, और जबर्दस्ती स्वदेशी शब्द निकाल निकाल कर अस्वाभाविक रूप से फारसी-निष्ठ की हुई हिन्दी अर्थात् उर्दू में कोई अन्तर नहीं दीखता। उनके लिये हिन्दी उर्दू दोनों एक समान दोषी हैं, और निर्दोष है उनकी ६५ प्रतिशत फारसी और ५ प्रतिशत सस्कृत वाली हिन्दुस्तानी ( जो विभिन्न राष्ट्रीय प्रकरणां में चल रही है )। उनके लिये यह कहना फैशन हो गया है कि हिन्दुस्तानी वास्तव में पहले एक थी ( कैसी थी यह नहीं बताया जाता ), और बाद में एक ओर उसे हिंदुओं ने

भी थी, जिसमें बहुत चलते सस्कृत शब्दों के साथ-साथ ठेठ घरेलू शब्द भी रहते थे।

यह तो हुई कविता और साहित्य की बात। सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह है कि सर्वसाधारण मुसलमान जनता में इसलाम के धार्मिक सिद्धान्तों के प्रचार के लिये चार सौ वर्ष पहले जिस भाषा का प्रयोग वे अपनी किताबों में करते थे, उसमें यहाँ के धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में आनेवाले इन्द्रिय, विकार आदि शब्द तक भी कभी-कभी लाते थे—

( १ ) मराहना नेवाजना खुदा को बहुत कि वो पालनहारा है आलम का ( शरह मरगुबुल कल्लुव-शाह मीरौजी बीजापुरी सन् १४६५ के पहले )।

( २ ) सवाल—यह तन अलाघा (अलहद.) बल्कि सततर (स्वतत्र) विकार रूप दिखता है। एक तिल करार नहीं ज्यां मरकट रूप।

जवाब—ऐ आरिफ, जाहिर तन के फेल से गुजरया व नातिन करतव विघै ? दूसरा तन सो भी कि इस इन्द्रियन का विकार व चेष्टा करनहारा.. सुख-दुख भोगनहारा। जेता विकार रूप वही दूसरा तन .. । यह तन फ्रहम सँ गुजरया तो गुन उसका क्यों रहे ?

( कलामतुल हक़ायक, शाह बुरहानुद्दीन बीजापुरी सन् १५८२ )

उर्दू के इतिहास-लेखक उर्दू का उत्थान बीजापुर और गोलकुडा की दक्खिनी रियासतों से मानते हैं। वहाँ शीया मुसलमानों की अधिक बस्ती थी। इससे इमाम हुसैन की कथा को लेकर दक्खिनी उर्दू के कवियों ने कई मसनवियों या प्रबन्ध-काव्यों की रचना की। इनमें से एक का नाम है 'करबल-कथा' ( करबला की कथा )। यह 'कथा' शब्द भला आजकल उर्दू में कभी जगह पा सकता है ? शृङ्गार की प्रेम-कहानियों की रचना भी दक्खिनी उर्दू में बहुत कुछ हुई है। जैसे 'बजही' की 'मसनवी कुतुब-मुश्तरी' जिसकी पद्य-रचना का रूप देखिए—

हो जायँ—एक हिन्दुओं की और एक मुसलमानों की। इस साम्प्रदायिक कुपरिणाम का कुल उत्तरदायित्व हिन्दुस्तानी वालों पर होगा, 'साम्प्रदायिक' घोषित किये जाने वाले सम्मेलन पर नहीं।

( ३ ) हिन्दी और हिन्दुस्तानी एक ही चीज हैं।

यदि ऐसा है, तो यह नव हिन्दुस्तानी की हाथ तोड़ा क्या केवल नाम बदलने के लिये है ? वास्तविकता तो यह है कि हिन्दुस्तानी हिन्दी नहीं है, इसीलिये हिन्दुस्तानी की रट लगाई जा रही है। राष्ट्र-भाषा हिन्दी नहीं हो सकती ( और राष्ट्र लिपि देवनागरी नहीं हो सकती ), यह प्रदर्शित करने के लिये ही 'राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी है', यह नारा लगाया जा रहा है। 'हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी' को गांधी जी ने अब छोड़ दिया है ( देखिये परिशिष्ट १२ )। 'जीवन-साहित्य' में एक सम्पादकीय लेख में श्री हरिभाऊ उपाध्याय राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी का समर्थन करते हुये लिखते हैं, "हिन्दी या हिन्दुस्तानी दोनों का एक ही मतलब है। जो माने आज हिन्दुस्तानी के किये जाते हैं वही किसी दिन हिन्दी के किये जाते थे। लेकिन आज, अगर हिन्दुस्तानी के नाम में ज्यादा सहूलियत है तो उसे मान लेने में क्या बुराई है ?" इस पर श्री भद्रन्त आनन्द कौसल्यापन ने ठीक ही आलोचना की है, "क्या सचमुच हिन्दी के स्थान पर 'हिन्दुस्तानी' स्वीकार करना नाम मात्र का ही परिवर्तन है ? क्या यह केवल सहूलियत की ही बात है ? आपने हिन्दुस्तानी पत्र का जिस ढंग से समर्थन किया है, हमें सन्देह है कि स्वयं महात्मा जी को उस पर आपत्ति न हो"। वास्तव में बात यह है कि जो हिन्दुस्तानी वाले 'हिन्दी और हिन्दुस्तानी एक ही चीज हैं' का मंत्र पढ़ते हैं, वे या तो हिन्दी वालों की अकल बहुत कम कृतते हैं जो वे यह समझने हैं कि इस प्रकार हिन्दीवाले हिन्दुस्तानी के जाल में फँस जायँगे या वे मुसलमानों की अकल बहुत कम कृतते हैं जो वे यह समझते हैं कि वे हिन्दी का नाम हिन्दुस्तानी रख कर उसे मुसलमानों से राष्ट्र भाषा के रूप में

सौदा की हिन्दी गजल—

निकल के चौखट से घर की प्यारे जो पट की ओभल ठिठक रहा है,  
 सिमट के घट से तेरे दरस को नयन में जी आ अटक रहा है।  
 अग्नि ने तेरे विग्रह की जव से झुलस दिया है कलेजा मेरा,  
 हिये की घड़कन में क्या बताऊँ यूँ कोयला सा चटक रहा है।  
 जिन्हों की छाती से पार बरछी हुई है रन में वो सूरमा है,  
 पड़ा वो सावत मन मे जिसके विरह का काँटा खटक रहा है।  
 मुझे पसीना जो तेरे मुख पर दिखाई दे है तो सोचता हूँ,  
 व क्योंकि सूरज की जोत आगे हर एक तारा छटक रहा है।  
 हिलोरी यो लेती ओस की बूँद लग के फूलों की पखड़ी से,  
 तुम्हारे कानो मे जिस तरह से हर एक मोती लटक रहा है।  
 कहीं जो लग चलने साथ देता हो इस तरह का कटर है पापी,  
 न जानूँ पेड़ी की धूल में हूँ जो मुझ से मुल्ला भटक रहा है।  
 कभू लगा है न आते जाते जो बैठकर टुक इसे निकालूँ,  
 सजन, जो काँटा है तुझ गली का सो पग में मेरे भटक रहा है।  
 कोई जो मुझमे य पूछता होय क्यों तू रोता है कह तो हमसे,  
 हर एक आँसू मेरे नयन का जगह जगह सिर पटक रहा है।  
 गुनी हो कैसा ही ध्यान जिसका तेरे गुनो से लगा है प्यारे,  
 ग्यान परबत भी है जो उसका तो छोड़ उसको सटक रहा है।  
 जो वाट मिलने की होय उसका पता बता दो मुझे मिरीजन,  
 तुम्हारी बटियों में आज बरसों से यह बटोही भटक रहा है।  
 जो मैंने 'सौदा' से जाके पूछा तुझे कुछ अपने भी मन की सुधबुध,  
 य रोके मुझसे कहा किसी की लटक मे लट की लटक रहा है।

सौदा के हिन्दी दोहे—

कारी रैन डरावनी, घर तें होई निरास।



अभी हाल में बिहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १६वें अधिवेशन के अवसर पर राष्ट्र-भाषा के स्वरूप के विषय में भाषण करते हुये बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने कई भ्रान्ति उत्पन्न करने वाली बातें कही हैं। उन्होंने पहले कहाः, “मैं इस बात को मानता हूँ कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्र-भाषा है” ( शायद ‘हिन्दी’ से उनका मतलब ‘खड़ी बोली’ में था ), और फिर उन्होंने हिन्दी को तीन वर्गों में बाँटा—( १ ) साहित्य की भाषा, ( २ ) समाचार पत्रों की भाषा, ( ३ ) बोलचाल की भाषा। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों की भाषा उच्च साहित्य की भाषा से भिन्न होती है, और बोलचाल की भाषा एक तीसरे प्रकार की होती है, और अहिन्दी प्रान्तों में इसी तीसरी कोटि की भाषा राष्ट्र-भाषा के रूप में प्रचारित होगी। इस बोलचाल की भाषा को ही वे ‘हिन्दुस्तानी’ नाम से पुकारना चाहते हैं। इस प्रकार बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने शुभा फ़िरा कर यही कहा कि हिन्दुस्तानी हिन्दी ही है। परन्तु जिन तीन कोटियों में उन्होंने हिन्दी को विभाजित किया, क्या वे केवल हिन्दी भाषा की विशेषतायें हैं ? बिलायत के बाजारों में जो अँगरेजी बोली जाती है उन्हीं में बिलायत के अखबार नहीं छपते, और शेक्सपियर तथा मिल्टन ने उसी अँगरेजी में नहीं लिखा जिसमें अँगरेजी पत्र छपते हैं, परन्तु क्या इस कारण किसी ने अँगरेजी को आधे दर्जन कोटियों में विभाजित किया अथवा क्या उनके भिन्न भिन्न नाम रखे ? अँगरेजी वस अँगरेजी है। उन्हीं प्रकार हिन्दी वस हिन्दी है और उसे विभिन्न कोटियों में नहीं बाँटा जा सकता, और न किसी कोटि की हिन्दी का ‘हिन्दी’ से भिन्न कोई नाम रखा जा सकता है। प्रत्येक भाषा में विषय और पाठकों

---

का सत्य हिन्दुस्तानी वालों को न रचेगा। भाषा के मामले में उनका युग-धर्म ‘हिन्दुस्तानी’ की त्रिवेणी खोद कर प्रकट करना है।

\* देखिये अप्रैल, १९४६ की ‘राष्ट्र-भाषा’ और अप्रैल, १९४६ की ‘सरस्वती’।

होगी। मुहम्मदशाह के समय तक इस नई गढ़ी हुई भाषा का, जो पीछे उर्दू कहलाई, साहित्य-रचना के लिये प्रचार न हो सका था, इसका आभास हिंदी के सूफ़ी कवि नूरमुहम्मद ने अपनी उस पुस्तक में दिया है जो उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'इ द्रावती' के पीछे लिखी। पुस्तक का नाम है 'अनुराग-बॉसुरी'।\* नूरमुहम्मद के समय से मुसलमान देश की प्रचलित भाषा, हिंदी से किनारा खींचने लगे थे और मुसलमानों के लिये फारसी में रचना करना ही जायज समझने लगे थे। 'इ द्रावती' लिखने पर उन्हें उनके मुसलमान भाइयों ने यह कहकर फटकारना शुरू किया कि 'तुम मुसलमान होकर हिंदी में क्यों लिखने गए।' इसी से बेचारे को 'अनुराग-बॉसुरी' में अपनी सफाई इन शब्दों में देनी पड़ी—

जानत है वह सिरजनहारा। जो किछु है मन मरम हमारा ॥

हिंदू-मग पर पॉव न राखेउँ। का जौ बहुतै हिंदी भाखेउँ ॥

जिसे उर्दू कहते हैं उसका उस समय साहित्य में कोई स्थान न था, यह नूरमुहम्मद के इस कथन से साफ भलकता है—

‡ कामयाब कहँ कौन जगावा। फिर हिंदी भाखै पर आवा ॥

छॉडि पारसी कट न बातै। अरुभाना हिंदी-रस-बातै ॥

जनता से अपने को बिल्कुल अलग दिखाने के लिये मुसलमानों ने ही अपने लिये विदेशी ढाँचे की एक अलग भाषा और साहित्य खड़ा किया, यह इतनी प्रत्यक्ष बात है कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उर्दू की प्राचीनता दिखाने के लिये ढक्खिनी शायरों की जो लंबी सूची नामने लार्ड गई है उसमें कोई हिंदू भी है? शायद एक या दो। और जाने दीजिये, 'आवे हयात' ही उठा लीजिये। उसमें सब के सब शायर मुसलमान ही तो हैं। अब और सबूत क्या चाहिए? इतने पर भी न जाने किस मुँह से यह

\* यह पुस्तक अप्रकाशित है।

‡ नूरमुहम्मद फारसी की रचनाओं में अपना तखल्लुस 'कामयाब' रखते थे।

प्रमाण यह भी है कि श्रीहरिभाऊ उपाध्याय ने तो लिपि के मामले का जिक्र भी किया, परन्तु कुशल राजनीतिज्ञ वा० राजेन्द्रप्रसाद ने अपने भाषण में

भागों में समझी जानेवाली एक सरल राष्ट्र-भाषा का निर्माण किया जाय ।” वास्तव में भाषा-निर्माण ही तो हिन्दुस्तानी वालों का पेशा है—भाषा स्वयं बनती है यह तो कभी कभी कहने की बात है । इसीलिये वर्धा की हिन्दुस्तानी-गढ़-कमेटी, बिहार की हिन्दुस्तानी-गढ़ कमेटी, आदि हिन्दुस्तानी वालों ने स्वयं स्थापित की हैं, और इसीलिये वे रेडियो की हिन्दुस्तानी-गढ़-कमेटी में विराज रहे हैं । और चूँकि ‘स्वयम्भू’ राष्ट्र-लिपि नहीं हो सकती, इसलिये बंगाल, पंजाब ( ? ), मद्रास, आदि देश के विभिन्न भागों में सबके गले के नीचे दो लिपियाँ उतारी जा रही हैं ! ( २ ) उन्होंने कहा कि अगर मैं हिन्दुस्तानी का पक्षपाती हूँ तो मेरी हिन्दुस्तानी का स्वरूप कठिन दुरूह उर्दू नहीं और न कठिन संस्कृतमयी हिंदी है । परन्तु क्या विशेषण ‘कठिन’ हटा देने से उर्दू उर्दू नहीं रहेगी और हिंदी हिंदी नहीं रहेगी और दोनों एक चीज़ ‘हिंदुस्तानी’ हो जायँगी, अथवा क्या इस विशेषण के न रहने से उर्दू अफारसीमयी और हिंदी असंस्कृतमयी होजायगी ? सीधा सी बात तो यह है कि उनकी हिंदुस्तानी है हिंदी+उर्दू । ( ३ ) “राष्ट्र-भाषा का सुगम होना जरूरी है । दुरूह और कठिन हिन्दी को मैं हिन्दुस्तानी नहीं मानता” । हम तो दुरूह और अनावश्यक रूप से कठिन हिंदी को केवल मद्रास हिंदी मानते हैं । ‘साहित्य’ के स्थान में ‘अदृश्य’ और ‘राजनीति’ के स्थान में ‘स्यासत’ धर देने से कठिन और दुरूह हिन्दी सरल राष्ट्र-भाषा थोड़े ही हो जायगी । कठिन और सरल हिंदी के बीच में कहीं रेखा तो नहीं खींची जा सकती, फिर भी क्या जैसी हिंदी वे चाहते हैं, उसे वे हिन्दी के पहले विशेषण ‘सरल’ लगाकर नहीं पुकार सकते ! ‘हिन्दुस्तानी’ नाम धरके क्यों आंति और झगड़ा पैदा करते हैं? जो कुछ भी हो, जैसी हिन्दी को वे ‘हिन्दुस्तानी’ पुकारना चाहते हैं, क्या उसी को मुसलमान स्वीकार करने को तैयार हैं ? ( ४ ) ‘तेलंग और फ्रांटियर के भाई भी जिसे समझ सकें वही भाषा राष्ट्र-भाषा है । साहित्य सम्मेलन की ओर से इस राष्ट्र-भाषा का जब विरोध होता है तो मुझे बड़ा अक्रसोस होता है” । यदि कोई ऐसी राष्ट्र-भाषा होती तो झगड़ा ही क्यों होता ? मद्रास और

## परिशिष्ट १६

### युक्त-प्रान्त की अदालतों की भाषा

( लेखक—रविशंकर शुक्ल )

कुछ दिन हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय की इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के सामने भाषण करते हुये युक्त-प्रान्त के न्याय-मन्त्री डा० काटजू ने कहा, "If I had the power to enact laws I would prohibit the use of even a syllable of English in the Courts." ( "यदि मेरे हाथ में कानून बनाने की शक्ति हो तो मैं अदालतों में अँगरेजी के एक शब्दाक्षर के भी प्रयोग का निषेध कर दूँ।" ) यदि यह शक्ति अभी उनके हाथ में नहीं है तो शीघ्र ही आने वाली है, और हमें आशा तथा विश्वास है कि वे यथासम्भव अर्थात् जहाँ तक हमारी अपनी भाषा में काम चल सकता है वहाँ तक अँगरेजी, अँगरेजी शब्दों और रोमन लिपि को अदालतों से निकालने में कसर न उठा रखेंगे। परन्तु क्या हम पूछ सकते हैं कि अदालतों में फ़ारसी और अरबी शब्द, फ़ारसी मुहावरें और शैली और फ़ारसी लिपि निकालने के विषय में उनके क्या विचार हैं और इस विषय में वे क्या करने का इरादा रखते हैं ? अँगरेजी, अँगरेजी शब्दों और रोमन लिपि को विदेशी और इसलिये बहिष्कार-योग्य और उनके प्रयोग को 'symbol of our slavery' ( उनके भाषण से उद्धृत ) बताने परन्तु अरबी-फ़ारसी शब्दों और लिपि को स्वदेशी और उनके प्रयोग को 'symbol of our freedom' बताने की चेष्टा तो शायद वे न करेंगे। उन्होंने अपने उसी भाषण में आगे कहा, "The Englishman's love

करना नहीं है। यह तो केवल राष्ट्र-भाषा होगी। हिन्दी वाले शुद्ध हिन्दी में लिखने और बोलने के लिये स्वतंत्र होंगे।

‘लोकवाणी’ में एक लेख में ( दिसम्बर, १९४५ की ‘हिन्दी’ में उद्धृत ) श्रीकाका कालेलकर लिखते हैं, “हम जो राष्ट्र-भाषा का प्रचार करने वाले हैं हमारी भी अपनी अपनी जन्मभाषा यानी स्वभाषा है। उसे शुद्ध रखने का, उसकी परंपरा संभालने का और उसका साहित्य समृद्ध करने का हम भी प्रयत्न करते रहते हैं। मराठी का ही उदाहरण लीजिये। बृटिश-राज के प्रारम्भ के दिनों में जब मिशनरियों ने मराठी द्वारा अपना धर्म प्रचार करने के लिये उस भाषा में बोलना और लिखना शुरू कर दिया तब उन्होंने मराठी का स्वरूप बहुत कुछ बिगाड़ा। उस समय हम लोगों ने मिशनरियों का ऐसा घोर विरोध किया कि उन्होंने फिर से मराठी का वैसा अपराध करने की हिम्मत नहीं की। गुजराती में भी जब कभी किसी ने गुजराती की शैली बिगाड़ी है तब गुजरात के लोगों ने अपनी भाषा शुद्धि के लिये कुछ न कुछ आवाज उठाई है। अतः हम लोग हिन्दी की स्वाभाविक शैली को बिगाड़ने का प्रस्ताव हरगिज नहीं करेंगे। हिन्दी साहित्य की जो परंपरा तुलसीदास, सूरदास, कबीर, भूपण, रसखान, रहिमान, आदि लेखकों द्वारा प्रवृत्त हुई है, उसे तोड़ने का प्रयत्न हमसे कभी भी नहीं होगा। भाषा हर एक जाति का आत्मिक धन है। भाषा-शुद्धि का आग्रह चरित्र-शुद्धि के आग्रह के समान ही है।”

विचार तो बहुत ठीक हैं\*, परन्तु क्या उनके अनुसार कार्य हो रहा है? क्या वास्तव में ‘राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी’ का आन्दोलन हिन्दी, जो हमारी जन्मभाषा यानी स्वभाषा है, को स्वाभाविक शैली को नहीं बिगाड़

---

\* चलो, काका जी को इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में हिन्दी की शैली को परिष्कृत और शुद्ध करने के विषय में जो कुछ कहा गया है, उसके विरुद्ध कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रही।

ये सब जनता के करने की नहीं, मगकार के करने की बातें हैं । जनता को यह कहकर धोखा नहीं दिया जा सकता कि सरकार ने तो हिन्दी को उर्दू के समकक्ष रख दिया है, हिन्दी में काम करने की छूट दे दी है, फिर जनता हिन्दी में काम क्यों नहीं करती ? सोचने की बात यह है कि जनता हिन्दी में अधिक सुविधा का अनुभव करते हुए भी अदालती काम हिन्दी में क्यों, किस कारण, नहीं करती अर्थात् नहीं कर पाती और जनता की सरकार का क्या कर्त्तव्य है । यदि हमारे माननीय मंत्री आये दिन अँगरेजी का मौखिक विरोध और किसी अनजानी और अज्ञात 'हिन्दुस्तानी' की चकालत करके सस्ती नामवरी हासिल करने के बजाय थोड़ी साफ़ दिमागी से काम लें, स्पष्ट बोलें, स्वयं आदर्श रखें और अपने करने का काम पूरा करें, तो अँगरेजी और झूठी हिन्दुस्तानी को हटाकर सच्ची हिन्दुस्तानी को अपना पद प्राप्त करने में ज्यादा आसानी हो ।

---

ढालना है, और दूसरे का उद्देश्य हिन्दी का धीरे धीरे जहर देकर मारना है। पहले परले हमले को लीजिये। यह पहले बतलाया जा चुका है कि किस प्रकार 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी को अपने घर से ही निकाल रही है, और किस प्रकार हिन्दी का नाम प्राचीन भाषाओं की सूची में से ही काटा जा रहा है, और उसका स्थान 'हिन्दुस्तानी' का दिया जा रहा है। यह सब इसी कारण समझ है कि 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी की ही एक शैली है। उदाहरण के लिये, यदि 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी से भिन्न कोई भाषा होती, तो रेडियो के लिये हिन्दी ने एक दिन भी समाचार ब्राडकास्ट न करना असम्भव हो जाता—उसी प्रकार जिस प्रकार 'हिन्दुस्तानी' में समाचार ब्राडकास्ट होने पर भी उसके लिये बंगला में समाचार ब्राडकास्ट न करना असम्भव है। अब यह कौन कह सकता है कि हिन्दी प्रान्तों में और केन्द्रीय प्रकरणों में हिन्दी को स्वाभाविक शैली का अस्तित्व है ? ( और यह कौन कह सकता है कि हिन्दी बाला को इस 'हिन्दुस्तानी' को सुनने के लिये मजबूर करके हिन्दी की स्वाभाविक शैली को नहीं बिगाड़ा जा रहा है—वहाँ पर भी जहाँ उसका अस्तित्व शेष है ? ) अपने अपने प्रान्त में अपनी अपनी जन्म भाषा यानी स्वभाषा का बोल वाला है, वेचारे हिन्दी वालों के प्रात में 'राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी' का बोलवाला है। केन्द्र में भी सबकी जन्मभाषायें यानी स्वभाषायें हैं, वस केवल हिन्दी वालों की हिन्दी नदारद है\*। इस हमले की चारीकी को समझ लेना चाहिये। यह हमला फ़िलहाल सब कामकाज में हिन्दी को निकाल, 'हिन्दुस्तानी' बैठा कर

---

\* क्या काका कालेलकरजी और उनके साथी हिन्दुस्तानी वाले हम हिन्दी वालों से मिलकर रेडियो से यह कहने को भी तैयार हैं कि वह 'हिन्दुस्तानी' में जो कुछ ब्राडकास्ट करके हिन्दी की स्वाभाविक शैली को बिगाड़े सो बिगाड़े, परन्तु हिन्दी की स्वाभाविक शैली में भी समाचार ब्राडकास्ट करे ? देखें, इसी कसौटी पर काका कालेलकरजी का 'तुलसीदास, सूरदास, कबीर, भूपण, रसखान, रहिमान द्वारा प्रवृत्त हिन्दी की स्वाभाविक शैली और परम्परा' के प्रति प्रेम खरा उतरता है या नहीं।

दर्शन, इतिहास ) की तो हिन्दी और उर्दू को उच्च से उच्च पारिभाषिक शब्दावलियाँ हम समय भी मौजूद हैं, और एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। और लिपियाँ तो भिन्न हैं ही। सराश यह कि शिक्षा-मन्त्री की योजना के सफल हो जाने के बाद भी हिन्दी और उर्दू की पाठ्य पुस्तकें उच्च पारिभाषिक और त्रैज्ञानिक शब्दों को छोड़कर वास्तव में हिन्दी और उर्दू में ही होंगी। इन सब बातों की रोशनी में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का यह अर्थ निकलता है - शिक्षा के माध्यम दो हों हिन्दी और उर्दू, लिपि दो हों, पाठ्य-पुस्तकें हिन्दी और उर्दू में हों, परन्तु क्लास एक हो और अध्यापक एक हो, शेष अव्यापक पर छोड़ दिया जाय—जिस तरह उसे एक ही क्लास में एक ही घंटे में दोनों माध्यम वाली को पढ़ा मिले उस तरह वह पढ़ावे, अर्थात् वह केवल खड़ी बोली की क्रियाएँ बोलने के लिये वाच्य हो, उनके साथ वह चाहे हिन्दी शब्दों का प्रयोग करे चाहे उर्दू शब्दों का—चाहे वह 'अनुवाद' कहे, चाहे 'तरजुमा', चाहे 'विज्ञान', चाहे 'साइन्स', चाहे 'राजनीति', चाहे 'स्यासत' चाहे 'दशमलव' चाहे 'आशाश्रित्ता', आदि, और बोर्ड पर चाहे जिस लिपि में—देवनागरी या फारसी लिपि—में लिखे ( 'हिन्दुस्तानी' के अंगरेजी शब्दों की कानूनी सीमा बंधने के बाद और रोमन लिपि का कानूनन बहिष्कार करने के बाद महसूस शब्दों के दो दो पर्याय और दो लिपियाँ तो फिर भी बच रहेंगी न ) । \*

---

\* सयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री श्रीसम्पूर्णानन्द जी द्वारा संयोजित संयुक्त-प्रान्त के विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलरों की यह काफरेन्स २ अगस्त, १९४७ को हो गई। इस काफरेन्स को बुलाने की घोषणा शिक्षा मन्त्री ने मार्च में की थी, हुई यह अगस्त में और इस बीच में भारत का विभाजन हो चुका था और उसके बाद यह भी सुनाई पड़ने लगा था कि सयुक्त-प्रान्त की सरकार ने हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का निश्चय किया है, अतः आशा की जाती थी कि यह कांफरेन्स अब 'हिन्दुस्तानी' का बह्वेदा समाप्त कर हिन्दी को प्रान्त के विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम बनाने



बिना हिन्दियों के सहयोग के नहीं फल फूल सकता, इसलिये 'हिन्दुस्तानी' की सफलता के लिये वे उसे प्रथम हिंदी प्रान्तों की राजभाषा बनाना चाहते हैं\* । अब कल्पना कीजिये—हिंदी प्रान्तों में राज-व्यवहार में सब तरफ 'हिंदु-

\* इसी कारण वे केन्द्र में, जैसे रेडियो में, हिन्दुस्तानी को प्रान्तीय भाषाओं ( जिनमें हिन्दी उर्दू भी शामिल हैं ) के अतिरिक्त बतौर राष्ट्रभाषा के नहीं बरन् बतौर एक प्रदेश अर्थात् हिंदी प्रांतों की भाषा के प्रयुक्त करना चाहते हैं । रेडियो से अन्य प्रांतीय भाषाओं में खबरें होती हैं, हिंदी और उर्दू में नहीं । उनकी जगह 'हिन्दुस्तानी' है । क्यों ? इसलिये कि अगर आज हिन्दी और उर्दू में भी खबरें होने लगे तो 'हिन्दुस्तानी' की खबरें कौन सुनेगा, उन्हें सुननेवाला कौन रह जायगा ? इसी कारण सर अकबर हैदरी की रेडियो कमेटी में डा० ताराचन्द ने 'हिन्दुस्तानी' के 'Experiment' ( प्रयोग ) की सफलता के लिये हिन्दी और उर्दू में खबरें न देना आवश्यक करार दिया । वे 'हिन्दुस्तानी' को पहले एक प्रान्तीय भाषा मनवाना चाहते हैं ताकि उसकी जड़ जम जाय । यह बात दूसरी है कि सरकार ने भी लाखों व्यक्तियों द्वारा निश्चित हिन्दी और उर्दू गैलियों का जन्मसिद्ध अधिकार छीनकर डा० ताराचन्द और उनके आधे दर्जन साथियों की अभीष्ट 'हिन्दुस्तानी' को प्रतिष्ठित करना उचित समझा, अथवा लाखों व्यक्तियों की माँग से डा० ताराचन्द की माँग को अधिक महत्व दिया । इसमें सरकार का खुद अपना स्वार्थ है । क्या है, यह रेडियो की नीति से परिचित हिन्दीवाले मलीभौति जानते हैं । केन्द्र में हिन्दुस्तानीवालों की आज चल रही है; हिन्दी प्रान्तों में अब धावा बोला जा रहा है । आज कहा जा रहा है, हिन्दी उर्दू में खबरें और अन्य सरकारी प्रोग्राम ब्राडकास्ट नहीं हो सकते (हाँ, वज्रौल ताराचन्दी रेडियो कमेटी के, उनका उद्देश्य 'हिन्दी उर्दू' के साहित्यिक प्रोग्राम जैसे कविता-पाठ, आदि बन्द करना नहीं है— देखिये न ! ), कोई केन्द्रीय व्यवहार हिन्दी उर्दू में नहीं हो सकता—केवल 'हिन्दुस्तानी' और प्रान्तीय भाषाओं में होगा; कल कहा जायगा कि युक्त-प्रांत, बिहार, आदि में हिन्दी या हिन्दी उर्दू दोनों को राज-व्यवहार में कोई स्थान नहीं मिल सकता, केवल 'हिन्दुस्तानी' चलेगी, हाँ, हिंदी उर्दू में साहित्य रचना और कविता पाठ नहीं रोका जायगा ।

( उदाहरण के लिये गणित के सवाल को पहले देवनागरी में हल करके फिर उसे उर्दू लिपि में हल करना पड़ेगा ), और पढ़ाना लगभग असंभव हो जायगा, (४) यदि शिक्षा-विभाग की ओर से बोलते हुये ( Talkie ) शिक्षा-फिल्म तैयार किये जायें, तो या तो प्रत्येक फिल्म अलग अलग हिन्दी और उर्दू में बनाया जाय ( या फिर प्रत्येक हिन्दी शब्द के साथ उर्दू पर्याय और प्रत्येक उर्दू शब्द के साथ हिन्दी पर्याय बोला जाय जो लगभग असंभव है ), या किसी निश्चित अनुपात में कुछ फिल्म हिन्दी में तैयार किये जायें और कुछ उर्दू में, इत्यादि, इत्यादि ।

इन सब बातों का क्या अर्थ है और उनका क्या परिणाम होगा, अब इस पर हिन्दी वालों के दृष्टि-कोण से विचार कीजिये । इनका अर्थ है कि चूँकि हिन्दी प्रान्तों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उर्दू माध्यम की माँग करते हैं, इतना ही नहीं कि हिन्दी वालों के पैसे से ही उनके लिये अलग उर्दू माध्यम का प्रबन्ध कर दिया जाय, बल्कि हिन्दी वालों को यह भी अधिकार नहीं रहा कि उनके बच्चे अन्यभाषा-भाषियों की भाँति शुद्ध हिन्दी के माध्यम द्वारा सीधी-सादी तौर से शिक्षा प्राप्त कर सकें— इतना ही नहीं कि उर्दू को भी वही अधिकार दे दिये जायें जो हिन्दी को दिये जायें, बल्कि हिन्दी विकृत की जाय, उसकी 'हिन्दुस्तानी' की जाय, और 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर इ गलिस्तानी प्रतिष्ठित की जाय ( हिन्दी-उर्दू के द्वन्द्व से बचने के लिये अँगरेजी से शब्द लेकर, जबकि इनमें से अधिकांश शब्द अन्य प्रान्तीय भाषाओं में देशी स्रोतों से बनाये जायेंगे, और 'हिन्दुस्तानी' की बला सिर पर सवार न होती तो हिन्दी में भी देशी स्रोतों से बनाये जाते ), और सम्भवतः हिन्दी की वर्तमान शब्दावली की भी काट-छाँट करके उर्दू शब्दों को मिलाकर ( 'समझौते' के लिये ) एक कामन शब्दावली बनाई जाय । और उर्दू लिपि के कारण हिन्दी शब्दों का उच्चारण भ्रष्ट किया जाय । जबकि अन्य प्रान्तों के बालक केवल अपनी अपनी प्रान्तीय भाषायें मिलाकर उच्च से उच्च

हिन्दू अब भी कचहरियों और दफ्तरों में भरे हुए हैं। कुछ अपनी अवस्था का अनुभव कर अब पश्चात्ताप कर रहे हैं और अपने बाप-दादों को कोस रहे हैं, और कुछ हिन्दुस्तानी वालों के मुखिया बन बैठे हैं (कारण स्पष्ट हैं)। वास्तव में उर्दू के पिछले सौ वर्ष लम्बे अखण्ड राज्य में हिन्दी प्रांतों (मुख्यतः युक्त-प्रात) के हिन्दुओं और हिन्दू-संस्कृति का जो घोर पतन हुआ है, वह कई सौ वर्ष लम्बे मुस्लिम-शासन और फारसी के राज्य में भी नहीं हुआ था। क्यों? इसीलिये कि उर्दू हिन्दी की ही एक विद्वृत शैली होने के कारण हिन्दी का नाश करने में फारसी की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ थी। जनता को वह इतनी दुरुह नहीं मालूम पड़ी जितनी फारसी, उसका विदेशीपन धीरे धीरे भूलने लगा और अन्त में बहुत में उसे ही वास्तविक हिन्दी मानने लगे। आज भी उर्दू को ही वास्तविक हिन्दी या हिन्दुस्तानी मानने वाले मौजूद हैं, और वे ही युक्त-प्रात में हिन्दुस्तानी वालों के ढल का संचालन कर रहे हैं। अच्छा, हिन्दी का उत्थान कब से आरम्भ हुआ? जब से उस पर थोड़ी बहुत राज-कृपा हुई और वह स्कूलों में पढाई जाने लगी। और देवनागरी का प्रचार तब से बढ़ा जब महामना मालवीय जी के उद्योग में राजभाषा उर्दू को पाजामा के साथ साथ घोंटी भी पहनाने का हुक्म हुआ (उसका भी कितना विरोध हुआ—डा० ताराचन्द्र और प० सुन्दरलाल के पूर्वजों की ओर से ही!) फिर भी बीस-पच्चीस वर्ष पहले तक स्कूलों में हिन्दी पढनेवाले छात्रों की संख्या उङ्गलियों पर गिनी जा सकती थी। कक्षा में हिन्दी वाले छात्रों की संख्या होती थी पाँच, और उर्दू वाले छात्रों की संख्या होती थी पचास जिनमें से चालीस हिन्दू होते थे और दस मुसलमान। यह सब उर्दू के राज्याश्रय के कारण हुआ। आज भी जो कायस्थ बच्चे स्कूलों में प्रथम भाषा उर्दू पढते देखे जाते हैं, वह केवल उर्दू के राज्याश्रय के ही कारण, क्योंकि वैसे एक हिन्दू बच्चे के लिये हिन्दी के मुक्ताबले उर्दू में रती-

अपनाया था और वह जिस रास्ते पर चल रही थी, उससे प्रकट था कि 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के दूसरे अर्थ पर जोर दिया जाता, और कांग्रेसी सरकारें 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के नाम पर हिन्दी की सुन्नत करके उसे दोनों लिपियों में हिन्दी प्रांतों में शिक्षा के माध्यम के पद पर प्रतिष्ठित करतीं। श्री सम्पूर्णानन्द का 'हिन्दुस्तानी' की पारिभाषिक शब्दावली गढ़ने के लिये सयुक्त-प्रान्त के विश्वविद्यालयों के वाइस-चान्सलरो की कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना इस ओर एक कदम था। विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रांतीय भाषायें शिक्षा का माध्यम होतीं, पंजाब, सीमा-प्रांत और सिन्ध में उर्दू शिक्षा का माध्यम होती परन्तु हिन्दी कहीं शिक्षा का माध्यम नहीं होती—हिन्दी प्रांतों में भी नहीं। इस क्षेत्र से हिन्दी का अस्तित्व उठ जाने के बाद अन्य सब क्षेत्रों से हिन्दी का अस्तित्व स्वतः उठ जाता क्योंकि जब जड़ ही सूख जाती तो पत्ते हरे कैसे रह सकते थे।

## २

परन्तु अब परिस्थिति बिलकुल बदल चुकी है। देश के विभाजन के बाद कांग्रेस के हिन्दुस्तानीवाद के लिये कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अधिक कहने की जरूरत नहीं। भारतीय विधान-परिषद् की कांग्रेस पार्टी ने हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि बनाने के पक्ष में फैसला देकर इस मस्य को स्वीकार कर लिया है। हमें खेद अवश्य है कि कांग्रेस की अँगुठे खोलने के लिये देश के विभाजन जैसी दृष्टय को विटीर्ण करने वाली और कलेजा ममोमने वाली घटना की जरूरत पड़ी। अस्तु, अब हिन्दुस्तानी-वाद का सर्वथा अन्त हो जाना चाहिये। इसके बाद अब हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा के माध्यम के रूप में केवल हिन्दी और उर्दू पर विचार करना शेष रह जाता है। परन्तु हिन्दी प्रांतों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों माध्यम के रूप में स्वीकृत नहीं जा सकती। कारणों की ओर ऊपर इशारा किया जा चुका है। चाहे दोनों माध्यम बानों

फैसले, सरकारी सूचनायें, इत्यादि 'अदब' मुना मुनाकर उमे प्रचलित कर देंगी, तब हिन्दी की स्वाभाविक शैली में ही क्या 'साहित्य' के स्थान में 'अदब' न आ बैठेगा ? अर्थात् जिस प्रकार राजभाषा उर्दू ने हिन्दी में विदेशी शब्द घुसेड़े, बोलचाल में विदेशी शब्द घुसेटे ( यहाँ तक कि दिल्ली और लखनऊ की शिक्षित वर्ग की बोलचाल ही उर्दू हो गई ), और अब राजभाषा अँगरेजी एक नितान्त भिन्न भाषा होते हुये हिन्दी में विदेशी शब्द घुसेड़ रही है, बोलचाल में विदेशी शब्द घुसेड़ रही है ( यहाँ तक कि शिक्षित वर्ग की बोलचाल ही आधी हिन्दी आधी अँगरेजी या इङ्गलिस्तानी हो गई है ), क्या उसी प्रकार राजभाषा 'हिन्दुस्तानी' शिष्ट समाज की बोलचाल की भाषा नहीं हो जायगी, और हिन्दी की स्वाभाविक शैली को नहीं ले डूबेगी ? कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी प्रान्तों में राज-व्यवहार की भाषा 'हिन्दुस्तानी' होने पर साहित्य में भी हिन्दी नहीं रह सकती । हिन्दी पर 'हिन्दुस्तानी' के पहले प्रकार के आक्रमण का यही रहस्य है । इस आक्रमण का अन्तिम सर्ग होगा हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम 'हिन्दुस्तानी' बनाना ( आरम्भ हो चुका है—देखिये परिशिष्ट १७ ) । उस सर्ग की समाप्ति पर केवल कुछ शोध-विद्यार्थी प्राचीन हिन्दी साहित्य का संस्कृत साहित्य की भाँति अध्ययन करेंगे । हिन्दी भाषा का विषय ही न रहेगा, और यदि रहेगा भी तो 'हिन्दुस्तानी' भाषा के विषय को, यदि वह अनिवार्य न हुआ तो भी ( यद्यपि राष्ट्रभाषा के नाते वह सबके लिये अनिवार्य होगा ), प्रथम भाषा के रूप में लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मुकाबले में हिन्दी भाषा के विषय को लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या उँगलियों पर गिनने लायक होगी—उसी प्रकार जिस प्रकार बीस-पच्चीस वर्ष पहले तक उर्दू लेने वालों के मुकाबले में हिन्दी लेने वालों की संख्या नगण्य थी । वस, हिन्दी की स्वाभाविक शैली का इतना ही अस्तित्व शेष रहेगा । ( और इस स्वाभाविक शैली का स्थान लेने

इ जीनियरों, मुसलमान वैज्ञानिकों और अन्य मुसलमान टेकनिकल व्यक्तियों की सूची बनाने का काम सौंपा है जो पाकिस्तान की सेवा करने को तैयार है ) ने स्पष्टतः घोषित कर दिया है कि पाकिस्तान के सब विश्व-विद्यालयों ( अर्थात् ढाका विश्वविद्यालय का भी ) की शिक्षा का माध्यम उर्दू होगा, और यह भी कहा है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का भी माध्यम उर्दू होगा । सिन्ध के शिक्षा-मंत्री ने बताया है कि कराची विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम तो उर्दू होगा ही, सिन्ध में, और पाकिस्तान भर में, माध्यमिक शिक्षा का भी माध्यम उर्दू होगा और उर्दू का विषय प्राथमिक स्टेज से ही सबके लिये अनिवार्य होगा, अलबत्ता प्राथमिक शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से दी जायगी ( यह देखना बाकी है कि प्राथमिक शिक्षा के लिये ही हिन्दी भी माध्यम के रूप में स्वीकृत की जाती है या नहीं ) । सिन्ध सरकार ने हिन्दुओं की शिक्षा-संस्थाओं को, जो सभव था हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाती, स्पष्ट धमकी दी है कि यदि उन्होंने माध्यम के विषय में सरकारी नीति का अनुकरण न किया तो सरकारी मदद विलकुल बन्द कर दी जायगी, और यह भी घोषित कर दिया गया है कि सिन्ध की जो भी शिक्षा संस्था, चाहे उसे सरकार एक पैसे की भी मदद न देती हो, कराची विश्वविद्यालय से अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ेगी, ( अर्थात् जो उर्दू को शिक्षा का माध्यम नहीं बनावेगी ), उसे सरकारी स्वीकृति ( recognition ) प्राप्त नहीं होगी । यहाँ यह बताना जरूरी है कि पाकिस्तान ने उच्च शिक्षा का माध्यम केवल एक रखकर अनुचित नहीं किया है । सभी उन्नतिशील और प्रजातांत्रिक देशों में जहाँ एक अल्पसंख्यक दल को खुश करने के लिये उसके साथ विशेष व्यवहार करना और उसे भिर पर बैठाना राष्ट्रीयता नहीं समझा जाता, ऐसा ही होता है । अमरीका की ही मिसाल दी जा सकती है, जहाँ जर्मन, डच, फ्रांसीसी, अंगरेज आदि सभी नागरिकों की शिक्षा का माध्यम केवल एक, अंगरेजी, है । राष्ट्रीय

अन्य वाग्व्यानों में तैयार की जा रही है, उससे हिन्दी की स्वाभाविक शैली को वैसा ही खतरा है जैसा मिशनरियों की मराठी में मराठी की स्वाभाविक शैली को उत्पन्न हो गया था। इसका जिक्र पहले किया जा चुका है। प्रश्न किया जा सकता है कि उर्दू भी तो हिन्दी की एक शैली है, उसके प्रभाव में हिन्दी की स्वाभाविक शैली को बचाने के लिये क्या किया जा रहा है / ठीक है, हिन्दी पर उर्दू का भी बुरा प्रभाव पड़ा है और आगे और पड़ेगा। हम उससे भी हिन्दी को बचाने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। इस पुस्तक का प्रथम भाग इसी दिशा में एक कदम है। हम उर्दू को भी हिन्दी की एक अस्वाभाविक शैली मानते हैं ( जो विविष्ट जनों में प्रचलित है ), और हम उसका प्रचार नहीं करते। परन्तु उर्दू और 'हिन्दुस्तानी' में बड़ा भारी अन्तर है। उर्दू शैली अपनी भिन्न लिपि के कारण आगे बढ़ी। यदि हिन्दी एक भिन्न लिपि में न लिखी जाती तो भाषा भी भिन्न न होती। परन्तु जहाँ एक भिन्न लिपि ने एक भिन्न शैली को जन्म दिया, वहाँ उसने उस शैली को हिन्दी की स्वाभाविक शैली से पृथक् भी रक्खा। जिन्होंने उर्दू शैली में लिखना चाहा उन्होंने उसे फ़ारसी लिपि में लिखा, यहाँ तक कि फ़ारसी लिपि 'उर्दू लिपि' कहलाने लगी। लिपि ने एक पार्थिव बाधा का काम किया। लिपि के कारण हिन्दी उर्दू के अत्यधिक प्रभाव से बच गई, और

---

रूप ले। 'जिन बातों में सब जमातों और फ़िकों के लोग एक राय हैं उन्हें चमकाने की कोशिश करेगा'। पता नहीं, 'नया हिन्द' की विमलित्ज़ाह — 'हिन्दुस्तानी बोली और दोनों लिखावट'— पर ही 'सब जमातों और फ़िकों के लोग' एकमत हैं या नहीं, हाँ, प्रयाग में हिन्दुस्तानी वालों का एक ताउद-स्पीकर अवश्य लग गया।

( 'नया हिन्द' का प्रकाशन आरम्भ हो गया है और उक्त अनुमान की पुष्टि भी हांगर्ड है। इसकी 'हिन्दुस्तानी' है उर्दू जिसमें, श्रीभदन्तश्रानन्द कौसल्या-यन के शब्दों में, 'धींच धींच में कुछ हिन्दी वाक्य हैं जो देवनागरी में शुद्ध और उर्दू लिपि में शुद्ध नहीं लिखे जा सके हैं'। )

और लिपि-समस्या ( जो 'हिन्दुस्तानी' के भ्रमेले के बाट भी ज्यों की त्यो रहती है ) का एक मात्र व्यावहारिक और राष्ट्रीय हल, तथा देश के विभाजन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का तकाजा यह है कि हिन्दी प्रान्तों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम केवल हिन्दी होनी चाहिये । जो गैर-सरकारी शिक्षा-संस्था ऐसा करना स्वीकार न करे, उसे न सरकार मदद दे और न उसे सरकार स्वीकृत (recognise) करे ।

(२) माध्यमिक स्टेज से हिन्दी के शिक्षा का माध्यम होने का अर्थ है कि हिन्दी भाषा का विषय प्राथमिक (primary) स्टेज से ही सबके लिये अनिवार्य हो (अन्यथा माध्यमिक स्टेज में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा कैसे दी जायगी ?), और कम से कम माध्यमिक स्टेज के अन्त तक (आजकल के इन्टरमीजिएट तक) सबके लिये अनिवार्य रहे, और तदपुरान्त आजकल की 'जेनरल इङ्गलिश' का भाँति 'साधारण हिन्दी' का विषय सब के लिये अनिवार्य हो ।

(३) विशेष परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षा के लिये उर्दू, बँगला, आदि के माध्यम का भी प्रबन्ध किया जा सकता है । परन्तु हिन्दी भाषा का विषय फिर भी सबके लिये अनिवार्य होगा । अचर्य ही यह उर्दू, बँगला, आदि के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त बोझ होगा, और परिणामस्वरूप अधिक से अधिक विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे । यह वाछनीय है ।

(४) उर्दू भाषा और साहित्य का विषय माध्यमिक स्टेज से वैकल्पिक विषयों को सूची में रक्खा जाय । बँगला, पंजाबी या अन्य प्रान्तीय भाषाएँ भी माध्यमिक स्टेज से वैकल्पिक विषयों की सूची में रक्खी जायँ ।

(५) रेडियो के स्कूली प्रोग्राम, शिक्षा-फिल्म, आदि सब 'हिन्दी में ही और वनें ।

(६) आजकल संयुक्त-प्रांत में एंग्लो-वर्नाक्यूलर स्कूलों में छात्रों के लिये



गलत है कि 'हिन्दुस्तानी' में उर्दू की भी वही हानि होगी जो हिन्दी की। यह पहले कहा जा चुका है कि गण्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' केवल हिन्दी को खा जाना चाहती है। उर्दू 'हिन्दुस्तानी' के दोनों प्रकार के हमलों में इसलिये सुरक्षित है कि ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो पजाब, सीमा-प्रान्त, आदि उर्दू प्रान्तों में उर्दू के स्थान में 'हिन्दुस्तानी' (और दोनों लिपि) को गणभाषा बनवा सके, और दूसरे प्रकार के हमलों से उर्दू अपनी लिपि के कारण सुरक्षित है क्योंकि उर्दू-लिपि में हिन्दी के अधिकांश संस्कृत शब्द लिखे ही नहीं जा सकते। यह पहले बतलाया जा चुका है कि जो 'हिन्दुस्तानी' उर्दू लिपि में प्रकट होती है, वह शुद्ध उर्दू से भिन्न नहीं होती। इसका कारण बहुत हद तक उर्दू लिपि है। उर्दू में कुछ भिन्न हिन्दुस्तानी केवल देवनागरी में प्रकट होती है, क्योंकि उसी में प्रकट हो सकती है। उर्दू वाले एक तो वैसे ही हिन्दी नहीं जानते और न जानने की पर्वाह करते हैं (बगन् उससे घृणा करते हैं), दूसरे उनकी लिपि की अपूर्णता एवं अचेजानिकता हिन्दी के विरुद्ध एक अतिरिक्त किले का काम करती है। हिन्दी के साहित्यिक ही उर्दू सीखते हैं और वे ही 'हिन्दुस्तानी' की धुन में हिन्दी में उर्दू शब्द भरकर हिन्दी को विकृत कर सकते हैं। अतः सब प्रकार से 'हिन्दुस्तानी' केवल हिन्दी की दुश्मन है। इसका प्रमाण दिया जा सकता है। 'हिन्दुस्तानी' के प्रभाव से केवल हिन्दी उर्दू शब्दों से लदती जा रही है, जब कि उर्दू पहले की भौति विशुद्ध है। 'हिन्दुस्तानी' ने हिन्दी के साहित्यिक ही हिन्दी में छीने हैं, उर्दू के नहीं (आज 'हिन्दुस्तानी' लिखने वालों में कितने उर्दू लेखक दिखाई देते हैं? और जो दिखाई देते हैं उनकी हिन्दुस्तानी क्या उर्दू से भिन्न है?), हिन्दी के साहित्यिकों पर ही हिन्दुस्तानी वाले दबाव डाल रहे हैं। सम्मेलन त्याग कर कितने ही हिन्दी वाले 'हिन्दुस्तानी' की नेना में भरती हो गये, परन्तु अजुमन-तरकी-उर्दू से किमी ने त्याग-पत्र नहीं दिया। हिन्दी प्रचारकों को ही पकड़-पकड़ कर 'हिन्दुस्तानी' की

## उत्तर—परिशिष्ट १

### रोमन लिपि का जयजयकार

( लेखक—रविशंकर शुक्ल )

हिन्दुस्तानी-वाद पर दृष्टिपात करते हुए प्रसिद्ध भाषा-वेत्ता डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने एक बार कहा था, “गांधी जी के ‘दोनों लिपि’-वाद के परिणाम-स्वरूप वेचल रोमन लिपि वा जयजयकार होने वाला है।” मालूम पड़ता है कि उनकी भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है। इन पक्तियों का लेखक पाठकों का ध्यान दो बातों की ओर प्रमुख रूप से खींचना चाहता है—पाठक स्वयं उनसे निष्कर्ष निकाल लें।

१

यह सबको मालूम है कि हमारी वर्तमान ‘राष्ट्रीय’ सरकार में मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा सदस्य हैं। इस निरन्तर देश की केन्द्रीय सरकार में शिक्षा सदस्य का पद संभालने के बाद मौलाना साहब को जो सबसे पहला और सबसे आवश्यक काम जँचा है वह है रोमन लिपि का प्रचार। १८ फरवरी, १९४७ को एक प्रेस कान्फ़ेन्स में उन्होंने रोमन लिपि की जोरदार वकालत की। इन पक्तियों के लेखक से न रहा गया। उसने यह अनुभव करते हुए भी कि नकारखाने में तूती की कोई नहीं सुनेगा, मौलाना आजाद को एक पत्र लिखा। मौलाना आजाद कितने पानी में हैं, रोमन लिपि के विषय में उनसे क्या विचार हैं और उनका क्या कार्यक्रम है, और सत्य क्या है तथा उसकी किस प्रकार हत्या की जा रही है, यह सब उस पत्र व्यवहार से भली भाँति स्पष्ट हो जाता है जो वर्तमान लेखक और केन्द्रीय

किसी भी शत्रु का मुकाबला करने के लिये पहले एक 'बेस' ( base ) की, या कहिये एक किले की, आवश्यकता होती है। हिन्दी को भी हिन्दुस्तानी का मुकाबला करने के लिये एक गढ़ की जरूरत है। यह गढ़ हिन्दी का अपना घर ही हो सकता है। हिन्दी को पहले अपने घर पर पूर्ण रूप से अधिकार करना चाहिये। यदि हिन्दी अपने घर में ही अपने पैर न जमा सकी, तो किमी बाहरी शत्रु का मुकाबला कैसे करेगी ? हिन्दी का घर मध्य-देश है जिसमें युक्त-प्रान्त, मध्य-प्रान्त, बिहार और राजस्थान स्थित हैं। हिन्दी के साम्राज्य की यही राजधानी है, यहीं से हिन्दी के कार्य का संचालन हो सकता है। साम्राज्य की सीमाओं पर कुछ भी हो जाय, जब तक राजधानी सुरक्षित है तब तक आशा है। यदि हिन्दी अपनी राजधानी में से ही निकाल दी गई, तो समझ लीजिये इस ससार से हिन्दी उठ गई। जैसा पहले बतलाया जा चुका है, हिन्दी को अपने घर में ही अपदस्थ करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। हिन्दी को पहले इस प्रयत्न को विफल करना होगा, हिन्दुस्तानी की परछाई तक को अपने घर से दूर भगाना होगा। पहले हिन्दी का अपने घर में अखण्ड राज्य स्थापित होना चाहिये। यह कार्य भी साधारण नहीं रह गया, और जितनी देर की जायगी उतना ही कठिनतर होता जायगा। एक पल भी देर करने का समय नहीं है। सबसे पहले हिन्दी को हिन्दी प्रान्तों में राजभाषा अर्थात् असेम्बली की, दफ्तरों, कचहरियों, पुलिस, म्युनिसिपैल्टी, आदि की भाषा बनाना होगा—व्यवहार में और कानून में। हम कानून में 'हिन्दुस्तानी' शब्द तक नहीं रहने दे सकते। यह सब करना हमारे हाथ में है, और हमें करना ही होगा। हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी के लिये राज्याश्रय प्राप्त करना ही होगा। कुछ हिन्दी-प्रेमी कहते हुये सुने जाते हैं कि हिन्दी बिना राज्याश्रय के आगे बढ़ी है और उसे राज्याश्रय की आवश्यकता नहीं, परन्तु शायद इससे बढ़कर कोई दूसरी मूर्खता की और हिन्दी के हित में घातक बात नहीं हो सकती। क्या हम उस उन्नति में

literate during their service in the Army are not to lapse into illiteracy, they must be provided with suitable literature in Roman Hindustani. It will take time for every person to learn both Devnagri and Urdu scripts and till this is achieved, it would be worth considering whether the use of Roman as a supplementary script may not be a temporary expedient. There are millions of Bengalees, Madrasis, Oriyas, Assamese and men speaking other languages who can understand Hindustani and pick it up quickly but for the impediment in their progress because of the script. It is the case of these people that Hon'ble Member had in mind when he referred to the use of the Roman script for Hindustani."

( वाक्य रेखांकित लेखक ने किये हैं )

( ३ ) लेखक का श्री टी. यस. कृष्णमूर्ति को पत्र, ता० ६-३-४७

प्रिय महोदय,

आपका १-३-४७ का पत्र मिला। धन्यवाद। अपना पत्र लिखने से पूर्व मैंने १८-२-४७ की प्रेस कान्फ्रेंस का विवरण भली भाँति पढ़ लिया था। आपको मेरे पिछले पत्र में उन सब तर्कों का उत्तर मिलेगा जो माननीय शिक्षा-सदस्य ने रोमन लिपि के पक्ष में उपस्थित किये थे और जिन्हें आपने अपने पत्र में दोहराया है।

मैनिकों के लाभार्थ अस्थायी रूप में रोमन लिपि को प्रयुक्त करने के अतिरिक्त और उसमें विलकुल अलग शिक्षा-सदस्य रोमन लिपि को बटाना

वचित नहीं किया जा सकता। जब तक हिन्दी-प्रान्तों में अधिकांश जनता की भाषा हिन्दी है, तब तक राज-व्यवहार में उसका स्थान किसी दूसरी भाषा या शैली को नहीं दिया जा सकता। किसी सरकार को एक नई भाषा या शैली गढ़कर जनता पर लादने का अधिकार नहीं, और न वह एक नई लिपि लाद सकती है। आगे चलकर जनता हिन्दी शैली को चाहे बिगाड़े चाहे बनावे, उसमें चाहे जो परिवर्तन करे, परन्तु इस समय जनता ने हिन्दी की जो शैली निश्चित कर रखी है अर्थात् जिस शैली में अधिकांश लेखक लिखते हैं, आज वही शैली राजभाषा की शैली हो सकती है। कोई सरकार उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। जो 'हिन्दुस्तानी' शैली की रूप-रेखा निश्चित करने की बात कहते हैं, उन्हें बता देना चाहिये कि जनता आज तक बैठी नहीं रही, उसने अपनी हिन्दुस्तानी की शैली या शैलियाँ निश्चित कर ली हैं—और वे हैं हिन्दी और उर्दू। आज एक दर्जन आदमियों की गढ़ी हुई 'हिन्दुस्तानी' शैली आठ दर्जन आदमियों की जिद के कारण किसी भी प्रकरण में इन दो शैलियों को अपदस्थ नहीं कर सकती। हिन्दी प्रान्तों में उर्दू शैली को भी स्थान मिल सकता है, परन्तु कोई 'हिन्दुस्तानी' शैली हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती।

यह बात याद रखनी चाहिये कि यदि हिन्दी-प्रान्तों में हिन्दी का बोल-वाला रहा, और वह राजभाषा हुई (अकेली या उर्दू के साथ साथ), तो राष्ट्र-भाषा भी 'हिन्दुस्तानी' नहीं हो सकती। इस तथ्य पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। राष्ट्र-भाषा की शैली प्रान्त-भाषा की शैली से भिन्न रह ही नहीं सकती। 'हिन्दुस्तानी' का जन्म ही न होगा। अहिन्दी लोग हिन्दुस्तानी को गढ़ कर उसे जीवित रख ही नहीं सकने। जो खड़ी बोली हिन्दी प्रान्तों में चलेगी, अन्त में वही राष्ट्र-भाषा होगी। यदि हम हिन्दी वाले अपने प्रान्तों में हिन्दुस्तानी को उकरा कर हिन्दी को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, तो उससे भिन्न हिन्दी राष्ट्र में चल ही नहीं सकेगी (आज तक

देवनागरी मात्र सिखाने के वाद शिक्षा-विभाग को और ध्यान देने की आवश्यकता न रह जायगी और इसलिये वह देश का स्थायी लाभ होगा। रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य सुलभ होने पर सैनिक किसी दूसरी लिपि सीखने के प्रति उदासीन भी हो जायेंगे और इसलिये रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण की सगत शिक्षा-सदस्य की हम इच्छा से नहीं बैठती कि सब हिन्दुस्तानी शीघ्र से शीघ्र देवनागरी और उर्दू लिपि सीख लें। फिर, सेना के बीस लाख सैनिक अब एक ही छत्र तले नहीं ह। उनमें में अधिकांश अलग किये जा चुके हैं और उन्होंने अन्य नागरिकों की भोंति विभिन्न नागरिक पेशे अख्तियार कर लिये हैं। स्वाभाविक रूप से अब उनका आकर्षण अपनी अपनी प्रान्तीय भाषा और साहित्य के प्रति है उन्हें अब रोमन लिपि में प्रकाशित सरकारी हिन्दुस्तानी साहित्य की पर्वाह नहीं, जो उन्हें केवल अपने सहनागरिकों से और देश में प्रचलित हिन्दुस्तानी साहित्य से भी दूर रखने में सहायक सिद्ध होगा। माननीय शिक्षा-सदस्य ने स्वयं कहा है कि लाखों बंगाली, मद्रासी, आसामी, महाराष्ट्री ऐसे हैं जो हिन्दुस्तानी समझते हैं। उनकी साक्षरता जिस तरह भी हो उस तरह कायम रखने का सवाल ही नहीं उठता। केन्द्रीय शिक्षा-विभाग को चाहिए कि वह उन्हें देवनागरी सिखाने के लिये कदम उठाये। शेष सब अपने आप हो जायगा। यह रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण की अपेक्षा साक्षरता और हिन्दुस्तानी प्रचार की कहीं बड़ी, स्थायी और अल्पव्यय सापेक्ष सेवा होगी। जब हम भारत की भारती के लिये एक कामन लिपि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं, अबश्य ही माननीय शिक्षा-सदस्य का यह इरादा नहीं हो सकता कि कृत्रिम उपायों से और जान बूझ कर एक तीसरी लिपि घुमेड कर—और वह भी करवाताओं के खर्च पर—समस्या को और जटिल बना दिया जाय और हिन्दुस्तानी जानने वाली जनता तथा हिन्दुस्तानी साहित्य को तीन भागों में बाँट दिया

लिये गान्धीजी अपनी गुजराती पर ) अपने राजनीतिक प्रयोग करें। यदि उन्होंने हमारी हिन्दी को बिगाड़ने का प्रयत्न किया ही, तो गहरा भगवा होगा। किसी भी भाषा को विकृत करने या उसे अपने अधिकारों से बञ्चित करने का प्रयत्न मजाक नहीं है। हम राष्ट्र-भाषा की बेटी पर अपनी हिन्दी की बलि देने के लिये तैयार नहीं। हम 'हिन्दुस्तानी' की खातिर किसी भी प्रांतीय या केन्द्रीय प्रकरण में हिन्दी—जैसी भी हमारी हिन्दी आज है अर्थात् जिस भाषा का आज 'हिन्दी' नाम से बोव होना है—छोड़ नहीं सकते। यदि अहिन्दियों को हिन्दी की किसी भी शैली को गढ़कर राष्ट्र-भाषा के रूप में ग्रहण करने का अधिकार है, तो हमें भी अधिकार है कि हम उसे राष्ट्र-भाषा न मानें, अपने घर में उसे न धुमने दें, उसे न पढ़ें और न अपने बच्चों को पढ़ने दें और उसका भरपूर विरोध भी करें। रक्खें वे अपनी 'हिन्दुस्तानी' अपने पास, और यदि रख मिले तो उसे जीवित रक्खें। (परतु उन्हें जीवित रख नहीं मिलेगी\*।) हिन्दी केवल हिन्दीवालों के हाथ में है।

\* अगर उन्हें अपनी 'हिन्दुस्तानी' जीवित रख भी मिली, तो कमसे कम अन्य प्रांतीय भाषाओं के समान हमारी अपनी विशिष्ट संस्कृति का प्रतीक हिन्दी भी तो अपने क्षेत्र में रहेगी। यदि हिन्दी राष्ट्र-भाषा नहीं हो सकती, तो अन्य प्रांतीय संस्कृतियों और भाषाओं की भाँति हमारी विशिष्ट संस्कृति और उसका प्रतीक हमारी विशिष्ट भाषा हिन्दी तो रहनी ही चाहिये, और उसे अन्य प्रांतीय संस्कृतियों और भाषाओं के समान अपने क्षेत्र में और केन्द्र में वही स्थान तो मिलना ही चाहिये।

यदि आज कोई 'किंग्स इङ्गलिश' छोड़कर एक ससार-भाषा गढ़ने के निमित्त संसार की पाँच छै तरह की अङ्गरेज़ियों जैसे अङ्गरेज़ों की अङ्गरेज़ी, अमरीकन अङ्गरेज़ी, बाबू अङ्गरेज़ी, पिजिन ( Pidgin ) अङ्गरेज़ी, आदि को मिला कर तुर्की, चीनी और जापानी का छौंक देकर और अङ्गरेज़ी के आधे ग्रीक और लैटिन शब्द निकाल कर उनके स्थान में संस्कृत और अरबी शब्द धरकर एक 'मिन्नी जुन्नी' अङ्गरेज़ी शैली गढ़े ( और उसे पाँच छै लिपियों में लिखे ), तो कम से कम अङ्गरेज़ तो उसे ससार-भाषा न मानेंगे, उसे इङ्ग्लैण्ड में किसी रूप

दर्जे में किस लिपि में पढ़ाया जाता ? इस भीषण कठिनाई का अनुभव 'हिन्दुस्तानी' वाली राष्ट्रीयता के ठेकेदारों ने भी किया, अतः लखनऊ विश्वविद्यालय के उसी प्रस्ताव में जिसमें 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम बनाना स्वीकार किया गया है, 'हिन्दुस्तानी' के लिये तीन लिपियाँ स्वीकार की गई हैं—देवनागरी, फारसी लिपि और रोमन। और मालूम हुआ है कि इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में जितनी पढ़ाई 'हिन्दुस्तानी' में हो रही है, और जितना अन्य काम (जैसे विश्वविद्यालय के नोटिस, आज्ञा-पत्र, आदि) 'हिन्दुस्तानी' में हो रहा है, उस सब में अकेली और केवल रोमन लिपि का प्रयोग हो रहा है। ऐसा होना अनिवार्य है। 'दोनों लिपि'वाद के रहते जो इस स्थिति को बदलने की आशा रखता है उसे पहले मानव-प्रकृति को बदलना पड़ेगा। जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रहा है वही 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम घोषित करने नाम लूटने वाले अन्य विश्वविद्यालयों में होगा। 'हिन्दुस्तानी' की यही हिन्दुस्तानी पोशाक होगी !

पाठकों का ध्यान एक और तीसरी बात की ओर भी खींचना उचित जान पड़ता है। कुछ दिन हुए (अप्रैल, १९४७), पत्रों में आया था कि विधान परिषद की अल्पसंख्यक-परामर्श समिति (Advisory Committee for Minorities) ने कच्ची तौर पर यह तय किया है कि भारत की राष्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' हो जो देवनागरी या फारसी लिपि में लिखी जाय, तथा इस पर यह सुझाव पेश किया गया है कि 'हिन्दुस्तानी' की लिपि रोमन हो क्योंकि 'इससे अल्पसंख्यकों को भारतीय मामले समझने में आसानी होगी', और समिति ने अभी तक इस सुझाव पर अपना निर्णय नहीं दिया है। अनुमान करना कठिन नहीं कि इस सुझाव को पेश करने वाले कौन हैं। उनकी राय में भारतीयों की अपेक्षा अल्पसंख्यकों को भारतीय मामले समझाना ज्यादा जरूरी है, और चाहे करोड़ों भारतीयों को एक नई विदेशी लिपि सीखना पड़े परन्तु थोड़े से विदेशियों को एक भारतीय



पालों को चाल को विफल करें और अपनी हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें। वम, वही हिन्दुस्तानी-भाषक अमोघ अस्त्र है।

अब प्रश्न उठता है कि हिन्दी प्रान्तों में उर्दू का क्या स्थान होना चाहिये ? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, परन्तु इस सम्बन्ध में दो बातें बिलकुल स्पष्ट हैं। पहली यह कि हिन्दी प्रान्तों में उर्दू को उससे अधिक स्थान कदापि नहीं मिल सकता जो अन्य प्रान्तों में अल्पमत की भाषाओं को दिया जायगा, और दूसरी यह कि वह स्थान भी उर्दू को तभी मिल सकता है जब उर्दू प्रान्तों में, खास तौर से पंजाब में, हिन्दी को वही स्थान दिया जाय। पहली बात के सम्बन्ध में न्याय का तकाजा है कि व्यावहारिक दृष्टि से जहाँ तक सम्भव हो सरकार प्रत्येक को कम से कम आरम्भिक शिक्षा अपनी मातृ-भाषा के माध्यम द्वारा प्राप्त करने की सुविधा दे, परन्तु साथ ही साथ प्रान्त की एक कामन भाषा और लिपि हो ( जो उस प्रान्त की मुख्य भाषा और लिपि हो ) जिसे उस प्रान्त की राज-भाषा बनाया जाय और जिसका पढ़ना प्रत्येक के लिये अनिवार्य किया जाय। इन सिद्धान्तों को हिन्दी प्रान्तों पर लागू करने से यह निष्कर्ष निकलता है ( जनपद आन्दोलन को ध्यान में रखते हुये )—

( १ ) युक्त-प्रान्त में ब्रज, अवधी, बुन्देली, आदि मुख्य बोलियों में, बिहार में भोजपुरी, मैथिली और मगही में, और मध्य-प्रान्त में कोशली में प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है। हिन्दी और बिहारी की सब बोलियों की लिपि केवल एक, देवनागरी, होगी।

( २ ) यदि किसी पर्याप्त विशाल जनपद का बहुमत जनपदीय बोली में प्राथमिक शिक्षा को माँग करता है, तो उस जनपद के उसी बोली को बोलने वाले किसी अल्पमत सम्प्रदाय को ( जिसमें सम्भवतः अधिकतर

---

\* देखिये 'राष्ट्र-भाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन', पृष्ठ १४१-४६ और पृष्ठ १६०।

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ‘हिन्दुस्तानी’ के नाम पर सब भारतीय भाषाओं में से केवल हिन्दी के साथ अन्याय किया जायगा। सब भारतीय भाषाओं में खबरें होंगी, यहाँ तक पंजाबी और पश्तो में भी खबरें होंगी, परन्तु हिन्दी में खबरें नहीं होंगी। सब प्रान्तीय भाषाओं में स्त्रियों, बालकों, आदि के प्रोग्राम अबाध रूप से होंगे, परन्तु हिन्दी के प्रोग्रामों का बड़ा भाग ‘हिन्दुस्तानी’ में होगा। इस घोषणा का सबसे भयकर भाग वह है जिसमें ‘हिन्दुस्तानी’ के समर्थन में तर्क दिये गये हैं। प्रत्येक हिन्दी प्रेमी दिल पर हाथ रखकर सोचे कि इन तर्कों का क्या मतलब है और ये तर्क हिन्दी के कौन भविष्य की ओर संकेत करते हैं। मुख्य तर्कों पर ध्यान दीजिये :

( १ ) ‘हिन्दुस्तानी’ उत्तरी भारत में आम तौर से बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है जो देवनागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाती है। ( उर्दू लिपि फिर ‘उर्दू लिपि’ क्यों कहलाई ! ) अपने दिल के चोर को न छिपा सकने के कारण घोषणा के अन्त में सरकार कहती है, “हिन्दुस्तानी की यह परिभाषा दोनों रेडियो-कमेटियों ने की है।”

( २ ) सरकार अनुभव करती है कि बहुत से सुनने वाले यह नहीं चाहते कि ऐसी ( ‘यह’ नहीं ! ) भाषा हिन्दीवालों और उर्दूवालों के विवाद में पिस जाय।

( ३ ) अतः सरकार चाहती है कि आम जनता और आम सुनने वालों के लिये, साहित्यिक हिन्दी और साहित्यिक उर्दू के अतिरिक्त और उनसे अलग, ‘सरल हिन्दुस्तानी’ में प्रोग्राम हो, तथा साहित्यिक रुचि वालों के लिये हिन्दी और उर्दू में प्रोग्राम हों।

( ४ ) सरकार को आशा है कि उसके निर्णय आम जनता को पसन्द आवेंगे, यद्यपि संभव है उनसे उन दो दलों को पूर्ण सतोष न हो जिनके बीच में विवाद है।

इन तर्कों का स्पष्ट अर्थ यह है कि सरकार की दृष्टि में हिन्दी उत्तरी

गुमिषाजनक और यस्ता होगा कि लगनऊ मिश्रविद्यालय में दोनों माध्यमों का प्रयोग हो और प्रयोग मिश्रविद्यालय का माध्यम यैसता हिन्दी हो। युक्त-प्रान्त में हिन्दी माध्यम वाले और उर्दू माध्यम वाले छात्रों में ऐसा अनुपात है कि प्रयोग मिश्रविद्यालय के छात्रों की गणना लगनऊ मिश्रविद्यालय के कुल छात्रों ने फिर भी अधिक ही होगी। प्रायश्चयनानुसार प्रधान मिश्र-विद्यालय के नौ गायकों का लगनऊ मिश्रविद्यालय को और लगनऊ मिश्र-विद्यालय के अध्यापकों का इनामनाम को तद्वत्ता दिया जा सकता है। (प्रयोग मिश्रविद्यालय यैसता परीक्षक मिश्रविद्यालय है और इसलिये उन मिश्रविद्यालय की समस्या चान्दम में यैसता उनमें प्रन्तर्गत जायेगी ही समस्या है। प्रयोग मिश्रविद्यालय का माध्यम उर्दू और यनाम हिन्दी मिश्रविद्यालय का माध्यम हिन्दी ना होगा ही।) ७

( ५ ) तीनों हिन्दी प्रान्तों—युक्त-प्रान्त, बिहार और मध्य प्रान्त—को वामन भाषा और राजभाषा इन प्रान्तों की मुख्य साहित्यिक भाषा नागरी हिन्दी होगी और इन प्रान्तों के प्रत्येक निवासी के लिये हिन्दी भाषा का विषय अनिवार्य होगा ( जिस प्रकार आजकल अँगरेजी भाषा का विषय सबके लिये अनिवार्य है )। स्पष्ट है, हिन्दी माध्यम लेने वालों को हिन्दी विषय अलग में नहीं पढ़ना पड़ेगा, परन्तु उर्दू माध्यम वालों को पढ़ना पड़ेगा। उनके लिये हिन्दी भाषा का विषय माध्यमिक स्टेज में रक्खा जाय, और उसका स्टेज्ड कम में कम इतना हो कि माध्यमिक पढ़ाई समाप्त होने तक हिन्दी में इतनी योग्यता आ जाय जितनी आज प्रथम भाषा हिन्दी लेने वाले छात्र को हाई स्कूल पास करने तक आती है। पढ़ाई का बोझ सब पर समान करने के हेतु हिन्दी माध्यम वाले छात्रों के लिये माध्यमिक स्टेज

---

७ भारत के विभाजन से जो नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उसमें हिन्दी प्रान्तों में उर्दू को भी माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत नहीं किया जा सकता। देखिये परिशिष्ट १७।

सम्मेलन का प्रतिनिधि लिया गया था, के सामने ‘हिन्दुस्तानी’ पर राय देने का सवाल ही नहीं था। उसे तो केवल ‘हिन्दुस्तानी’ की शब्दावली गढ़ने का आदेश दिया गया था, और वह यह कार्य न कर सकी। उसमें अजुमन तरक्की उर्दू के प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि ‘हिन्दुस्तानी’ का किस्सा खत्म किया जाय और हिन्दी और उर्दू में अलग अलग समाचार हो, तथा सम्मेलन के प्रतिनिधि ने इसका अनुमोदन किया। सरकार ने इस बात को क्यों छिपा लिया? दो सदस्यों की एक राय होते हुये अकेले सदस्य अर्थात् हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के प्रतिनिधि की बात सरकार ने क्यों मानी? ऊपर से तुरा यह है कि सरकार ने हिन्दी और उर्दू के समर्थकों को विवादी दल ठहराया है और आप निष्पक्ष मध्यस्थ बनने का दावा किया है। भगड़ा केवल दो दलों—हिन्दी वालों और उर्दू वालों—के बीच में नहीं है। भगड़े में हिन्दुस्तानी वालों की पार्टी भी उतनी ही शामिल है। परन्तु सरकार ने इस तीसरे भगडालू दल का नाम नहीं लिया। उल्टे वह इसके साथ एकाकार हो गई है। वह निष्पक्ष जज नहीं रही वरन् इस तीसरी पार्टी का वकील बन गई है। सरकार के ‘हिन्दुस्तानी’ के साथ घोर पक्षपात का एक और सबूत है। सरकार घोषणा में स्वयं कहती है कि पत्र-पत्रिकाओं के सर्कुलेशन के आधार पर प्रत्येक स्टेशन में हिन्दी और उर्दू प्रोग्रामों का अनुपात निर्धारित किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि वे ‘हिन्दुस्तानी’ की पत्र-पत्रिकायें कौन सी हैं जिनके सर्कुलेशन के आधार पर सरकार ने सब स्टेशनों में ‘हिन्दुस्तानी’ को पृथक प्रतिनिधित्व दिया है, यहाँ तक कि दिल्ली में २० प्रतिशत दिया है? हम तो ‘हिन्दुस्तानी’ की एक भी पत्रिका का नाम नहीं जानते\*। फिर, दूसरी रेडियो कमेटी ने यह कहीं नहीं कहा

\* केवल नाम रखने से भाषा ‘हिन्दुस्तानी’ नहीं हो जाती। गांधी जी के ‘हरिजनसेवक’ या पं० सुन्दरलाल की ‘विश्ववाणी’ या डा० ताराचन्द्र के ‘नया हिन्द’ की भाषा हिन्दुस्तानी की किसी भी परिभाषा पर खरी नहीं उतरती। वह है ख़राब उर्दू, रेडियो की ‘हिन्दुस्तानी’ से भी बदतर।

स्कूलों, कालेज और विश्वविद्यालय में, यदि हिन्दी माध्यम वाले छात्रों की संख्या एक निश्चित सीमा से कम न हो, चाहेच में, व्यवहार में हिन्दी माध्यम का प्रबन्ध हो। (यह हो सकता है कि किसी क्षेत्र में बहुमत के मॉर्गने पर शिक्षा का केवल एक माध्यम पंजाबी या पश्तो या सिन्धी स्वीकृत हो, तब वहाँ न उर्दू माध्यम होगा न हिन्दी माध्यम।)\*

ऊपर की योजना दार्शनिक और तार्किक दृष्टि में आदर्श और निर्दोष नहीं कही जा सकती। इसकी समालोचना करना आसान है। परन्तु मनुष्य का जीवन भी पूर्ण और निर्दोष नहीं है। परिस्थितियों और व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुये, गहरा विचार करने के बाद लेखक निश्चित रूपसे कह सकता है कि इस योजना में मूलतः भिन्न कोई दूसरी योजना संभव नहीं।

\* पाकिस्तान बन जाने के बाद पाकिस्तान के अधिकारियों ने जो घोषणाएँ की हैं उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि उर्दू प्रांतों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम केवल उर्दू होगा। यद्यपि सिंध के शिक्षा-मंत्री ने यह कहा है कि प्राथमिक शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से दी जायगी, इसकी कोई आशा प्रतीत नहीं होती कि पाकिस्तान सरकार पंजाब, सिंध और सीमा-प्रांत में हिंदी भाषियों के लिये हिन्दी द्वारा प्राथमिक शिक्षा ही देने का प्रबंध करेगी। देखिये परिशिष्ट १७।

× अच्छा हो यदि हिन्दी वाले और उर्दू वाले मिल कर बैठें और आपस में हिन्दी तथा उर्दू प्रांतों के लिये एक समान व्यवस्था तय कर डालें, जिसमें हिन्दी और उर्दू के साथ, एक भाषा के दो रूप होने के नाते, समान व्यवहार किया जाय, और फिर हिन्दी तथा उर्दू प्रांतों में ईमानदारी के साथ प्रत्येक विभाग में हिन्दी और उर्दू को अपना अपना तय पाया हुआ स्थान दे दिया जाय। हिन्दी उर्दू के व्यर्थ के झगड़े को मिटा डालने का यही एक मात्र उपाय है। यदि ऐसा कर लिया गया तो हिन्दुस्तानी वाले टापते रह जायेंगे। वे हिन्दी उर्दू के झगड़े से लाभ उठाते हैं। हमें उर्दू वालों से कहना चाहिये कि इस हिन्दुस्तानी से हिन्दी और उर्दू दोनों को सूत्रा है, हम हिन्दी और

हिन्दी नहीं चाहता, हिन्दी नहीं समझता, ‘हिन्दुस्तानी’ चाहता और समझता है, कल सरकार कहेगी कि हिन्दी प्रदेश का ‘कामन मैन’ तुलसी और सूर को नहीं समझता, रामचरित-मानस पढ़ना नहीं चाहता वरन् उसका ‘हिन्दुस्तानी’ में सरकारी अनुवाद पढ़ना चाहता है ! जिस प्रकार सरकार ने हिन्दी के प्रोग्रामों को ‘साहित्यिक रुचि’ वालों के निमित्त बताकर हिन्दी को एक किनारे कर दिया है उसका तो यही अर्थ निकलता है कि सरकार की राय में जो भी व्यक्ति हिन्दी पढ़ता है वह ‘साहित्यिक रुचि’ वाला है और सिवा ‘साहित्यिक रुचिवालों’ के कोई और हिन्दी नहीं समझता ! जो भी हो, जब सरकार ने स्वयं हिन्दी, उर्दू और ‘हिन्दुस्तानी’ का पृथक पृथक अस्तित्व स्वीकार किया है और तीनों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया है, तो सरकार तीनों में पृथक समाचार भी क्यों नहीं देगी ? जब सरकार बँगला जाननेवालों के लिये ( साहित्यिक ) बँगला में, गुजराती जाननेवालों के लिये ( साहित्यिक ) गुजराती में यहाँ तक कि अँगरेजी जाननेवालों के लिये ( साहित्यिक ) अँगरेजी में खबरें देगी और दे रही है, तो हिन्दी जाननेवालों के लिये हिन्दी में खबरें क्यों नहीं देगी ? हिन्दी के साथ ही विशेष व्यवहार क्यों ? क्या हिन्दी समझनेवालों की संख्या अँगरेजी समझनेवालों की संख्या से भी कम है ? क्या ‘कामन मैन’ और ‘कामन लिसनर’ उस अँगरेजी को समझता है जिसमें खबरें होती हैं, परन्तु हिन्दी नहीं समझता ? यदि सरदार पटेल को ‘कामन मैन’ की इतनी चिन्ता है तो वे अँगरेजी की खबरें और अँगरेजी के प्रोग्राम क्यों नहीं बन्द करते ? लखनऊ से, उदाहरण के लिये, अँगरेजी में भी खबरें होती हैं । क्या सरकार कोई कारण बता सकती है कि इन अँगरेजी की खबरों के स्थान में हिन्दी की खबरें ब्राडकास्ट करने से ‘कामन मैन’ का अधिक लाभ क्यों न होगा ? स्पष्ट है, सरकार हिन्दी के साथ भारत की अन्य भाषाओं के साथ किये गये व्यवहार से भिन्न व्यवहार नहीं कर सकती । जिस प्रकार सरकार बंगालियों, गुजरातियों, आदि

यह योजना तो ठीक है, और हिन्दी प्रान्तों में इसको कार्यान्वित करना भी उनके हाथ में है, परन्तु यदि उर्दू प्रान्त इस योजना के अनुसार अपने वहाँ हिन्दी को स्थान न दे, तो क्या किया जायगा ? यह प्रान्तीय स्वायत्त शासन (प्रोविशियल आटोनमी) का जमाना है, शिक्षा का विषय न केन्द्रीय सरकार के पास है और न कभी होगा, अर्थात् केन्द्रीय सरकार राष्ट्रभाषा या प्रान्तों की भाषा के मामले में अपना फंसला प्रान्तों पर लादने में असमर्थ है (केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक यह तय कर सकती है कि केन्द्र का सरकारी व्यवहार किन भाषा में हो), और प्रत्येक प्रान्त भाषा के विषय में अपने वहाँ मनचाही व्यवस्था करने में पूर्ण स्वतन्त्र है। हिन्दियों को भूलना नही चाहिये कि लक्षणा में मालूम होता है कि उर्दू प्रान्त उर्दू लिपि के सिवा किसी दूसरी लिपि को, और उर्दू के सिवा किसी दूसरी हिन्दुस्तानी को, वतौर राष्ट्रभाषा के या वतौर अपने वहाँ की जनता के एक भाग की भाषा के, कोई स्थान देने को तैयार नहीं। उर्दू प्रान्तों में इस मामले में हस्तक्षेप करने में कांग्रेस भी असमर्थ है—केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उर्दू प्रान्तों की प्रान्तीय सरकारों द्वारा, और असमर्थ रहेगी। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार उर्दू प्रान्त गांधी जी की हिन्दुस्तानी के मार्ग में बाधक हैं, उभी प्रकार ये प्रान्त ऊपर वाली योजना के मार्ग में भी बाधक हैं। उर्दू प्रान्त इस योजना के अनुसार हिन्दी को स्थान आसानी से कभी न देंगे। इतना ही नहीं, उल्टे उर्दू वाले हिन्दी प्रान्तों में बड़े जोर शोर से यह आन्दोलन करेंगे कि उर्दू का सब जगह हिन्दी के समकक्ष स्थान दिया जाय, अर्थात् हिन्दी के साथ साथ उर्दू भी राजभाषा बनाई जाय, उर्दू माध्यम वालों के लिये हिन्दी भाषा का विषय अनिवार्य न किया जाय, और यदि किया जाय तो हिन्दी माध्यम वालों के लिये उर्दू भाषा का विषय अनिवार्य किया जाय, आदि। अपनी 'अपीजमेन्ट पालिसी' के कारण कांग्रेस इस आन्दोलन से सहयोग करेगी। हिन्दियों को अपने रास्ते में

अलावा कोई दूसरा स्टेशन नहीं पहुँचता। और देश में अथवा इन हिन्दी-प्रधान क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार उर्दू के प्रचार से कई गुना है। ऐसी स्थिति में दिल्ली में हिन्दी और उर्दू को बराबर प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया ? लाहौर और पेशावर में हिन्दी को बेटेज देना तो दूर रहा, सरकार ने हिन्दी को उसके प्राप्य से भी कम दिया है। पंजाब में सब हिन्दू बालिकायें और स्त्रियाँ हिन्दी पढ़ती और जानती हैं। लाहौर में हिन्दी को १५ प्रतिशत तो बेल इसी आधार पर मिलना चाहिये, परन्तु सच यह है कि बालकों के मामले में भी पंजाब विश्वविद्यालय की हिन्दी की परीक्षाओं में बैठने वालों की संख्या उर्दू की परीक्षाओं में बैठने वालों से अधिक है। ऐसी स्थिति में लाहौर में हिन्दी को क्या उर्दू के मुकाबिले में मिलना चाहिये था ? और पेशावर में हिन्दी बिलकुल नदारद है, यद्यपि सीमा-प्रान्त में अनेक हिन्दी स्कूल हैं और वहाँ की सब हिन्दू बालिकायें और स्त्रियाँ हिन्दी ही पढ़ती और जानती हैं और बहुत से हिन्दू बालक भी हिन्दी पढ़ते और जानते हैं। लखनऊ में भी हिन्दी को उसके प्राप्य से कम दिया गया है, और ‘हिन्दुस्तानी’ का पूरा भाग हिन्दी के हिस्से में से छीना गया है। यह है सरदार पटेल का ‘राष्ट्रीय न्याय’ ! एक हिन्दू के लिए हिन्दी का गला काट कर उर्दू का घर भरना और हिन्दी के भाग को कम करके उर्दू के साथ उदारता दिखाना उससे भी निकृष्ट साम्प्रदायिकता है जितनी हिन्दी को उसके प्राप्य से अधिक देना होती।

घोषणा की कुछ अन्य उल्लेखनीय बातें ये हैं ( १ ) घोषणा में कहा गया है कि ‘हिन्दुस्तानी’ के प्रोग्रामों की व्यवस्था हेडक्वार्टर का स्टाफ करेगा, परन्तु यह नहीं बताया गया कि किस प्रकार करेगा। ‘हिन्दुस्तानी’ का कोई निश्चित स्वरूप नहीं, ‘हिन्दुस्तानी’ के लेखक नहीं, फिर लेखकों को ‘हिन्दुस्तानी’ की चीजें सरकारी हिन्दुस्तानी में लिखने के लिये कैसे विवश किया जायगा ? यदि इस दिशा में कुछ न किया गया और लेखकों को अपनी



सही हिन्दी भी निकाल फेंके ? युक्त-प्रान्त और बिहार की वर्तमान कांग्रेसी सरकारों की नीति उसी बात की सूचना देती है ।

हिन्दी का अपने सर्वोच्च का ज्ञान और अपने कार्य के गुणत्व का अनुमान होना होगा । एक ओर उन्हें अपने प्रान्तों में हिन्दुस्तानी को निकाल भगाना है, और दूसरी ओर उन्हें उर्दू-बातों की अनुचित नई ओर उनके अन्वय का विशेष करना है । हम दोनों बातों में से किसी ने मुँह मार नहीं सकता । पहली बात तो बहुत साफ़ हो चुकी है, दूसरी भी कम सम्भव नहीं है । हम १३ प्रतिगत X मुसलमानों के कारण, जिनमें से अधिकतर हिन्दी बोलत या समझते हैं, न हिन्दी को सुन्नत करने को तयार हैं और न हम हिन्दी प्रान्तों की दो-दो गजभाषायें और गजलिपियाँ बनाकर अपने प्रान्तों की भाषा उर्दू पर नईय के लिये कुटागयात कर सकते हैं— इस का न्य और भी नहीं कि उर्दू प्रान्त की संस्था करने को तैयार नहीं हैं । हम कदापि नहीं हो सकते कि उर्दू प्रान्तों की एक कामन भाषा उर्दू और एक कामन लिपि फारसी लिपि हो, अन्य प्रान्तों की कामन भाषायें अपनी अपनी प्रान्तीय भाषायें ही, पन्तु हिन्दी प्रान्तों की या तो कामन भाषा हो 'हिन्दुस्तानी' या कोई कामन भाषा न हो, और लिपि हर हालत में कोई कामन न हो । ऐसी नीति में हमारे हिन्दी प्रांत अन्य प्रांतों के मुकाबले में पिछड़ जायेंगे, और हमारे प्रांतीय जीवन का मनुचिन साम्प्रतिक विकास और समष्टन न

✽ पञ्जाब के कांग्रेसी संयुक्त मन्त्रिमंडल ने या सीमाप्रांत की कांग्रेसी सरकार ने हिन्दी के लिये न उँगली उठाई है और न उठायेगी । सिन्ध का तो जिक्र करना ही बेकार है । बहुत हुआ तो डा० खान साहब कहेंगे कि वे तो सीमा-प्रांत की जनता के नौकर हैं, जनता का बहुमत चाहेगा तो हिन्दी होगी । हाँ, प० गोविन्दवल्लभ पंत, श्रीकृष्ण सिन्हा और पं० रविशंकर शुक्ल वह करेंगे जो कांग्रेस हाई कमांड, मौलाना आज़ाद और गांधीजी चाहेंगे ।

X युक्त-प्रांत, बिहार और मध्य-प्रांत में कुल मिलाकर २ करोड़ ४० लाख ( २४ मिलियन ) हिन्दू हैं और १ करोड़ ४० लाख ( १४ मिलियन ) मुसलमान हैं । ( देखिये उत्तर-परिशिष्ट ३ )

( दिल्ली से वह भी नहीं ) ‘मजलिस’ शब्द निकाल दिया गया है, परन्तु चूँकि हिन्दुस्तानी ‘सभा’ नहीं समझ सकते, उसके स्थान में ‘सुभू का प्रोग्राम’, ‘दोपहर का प्रोग्राम’ और ‘शाम का प्रोग्राम’ धर दिया गया है । ‘हिन्दुस्तानी’ की चीजें पूर्ववत् उर्दू वालों और मुसलमानों को दी जा रही हैं और उनकी भाषा पूर्ववत् शुद्ध उर्दू है जिसका अर्थ यह है कि उर्दू पेशावर, लाहौर, दिल्ली, और लखनऊ में ४५, ५६, ४० और २० प्रतिशत नहीं, ५०, ६३, ६० और ३० प्रतिशत है, और बम्बई, कलकत्ता और ढाका में हिन्दी के बराबर नहीं, दूनी है, और स्त्रियों, बालकों, आदि के तथाकथित हिन्दी प्रोग्रामों का दो-तिहाई भाग उर्दू में होता है । पेशावर और बम्बई में स्त्रियों, बालकों, आदि के प्रोग्रामों को हिन्दी में अलग किया ही नहीं गया है, अर्थात् वहाँ वे पूर्ववत् केवल ‘हिन्दुस्तानी’ अर्थात् उर्दू में हो रहे हैं । इसी प्रकार सैनिकों के प्रोग्राम, प्रवासी भारतीयों के प्रोग्राम, आदि भी हिन्दी में अलग नहीं किये गये हैं और पूर्ववत् केवल ‘हिन्दुस्तानी’ अर्थात् उर्दू में हो रहे हैं । हिन्दी वालों को उनके पत्रों के उत्तर भी ‘पयामी’, ‘जवाबी’ गण पूर्ववत् अपनी ‘हिन्दुस्तानी’ अर्थात् उर्दू में सुना रहे हैं । रेडियो की किसी पत्रिका से यह भी पता नहीं चल सकता कि कौन सा स्त्रियों या बालकों का प्रोग्राम हिन्दी का है, और कौन सा उर्दू का । रेडियो वालों की गय में दोनों प्रोग्राम सब स्त्रियों या बच्चों के लिये एक समान उपयुक्त हैं और सरकार ने महज मजाक के लिये इन प्रोग्रामों को अलग-अलग हिन्दी और उर्दू में करने के लिये कहा है, और इसीलिये सप्ताह के दोनों स्त्रियों ( या बालकों ) के प्रोग्रामों में कोई अन्तर नहीं—दोनों के संचालक वही पुराने उर्दूवाँ लोग (‘आपा’, ‘बाजी’, आदि ) हैं जो हिन्दी के पत्रों के उत्तर भी पहले दफ्तर से उनकी उर्दू में नकल करा कर देते हैं, दोनों में वही ‘आदाब-अर्ज’ चलता है और दोनों में हिन्दी और उर्दू की चीजें मिली-जुली होती हैं, अर्थात् केवल एक बार के बजाय दो बार प्रोग्राम होता है, और कुछ नहीं । प्रत्येक

मिटा देंगे। हम नहीं चाहते कि उर्दू, यद्यपि वह विदेशीयन से अति-प्रभ है, के साथ अन्याय हो, हम उर्दू के साथ न्याय में नहीं, उदात्ता में पैग आना चाहते हैं, परन्तु हिंदी के साथ अन्याय हो, वह हमें असह्य है। हिंदी-प्रांतों में उर्दू को अपने प्राप्य से कहीं अधिक स्थान प्राप्त है, अब यदि कलह और मघपे होना है तो उसकी कुल जिम्मेदारी उर्दू प्रांतों पर और उनके पृष्ठ पोषकों पर होगी। मुस्लिम रियासतों जैसे काश्मीर ( काश्मीर में हिन्दू राजा के होते हुये भी चलती श्रीगुलामसंयदेन की ही है ) भोपाल और हैदराबाद, आदि में हिन्दी के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है, और हिन्दू जनता के रूपसे सं उर्दू का जो अनर्गल पोषण हो रहा है उसका भी यही इलाज है। हिन्दी प्रांतों की भाँति हिन्दी रियासतों में हिन्दियों को हिन्दी की प्रतिष्ठा करनी चाहिये, और जब तक मुस्लिम रियासतें हिन्दी के साथ न्याय न करें, तब तक उर्दू के साथ वही व्यवहार करना चाहिये जो मुस्लिम रियासतों में हिन्दी के साथ किया जाय। अन्य हिन्दू प्रांतों में यद्यपि उर्दू के साथ वही व्यवहार करना हमारे हाथ में नहीं है जैसा बंगाल में लीगी-सरकार हिन्दी के साथ करती है, X

छदेखिये 'राष्ट्रभाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन परिशिष्ट ४।

> बंगाल की लीगी सरकार के सेकंडरी एजुकेशन बिल का असली उद्देश्य बंगाल में उर्दू और 'मुस्लिम बंगला' प्रचार के सिवा और कुछ नहीं है। उर्दू प्रांतों में मुसलमान जो चाहते थे सो कर चुके, सिन्ध में भी जो चाहते थे सो कर चुके ( सिन्धी का अरबीकरण ), अब केवल बंगाल बाकी है, इस लिये वहाँ भी भाषा को एकदम उर्दू में बदल देने का या कम से कम उसका मुस्लिम संस्करण बनाने का आयोजन लीगी सरकार कर रही है। बंगाल की समस्त हिन्दू जनता, जो वहाँ ४२ प्रतिशत से अधिक है, के विरोध के बावजूद लीगी सरकार अपनी चन्द अधिक चोटों के बल पर सेकंडरी एजुकेशन बिल पास कराने पर तुली हुई है। ऐसा क्यों न हो ! मुसलमान भाषा का महत्व समझते हैं, वे जानते हैं कि मुस्लिम-संस्कृति-प्रचार की पहली सीढ़ी भाषा का इस्लामीकरण है। आश्चर्य तो इस बात का है कि यह सब देख सुनकर भी

उड़ीसा, बंगाल, आसाम, आदि—के मुसलमानों द्वारा पेश की जायँगी। इन माँगों का अर्थ भी समझ लेना चाहिये। आन्ध्र को ही लीजिये। आन्ध्र के मुसलमानों की माँग का सीधा-सादा अर्थ यह है कि आन्ध्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को बीच से दो-टूँक कर दिया जाय, साम्प्रदायिक अलगाव और कटुता के बीज बोये जायँ, करदाताओं का रूपया ( जो हिन्दुओं की जेब से ही आवेगा ) अलग उर्दू स्कूल और कालेज खोलने में फूँका जाय, शिक्षा के व्यय को व्यर्थ दूना किया जाय और शासन की कठिनाइयाँ सहस्र गुना बढ़ाई जायँ, क्योंकि यह निश्चिन है कि इस माँग के बाद यह माँग पेश की जायगी कि राजकार्य में उर्दू को तेलगू के समकक्ष स्थान दिया जाय। एक ओर तो भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्निर्माण की चर्चा ज़ोरों से चल रही है, दूसरी ओर गाधीजी हिन्दी की 'हिन्दुस्तानी' करने और उर्दू लिपि के प्रचार में इस उद्देश्य से जुटे हुये हैं कि मुसलमान खुश हो जायँ और भाषा की 'एकता' स्थापित हो जाय, और इधर मुसलमान एक ऐसे प्रान्त में ही भाषा का पाकिस्तान बनाने की माँग कर रहे हैं जो अब तक भाषा और संस्कृति की दृष्टि से एक रहा है ! पता नहीं, डा० पट्टाभि सीतारमैया को, जो तेलगू भाषी आन्ध्र को भाषा के आधार पर एक पृथक प्रान्त बनाने के लिये यत्नशील हैं, आन्ध्र के भीतर ही एक अलग उर्दूस्तान बनाने की माँग कहाँ तक रुचेगी, और गाधीजी, जो प्रान्तीय प्रकरणों में प्रान्तीय भाषा के प्रयोग पर और राष्ट्रीय प्रकरणों में राष्ट्र-भाषा ( अर्थात् अपनी 'हिन्दुस्तानी' ) के प्रयोग पर जोर देते हैं, अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमानों की इस प्रकार की माँगों का कहाँ तक समर्थन करेंगे।

कहना कठिन है कि विभिन्न अहिन्दी प्रांतों ( बंगाल को छोड़कर, जहाँ की लीगी सरकार 'हिन्दुई भाषा' बंगला को निकाल कर उर्दू की प्रतिष्ठा करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगी ) की कांग्रेसी सरकारें इस

उदूर का विरोध नहीं करते, केवल हिन्दी का स्थान मँगते हैं, उसी प्रकार यदि हम रंडिया में हिन्दुस्तानी के प्रयोग का मफल विरोध करने में असमर्थ हैं, तो भी हम अपनी प्रान्तीय भाषा हिन्दी की मँग तो कर ही सकते हैं\* । फिर 'हिन्दुस्तानी' किसके लिये हो, यह केन्द्र सोचें—हम 'हिन्दुस्तानी' के लिये जिम्मेवार नहीं । यदि आज युक्त-प्रान्त को सरकार केन्द्रीय सरकार को यह लिख कर भेजे कि लखनऊ से प्रोग्राम केवल युक्त-प्रान्त की जनता के लिये होते हैं, उनसे किसी दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं, इसलिये कम से कम लखनऊ स्टेशन की भाषा-नीति युक्त-प्रान्त की सरकार के सलाह मशविरे से तय होनी चाहिये, तो क्या केन्द्रीय सरकार इन्कार कर सकती है ?

साराश यह कि सब प्रकार से हिन्दी की रक्षा और हिन्दी का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि हिन्दी-जन स्वयं अपने प्रान्तों में हिन्दी की कैसी प्रतिष्ठा करते हैं, और हिन्दी प्रान्तों की सरकारें भाषा के विषय में हिन्दीयों को भावना का किम हद तक प्रतिनिधित्व करती हैं और हिन्दी के लिये क्या कुछ करने को तैयार हैं । अतः हमारा कार्यक्रम क्या होना चाहिये, यह स्पष्ट है । हमें हिन्दीयों को जागृत करना चाहिये, उनमें हिन्दुस्तानी-वाद के विरुद्ध ऐसे तीव्र विरोध का संचार करना चाहिये कि हिन्दुस्तानी वालों की अकल ठिकाने आ जाय । हमें हिन्दी प्रान्तों में आग लगा देनी चाहिये । हमें हिन्दीयों को खोलकर स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिये कि हिन्दुस्तानी हिन्दी और बेशक हिन्दी के अस्तित्व पर कुठाराघात है । इतिहास में किसी भी भाषा को नष्ट या विकृत करने के प्रयत्न से डम भाषा-भाषी जाति में सदैव घोर असन्तोष फैला है । हिन्दुस्तानी से हिन्दी को क्या खतरा है, हिन्दीयों को यह बताना हमारा काम है । हिन्दी में हमारा क्या है, यह भी हमें सोई हुई जनता को बताना होगा । हम सूर और तुलसी की देन को छोड़ नहीं सकते । हम भारतेन्दु का उपदेश "निज भाषा उन्नति अहै, सब

मुसलमानों की मनोवृत्ति और उर्दू के प्रति उनके अनुचित आकर्षण के इतने सबूत मिल चुके हैं कि इसमें सन्देह करने की कोई गुजाइश नहीं कि विभिन्न अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमान प्रान्तीय भाषाये त्याग कर उर्दू अपनायगे, और इसके वही परिणाम होंगे जो ऊपर बतलाये गये हैं। उर्दू और उर्दू लिपि के स्टीमरोलर के नीचे काश्मीर, पंजाब और हैदराबाद की देशी भाषायें और लिपियाँ पिस चुकी हैं। पंजाबी पर उर्दू का इतना ज़बरदस्त प्रभाव पडा है कि उसका मूल संस्कृत-बहुल रूप विलकुल बदल गया है। पंजाबी मुसलमान जब पंजाबी लिखते ही हैं तो उसे उसकी स्वाभाविक लिपि गुरुमुखी के 'बजाय उर्दू लिपि में लिखते हैं, और पंजाब विश्व-विद्यालय को पंजाबी के लिये गुरुमुखी और उर्दू लिपि दोनों को स्वीकार करना पडा है। सीमा-प्रांत में पश्तो पर उर्दू छाती जा रही है। सिन्ध में मुसलमानों को सिन्धी तभी सह्य हुई जब उन्होंने उसमें जी भर कर अरबी और फ़ारसी ठूस ली और उसकी मूल लिपि देवनागरी हटा कर फ़ारसी लिपि धर ली। सिन्धी का अरबीकरण अब भी जारी है, और चूँकि सिन्ध में मुसलमानों का बहुत बड़ा बहुमत है, उन्होंने सिन्धी हिन्दुओं को भी अपनी अरबी फ़ारसी-मयी सिन्धी और फ़ारसी लिपि स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया है। तिस पर भी सिन्ध में उर्दू को खूब प्रोत्साहन दिया जा रहा है।\* यह कहना विलकुल यथार्थ होगा कि गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' नहीं 'वरन् उर्दू', और 'दोनों लिपि' नहीं, वरन् केवल उर्दू लिपि इस समय भी पूरे पश्चिमी पाकिस्तान की और उसके अलग अलग भागों—पंजाब, काश्मीर, सीमा-प्रान्त, बलूचिस्तान—की भी, कामन भाषा और लिपि बन चुकी हैं। उर्दू पूरे हैदराबाद की भी डीफैक्टो कामन भाषा और साहित्यिक भाषा है। उर्दू के प्रभाव के कारण हैदराबाद की देशी भाषाओं मराठी और तेलगू का

\* अब तो सिन्धी का विलकुल बहिष्कार किया जा रहा है और उसके स्थान में उर्दू की प्रतिष्ठा की जा रही है। आगे 'पुनर्लेख' देखिये।

( १ ) प्रत्येक जिले में एक हिन्दी-रक्षा-सघ स्थापित किया जाय, जिसका उद्देश्य विहार ( मुजफ्फरपुर ) के सुदृढ-सघ की भाँति सब उपायों से 'हिन्दुस्तानी' का विरोध और हिन्दी की रक्षा करना हो। एक शब्द में, ये हिन्दी-रक्षा-सघ ही हमारे हिन्दी आन्दोलन के हाथ पैर होंगे। इन सघों की नीति को सगठित रूप से सञ्चालित करने के लिये प्रत्येक हिन्दी प्रान्त में एक प्रान्तीय हिन्दी-रक्षा-सघ स्थापित किया जाय जिसमें प्रान्त के सब सघों के प्रतिनिधि हों।

( २ ) हिन्दी जनता में प्रबल आन्दोलन किया जाय कि वह अपने बच्चों को 'हिन्दुस्तानी' या उर्दू और उर्दू लिपि पढ़ाने से साफ इन्कार कर दे। जिन सरकारी स्कूलों में माव्यम 'हिन्दुस्तानी' हो, उनमें हिन्दी जनता अपने बच्चों को न भेजे। यदि सरकार 'हिन्दुस्तानी' या उर्दू की शिक्षा अनिवार्य करे, तो उसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिये हिन्दी जनता को तैयार किया जाय। हम न अपने बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर किसी को उर्दू का अतिरिक्त और अनावश्यक बोझ डालने दे सकते हैं ( अँगरेज बच्चों को देखिये—उन्हें एक ही भाषा और लिपि सोखनी पड़ती है ) और न उन्हें 'हिन्दुस्तानी' पढ़ने दे सकते हैं।

( ३ ) अगले प्रांतीय चुनाव के लिये हिंदी जनता को अभी से तैयार करना आरम्भ कर देना चाहिये। हिंदी को चुनाव को एक मुद्दा ( issue ) बना देना चाहिये। हमें हिंदी जनता में ऐसी भावना भरनी चाहिये कि वह अगले चुनाव में प्रांतीय असेम्बलियों में ऐसे प्रतिनिधियों को चुनकर भेजे जो हिंदी प्रांतों से 'हिंदुस्तानी' को समूल निकालने की प्रतिज्ञा करें, हिंदी को हिंदी-प्रांतों की एकमात्र राजभाषा एवं कामन भाषा और देवनागरी को एकमात्र राजलिपि, एवं कामन लिपि बनाये, उर्दू को उससे अधिक स्थान न दे जो उर्दू प्रांतों में हिंदी को दिया जाय, और दफ्तरों, पुलिस, कचहरियों आदि में अँगरेजी के साथ उर्दू को भी निकाल कर शीघ्र से

फारस और अरब की ओर, केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक महत्वपूर्ण बात में—शब्दों के रूपों में, अलकारों में, उपमाओं में, छन्दों में, व्याकरण में, सस्कृति में और लिपि में। जब तक दोनों की दिशा एक न हो, तब तक उनका एक होना और गांधीजी की सरस्वती का प्रकट होना असंभव है। और बात यह है कि हिन्दी की दिशा या प्रवृत्ति वही है जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं की। प्रत्येक प्रान्तीय भाषा और उर्दू में सघर्ष का यही मूल कारण है। 'यह हिन्दी—उर्दू की समस्या' नहीं, भाषा के क्षेत्र में हमारी वही चिर-परिचित हिन्दू—मुसलिम समस्या है। अभी यह हिन्दी—उर्दू के सघर्ष के रूप में दिखाई देती है, शीघ्र ही वह उर्दू—बंगला सघर्ष, उर्दू—तेलगू सघर्ष, उर्दू—तामिल सघर्ष, उर्दू—मराठी सघर्ष, उर्दू—गुजराती सघर्ष, आदि के रूप में दिखाई पडने लगेगी। दम्यई में उर्दू—मराठी और उर्दू—गुजराती युद्ध अपनी मध्यम अवस्था में पहुँच चुका है, बंगाल में उर्दू और बंगला का युद्ध आरम्भ हो गया है और मद्रास में उर्दू—तेलगू और उर्दू—तामिल युद्ध आरम्भ होने जा रहा है। गांधी जी ने बीमारी को जड़ तक न पहुँच कर बीमारी के एक चिन्हमात्र की चिकित्सा करनी चाही है, और उनका इलाज—५०-५० प्रतिशतवाली 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि'—बीमारी से भी अधिक भयकर है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, उससे बीमारी और बढ़ेगी। गांधी जी का हिन्दुस्तानी-वाद उर्दू और विभिन्न प्रांतीय भाषाओं के युद्ध में सभी प्रान्तीय भाषाओं के परास्त और पददलित होने का कारण बनेगा। वह केवल हिन्दी की अखडता, शुद्धता और अस्तित्व पर ही नहीं, वरन् सभी प्रान्तीय भाषाओं की अखडता, शुद्धता और अस्तित्व पर कुठाराघात है। हिन्दुओं की शक्ति विभिन्न प्रांतीय भाषाओं के बीच में, उनके पृथक पृथक विकास और साहित्य की अभिवृद्धि करने में कैसे ही बँटी हुई थी, आज गांधी जी ने हिन्दी के केंद्र में जो फूट डाली है और जिस वाद को 'राष्ट्रीयता' का जामा पहनाया है, उसका



दोग करके सर्वत्र हिंदी का प्रचार करें । इन प्रचारकों के कुछ विशेष काम ये होंगे:—१ जनता में यह आन्दोलन करना कि जनता अपने दैनिक जीवन में हिंदी का व्यवहार करे, अपना कुल निजी काम, बही-खाते, कारोबारी काम, पत्र-व्यवहार, आदि हिंदी में करे और व्यापारी-गण अपनी दूकानों पर साइनबोर्ड केवल हिंदी में लगावें, मोटरों और लागियों पर केवल हिंदी में लिखवावें, सिनेमा के इशितहार, साइनबोर्ड हिंदी में निकालें आदि, आदि, २. शिक्षित समाज में यह आन्दोलन करना कि प्रत्येक शिक्षित परिवार में कम से कम हिंदी का एक पत्र या पत्रिका अवश्य आवे, ३. सरकार ने इस समय भी हिंदी के लिये जो सुविधायें दे रखी हैं उनसे पूरा लाभ उठाने के हेतु पुलिस, म्यूनिसिपैलटी, रेलवे, मालगुजारी के दफ्तर, कोर्ट आफ़ वार्डस् के दफ्तर तथा अन्य दफ्तरों और महकमों में हिंदी की स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त करके उसे प्रमाण सहित अधिकारियों के सामने पेश करना और उन पर उचित कार्रवाई करने के लिये जोर डालना ( हमारा उद्देश्य यह है कि केवल लिपि ही देवनागरी न हो बरन् भाषा भी हिंदी हो ), ४ वकीलों में यह आन्दोलन करना कि वे सब अदालती काम हिंदी में करें, और उनकी सुविधा के लिये हिंदी का अदालती शब्द-कोष, फ़ारम, आदि प्रस्तुत करना, ५ धारा सभाओं के सदस्यों से मिलकर उनसे धारा-सभाओं में हिंदी के विषय में प्रश्न पुछवाना और सरकार पर यह जोर डलवाना कि वह एक हिंदी जॉच-कमेटी की नियुक्ति करे जो राज-व्यवहार और राज-काज में हिंदी की स्थिति की जॉच करके यह बतावे कि हिंदी को उचित स्थान देने के लिये सरकार को क्या क्या करना उचित है, और इस विषय में अपनी सिफ़ारिशें पेश करे, ६. शिष्ट-मण्डल बनाकर सरकारी अधिकारियों से मिलना और उन पर हिंदी के रास्ते की रुकावटें दूर करने के लिये और हिंदी को सर्वत्र उचित स्थान देने के लिये जोर डालना, ७. सार्वजनिक सभाओं में हिंदी के समर्थन में प्रस्ताव पास कराना और उनकी नकलें तथा अखबारों की कतरनें

भाषा के क्षेत्र में अपीजमेन्ट पालिसी—'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि'-वाद अपीजमेन्ट के सिवा और कुछ नहीं—की भी वही गति होगी। उसमें केवल समस्या और दुरुह होगी (पहले बतलाया जा चुका है) और देश की वास्तविक राष्ट्र-भाषा हिन्दी का घोर अहित होगा। मुसलमान, जिनके लिये हो यह सब बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, हिन्दुस्तानी-वाद से रत्ती भर प्रभावित नहीं। उनकी मातृ-भाषा चाहे हिन्दी हो, चाहे बँगला, तेलगू, तामिल, मराठी, या गुजराती, उन्हें उर्दू छोड़कर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी से और उर्दू लिपि छोड़कर किसी दूसरी लिपि से कोई मतलब नहीं। वे 'दोनों लिपि' और गाधीजी के 'हरिजनसेवक' की हिन्दुस्तानी भी कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। 'हिन्दुस्तानी' का रहस्य उसी दिन खुल गया जिस दिन रेडियो हिन्दी उर्दू सलोहकार कमेटी में अजुमन-तरक्की-उर्दू के प्रतिनिधि ने घोषित किया कि उसकी और अजुमन की राय है कि 'हिन्दुस्तानी' के प्रयोग में समय नष्ट न किया जाय। इस मामले में कांग्रेसी मुसलमान और 'नेशनलिस्ट' मुसलमान लीगी मुसलमानों के साथ हैं। यह पदले कहा जा चुका है कि मौलाना आजाद ने आन्ध्र के मुसलमानों की प्रतिक्रियावादी मॉग का समर्थन किया। जब सब से बड़े कांग्रेसी मुसलमान का यह हाल है तो दूसरे मुसलमानों का क्या कहना। एक दूसरा सबूत यह है कि यद्यपि हिन्दू कांग्रेसी नेता अपने भाषणों में निश्चयता, उदारहृदयता, 'एकता'-प्रियता और न जाने क्या क्या दिखाने को उर्दू शब्द जानबूझ कर भरते हैं, कांग्रेस के मुसलमान नेता सदैव शुद्ध उर्दू में बोलते हैं (लीगी मुसलमानों के मुकाबले में कांग्रेसी मुसलमानों का कोई विशेष महत्त्व नहीं, यह बात अलग है।) फलतः राष्ट्रीय प्रकरणों में या चर्चा की 'हिन्दुस्तानी' चलती है या उर्दू। हिन्दी कहीं दिखाई नहीं देती। आज की अन्तर्कालीन सरकार को ही देख लीजिये। उसमें या उर्दू पर जान देनेवाले हैं या 'हिन्दुस्तानी' पर मरने वाले अर्थात् आवे उर्दू शब्द और देवनागरी के साथ साथ उर्दू लिपि का प्रचार करने वाले और चाहने

अँगरेजी का है)। ऐसी अवस्था में यदि राष्ट्र-भाषा यह 'हिन्दुस्तानी' हुई, तो जिस प्रकार आज सार्वदेशिक भाषा अँगरेजी के सैकड़ों अनावश्यक शब्द प्रातीय भाषाओं में घुसते चले जा रहे हैं, प्रातीय भाषाओं और अँगरेजी के मेल से खिचड़ी भाषाओं की ('वायू हिन्दुस्तानी' या इङ्गलिस्तानी की भाँति) सृष्टि हो रही है, और ये खिचड़ी भाषायें ही शिक्षित मजदूर की बोलचाल की भाषायें होती जा रही हैं और अँगरेजी शब्दों का निकालना अत्यन्त कठिन साबित हो रहा है, उसी प्रकार सार्वदेशिक भाषा 'हिन्दुस्तानी' के प्रभाव के कारण 'हिन्दुस्तानी' द्वारा 'हिन्दुस्तानी' के सैकड़ों अनावश्यक अरबी फारसी शब्द प्रातीय भाषाओं में उनके अपने शब्दों को निकाल कर उनके स्थान में जा बैठेंगे (मुसलमान आग्रह के साथ बैठायेंगे), और इस प्रकार हिन्दी के समान मस्कृत-निष्ठ अन्य भाषायें जैसे बँगला, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलगू, तामिल, कन्नड़ और मलयालम, आदि भी विकृत होती चली जायँगी, और उनका पुराना साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिये अपरिचित और दुरुह होता चला जायगा। राजभाषा फारसी के समय में छोर की भाषाओं बँगला और तामिल तक में अनेक अरबी फारसी शब्द घुसे, राजभाषा अँगरेजी के प्रभाव के कारण प्रातीय भाषाओं की दुर्दशा आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, आगे राष्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' के समय में प्रातीय भाषाओं में हजारों अनावश्यक विदेशी अरबी फारसी शब्दों का घुसना अनिवार्य है। इसी आने वाले खतरे की कल्पना करके श्रीयुत के० एम० मुशी ने कहा है कि 'हिन्दुस्तानी' से गुजराती को हानि पहुँचेगी, और डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने कहा है कि 'हिन्दुस्तानी' का बँगला पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अहिन्दी लोग जरा सोच समझ कर काम करें। गांधी जी के कहने से मानववेश में आकर अपने पैर में अपने हाथों से कुल्हाड़ी न मारें। (देखिये परिशिष्ट ११)

'हिन्दुस्तानी' और हिन्दुस्तानी-वाद से प्रातीय भाषाओं को एक और

कुछ परिवर्तित रूपों में जानते या मानते हों, के समान स्थान देना वहाँ तक राष्ट्रीय, जनतंत्रात्मक या विज्ञान-सम्पन्न ही है? क्या राष्ट्र-भाषा के निमित्त दो लिपि के सिद्धान्त को मान कर केवल तात्कालिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से एक राष्ट्र घाती, अ-जनतंत्रात्मक समझौता नहीं किया जा रहा है, और क्या यह अव्यावहारिक होने के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, जनतंत्र और एकता के मूल पर कुठाराघात नहीं करता और क्या इसे मानने से, यदि देश को ऐसी मुसीबतों से बचाना है जिनका अंत कभी न होगा, हमें साफ इन्कार न कर देना चाहिये ?

३

### 'हिन्दुस्तानी' का रहस्य

—भाषा-वेत्ताओं के मुख से—

हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान श्रीचन्द्रबली पाडे अपने 'True Genesis of Hindusthani' शीर्षक लेख में लिखते हैं :—

"It is generally alleged that the question of high Hindi first sprang up from the establishment of Fort William College (1800) under the patronage of Dr. Gilchrist. But the policy as regards Hindi, Urdu and Hindustani followed by the Fort William College, as it has been explained by Gilchrist himself was that—  
"In the Hindustani, as in other tongues, we might enumerate a great diversity of styles, but for brevity's sake, I shall only notice three here, leaving their sub-divisions to be discussed along, with the history of the language which has been reserved for the second volume First, the High Court or Persian

( यहाँ तक कि आधुनिक पंजाबी ने अपना प्राचीन संस्कृत-बहुल स्वरूप विलकुल त्याग कर अपने को अरबी फारसी के रंग में रँग लिया है ) ।

यदि मुसलमानों ने मातृ-भाषा छोड़ कर उर्दू को न अपनाया, तो भी इतना तो निश्चित है कि वे राष्ट्र-लिपि फारसी सीखने के बाद अपनी अपनी मातृ-भाषायें प्राचीन लिपियाँ छोड़ कर फारसी लिपि में लिखना आरम्भ करेंगे, प्रत्येक प्राचीन भाषा की दो दो लिपियाँ हो जायँगी ( एक 'हिन्दू लिपि' और एक 'मुस्लिम लिपि' ) और प्रत्येक प्रात में हिन्दी लिपि-उर्दू लिपि जैसा भगड़ा पैदा हो जायगा । मुसलमानों को कहने का वहाना मिलेगा कि इससे एक राष्ट्र-लिपि फारसी का प्रचार बढ़ता ही तो है, क्यों न हिन्दू भी अपनी अपनी मातृ-भाषा देवनागरी में लिखें जिसमें देश में केवल दो लिपियाँ देवनागरी और फारसी लिपि रह जायँ ? अहिन्दी स्वयं सोच देखें, वे अपनी अपनी मातृ-लिपि छोड़ना चाहते हैं या नहीं, और प्रत्येक प्राचीन भाषा की दो दो लिपियों का हो जाना चाहते हैं या नहीं । लिपि-विभाजन के बाद यह निश्चित

❀ यह कोरी कल्पना नहीं है । सिन्ध में मुसलमानों ने सिन्धी को देवनागरी छोड़कर फारसी लिपि में लिखना आरम्भ किया, और जब सिन्ध में उनका बहुमत हो गया तो उन्होंने हिंदू सिन्धियों को भी देवनागरी छोड़कर फारसी लिपि ग्रहण करने पर मजबूर किया । इसको केवल सौ वर्ष बीते हैं । फलतः सिन्धी की लिपि फारसी हो गई, और किसी को अब याद भी न रहा कि उसकी पुरानी लिपि क्या थी, यद्यपि पुरानी सिन्धी पुस्तकें देवनागरी में अब भी मिलती हैं । विभिन्न हिन्दू प्रान्तों में चूँकि मुसलमानों का अल्पमत होगा, प्राचीन भाषाओं की लिपि अकेली फारसी लिपि तो नहीं होगी वरन् दो दो लिपियाँ होंगी—एक वर्तमान लिपि और एक फारसी लिपि । पंजाब में मुसलमान पंजाबी फारसी लिपि में लिखते हैं, यद्यपि सिख अपने धर्म के कारण अभी तक गुरुमुखी से चिपके हुये हैं । पंजाब विश्वविद्यालय ने पंजाबी की दोनों लिपियों को स्वीकार कर लिया है । गुरुमुखी आज ही केवल सिक्खों की धार्मिक लिपि कहलाती है, आश्चर्य नहीं यदि कुछ समय बाद पंजाबी की सांसारिक लिपि केवल एक, फारसी लिपि, मानी जाय । ( देखिये उत्तर—परिशिष्ट ३ ) ।

भूत बोली के अर्थ में प्रयुक्त करने का प्रयत्न हुआ है, परन्तु इन कोशिशों के बावजूद लगभग सब अंगरेज और अन्य विदेशी लोग अब भी ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘उर्दू’ दोनों शब्दों को हिन्दी भाषा की एक ही शैली अर्थात् उस शैली का बोधक समझते हैं जो फारसी लिपि में लिखी जाय और जिसमें अरबी फारसी शब्दावली प्रयुक्त की जाय ।’

कांग्रेस की हिन्दुस्तानी के विषय में डा० चटर्जी उसी पुस्तक में आगे फिर लिखते हैं—

“अब कांग्रेस हिन्दुस्तानी के ठेठ आधार अर्थात् खड़ी बोली, जिस पर साहित्यिक हिन्दी और उर्दू दोनों की नींव रखी हुई है, के आधार पर एक नई भाषा या साहित्यिक शैली गढ़ने का विचार इस कथित ह्रादे के साथ कर रही है कि विदेशी अरबी-फारसी शब्दों, जिन पर मुसलमान नेता ज़ोर देते हैं, और देशज हिन्दी और संस्कृत शब्दों, जिन पर हिन्दुस्थानी-भाषी क्षेत्र के तथा शेष भारत के हिन्दू ज़ोर देते हैं, के बीच में एक उचित और न्याय्य सन्तुलन रखा जाय । परन्तु व्यवहार में यह फारसी-निष्ठ हिन्दुस्तानी बन रही है जिसे गुजराती, बंगाली, महाराष्ट्री, उड़िया और दक्षिण के लोग नहीं समझ पाते ( परन्तु फिर भी उनसे हिन्दुस्थानी के इस रूप को राष्ट्र-भाषा के रूप में ग्रहण करने के लिये कहा जाता है )+ और जिसमें विहार और

५ उदाहरण के लिये बी० बी० सी०, मास्को रेडियो, अकारा रेडियो और अन्य विदेशी रेडियो स्टेशनों की ‘हिन्दुस्तानी’ सुन लीजिये, जो शुद्ध उर्दू है— आल इंडिया रेडियो की ‘हिन्दुस्तानी’ नामधारी अपेक्षाकृत पतली चाशनी वाली उर्दू भी नहीं ।

+अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गुजराती, महाराष्ट्री, बंगाली, आसामी, उड़िया और दक्षिण भारतीय सदस्य प्रायः यह शिकायत करते सुने जाते हैं कि हम पं० बालकृष्ण शर्मा और श्री टण्डनजी के हिन्दी भाषण तो काफी अच्छी तरह समझ लेते हैं परन्तु पं० नेहरू, मौलाना आज़ाद और आचार्य कृपलानी की ‘हिन्दुस्तानी’ ठीक ठीक हमारी समझ में नहीं आती ।

इसमें सहायक होगी। मुस्लिम शैलियों के बनने के बाद प्रत्येक प्रान्तीय भाषा में हिन्दी उर्दू का मा कलह आरम्भ होगा, और मुसलमान मॉग करेंगे कि प्रान्तीय जीवन में उनकी शैली हिन्दू शैली के समकक्ष रक्खी जाय। (उस समय गाधीजी हिन्दुओं के आँसू पोछेंगे, और काका कालेलकरजी कहेंगे कि भारत में मुसलमान भी तो हैं, उनकी भाषा और सस्कृति को कैसे छोड़ा जा सकता है ! )

अहिन्दुओं को ये सब बातें रोलकर समझानी चाहिये। उन्हें दूसरी ओर हिन्दी का महत्व भी समझना देना चाहिये। हिन्दी और देवनागरी के प्रचार से किसी प्रान्तीय भाषा को कोई खतरा नहीं, हिन्दी और देवनागरी के राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि होने पर प्रान्तीय भाषाओं को उल्टे और मदद मिलेगी। क्यों ? हिन्दी और देवनागरी पर मुसलमान मोहित नहीं, विभिन्न प्रान्तों के मुसलमान अपनी अपनी मातृ-भाषा छोड़कर हिन्दी अपनाना कभी न चाहेंगे, और न कभी अपनी अपनी मातृ-लिपि छोड़कर अपनी अपनी मातृ-भाषा देवनागरी में लिखना पसन्द करेंगे, और हिन्दुओं को तो अपनी अपनी मातृ-भाषा और मातृ-लिपि में अगाध प्रेम है ही (होना ही चाहिये), हिन्दुओं का कोई भाग तो अपनी मातृ भाषा या मातृ-लिपि छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हिन्दी का किसी प्रान्तीय भाषा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता, यह भी स्पष्ट है। हिन्दी और विभिन्न प्रांतीय भाषाओं का हृदय एक है, आत्मा एक है और सस्कृति एक है। सब सस्कृत के वातावरण में रँगती जा रही हैं कि न जाननेवाले समझने लगे हैं कि वह संस्कृत परिवार की भाषा ही नहीं हैं। फारसी लिपि के प्रभाव से मुस्लिम पंजाबी और उर्दू में केवल क्रियाओं और विभक्तियों का अन्तर रह गया है। सिन्ध में सिन्धी की हिन्दू शैली हिन्दुओं के अल्पमत में होने के कारण शर्क हो गई, सिक्खों की पंजाबी अभी तक जीवित है, विभिन्न प्रान्तों में प्रान्तीय भाषाओं की हिंदू शैलियाँ शर्क तो न होंगी, बस प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की दो दो शैलियाँ हो जायँगी। ( देखिये उत्तर—परिशिष्ट ३ )।

जिसे सब भारतीय जानते और सीखते हों" का लक्ष्य ही भ्रष्ट हो जायगा या ग्रूप 'ए' के हिन्दू अमल में उर्दू चुनने पर बाध्य होंगे या किये जायेंगे और वही सारे राष्ट्र की डी पैक्टो कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा होगी ।

प्रत्यक्ष है, परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस के हिन्दुस्तानी-वाद का अर्थ है उर्दू और उर्दू लिपि को पिछवाड़े के रास्ते से प्रविष्ट कर राष्ट्र पर राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि के रूप में लाद देना ।

यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके सत्य होने के लिये कैबिनेट मिशन की योजनानुसार ग्रूपों का बनना आवश्यक नहीं है । ग्रूप 'बी' में वही प्रान्त ही तो हैं जिन्होंने न आज तक वर्धा के हिन्दुस्तानी वाद से वास्ता रक्खा है, और न कभी रक्खेंगे, चाहे वे अलग अलग रहें और चाहे एक ग्रूप में आबद्ध हो जायँ । और ग्रूप 'ए' में वही प्रान्त हैं जिनकी पृथक पृथक सरकारें काग्रेसी होने के नाते उसी नीति का अनुसरण करेंगी जो उन सब की एक काग्रेसी, सम्मिलित केन्द्रीय सरकार की हो सकती है । कैबिनेट मिशन की ग्रूप-योजना ने केवल उसी बात को स्पष्ट-तर कर दिया है जो भाषा के मामले में उसके बिना ही काफी स्पष्ट थी और है । इसके अतिरिक्त, यदि मन के लड्डू फोड़ना छोड़ दिया जाय तो इसका कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता कि प्रान्तों के ग्रूप नहीं बनेगे, अथवा यदि बनेगे तो वे भाषा और संस्कृति का विषय केन्द्रीय सरकार को सौंप देंगे । कम से कम ग्रूप 'बी' का बनना निश्चित है, और इतना काफी है । कोई यह भी न समझे कि इस ग्रूप वाजी के बाद कांग्रेस ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनो लिपि' ( अथवा हिन्दी और उर्दू दोनों ) को ग्रूप 'ए' की कामन भाषा और लिपि, और इसलिये शिक्षा का अनिवार्य विषय, घोषित करने की मूर्खता नहीं करेगी । जो कांग्रेस ( अर्थात् विभिन्न काग्रेसी प्रान्तीय सरकारें ) सन् १९३८-३९ के अपने अल्प राज्य-काल में यह भली भाँति जानते हुये भी कि मुस्लिम प्रान्त वर्धा की 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनो



उत्तमोत्तम ग्रन्था का हिन्दी ने अनुवाद करना चाहिये, उन ने मनोहर और हिन्दी की व्यञ्जना-शक्ति के पृरक शब्द ग्रहण करना चाहिये, और इस प्रकार हिन्दी को वास्तविक राष्ट्र-भाषा बनाना चाहिये। हिन्दी वाले कहते फिरते हैं कि हिन्दी अन्य प्रातीय भाषाओं के निकट है, इसलिये वही राष्ट्र-भाषा है, परन्तु इन भाषाओं के रत्न अपनी हिन्दी के गजाने में लाकर नहीं भगते। वे औरों से अपनी भाषा हिन्दी पढने के लिये करते हैं, परन्तु नव्य उर्दू के सिवा कोई अन्य प्रातीय भाषा नहीं पढते। जिस प्रकार हिन्दी के साहित्यिक उर्दू पढते हैं, उर्दू की अच्छी बातें, आवश्यक शब्द और प्रवृत्तियाँ हिन्दी में लाने हैं, उमी प्रकार क्यों न वे अन्य प्रातीय भाषायें भी पढें और उनकी दौलत से हिन्दी के गजाने को भर्ते ? हिन्दी अन्य प्रातीय भाषाओं के निकट है, वही उन्हें एक सूत्र में पिरो सकती है, वही सांस्कृतिक एकता स्थापित कर सकती है—वे बातें कहने की नहीं, कर दिखाने की हैं। जिस प्रकार यदि आज कोई केवल एक भाषा सीख कर संसार की सब भाषाओं के अमर साहित्य का अनुशीलन करना चाहे, तो वह अँगरेजी सीखेगा, उमी प्रकार हिन्दी में कम से कम समस्त भारतीय—प्राचीन अथवा अर्वाचीन, संस्कृत और प्राकृत का, अथवा आधुनिक भारतीय भाषाओं का—साहित्य तो लभ्य हो जिस ने एक भारतीय अथवा अभारतीय केवल हिंदी पढ कर समस्त भारतीय साहित्य की उत्तमोत्तम कृतियों का रसास्वादन कर सके। ऐसा होने से हिन्दी का लाभ ही लाभ है। लोभ का विषय है कि हिन्दी वाले अँगरेजी की उत्तम पुस्तकों का तो हिन्दी में अनुवाद करते हैं, परन्तु प्रातीय भाषाओं को उत्तम पुस्तकों का अनुवाद नहीं करते। वे प्रातीय भाषायें जानते ही नहीं। यदि हिन्दी-जन प्रान्तीय भाषाओं की ओर ध्यान देंगे, तो एक और लाभ होगा—अन्य प्रान्तीय भाषा-भाषी भी जब अपनी भाषा के ढावरे में बाहर अपनी सुनवाई करना चाहेंगे, तो अँगरेजी के बजाय (जिसमें वे आज लिखते हैं) हिन्दी में लिखेंगे। इस प्रकार हिन्दी वाङ्मय उच्चरोत्तर समृद्ध और भारतीय

की रक्षा और आदर करेगी। कांग्रेस अपनी इस घोषणा का पालन करे। कम से कम हिन्दी के अपने निजी प्रदेश में अर्थात् सयुक्त-प्रान्त, बिहार और मध्य-प्रान्त, इन हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का अखण्ड राज्य रहना चाहिये और इनमें सारा काम-काज जैसे राज्य-व्यवहार, शिक्षा का काम और सार्वजनिक व्यवहार परंपरागत शुद्ध हिन्दी में होना चाहिये। कांग्रेस इन हिन्दी प्रान्तों पर अपनी 'हिन्दुस्तानी'—उसकी अन्तिम रूप-रेखा कांग्रेस चाहे जो भी निश्चित करे—प्रान्तीय भाषा के तौर पर न लादे। इन प्रान्तों की जनता ने विगत शताब्दियों में हिन्दी को रूप दिया है और उसकी वाणी हिन्दी साहित्य के रूप में प्रस्फुटित हुई है, इसलिये इन प्रान्तों में हिन्दी को छोड़कर प्रादेशिक भाषा के बतौर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी का कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य प्रान्तों में परंपरागत प्रान्तीय भाषा को छोड़कर किसी दूसरी भाषा का प्रान्तीय प्रकरण में कोई स्थान नहीं। कांग्रेस की घोषणा का यही अर्थ निकलना है और इसी प्रकार हिन्दी, परंपरागत हिन्दी, के हितों की रक्षा हो सकती है। राष्ट्र को, यदि वह ऐसा करना ही चाहे तो, राष्ट्र-भाषा निर्माण करने का अधिकार हो सकता है परंतु उसे राष्ट्र के किसी भाग या राष्ट्र की जनता के किसी भाग पर उसकी निजी परंपरागत भाषा हटा कर उसके स्थान में राष्ट्र-भाषा लादने का कोई अधिकार नहीं। यदि राष्ट्र-भाषा को ऐसा और वैसा होना चाहिये, ऐसी और वैसी सस्कृति का प्रतीक होना चाहिये, तो खुशी से राष्ट्र उसे इच्छानुसार गढे, परन्तु, हमारी निजी भाषा हिन्दी और हमारी निजी सस्कृति के प्रतीक हिन्दी का भी तो अपने प्रदेश में पूर्ण अधिकार रहना चाहिये। हम कांग्रेस से अपील करते हैं कि वह हिन्दी को अपने घरमें से निकाल कर 'हिन्दुस्तानी' को बसाने का प्रयत्न करना छोड़ दे।

केन्द्र में भी (जैसे आल इन्डिया रेडियो, सरकारी फिल्म, केन्द्रीय सूचना विभाग, आदि) हिन्दी, परंपरागत शुद्ध हिन्दी, को कम से कम वह स्थान दिया जाय जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं को दिया जाय। हम कांग्रेस से, जिसके

की शाखाओं को गिरती हुई हालत को उन्हें सुधारना होगा। यदि अहिन्दी गांधी की आँधी में पथ-भ्रष्ट हो गये हैं, तो हिन्दियों का कर्तव्य है कि वे इस आँधी के बंग को मँभालें, और अपने पथ-भ्रष्ट भाइयों के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उन्हीं को हिन्दी को सबसे अधिक स्वतंत्र है, इसलिये उन्हीं को सबसे अधिक क्रियाशील होना चाहिये। आँधी निकल जाने के बाद मत्स्य की विजय निश्चित है, परन्तु हिन्दी वाले मैदान में उठे रहें तब तो। यदि मैदान में हिन्दी का भरड़ा फटता रहेगा तभी तो आशा है कि नेना उसके तले फिर एकत्र हो सकेगी। हिन्दी प्रचार का क्षेत्र कितना ही मकुचित क्यों न हो जाय, हिन्दी के अहिन्दी प्रचारक कितने ही कम क्यों न हो जायें, परन्तु “न टेन्यम् न पलायनम्”। हम राजनीति में गांधी जी के अनुयायी ही तो हैं न ? हमें लड़ाई के समय उन्हीं की मिसाल सामने रखनी चाहिये। यदि हमने सत्य का बल दिखाया तो, श्रियुत मुशी के शब्दों में, “हमें गांधी जी को जीत लेने में डेर न लगेगी”। उदयपुर में श्री मुशी ने हिन्दी वालों से पूछा था, “क्या सम्मेलन इन शक्तियों को प्राप्त करेगा ?”। हमें हिन्दियों के इस प्रचारक विद्यालय का एक हिन्दी प्रात में उलकर उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये। यदि हमने अपने आलस्य या प्रमाद के कारण राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के भवन को गिरने दिया, तो हमसे बढ़कर अभाग्य और पापी कोई दूना न होगा। हम टटन जी के सामने मुँह दिवाने योग्य न रहेगे। अहिन्दी प्रातों के हिन्दी-प्रेमी जन इस गाँठे समय में हमारी ओर निहार रहे हैं, हमसे सहायता की आस लगाये बैठे हैं। क्या हम उन्हें निराश करेगे और वह भी अपनी ही भाषा के प्रचार के विषय में ?

( ५ ) रेडियो और सिनेमा पर अधिकार करना चाहिए। रेडियो के विषय में पहले कहा जा चुका है। रेडियो स्वदेश में ही नहीं, विदेश में भी हिन्दी-प्रचार का कितना जबरदस्त साधन हो सकता है, यह बताने की जरूरत नहीं। विदेशों तक तो रेडियो ही हिंदी और हिंदी सस्कृति का संदेश पहुँचा

जैसा कि मध्य-प्रांत के प्रधान-मंत्री ने कहा है, हिन्दुस्तान राष्ट्र की नागरिकता के अधिकार न दिये जायें। पूरे भारत के मुसलमानों ने अपने आप को एक पृथक राष्ट्र बताते हुये एक पृथक वास-भूमि की माँग की है, और उन्हें अब यह मिल चुकी है और स्पष्टतः भारत का बँटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, अतः इस्लाम धर्म के किसी अनुयायी को हिन्दुस्तान में नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते। चित और पट दोनों मुसलमानों की नहीं हो सकतीं। गांधी जी के कहने पर पाकिस्तान जैसे स्थूल सत्य को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। 'अल्पसंख्यक' के किसी झूठे नाम पर पाकिस्तान के पिपथ कालम को स्वच्छन्द नहीं छोड़ा जा सकता। जहाँ तक नाम का सम्बन्ध है, 'इन्डिया' प० नेहरू की, जो मौलाना आजाद की साक्ष्यानुसार स्वप्न भी अँगरेजी में देखते हैं, स्व-भाषा का शब्द होगा, परन्तु ६६-६ प्रतिशत भारतीयों की मातृ-भाषा का शब्द नहीं है। प० नेहरू की सनक पूरी करने के लिये इतिहास नहीं बदला जा सकता। नाम में केवल एक परिवर्तन हो सकता है और अभश्य होना चाहिये। वह यह कि फारसी 'स्तान' बदल कर 'स्थान' अर्थात् 'हिन्दुस्तान' अब 'हिन्दुस्थान' कर दिया जाय।

### 'हिन्दुस्तानी' की टोंय-टोंय फिस

इन बातों को छोड़कर अब मूल विषय पर आइये। हिन्दुस्थान की राष्ट्र भाषा क्या हो? स्पष्ट है, हिन्दुस्थान की राष्ट्र-भाषा हिन्दी हो। 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' के मुकाबले में हिन्दी और देवनागरी का पक्ष शाश्वत तर्कों और सिद्धान्तों पर आधारित है और उसका राजनीतिक लौट-पौट से कोई लगाव नहीं रहा है, परन्तु अब तो हिन्दुस्तानी-वाद की कोई जड़ ही नहीं रह गई। जिन प्रदेशों और जिन लोगों को फॉसने के लिये कांग्रेस ने हिन्दुस्तानी-वाद अपनाया था अब वे ही अलग हो गये। कांग्रेस ने ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' का बखेड़ा मुसलमानों को राष्ट्र-

रेडियो-आन्दोलन के विषय में एक बात और स्पष्ट कर देनी चाहिये। सम्मेलन ने रेडियो से सहयोग करनेवाले साहित्यिकों का बहिष्कार किया सो तो ठीक, परन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता उन हिन्दी साहित्यिकों का बहिष्कार करने की है जो रेडियो में जाकर रेडियो वालों के समझाने फुसलाने से, डगने घमकाने से या पैसे के लालच से या रेडियो वालों को खुश करने के इरादे से अपनी स्वाभाविक हिन्दी शैली छोड़कर रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' बूकने लगते हैं। वे हिन्दी पर शर्म का ऐसा बोझ लादते हैं जो किसी के उठाये नहीं उठ सकता। जिन स्वाभिमानी हिन्दी बक्ताओं या लेखकों से रेडियो वाले अपनी शैली में परिवर्तन करने के लिये कहें, उन्हें उचित है कि वे पाहुलिपि रेडियो वालों के सिर पर पटक कर पत्रों में खबर दें, और रेडियो वालों की नीति का भण्डाफोड़ करें। किसी अँगरेजी वाले से तो रेडियो वाले कुछ कहने का साहस न करेंगे। हमारे ही देश में हमारी भाषा का यह अपमान !

रेडियो के बाद सिनेमा का नम्बर है। जो जो बातें रेडियो के लिये कही जा सकती हैं, वही सिनेमा के लिये कही जा सकती हैं। अन्तर केवल इतना है कि जहाँ रेडियो सरकार द्वारा संचालित है, वहाँ सिनेमा आदर्शहीन पूँजीपतियों द्वारा संचालित है, जहाँ हिन्दी पत्र रेडियो की नीति का विरोध करना अपना कर्तव्य समझते हैं, वहाँ वे सिनेमा की भाषा-नीति के विरुद्ध एक शब्द कहना नहीं चाहते। क्या, यह राम जाने।

यदि हिन्दी पत्र पैसे और विज्ञापन के लालच में न आकर चित्रों की भाषा की निष्पक्ष और मुँहफट समालोचना करें, तो कोई कारण नहीं उनकी भाषा क्यों न सुधरे। ऐसा करने के बजाय वे वषे हुये लेखकों की समालोचनाएँ छाप देते हैं जिन्हें 'हिन्दुस्तानी' के सिवा कोई दूसरा शब्द नहीं मालूम, जो चित्र की भाषा की ओर ध्यान देना आवश्यक ही नहीं समझते, और यदि ध्यान देते हैं, तो 'हुमायूँ' की भाषा को भी 'हिन्दुस्तानी' लिख



परन्तु कृपा करके वे अपनी भाषा को हत्या न करें। उन्हें सदैव अच्छी हिन्दी में लिखने का प्रयत्न करना चाहिये। जब उनकी हिन्दी हिन्दी-प्रदेश की बहुसंख्यक जनता की भाषा और वास्तविक राष्ट्र-भाषा है तो उन्हें डर क्या, हिन्दी लिखने में सकोच क्यों ? उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपनी हिन्दी बिगाड़ना स्वीकार न करना चाहिये। उन पर बहुत कुछ हद तक हिन्दी का भविष्य निर्भर है, फिर वे हिन्दी की अशुभलना कैसे कर सकते हैं ? चित्रों में हिन्दी शब्दों के साथ-साथ लगे हुये क्लिष्ट कर्ण-कट्ट अरबी फारसी शब्दों को सुनकर हृदय में शूल सा चुभता है। 'रामशास्त्री', 'चित्रावली', 'हमराही' जैसे चित्रों की भाषा सुनकर अत्यन्त क्लेश होता है। यह बात नहीं है कि हिन्दी लेखकों को अपनी भाषा से प्रेम न हो, परन्तु वे बहुत जल्दी, जरा से इशारे पर अपने शब्द छोड़ देते हैं और विदेशी शब्द भट अपना लेते हैं—लिखने में भी और बोलचाल में भी। उन्हें इस मामले में उर्दू लेखकों से शिक्षा लेनी चाहिये जो सरल से सरल उर्दू लिखना मजूर कर लेंगे, परन्तु लिखेंगे उर्दू ही—एक भी हिन्दी शब्द नहीं अपना सकते।

( ६ ) हिन्दी प्रान्तों के अथवा अहिन्दी प्रान्तों के हिन्दी पत्रों को हिन्दुस्तानी प्रचार और हिन्दुस्तानी बालों के विचारों के प्रचार का साधन कदापि न बनने देना चाहिये। हिन्दुस्तानी बालों के पास वैसे ही अपरिमित साधन हैं, कम से कम हिन्दी पत्र तो उन्हें योग न दें और हिन्दी का ध्यान रखें। उन्हें हिन्दुस्तानी-प्रचार से सम्बन्धित सब समाचार तो निष्पन्न होकर देना चाहिये ( यह समाचार पत्रों का प्रथम कर्तव्य है ), परन्तु उन्हें 'हिन्दुस्तानी' की बकालत न करना चाहिये, और 'हिन्दुस्तानी' की बकालत करने वाले लेख, 'हिन्दुस्तानी' में लिखे हुये लेख, सूचनार्थ, आदि न छापना चाहिये। महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों ने सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के समाचार ही छापना बन्द कर दिया, इतना ही नहीं,

उन्होंने उसे बदनाम करने का प्रयत्न किया ( देखिये परिशिष्ट १० ) । हिंदी पत्रों को इसका कम से कम इतना जवाब तो देना चाहिये । हिन्दी पत्रों को अपने हाथ से अपने गले में मौत का फन्दा न डालना चाहिये ।

हिंदी पत्रों को इससे अधिक करना है । उन्हें हिंदी की वकालत करना चाहिये, हिंदुस्तानी-वाद का विरोध करना चाहिये ( इस प्रकार नहीं कि उसका और विज्ञापन हो ), हिंदुस्तानी वालों की कारगुजारी से, उनके हथकड़ों से और कार्यकलाप से हिंदी जनता को परिचित कराना चाहिये, हिंदी जनता को 'हिंदुस्तानी' के खतरे से सूचित करना चाहिये, हिंदी की रक्षा में पूर्ण सहयोग देना चाहिये, 'हरिजनसेवक'× और 'नया हिन्द'+ जैसे 'हिन्दुस्तानी' के पत्रों से हिन्दी जनता को सावधान करना चाहिये, और हिन्दी प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारों की 'हिंदुस्तानी' विषयक नीति का तीव्र विरोध करना चाहिये । आधुनिक युग में प्रेस की बहुत बड़ी शक्ति है । हमें हिंदी प्रेस से पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये ।

हिन्दियों, उठो, जागो, अपनी शक्ति एकत्र करो और हिन्दी की रक्षा में, हिन्दी की सेवा में जुट जाओ । तुम हिंदी माता की उपेक्षा करके एक शताब्दी तक अपमानित हुये, लज्जित हुये और पतन के गर्त में और

\* यदि अँगरेज़ी पत्रों को कोई खराब अँगरेज़ी में लेख या सूचना लिख कर भेजे, तो अँगरेज़ी पत्र तो उसे न छापेंगे, और यदि छापेंगे तो उसकी भाषा शुद्ध करके छापेंगे । हिन्दी पत्र ही खराब हिन्दी, जानबूझ कर खराब की हुई हिन्दी अर्थात् 'हिन्दुस्तानी' के लेख, आदि क्यों छापें ? हिन्दी पत्रों को भी अपनी भाषा का उतना ही ध्यान रखना चाहिये । चूँकि उस खराब हिन्दी के लिखने वाले कोई पं० सुन्दरलाल या डा० ताराचंद हैं, इस कारण वह ग्राह्य थोड़े ही हो जायगी । ( देखिये पृष्ठ २६-२७ )

× देखिये परिशिष्ट १४ ।

+ पं० सुन्दरलाल और डा० ताराचंद द्वारा सम्पादित 'हिन्दुस्तानी' का एक नया मासिक ( देखिये पृष्ठ १२१ ) ।



गहरे गिरते गये । अब तुम फिर हिंदी नहीं छोड़ सकते, उसकी हिन्दुस्तानी नहीं कर सकते । प्राचीन काल में संस्कृत ने तुम्हें सर्वोच्च स्थान पर बैठायाथा, आज तुम हिन्दी को भी विकृत नहीं होने दे सकते । “संस्कृत के स्वर्ग का संचय आज गिरते गिरते तुम्हारी हिंदी की आधार-शिला पर रुका है ।” हिंदी, शुद्ध हिंदी तुम्हारी कम से कम आवश्यकता है—तुम शुद्ध हिंदी से कम कुछ स्वीकार नहीं कर सकते । यदि तुमने हिंदी को विकृत होने दिया, तो अन्य प्रान्तों के वासी तो अपनी अपनी शुद्ध सस्कारी भाषाओं से प्रेरणा प्राप्त करेंगे, केवल तुम्हीं एक अभागे होगे । तुम हिंदी की गोद में पलकर बड़े हुये हो, हिंदी के अचल में तुम्हारे पूर्वजों के वैभव का शृंगार छिपा हुआ है, तुम उसे भुलाकर जीवित नहीं रह सकते । इतना ही नहीं, हिंदी के साथ, उसकी शुद्धता के साथ सम्पूर्ण भारत की, विशेष रूप से सम्पूर्ण हिंदू भारत की संस्कृति जुड़ी हुई है । हिंदी पर हिंदुत्व और हिन्दुस्तान का भविष्य निर्भर है । यदि आज कुछ अहिंदी भाई इसे भूल बैठे हैं तो तुम्हें तो न भूलना चाहिये, तुम्हें तो अपने और अपनी भाषा के ऐतिहासिक महत्त्व का ध्यान रखना चाहिये ।

×

×

×

हिंदी पर खतरा आना चाहता है और वह भी राष्ट्रीयता का जामा पहन कर । खतरे की घटी बज रही है । शिकोहाबाद में युक्तप्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अदिवेशन का उद्घाटन करते हुये श्रीसम्पूर्णानन्दजी ने व्यर्थ ही नहीं कहा, “हिंदी खतरे में है । वह सहायता के लिये पुकार रही है ।” हिन्दी वालो, सावधान !

परिशिष्ट



## परिशिष्ट १

### हिन्दी की कृतियों में मुसलमान पात्रों का उर्दू में कथोपकथन

( लेखक—श्री शान्तिकुमार एम० एस० सी० )

हिन्दी में कहानियों, उपन्यासों, इत्यादि में मुसलमान पात्रों से उर्दू में वातचीत कराने की एक परिपाटी सी हो गई है। हिन्दी के कितने ही प्रतिष्ठित लेखक ऐसा करते हैं। प्रेमचन्द को जाने दीजिये। आजकल के लेखकों में उदाहरण के लिये राय कृष्णदास के कहानी-संग्रह “आँखों की याह” की ‘नई दुनिया’ शीर्षक कहानी को लीजिये। इस कहानी में दो ही पात्र हैं—चिरागी और गजरा। दोनों मुसलमान हैं। कहानी के आरम्भ से लेकर अत तक उन दोनों का कथोपकथन चलता रहता है। एक प्रकार से यह कथोपकथन ही कहानी का विषय है। लेखक बीच बीच में वर्णन, टीका टिप्पणी, इत्यादि तो शुद्ध हिन्दी में करता है, परन्तु चिरागी और गजरा की वातचीत ठेठ उर्दू में होती है। इस वातचीत में प्रयुक्त शब्दों के कुछ नमूने ये हैं—

“निसार, रहमत, खसलत, इजहार, मुवित्ला, तलय, दोजखी, मेजबानी, मिन्नत, जहमत, गुमराह, बेखुदी, दयानतदारी, आमालनामा”, इत्यादि इत्यादि। चिरागी और गजरा के कथोपकथन को छोड़ कर कहानी में बहुत कम बच रहता है। ऐसी अवस्था में यह सोचने की बात है कि इस कहानी को हिन्दी की कहानियों के संग्रह में क्या स्थान दिया गया। केवल हिन्दी लिपि में छाप देने से तो कहानी हिन्दी की हो नहीं जायगी। किसी भी पत्र,

पत्रिका या पुस्तक को उठा कर देखिये, जहाँ कहीं भी मुसलमान पात्र आ जाते हैं, वहाँ उनका चार्तालाप प्रायः उर्दू में कराया जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा मालूम होता है कि लेखक अपना उर्दू का पाठित्य दिखाने के लिये ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि सुगम, मुसलमानों में भी प्रचलित हिन्दी शब्दों के होते हुये भी अरबी फारसी शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है।

इस परिपाटी के बचाव में लेखक ने केवल एक ही उक्ति सुनी है। वह यह कि ऐसा स्वाभाविकता और वास्तविकता (local colour) लाने के लिये किया जाता है। यह उक्ति विलकुल सारहीन है। इसका मतलब तो यह होगा कि हिन्दी की कृतियों में अँगरेजी पात्रों से अँगरेजी में वात-चीत कराई जाय, चीनी पात्रों से चीनी में, अरबों से अरबी में, या कम से कम हिन्दी में क्रमशः अँगरेजी, चीनी, और अरबी के खूब शब्द चुसेडे जाँय। किन्तु वास्तविकता के ये भक्त ऐसा करते तो नहीं देखे जाते। इन्होंने तो केवल मुसलमानों के लिये ही वास्तविकता रिजर्व कर रखी है, मानों सब मुसलमान उर्दू ही बोलते हैं, और कोई हिन्दू उर्दू नहीं बोलता। इस उक्ति का मतलब यह भी होगा कि या तो हिन्दी के पाठक और लेखक दोनों ही ससार भर की भाषाओं के पढित हों या हिन्दी वाले हिन्दी प्रदेशों और हिन्दी भाषियों को छोड़कर ससार के किसी अन्य देश या जाति के निषय में ज्ञान प्राप्त करने की आशा ही छोड़ दें। कम से कम मुसलमानों को तो तभी लाया जा सकेगा जब हिन्दी के पाठक और लेखक दोनों उर्दू के भी पढित हों। और, बंगाली हिन्दुओं को भी तभी रक्खा जा सकेगा जब बँगला का पूरा ज्ञान हो, और मद्रासी हिन्दुओं को रखने के लिये तामिल और तेलगू के ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। ऐतिहासिक पात्रों से कथोपकथन कराना तो विलकुल असंभव हो जायगा, क्योंकि अभाग्यवश यह मालूम करने का कोई साधन नहीं है कि ये पात्र उर्दू-ए-मुअल्ला बोलते थे, या खड़ी बोली हिन्दी या कुछ और।

आश्चर्य तो इस बात का है कि इस 'लोकल-कलर' का सबसे अधिक ख्याल हिन्दी वालों को है। आज तक कोई अँगरेजी का लेखक अँगरेजी की कृतियों में अँगरेजी को छोड़कर हिन्दुस्तानी पात्रों से किसी भारतीय भाषा में या चीनियों से चीनी भाषा में बातचीत कराता हुआ देखने में नहीं आया। यही बात ससार की अन्य भाषाओं के विषय में कही जा सकती है। दूर जाने की जरूरत नहीं, उर्दू के लेखक भी ऐसी गलती नहीं करते कि हिन्दू पात्रों से हिन्दी में बातचीत करावें। कुछ ऐसे शब्दों की बात दूसरी है जो एक देश विशेष अथवा जाति विशेष से ही सम्बन्ध रखते हैं और किसी विशेष गुण या वस्तु को जताने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं और जिनका उनकी ध्वनि नष्ट किये बिना सरलता से अनुवाद नहीं हो सकता। ऐसे शब्दों का अर्थ प्रायः कोष्ठकों में या पाद-टिप्पणियों में स्पष्ट कर दिया जाता है, और अँगरेजी में प्रायः ऐसे शब्दों को इटैलिक्स (italics) में यह जताने के लिये लिखा जाता है कि ये विदेशी शब्द हैं, और किसी विशेष कारण से ही प्रयुक्त किये गये हैं। लेकिन हिन्दी की कृतियों में मुसलमानों की बातचीत उर्दू में वेखटके और वेरोकटोक कराई जाती है, और उर्दू शब्दों के अर्थ को भी स्पष्ट नहीं किया जाता, बल्कि यह समझा जाता है कि यह तो हिन्दी ही है और हिन्दी-पाठक इसे समझते ही होंगे, और यह लेखक की मेहरबानी है कि उसने आदि से अन्त तक सब जगह ऐसी हिन्दी नहीं लिखी !

इस सम्बन्ध में दो एक बातें और विचारणीय हैं। 'नई दुनिया' शीर्षक कहानी में चिरागी और गजरा समाज की बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं। इन निम्न श्रेणियों में शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली उर्दू नहीं बोली जाती, फिर इनका साहित्यिक उर्दू में बोलना ही कहाँ तक स्वाभाविक है और कहाँ तक वास्तविकता से सम्बन्ध रखता है? ये दोनों व्यक्ति बनारस के रहनेवाले दिखाये गये हैं। तो क्या इनसे पूर्वा या किसी और देहाती बोली में बोलवाना कहीं

ज्यादा स्वाभाविक न होना ? खड़ी बोली बोली ही कितने क्षेत्र में जाती है ? यदि 'लोकल कलर' देने के यही माने हैं कि पात्र वास्तविक भाषा में बोले तो खड़ी बोली के प्रदेश के बाहर के सब पात्रों का कथोपकथन खड़ी बोली में न होकर देहली बोलियों में होना चाहिये । ऐसा क्यों नहीं किया जाता ? अप्रैल, १९४४ को 'माधुरी' में श्रीयुत शैल लिखित एक कहानी 'मिलन' छपी है । इस कहानी के पात्र युनिवर्सिटी के तीन छात्र सुरेश, जमीला और रफीक हैं । जमीला और रफीक को बातें ठट उर्दू में होती हैं । युनिवर्सिटी के छात्र कदां ठट उर्दू या ठट हिन्दी में बात करते नहीं देखे जाते । इनके कथोपकथन में तो 'लोकल कलर' तब होता जब श्रीयुत शैलजी इनमें बात-चीत आधी अंगरेजी आधी हिन्दी याना 'इक्लिमस्तानी' नामक भाषा में कराते । आजकल के शिक्षित वर्ग की तो यही भाषा है ।

यह तर्क भी कि उर्दू हिन्दी की एक शैली विशेष ही है और इसलिये भी की कृतियां में मुसलमान पात्रों से उर्दू का प्रयोग कराना ज़रूरी है, कुछ भाषा में नहीं खूबता । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से चाहे यह ठीक हो, परन्तु व्यवहार में आज उर्दू हिन्दी की शैली विशेष नहीं कही जा सकती । एक भाषा की दो शैलियाँ सगार के किसी देश में दो लिपियों में नहीं लिखी जाती और न उनकी आपस में गुटबन्दी होती है, न उनके लेखक अलग-अलग होते हैं और न उनकी पढ़ाई की व्यवस्था अलग-अलग होती है, और न ऐसा होता है कि जो पाठक भाषा की एक शैली समझ सकता हो वह कोई दूसरी शैली न समझे । आज हिन्दी और उर्दू में तो इतना अन्तर है ( लिपि-भेद तथा कुछ अन्य छोटी बातों को छोड़कर भी ) कि क्रियाओं, क्रिया-विशेषणों, विभक्तियों तथा थोड़े से अन्य शब्दों को छोड़कर हिन्दी और उर्दू की शब्दावलियाँ बिलकुल भिन्न हैं । एक भाषा की दो शैलियों में कदां ऐसा अन्तर नहीं होता, और न दो शैलियों में इस प्रकार धर्म की भिन्नता पर भेद किया जाता है । मुसलमानों से उर्दू और हिन्दुओं से हिन्दी बलवाने

के माने तो यही हैं कि ये दो शैलियाँ दो धर्मों के अनुयायियों के लिये रिजर्व हैं, और हम सहमत हैं कि हिन्दी केवल हिन्दुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की, और हिन्दी के पाठक तथा लेखक हिन्दी और उर्दू दोनों जानते और समझते हैं।

एक चिकट कठिनाई और है। अगर एक हिन्दू पात्र की मुसलमान पात्र से बातचीत कराना पड़े तो किस भाषा में कराई जाय ? अगर हिन्दू पात्र हिन्दी में बोले और मुसलमान पात्र उर्दू में जवाब दे तब तो अत्यन्त हास्यास्पद होगा। पढ़ने वाले या सुनने वाले को अत्यन्त भद्दा भी लगेगा। दुनिया भर में सब जगह दो मनुष्य एक ही भाषा में बात करते हैं और एक ही शब्दावली प्रयुक्त करते हैं। भाषा है ही आपस में भाव प्रकट करने के माध्यम का नाम। यदि यही माध्यम दो व्यक्तियों का भिन्न-भिन्न है, तो उनकी आपस में बातचीत कैसी ? गलत सिद्धान्त पर चलने से यह कठिनाई अवश्य पड़ेगी। इस सिद्धान्त को माननेवाले कुछ लेखकों ने इस कठिनाई को ऐसे अवसरों पर हिन्दू पात्र और मुसलमान पात्र दोनों से उर्दू बोलवा कर हल किया है। 'मिलन' कहानी में सुरेश जमीला या रफीक से उर्दू में बात करता है। इसके माने यह दृष्टि कि हिन्दू जब आपस में बात करें तब तो हिन्दी में, लेकिन जब मुसलमानों से बात करें तब उर्दू में, और मुसलमान आपस में भी उर्दू में बात करें, अर्थात् उर्दू ही राष्ट्र-भाषा या कामन भाषा है क्योंकि इसे हिन्दू भी बोल सकते हैं, मुसलमान तो बोलते ही हैं और हिन्दी को मुसलमान बोल नहीं सकते। ऐसी दशा में राष्ट्र-भाषा के प्रश्न पर हिन्दी उर्दू को लेकर हाथ तोड़ा मचाना व्यर्थ है, क्योंकि हिन्दी उर्दू एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं जिनमें से उर्दू शैली हिन्दू मुसलमान दोनों ही समझते हैं। आश्चर्य तो यह है कि फिर भी हिन्दी उर्दू का अलग अलग ढोल पीटा जाता है, यू० पी० शिक्षा विभाग द्वारा लड़कियों के लिये उर्दू अनिवार्य रूप से द्वितीय भाषा बनाये जाने पर हिन्दी पत्रों में बबडर उठाया



जाता है, और महासभा डेढ़ हजार वालटियर उर्दू का विरोध करने के लिये जबपुर भेजती है।

हिन्दी के ऐतिहासिक लेखों तथा पुस्तकों में भी यही बात देखने में आती है। हिन्दू या भारतीय पात्र तो हिन्दी में बोलते हैं लेकिन सब विदेशी पात्र, वे चाहे यूनानी हों, चाहे हूण चाहे अँगरेज, उर्दू में बोलते हैं। उदाहरण-स्वरूप श्रीशुकदेवविहारी मिश्र कृत 'पुण्य मित्र' का नाम लेना काफ़ी होगा। ऐसे लेखों तथा पुस्तकों में भी जब हिन्दू या भारतीय पात्र किसी विदेशी पात्र से बात करता है तो दोनों उर्दू में बोलते हैं। यह भी भुला दिया जाता है कि सदैव विजित विजेता की भाषा अपनाता है, विजेता विजित की नहीं। हिन्दी में तो ऐसा अन्वेष है कि जब यूनानी सेनापति सेल्यूकस चन्द्रगुप्त के दरबार में पकड़ कर लाया जाता है तब चन्द्रगुप्त और सेल्यूकस का संवाद उर्दू में होता है—दोनों उर्दू बोलते हैं। हद हो गई! साराश यह कि हिन्दी के ऐतिहासिक विषयों (मुसलमान पात्रों से रहित अथवा सहित) पर लिखने के लिये और उन्हें समझने के लिये भी हिन्दी के लेखकों तथा पाठकों को उर्दू का पठित होना आवश्यक है। ये सब बातें करके हिन्दी वाले सबके सामने अपनी मूर्खता तो प्रकट करते ही हैं, अपने मुँह से हिन्दी के मुकाबले उर्दू को महानता देते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि हिन्दी तो केवल हिन्दू भारतीयों की भाषा है, उर्दू दुनिया भर के सब विदेशियों की भाषा है, और भारतीयों तथा विदेशियों की 'कामन भाषा' भी है (जिसे हिन्दी के सब पाठक और लेखक सदैव जानते और समझते रहे हैं और अब भी जानते और समझते हैं)।

मैं समझता हूँ कि जिन कारणों का ऊपर निर्देश किया गया है, वे यह दिखलाने के लिये पर्याप्त हैं कि हिन्दी कृतियों में मुसलमान या विदेशी पात्रों से आपस में, या हिन्दुओं और मुसलमानों, अथवा भारतीयों और विदेशियों के बीच में उर्दू में तर्जालाप, कराना, बिलकुल अनुचित, मूर्खता-

पूर्ण और संसार की सभी भाषाओं के नियमों के विरुद्ध है। भाषा विचारों को प्रकट करने का एक साधन है, और भाषा यह तभी कर सकती है जब उसका एक प्रचलित, सर्वमान्य और निश्चित स्वरूप हो। जब हम किसी भाषा में अपने विचार प्रकट करने बैठते हैं तो हम काल के अनुसार या व्यक्ति के अनुसार भाषा नहीं बदलते चल सकते। बात चाहे आज की हो, चाहे हजार वर्ष पहले की, व्यक्ति चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म का हो, भाषा का स्वरूप वही रहता है। फिर हिन्दी में ही मुसलमानों से या विदेशियों से उर्दू में कथोपकथन क्यों कराये जाते हैं? आशा है विद्वान लेखक इस ओर ध्यान देंगे, और हिन्दी को इस दोष से बचायेंगे। कम से कम पात्रों के सम्पादक यह कर सकते हैं कि इस दोष से दूषित लेखों को लौटाने का कारण बताते हुये वापस कर दें, या उनके उर्दू सवादों को हिन्दी में अनुवाद करके छापें।

( सितम्बर, १९४५ की 'माधुरी' से )



## परिशिष्ट २

### THE 'VERNAacular' OF UNITED PROVINCES

( *By Ravi Shankar Shukla* )

The Government of the United Provinces has reminded its subordinates of the order that the use of the obnoxious term 'vernacular' should be abandoned. So far so good. But what is the 'vernacular' of the U.P., i.e. which name is to take the place of the term 'vernacular' when applied to the language of this province? The Government has suggested the name 'Hindustani'. But 'Hindustani' is not the vernacular or the mass language of the U.P. The vernacular or the mass language of this province can only be called by the name 'Hindi'—a name which Muslims gave to it many centuries ago and which has superseded its old name 'Bhasha' or 'Bhakha'. Hindustani, also called by the names 'Dehlavi' and 'Khariboli', is a dialect of Western Hindi and is spoken in the Upper Gangetic Doab. Hindustani is thus the vernacular or mass language of only a few districts round Delhi. In other districts of the U.P., various dialects of Western Hindi like Braj, Bundeli, Kanauji and Eastern Hindi, Avadhi or Kosali, are spoken. The vernacular or the mass language of the province is therefore Hindi. Any linguist will say that. In the Language Survey of India the language of this province has

been identified as Western and Eastern Hindi and these terms have since been consistently used in the census reports for the indigenous mass language of this province. It is indeed preposterous to call the vernacular of this province by the name 'Hindustani', the name of a single spoken dialect of the U. P. and itself a dialect of Hindi.

#### URDU NOT INDEPENDENT LANGUAGE

As for Urdu, it is only a literary form of Khariboli Hindi. It is not an independent language and cannot be said to be the mass language of any district. The name 'Urdu' does not appear anywhere on the language map of India. At the most it can claim as its own the Khariboli Hindi districts, and there too it will have to share its place with High Hindi, i.e., modern literary Khariboli Hindi. Speakers of Hindustani or Khariboli can indeed be found all over the province, specially in the towns and cities, but so can also the speakers of other dialects of Hindi. It is only a consequence of the modern means of communication and economic forces. In our polygot towns speakers of even extra-provincial languages like Bengali, Punjabi, English, etc., can also be found. All this does not alter the mass language or the vernacular of any place. Hindustani is the mother tongue or home language, i.e., the vernacular of very few families outside Khariboli districts. No doubt High Hindi and Urdu are used as literary languages for purposes of education, public life and administration all over the province, but this fact has nothing to do with the mass language or the vernacular of the province. English

also is used as a literary language for purposes of education, public life and administration all over the province. The Bengali, Marathi and Punjabi communities residing in the province use their own literary languages for many of their purposes. High Hindi and Urdu are used as literary languages for many purposes even in such provinces as Bombay, Punjab, Bengal, etc., where they cannot be described as vernaculars of the area by any stretch of the imagination. High Hindi and Urdu are exclusively used as literary languages for purposes of education, public life and administration in Bihar, C P. and Rajasthan, but it will be preposterous to call the vernacular of Bihar, C P. or of Rajasthan by the name 'Hindustani'. A literary language in use at any place does not necessarily become the vernacular of that place. In the context of literary languages in the U P., the fact that has, however, to be noted is that several spoken dialects of Hindi, notably Braj and Avadhi, have led centuries of rich literary existence and possess very considerable literatures of great beauty and richness. All these literatures have very close affinities in respect of culture, construction and vocabulary with modern Hindi literature, i.e., High Hindi literature, and not with Urdu literature. These literatures in fact have the same affinities and likenesses with modern Hindi literature as the literature of a dialect is bound to have with the literature of another dialect of the same language, and they are part and parcel of 'Hindi' literature and not of Urdu literature or of any 'Hindustani' literature. Similarly, folk literature of

this province in the various dialects bears close affinities with modern Hindi literature and is a part and parcel of 'Hindi' literature and not of Urdu literature or of any 'Hindustani' literature

#### HIND AND HINDUSTAN

All the provinces or, more correctly, territorial divisions of India with the exception of U P, C P and N W F. P. have got their distinctive names which signify the spoken, indigenous mass language or 'vernacular' of the area as also the indigenous people inhabiting the area. For the Madras province has been recognised, particularly by the Congress, as consisting of Andhra, i e the Telegu speaking part, Tamil Nadu i e, the Tamil speaking part and Carnatic i e, the Kannada speaking part. Bombay province is similarly regarded as consisting of Gujarat i e, the Gujarati speaking part and Maharashtra i e, the Marathi speaking part. Even in C P, thanks to the efforts of Pt. Dwarka Prasad Misra, a Minister in the present as well as in the last Congress Ministry of C P, the old name of the Hindi speaking part, viz, Mahakoshal (Koshal or Eastern Hindi is the mass language of the Hindi speaking C P) has been officially recognised. The Marathi speaking part of the C P. is, linguistically speaking, a part of Maharashtra. 'N W. F P' is more a political phrase than a name, and is bound to be appropriately renamed soon. So the U P is the only province which has no name signifying the distinctive language, culture and the people of the province. During the previous Congress regime the name 'Hind' was

proposed for this province (whether officially or non-officially I cannot say) This name is not only most appropriate but has actually been in use to a greater or lesser extent since the old name, Madhyadesha, of this part of India fell into disuse The vernacular of the province is Hindi, the name of the province will be 'Hind', and its people will be known as 'Hindis'—so it is all right The same cannot be said for 'Hindustani', for 'Hindustan' is to-day in much greater use than 'Hind' for the whole of India, the name 'Hindustani' is sought to be applied to the language of Hindustan, i e, to the *lingua franca* of India (whatever shape it might ultimately take) rather than to the language of any particular province, and surely the people of the U P cannot reserve the name 'Hindustanis' for themselves The name 'Hindi' alone can and does signify the distinctive language, culture and the people of this province

#### EVERYTHING IN A NAME

There is one more reason why the term 'Hindustani' must not be used for the language of this province Some might be inclined to ask What is there in a name ? But often there is everything in a name, as in this case To-day the term 'Hindustani' is the subject of a great controversy which is more political than linguistic in nature This term is sometimes applied to High Hindi, sometimes to Urdu, sometimes to High Hindi plus Urdu (as, for example, by the Hindustani Academy, U P. and the Lucknow University), and now it is increasingly sought to be applied to a curious (or political) mixture of Hindi and Urdu,

the venitable 'third stream', being evolved by some bodies. The vernacular of this province has never been, is not and can never be so ambiguous, dual, and shifty as the name 'Hindustani' would imply. The name of the vernacular of the U P cannot be made the subject of a controversy, as it is not controversial. It is quite definite. It is 'Hindi'. The result of the substitution of the true name 'Hindi' by the name 'Hindustani' would be that the artificial mixture of Hindi and Urdu (and possibly of other Indian languages) called 'Hindustani', which is being made to suit various tastes—the tastes of the different provinces and of the different communities—so as to be acceptable as *lingua Indica* to the 400 millions of India speaking widely different languages, will automatically be thrust upon this province as the 'vernacular', the language of the province, and will be used, in the name of 'unity' and so forth, as the language of education and administration of the province, so that the real vernacular of the province Hindi, as also Urdu, will greatly suffer and may even be swamped by 'Hindustani'.

#### WHAT OF HINDI ?

Hindi is the indigenous language, the vernacular of U P and U. P. alone (barring a part of C P and of Punjab). When U P. will be described as 'Hindustani speaking area' (as has already been started in certain so called nationalist contexts, to make confusion worse confounded, even Bihar and C. P. are often included in this 'Hindustani speaking area'), which province, which region of India will be des-



cribed as 'Hindi speaking'? When the people of U. P. will be described as 'Hindustani speaking', who in India will be described as 'Hindi speaking'? Will a language as old as Hindi disappear overnight by a mere stroke of the pen of the U. P. Government? Will the territory that has so long been marked 'Hindi' in the language map of India be now marked 'Hindustani', and Hindi, of all Indian languages, become conspicuous by absence after having been there for the past so many centuries? It is a pity that while the Marathi speaking people of India are holding Maharashtra Unity Conferences with a view to unite together the Marathi speaking parts, and are giving a mandate to the Marathi speaking members of the Constituent Assembly to work for an united Maharashtra, the Hindi speaking Ministers of the U. P. Government should think of effacing Hindi from Hind whose undisputed vernacular it has been for the past thousand years. One might have rather thought that they would convene a Hind Unity Conference to agitate for cession of the Hindi speaking parts of the Punjab and C. P. to U. P. But strange things happen in this province where everybody, from Congress Ministers downwards, seems to view everything through a haze of politics-cum-communalism.

#### UNITY THROUGH HINDI

It must be made absolutely clear that there is no intention to harm the interests of Urdu in U. P. Urdu is a form of Hindi, and the U. P. Government is at liberty to allow those in U. P. who want Urdu and its script to cultivate Urdu and to give facilities for

the teaching of Urdu. It may even grant the same facilities to other language groups in the province, but let the vernacular of the province remain what it is, i. e. Hindi. Truth must not be sacrificed. Urdu or Hindustani is certainly not the vernacular of this province. A time may come when those who want Urdu and its script to-day may take kindly to the vernacular of this province, i. e., their real mother tongue, and to its natural script, thus ushering in the era of complete linguistic unity in this province; just as in the Punjab where Urdu too is medium of instruction, language of administration, etc., a time may come when adherents of Urdu, despite late Sir Sikandar Hayat Khan's frantic declaration regarding Urdu being the 'national language of Punjab', may take kindly to and adopt Punjabi, their mother tongue and the vernacular of Punjab, provided that Punjab remains 'Punjab' and Punjabi is not renamed 'Hindustani' or something like that. Thus 'Hindi' has got seeds of unity in it. But 'Hindustani', besides being an untruth, will, with its shifty and shifting meaning and its concomitant, the 'two scripts' clause, never allow this province to be one in the matter of language and script, will be a permanent obstacle on the way of progress and thus defeat the very purpose for which this untruth is (probably) sought to be imposed on this province. We appeal to the Congress that plumes itself in truth to do away with this palpable untruth, which seems to be inspired by political opportunism but which has infinite potentialities for permanent wrong-doing and injustice. It must give up its attempt to give a habitation to its concoction 'Hindustani' at the cost of

Hindi. It must desist from dealing a death blow to the existence of Hindi even as a provincial language in its mad desire to appease reactionaries and communalists, if it attaches any importance to the solemn pledges given in its election manifesto regarding the protection of the language and culture of every linguistic group and of every linguistic area. No Government, popular or unpopular, Congress or non-Congress, has a right to alter the old name of the vernacular of this province, specially when the new name suggested for it has already a definite meaning, denotes a definite and a mere spoken dialect of the province and has unfortunately gathered and is gathering about it new associations which are not only unpleasant but positively dangerous to the unity and welfare of the province.

#### APPEAL TO HINDIS

Lovers of the language and culture of this province, the various literary and cultural institutions of the province, specially the premier literary institution of the province, the All India Hindi Sahitya Sammelan, the Hindi speaking people generally, specially those who have been returned to the provincial Assembly by the votes of the masses, who know no 'Hindustani', nothing, except their rustic Hindi, are requested to take up the matter with the Government, and to see that the vernacular of this province is called by its proper name Hindi in official papers, correspondence, census reports and other official publications, etc. The mischief must be nipped in the bud. It will be a poor consolation if this hated term 'vernacular' is

replaced by the controversial, wrong, misleading and dangerous term 'Hindustani', wiping Hindi off the language map of India. Agitation should also be started for securing official recognition for the name 'Hind' for this province in the place of 'United Provinces' which is no name at all. Unofficial bodies and nationalist newspapers should invariably refer to the vernacular of this province by the name 'Hindi', and they should also start using the name 'Hind' for U.P. without waiting for its official recognition.

---

## परिशिष्ट ३

### हम हिन्दी वाले !

( लेखक—श्रीमदनगोपाल मिश्र )

ब्रिटिश सरकार और भाग्यीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों का ही यह बोधित सिद्धांत रहा है कि उनके प्रभुत्व में प्रत्येक भारतीय जन-समुदाय की भाषा सुरक्षित रहेगी। लेकिन इधर कुछ समय से ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी, जो हमारे देश की सबसे बड़ी जन-संख्या की भाषा है और जो प्रत्येक दृष्टिकोण से निष्पक्ष विचार करने पर राष्ट्र-भाषा बनने के योग्य एक मात्र भाषा सिद्ध होती है, इस सिद्धांत का अपवाद हो गई है। इधर लगभग दस वर्षों से हिन्दी पर अनेक कठोर प्रहार हुए हैं। सीमा प्रदेश, पंजाब, काश्मीर, सिन्ध और हैदराबाद में हिन्दी के साथ जो दुर्व्यपहार हुआ है, वह पाठकों को चिदित ही होगा। लेकिन हिन्दी पर इधर जो सबसे भयानक आक्रमण हो रहा है वह है 'आल इंडिया रेडियो' का। 'हिन्दुस्तानी' शब्द की ढाल की आड़ में वह हिन्दी की हस्ती तक को ससार की आंखों के सामने से मिटा देना चाहता है। हिन्दीवालों की ओर से आल इंडिया रेडियो की इस नीति का विरोध हुआ, यहाँ तक कि पटित रचिशकर शुक्ल ने जहाँ एक ओर 'लैंग्वेज पालिसी आफ आल इंडिया रेडियो' नामक पुस्तक लिख कर आल इंडिया रेडियो की धींगा-धींगी पर से परदा उठाया, वहाँ दूसरी ओर 'राष्ट्र-भाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन' नामक पुस्तक लिख

कर बड़े बड़े भारतीय नेताओं और विद्वानों तक को भ्राति में डाल देनेवाले 'हिन्दुस्तानी' शब्द के छद्म रूप का भण्डाफोड किया, लेकिन आल इंडिया रेडियो की नीति 'अब भी जहाँ की तहाँ है'—उसके अधिकारियों ने हिन्दी-भाषा को बहिष्कृत करने का 'वीड़ा सा उठा लिया है। हिन्दुस्तानी के जाल में फँसे हुए लोग अभी स्वतंत्र हुये हैं कि नहीं, यह हमें अभी देखना है। उससे मुक्त होने का सबसे अच्छा उपाय है कि वे परिदृष्ट रविशकरजी की पुस्तकों को पढ़ लें। मैं तो प्रत्येक हिन्दी प्रेमी और देश-भक्त का यह कर्तव्य समझता हूँ कि वह इन पुस्तकों को पढ़े और हिन्दुस्तानी के घोखे से शीघ्र से शीघ्र सावधान हो जाय।

परन्तु, क्या हम हिन्दीवालों ने कभी यह भी सोचा है कि हमारी भाषा पर होनेवाले इन अत्याचारों के लिये स्वयं हमारा उत्तरदायित्व कहाँ तक है ? हमारे किन अपराधों और हमारी किन त्रुटियों और निर्बलताओं के कारण हिन्दी इस अपमानित स्थिति में आ पड़ी है ? हमने हिन्दी का मन्तक ऊँचा करने के लिये अभी तक क्या किया है ? इन प्रश्नों का उत्तर हिन्दी प्रदेशों के केन्द्र सयुक्त-प्रान्त पर ही नज़र डालने से मिल जायगा—

( १ ) पाँच प्रचलित अँगरेजी के समाचार-पत्र—लोकन क्या इनमें से किसी का भी सम्पादक हिन्दी की गोद में तुतलाया और पला हुआ व्यक्ति है ? यदि होता तो 'आल इंडिया रेडियो की हिन्दी-विरोधी नीति एक पग भी आगे न बढ़ सकती। इनमें से किस समाचार पत्र ने किसी हिन्दी-विरोधी नीति के विरुद्ध 'आन्दोलन' किया है ? यह विश्वास करने को मंरा जी नहीं चाहता कि अब तक अँगरेजी समाचार-पत्रों के सम्पादन की योग्यता रखनेवाला कोई हिन्दी का लाइला पैदा ही नहीं हुआ।

( २ ) हमारे प्रात के सबसे बड़े जगद्विख्यात नेता को हमारी प्रमुख प्रान्तीय भाषा हिन्दी के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं—शायद वह टूटी फटी ही हिन्दी लिख सकता हो। और उसकी इस उदासीनता ने हमारे अन्य

प्रान्तीय नेताओं को अपनी भाषा के प्रति कहीं तक उदासीन न बना दिया होगा ? फिर हिन्दी को क्यों न ठोकरें लगाई जायें ?

( ३ ) हमारी कचहरियों और पुलिस के चिभागों में हिन्दी पढ़े-लिखे बकील और अफसर अपनी और जनता की भाषा को छोड़कर एक ऐसी भाषा को नित्यकोच अपना लेते हैं जिसे सुनकर किसी भी साधारण नागरिक को आश्चर्य हो सकता है। उदाहरणार्थ, 'प्रथम', 'द्वितीय' और 'तृतीय' तो दूर रहे, 'पहल', 'दूसरे' और 'तीसरे' के स्थान पर जब तक वे 'अव्वन', 'दोअम' और 'सोयम' नहीं लिख लेते, उन्हें चन नहीं पड़ता—कितना कल्लु दृश्य !

( ४ ) हमारे प्रान्त के सबसे बड़े वैरिस्टर, जो अपनी योग्यता के लिये हमी प्रान्त में नहीं, सारे भारतवर्ष में और लन्दन में भी विख्यात हैं, एक बार एक महाशय से एक सभा में, जिसके वे सभापति थे, 'सभापति' शब्द से सम्बोधित किये जाने पर वेतरह विगड़ उठे थे ! संस्कृत और हिन्दी उनके लिये कितनी असहनीय है ! प्रान्त की जनता की भाषा के प्रति उनका यह व्यवहार ! इस प्रान्त के एक दूसरे नेता और ऐडवोकेट गान्धीजी के शब्दों में हिन्दी कठिनता से लिख सकते हैं। तो फिर हिन्दी का तिरस्कार क्यों न हो ? यद्यपि हम गांधीजी को यह सूचित कर देना चाहते हैं कि हमारे वापदादों ने प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव में भले ही हिन्दी न पढ़ी हो, परन्तु उनके बच्चे अपने जीवन और देश से सामजस्य रखने वाली हिन्दी ही पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। चारों ओर से हिन्दी पर किये जाने वाले प्रहार उनकी आँखें और भी खोल देंगे।

( ५ ) भारतवर्ष में सिनेमा-कम्पनियों एक बड़ी सख्या में खुल गई हैं, लेकिन हिन्दी-प्रान्तों में हिन्दी वालों द्वारा कोई कम्पनी क्या अभी तक खुली है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यही कारण है कि हिन्दी की आत्मा की श्मशानतः रक्षा करने वाले चित्र बहुत कम बने हैं, यद्यपि सबसे उत्कृष्ट चित्र वे ही

समझे गये हैं जिनमे इस रक्षा का ध्यान रक्खा गया है । ग्रामोफोनरिकार्ड-कम्पनियों के साथ भी यही बात लागू है ।

( ६ ) हमारे प्रान्त के बड़े-बड़े शहरों में सिनेमा-भवनो के मालिक शायद ही कोई हिन्दी वाले मिलें । सिनेमा के पोस्टरों, आदि की भाषा अथवा उनमें किया जाने वाला हिन्दी का तिरस्कार हमें बराबर इसी बात का स्मरण दिलाते हैं । इस तिरस्कार की ओर हम टुकुर-टुकुर देखते हैं—उसका विरोध करने का भी बल हममें नहीं रह गया है ।

( ७ ) इस प्रान्त की शिक्षा-संस्थाओं तथा अन्य विभागों में हमारे अन्य प्रान्तीय भाई विभिन्न पदों पर एक बड़ी संख्या में विद्यमान हैं । इनमें से कुछ ने हिन्दी की बहुमूल्य सेवा की है और अब भी कर रहे हैं, इस बात का हमें गर्व है । हिन्दी अब हमारी ही नहीं, प्रत्येक सच्चे भारतीय की है, और फिर उन व्यक्तियों के, जिनकी भाषा हिन्दी की ही सगी बहिन हो और जो हिन्दी प्रान्तों में जीवकोपार्जन करते हों, हिन्दी के प्रति अनेक दृष्टि बिन्दुओं से विशेष कर्त्तव्य हैं—( १ ) हिन्दी पर सकट का अर्थ है संस्कृत पर घोर सकट, फिर क्या संस्कृत की पुत्रियों—हिन्दी की अन्य बहनें—उसमें बच सकती हैं ? ( २ ) हिन्दी प्रान्त में, हिन्दी वालों के बीच, उन्हीं के निमित्त, और उन्हीं के सहयोग से रह कर उनका यह धर्म हो जाता है कि वे अपनी भाषा के साथ-साथ हिन्दी को भी अपनाये । ( ३ ) केवल यही नहीं, भारतीयता के नाते उनका यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वे हिन्दी के सन्देश को अपने अपने प्रान्तों में पहुँचायें और उसके प्रति जनमत को जाग्रत करें । हमें खेद है, उनमें से बहुतों का पूर्ण सहयोग हिन्दी को प्राप्त नहीं है, बहुत से उसके प्रति उदासीन हैं, कुछ उसमें स्पर्धा भी रखते हैं, यहाँ तक कि कुछ हिन्दी वालों को ही हिन्दी के प्रति निरुत्साहित करने में भी सकोच नहीं करते । हिन्दी वालों का कर्त्तव्य है कि वे अपने इन पथ-भ्रष्ट भाइयों को रास्ते पर लावे, और उन्हें हिन्दी के सन्देश की सत्यता में विश्वास



दिलावें। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हीं का अपराध है। अन्य प्रान्तों की कोई भी भाषा अपने ही घर में इस प्रकार की अपमानित परिस्थिति में नहीं है। घर फूँक तमाशा देखने की नीति हिन्दी वालों को ही सख हो सकती है, औरों को नहीं।

(८) इस प्रान्त के अनेक इमाइयो और अँग्रेजों की शिक्षा संस्थाओं में केवल उर्दू ही पढाई जाती है, हिन्दी को उनमें स्थान नहीं। फिर भी हिन्दी वाले अपने बच्चों को उनमें पढाते हैं, बिना इस बात का आन्दोलन किये हुये कि वहाँ हिन्दी पढाने का भी प्रयत्न होना चाहिये। इस प्रकार हिन्दी वालों के ही बच्चे अपनी मातृ-भाषा और अपनी संस्कृति से वंचित हो जाते हैं। आगे चलकर इन्हीं बच्चों के कर्मों पर मने उनके माता-पिताओं को भँकते हुये भी देखा है—परन्तु अपराध किनका ?

अब कुछ आँखों देखे दृश्यों पर भी विचार कीजिये—

(१.) जनता की सरकार के समय की सयुक्त प्रान्तीय असेम्बली के अधिवेशन का एक बैठक। एक सदस्य जी उठे, हिन्दी में बोलना चाहा, हिन्दी के विरोधियों ने आपत्ति की और उनकी भाषा थिगड़ गई। एक हिन्दी वाले ही 'पार्लामेंटरी' सचिव उठे और उन्होंने बड़े जोश के साथ फारसी में लटा हुआ एक ऐसा भाषण दे डाला कि अधिकतर श्रोता मुँह बाए ही रह गये। हिन्दी के विरोधी तो अतनी भाषा में बोले ही—किसका साहस था कि चूँ कर जाय। उनके हिन्दी के विरोध का शायद सम्मान हुआ, और यदि कोई हिन्दी वाला आपत्ति कर देता तो उसी क्षण उस पर शायद साम्प्रदायिकता, अराष्ट्रीयता, आदि के अपराध लगा दिये जाते। उर्दू तो ठीक, अगरेजी तो भी ठीक, और हिन्दी तो गम राम!—  
क्या खूब !!

(२) साक्षरता-दिवस ( कांग्रेस सरकार के समय में )—एक पार्क में एकत्र नगर की सारी शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थी। अधिकतर हिन्दी वाले।

कुछ मुसलमान सज्जनों ने भाषण दिये—उर्दू में, ठीक है ऐसा तो होता ही। अब उठे एक एक करके हमारे दो नेता—दोनों हिन्दी के यशस्वी विद्वान् और लेखक। कुछ मनचले साहसी छोकरो ने आवाज लगाई 'उर्दू, उर्दू'—और यह लीजिये उर्दू। फिर क्या था, वे छोकरे विजय से फूल गए और हिन्दी वाले विद्यार्थी मुँह बाये, मुँह ताकते रह गये। हमने मौलाना अबुलकलाम आजाद, श्री रफी अहमद किदवाई, आदि किसी भारतीय मुस्लिम नेता को हिन्दी में लिखते-बोलते न देखा है और न सुना है। क्यों? क्योंकि उर्दू अपने नाम से अथवा हिन्दुस्तानी के नाम से उर्दू ही रहना चाहती है, हिन्दी अपने को चाहे नष्ट कर डाले।

( ३ ) लखनऊ की बड़ी प्रदर्शिनी ( १९३६ )—एक पडाल के नीचे 'हिन्दुस्तानी ऐकेडमी' की एक बैठक में हिन्दुस्तानी की समस्या हल हो रही थी। जा बैठा। देखता क्या हूँ कि 'आमफहम जुबान' हिन्दुस्तानी का ही समर्थन करते हुए उर्दू वाले बड़े जोश खरोश से फारसी वूक रहे थे—और दिल्लीमिल हिन्दी वाले भी, जिनमें हिन्दी के कुछ दिग्गज विद्वान भी थे, ( कदाचित्त तकल्लुफ में आकर ) उर्दू में ही भाषण देने का प्रयत्न कर रहे थे। हिन्दुस्तानी तो कुछ थी ही नहीं, हिन्दी भी न रही, रह गई केवल कोरी उर्दू—न रहेगा बॉस और न बजेगी बॉसुरी। उठा, और इन हिन्दी वालों से कुछ कुपित, कुछ निराश, कुछ इन पर हँसता और कुछ इन अशुभ लक्षणों से हिन्दी पर आगे आने वाले सकट का अनुमान करता अपने घर चल दिया।

साराश यह कि जब तक हिन्दी वाले स्वयं अपने ही इन अपराधों से मुक्त न होंगे, तब तक हिन्दी-माता अपने ऊपर दूसरो द्वारा किए हुये अत्याचारों पर कम रोवेगी, अपने ही पुतों की निष्क्रियता और कर्त्तव्यहीनता पर सिर पटकती रहेगी। यदि उसके ही बेटे ऐसे न होते तो कैसे कोई उसका अपमान कर सकता? अभी बहुत देर नहीं हुई है—क्या हम अपने

हिन्दी वाले भाइयों और भारत-भक्तों से आशा करें कि वे अपनी मातृ-भाषा अथवा राष्ट्र-भाषा का मस्तक ऊँचा उठाने में अपना तन, मन, धन अर्पित कर देंगे ?

( मई, १९४६ की 'सरस्वती' से )

---

## परिशिष्ट ४

### वर्धा की हिन्दुस्तानी

( लेखक—श्रीभूदेव विद्यालंकार )

हिन्दी की राष्ट्रीयता पर इस समय दो ओर से प्रबल आक्रमण हो रहे हैं। एक आक्रमण बाहर की ओर से हो रहा है, और उस समुदाय की ओर से हो रहा है जो हिंदू सस्कृति, हिंदू सभ्यता तथा हिंदू आचार-विचार का विद्वेषी है और जिसे हिंदुओं की उन्नति फूटी आँखों भी नहीं सुहाती है। इस आक्रमण का करनेवाला ऐङ्गलो-मुस्लिम सरकारी गुट है जिसकी एक शाखा केन्द्रीय भारत सरकार का सूचना तथा प्रचार विभाग है। इसके सर्वेसर्वा वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य सर अकबर हैदरी हैं। इनसे पहले सर मुलतान अहमद थे। यह विभाग अपने लेखों, तथा प्रचार के सर्वाधिक शक्तिशाली साधन आकाश-वाणी ( रेडियो ) द्वारा अरबी-फ़ारसी-बहुल उर्दू भाषा को 'हिंदुस्तानी' का नाम देकर उसके प्रचार और प्रसार में प्राणपण से जुटा हुआ है। सरकारी विभाग की इस उर्दू पक्षपातिनी तथा हिन्दी विरोधिनी नीति के विरुद्ध एक प्रबल आन्दोलन हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा हिंदी साहित्य सेवियों द्वारा कई वर्षों से चल रहा है। यह आन्दोलन अब तक सफल होगा होता यदि 'हिंदुस्तानी' का पोषक एक दूसरा आन्दोलन हिंदुओं के ही भीतर खड़ा न होगया होता। इस दूसरे आन्दोलन के कारण हिंदी विरोधी सरकारी दल के काँपते हुये हाथ और लडखडाते हुये पैर फिर से

दृढ़ होगये हैं, और हिंदी की राष्ट्रीयता के प्रचार में कुछ समय के लिये बाधाएँ और बढ़ गई हैं।

वह खेद और दुःख की बात है कि यह दूसरा हिन्दी विरोधी हिन्दुस्तानी का आन्दोलन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाया जा रहा है जो किसी समय हिन्दी की राष्ट्रीयता का प्रबल समर्थक, प्रचारक और पोषक था। इस हिन्दुस्तानी का केन्द्र है वर्धा और वहाँ के महात्मा ही इसके प्रवर्तक, पोषक, प्रचारक, प्रसारक और प्रेरक हैं। वर्धा से होने वाला हिन्दी पर यह आक्रमण सरकारी गुट्टू के आक्रमण से कहीं अधिक घातक है क्योंकि यह प्राथमिक और माध्यमिक श्रेणियों से ही हिन्दुस्तानी का प्रचार हमारे बालक-बालिकाओं में करने का उपक्रम कर रहा है। सरकारी विभाग की 'हिन्दुस्तानी' और वर्धा की 'हिन्दुस्तानी' में केवल नाम साम्य ही नहीं है, प्रत्युत हिन्दी में प्रचलित सरल और सुबोध सन्कृत शब्दों के भी बहिष्कार तथा अरबी फारसी बहुल उर्दू शब्दों के विशेष व्यवहार और प्रयोग में भी दोनों में आश्चर्यजनक साम्य है।

वर्धा की हिन्दुस्तानी क्या है ? कैसी है ? इसे समझने के लिये वर्धा-शिक्षा-योजना में सम्बन्ध रखने वाली तथा वहाँ से प्रकाशित पुस्तकों में से दो-चार का अध्ययन ही पर्याप्त है। इस सम्बन्ध में १-शिक्षा में अहिंसक क्रांति, २-एक कदम आगे, ३-बुनियादी तालीम के दो साल, ४-गरी का काम, भाग पहना, ५-खेती शिक्षा, ६-ओटना, तुनना व धुनना, ७-नई कित व (हिन्दी), ८-कताई गणित (हिन्दी), ९-तकली (हिन्दी), १०-नई किताव (उर्दू), ११-कताई का हिसाब (उर्दू), १२-तकली (उर्दू), इन बारह पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि यदि वर्धा की हिन्दुस्तानी का विरोध न किया गया और वह सफल हो गई तो हिन्दी का स्वरूप इतना विकृत हो जायगा कि उसे पहचानना मा कठिन हो जायगा, यहाँ तक कि हिन्दी की उपजीव्य संस्कृत के सरल और सुबोध

शब्दों का भी वहिष्कार होकर उनके स्थान पर अरबी फारसी बहुल उर्दू शब्दों को इनती भरमार हो जायगी कि वह वही हिन्दुस्तानी बन जायगी जो ऐंग्लो-प्रसिद्ध गुट्ट को अभीष्ट है ।

हम यह मानते हैं कि उन्नतिशाल भाषा पढ़ासो भाषाओं के ही नहीं प्रत्युत विदेशी भाषाओं के शब्दों से भी अपने शब्द-भाण्डार का भरने में आगा-पीछा नहीं करती । पर इसका यह अभिप्राय कभी नहीं है कि अपने आत्मसात किये हुये शब्दों का या उपजोव्य भाषा के शब्दों का वहिष्कार करके दूसरी भाषा के शब्दों को अनायास जाय, उनके पीछे दौड़ा जाय ।

वर्षा को हिन्दुस्तानी कैसा साहित्य निर्माण कर रही है, इसके कुछ उदाहरण देखिये :—

‘खेनी की शिक्षा’—एक सौ तीस पृष्ठों की ग्यारह अध्यायों में विभक्त यह एक पुस्तक है । यह ‘खेनी शिक्षण’ नाम की मराठी पुस्तक का अनुवाद है । इसके प्रथम दो अध्यायों में ही उर्दू के शब्दों तथा वाक्यांशों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, देखिये :—वाग वग चे, ताल्लुक, नजदीकी सम्बन्ध, बगैरा, मौजू, मददगार साबित होग, कुदरत, जिन्दगी गुजरनी, इम्तहानों, वेमजा, वेहद ताकतवर, खुदा की शान, जिन्दगी की अजमत, गुजरेग, कुदरत के ये एलची, होशियारी, चीज में खूबसूरती, तरक्की जरूर हागी, गौर करने को ताकत, हासिल, बजह, बाफायादा सोचने का माह्र पैदा होगा, बयान, ख्यालो को जाहिर करना, पावन्दी, एहसास, मुसव्वरी, आवाज, बारीक, ज़्यादा मजबूत, खासकर, चूँकि ज़्यादातर, कौमी फायदा, शख्मी, कौमी निगह, मुताबिक, दस्ताकारी के जरिये, बकन, मादरी ज़बान, नज्म, मुकद्दम धदे, मजबूतों की तरह, जरूरी, शामिल, जमातो, मक़मुद्, गुज़ाहश, और हालात मुआफिक हों, तनख्वाह, पैदावार का सवाल, गुलामो, बदनाम, नसोब, बदकिस्मती, आजदा की तरफ, तालीम, शानदार, खास पहलुओं, खास मरकज, सिर्फ, जरूरी पहलुओं पर खास ध्यान, काम-

लिपि में जाते ही इसकी पक्की मुसलमानी हो जाती है । इम पर बुगका उड जाता है और बिगुद्ध उदूँ हो जाती है । इस 'नई किताव' को नागरी तथा उदूँ में प्रकाशित सस्करणों को देखने से यह बात स्पष्ट होजानी है —

पहले पन्ने से ही देखते चलिये—

### नागरी

१—

२—नागरी-प्रकाशक

३—पहला संस्करण

४—( नोट नहीं है )

५—निवेदन

६—बुनियादी स्कूलों के तीसरे दर्जे के बच्चों के हाथों में इस नई किताव को रखते हुये मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ।

७— यह किताव खास करके

८—पर मुझे आशा है

९—जब मे बुनियादी तालीम का प्रयोग शुरू हुआ

१०—एक नये सा हत्य की आव-  
श्यकता अनुभव कर रहे हैं

### उदूँ

१—लिटरेचर कमेटी मुकररशुदह  
मिनजानिव वेसिक एजूकेशन  
बोर्ड, बिहार ।

२—उदूँ-नामर

३—तलब अब्बल

४—(नोट) अर्ज अडीटर—में निहा-  
यत मसरत के साथ इस बात का  
अयतराफ़ करता हूँ—इत्यादि ।

५—अर्ज हाल

६—मुझे बुनियादी स्कूलों के तीसरे दर्जह के हाथों में इस 'नई किताव' को देते हुये वेहद मसरत हो रही है ।

७—यह किताव मखसूम तौर पर

८—लेकिन मुझे उम्मीद है

९—जब से बुनियादी तालीम का तजरबह शुरू हुआ

१०—एक नये अदब की जरूरत महसूस कर रहे हैं

११—क्या बच्चों के लिये और  
क्या शिक्षकों के लिये

१२—सच्चे शिक्षा साहित्य का  
अभाव है

१३—विषय सूची

१४—प्रार्थना

१५—यही चाहता हूँ मैं ईश्वर

१६—बाद तुम्हारे ईश्वर, इसका  
ही हरदम कहलाऊँ मैं

१७—तकली की गति (चाल) के  
अनुसार (मुताबिक) ही सूत

१८—यह सूत कितना समान  
( एकसाँ ) है

१९—प्रणाम, मामाजी

२०—सूत की समानता ( एकसा-  
नियत ) पर वह ध्यान नहीं  
दे रहा था ।

११—क्या बच्चों के लिये और  
क्या मौलवियों के लिये

१२—सच्चे तालीमी अदब का  
फकदान है

१३—फेहरिस्त मजामीन

१४—दुआ

१५—यही चाहता हूँ मैं या रब्ब

१६—बाद तुम्हारे या रब इसका  
एक खादम कहलाऊँ मैं

१७—तकली की रफ्तार के  
मुताबिक ही सूत

१८—यह सूत कितना एकसाँ है

१९—आदाब, मामूजान

( यहाँ ध्यान देने की बात  
है कि कहने वाला केदार  
हिन्दू है और अपने मामा  
से कह रहा है )

२०—सूत इसका एकसाँ नहीं  
हो रहा था ।

ये उद्घरण 'निवेदन' या 'अर्ज हाल' को केवल प्रथम ८-१० पक्तियों  
के हैं । बस इतने से ही समझ लीजिये कैसी 'हिन्दुस्तानी' है ।

लेख का कलेवर बढ़ रहा है इमालये इमे यी समाप्त करता हूँ । अन्य  
पुरतकों के सम्बन्ध में फिर लिखूंगा । अन्त में इतना अवश्य लिखूंगा कि



ये उद्घरण स्पष्ट कह रहे हैं कि वर्धा को हिन्दुस्तानी की भाषा एक नहीं है। नागरी लिपि में जिस प्रकार हिन्दी शब्दों के उर्दू पर्याय कोष्ठों में लिख कर उर्दू के शब्दों का परिचय, व्यवहार तथा प्रयोग बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है, उर्दू लिपि के संस्करणों में इस प्रथा को क्यों नहीं अपनाया गया ? क्यों नहीं उर्दू शब्दों के संस्कृत प्रयायों से उर्दू पढ़ने वालों को परिचित कराने का प्रयत्न किया गया ? क्या यह उर्दू के साथ पक्षपात तथा संस्कृत के बहिष्कार का द्योतक नहीं है ? क्या इस हिन्दुस्तानी द्वारा हिन्दी के साथ न्याय हो रहा है ? क्या यह प्रथा हिन्दी के सर्वनाश का कारण न होगी ? क्या इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से उर्दू शब्दों का व्यवहार बढ़ाना, उर्दू का प्रचार करना नहीं है ?

( जनवरी, १९४६ को 'हिन्दी' से )

( आगे टिप्पणी देखिये )



## परिशिष्ट ४ पर टिप्पणी

( लेखक—रविशंकर शुक्ल )

वर्धा की हिन्दुस्तानी के पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही है वह तो ऊपर के लेख से प्रकट है ही, इस लेख से बिहार की हिन्दुस्तानी पर भी भरपूर प्रकाश पड़ता है। यह है बिहार जैसे हिन्दी प्रान्त की उस हिन्दुस्तानी का स्वरूप जो बिहारी जनता पर 'राष्ट्रीय सरकार' द्वारा लादी जा रही है और बिहारी बालको के मस्तिष्क में प्रारम्भ से ही पैटाई जा रही है ! देवनागरी पुस्तकों में हिन्दुस्तानी के नाम पर भाषा की जो दुर्दशा की गई है उससे अधिक आश्चर्य फारसी लिपि की पुस्तकों की भाषा देख कर होता है। इन उर्दू पुस्तकों में हिन्दी के साधारण से साधारण देशज शब्द तक के लिये स्थान नहीं। उनके स्थान में भी ढूँढ ढूँढ कर अरबी फारसी शब्दों को ठँसा गया है, और जहाँ यह सम्भव नहीं वहाँ अँगरेजी शब्द रक्खा गया है ( जैसे 'अडीटर'—'सम्पाटक' सह्य नहीं ) और वस्तुतः क्रियाओं और विभक्तियों को छोड़ कर भाषा में कोई भी भारतीय तत्व न रहने दिया गया है। ऊपर से तुराँ यह कि इस भाषा का नाम रक्खा गया है 'हिन्दुस्तानी' और उसे जनता की सरल भाषा कह कर लाटा गया है बिहारी जनता पर जिमकी ( हिन्दू या मुसलमान ) मातृ-भाषायें भोजपुरी, मथिली और मगाही हैं और जिसने अपनी वाणी विद्यापति ऐसे कवि से पाई है ! यदि पंजाब, सिन्ध या सीमा-प्रान्त का मम्मला होता तो वहाँ तो वैदिक स्कूलों की 'हिन्दुस्तानी' बनाई जाती उर्दू और पुस्तकों को देवनागरी लिपि में भी न

छपा जाता ( उदाहरण के लिये पंजाब के बेसिक स्कूलों में प्रचलित 'हिन्दुस्ताना' की पुस्तकें देख लीजिये ), परन्तु बिहार में प्राथमिक शिक्षा से भी एक दर्जा नीचे बेसिक शिक्षा के लिये मैथिली और मगही बोलने वाले मुसलमान बालकों के हाथ में ऐसी पुस्तकें दी जाती हैं जिन की उर्दू को वे क्या, युक्त-प्रान्त और पंजाब में भी मुसलमान बालक नहीं समझ सकते । यह है 'मातृ-भाषाओं द्वारा शिक्षा' वाले नारे का व्यावहारिक रूप ! जैसी उर्दू की बिहारी मुसलमान स्वयं न मोंग करते उससे अधिक क्लिष्ट उर्दू उन पर थोपी जा रही है, और बिहारी जनता को भाषा और लिपि के पाकिस्तानों में बाँटा जा रहा है, और यह सब 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर ! ऐसा क्यों न हो ? बिहार की 'राष्ट्रीय सरकार' में डा० सैयद महमूद शिक्षा-मन्त्री क्या व्यर्थ के लिये बने थे, और इस बार शिक्षा का पोर्टफोलियो दबोचने रहने का जीतोड़ प्रयत्न उन्होंने क्या तकल्लुफ़ में आकर किया था ? ससार भर में भारत ही तो एक ऐसा अभाग्य देश है जहाँ बिहार जैसे हिंदी प्रान्त का शिक्षा-मन्त्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाना सम्भव है जो अपनी मातृभाषा हिंदी न बतता हो, जिसे हिंदी का ज्ञान न हो, हिंदी से प्रेम न हो वरन् जिसे हिंदी से द्वेष हो—और वह भी एक ऐसी सरकार द्वारा जो राष्ट्रीयता का दम भंगती हो, जनता की सरकार होने का दावा करती हो ! इ गलैड की प्रतिगामी से प्रतिगामी सरकार भी एक ऐसे व्यक्ति को इ गलैड का शिक्षा-मन्त्री बनाने का साहस न करेगी जो अँगरेजी का विद्वान न हो और जिसे अँगरेजी से प्रेम न हो, परन्तु भारत में तो कांग्रेसी राष्ट्र-वादियों को काइसी मुसलमानों के सहयोग का मूल्य हिंदुओं की जेब से चुकाना ही है ।

क्या हम बिहार की नई सरकार से यह निवेदन कर सकते हैं कि वह बिहार में भाषा और लिपि का पाकिस्तान, जिससे वह अभी तक बचा रहा है, खड़ा करके, बिहार की जनता के टुकड़े टुकड़े न करे और उसकी भाषी उन्नति

मे भयकर बाधा न डाले ? यदि उसने ऐसा किया तो बिहार की अगली पीढ़ियों उसे इस महान् अपराध के लिये कभी क्षमा नहीं करेगी । बिहार प्रात में प्रातीय बोलियों के बाद हिंदी के सिवा किसी अन्य हिंदुस्तानी का कोई अधिकार नहीं, और देवनागरी के सिवा किसी दूसरी लिपि का कोई स्थान नहीं, चाहे मुसलमानों का मामला हो, चाहे ईसाइयों का और चाहे किसी और का । बिहार की हिंदुस्तानी हिंदी है । बिहार के १४ प्रतिशत मुसलमानों, जो हिंदी समझते हैं, के दुराग्रह के कारण बिहार में शिक्षा या राजकाज में उर्दू और उर्दू लिपि को हिंदी और देवनागरी के समकक्ष स्थान देना या हिंदी से भिन्न किसी हिन्दुस्तानी और दोनों लिपि को स्थान देकर बुद्धि का दिवालियापन प्रकट करना है । दुख की बात है कि जब पंजाब ( जिमके कई जिलों की मातृभाषा ही हिन्दी है ) की सरकार ३० प्रति शत जनता के कहने पर भी राजकाज, कचहरियों, आदि में उर्दू के सिवा किसी दूसरी हिंदुस्तानी और फारसी लिपि के सिवा किसी दूसरी लिपि को कोई स्थान देने को तैयार नहीं, बिहार की सरकार गिने चुने मुसलमानों को खुश करने के लिये अपनी राजभाषा और राजलिपि को दो दो में विभक्त चाहती है\*, और हिंदी की सुन्नत करना चाहती है । जोभ का विषय है कि जब शारदा लिपि के देश काश्मीर और गुरुमुखी के देश पंजाब में मुसलमान केवल एक लिपि फारसी यह कहकर रखना चाहते हैं कि दो लिपियों से जनता दो भागों में बँट जायगी और मिलकर कभी एक न हो सकेगी, और

\* कुछ वर्ष हुये बिहार की इन्टरिम ( मध्यकालीन ) गवर्नमेंट के समय में ( १९३५ के विधान के लागू होने से पूर्व ) अपनी तीन महीने की सुलतानी में सर सुल्तान अहमद ने मौका पाकर उर्दू को भी बिहार की राजभाषा, कचहरियों की भाषा, आदि घोषित कर दिया । इस बात का कोई चिन्ह नज़र नहीं आता कि बिहार की राष्ट्रीय सरकार एक कठपुतली सरकार की इस प्रति-क्रियावादी आज्ञा को, जिसको केवल दस वर्ष हुये हैं, रद्द करके बिहार को दुभाषी भाषा से मुक्त कर देगी । उसकी 'राष्ट्रीयता' में इतना दम कहाँ ?

जब सिन्ध की सरकार सिन्ध में 'हिंदुस्तानी' की केवल एक लिपि फारसी यह कहकर रखती है कि सिन्धी लिपि से मिलती जुलती होने के कारण वही सिन्धियों के लिये उपयुक्त है, बिहार की राष्ट्रीय सरकार देवनागरी के देश बिहार में कैंथी जाननेवाले बिहारियों पर देवनागरी के साथ एक दूसरी लिपि जवर्दस्ती योपना चाहती है, और जो जनता आज एक है उसे अब दो भागों में बाँटना चाहती है । राष्ट्र-भाषा हिंदुस्तानी की दो लिपियाँ होंगी, परन्तु बिहार की भाषा की दो लिपियाँ क्यों हों ? राष्ट्र-भाषा हिंदुस्तानी की दो शैलियाँ होंगी, वर्धा द्वारा उसका स्वरूप निश्चित किया जायगा, उसमें उर्दू प्रान्तों को गिश्बत दी जायगी अर्थात्, परन्तु बिहार की प्रान्तीय हिंदुस्तानी हिंदी से भिन्न क्यों हो ? क्या अन्य प्रान्त अपने अपने यहाँ राष्ट्र-भाषा के बजाय अपनी अपनी प्रान्त-भाषा और प्रान्त-लिपि की स्थापना न करेंगे ? बिहार की ही प्रान्त-भाषा और प्रान्त-लिपि का आदर्श वर्धा की राष्ट्र-भाषा क्यों हो ? जो बात बिहार के साथ लागू है, वह महाकोशल, जिसकी मातृ-भाषा ही कोशली अर्थात् पूरबी हिंदी है, के साथ और भी दृढ़ता के साथ लागू है । वहाँ केवल ६ प्रति शत मुसलमान हैं, उनकी मातृभाषा भी हिन्दी है, परन्तु वहाँ भी हिंदुस्तानी के नाम पर भाषा और लिपि का पाकिस्तान गढ़ा किया जा रहा है और हिंदी को विकृत किया जा रहा है ( देखिये चित्रामन्दिर योजना ) । जो प्रान्त अब तक भाषा की दृष्टि से एक रहे हैं, उनमें अब हिंदुस्तानी के नाम पर भाषा और लिपि की फूट डाली जा रही है, और अपने हाथों समस्या को जानबूझ कर जटिल बनाया जा रहा है । यह बुद्धि का दिवालियापन है । इतर युक्त-प्रान्त में 'हिंदुस्तानी बोलचाल' नाम से हिंदुस्तानी की जो पुस्तकें स्कूलों में जारी की गई हैं, उनकी भाषा भी बिहार की गजेन्द्र सीरीज और महमूद सीरीज की 'हिंदुस्तानी' पुस्तकों की भाषा में भिन्न नहीं है । आश्चर्य तो इस बात का है कि कामन भाषा 'हिंदुस्तानी' चलाने की फिर हिन्दी प्रान्तों में की जाती है जहाँ ६० प्रतिशत

में अधिक की भाषा हिन्दी है। इन प्रान्तों को हिन्दी को बनाये रखने की सजा दी जाती है। पंजाब में जाकर 'हिन्दुस्तानी' चलाने की फिर कोई नहीं करता। वहाँ तो उर्दू ही सबकी 'हिन्दुस्तानी' होकर रहना चाहती है और कांग्रेस इससे सहमत है।

जहाँ एक ओर फारसी लिपि स्वयं राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्रचलित की जा रही है, वहाँ दूसरी ओर बिहार और मध्य-प्रान्त में आदिवासियों, सथालों तथा अन्य पिछड़ी हुई और जंगली जातियों में मिशनरी रोमन लिपि का प्रचार कर रहे हैं जो उनके ईसाईत प्रचार का ही एक अंग है, क्योंकि इस प्रकार वे इन लोगों को अनायास भारतीय सभ्यता और मस्कृति के प्रभाव से दूर ले जाते हैं। इन प्रान्तों में रोमन लिपि की समस्या भीषण रूप धारण करने वाली है, और लिपि का एक और पाकिस्तान बनने वाला है। परन्तु राष्ट्रीय सरकार टुकुर-टुकुर देख ही नहीं रही है, रोमन लिपि के प्रचार में सहायता दे रही है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि इस देश की भाषा बने उर्दू और लिपि हो रोमन। इसी रोमन उर्दू को वह सेना में, सरकारी दफ्तरों में, रेडियो, आदि में प्रचारित कर रही है। इसी कारण बिहार और मध्य-प्रान्त में ही नहीं, आसाम, बंगाल, आदि में भी पिछड़ी हुई जातियों में और ट्राइबल एरियाज में जो स्वयं वायसराय के आधीन हैं रोमन लिपि का जार शोर से प्रचार किया जा रहा है। इधर युक्त-प्रान्त की सरकार ने रोमन

१३ बिहार के पिछले कांग्रेसी मंत्री-मडल के समय में बिहार प्रान्तीय निरक्षरता निवारण सघ ने सथाल बच्चों की पाठ्य पुस्तकें रोमन लिपि में छपाईं। सथाल परगना में रोमन लिपि प्रचार को सरकार से पूरी सहायता मिल रही है। इधर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर निकाल कर सथाली स्कूलों की आरम्भिक कक्षाओं में रोमन लिपि को अनिवार्य कर दिया है। इस सब में डा० सैयद महमूद का हाथ प्रत्यक्ष है। उनकी राय में जहाँ फारसी लिपि को अकेले या देवनागरी के साथ चलाना सम्भव नहीं, वहाँ रोमन लिपि का बखेड़ा खड़ा हो जाय तो अच्छा।

लिपि प्रचार का उपक्रम क्रिया है और रोमन लिपि में पुस्तकें छपा कर कुछ स्कूलों में जारी करा भी दो हैं। ब्रिटिश सरकार की इस दुरभिसन्धि में मुस्लिम गुट मिला हुआ है। हिन्दुस्तानी वालों के तर्क 'दोनों लिपि' के कारण राष्ट्रीय सरकार भी कुछ करना नहीं चाहती या कर नहीं सकती। चाहे एक विदेशी ईमाई आकर जनता में भाषा और लिपि की फूट डाले, चाहे एक स्वदेशी मुसलमान राष्ट्रीय सरकार की नाक तले ऐसा करे, राष्ट्रीय सरकार की 'राष्ट्रीयता' दोनों के सामने पंगु है। जनता की भाषा और लिपि के प्रति अन्याय को दूर करना तो दूर रहा, वह उनमें योग देती है। जनता के शत्रु मौका पाते ही उसकी भाषा और लिपि पर प्रहार करने से नहीं चूकते, परन्तु जनता के प्रतिनिधि उनके प्रहारों का प्रतिकार करने में असमर्थ हैं। एक विदेशी सरकार एक विदेशी लिपि को हुकम निकाल कर अनिवार्य करार दे सकती है, परन्तु स्वदेशी सरकार एक स्वदेशी लिपि को अनिवार्य करार नहीं दे सकती। उसमें उसकी 'राष्ट्रीयता' बाधक है। परन्तु ऐसी राष्ट्रीयता से न किसी राष्ट्र का उद्धार हुआ है और न हो सकता है।

---

## परिशिष्ट ५

### हिन्दुस्तानी

( लेखक—श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन )

“-----हिन्दुस्तानी हिन्दू-मुस्लिम पैकट की भाषा है, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की नहीं—एकदम बनावटी। उसका उद्देश्य है—ऐसी भाषा लिखने का प्रयत्न करना, जिसमें न संस्कृत के शब्द हों न अरबी फारसी के, और जो दोनों लिपियों में लिखी जा सके। उत्तर-भारत में काफी आर्य समाजी साहित्य प्रचलित है जो ठेठ हिन्दी है, लेकिन उसे उर्दू लिपि में लिखकर छाप दिया गया है—यहाँ तक कि आर्य समाज की संस्कृत सव्या को भी। उर्दू लिपि में लिखा होने मात्र से क्या वह सारा साहित्य “हिन्दुस्तानी” समझा जायगा ? यदि नहीं, तो इधर जो कुछ साहित्य पैदा होने लगा है, जो ठेठ उर्दू है, लेकिन जिसे देवनागरी अक्षरों में भी छाप दिया जाता है वह कैसे हिन्दुस्तानी कहला सकता है ? मेरे एक आदरणीय मित्र हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जो देवनागरी अक्षरों तथा उर्दू हरफ़ दोनों में छपी है। मैंने उस किताब को हस्तलिपि के रूप में देखा। वह उर्दू में लिखी गई थी और एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अब बताओ उसमें कहाँ-कहाँ कौन-कौन शब्द काटकर बदल दिये जायें जिससे यह देवनागरी में भी छप सके। मैंने कहा, मुझे यह अत्यन्त अस्वाभाविक मालूम होता है ; इससे उर्दू शैली का प्रभाव नष्ट होता है और हिन्दी का तो आ ही



नहीं सकता। तो भी हुआ वही जो यह चाहते थे। जहाँ तहाँ कुछ शब्दों की जगह 'हिन्दी' शब्द लिख दिये गये और का पुस्तक देवनागरी अक्षरों में भी छप गई।

एक और उदाहरण—

दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा ने "हिन्दुस्तानी" नाम में एक पुस्तक प्रकाशित की है। उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद का उर्दू में लिखा हुआ एक 'दीवाना' है जो देवनागरी अक्षरों में भी जहाँ का त्यो 'दीवाना' ही है। 'दीवाना' शब्द फारसी का है, उसे फारसी में जगह है और हिन्दुस्तान की उर्दू में भी, लेकिन हिन्दुस्तान ही जिनका जन्म-भूमि है ऐसे ये दो शब्द, 'प्रन्तयना' और 'भूमिका', आप कृपया कहें कि अब कहाँ गण्य दूँटे ? हिन्दुस्तान में तो अब उनको गण्य निलेगी नहीं, क्योंकि वे 'हिन्दुस्तानी' नहीं हैं।

और क्या यह 'न सस्कृत, न अरबी फारसी' भाषा लिखने का प्रयत्न सफल होता है ? यदि आपको गारे साहित्य में "मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ" जैसी दो दो शब्दों के वाक्यों में ही काम लेना ही तो बात दूसरी है। अन्यथा आप जरा गहराई में उतरें तो आप को अपनी 'न सस्कृत, न अरबी फारसी' वाली बात तुरन्त छोड़ देनी होगी। मैं इन 'हिन्दुस्तानी' किताबों से ही, जो एकदम बच्चों के लिये लिखी गई है, दो उदाहरण देता हूँ। एक जगह फुटनोट है—“मुजकर मुबत्रस की वजह से इफ्तयाल में जो फर्क पैदा होता है उस्ताद उसे समझाये और मश्क कराये।” हिन्दुस्तानी आदर्शवादियों ने उसे देवनागरी अक्षरों में कैसे लिखा है—‘पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की वजह से क्रियाओं में जो फर्क पैदा होता है उस्ताद उसे समझाये और मश्क कराये।’ दोनों लिपियों में लिखी जाने योग्य भाषा बनाने के फेर में देवनागरी में भी 'कागण' न लिखकर 'वजह' लिखा गया है, 'अभ्यास' न लिखकर 'मश्क' लिखा गया है, 'अव्यापक' न लिखकर 'उस्ताद' लिखा

गया है, मानों ये शब्द पहले मत्र शब्दों की अपेक्षा सरल हों, 'आमफहम' हों, लेकिन तब भी क्या दोनों लिपियों में एक ही भाषा लिखी जा सकी ? देवनागरी में 'क्रियात्रो' है, उर्दू में 'इफत्राल' है ('फेन' का बहुवचन 'फैलो' हो जाता लेकिन तब तो वह हिन्दी व्याकरण के अनुसार होता !), देवनागरी में 'पुल्लिंग' है तो उर्दू में 'मुजक्कर' है, देवनागरी में 'स्त्रीलिंग' है तो उर्दू में 'मुबन्नस' है ।

दूसरा उदाहरण लें—पृष्ठ १४ पर—“मुतकल्लम-हाजिर-गायब हालतो की मश्क फेले-हाल के मुजक्कर मुबन्नस की सूस्ता में करा दी जाय ।” दोनों लिपियों में एक ही भाषा लिखने के इच्छुकों को देवनागरी में इसे यूँ लिखना पड़ता है—“उत्तम और मव्यम पुरुष की मश्क वर्तमान-काल के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों में करा दी जाय ।” दोनों वाक्यों में एक 'मश्क' शब्द को छोड़कर कौन सा विशेष शब्द समान है ? यदि 'हम 'अभ्यास' की जगह इस 'मश्क' शब्द को ही अपनी भाषा में जगह दें और हिन्दुस्तानी की खातिर 'अभ्यास' को देश निकाला भी दें तब भी क्या इससे वह हिन्दी 'हिन्दुस्तानी' हो जाती है ?

अभी अभी दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा के १२वें-१३वें पदवी-दान के अवसर पर जनाब सैयद अब्दुल्ला वरेलवा साहब ने एक तकरीर फरमाई है । उसमें आपने दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा को नेक सलाह दी कि वह अपना नाम 'हिन्दी प्रचार सभा' न रखकर 'हिन्दुस्तानी प्रचार सभा' में तबदील कर दे । आप फरमाते हैं—“हिन्दी नाम में पैदा होने वाले भ्रम को हटाने के लिये मैं अपनी अपील पर जोर दूँगा, खाम करके इसलिये कि मुझे यकीन है कि इस तवादले से मुसलमानों के मन पर अच्छा असर पड़ेगा ।” कुछ लोग कहा करते हैं कि नाम में क्या रक्झा है, लेकिन वरेलवा साहब नाम के तवादले से ही मुसलमानों के मन पर बड़ा अच्छा असर पैदा करने की उम्मीद करते हैं । आपने अपनी तकरीर में फरमाया है कि

कीमी ज़रान को उसके जो तीन नाम मिले हैं—हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी—वे तीनों मुसलमानों के दिये हुये हैं। यदि यह बात ठीक है तो 'हिन्दुस्तानी' नाम में वह कौन सी गामियत है जिसकी वजह से मुसलमान भाई 'हिन्दी' और 'उर्दू' दोनों नामों पर उसे तरजीह देंगे? आज आप मुसलमानों पर 'अच्छा असर पड़ेगा' की बात कहकर राष्ट्रभाषा को 'हिन्दुस्तानी' कहने की सलाह दे रहे हैं, कल आप उमे उर्दू ठा कहने का सलाह भी दे ही सकते हैं। १९४२ में गांधीजी ने जब 'हिन्दुस्तानी सभा' की नाव डाली तब उसके ३८ बुनियादी मेम्बरों में कितने मुसलमान भाई मेम्बर बने थे? स्वयं बरेलवी साहब तो खेर उसमें थे ही नहीं, कमम गाने के लिये तीन नाम दिखाई देने हैं, लेकिन ऐसे जिन में से कोई भी भाषा सम्बन्धी शोधों के लिये प्रसिद्ध नहीं—न आजाद हैं, न जाकिरहुसैन हैं, न मौलाना अब्दुलहक़ हैं।

हमें क्षमा किया जाय, यह 'हिन्दुस्तानी' आन्दोलन हमारे मान्य राजनीतिक नेताओं की सुरू है और किसी राजनीतिक आवश्यकता का ही परिणाम भी। लेकिन शर्तों पर आश्रित एकता—बनावटी एकता—स्थायी नहीं होती।”

(बम्बई हिन्दी विद्यापीठ के प्रमाणपत्र-वितरणोत्सव के अवसर पर १९४४ में दिये दीक्षान्त भाषण से)

## परिशिष्ट ६

### “हिन्दुस्तानी का प्रचार क्यों ?”

#### हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की रिपोर्ट पर एक दृष्टि

( लेखक—श्रीप्रभुदयाल मीतल, प्रधान मन्त्री, व्रज-साहित्य-मंडल )

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की ओर से पिछले वर्ष ता० २६ फरवरी, १९४५ को वर्धा में ‘अखिल भारत हिन्दुस्तानी-प्रचार सम्मेलन’ हुआ था। महात्मा गांधी उसके सभापति थे। इस सम्मेलन की रिपोर्ट ‘हिन्दुस्तानी-प्रचार क्यों?’ नाम से अब पुस्तकाकार प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट से हिन्दुस्तानी-प्रचार के सम्बन्ध में आवश्यक बातें शत हो सकती हैं।

इस सम्मेलन को करने का उद्देश्य बतलाते हुये मन्त्री श्री श्रीमन्नारायण जी अग्रवाल ने कहा—

“हमने यह महसूस किया कि हिन्दुस्तानी भाषा का रूप तय करने और हिन्दुस्तानी में जरूरी साहित्य तैयार करने के लिये सभा के मेम्बरों के अलावा हिन्दी और उर्दू के दूररे विद्वानों और माहिरों की जरूरत है। इस विचार को मैंने प्रुज्य गान्धीजी के सामने रक्खा। उन्होंने भी उसे पसन्द किया। इसलिये यह कान्फरेंस बुलाने का फैसला किया।”

सम्मेलन के प्रथम दिन उसके सभापति महात्मा गान्धी का मौन-दिवस था, अतः उनका निश्चित सदेश पढ़ने पर कार्यवाही प्रारम्भ हुई। अपने सदेश में महात्माजी ने आगत सज्जनों की उपस्थिति पर प्रसन्नता प्रकट करते हुये दो सज्जनों की अनुपस्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया। पहले सज्जन

राज्य अथवा नरक थे, जो दूसरे दिन सम्मेलन में उपस्थित हो गये थे। दूसरे सत्र श्रीपुरुषोत्तमदास टटन थे, जो बीमार होजाने के कारण उपस्थित नहीं हो सके।

सम्मेलन की कार्यवाही आरम्भ करते हुये डा० सैयद महमूद ने हिन्दुस्तानी के विषय में अपने विचार प्रकट किये। उसके नामकरण के सम्बन्ध में आपने कहा—

“मैं खुद तो काँमी जवान के लिये ‘हिन्दी’ नाम को ही पसन्द करूँगा क्योंकि यह बड़ा आसान और सूक्ष्म लफ्ज है। मगर चूँकि यह नाम अब संस्कृत शब्दों से भरी हुई जवान के मानी रगता है, इसलिए उसको छोड़कर ‘हिन्दुस्तानी’ नाम को अपनाना पड़ रहा है।”

‘उर्दू’ शब्द की उत्पत्ति के विषय में आपने कहा—

“अंगरेजों ने हमको बताया है कि ‘उर्दू’ लफ्ज के मानी ‘बाजार’ या ‘झावनी’ के हैं और यह तुर्की लफ्ज है। मगर मैंने एक जगह पढ़ा है कि उर्दू संस्कृत का एक लफ्ज है, जिसके मानी मिले हुये या मिश्रण या कम्पाउण्ड के हैं और यह यहाँ का लफ्ज है। शायद ज्यादा खोज तलाश करने के बाद यह मालूम होजायगा कि यह लफ्ज उर्दू इसी लफ्ज ‘उर्दू’ से निकला है।”

इस सम्मेलन में जो भी भाषण हुये उन सबमें हिन्दुस्तानी का समर्थन किया गया। भाषणकर्ता चाहे वे हिन्दू थे, चाहे मुसलमान, चाहे वे हिन्दी के विद्वान थे और चाहे उर्दू के माहिर, उन सबने उर्दू शब्दों की भरमार की थी। सभी वक्ताओं ने हिन्दुस्तानी को फ़ारसी और नागरी दोनों लिपियों में लिखे जाने का समर्थन किया। केवल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षा के प्रधान मंत्री श्रीमदन्त आनन्द कौसल्यायन और धारवाड़ के श्रीसिद्धनाथ पत ने दोनों लिपियों का विरोध करते हुये नागरी के समर्थन में अपने विचार प्रकट किये।

श्रीआनन्द कौसल्यायनजी ने कहा—

“कल और आज मैंने जो भाषण सुने, उनसे मुझे आशा की बनिस्वत निराशा ही अधिक हुई।... ‘हिन्दी’ और ‘उर्दू’ शब्दों से तो मेरे दिमाग से कुछ अर्थ निकलता है, मगर ‘हिन्दुस्तानी’ क्या चीज है ? .....मुख्य प्रश्न लिपि का है।... मेरी समझ में नहीं आता कि एकता के नाम पर हम जो बात भाषा के नाम पर कहते हैं, वही लिपियों के बारे में क्यों न कहे ? एक भाषा की तरह एक लिपि का आग्रह हम क्यों न रखें ?”

श्रीसिद्धनाथजी पत ने कहा—

“लिपि के बारे में यह तय किया जाय कि जिसे जो लिपि पसन्द होजाय, उसे वह स्वीकार करे। दोनों लिपियाँ लाजिमी करने से फायदा न होगा। ‘राष्ट्रभाषा एक, राष्ट्रलिपि अनेक’ वाला नया नारा देश में काफ़ी गड़बड़ी करेगा। ..दक्षिण भारत में हमने पिछले २५-२६ वर्षों से देवनागरी के द्वारा प्रचार करते हुये बड़ी सफलता पाई है, और हम देवनागरी के देशव्यापी प्रचार के कायल हो गये हैं। इसलिये हमें देवनागरी के द्वारा हिन्दुस्तानी का प्रचार करने को आजादी मिलनी चाहिये।”

इस सम्मेलन में सौलाना सैयद सुलेमान नदवी डा० जाफ़र हसन, श्रीसत्यनारायण, डा० अब्दुल हक और डा० नाराचन्द के बड़े लम्बे चौड़े भाषण हुये, जिनमें उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा की जबरदस्त बकालन की।

इस सम्मेलन में दो ‘ठहराव’ पास हुये थे। पहला ठहराव प० सुन्दरलाल ने पेश किया—

“इस कान्फरेन्स की राय में हिन्दुस्तानी जवान को फैलाने और तरकी देने के लिये इस बात की जरूरत है कि हिन्दी जाननेवाले उर्दू लिखावट को और उर्दू जाननेवाले नागरी लिखावट को जल्दी से जल्दी सीख लें और जो लोग इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानते, वह भी दोनों ही को सीखें, ताकि सब लोग हिन्दुस्तानी के रूपों—हिन्दी और उर्दू को—पढ़

और समझ मके और इस तरीके से हिन्दुस्तानी का विकास और प्रचार हो सके।”

इस प्रस्ताव पर बोलते हुये प० सुन्दरलालजी ने कहा—

“मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ पूरे दिल से न ‘अजुमन-तरक्की-ए-उर्दू’ है, न ‘हिन्दी साहित्य सम्मेलन’, पर इसने मुझे प्रचुर नहीं होता। अचरज तो इस बात का है कि इतने लोग भी हमारे साथ कैसे हैं।”

इस प्रस्ताव के समर्थन में कई भाषण हुये। श्रीभदन्त आनन्द कौसल्या-वन ने फिर इसके विरोध में अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने कहा—

“बोला जानेवाली जवान से तो लिपि का मवाल ही नहीं उठता, मैं वह पृथ्ना चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा सीखने के लिये यह जरूरी है कि दो लिपियाँ सीखनी ही चाहिये ? ... मैं यह कहूँगा कि दोनों लिपियों को लाजिमी तौर पर सीखने की बात को हटा दिया जाय तो अच्छा होगा।”

श्री सिवारामशरण जी गुप्त ने ठवी जवान से पृथ्ना—

“इस सभा के कार्य में हिन्दी या उर्दू का विरोध तो नहीं होगा ?”

इसके उत्तर में महात्मा गांधी जी ने कहा—

“इसका जवाब बाद में दूँगा। श्री आनन्द जी ने जो कहा वह मैं समझ गया। उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा।”

अतः मैं राय लेने पर प्रस्ताव पास हो गया।

डा० ताराचन्द्र जी ने दूसरा ‘ठहराव’ पेश किया—

“देश के सब लोग इस बात को मानते और समझते हैं कि हमारे कौमी जीवन को मजबूत करने और अलग अलग सूबों के लोगो में मेल-जोल और व्यवहार की एक भाषा बनाने के लिये चाहिये कि हिन्दुस्तानी जवान को तरक्की दी जावे और उसकी रूप रेखा ठीक की जावे, क्योंकि इस बात के लिये यही भाषा सब से ज्यादा काम की है।

यह कान्फ्रेंस फैसला करती है कि पन्द्रह तक मेम्बरों की एक कमेटी

बनाई जावे, जो हिन्दुस्तानी भाषा की डिक्शनरियों तैयार करे, भाषा के कायदे तय करे, उसके लफ्जों का भण्डार बढ़ावे, उनके रूप बँधे, और उसमें अच्छी-अच्छी और काम की कितायें लिखवावे।”

यह प्रस्ताव भी पास हो गया।

अन्त में महात्मा जी ने अपना भाषण दिया—

“मैं नहीं चाहता कि हिन्दी मिट जाय या उर्दू नष्ट हो जाय। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि दोनों हमारे नाम की हो जायें। .. आनन्द जी कहते हैं कि सबको दो लिपियों सीखने में बड़ी मुसीबत उठानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि उसमें कुछ भी मुसीबत नहीं है। और अगर हो भी तो उसे पार करना ही होगा। .. मैं हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये जीता हूँ। मैं जानता हूँ कि हिन्दुस्तानी के प्रचार से हिन्दू मुस्लिम एकता होगी, मगर इस वक्त में आपको यह लालच नहीं दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हिन्दी और उर्दू दोनों का भला हो। इन दोनों से मुझे काम लेना है। .. हिन्दी वाले चाहते हैं कि मैं हिन्दी की ही नौबत बजाता रहूँ, उर्दू का नाम न लूँ। मगर मैं तो अहिंसा का माननेवाला सत्याग्रही हूँ। मैं यह कैसे कर सकता हूँ। .. मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के खिलाफ कोई काम न होगा। पर दोनों लिपियों सीखने की तकलीफ तो गवारा करनी ही होगी। मैं तो आनन्द जी से भी काम लेना चाहता हूँ।”

सबके अन्त में उर्दू भाषा के प्रबल समर्थक प० ब्रजमोहन दत्तात्रेय ‘कैफ़ी’ ने अपनी ‘नज्म’ पढ़ कर सुनाई। नज्म का कुछ भाग इस प्रकार है—

“जो उलटी समझ है तो है काम उलटा,  
कि वह सीधी बातों को उलझा रहे हैं।  
नई उलझनें और पड़ती हैं आकर,  
यह क्या गुत्थियाँ आप सुलझा रहे हैं।



किधर जा रहे हैं, नहीं इसकी सुध-बुध,  
जो हैं अपनी धुन में चले जा रहे हैं।”

इस सम्मेलन के पश्चात् हिन्दुस्तानी प्रचार का जितना कार्य हुआ, यह तो हमको ज्ञात नहीं है, किन्तु इस सम्मेलन के बाद ही महात्मा जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन से त्याग-पत्र दिया और उनके अनुकरण पर अन्य कई सज्जनों ने भी त्याग-पत्र देकर हिन्दी प्रचार के कार्य से वैराग्य ले लिया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अतर्गत राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, जो अहिन्दी प्रान्तों में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार का महत्वपूर्ण कार्य कर रही थी, अब इस हिन्दुस्तानी आन्दोलन के कारण अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सकने की स्थिति में नहीं है। दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा, जो पिछले २८ वर्ष से दक्षिण में हिन्दी प्रचार का प्रशसनीय कार्य कर रही थी, अब अपना नाम ‘दक्षिण-भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा’ में बदल कर दोनों लिपियों वाली हिन्दुस्तानी का कार्य करने का संकल्प कर चुकी है। अब तक हिन्दी का कार्य एक राष्ट्रीय कार्य समझा जाता था, किन्तु अब उसे साम्प्रदायिक कह कर उसका महत्व कम किया जा रहा है। समस्त हिन्दी हितैषियों को हिन्दी पर आये हुये इस महान् संकट का दूर करने का उपाय सोचना चाहिये।

( १७ फरवरी, १९४६ के ‘देशदूत’ से )

## परिशिष्ट ७

### दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा किधर ?

( लेखक—रविशंकर शुक्ल )

लगभग ३० वर्ष हुए, महात्मा गांधी ने एक राष्ट्र-भाषा और एक राष्ट्र-लिपि की आवश्यकता अनुभव की। उन्हें हिन्दी और देवनागरी क्रमशः राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि होने योग्य जँची। वे इस निष्कर्ष पर देश की भाषा-स्थिति पर निष्पन्न भाव से विचार करके पहुँचे। उस समय आज जैसा साम्प्रदायिकता का दौर दौरा नहीं था। गांधीजी ने दक्षिण को उत्तर से राष्ट्र-भाषा के बन्धन में बाँधने के लिये दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से भी प्रकट है, दक्षिण भारत में राष्ट्र-भाषा हिन्दी और राष्ट्र-लिपि देवनागरी का प्रचार करना था। सभा अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल रही है। अपनी रजत जयन्ती के अवसर पर आज दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा अपनी जिन्दगी के पिछले २५ वर्षों पर सन्तोष भरी दृष्टि डाल सकती है। अब सभा की जिन्दगी का दूसरा दौर—हिन्दुस्तानी वाला दौर—आरम्भ होना चाहता है, अर्थात् सभा अब गांधीजी की नई परिभाषा के अनुसार दक्षिण में हिन्दी और उर्दू दोनों और देवनागरी और फ़ारसी लिपि दोनों का प्रचार करेगी, और राष्ट्र-भाषा सीखने के इच्छुक प्रत्येक दक्षिण-वासी को हिन्दी उर्दू दोनों और दोनों लिपियाँ सीखनी पड़ेंगी। इस दूसरे दौर के आरम्भ होने के अवसर पर सभा और हिन्दी के हितेषियों के विचार सभा के कार्य-कर्त्ताओं और सचालकों के सामने रखना अनुचित न होगा।

यह तो स्पष्ट ही है कि गांधीजी ने राष्ट्र-भाषा की अपनी पहली परिभाषा अर्थात् हिन्दी मुसलमानों द्वारा मान्य न होने के कारण ही दूसरी परिभाषा अर्थात् हिन्दुस्तानी की है। परन्तु क्या यह नई परिभाषा मुसलमानों को मान्य है ? उत्तर है—‘नहीं।’ हिन्दुस्तानी, हिन्दुस्तानी केवल हिन्दू रट रहे हैं, हिन्दू ही आपस में हिन्दी और हिन्दुस्तानी के मसले को लेकर वाद-विवाद कर रहे हैं, और हिन्दुस्तानी प्रचारकों की फौज में सब हिन्दू ही हिन्दू हैं। मुसलमानों को इस हिन्दुस्तानी से भी कोई सरोकार नहीं। हिन्दुस्तानी की धूम हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों में ही मुन पड़ती है। जहाँ जहाँ मुसलमानों के हाथ में शक्ति है, अर्थात् काश्मीर, पंजाब, सीमा-प्रान्त, सिन्ध और हैदराबाद में, वहाँ सब शान्त है, या यों कहिये, वहाँ उन्होंने उर्दू-हिन्दुस्तानी और उर्दू-लिपि को पहले से ही राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि—डीफैक्टो राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि—बना रक्खा है, और उनमें उन्हें हिन्दी और देवनागरी जोड़ने की न जरूरत है और न यह उन्हें पसन्द है। यह त्रुटि सत्य है कि इन पाकिस्तानी प्रान्तों और रियासतों में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी और देवनागरी को उर्दू और उर्दू लिपि के समकक्ष स्थान कभी नहीं मिलेगा, और न वहाँ उर्दू और उर्दू लिपि के साथ साथ हिन्दी और देवनागरी का संगमना किसी के लिये अनिवार्य किया जायगा। गांधी जी का हिन्दुस्तानी प्रचार भी महाराष्ट्र, बिहार, दक्षिण, आदि हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों तक ही सीमित है, और रहेगा।

ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तानी आन्दोलन का केवल एक ही परिणाम होगा। वह है—असलियत में अर्थात् व्यवहार में केवल उर्दू का राष्ट्र-भाषा और केवल उर्दू लिपि का राष्ट्र-लिपि हो जाना। क्योंकि जब पाकिस्तान के सब निवासी केवल उर्दू और उर्दू लिपि और ‘हिन्दुस्थान’ के सब निवासी हिन्दु-स्तानी प्रचार की बढौलत हिन्दी उर्दू दोनों और दोनों लिपियाँ जानते होंगे, तो कामन भाषा और कामन लिपि अपने आप उर्दू और उर्दू-लिपि

होंगी। एक अखिल भारतीय सभा में जो बह्ना सबको अपने विचार समझाना चाहेगा वह अपने आप उर्दू में बोलेंगा, और जो लेखक अपनी पुस्तक समस्त भारत के लिये सुलभ करना चाहेगा वह अपने आप उर्दू और उर्दू-लिपि में लिखेगा। एक राजनीतिक आन्दोलन के कारण उर्दू और उर्दू-लिपि का इस देश की राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि हो जाना कितना अस्वाभाविक, अप्राकृतिक एवं अन्याय पूर्ण होगा यह बतलाने की जरूरत नहीं। और उर्दू के राज्य में प्रान्तीय भाषाओं की और भारतीय सस्कृति की क्या दशा होगी, यह समझने के लिये आज अँगरेजी के राज्य के कारण प्रान्तीय भाषाओं और भारतीय सस्कृति पर जो गुजर रही है, उसे जान लेना काफी होगा। यदि दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा को यही अभीष्ट है तो वह 'दक्षिण-भारत हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा' (सभा का गांधी जी द्वारा प्रस्तावित नया नाम) बने, और हिन्दी के प्रचारक हिन्दी का बाना उतार कर हिन्दुस्तानी का बाना धारण करें, और दक्षिण वालों को उन्हीं के रूपसे उर्दू और उर्दू लिपि सिखावें।

ताली एक हाथ से नहीं बजती। एकता और मेल दो व्यक्तियों में होता है। जब तक मुसलमानों को एकता अभीष्ट नहीं, तब तक केवल हिन्दुओं के हिन्दी और हिन्दुस्तानी वाले दो दलों का आपस में कोई समझौता कुछ अर्थ नहीं रखता। जब तक उर्दू प्रान्तों की सरकारें उर्दू के स्थान में अपनी दो लिपियों सहित 'हिन्दुस्तानी' को प्रतिष्ठित करने के लिये तैयार नहीं, तब तक हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी उर्दू के समन्वय का अर्थ है बसल हिन्दी का नाश और उसका उर्दू में परिवर्तित हो जाना, और जब तक मुसलमानों को हिन्दुस्तानी का मूल मंत्र—दोनों 'शैलियों' और दोनों लिपियों—मान्य नहीं, तब तक हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों में दोनों शैलियों और दोनों लिपियों के प्रचार का अर्थ है उर्दू और उर्दू लिपि को डीकैटो राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि बनाना।

गांधीजी की नई परिभाषा कितनी अव्यावहारिक—विशेषकर इस निरक्षर देश के लिये—और अवैज्ञानिक भी है, इसके विषय में कुछ नहीं कहूंगा। यह कहने की भी जरूरत नहीं कि दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा दक्षिण वालों पर हिन्दी और देवनागरी, जो उनके लिये अपेक्षाकृत सुगम हैं, के साथ साथ उर्दू और उर्दू लिपि का बोझ डालकर उनके साथ विशेष अन्याय करेगी, और उतनी सफलता भी कदापि प्राप्त न कर सकेगी जो उसने गत २५ वर्षों में प्राप्त की है। वह कदाचित् उतनी लोक-प्रिय भी न रहेगी। एक बड़न बड़े नेता की बात भी प्रकृति से ज्यादा देर तक नहीं लड सकती। दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा अपना कलेवर बदलने से पहले एक बार ठंडे दिल से फिर विचार कर ले।

---

## परिशिष्ट ८

### महाराष्ट्र में हिन्दी-हिन्दुस्तानी का संघर्ष क्यों ?

( लेखक—ग० स० आपटे )

पिछले दिनों महात्मा गांधी के पृना में निवास करने तथा समय समय पर नेताओं के आगमन से राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य में कुछ सरगर्मी दिखाई देने लगी है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा सञ्चालित राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के हिन्दी प्रचार का कार्य यहाँ काफी अरसे से हो रहा है और पृना तो उमका एक गढ सा बन गया है। राष्ट्रभाषा प्रचार की शिक्षाओं में महाराष्ट्र प्रात के काफ़ी विद्यार्थी परीक्षा देते और उत्तीर्ण होते आये हैं। महाराष्ट्र के अच्छे से अच्छे विद्वानों का इस कार्य में बराबर सहयोग रहा है, किन्तु जब से गांधी जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन से अलग हुए हैं तब से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का भी काम यहाँ जोरो से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता श्री शकरराव देव तथा बवई के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री वी० जी० खेर, श्री ठत्तो वामन पोद्दार, आदि नेता और विद्वान हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के काम में पूरा सहयोग दे रहे हैं, इससे इस ओर काफ़ी प्रगति दिखाई दे रही है। पहले तो हिन्दुस्तानी प्रचार का काम यहाँ एकदम ठप्प सा हो गया था क्योंकि अकेले काका माहव कालेलकर कहीं तक इसका भार बहन कर सकते थे, किन्तु जब से उसे देश की कुछ महान् शक्तियों का बल मिला है तब से हिन्दुस्तानी प्रचार के काम में चेतना आई है। इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के काम में किसी तरह की शिथिलता आ गई हो, किन्तु आज के वातावरण से यह

साफ़ जाहिर हो गया है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा प्रचार आन्दोलन के कार्य में एक किस्म का सघर्ष आरम्भ हो गया है। एक ओर हिन्दुस्तानी प्रचार सभा और दूसरी ओर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अपने अपने उसूलों के अनुसार राष्ट्रभाषा के काम में लगी हुई हैं। पूना में अब दो टल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यों में सहयोग देने लगा है, और दूसरा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य कर रहा है।

मुझे तो आश्चर्य होता है कि हिन्दी के पत्रकारों को यह पता भी नहीं है कि महाराष्ट्र में इस समय राष्ट्रभाषा सघर्षी प्रगति किधर जा रही है। हिन्दी पत्रकार केवल हिन्दी के नाम पर धारोधार आँसू बहा सकते हैं या आपसी तू-तू में-म में पत्रों के कालम रँग सकते हैं, किन्तु वे शायद यह नहीं जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में हिन्दी आन्दोलन का मुहड़ा थामने की बड़ी आवश्यकता है। हिन्दी वालों को यह पता नहीं है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की परीक्षाओं के समान ही हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ने भी महाराष्ट्र में प्रचारक परीक्षाएँ प्रारम्भ कर दी हैं। दोनों की परीक्षाओं के नाम भी एक ही से हैं। हाँ, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की परीक्षाओं के फामों के नामों में परिवर्तन है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा सगठित महाराष्ट्र की प्रचार समिति के कई विद्वान् और प्रचारक हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्य में शरीक हो गये हैं। अभ्यास्य दत्तो वामन पोद्दार इसके प्रधान हैं।

पिछले दिनों श्री भद्रन्त कौसल्यायन पूना आये थे और एक समान परीक्षाओं की प्रतिद्वंद्विता देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुरानी की जगह एक नई समिति सगठित की है जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा होने वाली परीक्षाओं का संचालन और सम्मेलन की नीति के अनुसार राष्ट्रभाषा प्रचार का काम करेगी। श्रीयुत नने पहले राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से काम करते थे, किन्तु अब वह हिन्दुस्तानी प्रचार समिति में

शरीक हो गये हैं। उनके स्थान पर श्री सोनू ताई काखे की नियुक्ति हुई है। नूतन मराठी विद्यालय के कुछ प्रमुख अधिकारी भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कार्य में सहयोग दे रहे हैं।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और हिन्दुस्तानी प्रचार समिति के आदर्शों में चूँकि भिन्नता है, इसलिये संघर्ष होना अनिवार्य भी है। हिन्दुस्तानी प्रचार समिति के पास धन की कमी नहीं, और राष्ट्र तथा महाराष्ट्र के नेता उसके साथ हैं। दूसरी ओर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के पास धन तो नहीं है, किन्तु श्रेष्ठ कार्य-कर्त्ताओं का उसमें अभाव नहीं है। इन सस्थाओं के वर्त्तमान संघर्ष का क्या फल होगा, इस पर कोई भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, किन्तु हिन्दी-पत्रकार और हिन्दी के धनी-धोरी अगर अपनी कुल्हड़ में गुड़ फोड़ने की नीति को त्याग कर सचेत न हुए तो एक न एक दिन मद्रास की भाँति महाराष्ट्र भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रचार-क्षेत्र से अपने को स्वतन्त्र बना लेगा। क्योंकि बेचारे भदत जी अकेले कहाँ कहाँ प्राण देते फिरेंगे ?

मैंने यह विचार आपके पत्र द्वारा इसलिये व्यक्त किये हैं कि 'देशदूत' हिन्दी जनता में हिन्दी का प्रबल समर्थन और व्यापक प्रचार करता आया है। उसके द्वारा हिन्दी संसार को यह ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा की प्रगति आज किधर जा रही है, हिन्दी वालों के कानों तक यह समाचार पहुँचे तो !

( २ दिसम्बर, १९४५ के 'देशदूत' से )



## परिशिष्ट ६

### महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार

( लेखक—श्री मयप्रकाश एम० ए० )

गत १६ दिसम्बर के 'देशदूत' में श्रीयुक्त श्रीनाथ जोगी का पत्र पढ़कर खेद भी हुआ और ग्लानि भी । न मात्रम वेचारे सम्मेलन ने क्या अपराध किया है कि हर किसी ने उसे गाली नुनाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है । जोशी जी पृच्छते हैं, "हिन्दी साहित्य सम्मेलन राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में अपनी टाँग क्या अड़ाना है ?" जोगी जी का टाँग अड़ाने का अधिकार है, उनकी महाराष्ट्र प्रचार समिति का अधिकार है, परन्तु करोड़ों हिन्दी भाषी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन को नहीं । मानो हिन्दी का क्षेत्र देश में ही नहीं, और उस क्षेत्र के निवासियों का राष्ट्रभाषा में कोई सम्बन्ध नहीं । हिन्दुस्तानी प्रचार मन्त्रालय का काम केवल 'हिन्दुस्तानी साहित्य' की उन्नति और विकास करना न होकर राष्ट्रभाषा के मामले में हस्तक्षेप करना ही सकता है, परन्तु हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपना वर्तमान नाम रहते इस मामले में नहीं बोल सकता । हिन्दुस्तानी प्रचार मन्त्रालय अपनी परिभाषा की राष्ट्रभाषा का प्रचार सम्पूर्ण भारत में कर सकती है, परन्तु सम्मेलन को अपनी परिभाषा की राष्ट्रभाषा का अहिन्दी प्रान्ता में प्रचार करने का अधिकार नहीं ! ऐसा करना उसके लिये 'जिद' है ।

सम्मेलन आज भी वही कर रहा है जो २५ वर्षों से करता आ रहा है । महात्मा गांधी को भी उसकी नीति मान्य रही है । गांधी जी के सम्मेलन में त्याग-पत्र देते ही गांधीजी के भक्तों की दुनिया एकदम बदल गई, और सम्मेलन

अराष्ट्रीय हो गया ! उनकी हिन्दुस्तानी की परिभाषा भी 'कांग्रेस की परिभाषा' हो गई ! क्या जोशीजी बतलाने को कृपा करेंगे कि कांग्रेस ने किस प्रस्ताव में राष्ट्रभाषा की परिभाषा दी है, और क्या देश के पाकिस्तानी प्रान्त भी अब तक गांधी जी के कारण सम्मेलन को 'खिराज' देते रहे हैं और अब गांधी जी के हट जाने के कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को खिराज देने लगे हैं ? क्या जोशी जी को विश्वास है कि हिन्दुस्तानी की परिभाषा को पाकिस्तानी प्रान्तों ने मान लिया है, अथवा क्या उनके 'सारे देश' में ये प्रान्त और ये लोग शामिल हैं ही नहीं ?

जोशी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का हिन्दुस्तानी प्रचार सभा से सम्बन्ध नहीं है और उसकी परिभाषा भी अलग है । सम्बन्ध नहीं है तो हो जायगा । परिभाषा भी शीघ्र वही हो जायगी । इसीलिये तो वह सम्मेलन से अलग हुई है । परिभाषा में और पाठ्य-क्रम में परिवर्तन करते करते ही तो होगा । अभी तो पाठ आरम्भ हुआ है ।

विभिन्न प्रान्तों की राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ अलग अलग होकर अलग अलग परिभाषा को मानकर चाहे जिस भाषा का अपने अपने प्रान्त में प्रचार करें, परन्तु वे उन्हें 'राष्ट्रभाषा' कैम कह सकती हैं ? महाराष्ट्र की जोशी जी वाली राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ही अपने आपको इम नाम से क्या सम्बोधित करती है ? क्या उसे विश्वास है कि देश के हिन्दी प्रान्तों तथा अन्य प्रान्तों ने भी उसकी परिभाषा को मान लिया है ? जोशी जी के महाराष्ट्र ने यह कैसे समझ लिया कि हिन्दी प्रान्तों को अहिन्दी प्रान्त पर अपनी राष्ट्रभाषा लादने का अधिकार नहीं है लेकिन अहिन्दी प्रान्तों को हिन्दी प्रान्तों तथा अन्य प्रान्तों पर अपनी परिभाषा लादने का अधिकार है ?

हिन्दुस्तानी आन्दोलन से जो होना था सो हो रहा है । प्रत्येक प्रान्त की अलग अलग परिभाषा होगी, एक एक प्रान्त में दो-दो राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ हो जायँगी, और 'हिन्दुस्थान' की राष्ट्रभाषा खटाई में पड़ जायगी।

इसके बरक्स ज़रा पाकिस्तान पर नजर डालिये । उसने अपनी राष्ट्रभाषा उर्दू पहले से ही बना ली है । वहाँ न किसी ने उर्दू के मामले में ची-चपड़ की ( बल्कि कहिये उन्होंने आग्रह दिखलाया ), और न पाकिस्तानियों में आपस में राष्ट्रभाषा के मामले को लेकर झगड़ा हुआ । पाकिस्तानियों ने न गांधी जी की पहले वाली राष्ट्रभाषा को माना था और न उन्हें गांधी जी की नई परिभाषा से कोई सरोकार है और न होगा—उन्हें जरूरत ही क्या है ? (यदि जोशीजी को इसमें सन्देह है तो वे पंजाब, सीमा-प्रान्त और सिंध की सरकारों से अब या कभी भविष्य में देवनागरी लिपि भी, और अपनी ५०-५० प्रतिशत वाली अथवा 'ग्रामफहम' हिन्दुस्तानी मनवा देखें ) । 'हिन्दुस्थान' में अलवत्ता 'राष्ट्रवादी' राष्ट्र-भाषा के टुकड़े टुकड़े कर डालें, उर्दू और उर्दू-लिपि की प्रतिष्ठा करें, 'कांग्रेस परिभाषा में निवास करने वाले' मराठे प्रतिवर्ष हजारों रुपये देकर महाराष्ट्र में उर्दू और उर्दू-लिपि का प्रचार करें, और 'हिन्दुस्थान' की राष्ट्रभाषा भी उर्दू बनावें, क्योंकि वह तभी पाकिस्तान और 'हिन्दुस्थान' दोनों की कामन 'ग्रामफहम' हिन्दुस्तानी होगी, अन्य कोई उपाय नहीं । ईश्वर हिन्दुओं को शीघ्र सद्बुद्धि प्रदान करे !

जोशीजी अच्छी तरह समझ लें कि महाराष्ट्र के जिन व्यक्तियों ने गांधीजी के पीछे ऑख मूँट कर, राष्ट्रियता की दुहाई देते हुये चलना ही अपना धर्म नहीं समझ लिया है, उन्हें सम्मेलन से सहयोग पाने का अधिकार है, और उन व्यक्तियों को अपना सहयोग देना सम्मेलन तथा हिन्दी भाषी जनता का कर्त्तव्य है । जोशीजी यह भी समझ लें कि यदि उनकी प्रचार-समिति को भी खड़ी बोली, जिसको वे हिन्दुस्तानी कहते हैं, के ही आधार पर राष्ट्रभाषा बनाना है तो उसे भी झूठ मार कर हिन्दी भाषियों की भाषा और साहित्य को आदर्श मानना पड़ेगा—यदि उसे एक जीवित राष्ट्रभाषा और एक जीवित साहित्य अभीष्ट है तो । जोशीजी यह विश्वास रखें कि महाराष्ट्र में सम्मेलन की परिभाषा वाली राष्ट्रभाषा का प्रचार पहले भी

महाराष्ट्रों ने किया था और अब भी वे ही करेंगे। सभावाद और कांग्रेसवाद का भेद करना व्यर्थ है। 'राष्ट्रीयता' केवल जोशीजी और उनकी प्रचार-समिति के ही पल्ले नहीं पड़ी है। यदि मौलाना आजाद सरोखे नेता अजुमन-तरक्की-उदू, जो उदू को राष्ट्रभाषा मानता है, के सदस्य होते हुये कांग्रेस में रह सकते हैं तो परम राष्ट्रीय वृत्ति के व्यक्ति सम्मेलन में रह सकते हैं। 'राष्ट्रीयता' हिन्दुस्तानी प्रचार सभा वालों की वपौती नहीं है। गांधीजी ने भी सम्मेलन को अराष्ट्रीय बतलाने का साहस नहीं किया है। श्री मुशी के कथनानुसार जिसके सिद्धान्त में सत्य होगा अन्त में उसी की विजय होगी। श्री जोशीजी धैर्य धारण करें। उन्हें जो अच्छा लगे, वह अचश्य करें, परन्तु दूसरे जो करना चाहे उसे यदि वे परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अराष्ट्रीय कहकर स्वयं बड़े बनने का लोभ स्वरण कर सकें तो अच्छा हो। वे यह भी याद रखें कि वे जिस ओज और शक्ति से बातें करते हैं वह उनकी अपनी नहीं बल्कि उधार ली हुई है।

अन्त में हम जोशीजी से इतना और पूछना चाहेंगे कि जिस भाषा में उन्होंने अपना पत्र लिखा है वह 'साहित्यिक हिन्दी' है अथवा 'आमफहम हिन्दुस्तानी' ? यदि वह 'आमफहम हिन्दुस्तानी' है तो उनकी और हमारी परिभाषा में कोई अन्तर नहीं, केवल नाम का भेद है जो कोई बड़ी बात नहीं, इसलिये महाराष्ट्र की दोनों प्रचार समितियों को हाथ मिला लेना चाहिये। यदि वह 'साहित्यिक हिन्दी' है, तो अच्छा होता यदि वे उसे 'आमफहम हिन्दुस्तानी' में लिखते। 'सारे देश' को मालूम तो हो जाता कि वह अब किस 'आमफहम हिन्दुस्तानी' को राष्ट्रभाषा मानने लगा है, देश के ४० करोड़ में से कितने के लिये वह 'आमफहम' है, अथवा 'साहित्यिक हिन्दी' समझने वालों से कितने अधिक नर नारियों के लिये वह 'आमफहम' है, और वह किस लायक है ? ( परन्तु गांधीजी तो कहते हैं कि 'सरस्वती' अभी प्रकट होने को है। प्रकट होने से पहले ही वह 'आमफहम' कैसे हो गई ? )



## परिशिष्ट १०

### महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा समस्या

( लेखक—श्रीगङ्गाधर इन्दूरकर )

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यालय मन्त्री श्री श्रीपाद जोशी का एक पत्र 'देशदूत' के पिछले एक अंक में प्रकाशित हुआ था। उसमें जोशी जी ने महाराष्ट्र में इस समय होनेवाले राष्ट्रभाषा सम्बन्धी मतभेद की चर्चा करते हुये सम्मेलन को साम्प्रदायिकतापूर्ण कहने का प्रयत्न किया है। आपने जिस ढंग से सम्मेलन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे उसके संबन्ध में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। हाल ही में मैं अपने निजी काम से पूना गया था। रास्ते में वर्धा में रुका था। जब वर्धा में जोशीजी से मेरी मुलाकात हुई तब आपने कहा था कि हम लोगों ने अब यह निश्चय कर लिया है कि 'सम्मेलन साम्प्रदायिक संस्था है' इस बात का प्रचार किया जाय। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप का यह निश्चय हिंदुस्तानी प्रचार सभा के किसी जिम्मेदार अधिकारी की अनुमति से हुआ है, या स्वयं उनके दिमाग की उपज है? आपके इस निश्चय से आपके कथन को कितना महत्व दिया जाय यह सोचने की बात है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा प्रचारसमिति, वर्धा की परीक्षाओं द्वारा राष्ट्रभाषा हिंदी का काफी प्रचार हुआ है। प्रति वर्ष केवल महाराष्ट्र से राष्ट्रभाषा की परीक्षाओं में लगभग १४-१५ हजार विद्यार्थी बैठते हैं। महाराष्ट्र के कार्यकर्ता हिंदी का काम सम्मेलन के ही विचारों के अनुसार करते हैं। महात्माजी के सम्मेलन से अलग होने के बाद भी महाराष्ट्र के लोग सम्मेलन के विचारों

में सहमत रहे हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में सम्मेलन की प्रथी काफी शक्ति है। हिंदुस्तानी का प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं का स्वयं उदा जाय तो यह असम्भव हो गया है, और उन्होंने मतभेद के भीत दोनों शुरू कर दिये हैं। दर्भाग्य में वे महाराष्ट्र सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को फोड़ने में भी सफल हुये हैं। हमारी समझ में महाराष्ट्र की विचारधारा हिंदुस्तानी को नवीकार नष्ट कर सकती। महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का वर्धा समिति में अपना सम्बन्ध विच्छेद करने का यही रहस्य है। सम्मेलन की शक्ति महाराष्ट्र में नष्ट करने के बाद हिंदुस्तानी प्रचार का कार्य सरल हो जायगा। हिंदुस्तानी के पृष्ठपोषकों का और कार्यकर्ताओं का इसमें पङ्कन है। हमने मेरे पास अनेक प्रामाणिक सबूत हैं। केवल दुख इस बात का है कि महाराष्ट्र के अनेक प्रामाणिक कार्यकर्ता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। सम्मेलन से अलग हुई महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष श्रीदत्तोवामन पोतदार अत्यन्त प्रामाणिक व्यक्ति हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि राष्ट्रभाषा केवल बोलचाल की भाषा है। उन्हीं के शब्दों में तोंगेवालों की भाषा समझने के लिये ही राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है यदि राष्ट्रभाषा का अधिक प्रचार होगा तो मराठी भाषा के अस्तित्व पर खतरा आयेगा। पातदारजी मराठी के एक प्रमुख साहित्यिक होने के नाते मराठी की रक्षा के लिये जी जान से प्रयत्न करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में श्रीपोतदारजी का एक विशेष स्थान है। श्रीपोतदार के नाम का उपयोग करके महाराष्ट्र के लोगों को वहकाने में परदे की आड़ से हिंदुस्तानी के प्रचारक इस समय अवश्य सफल हो रहे हैं। जब परदे की जरूरत न समझी जायगी, और महाराष्ट्र से सम्मेलन की शक्ति यदि कम होगी तो श्रीपोतदारजी की क्या स्थिति होगी, इसे विधाता ही जाने।

जिन्हें सिद्धान्त का विशेष आकर्षण नहीं है, उन्हें विशेष लोभ देकर सम्मेलन के सगठन से अलग करने का प्रयत्न हो रहा है। भारतवर्ष की

वर्तमान शरीरी में पैसे का बड़ा महत्त्व है। किसी घर में अधिक पैसा देखकर बाप-बेटे या भाई-भाई को लडाने के लिये जो चालें चली जाती हैं, उन्हीं सबको पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में की जा रही है। इस काम के लिये हिन्दुस्तानी के समर्थकों को हिंदी का मोहरा मिल गया है। राष्ट्रभाषा प्रचार के कार्य में बनारस से गये हुये श्री गो० प० नेने विशेष क्रियाशील हैं।

महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों ने पोतदार समिति को राष्ट्रीय और सम्मेलन के प्रयत्नों को अराष्ट्रीय कहना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, सम्मेलन को हिन्दू-सभावादी सस्था बनाया जा रहा है। जिनको राष्ट्रभाषा के कार्य की जानकरी नहीं, जो राष्ट्रभाषा बोल नहीं सकते, जिन्हें वर्तमान मतभेदों से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे कांग्रेसी नेताओं के हस्तान्तर से एक विज्ञप्ति निकाली जाती है जिसमें राष्ट्रीयता की दुहाई देकर पोतदार समिति को सहायता देने की माँग की जाती है। इसका तात्पर्य महाराष्ट्र के राष्ट्रभाषा हिन्दी के कार्यकर्ताओं में बुद्धि-भेद पैदा करना नहीं तो और क्या है ?

सम्मेलन की ओर से इस समय महाराष्ट्र में जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति काम कर रही है, उसके समाचार छापना कांग्रेसवादी पत्रों ने बन्द कर दिया है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के हिन्दू-सभावादी पत्र यदि उसके समाचारों को छापते हैं, तो यह कहा जाता है कि सम्मेलन हिन्दू सभावादी सस्था है, नहीं तो उसके समाचार हिन्दू सभावादी पत्र क्यों छापते ? चाहेतब में राष्ट्र में राष्ट्रभाषा प्रचार की समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है। इस पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन क्या कर रहा है, हमें पता नहीं। केवल कार्य समिति अथवा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा किसी प्रकार के प्रस्ताव पास कर देने से ही काम न चलेगा।”

( ३ फरवरी, १९४६ के 'देशदूत' से )



## परिशिष्ट ११

### महाराष्ट्र की राष्ट्र-भाषा समस्या

( लेखक—श्री सूर्यप्रकाश एम० ए० )

“—महात्माजी बंगाल, मद्रास और महाराष्ट्र के निवासियों को उर्दू लिपि सीखने का उपदेश देते हैं, परन्तु सिन्ध, राजपूत और सीमा-प्रान्त के निवासियों का देवनागरी सीखने के लिये नहीं करते। महाराष्ट्र और मद्रास में हिंदी जानने वालों का उर्दू सिखाने के लिये हिन्दुस्तानी प्रचार सभाओं की स्थापना होती है, परन्तु सिन्ध, राजपूत, आदि में उर्दू जानने वालों को हिन्दी सिखाने के लिये कुछ करना आवश्यक नहीं समझा जाता। हिन्दुस्तानी वाले चाहे यह चाहते हों या न चाहते हों, इसका फल बेशक वही होगा कि वास्तविक राष्ट्र भाषा होगी उर्दू और वास्तविक राष्ट्र-लिपि होगी फारसी लिपि। उस समय पोतदार जी मराठी की रक्षा के लिये क्या करेंगे ?

एक बात महाराष्ट्र की हिन्दुस्तानी वाली राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष श्री पोतदार से भी कहना चाहता हूँ। मराठी भाषा के अस्तित्व पर हिन्दी से नहीं बरन् हिन्दुस्तानी में खतरा है। हिन्दी और मराठी तो सभी बहनें हैं। हिन्दी और मराठी की क्रियाओं और विभक्तियों का सम्मिश्रण तो हो ही नहीं सकता, अधिक से अधिक हिन्दी की शब्दावली का मराठी पर प्रभाव पड़ सकता है। परन्तु हिन्दी और मराठी की शब्दावली समान है और दोनों का एक ही स्रोत है। यदि मराठी के कुछ शब्दों में अदल-बदल हो भी जाय तो इससे मराठी के स्वरूप और सस्कृति में कोई अन्तर नहीं आवेगा। परन्तु आज जिस प्रकार अँगरेजी के प्रभाव के कारण भारतीय भाषाओं में

अंगरेजी शब्द घुसते चले जा रहे हैं उस प्रकार जब हिन्दुस्तानी अर्थात् हिन्दी-उर्दू की खिचड़ी के प्रभाव के कारण मराठी में उर्दू शब्दों का प्रवेश होगा, उस दिन पोतदारजी समझेंगे कि उन्होंने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। जब महाराष्ट्र के लोग हिन्दुस्तानी के नाते देवनागरी और उर्दू लिपि दोनों सीख जायेंगे और महाराष्ट्र के मराठी भाषी मुसलमान उर्दू लिपि में मराठी लिखना आरम्भ करेंगे तब पोतदार जी के किये कुछ न होगा, और उनकी सन्तान उन्हीं को कोसेगी कि उन्होंने अपने हाथो हिन्दी-उर्दू का सा भगड़ा मराठी में उत्पन्न किया। पोतदार जी तथा मराठी के अन्य शुभचिन्तक भली भौति सोच देखें जिससे उन्हें बाद में पछताना न पड़े। हम हिन्दी वाले मराठी की परमोन्नति चाहते हैं और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर महाराष्ट्र की हिन्दुस्तानी वाली राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के कर्णधारों को यह चेतावनी देना अपना कर्तव्य समझते हैं। संस्कृत के द्वारा जिस प्रकार हमारे पुरखो ने राष्ट्र की भाषा-एकता तथा सांस्कृतिक एकता साधी थी, उसी प्रकार आज सम्मेलन हिन्दी द्वारा भाषा तथा सांस्कृतिक की एकता साधना चाहता है। यदि उनका यही विश्वास है कि राष्ट्र-भाषा के अत्यधिक प्रचार से मराठी को हानि पहुँचेगी, तो इसके लिये हिन्दी का बाना उतार कर हिन्दुस्तानी का बाना धारण करने की जरूरत नहीं, और देवनागरी के साथ उर्दू लिपि का प्रचार करने की जरूरत नहीं। वे सरल हिन्दी का प्रचार करें। वही तौंगे चालो की, और मजदूर किसानों की भाषा है। और देवनागरी तो वे मराठी की लिपि होने के कारण जानते ही हैं। यदि उनको उर्दू लिपि द्वारा विनाश का बीज बोना ही अभीष्ट है, तो उनकी इच्छा। इस लिपि-विमानन के फल को हम हिन्दी वाले तो भोग ही रहे हैं, वे भी चख देखें।”

महाराष्ट्र के काग्रेसी पत्रों के विषय में क्या कहा जाय ? प्रत्येक पत्र का यह प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक घटना की खबर जनता को

निष्पन्न हो कर दे, उसके बाद हम पर चाहे जैसी टिप्पणी अपनी ओर से करे। परन्तु महाराष्ट्र के काग्रेसी पत्रों ने सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार-समिति के समाचार छापना ही बन्द कर दिया है। यह खुलेआम फेमिज्म है जो अपने विरोधी का अस्तित्व तक सहन नहीं कर सकता। ये पत्र हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग के समाचार छापना निषिद्ध नहीं समझते, परन्तु राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के समाचार नहीं छाप सकते। इसका कारण शायद यह है कि वे हिन्दू महासभा को कमजोर समझते हैं, उससे नहीं डरते, परन्तु सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति से डरते हैं। परन्तु अपने बलवान प्रतिद्वन्द्वी को धराशायी करने का यह तरीका काग्रेस और हिन्दु-स्तानी-वाद का नाम किसी प्रकार उज्ज्वल नहीं कर सकता। इन पत्रों की इस मनोवृत्ति के विरुद्ध और उनके पढ्यन्त्र का भण्डाफोड़ करने के लिये तथा हिन्दी की मान-रक्षा के लिये हिन्दी भाषियों, हिन्दी पत्रों तथा हिन्दी प्रान्तों के पत्रों का क्या कर्तव्य है, इसे वे ही सोच देखें।

( ३१ मार्च, १९४६ के 'देशदूत' से )

## परिशिष्ट १२

### भारत की राष्ट्रभाषा की समस्या

( लेखक—श्री भदन्त आनन्द कौमल्यायन )

अन्य किसी भी प्लेटफार्म की अपेक्षा मुझे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्लेटफार्म से कुछ भी कहने में अधिक प्रसन्नता होती है। इस प्लेटफार्म पर खड़े होकर बोलते समय मैं अनुभव करता हूँ कि बोलने वाले के पैरों में न किमी धार्मिक सम्प्रदायवाद की वेडी पड़ी है और न किसी राजनीतिक सम्प्रदाय की।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन कुछ विचारों का नाम है और एक विशिष्ट सगठन का। किसी खेत का और उसकी कॉटेदार बाड़ का जो सम्बन्ध है वही किसी सस्था के विचारों और उसके मस्थान का। खेत के गिर्द यदि बाड़ न हो तो उसे कोई भी चर जा सकता है—और यदि खेत की उपज इस योग्य ही न हो कि उसके गिर्द बाड़ लगाई जाय तो बाड़ बेकार है। उसी प्रकार यदि विचार-विशेष की रक्षा करने वाला कोई मजबूत सगठन न हो तो विचार छिन्न भिन्न हो जाता है, और यदि विचार ही दो कौड़ी का हो तो उसकी रक्षा करने वाले सगठन का कोई मूल्य नहीं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपने स्थापना-दिवस से, जिसे आज पूरे पर्वस वर्ष हो गये हैं, राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट्रलिपि देवनागरी का प्रचारक रहा है। उसकी प्रथम नियमावली में ही 'राष्ट्रभाषा हिन्दी' और 'राष्ट्रलिपि नागरी' शब्द आये हैं। उसके इस कथन का विरोध अँगरेजी ने करना चाहा, लेकिन उसने बता दिया कि जब तक विदेशी हुक्मत है तब तक अँगरेजी भले ही शासन की भाषा अथवा राजभाषा बनी रहे किन्तु वह

हिन्द की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। उर्दू की ओर से भी यह आवाज बुलन्द हुई कि उर्दू ही इस देश की कौमी जवान है। हिन्दी का उर्दू से कोई विरोध नहीं, विरोध हो ही नहीं सकता। हिन्दी उर्दू के सर्वनाम, प्रत्यय, त्रियायें सब कुल्ल एक हैं। हिन्दी अपनी ही एक शैली उर्दू का विरोध कैसे करे ? परन्तु पिछले वर्षों हिन्दी का जो राष्ट्रव्यापी प्रचार हुआ है उसने हिन्दी का देश में जो स्थान है वह निश्चित कर दिया और उसके साथ उर्दू का भी। भारतवर्ष में ही नहीं, मे तो कहता हूँ ससार के इतिहास में यह एक असाधारण बात है कि दक्षिण और शेष भारत के लाखों अहिन्दी भाषा भाषी विद्यार्थी राष्ट्रभाषा हिन्दी के अध्ययन में लगे हुये हैं और उसकी परीक्षाएँ पास कर रहे हैं और ऐसी परीक्षाएँ कि जिनके पास करने के साथ किसी सरकारी नौकरी, आदि मिलने का लालच नहीं जुड़ा हुआ है। राष्ट्रभाषा हिन्दी की इस प्रगति को उनके आज तक के समथक भी यदि चाहे तो अब नहीं रोक सकते।

वह सब सही है लेकिन अँगरेजी और उर्दू के बाद इधर दो तीन वर्ष से एक नई विचार धारा ने अपना सिर उठाया है। उसका नाम है हिन्दुस्तानी विचार-धारा। जिस प्रकार किसी बोटल पर लगा हुआ लेबिल बना रहे लेकिन उसके अन्दर की चीज बदल जाय वही हाल हिन्दुस्तानी लेबिल का है। हम इस शब्द को हिन्दी के साथ-साथ काम में लाते रहे हैं—जैसे 'हिन्दी हिन्दुस्तानी', और वह हिन्दी का पर्यायवाची भी रहा है, जैसे "हिन्दी 'अथवा' हिन्दुस्तानी"। लेकिन इधर इस 'अथवा' में आमूल परिवर्तन हो गया है। पहले इसका मतलब था कि चाहे हिन्दी कहो, चाहे हिन्दुस्तानी कहो, वान एक ही है। लेकिन अब इस 'अथवा' का अर्थ किया जा रहा है कि हिन्दी और हिन्दुस्तानी दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। यदि हिन्दी का, तो हिन्दुस्तानी का नहीं, और यदि हिन्दुस्तानी का, तो हिन्दी का नहीं।

हमारे इस प्रान्तीय सम्मेलन के द्वार पर आप सवने देखा होगा लिखा है 'जय हिन्द'। यह इस समय का हमारा राष्ट्रीय उद्घोष है। जिस प्रकार हम 'जय हिन्द' कहते हैं उसी प्रकार हमें 'जय हिन्दी' भी कहना चाहिये।

हम हिन्दी वाले वपों से प्रचार करते आये हैं कि चूँकि हिन्दी राष्ट्र-भाषा है इसलिए प्रत्येक हिन्दी को, प्रत्येक भारतवासी को इसे सीखना चाहिये। इस नई विचार-धारा ने जिससे हमें सावधान रहना चाहिये कहना शुरू किया है कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की। यह ठीक है कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है किन्तु हिन्दुओं की ही नहीं—और इसी प्रकार उर्दू भी मुसलमानों की ही नहीं। सर तेजवहादुर सप्रू उर्दू के सुप्रसिद्ध समर्थक हैं। वे मुसलमान नहीं, काश्मीर के ब्राह्मण हैं। और अंजुमन तरकी-ए-उर्दू की मुख्य पत्रिका 'हमारी जवान' के सम्पादक भी श्री ब्रजमोहन दत्तात्रेय हैं। उर्दू लिपि में आपका गोत्र ठीक ठीक लिखा ही नहीं जा सकता। कोई भी भाषा किसी धर्म की वपौती नहीं। जो लोग हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा कहकर और उसी प्रकार उर्दू को मुसलमानों की भाषा कह कहकर हिन्दुस्तानी के द्वारा हिन्दू मुसलिम ऐक्य के सम्पादन की बात करते हैं, मुझे भय है कि इतिहास ऐसे लोगों को साम्प्रदायिकता के असाधारण प्रचारक न सिद्ध करे।

'हिन्दी' के राष्ट्रभाषा होने पर एक और आपत्ति उटाई जा रही है। उसके गुण को उसका दोष कहा जा रहा है। कहा जाता है कि ऐसी भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, जिसमें न संस्कृत के शब्द हों, न अरबी फारसी के। यदि हमारी राष्ट्रभाषा को वह सब काम करने हैं जो आज दिन हम अंगरेजी के माध्यम से करते हैं तो ऐसी भाषा जिसमें 'न संस्कृत के शब्द हों न अरबी फारसी के, हमारे लिये तीन कौड़ी काम की भाषा होगी। हमें यह निर्णय करना ही होगा कि विशेष शब्द आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होने पर कहाँ से लें? त्याग में बैंक को 'धनागार' कहते हैं और नोट को

‘धन-पत्र’। हम भारत में वृद्धि उगी प्रकार बोलें और लिखें तो किमी को क्या आपत्ति हो सकती है ?

एक और मजे की आपत्ति यह है कि लोगों की मातृभाषा हिन्दी में और लोगों की राष्ट्रभाषा हिन्दी में अन्तर होना चाहिये। अर्थात् जो हिन्दी किसी की मातृभाषा है वह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। स्काटलैंड और वेल्स के लोगों का अँगरेजी से बड़ी सम्बन्ध कहा जा सकता है जो मगडां भाषा-भाषी अथवा गुजराती भाषा-भाषी लोगों का हिन्दी में है। इ गलिय इ गलैड के लोगो की मातृभाषा होते हुये भी मारे ब्रिटेन की राज्य-भाषा है और सारे ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्य-भाषा। अब क्या एक तरह की अँगरेजी अँगरेजों की मातृभाषा और दूसरी तरह की अँगरेजी ब्रिटेन की राष्ट्रभाषा और तीसरी तरह की अँगरेजी ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यभाषा है ? अँगरेजी अँगरेजी है। आप उसे चाहे मातृभाषा मानकर लीजें, चाहे राष्ट्रभाषा मानकर लीखें चाहे साम्राज्यभाषा मानकर लीखें। किन्तु हम पराधीन हिन्दुओं को सुझाया जाता है कि हिन्दी के दो रूप होने चाहिये— एक मातृभाषा वाला रूप, एक राष्ट्रभाषा वाला रूप। सच्ची बात यह है कि मातृभाषा के अर्थ में तो हिन्दी भारत के कुल चार-पाँच जिलों की भाषा होगी, शेष समस्त भारत की तो हिन्दी राष्ट्रभाषा ही है। और उसका स्वरूप निश्चित है। हमें आज उसका प्रचार करना है, उसमें नये आवश्यक ग्रन्थों का निर्माण करना है और जो काम हमें नहीं करने बैठना है वह है उसके स्वरूप की चर्चा।

फिर यह भी कहा जाने लगा है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को क्या अधिकार है कि वह देश की राष्ट्रभाषा का निर्णय करे—यह काम तो हमारी राष्ट्रीय सरकार का है और जब तक उसकी स्थापना नहीं होती तब तक राष्ट्रीय महासभा का है। सरकार, चाहे फिर वह राष्ट्रीय ही क्यों न हो, किसी पर कोई भाषा लाद नहीं सकती। श्रीशिवप्रसाद गुप्त ने जब

काशी विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय संस्था के लिये दस लाख रुपये का ढान दिया तो उस ढान की शर्तों में एक शर्त यह थी कि यह विद्यापीठ स्वराज्य सरकार से भी कभी किसी प्रकार की सहायता न लेगा। विदेशों में अनेक संस्थायें अपने आपको सरकारी सहायता के दुष्परिणाम से बचाये रखने के लिये प्रयत्नशील रहती हैं। जिस प्रकार शिक्षा को सरकारी प्रभाव से स्वतन्त्र रखने की आवश्यकता है वैसे ही भाषा को भी। कोई सरकार, भले ही वह राष्ट्रीय क्यों न हो, हमे यह नहीं बता सकती कि यह तुम्हारी मातृभाषा है और यह राष्ट्रभाषा। जहाँ तक आज की कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने कभी भी महात्मा गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' की कल्पना—दोनों शैलियों और दोनों लिपियों के अनिवार्य शिक्षण—का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुलकलाम आजाद तक इस 'हिन्दुस्तानी' की नई कल्पना के साथ नहीं हैं। इतना होते हुये भी जिस बात के साथ महात्मा गांधी का व्यक्तित्व जुड़ जाता है उस पर हम सबको विचार करना अनिवार्य हो ही जाता है। क्योंकि गांधीजी गांधीजी हैं। कौन है जो स्वीकार नहीं करेगा कि पिछले पन्चीस वर्षों का इतिहास महात्मा गांधी का जीवन चरित्रमात्र है।

यू भाषा ही मुख्य वस्तु है, किन्तु इस नये हिन्दुस्तानी आन्दोलन ने भाषा की अपेक्षा लिपियों की ही प्रधानता बढ़ा दी है। हमारे देश की सभी भाषाओं की लिपियाँ नागरी लिपि ही है, केवल उर्दू लिपि या फारसी लिपि एक अपवाद है। राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम में जहाँ एक भाषा की बात की जाती है, वहाँ एक की लिपि नहीं। लिपियों के बारे में कहा जाता है कि बिना दोनों लिपियों के ज्ञान के हम एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और दोनों लिपियों के ज्ञान के प्रसार का मतलब व्यवहार में उर्दू लिपि प्रचार-मात्र ही-दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों महात्मा गांधी ने यहाँ तक कहा कि "जो उर्दू लिपि को पसन्द नहीं करता वह स्वराज्य नहीं चाहता।" अब महात्माजी के इस कथन को कोई क्या कहे !



हिन्दुस्तानी की इस नई परिभाषा और कार्यक्रम के पीछे जो भावना है वह निस्सन्देह राष्ट्र-हित की ही है, किन्तु किसी कार्यक्रम का हितकर व अहितकर होना भाषना पर ही निर्भर नहीं करता, कुछ उस कार्यक्रम पर भी निर्भर करता है। हिन्दुस्तानी भाषा के बारे में कहा जाता है कि जब हिन्दी वाले उर्दू और उर्दू वाले हिन्दी सीख लेंगे, तब दोनों के मेल से एक नई 'सरस्वती' पैदा होगी। कलियुग में तो आप जानते हैं 'सरस्वती' के पैदा होने की आशा नहीं। मेरा तो जी चाहता है कि यदि किसी का जी न दुखे तो हिन्दुस्तानी की नई विचारधारा की उपमा प्रह्लाद के पिता हिरण्यकश्यप से दूँ। उसे वरदान प्राप्त था कि न दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न अन्दर मरूँ, न बाहर मरूँ, न आदमी के हाथ से मरूँ, न किसी पशु के हाथ से मरूँ। उसका क्या हाल हुआ ? उम्मी की तरह हिन्दुस्तानी भाषा का भी कहना है कि 'मैं वह भाषा हूँ जिसमें न संस्कृत के शब्द रहते हैं, न अरबी-फारसी के, जो न हिन्दुओं की भाषा है, न मुसलमानों की, और न देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, न उर्दू लिपि में ही।' यह सब हिरण्यकश्यप के नकागत्मक बचाव हैं। अभी तक इस हिरण्यकश्यप रूपी हिन्दुस्तानी के प्रचार के प्रयत्नों का जो प्रभाव देखने में आया है वह इतना ही कि अनेक कार्यकर्त्ताओं में बुद्धि-भेद पैदा हो गया है, और इतना निश्चय से कहा जा सकता है कि यदि हिन्दुस्तानी किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकेगी तो अहिन्दी प्रान्तों में कुछ न कुछ लोगों को राष्ट्र-भाषा हिन्दी पढ़ने से रोक अवश्य सकेगी।

जिनके लिये राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रचार-कार्य एक जीवन व्रत है उनके लिये यह चिन्तन का ही विषय नहीं, कुछ करने का आह्वान है।

( २० जनवरी, १९६६ के 'देशदूत' में प्रकाशित, मध्यप्रांतीय विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन के अवसर पर किये हुये भाषण से )

## परिशिष्ट १३

### ‘हिन्दुस्तानी’ का वेदान्त

( लेखक—श्री सूर्य प्रकाश एम० ए० )

‘हिन्दुस्तानी’ के समर्थकों अथवा अर्ध-समर्थकों में एक दल ऐसे व्यक्तियों का है जो कल तक राष्ट्रभाषा हिन्दी के समर्थक थे, हिन्दी और देवनागरी छोड़ कर हिन्दुस्तानी या उर्दू लिपि का नाम नहीं लेते थे, शुद्ध हिन्दी और देवनागरी का प्रचार करते थे, परन्तु जिनका हृदय उनके मस्तिष्क से अधिक बलवान था, और यदि उनका मस्तिष्क राष्ट्र और राष्ट्रीयता के साथ था तो हृदय गांधी के साथ था, और इस लिये जो आज अपने आप को हिन्दुस्तानी के कैम्प में खड़ा पाते हैं। परन्तु पुरानी आदतें जल्दी नहीं छूटतीं, और इसलिये वे अपने आप को नये वन्दोवस्त में फिट करने में जरा दिक्कत महसूस करते हैं—हृदय और मस्तिष्क के बीच में एक संघर्ष का अनुभव करते हैं। इस संघर्ष को शान्त करने के लिये, अपने अतःकरण की आवाज को दबाने के लिये, अपने मन को सतोष देने के लिये अर्थात् अपने आप को धोखा देने के लिये उन्होंने एक ‘हिन्दुस्तानी वेदांत’ की सृष्टि कर ली है। इस वेदांत के अनुसार हिन्दी भी वही है, उर्दू भी वही है, हिन्दुस्तानी भी वही है—तीनों एक ही तत्व हैं अथवा एक ही ब्रह्म-तत्व के तीन नाम हैं, तीनों के उपासक एक ही गति को प्राप्त होते हैं, बस केवल आजकल हिन्दुस्तानी पूजा का अधिक माहात्म्य है और इस कारण उन्होंने अपने इष्ट-देवता ( या आराध्य देवी ? ) राष्ट्र भाषा का नाम भर ‘हिन्दुस्तानी’ रख लिया है। इस दर्शन का दर्शन कीजिये—

मई, १९४६ की 'राष्ट्रभाषा' में श्री आचार्य दादा कर्माधिकारी लिखते हैं—“राष्ट्रभाषा का अर्थ जो बीस पच्चीस बरस पहले था वह आज नहीं है। पहले राष्ट्रभाषा सिर्फ “हिन्दी” नाम से पहचानी जाती थी। फिर उसका “हिन्दी हिन्दुस्तानी” नामकरण हुआ और अब हिन्दुस्तानी! एक ही राष्ट्रभाषा का भिन्न भिन्न नामकरण उन ५० सालों में हुआ, इसका कारण क्या है? जीवन प्रगतिशील है—बढ़ निरव गतिमान है। उसकी गति का लक्ष्य है पूर्णता अथवा मृत्यु। राष्ट्रभाषा भी अपने जीवन में प्रगतिशील रही है। यही कारण है कि वह उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशालिनी होती जा रही है। जिसका परिचय हमें उसके बदलते हुए नामों में मिल रहा है।”

इस 'प्रगतिशीलता' का क्या कहना! न मालूम इंग्लैंड-भाषा, साम्राज्य-भाषा, ससार-भाषा 'अंगरेजी' का नाम उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशालिनी होने पर भी क्यों नहीं बदला! और एक ही राष्ट्रभाषा का भिन्न भिन्न नामकरण कैसे कि, वकौल श्री भदन्त जी, अब या 'हिन्दी' चुन लो या 'हिन्दुस्तानी' चुन लो, या हिन्दी साहित्य सम्मेलन में रह लो या हिन्दुस्तानी प्रचार सभा में! यह तो स्पष्ट ही है कि 'राष्ट्रभाषा का जो अर्थ बीस-पच्चीस बरस पहले था वह आज नहीं है'। उस राष्ट्र का भी तो, जिसकी राष्ट्रभाषा से मतलब है, अब वह अर्थ नहीं है। पहले उस राष्ट्र का नाम 'हिन्दुस्तान' था, फिर एक 'फीडरेशन' हुआ और अब एक 'कानफीडरेशन' है। उसमें रहने वाले पहले 'हिन्दुस्तानी' नाम से पहचाने जाते थे, फिर वे 'हिन्दू-मुसलमान' कहलाये और अब 'हिन्दू' और 'मुसलमान'। यह सब 'प्रगतिशीलता', 'पूर्ण राष्ट्रीयता' के लक्ष्य की प्राप्ति का ही द्योतक तो है! इसी कारण 'राष्ट्र' भी उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है! राष्ट्रभाषा के प्रगतिशील, पूर्णता-गामी और उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशालिनी होने की एक और पहचान है। पहले उसकी लिपि केवल

एक थी, अब दो हैं (अथवा क्या ‘देवतागरी’ और ‘फारसी’ ‘एक ही राष्ट्र-लिपि’ का भिन्न भिन्न नामकरण है ?), शीघ्र ही तीन (रोमन भी) हो जायँगी। तब वह और ‘शक्तिशालिनी’ हो जायगी। न मालूम अँगरेजी एक ही लिपि से क्यों सतुष्ट है। शायद वह गतिशील नहीं, और मृत्यु को प्राप्त हो रही है।

धर्माधिकारी जी आगे लिखते हैं : “अगर हिन्दुस्तान का हिन्दू कहने लगे कि हम उर्दू नहीं बोलेंगे और हिन्दुस्तान का मुसलमान कहे कि हम हिन्दी नहीं बोलेंगे, तब इन दोनों को एक दूसरे को यह बताने के लिये कि हम तुम्हारी भाषा नहीं बोलेंगे किसी तीसरी भाषा की सहायता लेनी पड़ेगी और वह होगी अँगरेजी।”

अरे, क्या ‘हिन्दी’ और ‘उर्दू’ एक ही भाषा के दो नाम नहीं रहे ? जो भी हो, अगर हिन्दू कहे हम फारसी लिपि में नहीं लिखेंगे और मुसलमान कहे हम देवनागरी में नहीं लिखेंगे तो एक दूसरे को पत्र लिखने के लिये किसी तीसरी लिपि की सहायता लेनी पड़ेगी और वह होगी रोमन ! (प्रत्येक से कहते हो दोनों लिपि सीखो, प्रत्येक से यह भी क्यों न कहे हिन्दी उर्दू दोनों सीखो ? यह ‘हिन्दुस्तानी’ का खटारा क्या है ? जैसे देवनागरी और फारसी लिपि दोनों राष्ट्र-लिपि, वैसे हिन्दी और उर्दू दोनों राष्ट्र-भाषा सही। क्या मुसलमान वर्धा की इस ‘हिन्दुस्तानी’ बोलने को ही तैयार हैं ?)

मई, १९४६ की ‘राष्ट्र-भाषा’ में श्री हृषीकेश शर्मा दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा के रजत-जयन्ती उत्सव का वर्णन करते हुये लिखते हैं, “हिन्दी के नाम को, जिसे यह नाम सदियों पहले मुसलमान मुगलों ने हा दिया था, छोड़कर यहाँ ‘हिन्दुस्तानी’ नया नाम मात्र दे दिया गया है”, और उसके बाद रजत-जयन्ती में हुए भाषणों में से कुछ हिन्दी वाक्यांश चुनकर उदाहरण-स्वरूप पेश करते हैं और फिर तपाक से कहते हैं, “इसे हिन्दी कह

एक था, अब दो हैं (अथवा क्या 'देवनागरी' और 'फारसी' एक ही राष्ट्र-लिपि का निम्न निम्न नामकरण है ?), तीसरी ही तीन (रोमन भी) ही जायगी। तब यह और 'शक्तिशालिनी' ही जायगी। न मालूम अंगरेजों को एक ही लिपि ने क्यों सन्तुष्ट है। शायद यह गतिशील नहीं, और मृत्यु को प्राप्त हो रही है !

धर्माभिन्तारी जी प्राण लिंगत है : "अगर हिन्दुस्तान का हिन्दू कटने लगे कि हम उर्दू नहीं बोलेंगे और हिन्दुस्तान का मुसलमान कटे कि हम हिन्दी नहीं बोलेंगे, तब इन दोनों को एक दृग्ने को यह बताने के लिये कि हम तुम्हारी भाषा नहीं बोलेंगे किसी तीसरी भाषा की सहायता लेनी पड़ेगी और यह होगी अंगरेजों।"

अरे, क्या 'हिन्दी' और 'उर्दू' एक ही भाषा के दो नाम नहीं रहे ? जा भी हों, अगर हिन्दू कटे हम फारसी लिपि में नहीं लिखेंगे और मुसलमान कटे हम देवनागरी में नहीं लिखेंगे तो एक दूसरे को पत्र लिखने के लिये किसी तीसरी लिपि का सहायता लेनी पड़ेगी और यह होगी रोमन ! (प्रत्येक से कहते हो दोनों लिपि सीखो, प्रत्येक से यह भी क्यों न कहो हिन्दी उर्दू दोनों सीखो ? यह 'हिन्दुस्तानी' का खटाराग क्या है ? जैसे देवनागरी और फारसी लिपि दोनों राष्ट्र-लिपि, वैसे हिन्दी और उर्दू दोनों राष्ट्र-भाषा सही। क्या मुसलमान वर्धा की इस 'हिन्दुस्तानी' बोलने को ही तैयार हैं ?)

मई, १९४६ की 'राष्ट्र-भाषा' में श्री हृषीकेश शर्मा दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा के रजत-जयन्ती उत्सव का वर्णन करते हुये लिखते हैं, "हिन्दी के नाम का, जिसे यह नाम सदियों पहले मुसलमान मुगलों ने हा दिया था, छोड़कर यहाँ 'हिन्दुस्तानी' नया नाम मात्र दे दिया गया है", और उसके बाद रजत-जयन्ती में हुए भाषणों में से कुछ हिन्दी वाक्यांश चुनकर उदाहरण-स्वरूप पेश करते हैं और फिर तपाक से कहते हैं, "इसे हिन्दी कह

अन्त में शर्मा जी लिखते हैं, “यही हिन्दी की खासियत है, उसका लोच है। वह काका जी की ‘सबकी बोली’ है, पू० बापू जी की हिन्दुस्तानी है, राष्ट्रपति आजाद साहब की कौमी जवान है और श्रद्धेय टडन जी की राष्ट्रभाषा है”, अर्थात् हिन्दी भी वही है, उर्दू भी वही है ( देखिये न ‘लोच’, ‘कौमी’ और ‘जवान’ वही तो दो शब्द हैं न जो ‘राष्ट्र’ और ‘भाषा’—जरा अन्तर्दृष्टि से देखिये ! ), और हिन्दुस्तानी भी वही है। यह है शुद्ध ‘हिन्दुस्तानी का वेदान्त’ ( अफसोस, इसे श्रद्धेय टडन जी और राष्ट्रपति आजाद नहीं समझ पाते ! )। इस वेदान्त की अन्तिम कड़ी शेष है—देवनागरी भी वही है, फ़ारसी लिपि भी वही है। धैर्य धारण कीजिये, इसको सिद्ध करने वाला शकराचार्य भी शीघ्र प्रकट हो जायगा।

( अक्टूबर, १९४६ की ‘सरस्वती’ से )

लीजिये, चाहे हिन्दुस्तानी।” आखिर फिर पुराना, परिचित, मुसलमानों का ही दिया हुआ नाम ‘हिन्दी’ छोड़कर ‘हिन्दुस्तानी’ नाम क्यों रक्खा गया ? इसका कोई विशेष कारण तो होगा ही। क्या शर्माजी की समझ में अभी तक नहीं आया कि हिन्दी में हिन्दुस्तानी का फाटक किनके प्रवेश करने के लिये खोला गया है ? दक्षिण में अभी प० सुन्दरलाल और काका कालेलकर जी हिन्दी वाक्यांश न बोलें तो उनकी बकालत समझे कौन ? अभी जरा ठहरिये, अभी तो हिन्दुस्तानी का पाठ आरम्भ हुआ है, उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें छपना शुरू हुई हैं। विश्वास न हो तो अभी ही पंडित सुन्दरलाल को पञ्जाब या युक्त-प्रान्त में ‘हिन्दी कह लीजिये चाहे हिन्दुस्तानी’ बोलते हुए सुन ले ( या उनकी ‘विश्व-वाणी’ का सम्पादकीय या ‘नया हिन्द’ का अग्र-लेख पढ़ लें )। और क्या “दोनों लिपियों का आप प्रयोग करें”, यह भी नाम मात्र के लिये कहा गया, और दक्षिण भारत हि प्र सभा दोनों लिपियों की शिक्षा क्या नाम मात्र के लिये ही अनिर्धार्य कर रही है ?

शर्मा जी आगे लिखते हैं, “हिन्दी ने उर्दू के लोकोपयोगी सैकड़ों मुहावरों और हजारों प्रचलित सरल शब्दों को सदियों से अपने कुटुम्ब कबीले में ऐसा मिला लिया है कि वे किसी के हटाने से हट नहीं सकते और किसी की मेहरवानी या रहम के बल पर वे रह नहीं सकते।”

शायद इसीलिये हिन्दी को उर्दू की एक और खूराक जवरदस्ती पिला कर ‘हिन्दुस्तानी’ बनाया जा रहा है, और अनुपयोगी शब्दों ‘साहित्य’ और ‘शिक्षा’ को निकाल कर लोकोपयोगी सरल शब्दों ‘अदब’ और ‘तालीम’ को बैठाया जा रहा है, और दक्षिण वासियों को उर्दू के हजारों पारिभाषिक शब्दों से परिचित कराया जा रहा है ! शर्मा जी कहते हैं, “हिन्दी ने न कभी भाषा का पाकिस्तान बनाया और न बनने देगी।” यह तो ठीक, परंतु लिपि का पाकिस्तान कौन बना रहा है ? ‘उर्दू शैली’ प्रत्येक पर अलग से कौन लाद रहा है ?

की भी नहीं वरन् हिन्दी और उर्दू दोनों के ज्ञान की आवश्यकता है, अर्थात् वह हिन्दी या उर्दू से दूनी कठिन है। कारण स्पष्ट हैं। ‘हरिजनसेवक’ की भाषा के कोई सिद्धान्त, नियम या आदर्श तो हैं नहीं, अतः सब कुछ सम्पादक या लेखक की इच्छा पर निर्भर है। वह चाहे कोई हिन्दी शब्द और चाहे कोई उर्दू शब्द उठाकर धर सकता है। ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ में प्रत्येक हिन्दी शब्द और प्रत्येक उर्दू शब्द आ सकता है और आता है। एक बार एक पाठक ने गांधी जी से प्रश्न किया कि ‘हरिजनसेवक’ की भाषा में ‘एतकाद’, ‘तहरीक’ और ‘कफ़ारा’ क्यों आये, ‘श्रद्धा’, ‘आन्दोलन’ और ‘प्रायश्चित्त’ क्यों नहीं? गांधी जी ने उत्तर दिया कि ‘एतकाद’, ‘तहरीक’ और ‘कफ़ारा’ तीनों शब्द ‘उत्तर के लोगों की बोलचाल’ में धर कर चुके हैं। ( गांधी जी ने यह नहीं बतलाया कि फिर भी स्वयं नका, जिन्होंने उत्तर के दौरों में आधा जीवन व्यतीत किया है, इन शब्दों से कितना पुराना परिचय है। ) अस्तु, चूँकि हिन्दी का या उर्दू का ऐसा कोई शब्द नहीं जिसके बारे में कहा जा सके कि उत्तर के लोग उसे नहीं बोलते, और चूँकि खड़ी बोली की क्रियाओं का प्रत्येक जानकार ‘उत्तर की बोलचाल’ का ठेकेदार बन सकता है, गांधी जी के उत्तर का सीधा सादा अर्थ है कि ‘हिन्दुस्तानी’ में हिन्दी और उर्दू का प्रत्येक शब्द आ सकता है, ‘हिन्दुस्तानी’ समझने के लिए हिन्दी-कोष और उर्दू-कोष दोनों को घोटने की आवश्यकता है, ‘हिन्दुस्तानी’ का कोष हिन्दी-कोष+उर्दू-कोष है। फिर ‘हिन्दुस्तानी’ न हिन्दी न उर्दू या ‘न सस्कृत, न अरबी-फ़ारसी’ मयी कैसे हो सकती है? ‘हरिजनसेवक’ की भाषा में वही हिन्दी के सस्कृत शब्द वर्तमान हैं और वही उर्दू के अरबी-फ़ारसी शब्द दिखाई देते हैं, वम, केवल १०० सस्कृत या १०० अरबी फ़ारसी शब्दों के स्थान में ५० सस्कृत और ५० अरबी-फ़ारसी शब्द हैं, और कौन से सस्कृत और कौन से अरबी-फ़ारसी; इसकी कोई ठीक नहीं। लेखक को केवल यह आदेश है



कि हिन्दी का और उर्दू का पलड़ा बराबर रहे। यदि दो तीन हिन्दी शब्द आ गये तो उनके बाट दो तीन उर्दू शब्दों का आना आवश्यक है, अन्यथा 'राष्ट्र-भाषा' की सील नहीं लगेगी और 'राष्ट्र-भाषा-विशारद' का मार्टी-फिक्रेट छिन जायगा। जरा चूके कि 'अराष्ट्रीयता' के खड्ड में गिरे और आपकी भाषा 'सच्ची राष्ट्र-भाषा' के बजाय हिन्दी या उर्दू कहलाई ! जो एक हाथ में हिन्दी-कोप और एक हाथ में उर्दू-कोप ले कर मीधा मंतुलन करता हुआ तलवार की धार पर नहीं चल सकता, वह राष्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' का लेखक नहीं हो सकता। इसके बाट भी वर्धा का सार्टीफिकेट लेना जरूरी है। 'हिन्दुस्तानी' का रहस्य कोई कोई जानते हैं (परन्तु वह है फिर भी 'राष्ट्र-भाषा'—सार राष्ट्र की भाषा), और ऐसे महात्माओं का प्रधान आश्रम वर्धा में ही है। वह सार्टीफिकेट भी सब प्रार्थियों को नहीं मिलता। तपस्या करनी पड़ती है। 'हरिजनसेवक' के सम्पादक ही सच्ची 'राष्ट्र-भाषा' लिखने के अयोग्य साबित होने के कारण कई बार बदले जा चुके हैं। 'सरस्वती' वर्धा में प्रकट होती है और वहीं लुप्त हो जाती है।

'हरिजन सेवक' की 'हिन्दुस्तानी' कृत्रिम है या अकृत्रिम, अब हम विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह जानी। वह उतनी ही कृत्रिम है जितनी उर्दू। उर्दू दिल्ली के दरवार में गढ़ी गई थी, 'हिन्दुस्तानी' वर्धा में गढ़ी जा रही है। इसकी कृत्रिमता का भी कोई ठिकाना है ! यदि वह अकृत्रिम, स्वाभाविक भाषा होती तो साहित्य-शून्य क्यों होती और उस पर इतनी वन्दिशें क्यों लगाई जाती ? यदि हिन्दी अपने लिखित रूप में कहीं बोलचाल में प्रयुक्त नहीं होती, तो 'हरिजनसेवक' की 'हिन्दुस्तानी' भी इसी रूप में कहीं बोलचाल में प्रयुक्त नहीं होती। रही बोधगम्यता की बात, सो क्या हिन्दुस्तानी वाले साबित कर सकते हैं कि 'हरिजनसेवक' की 'हिन्दुस्तानी' को ही फ्राट्रियर के पठान और तेलगू भाई दोनों समझते हैं, अथवा यह कि वह देहातियों के लिये हिन्दी की अपेक्षा अधिक सरल

है ? इससे कौन सी समस्या हल होती है ? हिन्दुस्तानी वाले स्वीकार करें या न करें, परन्तु इसमें सन्देह करने की अब कोई गुजाइश नहीं रही कि ‘हिन्दुस्तानी’ का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से भाषा में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को धुसेड़ कर मुसलमानों को खुश करना है। परन्तु अफ़सोस ! यह उद्देश्य भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। शायद अब १०० में ७५ शब्द उर्दू के रखे जायँ !—और फिर पूरे १०० !!

‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ में प्रायः हिन्दी शब्दों के आगे कोष्ठकों में उनके उर्दू पर्याय, और उर्दू शब्दों के आगे कोष्ठकों में उनके हिन्दी पर्याय दिये जाते हैं। इस प्रकार शब्दों के जोड़े दे कर हिन्दुस्तानी वालों ने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि ‘हिन्दुस्तानी’ कोई अलग चीज नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं जो हिन्दी और उर्दू दोनों से भिन्न हो और सबकी समझ में आती हो, और ‘हिन्दुस्तानी’ कोई भाषा नहीं, वह हिन्दी और उर्दू सिखाने का सबक भले ही हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हिन्दुस्तान में ‘एतकाद’ ‘तहरीक’ और ‘कफ़ारा’ जैसे शब्दों को कोषों में से छोट-छोट कर फिर उन्हें उनके पुराने, प्रचलित स्वदेशी पर्यायों द्वारा सिखाने का नाम ही ‘राष्ट्रीयता’ है।

गांधीजी ने ‘उत्तर की बोलचाल’ का हवाला दिया। दक्षिण की बोलचाल क्यों छोड़ दी ? उत्तर में भी बंगाल और आसाम को क्यों छोड़ दिया ? कौन सी भारतीय भाषा का ऐसा कौनसा शब्द है जो भारत के किसी न किसी भाग की बोलचाल में घर न कर चुका हो ? फिर भारत की राष्ट्र-भाषा में सब शब्दों को समान स्थान क्यों नहीं दिया जाता ? केवल ‘हिन्दी शब्द’ और ‘उर्दू शब्द’ ही क्यों ? कोष्ठक में केवल हिन्दी या उर्दू पर्याय ही क्यों दिया जाता है, सभी भारतीय पर्याय (जिनमें द्रविड़ पर्याय भी शामिल हैं) और अंगरेजी पर्याय भी (क्योंकि लाखों भारतीय, उत्तर में भी और दक्षिण

में भी, अँगरेजी भी बोलते हैं और इङ्गलिस्तानी में खड़ी बोली ही की क्रियाओं के साथ अँगरेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं) क्यों नहीं दिये जाते ? साफ़-साफ़ यह घोषित क्यों नहीं कर दिया जाता कि 'हिन्दुस्तानी' से तात्पर्य केवल खड़ी बोली की क्रियाओं और विभक्तियों में है, जोय शब्द चाहे जो हों ? हमें धोर दूख है, राष्ट्र-भाषा यज्ञ को पूर्ण होने से पूर्व उसे उसे आरम्भ करने वाले ने ही भ्रष्ट कर दिया !

'हरिजनसेवक' के उर्दू-लिपि वाले सस्करण के विषय में इतना और कहना पर्याप्त होगा कि उसे पढ़ना भी सरल नहीं, समझना तो वाद की बात है। जो पाठक संस्कृत या हिन्दी पढ़ा हुआ नहीं है, वह इसे नहीं पढ़ सकता। इसमें आये हुये हिन्दी संस्कृत शब्दों को पारखी ही पहचान सकते हैं। पहचानने पर भी उनका शुद्ध रूप उन्हें तब तक नहीं मालूम हो सकता जब तक उन्हें अलग से न बताया जात या वे पहले से न जानते हों। यह है हम 'राष्ट्र-लिपि' में 'राष्ट्र-भाषा' का हाल।

'हरिजनसेवक' एक बात और स्पष्ट कर रहा है। वह यह कि हिन्दुस्तानी वाले हिन्दी का (और उर्दू का भी) अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। उनका यह कहना कि हिन्दी (और उर्दू) प्रान्तीय भाषा के बतौर अपने क्षेत्र में फल फूल सकती है, झूठ और मुलावा मात्र है। वह इससे जाना जा सकता है कि गांधीजी अपना पत्र 'हरिजन' अँगरेजी के अतिरिक्त गुजराती, मराठी, आदि प्रान्तीय भाषाओं में तो (प्रत्येक भाषा के अपने अपने परम्परागत शुद्ध रूप में) निकालते हैं, परन्तु 'हिन्दी' में नहीं निकालते। 'हिन्दी' के स्थान में निकालते हैं देवनागरी-'हिन्दुस्तानी' में जिसका हाल ऊपर बतलाया गया है। यदि 'हिन्दुस्तानी' का उद्देश्य, जैसा कि गांधीजी ने स्वयं कहा है, हिन्दी (और उर्दू) को मिटाना नहीं है और यदि यह सत्य है कि 'हिन्दुस्तानी' में केवल अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार होगा और वह किसी प्रान्तीय भाषा का स्थान नहीं लेगी, तो या तो 'हरिजन' को केवल

‘राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी’ में ( और किसी भी प्रान्तीय भाषा में नहीं ) निकालना चाहिये था और या उसे अन्य प्रान्तीय भाषाओं की भाँति हिन्दी में भी निकालना चाहिये था, हिन्दी के अतिरिक्त ‘हिन्दुस्तानी’ में निकाला जाता अथवा न निकाला जाता । यदि गाधीजी यही समझते हैं कि ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ हिन्दी में अधिक व्यापक है, तो वे ‘हरिजनसेवक’ को हिन्दी में भी निकाल कर हिन्दी ‘हरिजन सेवक’ की और देवनागरी-‘हिन्दुस्तानी’ ‘हरिजनसेवक’ की बिकने वाली प्रतियों की संख्याओं का मुकाबला करके देख ले । ( उर्दू के साथ भी यह कर के देख लें । ) सत्य के पुजारी को हमारी यह सत्य की चुनौती है । वे हमारी चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो हम ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ को गाधीजी की व्यक्तिगत जिद और हिन्दी के प्रति अन्याय, हिन्दी के अस्तित्व पर कुठाराघात, माहित्यिक अत्याचार एवं अनाचार मानने के लिये वाच्य होंगे । एक अमन्य के लिये आग्रह ‘सत्य-आग्रह’ नहीं कहा जा सकता ।

×

×

×

×

हिन्दी पत्रों से एक विशेष निवेदन करना आवश्यक जान पड़ता है । हिन्दी पत्र-पत्रिकायें प्रायः ‘हरिजनसेवक’ से अवतरण, लेख, आदि ज्यों की त्यों उद्धृत करती हुई देखी जाती हैं । वे ऐसा शायद उसके गाधी जी के पत्र होने के कारण करती हैं । ‘हरिजनसेवक’ के लेखों का अवश्य विशेष महत्त्व है, परन्तु उन्हें क्यों का क्यों अर्थात् मूल ‘हिन्दुस्तानी’ में क्यों उद्धृत किया जाता है ? ‘हिन्दुस्तानी’ यदि हिन्दी से भिन्न कही और बतलाई जाती है, और ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ हिन्दी से भिन्न है भी, तो वह हिन्दी के पत्र में कैसा स्थान पा सकती है ? हिन्दी पत्रों को नद्वैव ‘हरिजनसेवक’ के लेखों, आदि को हिन्दी में रूपान्तरित करके देना चाहिये । उन्हें शायद यह लालच होगा कि वे गाधी जी के विचार उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की भाषा में ( या उन्हीं की ‘हिन्दुस्तानी’ में ) दे रहे हैं, परन्तु बात ऐसी

भी नहीं है। गांधी जी अपने अधिकांश मूल लेख गुजराती या अंगरेजी में लिखते हैं। 'हरिजनसेवक' में उनका 'हिन्दुस्तानी' विशेषज्ञों द्वारा किया हुआ 'हिन्दुस्तानी' अनुवाद भर रहता है (लेखों के नीचे इसका उल्लेख भी रहता है) \*। ऐसी स्थिति में हिन्दी पत्रों के सम्पादक गांधी जी के मूल लेख में अपनी हिन्दी में अनुवाद करके क्यों नहीं छापते ? यदि वे मूल लेख तक जाना नहीं चाहते या मूल लेख से अनुवाद नहीं कर सकते, तो 'हरिजनसेवक' में दिये हुये 'हिन्दुस्तानी' अनुवाद से ही अपनी हिन्दी में अनुवाद करके दें। वे किसी दूसरे की 'हिन्दुस्तानी' को अपनी हिन्दी पर तरजीह क्यों देते हैं ? जग सी आरामतलवी में आकर वे हिन्दी को विकृत करने में योग्य न दें। हिन्दी पत्रों में 'हिन्दुस्तानी' के लेख, अवतगण, आदि देने के विषय में बहुत कुछ पहले कहा जा चुका है†।

---

\* 'हरिजनसेवक' में गांधीजी के अतिरिक्त अधिकांश अन्य लेखकों के मूल लेख भी 'हिन्दुस्तानी' में लिखे हुये नहीं होते बल्कि मूल लेखों का 'हिन्दुस्तानी' अनुवाद होता है।

† देखिये पृष्ठ २६-२७ और १६२-१६३।

---

# परिशिष्ट १५

## हिन्दुस्तानी का उद्गम

( लेखक—प० रामचन्द्र शुक्ल )

साहित्य किसी जाति की रक्षित वाणी की वह अखंड परंपरा है जो उसके जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुई जगत् की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अतर्विकास करती चलती है। उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि उसके दीर्घ इतिहास में कालगत विभिन्नताओं के रहते हुए भी यहाँ से यहाँ तक एक ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है। जब कि साहित्य व्यक्त वाणी या वाग्बिभूति का सचित भंडार है तब पहले भाषा ही पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। व्यक्त वाणी का यह सचय अमभ्य जातियों में तो केवल मौखिक रहता है, पर सभ्य जातियों में पुस्तकों के भीतर हिफाजत के साथ बढ रखा जाता है। मौखिक अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता, पर पुस्तकस्थ होकर हजारों वर्ष तक चला चलता है।

साहित्य की अखंड दीर्घ परंपरा सम्यता का लक्षण है। यह परंपरा शब्द की भी होती है और अर्थ की भी। शब्द परंपरा भाषा को स्वरूप देती है और अर्थ परंपरा साहित्य का स्वरूप निर्दिष्ट करती है। ये दोनों परंपराएँ अभिन्न होती हैं। इन्हें एक ही परंपरा के दो पक्ष समझिए। किसी देश की शब्द-परंपरा अर्थात् भाषा कुछ काल तक चलकर जो अर्थ-विधान करती है वही उस देश का साहित्य कहलाता है। कुछ काल तक लगातार चलते रहने से शब्द-परंपरा या भाषा को भी एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाता है

और अर्थ-परंपरा या साहित्य को भी । इस प्रकार दोनों के स्वरूपों का माम-जन्य रहता है । इस मामजन्य में यदि बाधा पड़ी तो साहित्य देश की प्राकृतिक जीवन-धारा में विच्छिन्न हो जायगा और जनता के हृदय का स्पर्श न कर सकेगा । यदि अर्थ-परंपरा का स्वरूप बनाए रखकर शब्द-परंपरा का स्वरूप बदला जायगा तो परिणाम होगा “कोयल का नगमा” और “महात्मा जी के अलप्राज” । यदि शब्द-परंपरा स्थिर रखकर अर्थ-परंपरा या वस्तु-परंपरा बदली जायगी तो आप के सामने “स्वर्ण अबसर” आएगा, “हृदय के छाले” फूटेंगे और “दुपट्टे फाड़े जायेंगे ।”

भाषा या साहित्य के विशिष्ट स्वरूप प्राप्त करने का अभिप्राय यह नहीं है कि उसमें बाहर से आए हुए नए शब्द और नई नई वस्तुएँ न मिलें । उनमें नए नए शब्द भी बराबर मिलते जाते हैं और नए नए अर्थों या वस्तुओं की योजना भी होती जाती है, पर इस मात्रा में और इस तब में कि उसका स्वरूप अपनी विशिष्टता बनाए रहता है । हम यह बराबर कह सकते हैं कि वह हम देश का, इस जाति का और इस भाषा का साहित्य है । गंगा एक क्षीण धारा के रूप में गगोत्तरी से चलती है मार्ग में न जाने कितने नाले, न जाने कितनी नदियाँ उनमें मिलती जाती हैं, पर सागर-संगम तक वह 'गंगा' ही कहलाती है, उसका 'गंगापन' बना रहता है ।

हमारे व्यावहारिक और भावात्मक जीवन से जिस भाषा का संबंध सदा से चला आ रहा है वह पहले चाहे जो कुछ कही जाती रही हो, अब हिन्दी कही जाती है । इसका एक एक शब्द हमारी सत्ता का व्यञ्जक है, हमारी संस्कृति का संपुट है, हमारी जन्मभूमि का स्मारक है, हमारे हृदय का प्रतिबिंब है, हमारी बुद्धि का बैभव है । देश को जिस प्रकृति ने हमारे हृदय में रूप-रंग भरा है उसी ने हमारी भाषा का भी रूप रंग खड़ा किया है । यहाँ के वन, पर्वत, नदी, नाले, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी सब इसी हमारी बोली में अपना परिचय देते हैं और अपनी ओर हमें खींचते हैं । इनकी सारी रूप-

छटा, सारी भावभगी हमारी भाषा में और हमारे साहित्य में समाई हुई है। यह वही भाषा है जिसकी धारा कभी संस्कृत के रूप में बहती थी, फिर प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में और इधर हजार वर्ष से इस वर्तमान रूप में—जिसे हिंदी कहते हैं—लगातार बहती चली आ रही है। यह वही भाषा है जिसमें सारे उत्तरीय भारत के बीच चंद और जगनिक ने वीरता की उमंग उठाई, वीर, सर और तुलसी ने भक्ति की धारा बहाई, विहारी, देव और पद्माकर ने शृंगार रस की वर्षा की, भारतेन्दु हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र ने आधुनिक युग का आभाम दिया और आज आप व्यापक दृष्टि फैलाकर संपूर्ण मानव-जगत् के मेल में लानेवाली भावनाएँ भर रहे हैं। हजारों वर्ष से यह दीर्घ परंपरा अखंड चली आ रही है। ऐसी भव्य परंपरा का गर्व जिसे न हो वह भारतीय नहीं।

हमारा गर्व यह सोचकर और भी बढ़ जाता है कि यह परंपरा इतनी प्रबल और शक्तिशालिनी सिद्ध हुई कि इधर मौ वर्ष से—अर्थात् अंग्रेजी राज्य के पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाने के पीछे—इसे बढ़ करने के तरह तरह के प्रयत्न कुछ लोगों के द्वारा समय समय पर होते आ रहे हैं, पर यह अपना मार्ग निकालती चली आ रही है। इस विरोध का मूल हमारे उन मुसलमान भाइयों की निर्मूल आशका है जो अपनी भाषा और अपने साहित्य को विदेशी सौंचे में ढाल कर अपने लिये अलग रखना चाहते हैं। यदि वे अपनी भाषा और अपने साहित्य की एक अलग परंपरा रखना चाहते हैं तो हमारे लिये यह प्रसन्नता की बात है। इधर अपनी भाषा की छटा, अपने साहित्य की चिभूति हमारे सामने रहेगी, उधर उनके साहित्य के चमत्कार से भी हम अपना मनोरजन करेंगे। यही मौका उन्हें भी रहेगा। मनोरजन के क्षेत्र एक से दो रहें तो और अच्छी बात है। यही स्थिति मुसलमानी अमलदारी में रही है। दिल्ली और दक्खिन के बादशाह फारसी कविता का भी आनंद लेते थे और परंपरागत हिंदी कविता का भी। फारसी के स्थान पर जव उर्दू की शायरी होने लगी तब भी यही बात रही। अनेक-



रूपता का नाम ही ससागर है। सौंदर्य की विभूति अनेक रूपों में प्रकट होत है। महद्दय उन मय में आनन्द का अनुभव करते हैं। अकबर की बात छोड़ दीजिये जो आप कभी-कभी हिंदी में कविता करता था, श्रीगजेव तक के दरबार में जाकर हिंदी कवियों का कविता सुनाना प्रसिद्ध है। रहीम, रसखान, गुलाम नवी इत्यादि का नाम हिंदी के अच्छे कवियों में है।

यहाँ तक नहीं, अपनी धार्मिक भावनाओं की व्यजना के लिये भी मुसलमान यहाँ की परंपरागत भाषा को बराबर काम में लाते थे। हमारे हिन्दी काव्य के इतिहास में सूफ़ी कवियों का एक वर्ग ही अलग है, जिसके अंतर्गत कुतबन, जायसी, उममान, नूरमुहम्मद इत्यादि दर्जना कवि हुये हैं। उन्होंने हमारी ही प्यारी बाली में हमारे ही काव्यों की पदावली में, जिसमें संस्कृत का पुट बराबर रहता आया है, प्रेम-कहानियाँ लिखी हैं।

यह देखना चाहिये कि हमारी भाषा और हमारे साहित्य में वह कौन-सी वस्तु है, जो अब हमारे मुसलमान भाइयों को नापसंद है। इधर उनकी ओर में जो लेख आदि निकल रहे हैं उनसे पता चलता है कि भाषा में न पसंद आने वाली वस्तु हैं संस्कृत के शब्द और साहित्य में भारतीय दृश्य, भारतीय रीति-नीति और भारतीय इतिहास-पुराणों के प्रसंग। इस सब में हमारा नम्र निवेदन यह है कि जिस देश का साहित्य होगा उस देश की परंपरागत भाषा, उस देश के प्राकृतिक स्वरूप, रीति-नीति, कथा-प्रसंग आदि से वह कैसे दूर रह सकता है ?

अब थोड़ा यह भी देखिये कि पुराने मुसलमान भाइयों ने अपने वर्ग के लिये एक अलग साहित्य निर्माण करने में उसका क्या स्वरूप रखा था, और कितने दिनों तक वह स्वरूप वे बनाए रहे। हिंदी में थोड़े से अरबी, फ़ारसी शब्द मिलाकर अपने साहित्य के लिये जो भाषा उन्होंने ग्रहण की, वह 'रेखता' कहलाती थी। जो हिंदी उन्होंने ली थी वह केवल व्यवहार और बोल-चाल की हिंदी न थी, परंपरागत काव्यों और गीतों की हिंदी

भी थी, जिसमें बहुत चलते सस्कृत शब्दों के साथ-साथ ठेठ घरेलू शब्द भी रहते थे।

यह तो हुई कविता और साहित्य की बात। सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह है कि सर्वसाधारण मुसलमान जनता में इसलाम के धार्मिक सिद्धान्तों के प्रचार के लिये चार सौ वर्ष पहले जिस भाषा का प्रयोग वे अपनी किताबों में करते थे, उसमें यहाँ के धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में आनेवाले इन्द्रिय, विकार आदि शब्द तक भी कभी-कभी लाते थे—

( १ ) मराहना नेवाजना खुदा को बहुत कि वो पालनहारा है आलम का ( शरह मरगुबुल कलूब-शाह मीराँजी बीजापुरी मन् १४६५ के पहले )।

( २ ) सवाल—यह तन अलाघा ( अलहद. ) बल्कि सततर ( स्वतत्र ) विकार रूप दिखता है। एक तिल करार नहीं ज्यां मरकट रूप।

जवाब—ऐ आरिफ, जाहिर तन के फेल से गुजरया व नातिन करतव विपै ? दूसरा तन सो भी कि इस इन्द्रियन का विकार व चेष्टा करनहारा. सुख-दुख भोगनहारा। जेता विकार रूप वही दूसरा तन .. । यह तन क्रहम सँ गुजरया तो गुन उसका क्यों रहे ?

( कलामतुल हफायक, शाह वुरहानुद्दीन बीजापुरी सन् १५८२ )

उर्दू के इतिहास-लेखक उर्दू का उत्थान बीजापुर और गोलकुडा की दक्खिनी रियासतों से मानते हैं। वहाँ शीया मुसलमानों की अधिक बस्ती थी। इससे इमाम हुसैन की कथा को लेकर दक्खिनी उर्दू के कवियों ने कई मसनवियों या प्रबन्ध-काव्यों की रचना की। इनमें से एक का नाम है 'करबल-कथा' ( करबला की कथा )। यह 'कथा' शब्द भला आजकल उर्दू में कभी जगह पा सकता है ? शृङ्गार की प्रेम-कहानियों की रचना भी दक्खिनी उर्दू में बहुत कुछ हुई है। जैसे 'बजही' की 'मसनवी कुतुब-मुशतरी' जिसकी पद्य-रचना का रूप देखिए—

न मुहँ पर वसे वह न अममान मे ।  
 रहा शाह उसी नार के वान मे ॥  
 भुलाई चंचल धन व यो शाह केँ ।  
 कि लुभवाए ज्यां कहखा काह केँ ॥  
 लग्या शाह उसासँ भरन आह मार ।  
 कि नजदीक ना हँ व गुनवत नार ॥

‘वजही’ की गजल का नमूना यह है—

पिउ अपने केँ आज मैं निस सपने देखी सोयकर ।  
 जब पिउ चलिया सेति सेज तत्र सोते उट्टी रोयकर ॥  
 ना पूछँ वहमन जोयमी कब मिलना पिउ सौं होयसी ।

‘वजही’ का रचना काल सन् १६०० से १६३५ तक माना जाता है । इसके उपरांत सन् १६५० के लगभग ‘नसरती’ का समय आता है, जो कुछ दिनों तक तो दक्खिनी शायरी की उपर्युक्त परम्परा पर चला पर आगे चल कर वह ‘हिन्दवीपन’ को बहुत कुछ दूर हटाकर फारसी रूप देने में लगा । अपना यह प्रयत्न उसने स्पष्ट स्वीकार किया है और कहा है—  
 “दखिन के शायगं की मैं रबिश पर शेर बोल्या नहीं ।” एक स्थान पर और कहता है—

“मअरानी की सूरन की है आरसी ।  
 दखिन का किया शेर जूँ फारसी ।  
 फसाहत में गर फारसी खुश क्लाम ॥  
 वरे फख हिन्दी वचन पर मुदाम ।  
 मैं इस दो हुनर के खुनामों को पा ॥  
 किया गेर ताज दोनों फन मिला ॥”

‘नसरती’ ने जो रास्ता दिखलाया उस पर कुछ लोग धीरे धीरे चलाने लगे, पर दक्खिनी शायरी की देशी परम्परा कुछ दिनों तक चलती रही ।

सन् १६६१ ई० मे अफ़ज़ल ने हिन्दी-गीतकाव्य-परम्परा के अनुसार 'वारह-मासा' लिखा जिसकी भाषा इस ढंग की है—

सखी रे, चैत रिनु आई सुहाई । अजहुँ उग्मीद मेरी वर न आई ।  
रहे हैं भँवर फूलों के गले लाग । मेरे सीनः जुदाई की लगी आग ।  
सखी दिन रैन मुझ नागिन डसत है । फिरूँ दौरी तमामै जग हँसत है ।

सन् १७०० के पीछे बली ने और दक्खिनी शायरों के समान कुछ दिना तक हिन्दीपन को रहने दिया । उसकी उन रचनाओं मे हिन्दी-काव्य-परम्परा के कुछ शब्द, भारतीय कथा-प्रसंगों के कुछ संकेत, प्रेम-व्यापार में स्त्री पुरुष का भेद आदि कुछ बातें बनी रहीं । जैसे—

इस रैन अधेरी मे मत भूल पडूँ तिससूँ ।  
टुक पाँव के विछुवाँ की आवाज़ सुनाती जा ॥  
मुझ दिल के कवूतर कौँपकडा ह तेरी लट ने ।  
यह काम धरम का है टुक इसको छुडती जा ॥  
तुझ मुख को परस्तिश में गई उम्र मेरी सारा ।  
ऐ व्रत का पुजनहारा इस व्रत को पुजाती जा ॥  
मुख बात बोलता हूँ शिक्व, तेरे कपट का ।  
तुझ नैन देखने को दिल ठाँठ कर चुका था ॥

पीछे शाह सादुल्लाह गुलशन ने 'बली' को हदायत की कि "ये इतने प्रारसी व मजमून जा वेकार पडे हैं, इन्हे काम मे ला" । फिर तो बली ने अपना रुख ही पलट दिया और वे इस तरह के कलाम सामने लाने लगे—

जब सनम को खयाले वाग़ हुआ । तालिवे नश्शए फ़राग़ हुआ ।  
फ़ौज उश्शाक़ देख हर जानिब । नाज़नी साहवे दिमाग़ हुआ ।  
अश्क़ सूँ तुझ लवों की सुरखी के । जिगर लालः दाग़ दाग़ हुआ ।  
पहले के दक्खिनी शायर तो देश श्रुको ति-रुचि के अनुसार जगह को

'जावा' और 'अलहद.' को 'अलाघा' तक लिखते थे। फारसी शब्दों के बहुवचन आदि हिंदी व्याकरण के अनुसार रखते थे, पर चली ने 'आगिक' का बहुवचन अरबी के कावटे पर 'उशशाक' रखा है और फ़ारसी ग़माम के ढंग पर 'नशए-फ़राग' और 'साहवे दिमाग'। चली सन् १७०० ई० में दिल्ली आए। कायम ने सन् १७२० ई० में चली के दीवान का दिल्ली पहुँचना लिखा है।

यहाँ से अब दिल्ली के शायरों की परंपरा उर्दू साहित्य में चली है। सन् १७०० ई० में दिल्ली में हातिम नाम के एक शायर थे। इन्होंने फिर हिंदी के शब्दों की छँटाई की, जिसका चर्चान उन्होंने आप ही इस प्रकार किया है—

“लस्तान अरबी व जवान फ़ारसी के करीबुलफ़हम व करीबुल इस्तअमाल वाशद व गोजमर्दा देहली कि मिर्जायाने हिंद व फ़सीहाने रिंद दर महाफ़ दाग़द मंजूर दाश्त”। मिषाए आँ जवान हिंदची कि आँग भाखा गोपद मौकफ़ करद”।

तात्पर्य यह कि हातिम ने अरबी फ़ारसी के शब्द ला लाकर रखे और हिंदी या भाषा के शब्दों को निकाल फेंका। अरबी-फ़ारसी के बीच हिंदी के वे ही शब्द और मुहावरें रहने पाये जिन्हें शाहजादे और मरदार लोग दरबार में बोलते थे। इस प्रकार उर्दू एक दरबारी भाषा भर रह गई। इतना होने पर भी इनको कविताओं में भारतीय कथा-प्रसंगों के संकेत पाए जाते हैं—

खुदा के नूर का मथकर समुन्दर। वही चौदह रतन काटे हैं बाहर।

अगर फ़हमीद हिकमत आशना है। इसीनुसखे में चौदह विद्या है ॥

हातिम ही के समय में उर्दू के महाकवि 'सौदा' हुए हैं, जो पहले हिन्दी-पन से सटी हुई शायरी ही नहीं सर्व-साधारण में प्रचलित हिन्दी भाषा की कविता भी करते थे और अच्छी करते थे। कुछ उद्धृत किए बिना आगे नहीं बढ़ते बनता।

सौदा की हिन्दी गजल—

निकल के चौखट से घर की प्यारे जो पट की ओभल ठिठकर रहा है,  
 सिमट के घट से तेरे दरस को नयन में जी आ अटक रहा है।  
 अग्नि ने तेरे विरह की जव से झुलस दिया है कलेजा मेरा,  
 हिये की घड़कन में क्या बताऊँ यूँ कोयला सा चटक रहा है।  
 जिन्हों की छाती से पार बरछी हुई है रन में वो सूरमा है,  
 पड़ा वो सावत मन मे जिसके विरह का काँटा खटक रहा है।  
 मुझे पसीना जो तेरे मुख पर दिखाई दे है तो सोचता हूँ,  
 व क्योंकि सूरज की जोत आगे हर एक तारा छटक रहा है।  
 हिलोरी यो लेती ओस की बूँद लग के फूलों की पखड़ी से,  
 तुम्हारे कानों मे जिस तरह से हर एक मोती लटक रहा है।  
 कहीं जो लग चलने साथ देता हो इस तरह का कटर है पापी,  
 न जानूँ पेड़ी की धूल मैं हूँ जो मुझ से मुल्ला भटक रहा है।  
 कभू लगा है न आते जाते जो बैठकर टुक इसे निकालूँ,  
 सजन, जो काँटा है तुझ गली का सो पग में मेरे भटक रहा है।  
 कोई जो मुझमे य पूछता होय क्यों नू रोता है कह तो हमसे,  
 हर एक आँसू मेरे नयन का जगह जगह सिर पटक रहा है।  
 गुनी हो कैसा ही ध्यान जिसका तेरे गुनो से लगा है प्यारे,  
 ग्यान परबत भी है जो उसका तो छोड़ उसको सटक रहा है।  
 जो बाट मिलने की होय उसका पता बता दो मुझे मिरीजन,  
 तुम्हारी बटियों में आज बरसों से यह बटोही भटक रहा है।  
 जो मैंने 'सौदा' से जाके पूछा तुझे कुछ अपने भी मन की सुधबुध,  
 य रोके मुझसे कहा किसी की लटक मे लट की लटक रहा है।

सौदा के हिन्दी दोहे—

कारी रैन डरावनी, घर तें होई निरास।

जगल में जा सो रहे, कोऊ आम न पास ॥  
 बैरी पहुँचें आइके, तेरी देहली पाम ।  
 वेग खबर लो या नवी ! अत्रपत की नहिँ आस ॥  
 खीभ खीभ चहुँ ओर से, पडे वह जालिम दूट ।  
 बेबो को टरपाय के, ले गए घर को लूट ॥  
 कहे हरम सर पीट कर, खोकर अपनी लाज ।  
 माटी में तूरल गयो, टीन दुनी के लाज ॥  
 खोथौ तैने नीर बिन, नवी के मन को चैन ।  
 जालिम तेरे हाथ से, प्यासो गयो हुसैन ॥

उक्त दोहे मरसियों में आ गए हैं । उन्हीं में से अलग किए गए हैं । सौदा की पहेलियों की भाषा हिन्दी है । पर उनकी और सत्र रचनाएँ हातिम की ही सरणी पर चलती हैं । उर्दू की शायरी में जो थोड़ा बहुत हिन्दीपन लुका छिपा था, वह लखनऊ जाने पर नासिख के हाथ से दूर किया गया । फिर तो वह हिन्दी से ऐसी हटी कि उसने अपना एक दायरा ही अलग कर लिया । उस दायरे से जगत, चचल, नार, गुन, अकास, घरम, धन, करम, दया, वीर, बली ऐसे शब्द एकदम निकाल बाहर हुए । इसी प्रकार वस्तुओं में न कमल और न भँवरे रह गए, न वसत और कोकिल, न बर्षा ऋतु रह गई न सावन की हरियाली, न भीम और अर्जुन रह गए, न कर्ण और भोज । इस प्रकार यहाँ की परम्परागत भाषा के आवे हिस्से से और परम्परागत साहित्य के सर्वांश से अर्थात् देश के सामान्य जीवन से उर्दू दूर हटा दी गई । जबरदस्ती जान वूझकर हटाई गई, आप से आप नहीं हटी ।

उर्दू के इस रूप में आने का परिणाम यह हुआ, कि अपना प्रसार करने की स्वाभाविक शक्ति उसमें न रह गई । वह अपने को बनाये रखने के लिये मकतबों और सरकारी दफ्तरों की मुहताज हो गई । यह बात अँगरेजी अमलदारी के प्रतिष्ठित हो जाने पर हमारे नवशिक्षित मुसलमान भाइयों का

स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगे और वे उसकी रक्षा और प्रसार के कृत्रिम साधनों का अबलम्बन करने में लगे। मुसलमानी अमलदारी में सरकारी दफ्तर फारसी में थे। अतः ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी कुछ दिनों तक सरकारी दफ्तरों की जवान फारसी हीं रहने दी। पर पीछे अधिकारियों को यह बात खटकने लगी कि दफ्तरों की भाषा सर्वसाधारण की भाषा से बिलकुल अलग है। उनका ध्यान देश की प्रचलित भाषा की ओर गया। १८३६ ई० में हमारे सयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड से एक इश्तहारनामा निकला, जो इस प्रकार था—

### इश्तहारनामः बोर्ड सदर—

पच्छाँह के सदर बोर्ड के साहबों ने यह ध्यान किया है, कि कचहरी के सब काम फारसी जवान में लिखा पढा होने से सब लोगों को बहुत हर्ज पड़ता है और बहुत कलप होता है, और जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में लिख के सरकार में दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी। सब को चैन आराम होगा। इसलिये हुक्म दिया गया है कि सन् १२४४ की कुवार बदी प्रथम से जिसका जो मामला सदर बोर्ड में हो सो अपना अपना सबाल अपनी हिन्दी की बोली में और फारसी के नागरी अञ्छरन में लिख के दाखिल करे कि डाक पर भेजे और सबाल जौन अञ्छरन में लिखा हो तौने अञ्छरन में और हिन्दी बोली में उसपर हुक्म लिखा जायगा। मिति २६ जुलाई सन् १८३६ ई०।

खेद की बात है कि यह व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमान भाइयों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी खुसने न पाये, उर्दू चलाई जाय। अन्त में सन् १८३७ ई० में उर्दू दफ्तरों की भाषा कर दी गई। इसके उपरान्त जब सर्वसाधारण की शिक्षा के लिये सरकार की ओर से जगह जगह मदरसे खुलने की बात उठी और सरकार ने यह निश्चय किया कि संस्कृत की कक्षाएँ तोड़ दी जायँ और हिन्दी भाषा का पढना सब विद्यार्थियों



के लिये आवश्यक कर दिया जाय, तब भी मुसलमान भाइयों की ओर ने विरोध बढ़ा किया गया और मन् १८८८ में उनकी प्रेरणा से कंपनी को सरकार ने यह आज्ञा निकाली कि "ऐसी जवान का इल्म तमाम तुलवा के लिये लाजिम कर देना जो मुल्क की सरकारी और टफ्तगी जवान नहीं है, हमारी गय में दुरुस्त नहीं। अलाव, इसके मुसलमान तुलवा जिनकी तादाद इस देहली कालेज में बढ़ी है, इसे अच्छी नजर से नहीं देखेंगे।" हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई। यहाँ तक कोशिश की गई कि बर्नार्क्यूलर स्कूलों में उसकी शिक्षा जारी ही न होने पाये। हिंदी की रक्षा के लिये गजा शिवप्रसाद को कितना यत्न करना पड़ा था, यह हिंदी प्रेमी मात्र जानते हैं। सरकार की ओर से ज्ञान की वृद्धि के लिये एक संस्था (Society for the promotion of knowledge in India through the medium of vernacular language) स्थापित हुई थी, जिसका उद्देश्य था अंगरेजी, फारसी, संस्कृत आदि की पुस्तकों का देशी भाषा में अर्थात् हिंदी, उर्दू और बंगला में अनुवाद करना। पर उर्दू को छोड़कर न हिंदी में कोई अनुवाद होने पाया, न बंगला में।

सर सैयद अहमद साहब वास्तव में उर्दू को क्या समझते थे, यह उन्हीं की जवान से सुनिये। वे फरमाते हैं—“चूँकि यह जवान खास बादशाही वाजाओं में मुरब्बज थी इस वास्ते हमको जवान उर्दू कहा करते थे। और बादशाही अमीर-उमरा इसको बोलते थे। गोया हिन्दुस्तान के मुसलमानों की यह जवान थी”। इस प्रकार उर्दू को उन्होंने केवल दरबारी अमीर-उमरा और मुसलमानों की जवान तसलीम किया है।

मुसलमान किस तरह पहले अपने मजहब की तालीम के लिये थोड़ी अरबी-फारसी मिली एक खास ढंग की हिंदी काम में लाए, फिर धीरे-धीरे हिंदीपन निकालते निकालते बिल्कुल एक विदेशी ढाँचे की भाषा गढ़कर अपने लिखने की भाषा एकदम अलग करली, यह बात अब स्पष्ट हो गई

होगी। मुहम्मदशाह के समय तक इस नई गठी हुई भाषा का, जो पीछे उर्दू कहलाई, साहित्य-रचना के लिये प्रचार न हो सका था, इसका आभास हिंदी के सूफ़ी कवि नूरमुहम्मद ने अपनी उस पुस्तक में दिया है जो उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'इ द्रावती' के पीछे लिखी। पुस्तक का नाम है 'अनुराग-बॉसुरी'।\* नूरमुहम्मद के समय से मुसलमान देश की प्रचलित भाषा, हिंदी से किनारा खींचने लगे थे और मुसलमानों के लिये फारसी में रचना करना ही जायज समझने लगे थे। 'इ द्रावती' लिखने पर उन्हें उनके मुसलमान भाइयों ने यह कहकर फटकारना शुरू किया कि 'तुम मुसलमान होकर हिंदी में क्यों लिखने गए।' इसी से बेचारे को 'अनुराग-बॉसुरी' में अपनी सफाई इन शब्दों में देनी पड़ी—

जानत है वह सिरजनहारा। जो किछु है मन मरम हमारा ॥

हिंदू-मग पर पाँव न राखेउँ। का जौ बहुते हिंदी भाखेउँ ॥

जिसे उर्दू कहते हैं उसका उस समय साहित्य में कोई स्थान न था, यह नूरमुहम्मद के इस कथन से साफ़ भलकता है—

‡ कामयाब कहँ कौन जगावा। फिर हिंदी भाखै पर आवा ॥

छोँडि पारसी कद न बातै। अरुभाना हिंदी-रस-चातै ॥

जनता से अपने को विल्कुल अलग दिखाने के लिये मुसलमानों ने ही अपने लिये विदेशी ढाँचे की एक अलग भाषा और साहित्य खड़ा किया, यह इतनी प्रत्यक्ष बात है कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उर्दू की प्राचीनता दिखाने के लिये टक्खिनी शायरों की जो लंबी सूची मामने लाई गई है उसमें कोई हिंदू भी है? शायद एक या दो। और जाने दीजिये, 'आवे हयात' ही उठा लीजिये। उसमें सब के सब शायर मुसलमान ही तो हैं। अब और सबूत क्या चाहिए? इतने पर भी न जाने किस मुँह से यह

\* यह पुस्तक अप्रकाशित है।

‡ नूरमुहम्मद फारसी की रचनाओं में अपना तखल्लुस 'कामयाब' रखते थे।

कहा जाता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के मेल में उर्दू पैदा हुई। मेल से पैदा हुई चीज की यही सूरत होती है ?

आज मय से बढ़कर खेद तो तब होता है जब कोई कानून-पेशा हिंदू, पेट के पीछे जिसके घराने का लगाव देश की परंपरागत संस्कृति और साहित्य से बिल्कुल टूट गया हो, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा केवल फार्सी तथा अटालती भाषा उर्दू की हुई हो, किसी जलसे या मुशायरे में उर्दू को हिन्दू-मुसलिम कलचर के मेल से बज्रद में आई हुई एक मुश्तरक. जवान बताने लगता है। हम पूछते हैं कि जब तुम 'हिन्दूकलचर' में कोमों दूर पड गए हो तब उसका मेल कहाँ और कितना है, यह क्या पहचान सकते हो ? बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि के साहित्य की तुम्हें कुछ खबर है ? जब तुम ऐसे कूप-मद्भक हो कि अपने तग धरे के बाहर नजर ही नहीं फैला सकते, तब इस रोशनी के जमाने में चुप क्यों नहीं रहते ? साहित्य की जो देश-व्यापक परंपरा बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि और प्रांतों में चली आ रही है, वही परंपरा तो हिन्दी की भी है—अर्थ-परंपरा भी और शब्द परंपरा भी। इसी अर्थ-परंपरा और शब्द-परंपरा से इस देश की ढस बाराह करोड़ जनता परिचित है। इसी को वह अपना समझती आई है। जिसने उर्दू नहीं पढ़ी है उसे जरा अपनी 'मुश्तरक आम्रफ्रहम में कोई 'सयासी तकरीर' सुनाइए तो पता लगे। हमें सबसे बढ़कर जोभ उस समय हुआ था जब हिंदुस्तानी के किसी जलसे में एक साहब यह परमा गए थे कि "मैं तुलसी और कवीर को तो समझ लेता हूँ। पर आज कल की हिन्दी बहुत कम समझ पाता हूँ।" इस प्रलाम का भी कहीं ठिकाना है ? जो आजकल के साहित्य की भाषा नहीं समझता वह भला तुलसी की भाषा क्या समझेगा ? संस्कृत शब्दों की जो परंपरा सर, तुलसी आदि को रचनाओं में चली आई थी वही आजकल भी चली आ रही है।

जिस प्रकार 'हिन्दवीपन' निकाल निकालकर एक विदेशी ढाँचे की

भाषा खड़ी करने का क्रमबद्ध इतिहास है उसी प्रकार उम भाषा को सबके गले मढने के लिये हिन्दी को दूर रखने के घोर प्रयत्न का भी खासा इतिहास है, जो उस समय से शुरू होता है जब देश का पूरा शासन अँगरेजों के हाथ में आया। इन दोनों इतिहासों का मक्षेप में उल्लेख करके अब मैं वर्तमान परिस्थिति पर आता हूँ। अब तक शिक्षा का लक्ष्य अधिकतर सरकारी नौकरी रहा है। अतः इस बात का प्रयत्न बराबर होता रहा है कि दफ्तरों में हिन्दी न घुसने पाए। दफ्तरों की भाषा जब तक उर्दू रहेगी तब तक भ्रष्ट मार कर लोगों को अपने बच्चों को उर्दू की शिक्षा देने पर मजबूर कर देगी और यह कहने का मौका रहेगा कि उर्दू पढे लिखे लोगों की भाषा है। अगर दफ्तरों की भाषा होना ही प्रचलित भाषा होने का प्रमाण है तब तो फारसी भी, जो कई सौ वर्ष तक दफ्तरों की भाषा रही है, देश की प्रचलित भाषा मानी जानी चाहिए।

जिस समय उर्दू के साथ साथ—उसे हटाकर नहीं—हिन्दी को भी स्थान दिलाने के लिये सर एंटनी मैकडानल के समय में आदोलन उठा उस समय भी मुसलमानों की ओर से पूरा विरोध खड़ा किया गया। अदालतों से ही नहीं शिक्षा पद्धति से भी हिन्दी को हटाने के प्रयत्न बराबर होते रहे हैं, यह दिखाया जा चुका है। अब आज कल की परिस्थिति देखिए। जो लोग राजनीतिक दृष्टि से हिन्दू-मुसलिम एकता अत्यन्त आवश्यक समझते हैं वे एक बीच का रास्ता पकड़कर 'हिन्दुस्तानी' लेकर उठे हैं। इस हिन्दुस्तानी का समर्थन कुछ उदार समझे जानेवाले मुसलमान और उर्दू की गोद में पले हिन्दू भी कर रहे हैं। हम भोली भाला जनता को इस 'हिन्दुस्तानी' से सावधान करना अत्यन्त आवश्यक समझते हैं। जो हिन्दुस्तानी इन लोगों के ध्यान में है वह थोड़ी छुनी हुई उर्दू के मिजा और कुछ नहीं है। उर्दू के सब लक्षण—जैसे वाक्य-रचना की फारसी शैली, अरबी फारसी के अप्रचलित मुशी-फहम शब्द, अरबी-फारसी कायदे

के बहु-वचन—उसमें वर्तमान रहेंगे तब तो यह 'हिन्दुस्तानी' कहलाएगी,  
अन्यथा नहीं। —————

( काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित  
इसी नाम की पुस्तिका से )

---

## परिशिष्ट १६

### युक्त-प्रान्त की अदालतों की भाषा

( लेखक—रविशंकर शुक्ल )

कुछ दिन हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय की इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के सामने भाषण करते हुये युक्त-प्रान्त के न्याय-मन्त्री डा० काटजू ने कहा, "If I had the power to enact laws I would prohibit the use of even a syllable of English in the Courts." ( "यदि मेरे हाथ में कानून बनाने की शक्ति हो तो मैं अदालतों में अंगरेजी के एक शब्दाक्षर के भी प्रयोग का निषेध कर दूँ।" ) यदि यह शक्ति अभी उनके हाथ में नहीं है तो शीघ्र ही आने वाली है, और हमें आशा तथा विश्वास है कि वे यथासम्भव अर्थात् जहाँ तक हमारी अपनी भाषा में काम चल सकता है वहाँ तक अंगरेजी, अंगरेजी शब्दों और रोमन लिपि को अदालतों से निकालने में कसर न उठा रखेंगे। परन्तु क्या हम पूछ सकते हैं कि अदालतों में फ़ारसी और अरबी शब्द, फ़ारसी मुहावरे और गेली और फ़ारसी लिपि निकालने के विषय में उनके क्या विचार हैं और इस विषय में वे क्या करने का इरादा रखते हैं ? अंगरेजी, अंगरेजी शब्दों और रोमन लिपि को विदेशी और इसलिये बहिष्कार-योग्य और उनके प्रयोग को 'symbol of our slavery' ( उनके भाषण से उद्धृत ) बताने परन्तु अरबी-फ़ारसी शब्दों और लिपि को स्वदेशी और उनके प्रयोग को 'symbol of our freedom' बताने की चेष्टा तो शायद वे न करेंगे। उन्होंने अपने उसी भाषण में आगे कहा, "The Englishman's love

of liberty and love of all things English runs through all English literature This is something which we must emulate ' अदालतों के प्रकरण में वे स्वयं 'love of all things Indian' के आदर्श को किस प्रकार और कहाँ तक निभाने का इरादा रखते हैं ?

डॉ० काटजू ने अपने उसी भाषण में विद्यार्थियों पर " to study, master and use Hindustani as the vehicle of expression" के लिये जोर दिया। हम इस 'हिन्दुस्तानी' की परिभाषा चाहते हैं। क्या यह वही 'हिन्दुस्तानी' है जो युक्त-प्रान्त की अदालतों में सरकारी भाषा के तौर पर व्यवहृत हो रही है ? यदि नहीं, तो इस वर्तमान 'हिन्दुस्तानी' को निकाल कर अपनी मनचीती हिन्दुस्तानी, वह जो भी हो, को प्रतिष्ठित करने के विषय में उनका क्या विचार है, क्या इरादा है और क्या कार्यक्रम है ? इस 'हिन्दुस्तानी' का क्या स्वरूप होगा, कहाँ तक वह वास्तव में हिन्दुस्तानी होगी, उसे कौन गढ़ेगा और उसके पीछे क्या सँकशन होगा और उसकी लिपि क्या होगी, वह भी बताने की कृपा करें। इस प्रश्न को पूछने का कारण यह है कि हम युक्त-प्रान्त में किसी एसी 'हिन्दुस्तानी' से परिचित नहीं जो स्कूलों और कालेजों में पढ़ाई जाती हो और जिसे 'study' और 'master' करके हम उनके आदेश का पालन कर सकें और अपने को वन्द्य मानें। यदि 'हिन्दुस्तानी' में उनका मतलब युक्त प्रांत के गली-बूचों, हाट बाजारों, चौराहों और चौपालों में बोली जाने वाली बोली में है, तो उसे तो हम बोलते ही हैं और उसे 'study' और 'master' करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरे, हम साधारण व्यक्तियों की तुच्छ बुद्धि में यह भी नहीं आता कि अँगरेजी, जो 'symbol of our slavery' है, के स्थान में इस बोली का प्रयोग कैसे और क्योंकर करें, और माननीय मन्त्रियों से भी इस दिशा में हमें कोई सहायता नहीं

मिलती, कुछ पथ-प्रदर्शन नहीं होता। यदि 'हिन्दुस्तानी' से उनका तात्पर्य 'हिन्दी और / या उर्दू' ही है, तो चिरपरिचित और पुराने शब्दों 'हिन्दी' और 'उर्दू' के बजाय इस एक शब्द 'हिन्दुस्तानी' का प्रयोग क्या उन्होंने महज अपने आप को और औरों को धोखे और भुलावे में डालने के लिये किया था और करते हैं / फिर, अंगरेजी के स्थान में किसका प्रयोग करें— हिन्दी का या उर्दू का या दोनों का एक साथ, और किस लिपि का व्यवहार करें ? हिन्दी और उर्दू के कान पकड़ कर उन्हें एक करने की शक्ति तो उनमें या उनके आचार्य गांधी जी में है नहीं, और देवनागरी और फारसी लिपि को एक ही लिपि साबित करना अथवा 'फारसी' लिपि को हिन्दुस्तानी होने का सर्टीफिकेट दिलाना बड़े से बड़े कानूनी दिमाग की पहुँच के बाहर है। तीसरे, युक्त प्रान्त के लोग फिर किस 'हिन्दुस्तानी' के माध्यम से अपने विचार एक दूसरे के सामने रखेंगे और किस 'हिन्दुस्तानी लिपि' में एक दूसरे को लिखेंगे ? और किस 'हिन्दुस्तानी' और किस लिपि में अदालतों में सरकारी और गैर-सरकारी काम होगा ? यदि हिन्दुस्तानी और गैर-हिन्दुस्तानी का ख्याल न करके हिन्दी और उर्दू दोनों और 'दोनों लिपियों' में ही काम होगा, तो वह शुभ दिन कब आवेगा जब

( १ ) अदालतों के जजों से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारियों के लिये हिन्दी जानना और नियुक्ति से पहले उर्दू की परीक्षा के समान स्टैंडर्ड की हिन्दी विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य करार दिया जायगा और वर्तमान कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के भीतर हिन्दी की इस परीक्षा को पास करने का आदेश दिया जायगा, जिस आदेश को भंग करने के दंडस्वरूप उनकी पदोन्नति और वेतन-वृद्धि रोक दी जायगी ;

( २ ) अदालतों के सब रेकार्ड कानूनन हिन्दी में भी—केवल देवनागरी लिपि में नहीं बरन् हिन्दी भाषा में—रखे जायेंगे, और सब अदालती नोटिस हिन्दी में भी दिए जायेंगे तथा अन्य काम हिन्दी में भी होगा



( 'लीटर' में देवनागरी में छपे हुये 'Court Notices' की भाषा तो न्याय-मन्त्री ने देखी ही होगी—यह भी क्या बेचारी 'जनता' का टोप है और जनता के कर्ने की चीज है ? ),

( ३ ) डिप्रियों, अन्य अदालती कागजा, ग्राटि की मद्य नकलें दिना हील-टुञ्जत, रोक-टोक या बाधा के हिन्दी में सरलतापूर्वक मिल सकेंगी ,

( ४ ) सरकार की ओर से कानूनी पाठों के एक बोर्ड द्वारा अंगरेजी तथा उर्दू की मद्य कानूनी पुस्तकें तथा कानूनों का हिन्दी में अधिकृत अनुवाद कराया जायगा , और

( ५ ) अदालत के मद्य कागजां, पत्रों, हुक्मनामों, सम्मनों और फारमों, ग्राटि में देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जायगा ?

७ उदाहरण के लिये १५ अक्टूबर, १९४६ के 'लीटर' से देवनागरी में छपे हुये कोर्ट नोटिस की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं .

"— वाजेह हो कि मुद्दई ने आपके नाम एक नालिश दफा २२/६१ दायर की है, लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख १७ माह अक्टूबर सन् १९४६ व-वक्त १० बजे वसुकाम बलिया असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमा के हालात से करार वाकई वाकफ किया गया हो और जो कुल अमूर अहम मुतल्लका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हूजिये और जवाबदेही दावा की कीजिये—और हरगाह वही तारीख जो आपकी हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजवीज हुई है। पस आपको लाजिम है कि उस रोज अपने जुमला गवाहों को जिनकी शहादत पर नीज जुमला दस्तावेज जिन पर आप बतार्इद अपनी जवाबदेही के इस्तदालाल करना चाहते हैं उसी रोज पेश कीजिये। और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मज़फूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बरोर हाजिरी आपके मससूअ और फैसल होगा।

बसन्त मेरे दस्तखत और मोहर अदालत के आज बतारीख २८ माह ८ सन १९४६ ई० जारी किया गया।"

ये सब जनता के करने की नहीं, सरकार के करने की बातें हैं। जनता को यह कहकर धोखा नहीं दिया जा सकता कि सरकार ने तो हिन्दी को उर्दू के समकक्ष रख दिया है, हिन्दी में काम करने की छूट दे दी है, फिर जनता हिन्दी में काम क्यों नहीं करती? सोचने की बात यह है कि जनता हिन्दी में अधिक सुविधा का अनुभव करते हुए भी अदालती काम हिन्दी में क्यों, किस कारण, नहीं करती अर्थात् नहीं कर पाती और जनता की सरकार का क्या कर्तव्य है। यदि हमारे माननीय मंत्री आये दिन अँगरेजी का मौखिक विरोध और किसी अनजानी और अज्ञात 'हिन्दुस्तानी' की चकालत करके सस्ती नामचरी हासिल करने के बजाय थोड़ी साफ़ दिमागी से काम लें, स्पष्ट बोलें, स्वयं आदर्श रखें और अपने करने का काम पूरा करें, तो अँगरेजी और झूठी हिन्दुस्तानी को हटाकर सच्ची हिन्दुस्तानी को अपना पद प्राप्त करने में ज्यादा आसानी हो।

## परिशिष्ट १७

### हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम

( लेखक—रविशंकर शुक्ल )

१

गत वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय ने 'हिन्दुस्तानी' को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किया। उसकी देखा-देखी पटना विश्वविद्यालय ने भी यही निर्णय किया। यह 'हिन्दुस्तानी' क्या चीज है? वह कहां पढाई जाती है? क्या एक ऐसी भाषा जो स्कूलों और कालेजों में कहीं नहीं पढाई जाती विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम हो सकती है? दोनों में से किसी विश्वविद्यालय ने इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट करने का कष्ट नहीं किया। जरूरत भी क्या थी! 'हिन्दुस्तानी' का दम भर कर यूनीवर्सिटी कोर्ट के 'राष्ट्रीय' सदस्यों को कांग्रेसी नेताओं से चाहवाही लूटनी थी, वह उन्हें मिल गई, शेष यूनीवर्सिटी के अध्यापक जानें और जानें यूनीवर्सिटी के छात्र। अतः उनके प्रस्ताव से 'हिन्दुस्तानी' का अर्थ प्रकट होने की आशा करना बेकार है। प्रस्ताव से केवल यह पता चलता है कि 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी नहीं है और वह उर्दू भी नहीं है, और वह दोनों लिपियों में लिखी जाती है। याद रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय ने 'हिन्दुस्तानी' के लिये रोमन लिपि भी स्वीकृत की, अतः कहना पड़ेगा कि इन प्रस्तावों से 'हिन्दुस्तानी' के विषय में केवल इतना पता चलता है कि 'हिन्दुस्तानी' में और कुछ आता हो या न आता हो, खड़ी बोली की क्रियायें और विभक्तियाँ अवश्य रहती हैं, और वह देवनागरी, फारसी लिपि या रोमन लिपि में लिखी जाती है।

अध्यापक-गण भी केवल इतने से बाध्य हो सकते थे, अतः लखनऊ विश्व-विद्यालय मे इस समय जो पढाई 'हिन्दुस्तानी' मे हो रही है उसका नमूना यह है: "अगर एक बाडी पर दो ईकुअल फोसेंज आपोजिट डाइरेक्शन्स में ऐक्ट करें तो वह ऐट रेस्ट हो जाता है "। और इस समय लखनऊ विश्व-विद्यालय मे जो कुछ काम 'हिन्दुस्तानी' में हो रहा है वह सब रोमन लिपि मे हो रहा है। अध्यापकों या छात्रों को दोष देना बेकार है। 'हिन्दुस्तानी' की दोरथी माया में फँस कर वे इसके सिवा कुछ और कर ही नहीं सकते। हिन्दुस्तानी वालों की खोखली राष्ट्रीयता और हिन्दो और उर्दू का अन्तर न देखने की उनकी ज़िद का एक ही परिणाम हो सकता है—इंगलिस्तानी और रोमन लिपि का जयजयकार। और यही लखनऊ विश्वविद्यालय मे हो रहा है, और जब तक 'हिन्दुस्तानी' रहेगी तब तक होता रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता।

कुछ लोग कहेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने प्रस्ताव मे पाठ्य-पुस्तकें हिन्दी और उर्दू में तैयार करने का आदेश भी तो दिया है, और इसलिये इङ्गलिस्तानी के लिये कोई गु जाइश नहीं है। ठीक है, पर तो फिर 'हिन्दुस्तानी' क्या है? प्रस्ताव मे पाठ्य-पुस्तकों के विषय में जो कहा गया है, उसका तो यही अर्थ निकल सकता है कि 'हिन्दुस्तानी' से अभिप्राय हिन्दी+उर्दू से है। अगर यही बात है तो 'हिन्दुस्तानी' का ढकोसला किस लिये? सुपरिचित और अर्थ-युक्त नामो 'हिन्दी' और 'उर्दू' के वजाय 'हिन्दुस्तानी' नाम का प्रयोग करने की जरूरत? 'हिन्दी' और 'उर्दू' एक ही चीज तो हैं नहीं, फिर 'हिन्दुस्तानी', 'हिन्दुस्तानी' रट कर एकता का स्वर्ग भरने का कारण? फिर एक ही विश्वविद्यालय में एक ही दरजे में दो माध्यमो हिन्दी और उर्दू के द्वारा पढाई कैसे होगी?

शायद लखनऊ विश्वविद्यालय के 'हिन्दुस्तानी' माध्यम वाले प्रस्ताव की इसी चिचित्रता का अनुभव करके संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मंत्री ने कुछ दिन

द्वय ( मार्च, १९४० में ) प्राणिय प्रयोगशाला में कहा कि मैं 'हिन्दुस्तानी' को कामन उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दों में गठने के विषय पर विचार करने के लिये प्रान्त के विश्वविद्यालयों के पाठ्य-पुस्तकालयों को एक कार्यक्रम चुना रहा हूँ। प्रस्ताव में प्रयुक्त 'हिन्दुस्तानी' शब्द का यह महत्त्वपूर्ण प्रयोग पड़ना ही था। परन्तु आज तक तो 'हिन्दुस्तानी' बन न सकी। पाठ्य-पुस्तकालयों की कार्य-सूची का सम्बन्ध भंग जा रही, इसकी आशा कौन करेगी है ? हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों के श्रोत अलग, उर्दू के श्रोत भी 'हिन्दुस्तानी' के पारिभाषिक शब्द किन, उर्दू के श्रोत किन सिद्धान्तों के अनुसार बनाये जायें ? स्पष्ट है, हिन्दी भाषा और उर्दू भाषा के बीच में आज तक कोई सम्बन्धता हो सका है और न अलग हो सका है। क्या कहा है कि उस कार्यक्रम में भाँति भाँति के तर्कों के कारण का प्रस्ताव पेश किया जायगा कि 'हिन्दुस्तानी' के लिये उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्द संस्कृत और अरबी-फारसी के धातु-प्रान्त गठने के द्वाय अंगरेजी से ले लिये जायें, और यही प्रस्ताव स्वीकृत हो जायगा। अर्थात् जो 'इंगलिस्तानी' लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रही है उस पर संशय स्वीकृति की जरूरत लग जायगी। चूँकि उच्च पारिभाषिक शब्दों और अरबी-फारसी शब्दों के बीच में कोई बेलगा रेखा नहीं खींची जा सकती, दूसरे शब्दों में, चूँकि यह नहीं कहा जा सकता कि 'बाडी' और 'फोर्स' भी उच्च पारिभाषिक शब्द हैं या नहीं, वह इंगलिस्तानी वर्तमान इंगलिस्तानी में कोई विशेष भिन्न नहीं हो सकती। परन्तु कठोर मते यह है कि समस्या फिर भी हल नहीं होती। उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दावली के अंगरेजी से लिये जाने पर भी हिन्दी और उर्दू का वर्तमान अन्तर तो रहेगा ही। एक सीमा तक हिन्दी और उर्दू की उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दावलियाँ भी या पहले से मौजूद हैं या अलग-अलग बन चुकी हैं, और यह सीमा दिन पर दिन आगे ही बढ़ेगी और बढ़ रही है। कुछ विषयों ( जैसे घर्म,

दर्शन, इतिहास ) की तो हिन्दी और उर्दू को उच्च से उच्च पारिभाषिक शब्दावलियाँ हम समय भी मौजूद हैं, और एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। और लिपियाँ तो भिन्न हैं ही। सराश यह कि शिक्षा-मन्त्री की योजना के सफल हो जाने के बाद भी हिन्दी और उर्दू की पाठ्य पुस्तकें उच्च पारिभाषिक और त्रैज्ञानिक शब्दों को छोड़कर वास्तव में हिन्दी और उर्दू में ही होंगी। इन सब बातों की रोशनी में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का यह अर्थ निकलता है - शिक्षा के माध्यम दो हों हिन्दी और उर्दू, लिपि दो हों, पाठ्य-पुस्तकें हिन्दी और उर्दू में हों, परन्तु क्लास एक हो और अध्यापक एक हो, शेष अध्यापक पर छोड़ दिया जाय—जिस तरह उसे एक ही क्लास में एक ही घंटे में दोनों माध्यम वालों को पढ़ा मिले उस तरह वह पढ़ावे, अर्थात् वह केवल खड़ी बोली की क्रियाएँ बोलने के लिये वाच्य हो, उनके साथ वह चाहे हिन्दी शब्दों का प्रयोग करे चाहे उर्दू शब्दों का—चाहे वह 'अनुवाद' कहे, चाहे 'तरजुमा', चाहे 'बिज्ञान', चाहे 'साइन्स', चाहे 'राजनीति', चाहे 'स्यासत' चाहे 'दशमलव' चाहे 'आशाशिरा', आदि, और बोर्ड पर चाहे जिस लिपि में—देवनागरी या फारसी लिपि—में लिखे ( 'हिन्दुस्तानी' के अंगरेजी शब्दों की कानूनी सीमा बंधने के बाद और रोमन लिपि का कानूनन बहिष्कार करने के बाद सहस्रों शब्दों के दो दो पर्याय और दो लिपियाँ तो फिर भी बच गेंगी न ) । \*

\* सयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री श्रीसम्पूर्णानन्द जी द्वारा संयोजित संयुक्त-प्रान्त के विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलरों की यह कांफरेन्स २ अगस्त, १९४७ को हो गई। इस कांफरेन्स को बुलाने की घोषणा शिक्षा मन्त्री ने मार्च में की थी, हुई यह अगस्त में और इस बीच में भारत का विभाजन हो चुका था और उसके बाद यह भी सुनाई पढ़ने लगा था कि सयुक्त-प्रान्त की सरकार ने हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का निश्चय किया है, अतः आशा की जाती थी कि यह कांफरेन्स अब 'हिन्दुस्तानी' का बखेड़ा समाप्त कर हिन्दी को प्रान्त के विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम बनाने

ऊपर के विवेचन में स्पष्ट है कि 'हिन्दुस्तानी' के गिज्ञा का माध्यम होने का यह भी अर्थ निकलता है कि—( १ ) प्रोफेसरो के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों का पूर्ण पडित होना अनिवाय करार दिया जाव, अर्थात् यदि एक प्रोफेसर एम० एम सी० (M. Sc) क्नाम को हिन्दी में भौतिकशास्त्र पढा सकता है तो उसमें एम० एम सी० क्लास को उर्दू में भी भौतिकशास्त्र पढाने की योग्यता का होना आवश्यक होगा—२० वर्ष तक भौतिकशास्त्र में शोध-कार्य करने के बाद अब वह उर्दू साथे, उर्दू का पडित बने, अन्यथा प्रोफेसरी को आशा त्याग दे। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरो और

का निर्णय करेगी। परन्तु इस कांफरेन्स में हुये निर्णयों के विषय में सरकार की ओर से जो प्रेस विज्ञप्ति निकली है, उसमें हिन्दी का नाम तक नहीं है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कांफरेन्स में यह तय हुआ कि "मातृ-भाषा की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली तुरन्त अपना ली जाय"। चूँकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है (शायद जानबूझ कर) कि "मातृ-भाषा" से अभिप्राय किस भाषा से है, और चूँकि स्पष्टतः यह कांफरेन्स शिक्षा-मन्त्री की उम्मी घोषणा के आधीन हुई जो उन्होंने मार्च में की थी, मानना पडेगा कि "मातृ-भाषा" से अभिप्राय 'हिन्दुस्तानी' अर्थात् हिन्दी+उर्दू से है (वैसे भी, इस प्रान्त के जो लोग उर्दू को अपनी "मातृ-भाषा" बताते हैं—और सरकार यह मानती रही है कि उनकी मातृ-भाषा उर्दू है—, उन्हें कांफरेन्स का यह निर्णय हिन्दी की "वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली" को संज़ूर करने के लिये कैसे बाध्य कर सकता है? और हिन्दी+उर्दू वाली 'हिन्दुस्तानी' की कोई 'वर्तमान पारि-

भाषिक शब्दावली' है ही नहीं)। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि काफरेन्स में यह भी तय हुआ कि "मातृ-भाषा की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली" के अलावा जिन पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता है उनमें से ऐसे शब्द जिनका अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलन है "अपनी भाषा की प्रकृति और ध्वनि-प्रणाली" के अनुरूप ढालकर ग्रहण कर लिये जायँ (यहाँ भी "अपनी भाषा" से किस भाषा से अभिप्राय है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है, हिन्दी और उर्दू की ध्वनि-प्रणालियों में अधिक नहीं तो क, ख, ग, फ की ध्वनियों का अन्तर तो है

लेखचारो को नियुक्ति की यह एक शर्त होगी कि वे हिन्दी और उर्दू दोनों के पूर्ण ज्ञाता हों और अपना विषय हिन्दी और उर्दू दोनों में पढ़ाने की योग्यता रखते हों (उन्हें हिन्दी वालों और उर्दू वालों दोनों को पढ़ाना होगा न, और दोनों की कानियाँ जॉचनी और देखनी होंगी, दोनों लिपियों में दक्ष होना तो परमावश्यक होगा ) । थोड़े दिन हुये, मत्रों मे छपा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कोर्ट मे शीघ्र ही यह प्रस्ताव पेश होने वाला है कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक अव्यापक के लिये 'प्रात की दोनों वर्नाक्युलरों' का जानना आवश्यक करार दिया जाय । स्पष्ट है यह प्रस्ताव वात को पक्की

ही), और शेष शब्दों के "भारतीय पर्याय" गढ़े जायँ । चूँकि उर्दू अन्धभारतीय भाषा नहीं कही जा सकती, "भारतीय पर्यायों" में अरबी-फ़ारसी पर्यायों के लिये गुंजाइश रहती ही है, परन्तु ज़रा देर के लिये मान लीजिए कि 'भारतीय पर्यायों' में अरबी-फ़ारसी के लिये गुंजाइश नहीं है और "मातृ-भाषा की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली" को छोड़कर शेष पारिभाषिक शब्दावली एक ही और भारतीय होगी । पर मातृ-भाषा हिन्दी और मातृ-भाषा उर्दू की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावलियों, जो सर्वथा भिन्न हैं, पर तो स्वीकृति की सुहर लग ही गई । और लिपि के विषय में विज्ञप्ति में कुछ नहीं कहा गया है, जिसका अर्थ है कि 'हिन्दुस्तानी' की 'दोनों लिपियों' ज्यों की त्यों बहाल रहती हैं ( वैसे भी 'मातृ-भाषा की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली' के साथ 'मातृ-भाषा की वर्तमान लिपि' आवेगी ही, और यह कौन नहीं जानता कि मातृ-भाषा उर्दू की लिपि 'उर्दू लिपि' है ) । दूसरे शब्दों में, इस कांफरेन्स से 'हिन्दुस्तानी' की टोरथी समस्या का समाधान नहीं होता, और परिस्थिति ज्यों की त्यों अर्थात् वही रहती है जिसका विवेचन ऊपर लेख में किया गया है। ऊपर जो अनुमान किये गए थे उनकी पुष्टि भी हो गई ।

( लेखक ने उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के बाद संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-विभाग के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखकर यह पूछा था कि विज्ञप्ति में आये हुए शब्दों 'मातृ-भाषा' और 'अपनी भाषा' से किस भाषा से अभिप्राय है । उस पत्र का उत्तर अभी तक नहीं आया । और न अब आने की आशा है । शायद यह मामला 'high policy' का और गोपनीय है । लेखक का



करने के लिये पेश किया जा रहा है, (२) ट्रेनिंग कालेजा में अध्यापकों को हिन्दी और उर्दू दोनों के मायम में शिक्षा देने की ट्रेनिंग दी जाय, (३) विद्यार्थियों के लिये आरम्भ में ही हिन्दी और उर्दू दोनों अनिवार्य विषय कर दिये जायें, और दोनों की समान स्टैंडर्ड की शिक्षा दी जाय, ताकि वे सब अध्यापकों के लेक्चर, चाहे कोई अध्यापक हिन्दी में लेक्चर दे और चाहे कोई उर्दू में, समझ सकें। यदि ऐसा न किया गया तो अध्यापकों को अपने लेक्चर में आने वाले प्रत्येक हिन्दी शब्द का उर्दू पर्याय और प्रत्येक उर्दू शब्द का हिन्दी पर्याय बताना पड़ेगा, और बोर्ड पर पहले देवनागरी में लिख कर फिर उर्दू लिपि में लिखना पड़ेगा।

विश्वास है कि यह काम्रेस की विलमिल नीति का एक और उदाहरण है— तुष्टीकरण की नीति में पगी हुई, बलहीन कांग्रेसी सरकार हिन्दुस्तानी छोड़ना नहीं चाहती, 'हिन्दुस्तानी' से डिग नहीं सकती, परन्तु साथ ही यह अनुभव करती है कि इधर जनता की तीव्र भावना हिन्दी के पक्ष में हो गई है, इसलिए जनता को धोखे में रखने के लिए और 'हिन्दुस्तानी' नाम से जो बखेड़ा पैदा होगा उससे बचने के लिए गोल-मोल शब्द 'मानू-भापा' की शरण ली गई है। वाद को कुछ जनता की ओर बचाकर, कुछ कांग्रेसी 'राष्ट्रीयता' और गांधीजी की जय बोलकर धीरे-धीरे 'हिन्दुस्तानी' प्रतिष्ठित कर दी जायगी। नाम लेकर इस समय झगड़ा क्यों मील लिया जाय?—ऐसा सरकार सोचती है। इसी कारण सयुक्त-प्रान्त की असेम्बली के अगले अधिवेशन में पेश होने वाले शिक्षा के पुनर्संगठन विषयक बिल का जो मसविदा अभी अभी छपा है, उसमें कहा गया है कि शिक्षा का माध्यम "प्रान्त की भाषा" होगा। क्या सरकार को इस प्रान्त की भाषा का नाम नहीं मालूम, अथवा क्या इस प्रान्त की भाषा का कोई नाम है ही नहीं? परन्तु नहीं, सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि इस प्रान्त की 'वर्नाक्युलर' को 'हिन्दुस्तानी' नाम से पुकारा जाय। सरकार सोचती है, फिर बिल में 'हिन्दुस्तानी' नाम लेकर सोने वालों को क्यों जगाया जाय, और जागने वालों को क्यों व्यर्थ और भड़काया जाय? और इस 'प्रान्त की भाषा' की लिपि क्या होगी, पूर्वयोजनानुसार इसका जिक्र ही नदारद है। कैसी दुःखनीय अवस्था है!

( उदाहरण के लिये गणित के सवाल को पहले देवनागरी में हल करके फिर उसे उर्दू लिपि में हल करना पड़ेगा ), और पढ़ाना लगभग असम्भव हो जायगा, (४) यदि शिक्षा-विभाग की ओर से बोलते हुये ( Talkie ) शिक्षा-फिल्म तैयार किये जायँ, तो या तो प्रत्येक फिल्म अलग अलग हिन्दी और उर्दू में बनाया जाय ( या फिर प्रत्येक हिन्दी शब्द के साथ उर्दू पर्याय और प्रत्येक उर्दू शब्द के साथ हिन्दी पर्याय बोला जाय जो लगभग असम्भव है ), या किसी निश्चित अनुपात में कुछ फिल्म हिन्दी में तैयार किये जायँ और कुछ उर्दू में, इत्यादि, इत्यादि ।

इन सब बातों का क्या अर्थ है और उनका क्या परिणाम होगा, अब इस पर हिन्दी वालों के दृष्टि-कोण से विचार कीजिये । इनका अर्थ है कि चूँकि हिन्दी प्रान्तों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उर्दू माध्यम की माँग करते हैं, इतना ही नहीं कि हिन्दी वालों के पैसे से ही उनके लिये अलग उर्दू माध्यम का प्रबन्ध कर दिया जाय, बल्कि हिन्दी वालों को यह भी अविकार नहीं रहा कि उनके बच्चे अन्यभाषा-भाषियों की भाँति शुद्ध हिन्दी के माध्यम द्वारा सीधी-सादी तौर से शिक्षा प्राप्त कर सकें— इतना ही नहीं कि उर्दू को भी वही अधिकार दे दिये जायँ जो हिन्दी को दिये जायँ, बल्कि हिन्दी विकृत की जाय, उसकी 'हिन्दुस्तानी' की जाय, और 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर इ गलिस्तानी प्रतिष्ठित की जाय ( हिन्दी-उर्दू के द्वन्द्व से बचने के लिये अँगरेजी से शब्द लेकर, जबकि इनमें से अधिकांश शब्द अन्य प्रान्तीय भाषाओं में देशी स्रोतों से बनाये जायँगे, और 'हिन्दुस्तानी' की बला सिर पर सवार न होती तो हिन्दी में भी देशी स्रोतों से बनाये जाते ), और सम्भवतः हिन्दी की वर्तमान शब्दावली की भी काट-छाँट करके उर्दू शब्दों को मिलाकर ( 'समभौते' के लिये ) एक कामन शब्दावली बनाई जाय । और उर्दू लिपि के कारण हिन्दी शब्दों का उच्चारण भ्रष्ट किया जाय । जबकि अन्य प्रान्तों के बालक केवल अपनी अपनी प्रान्तीय भाषायें मीलकर उच्च से उच्च

शिक्षा प्राप्त करेंगे, हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी बालकों पर उर्दू का अनिरीकित बोझ डालकर उनके समय, शक्ति और पैसे का ब्रॉग अपव्यय किया जायगा, और उनके क्रोमल मस्तिष्क को व्यर्थ कमजोर किया जायगा, अथवा क्लाम में उर्दू वाले विद्यार्थियों के कारण अध्यापकों से हिन्दी शब्दों के साथ साथ उर्दू पर्याय बलवाकर और देवनागरी के साथ साथ उर्दू लिपि में लिखवा कर उनका समय नष्ट किया जायगा, और उनकी भाषा को विकृत किया जायगा। जबकि अन्य प्रान्तों में अध्यापक केवल प्रान्तीय भाषा द्वारा अपना विषय पढ़ाने की योग्यता प्राप्त करेंगे और केवल प्रान्तीय भाषा का ज्ञान प्राप्त कर अपना शेष समय और शक्ति अपने विषय में पारगत होने में लगायेंगे, हिन्दी प्रान्तों में अध्यापकों पर हिन्दी और उर्दू दोनों का बोझ डालकर उनके समय, शक्ति और पैसे का घोर अपव्यय किया जायगा। दो लिपियों और दो माध्यमों के कारण पढाई में, प्रयोगशालाओं में, दफ्तर के कार्य में और अन्य कार्यों में जो घोर अशुविधा और पैसे का अपव्यय होगा सो अलग। इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि हिन्दी प्रान्त अन्य प्रान्तों, जो एकभाषा-भाषी होंगे, के मुकाबले में पिछड़ जायेंगे, हिन्दी बालक विद्या और बुद्धि की दौड़ में अन्यभाषा-भाषी बालकों के मुकाबले में पिछड़ जायेंगे, और प्रान्त का जीवन भी दो टूक हो जायगा तथा प्रान्त की एकता भंग हो जायगी। शिक्षा के माध्यम के रूप में लिपि और भाषा का जो द्वैत पैलेगा वह धीरे धीरे राजभाषा के रूप में, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में—प्रान्तीय जीवन के प्रत्येक पहलू में—व्याप्त हो जायगा। प्रान्त में शिक्षा का स्तुर्व व्यर्थ बढ जायगा। प्रान्त में वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य में तथा टेकनिकल उन्नति में विकट बाधा पड़ जायगी। हिन्दी भाषा और संस्कृति को दुर्गति हो जायगी। हिन्दी वैसी उन्नति कभी न कर सकेगी जैसी अपने अपने प्रान्तों में अखंड राज्य करने वाली प्रान्तीय भाषायें करेंगी। आदि, आदि।

अब प्रश्न होता है कि इस 'हिन्दुस्तानी' के ढोंग से क्या लाभ होगा ? इस 'हिन्दुस्तानी' माध्यम में तो कही श्रेयस्कर यह है कि हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी और उर्दू दोनों को साफ-साफ शिक्षा का माध्यम स्वीकृत कर लिया जाय, और दोनों का अलग-अलग प्रबन्ध किया जाय—शहरों में आवश्यकतानुसार कुछ शिक्षा सस्थाओं का माध्यम उर्दू हो, शेष का हिन्दी, गाँवों में यदि एक स्कूल में उर्दू माध्यम की माँग करने वाले छात्रों की संख्या एक निश्चित अनुपात (मान लीजिये १५ प्रतिशत) से बढ़ जाय तो उसमें उर्दू माध्यम का भी अलग प्रबन्ध किया जाय, और अखिल प्रान्तीय शिक्षा-सस्थाओं (जैसे विश्वविद्यालयों) में आवश्यकतानुसार कुछ का माध्यम उर्दू हो, शेष का हिन्दी (यद्यपि आवश्यकतानुसार एक ही शिक्षा-सस्था में दोनों माध्यमों का प्रबन्ध किया जा सकता है)। क्योंकि वही दो लिपियाँ रहेंगी, वही हिन्दी और उर्दू में पाठ्य पुस्तकें छपेंगी, शिक्षा-प्रकाशन का वही खर्च रहेगा—सब बात वही रहेंगी, परन्तु छात्रों और अध्यापकों दोनों की 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के ढोंग से पैदा होने वाली अनिम मुश्किलें और मुसीबतें टल जायेंगी। हिन्दी की शुद्धता की रक्षा और हिन्दी भाषियों के अधिकारों की आशिक रक्षा भी हो जायगी। यदि इससे शिक्षा का व्यय कुछ बढ़ जायगा—जैसे मान लीजिये कि एक शिक्षा-सस्था में 'हिन्दुस्तानी' के एक प्रोफेसर के बजाय उमो विषय को पढ़ाने के लिये दो प्रोफेसरों, एक हिन्दी जानने वाला और एक उर्दू जानने वाला, की नियुक्त करनी पड़ेगी, तो यह नहीं भूलना चाहिये कि 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के सिलसिले में हिन्दी और उर्दू दोनों के दोषों के कारण छात्रों तथा अध्यापकों के समय और शक्ति का जो अनावश्यक व्यय होगा उसका भी खर्चा आना पाई में मूल्य कृता जा सकता है। फिर यदि एक 'हिन्दुस्तानी' का प्रोफेसर हिन्दी और उर्दू दोनों के माध्यम में पढ़ाने की योग्यता रखता है (या रख सकता है) तो वही एक प्रोफेसर हिन्दी वाले छात्रों और उर्दू वाले छात्रों दोनों को एक ही क्लास में एक ही बटे में

पढ़ाने के बजाय उन्हें अलग-अलग पढ़ा सकता है। हज़ारों हाथों में नष्ट किया जाय ? यह भी नहीं भूलना चाहिये कि शिक्षा का प्रसार होने पर हज़ारों की मर्यादा नहीं रहेगी और प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षणों में बाँट कर पढ़ाना पड़ेगा ( जैसे आज़मगढ़ भी मुज़फ्फरगढ़ के दो-दो मेकणन होने हैं )। प्रत्येक मेकणन में हिन्दी बाल और उर्दू बालों दोनों को एक साथ पढ़ाने के बजाय हिन्दी बालों को एक या अधिक मेकणनों में इकट्ठा करके अलग और उर्दू बालों को एक या अनेक मेकणनों में इकट्ठा करके अलग पढ़ाया जा सकता है। हिन्दी और उर्दू दोनों को स्पष्ट रूप से शिक्षा का माध्यम स्वीकृत करने में एक लाभ यह भी होगा कि उर्दू प्रान्तों जैसे पंजाब, गीमा-प्रान्त और सिन्ध में भी हिन्दी को अलग शिक्षा का माध्यम स्वीकृत कर लिया जायगा या करने का अभिसर रहेगा, अन्यथा इन प्रान्तों में हिन्दी प्रान्तों का हवाला देकर कांग्रेस पर 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम घोषित किया जायगा परन्तु व्यवहार में उसे शुद्ध उर्दू में अभिव्यक्त बना दिया जायगा, और 'दोनों लिपि' को प्रव्यावहारिक बला कर देयतागरी को उड़ा दिया जायगा, और उस प्रकार हिन्दी की बिलकुल जड़ काट दी जायगी।

मागश यह कि लखनऊ विश्वविद्यालय का 'हिन्दुस्तानी' को शिक्षा का माध्यम घोषित करना एकता का दक्कौसला मात्र है क्योंकि 'हिन्दुस्तानी' में मतलब किसी एक ही सुनिश्चित भाषा और एक ही लिपि में नहीं है, और इन 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम स्वीकृत करना हिन्दी और उर्दू दोनों को माध्यम स्वीकृत करने से किसी भी बात में श्रेयस्कर नहीं है। और जहाँ तक 'हिन्दुस्तानी' माध्यम से तात्पर्य किसी वर्तमान या भविष्य में गढ़ी जाने वाली हिन्दी, उर्दू और अँगरेजी की खिचड़ी भाषा से है, वहाँ तक वह हिन्दी प्रांतों में हिन्दी पर और हिन्दो भाषियों के अधिकारों पर क्रूर कुटाराघात है। कहना न होगा कि राष्ट्र-भाषा के प्रकरण में कांग्रेस ने जिस चोट को

अपनाया था और वह जिस रास्ते पर चल रही थी, उससे प्रकट था कि 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के दूसरे अर्थ पर जोर दिया जाता, और कांग्रेसी सरकारें 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के नाम पर हिन्दी की सुन्नत करके उमें दोनों लिपियों में हिन्दी प्रांतों में शिक्षा के माध्यम के पट पर प्रतिष्ठित करती। श्री सम्पूर्णानन्द का 'हिन्दुस्तानी' की पारिभाषिक शब्दावली गढ़ने के लिये स्युक्त-प्रान्त के विश्वविद्यालयों के वाइस-चान्सलरो की कान्फ्रेंस का आयोजन करना इस ओर एक कदम था। विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रांतीय भाषायें शिक्षा का माध्यम होतीं, पंजाब, सीमा-प्रांत और सिन्ध में उर्दू शिक्षा का माध्यम होती परंतु हिन्दी कहीं शिक्षा का माध्यम नहीं होती—हिन्दी प्रांतों में भी नहीं। इस क्षेत्र से हिन्दी का अस्तित्व उठ जाने के बाद अन्य सब क्षेत्रों से हिन्दी का अस्तित्व रचत उठ जाता क्योंकि जब जड़ ही सूख जाती तो पत्ते हरे कैसे रह सकते थे।

## २

परन्तु अब परिस्थिति बिलकुल बदल चुकी है। देश के विभाजन के बाद कांग्रेस के हिन्दुस्तानीवाद के लिये कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अधिक कहने की जरूरत नहीं। भारतीय विधान-परिषद की कांग्रेस पार्टी ने हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि बनाने के पक्ष में फैसला देकर इस मस्य को स्वीकार कर लिया है। हमें खेद अवश्य है कि कांग्रेस की आँखें खोलने के लिये देश के विभाजन जैसी दृष्टय को विदीर्ण करने वाली और कलेजा ममोमने वाली घटना की जरूरत पड़ी। अस्तु, अब हिन्दुस्तानी-वाद का सर्वथा अन्त हो जाना चाहिये। इसके बाद अब हिन्दी प्रांतों में शिक्षा के माध्यम के रूप में केवल हिन्दी और उर्दू पर विचार करना श्रेय रह जाता है। परन्तु हिन्दी प्रांतों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों माध्यम के रूप में स्वीकृत नहीं जा सकती। कारणों की ओर ऊपर द्वारा किंवा जा चुका है। चाहे दोनों माध्यम बानां

को 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर एक ही क्लास में पढ़ाया जाय ( जैसा लन्डन के विश्वविद्यालय ने सोचा है ) और चाहे हिन्दी माध्यम और उर्दू माध्यम का अलग अलग प्रबन्ध किया जाय #, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के हिन्दी और उर्दू, दो माध्यम होने से प्रात की एकता भंग हो जायगी, प्रात की उन्नति रुक जायगी, प्रान्त पिछड़ जायगा, प्रान्त पर शिक्षा के व्यय का भार बढ़ जायगा, आदि, आदि । विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं । हिन्दी प्रान्तों के लिये शिक्षा के दो माध्यमों के होने में बढ़कर चुगी और घातक बात कोई दूसरी नहीं हो सकती । यह गारणत सत्य है, अर्थात् यह पहले भी सत्य था । परन्तु बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में तो हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी और उर्दू दोनों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम कदापि, किसी भी हालत में स्वीकृत नहीं किया जा सकता । देश के विभाजन से हिन्दी प्रान्तों में उर्दू को शिक्षा का माध्यम स्वीकृत न करने के जो विशेष कारण उत्पन्न हो गये हैं, उनमें से एक लेखक के निजी अनुभव पर आधारित है । कुछ दिन हुए, लेखक ने एक मुमलमान रंगसाज से, जो उसके यहाँ काम करने आया

# ऊपर के विवेचन से यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि हिन्दी वालों और उर्दू वालों दोनों को एक ही क्लास में पढ़ाना संभव नहीं—विशेष रूप से माध्यमिक और ऊँचे स्तरों में । इसके अतिरिक्त छात्रों और अध्यापकों पर हिन्दी और उर्दू दोनों सीखने का बोझ नहीं डाला जा सकता, और न क्लास में उर्दू वाले छात्रों की उपस्थिति के कारण उर्दू शब्दों को भी बोल-बोल कर और उर्दू लिपि में भी लिख-लिख कर हिन्दी छात्रों का समय नष्ट किया जा सकता है । बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में यह सब और भी अमंजूर है । दूसरे शब्दों में, हिन्दी और उर्दू दोनों को शिक्षा का माध्यम स्वीकृत करने का यही अर्थ है कि हिन्दी माध्यम का अलग और उर्दू माध्यम का अलग प्रबंध करना होगा, और शिक्षा पर बिलकुल दूना व्यय होगा । इस व्यय का अधिकांश हिन्दी कर्दाताओं की जेब से ही आयेगा, अर्थात् हिन्दी कर्दाताओं के खर्च से उर्दू माध्यम का अलग प्रबंध करना पड़ेगा ।

था, पूछा कि तुम यहीं रहोगे या पाकिस्तान जाओगे ? उसने कहा, हम तो यहीं रहेगे, पाकिस्तान में रोजगार जमाने के लिये रुपया कहाँ से लावें ? लेखक ने कहा कि इसमें कठिनता नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान में व्यापारियों और कारीगरों की कमी है । उसने जवाब दिया कि हाँ साहब, यह तो ठीक है कि बड़े बड़े शहर सब निकल गये । यह एक गरीब, अपद मुसलमान की मनोवृत्ति है जो स्वयं कड़ता है कि मुझे यहीं रहना है ! वह दिल में अपने को यहाँ का नहीं बरन् पाकिस्तान का नागरिक मानता है, और उसकी सहानुभूति, प्रेम तथा देशभक्ति पाकिस्तान के माथ हैं । लेखक ने उससे फिर पूछा, तो फिर जिन्ना साहब ने पाकिस्तान लिया क्यों ? उसका उत्तर सुनकर लेखक तो स्तम्भित रह गया । उसने कहा, बल्कि यो कहिये उसके मुँह से वेसाख्ता निकल गया, हमें तो पूरे हिन्दुस्तान पर कब्जा करना है ! प्रश्न होता है कि इस मुसलमान की मनोवृत्ति में अन्तर क्या आप उर्दू माध्यम का प्रबन्ध करके डाल सकते हैं ? कदापि नहीं । वह तो केवल उसकी महत्वाकांक्षाओं को और प्रबल करने में, उसे अपने को अन्य प्रान्त-वासियों से पृथक् अनुभव कराने में, देश के विरुद्ध पड़्यन्त्र रचाने में और पाकिस्तान से चलने वाले सवैतों और कुचक्रों को सफलीभूत कराने में सहायक होगा । उर्दू माध्यम वाले स्कूल और कालेज ( अथवा उर्दू माध्यम वाले क्लास ) फिफथ कालम वालों के खेत, उनके शिक्षा-ग्रह, उनके अड्डे और दिमाग बन जायेंगे । उर्दू माध्यम का प्रबन्ध करना अपने हाथ में अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना होगा । अगर हम इन मुसलमानों को अपने में मिलाना और खपाना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हिन्दी प्रान्तों का जीवन साम्प्रदायिकता और द्वैत से मुक्त हो जाय, तो उसका एक ही उपाय है— प्रान्त भर के लिये, सबके लिये केवल हिन्दी माध्यम स्वीकृत किया जाय । इसी प्रकार प्रान्त में राष्ट्रीय और एकरस जीवन का निर्माण हो सकता है, एकता की नींव इसी आधार पर रखी जा सकती है, इसी प्रकार प्रान्त



टो-टो भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के दुष्परिणाम, अनन्त बखेड़े, परेशानियों और फिजूल खर्च में बच सकता है, इसी प्रकार हिन्दी और हिन्दी सस्कृति की शुद्धता की रक्षा हो सकती है, इसी प्रकार हिन्दी अपने अपने प्रदेश में अक्षरज्ञ राज्य करने वाली प्रान्तीय भाषाओं की भाँति अबाध उन्नति कर सकती है, और इसी प्रकार हिन्दी प्रान्त अन्य एकभाषा-भाषी प्रान्तों की भाँति उन्नति कर सकते हैं। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। शहरों में रहने वाले थोड़े से मुसलमान ( और थोड़े से हिन्दुओं ) के कारण हिन्दी प्रांतों का भविष्य नहीं विगाड़ा जा सकता और हिंदू करदाताओं का रुपया नहीं लुटाया जा सकता। अल्पसंख्यकों के साथ न्याय अथवा उनके धर्म और सस्कृति की रक्षा का अर्थ यह नहीं है कि प्रान्त का जीवन दो टुक कर दिया जाय और प्रान्त के लिये असीम कठिनाइयों पैदा कर दी जायें। हिन्दी प्रान्तों में मुसलमानों की सस्कृति और भाषा ( उनकी मातृ-भाषा क्या है ! ) की रक्षा का अर्थ यही हो सकता है कि पाठ्य-क्रम में उर्दू वैकल्पिक विषय रहे ताकि जो विद्यार्थी चाहे वह उर्दू भाषा और साहित्य का विषय ले सके। अधिक में अधिक यह हो सकता है कि विशेष परिस्थितियों में, जैसे एक स्कूल में एक निश्चित अनुपात से अधिक संख्या में विद्यार्थियों के माँगने पर, प्राथमिक शिक्षा उर्दू के माध्यम में भी देने की सुविधा दे दी जाय ( यह सुविधा भी तभी दी जा सकती है जब पाकिस्तान में हिन्दी वालों को हिन्दी के माध्यम में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी जाय )। पाकिस्तान की सरकार भी, यदि वह अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत उदार हुई और उसने उनकी सस्कृति की रक्षा करने के विषय में दिये हुये अपने आश्वासनों को पूरा किया तो, हमें यह कहेंगे कि पाठ्य-क्रम में हिन्दी भाषा और साहित्य का विषय वैकल्पिक विषय के रूप में ग्राह्य होगी, परन्तु वहाँ शिक्षा का माध्यम उर्दू ही होगा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के चाइस-चानलर डा० जियाउद्दीन ( जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने ऐसे मुसलमान

इ जीनियरों, मुसलमान वैज्ञानिकों और अन्य मुसलमान टेकनिकल व्यक्तियों की सूची बनाने का काम सौंपा है जो पाकिस्तान की सेवा करने को तैयार है ) ने स्पष्टतः घोषित कर दिया है कि पाकिस्तान के सब विश्व-विद्यालयों ( अर्थात् ढाका विश्वविद्यालय का भी ) की शिक्षा का माध्यम उर्दू होगा, और यह भी कहा है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का भी माध्यम उर्दू होगा । सिन्ध के शिक्षा-मंत्री ने बताया है कि कराची विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम तो उर्दू होगा ही, सिन्ध में, और पाकिस्तान भर में, माध्यमिक शिक्षा का भी माध्यम उर्दू होगा और उर्दू का विषय प्राथमिक स्टेज से ही सबके लिये अनिवार्य होगा, अलबत्ता प्राथमिक शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से दी जायगी ( यह देखना बाकी है कि प्राथमिक शिक्षा के लिये ही हिन्दी भी माध्यम के रूप में स्वीकृत की जाती है या नहीं ) । सिन्ध सरकार ने हिन्दुओं की शिक्षा-संस्थाओं को, जो सभव था हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाती, स्पष्ट धमकी दी है कि यदि उन्होंने माध्यम के विषय में सरकारी नीति का अनुकरण न किया तो सरकारी मदद बिलकुल बन्द कर दी जायगी, और यह भी घोषित कर दिया गया है कि सिन्ध की जो भी शिक्षा संस्था, चाहे उसे सरकार एक पैसे की भी मदद न देती हो, कराची विश्वविद्यालय से अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ेगी, ( अर्थात् जो उर्दू को शिक्षा का माध्यम नहीं बनावेगी ), उसे सरकारी स्वीकृति ( recognition ) प्राप्त नहीं होगी । यहाँ यह बताना जरूरी है कि पाकिस्तान ने उच्च शिक्षा का माध्यम केवल एक रखकर अनुचित नहीं किया है । सभी उन्नति-शील और प्रजातांत्रिक देशों में जहाँ एक अल्पसंख्यक दल को खुश करने के लिये उसके साथ विशेष व्यवहार करना और उसे भिर पर बैठाना राष्ट्रीयता नहीं समझा जाता, ऐसा ही होता है । अमरीका की ही मिसाल दी जा सकती है, जहाँ जर्मन, डच, फ्रांसीसी, अँगरेज़ आदि सभी नागरिकों की शिक्षा का माध्यम केवल एक, अँगरेजी, है । राष्ट्रीय

जीवन का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण इसी प्रकार होगा है, और आधुनिक युग में किसी देश में या किसी प्रान्त या शासनक्षेत्र (administrative area) में उच्च शिक्षा का काम, वैज्ञानिक और टेकनिकल अनुसंधान, योजना, टेकनिकल और बौद्धिक उन्नति तथा अन्य आधुनिक आवश्यकताओं को पूर्ण इसी प्रकार हो सकती है। फिर, यदि हम आज हिन्दी प्रान्तों में मुसलमानों के लिये उर्दू माध्यम स्वीकृत कर लेते हैं, तो क्या कल हम सरकारी स्तर पर ही प्रान्त में वन हुये बंगालियों के लिये बंगला मायम, पंजाबियों और सिखों के लिये पंजाबी माध्यम, आदि स्वीकृत नहीं करने पड़ेंगे? इसका अन्त कौन होगा? हिन्दुस्थान के किन दृमरे प्रान्तों में ऐसा भ्रमेला पाला जायगा (पाकिस्तान में तो नहीं पाला जायगा ही)? वह उदारता, आदि का सवाल नहीं है। यह व्यावहारिकता, राष्ट्रीयता और आत्म रक्षा का सवाल है। व्यावहारिकता और राष्ट्रीयता की बात पहले कही जा चुकी है। आत्म-रक्षा के विषय में दूर न जाकर अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर नजर डालना काफी है। अभी हाल में (८ जूलाई, १९४७) श्री क० ना० मुशी ने एक सार्वजनिक सभा में एक भाषण करने हुये कहा, "\_\_\_\_\_For the sake of a worn-out and discredited nationalism of yesterday we cannot sacrifice homogeneity, otherwise we shall not be able to withstand the religious nationalism of a neighbouring nation" ये शब्द बार बार विचार करने योग्य हैं। 'Homogeneity (एकरसता) के लिये सबसे अधिक आवश्यक है शिक्षा के माध्यम का एक ही होना। स्पष्ट है, जिन परिस्थिति में संयुक्त-प्रान्त की पिछली कांग्रेसी सरकार द्वारा बेटाई हुई नरेन्द्रदेव बमेट्टी ने संयुक्त-प्रान्त के लिये हिन्दी और उर्दू दो माध्यमों की सिफारिश की थी (अन्य हिन्दी प्रान्तों में भी इसी सिफारिश पर चला जाता), अब वह नहीं

रही। इस सिफारिश को मानना अव्यावहारिक और राष्ट्र-वानक और प्रान्त-घातक तो होगा ही, आज की परिस्थिति में आत्म-हत्या होगा।

हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा के माध्यम के प्रसंग में एक और वान ध्यान देने योग्य है। हिन्दी और उर्दू दोनों के शिक्षा के माध्यम स्वीकृत होने के बाद स्वाभाविकतया यह माँग पेश की जायगी कि हिन्दी और उर्दू दोनों प्रान्त की राज-भाषा, कचहरियों, दफ्तरों की भाषा, आदि के रूप में स्वीकृत की जायँ। इससे कितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी, इसका सहज में अनुमान किया जा सकता है। प्रान्त का काम चलना असम्भव-प्राय हो जायगा ( क्योंकि आड़े आने के लिये आज की भाँति अँगरेजी तो होगी नहीं )। इसके बरक्स यदि हिन्दी प्रान्तों में हमें केवल हिन्दी को राजभाषा, कचहरियों, दफ्तरों, असेम्बली, आदि की भाषा बनाना है ( संयुक्त-प्रान्त की सरकार ने तो यह निर्णय कर भी लिया है ), तो इसकी एक कारोल्सरी यह है कि हिन्दी प्रान्तों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम केवल हिन्दी हो, क्योंकि तभी राजकार्य चल सकता है, कचहरियों, दफ्तरों आदि के लिये योग्य कर्मचारी, क्लर्क आदि ( हिन्दू और मुसलमान ) मिल सकते हैं और प्रान्त के जीवन में सब समान रूप से भाग ले सकते हैं। यदि सबकी माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी को न भी बनाया गया, तो कम से कम हिन्दी भाषा का विषय तो सबके लिये आरम्भ से ही अनिवार्य करना ही पड़ेगा। फिर माध्यमिक स्टेज में पहुँच कर सबको हिन्दी के माध्यम से ही शिक्षा क्यों न दी जाय ? उसमें क्या कठिनाई होगी ? वहाँ उर्दू को अलग माध्यम बनाकर अनन्त परेशानियाँ और कठिनाइयाँ क्यों मोल ली जायँ ? एक बात और है। हिन्दी हिन्दुस्थान की राष्ट्र-भाषा होने जा रही है। इस नाते भी हिन्दी का महत्त्व कम न होगा। देश भर में सबके लिये हिन्दी भाषा का विषय अनिवार्य होगा ( जिस प्रकार आज अँगरेजी का विषय अनिवार्य है )। देश का सब केन्द्रीय काम और अन्तर्प्रान्तीय

व्यवहार हिन्दी में होगा। अतः सोचना तो यह है कि सब प्रान्तों में हिन्दी का उच्च गिना का माध्यम बनाना कहाँ तक वाञ्छनीय और आवश्यक है। एक ही प्रान्त में उच्च शिक्षा के दो माध्यमों के होने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती।

अन्त में एक बात और स्पष्ट करने की आवश्यकता मालूम होती है। शायद यह कहा जाय कि 'हिन्दुस्तानी' नाम रहने दिया जाय, वह होगी हिन्दी ही। पर इसकी आवश्यकता ? यह तो हट दर्जे की कमजोरी का प्रदर्शन और धोखा देना होगा। हिन्दी के लिये 'हिन्दुस्तानी' नाम कभी स्वीकृत नहीं किया जा सकता। कारण ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों हैं। कोई कारण नहीं यह नाम परिवर्तन क्यों किया जाय। फिर, 'हिन्दुस्तानी' नाम रहते हिन्दी भाषा कभी आ ही नहीं सकती ( शायद इसीलिये 'हिन्दुस्तानी' पर इतना जोर दिया जाता है )। चूँकि 'हिन्दुस्तानी' व-ज्ञात-ए-चुद कोई चीज नहीं, उसका कोई इतिहास या निजी भाषा नहीं, उसका अर्थ तो या हिन्दी+उर्दू लगाया जायगा या  $\frac{\text{हिन्दी+उर्दू}}{२}$ । संयुक्त-प्रान्त में 'हिन्दुस्तानी' साहित्य की उन्नति के लिये स्वीकृत (५०,०००) के विषय में जो सरकारी घोषणा हुई है, उसमें न्यय सरकार ने 'हिन्दुस्तानी' का यह अर्थ लगाया है ( 'हिन्दी' और 'उर्दू' साफ साफ रक्खी गई हैं और  $\frac{\text{हिन्दी+उर्दू}}{२}$  के लिये "\_\_\_\_\_and what is recognised as Hindustani" कह कर गुजाइश रक्खी गई है )। और फिर लिपि के मामले में तो 'हिन्दुस्तानी' का अर्थ अचर्य ही देवनागरी+फ़ारसी लिपि लगाया जायगा। यह सब अब नितान्त असह्य है। हिन्दुस्तानी-बाद के साथ साथ अब 'हिन्दुस्तानी' नाम का भी सर्वथा अन्त हो जाना चाहिये।

सक्षेप में—

(१) हिन्दी प्रान्तों की भाषा-समस्या ( जो जबरदस्ती पैदा की गई है )

और लिपि-समस्या ( जो 'हिन्दुस्तानी' के भ्रमेले के वाट भी ज्यों की त्यो रहती है ) का एक मात्र व्यावहारिक और राष्ट्रीय हल, तथा देश के विभाजन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का तकाजा यह है कि हिन्दी प्रान्तों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम केवल हिन्दी होनी चाहिये । जो गैर-सरकारी शिक्षा-सस्था ऐसा करना स्वीकार न करे, उसे न सरकार मदद दे और न उसे सरकार स्वीकृत (recognise) करे ।

(२) माध्यमिक स्टेज से हिन्दी के शिक्षा का माध्यम होने का अर्थ है कि हिन्दी भाषा का विषय प्राथमिक (primary) स्टेज से ही सबके लिये अनिवार्य हो ( अन्यथा माध्यमिक स्टेज में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा कैसे दी जायगी ? ), और कम से कम माध्यमिक स्टेज के अन्त तक ( आजकल के इन्टरमीजिएट तक ) सबके लिये अनिवार्य रहे, और तदपुरान्त आजकल की 'जेनरल इङ्गलिश' का भौति 'साधारण हिन्दी' का विषय सब के लिये अनिवार्य हो ।

(३) विशेष परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षा के लिये उर्दू, बँगला, आदि के माध्यम का भी प्रबन्ध किया जा सकता है । परन्तु हिन्दी भाषा का विषय फिर भी सबके लिये अनिवार्य होगा । अचश्य ही यह उर्दू, बँगला, आदि के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त बोझा होगा, और परिणामस्वरूप अधिक से अधिक विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे । यह बालुनीय है ।

(४) उर्दू भाषा और साहित्य का विषय माध्यमिक स्टेज से वैकल्पिक विषयों को सूची में रक्खा जाय । बँगला, पंजाबी या अन्य प्रान्तीय भाषाये भी माध्यमिक स्टेज से वैकल्पिक विषयों की सूची में रक्खी जायँ ।

(५) रेडियो के स्कूली प्रोग्राम, शिक्षा-फिल्म, आदि सब 'हिन्दी में ही और बनें ।

(६) आजकल सयुक्त-प्रात में ऍंग्लो-वर्नाक्यूलर स्कूलों में छात्रों के लिये

आठवाँ कक्षा तक हिन्दी और उर्दू दोनों पढ़ने की, और अध्यापकों के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों की विभागीय परीक्षाएँ पाम करने की जो अनिवार्यता है वह तुरन्त हट जानी चाहिये। वह हिन्दी वालों के साथ समान अन्याय है। हिन्दी प्रांतों में कुछ लड़के उर्दू पढ़ने में, यह हिन्दी वालों का कसूर नहीं है जिसके दृष्टस्वरूप उन पर (यहाँ तक कि हिन्दी बालिकाओं पर भी) उर्दू का भी बोझ डाला जाय। किसी दूसरे प्रान्त में ऐसा नहीं होना (यहाँ तक कि पंजाब में उर्दू लेने वालों पर यहाँ की अगणित मात्र भाषा पचावी का भी बोझ नहीं डाला जाता)। जब उर्दू प्रांतों में उर्दू वालों के लिये हिन्दी अनिवार्य नहीं है, तब हिन्दी प्रांत में हिन्दी वालों के लिये उर्दू अनिवार्य करके उर्दू का अनर्गल प्रचार नहीं किया जा सकता। पहले (अर्थात् जब गजद्वार में उर्दू का बोलचाल था) उर्दू की चाह जो आवश्यकता रही हो, अब हिन्दी प्रांतों में हिन्दी वालों को उर्दू की कोई आवश्यकता भी नहीं रह गई। हिन्दी राष्ट्रभाषा है अतः सबको पढ़ना पड़ेगी और सबकी कामन भाषा होगी। हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी गजभाषा, शिक्षा का माध्यम, आदि और इस कारण सबके लिये अनिवार्य विषय और सबकी कामन भाषा होगी ही। उर्दू वालों को हिन्दी पढ़नी पड़ेगी, हिन्दी वालों को उर्दू नहीं पढ़नी पड़ेगी। हिन्दी वाले अपनी बची हुई शक्ति अन्य विषयों में क्यों न लगावें ? और शिक्षा का माध्यम हिन्दी होने पर अध्यापकों के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों की विभागीय परीक्षाएँ पाम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती।

(७) हिन्दुस्तानी-वाद और 'हिन्दुस्तानी' नाम का तुरन्त अन्त हो जाना चाहिये। लखनऊ और पटना विश्वविद्यालय तुरन्त अपना पारसाल वाला निर्णय बदलकर देवनागरी में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने की घोषणा करें। स्कूलों से 'हिन्दुस्तानी बोलचाल', 'महमूद सीरीज', 'राजेन्द्र सीरीज', आदि की 'हिन्दुस्तानी' की पुस्तकों का विलकुल बहिष्कार हो जाना

चाहिये। 'ऐंग्लो-हिन्दुस्तानी' स्कूलों का नामकरण 'ऐंग्लो-हिन्दी स्कूल' और अंगरेजी के हटने पर 'हिन्दी स्कूल' होना चाहिए। सयुक्त-प्रान्त की 'वर्नाक्युलर' सब जगह 'हिन्दी' लिखी व बटाई जाय, 'हिन्दुस्तानी' नहीं। सयुक्त-प्रान्त की सरकार को अपना वह आर्डर वापस ले लेना चाहिये जिसमें सयुक्त-प्रान्त की 'वर्नाक्युलर' को 'हिन्दुस्तानी' नाम से पुकारने का आदेश दिया गया है, और 'हिन्दुस्तानी' साहित्य की उन्नति के लिए स्वीकृत ५०,०००) हिन्दी साहित्य की उन्नति के लिए दे देना चाहिये। अच्छा हो यदि सयुक्त-प्रान्त का नाम हिन्द-प्रान्त या हिन्द रक्खा जाय।

(८) इस पर विचार किया जाय कि देश भर में उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम केवल एक ( जो हिन्दी ही होगी ) होना कहीं तक वाछनीय, आवश्यक और व्यावहारिक है। यह नहीं भूलना चाहिये कि अमरीका और रूस में ऐसा ही है और पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा। कम से कम यह तो नितान्त आवश्यक है कि देश भर में विज्ञान तथा अन्य विषयों की उच्च पारिभाषिक शब्दावली एक ही और कामन हो। यह शब्दावली हिन्दी की ही हो सकती है। इसके निर्माण में नेतृत्व हिन्दी वालों को ही ग्रहण करना है। इस विषय में लाहौर की इन्टरनेशनल एकाडेमी आफ इण्डियन कलचर के अन्तर्गत डाक्टर रघुवीर का कार्य अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। सयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री को चाहिये कि वे अपनी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में केवल पटना, दिल्ली और सौगौर विश्वविद्यालयों का ही नहीं बरन् देश के सब विश्वविद्यालयों का सहयोग प्राप्त करे ताकि देश भर के लिए एक सर्वसम्मत, कामन शब्दावली का निर्माण हो सके। यह शब्दावली देश भर के विश्वविद्यालयों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम स्वीकृत कराने की ओर पहला कदम होगी। इस काम में केन्द्रीय सरकार को भी हाथ बँटाना चाहिए।





## उत्तर—परिशिष्ट १

### रोमन लिपि का जयजयकार

(लेखक—रविशंकर शुक्ल)

हिन्दुस्तानी-वाद पर दृष्टिपात करते हुए प्रसिद्ध भाषा-वेत्ता डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने एक बार कहा था, “गांधी जी के ‘दोनों लिपि’-वाद के परिणाम-स्वरूप वेबल रोमन लिपि का जयजयकार होने वाला है।” मालूम पड़ता है कि उनकी भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है। इन पक्तियों का लेखक पाठकों का ध्यान दो बातों की ओर प्रमुख रूप से खींचना चाहता है—पाठक स्वयं उनसे निष्कर्ष निकाल लें।

. १

यह सबको मालूम है कि हमारी वर्तमान ‘राष्ट्रीय’ सरकार में मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा सदस्य हैं। इस निरन्तर देश की केन्द्रीय सरकार में शिक्षा सदस्य का पद संभालने के बाद मौलाना साहब को जो सबसे पहला और सबसे आवश्यक काम जँचा है वह है रोमन लिपि का प्रचार। १८ फरवरी, १९४७ को एक प्रेस कान्फ़ेन्स में उन्होंने रोमन लिपि की जोरदार वकालत की। इन पक्तियों के लेखक से न रहा गया। उसने यह अनुभव करते हुए भी कि नकारखाने में तूती की कोई नहीं सुनेगा, मौलाना आजाद को एक पत्र लिखा। मौलाना आजाद कितने पानी में हैं, रोमन लिपि के विषय में उनसे क्या विचार हैं और उनका क्या कार्यक्रम है, और सत्य क्या है तथा उसकी किस प्रकार हत्या की जा रही है, यह सब उर पत्र व्यवहार से भली भाँति स्पष्ट हो जाता है जो वर्तमान लेखक और केन्द्रीय

शिक्षा-विभाग के बीच में हुआ। मुख्य वर्णों का सारास नीचे दिया जाता है। \*

( १ ) लेखक का मौलाना अजायब को पत्र, ता० २२-२४०

“प्रिय मौलाना साहब,

आप की जमी योग्यता के व्यक्ति के मुँह से रोमन लिपि की मन्त्रालय सुन कर मुझे महान् आश्चर्य हुआ। रोमन लिपि में ‘हिन्दुस्तानी’ अपेक्षाकृत कितनी सरलता से सीखी जा सकती है, इस विषय में आपने जो कुछ कहा वह उर्दू लिपि के मुकामले में सत्य हो सकता है, परन्तु देवनागरी, जो सभार की सबसे अधिक वैज्ञानिक और पूर्ण लिपि है, के मुकामले में नहीं। यदि ‘हिन्दुस्तानी’ रोमन लिपि में तीन से लेकर छह महीने में सीखी जा सकती है तो यह देवनागरी में इतने आगे समय में ही सीखी जा सकती है। यदि आप अपने गोरे सलाहकारों की सलाह पर मिर्जास करन के बजाय राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति, वर्धा, जो देवनागरी में हिन्दुस्तानी का प्रचार करती है, की रिपोर्टों पर दृष्टिपात करने का कष्ट करें तो आपको मालूम हो जायगा कि देवनागरी में हिन्दुस्तानी सीखने में अहिन्दी जनता का कितना आसानी होती है। हममें आश्चर्य करने की भी कोई बात नहीं। हमें आशा तो यह थी कि विदेशी, अपूर्ण और अवैज्ञानिक रोमन लिपि को बढावा देने के बजाय आप प्रथम राष्ट्रीय सरकार के प्रथम शिक्षा मन्त्र के नाते भारतीय जनता के प्रति उस अन्याय को दूर करने के लिये कदम उठाएँगे जो शिक्षा-विभाग ने भारतीय सेना पर रोमन लिपि लाद कर किया है, और रोमन लिपि को निकाल कर स्वदेशी, पूर्ण और वैज्ञानिक लिपि देवनागरी की प्रतिष्ठा करेंगे। आपको यह भी मालूम होगा कि महात्मा गांधी और प० नेहरू ने खुले और स्पष्ट शब्दों में भारतीय भाषाओं के लिये रोमन लिपि का कड़ा विरोध किया है। उर्दू लिपि की भाँति रोमन लिपि भी विदेशी है और इस कारण स्वाभाविकतया भारतीय भाषाओं के लिये

\* यह सब पत्र-व्यवहार अँगरेजी में हुआ था।

अनुपयुक्त है और भारतीय ध्वनियों को प्रकट करने में असमर्थ है। हम राष्ट्र के ऊपर एक और विदेशी लिपि लादे जाने का तीव्र विरोध करते हैं। .....

हम देवनागरी के साथ साथ उर्दू लिपि के अनिर्धार्य रूप से ठूँसे जाने के भी विरुद्ध हैं, क्योंकि वह बिलकुल अनावश्यक है और समय तथा शक्ति के अपव्यय का कारण है। जब आप कम से कम समय में हिन्दुस्तानी सीखने पर इतना जोर देते हैं, और ठीक ही जोर देते हैं, तब आप किस मुँह से अनिर्धार्यतः दो लिपियों के सीखने के लिये कहते हैं, जब जरूरत केवल एक ही लिपि की है? मुझे यहाँ सैयद अली बिलग्रामी सदृश्य मुसलमान विद्वानों के मत को दोहराने की जरूरत नहीं जिन्होंने कहा है कि उर्दू लिपि की त्रुटियों स्वयं उर्दू के प्रचार में सबसे बड़ी बाधा हैं। — अक्ल की बात यह है कि उर्दू के लिये देवनागरी स्वीकृत कर ली जाय, न कि यह कि देश पर रोमन लिपि लादी जाय। जो भी हो, यह अच्छा मजाक है कि पहले तो खुद एक अनावश्यक और बेकार लिपि, जो दुर्भाग्यवश अत्यन्त दूरूह और कष्ट-साध्य भी है, साथ लगा कर हिन्दुस्तानी का सीखना जानबूझ कर कठिन कर दिया जाय और फिर 'सुलभता' 'सरलता', 'कम समय' आदि की दलालें पेश करके रोमन लिपि की बकलत की जाय !

आपने सेना की 'रोमन उर्दू' को 'रोमन हिन्दुस्तानी' कह कर जनता को भ्रम में डालने का जो प्रयत्न किया है, हम उसका भी कड़ा विरोध करते हैं। राष्ट्र-भाषा के रूप में गांधी जी तथा कांग्रेस जिस हिन्दुस्तानी का समर्थन करते हैं वह और उर्दू एक ही चीज नहीं है, और यह सबको एक जमाने से मालूम है कि सेना की भाषा रोमन उर्दू है, और सगकारी तौर से भी अभी तक इसी नाम का प्रयोग किया गया है। सेना की 'उर्दू' को निकाल कर सच्चा हिन्दुस्तानी को प्रतष्ठा करना है और तभी वह 'हिन्दुस्तानी' कहलाने की अधिकांश होगी।

( २ ) मौलाना आजाद के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री टी. एस. इण्डमूर्ति  
का लेखक को पत्र, ता० १-३-४७

इस पत्र का सम्पूर्ण रूप में और मूल अंगरेजी में देना ठीक होगा,  
क्योंकि समझ है अनुवाद में वाञ्छित अर्थ और ध्वनि में अन्तर पड़ जाय:—

‘Dear Sir,

Please refer to your letter dated the 22nd Feb. 1947, addressed to the Hon'ble Member incharge of this Deptt. regarding the adoption of the Roman script for Hindustani. I believe you have not gone through the proceedings of the Press Conference held by the Hon'ble Member on the 18-2-47, for there you will find that the Hon'ble Member expressed the opinion that it is desirable that every Indian should learn both Devnagri and Urdu scripts. But during the War almost two millions of soldiers were made literate by the Army through the use of the Roman script and their experience showed that they could acquire working knowledge of Hindustani in about three to six months' time. There is a feeling that this would have been impossible to achieve if the Devnagri or the Urdu script had been used Roman has thus solved the problem of finding alternative scripts for men of different provinces and if these men who have been made

literate during their service in the Army are not to lapse into illiteracy, they must be provided with suitable literature in Roman Hindustani. It will take time for every person to learn both Devnagri and Urdu scripts and till this is achieved, it would be worth considering whether the use of Roman as a supplementary script may not be a temporary expedient. There are millions of Bengalees, Madrasis, Oriyas, Assamese and men speaking other languages who can understand Hindustani and pick it up quickly but for the impediment in their progress because of the script. It is the case of these people that Hon'ble Member had in mind when he referred to the use of the Roman script for Hindustani."

( वाक्य रेखांकित लेखक ने किये हैं )

( ३ ) लेखक का श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति को पत्र, ता० ६-३-४७

प्रिय महोदय,

आपका १-३-४७ का पत्र मिला। धन्यवाद। अपना पत्र लिखने से पूर्व मैंने १८-२-४७ को प्रेस कान्फ्रेन्स का विवरण भली भाँति पढ़ लिया था। आपको मेरे पिछले पत्र में उन सब तर्कों का उत्तर मिलेगा जो माननीय शिक्षा-सदस्य ने रोमन लिपि के पक्ष में उपस्थित किये थे और जिन्हें आपने अपने पत्र में दोहराया है।

मैनिकों के लाभार्थ अस्थायी रूप में रोमन लिपि को प्रयुक्त करने के अतिरिक्त और उसमें विलकुल अलग शिक्षा-सदस्य रोमन लिपि को बढ़ाना

देना और उसे स्थायी रूप में हिन्दुस्तानी के लिये अपनाना चाहते हैं, इस विषय में यदि कुछ मन्देह था भी तो यह प्रायःके पत्र के इन शब्दों से मिट गया है, “—There is a feeling—provinces.” और “—There are millions of—use of the Roman script for Hindustani.” इन मत्व्यों का उत्तर देना जरूरी है।

यह भावना कि देवनागरी द्वारा मैजिकों को हिन्दुस्तानी की काम चलाने शिखा तीन से लेकर छै महीने में देना सम्भव न होना, प्रायःके विभाग और सेना-विभाग के वेतन-भोगी कर्मचारियों की है, देश की नहीं और न यह सत्य पर आधारित है। रोमनलिपि के मुफादले देवनागरी की उत्कृष्टता की पश्चात्य विद्वानों ने भी स्पर्षकाग है। मुझे यह देख कर दुःख होता है कि पहली राष्ट्रीय सरकार का शिक्षा मन्त्र जिसे इस शुद्ध, स्वदेशी पस्तु की उत्कृष्टता, जिसे विदेशियों ने भी माना है, पर गर्व होना चाहिये था, रोमन लिपि का गुणगान करता है और उसे देवनागरी ने उत्तम बताता है। दूने आश्चर्य की बात है कि माननीय शिक्षा-सदस्य ने देवनागरी को बिना मौका दिये और उसकी अपेक्षाकृत उत्कृष्टता या निवृष्टता की अमल में पालतप में जाँच किये बिना ही अपने वेतन-भोगी अफसरों का मत मान लिया। वे लड़ाई के समय में तीन चार वर्षों में अर्जित सेना-विभाग के ‘experience’ की बात करते हैं, परन्तु यह भूल जाते हैं कि देश में जो गैर-सरकारी सत्यायें देवनागरी में हिन्दी या हिन्दुस्तानी का प्रचार कर रही हैं, विशेषरूप से अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन और दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार समाज जिसे गांधीजी ने इसी उद्देश्य में २५ वर्ष पूर्व स्थापित किया था, उनका मत है कि यदि उन्होंने देवनागरी के बजाय किसी दूसरी लिपि से काम लिया होता तो उन्हें इतनी अधिक सफलता कदापि न मिलती। यदि वे इन्हीं दो संस्थाओं की रिपोर्टों के आँकड़ों को देखें, तो उनका मत बदल जाय। इन संस्थाओं के लिये ‘तीन से लेकर छै महीने’ से भी कम

समय में हिन्दुस्तानी की काम चलाऊ शिक्षा देना संभव हुआ है। जार्ज वर्नार्ड शा ने कहा है कि रोमन लिपि की अपूर्णता और त्रुटियों के कारण अँगरेजी सीखने में अँगरेज बच्चों का बहुत सा अमूल्य समय नष्ट होता है। फिर वह हिन्दुस्तानी जैसी एक भारतीय भाषा के लिये कितनी अपूर्ण, अपर्याप्त और अनुपयुक्त होगी, इसकी सहज में कल्पना की जा सकती है। काश, हम राजनीतिक दासता के साथ साथ सांस्कृतिक और मानसिक दासता से भी छुटकारा पा जाते !

विभिन्न प्रान्तों के लोगों के लिये एक कामन लिपि की समस्या को हल करने का काम एक विदेशी सरकार के शिक्षा-विभाग या सेना-विभाग के लिये नहीं छोड़ रक्खा गया था। इस समस्या को हल हुये हजारों वर्ष हुये—वह तभी हल हों गँई जब ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ जिससे देवनागरी निकली है और जिसके विभिन्न रूपों में आज विभिन्न प्रान्तीय भाषायें लिखी जाती हैं। देवनागरी रोमनलिपि से प्रत्येक बात में केवल उत्कृष्ट ही नहीं है, विभिन्न प्रान्तों के लोग उससे या उसके विभिन्न रूपों से पहले से ही परिचित हैं और इस कारण उन्हें देवनागरी सीखने में दिलकुल कठिनाई नहीं होती। रोमन लिपि पूर्णतया विदेशी है और उसका किसी भारतीय लिपि से कोई नाता, लगाव या सादृश्य नहीं। लाखों बंगाली, मद्रासी, उड़िया, आसामी आदि जो हिन्दुस्तानी समझ लेते हैं, रोमन लिपि की अपेक्षा देवनागरी में लिखित हिन्दुस्तानी कहीं जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। यदि माननीय शिक्षा सदस्य का मतलब अँगरेजी पढ़े-लिखे लोगों से है, तो वे यह भी कह सकते हैं कि अँगरेजी ने विभिन्न प्रान्तों के लिये एक कामन भाषा की समस्या हल कर दी है। फिर वे हिन्दुस्तानी को ही क्यों नहीं निकाल देते ? अँगरेजी के मुकाबले में हिन्दुस्तानी के पक्ष में जो कोई भी तर्क उपस्थित किया जा सकता है वह रोमन लिपि के मुकाबले में देवनागरी के पक्ष में और भी ज्यादा जोर के साथ उपस्थित किया जा सकता है।



जहाँ तक सैनिकों के लाभार्थ अस्थायी रूप से रोमन लिपि के उपयोग का सम्बन्ध है, स्पष्टतः सेना के अधिकारियों ने देवनागरी जैसी अधिक उपयुक्त और वैज्ञानिक न्वदेगी लिपि के होने हुए विदंशी रोमन लिपि द्वारा सैनिकों को 'हिन्दुस्तानी' की शिक्षा देकर देश के साथ बहुत बड़ी उपादत्ती की, विशेष रूप से इसलिये कि देश में रोमन लिपि में वित्कुल हिन्दुस्तानी साहित्य नहीं था और न है, परन्तु देवनागरी में ढेरों पुगना और नया साहित्य था और है। हमें प्रथम लोकप्रिय शिक्षा सदस्य से आशा थी कि वह उस अन्याय को दूर करेगा, न कि यह कि वह उसे बनाये रखेगा और हिन्दुस्तानी के लिये रोमन लिपि के प्रयोग को और बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त माननीय शिक्षा-सदस्य के तर्क सारहीन हैं। जिन सैनिकों ने रोमन लिपि और हिन्दुस्तानी भाषा दोनों तीन से लेकर छै महीने में सीख लीं, वे देवनागरी दो महीने में बढ़ी सरलता से सीख सकते हैं। क्या रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण में दो महीने से भी कम समय लगेगा ? सैनिकों के लाभार्थ रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण में जो शक्ति और धन व्यय होगा उसका कहीं अधिक सदुपयोग सैनिकों को देवनागरी सिखाने में किया जा सकता है। स्पष्टतः उन्हें देवनागरी हिन्दुस्तानी की पाठ्य-पुस्तकों द्वारा ही सिखाई जायगी। इसलिये देवनागरी सीखते-सीखते तो उनकी साक्षरता लुप्त न हो जायगी। फिर वह साक्षरता किस काम की जिसे जीवित रखने के लिये इतने खर्च पर, और वह भी ग्राम कर्ताओं के खर्च पर, शिक्षा-विभाग को नित्य रोमन लिपि में नया साहित्य प्रस्तुत करना पड़े ? देश में तो रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य छुपता नहीं, और यह शिक्षा सदस्य को मालूम है। जहाँ एक ओर रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य का निर्माण एक चक्र का रूप धारण कर लेगा, जिसे चालू रखने के लिये नित्य और रुपये की जरूरत पड़ेगी और इसलिये जो देश पर एक अस्थायी बोझा बनकर रह जायगा, वहाँ दूसरी ओर सैनिकों को

देवनागरी मात्र सिखाने के वाद शिक्षा-विभाग को और ध्यान देने की आवश्यकता न रह जायगी और इसलिये वह देश का स्थायी लाभ होगा। रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य सुलभ होने पर सैनिक किसी दूसरी लिपि सीखने के प्रति उदासीन भी हो जायेंगे और इसलिये रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण की सगत शिक्षा-सदस्य की हम इच्छा से नहीं बैठती कि सब हिन्दुस्तानी शीघ्र से शीघ्र देवनागरी और उर्दू लिपि सीख लें। फिर, सेना के बीस लाख सैनिक अब एक ही छत्र तले नहीं ह। उनमें से अधिकांश अलग किये जा चुके हैं और उन्होंने अन्य नागरिकों की भाँति विभिन्न नागरिक पेशे अख्तियार कर लिये हैं। स्वाभाविक रूप से अब उनका आकर्षण अपनी अपनी प्रान्तीय भाषा और साहित्य के प्रति है उन्हें अब रोमन लिपि में प्रकाशित सरकारी हिन्दुस्तानी साहित्य की पर्वाह नहीं, जो उन्हें केवल अपने सहनागरिकों से और देश में प्रचलित हिन्दुस्तानी साहित्य से भी दूर रखने में सहायक सिद्ध होगा। माननीय शिक्षा-सदस्य ने स्वयं कहा है कि लाखों बंगाली, मद्रासी, आसामी, महाराष्ट्री ऐसे हैं जो हिन्दुस्तानी समझते हैं। उनकी साक्षरता जिस तरह भी हो उस तरह कायम रखने का सवाल ही नहीं उठता। केन्द्रीय शिक्षा-विभाग को चाहिए कि वह उन्हें देवनागरी सिखाने के लिये कदम उठाये। शेष सब अपने आप हो जायगा। यह रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण की अपेक्षा साक्षरता और हिन्दुस्तानी प्रचार की कहीं बड़ी, स्थायी और अल्पव्यय सापेक्ष सेवा होगी। जब हम भारत की भारती के लिये एक कामन लिपि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं, अवश्य ही माननीय शिक्षा-सदस्य का यह इरादा नहीं हो सकता कि कृत्रिम उपायों से और जान बूझ कर एक तीसरी लिपि धुमेड कर—और वह भी करदाताओं के खर्च पर—समस्या को और जटिल बना दिया जाय और हिन्दुस्तानी जानने वाली जनता तथा हिन्दुस्तानी साहित्य को तीन भागों में बाँट दिया

जाय। किस लिपि को भारत की कामन लिपि का पद प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय, इस विषय में रंच मात्र सन्देह नहीं हो सकता। वह लिपि देवनागरी है। कारणों को दोहराने की आवश्यकता नहीं।

सब भारतीयों के लिये दोनों लिपि सीखना क्यों वाञ्छित है, इस प्रश्न का भी आपने अपने पत्र में कोई उत्तर नहीं दिया। वाञ्छित तो प्रत्येक भारतीय के लिये भारत की सब लिपियाँ सीखना भी हो सकता है, परन्तु राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दुस्तानी के साथ दो लिपियाँ क्यों लगाई जायँ और हिन्दुस्तानी सीखने की इच्छा करने वाले प्रत्येक भारतीय से दो लिपियाँ सीखने के लिये क्यों कहा जाय, विशेषरूप से तब जब समय के पहलू को इनका महत्त्व प्रदान किया जा रहा है और ठीक ही किया जा रहा है? इसके अतिरिक्त उर्दू लिपि जैसी लिपि के व्यवहार को बढ़ावा देना अन्य कारणों से भी अवाञ्छित है। अदालतों की लिपि के प्रकरण में मानियर विलियम्स जैसे विद्वानों ने उर्दू लिपि के विषय में जो सम्मतियाँ दी हैं, उन्हें यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं।

आपने अपने पत्र में मेरे इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं दिया कि माननीय शिक्षा-सदस्य ने सेना की उर्दू को 'हिन्दुस्तानी' नाम से क्यों पुकारा। जैसा मैं अपने पिछले पत्र में कह चुका हूँ, सेना की उर्दू के लिये इस नाम का प्रयोग आमक और बोखे में डालने वाला है और इसलिये तुरन्त वन्द हो जाना चाहिए।

अन्त में, शिक्षा-सदस्य की रोमन लिपि की कालत से देश में जो तीव्र जोष उत्पन्न हुआ है उसे और राष्ट्रीयता, संस्कृति तथा उपयोगिता के दृष्टिकोण से इस मामले की महत्ता को देखते हुए मैं जोर दूँगा कि देश पर स्थाई रूप से अथवा अस्थायी रूप से रोमन लिपि लादने की दिशा में कोई कदम उठाने से पूर्व देश के विद्वानों तथा नेताओं की सम्मति एवं अनुमति ली जाय।”

इस पत्र का अभी तक कोई उत्तर नहीं आया और न अब आने की आशा है। मौलाना आजाद के प्राइवेट सेक्रेटरी के पत्र ( पत्र संख्या २ ) की एक नकल वर्तमान लेखक ने गाधीजी के पास मेजी थी। उनके पास से भी कोई उत्तर नहीं आया। आने भी क्यों लगा ? अकेली देवनागरी न सुहाने के कारण राष्ट्र-लिपि के मामले पर गाधी जी सम्मेलन से त्याग-पत्र दे सकते हैं, और टंडन जी से युद्ध ठान सकते हैं, पर एक तीसरी विदेशी लिपि के मामले पर मौलाना आजाद या डा. अब्दुल हक से युद्ध नहीं ठान सकते। राष्ट्र-लिपि के बने बनाये घर में, जिसे बनाने में स्वयं उनका हाथ कम नहीं था, 'दोनो लिपि' की फूट डालकर वे अब तटस्थ हो गये हैं, और दूर से बंदरबोट का तमाशा देखने में सतुष्ट हैं।

## २

यह सर्व-विदित है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अँगरेजी माध्यम को बदल कर 'हिन्दुस्तानी' को शिक्षा का माध्यम बनाने का फैसला किया है। अन्य विश्वविद्यालय भी 'हिन्दुस्तानी' को वर रहे हैं। पता नहीं यह 'हिन्दुस्तानी' क्या है, परन्तु हमारे माननीय नेताओं को इसका मोह कुछ ऐसा लगा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रस्ताव में परिचित और अर्थ-युक्त शब्दों 'हिन्दी' और 'उर्दू' के बजाय 'हिन्दुस्तानी' धराने में स्वयं टंडन जी का बड़ा हाथ था। इससे जो होना था सो हो रहा है। अर्थात् एक ओर हिन्दी के एक अन्य प्रबल समर्थक श्री सूर्यनन्दजी 'हिन्दुस्तानी' की पारिभाषिक शब्दावली गढ़ने के लिये विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलरो की एक कान्फ्रेंस का आयोजन करके 'हिन्दुस्तानी' के पिछले इतिहास की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, और दूसरी ओर लखनऊ विश्वविद्यालय के कोर्ट में शीघ्र ही यह प्रस्ताव पेश होने वाला है कि सब अध्यापकों के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों का पूर्ण परिदल होना अनिवार्य होगा, और स्वाभाविकतः बाद को इस अभागे हिन्दू प्रात में जो हिन्दुओं का होते हुये भी हिन्दुओं के

हाथ में नहीं है और हिन्दी का होते हुये भी हिन्दी का नहीं किमी 'हिन्दुस्तानी' का है, १४% मुसलमान छात्रों के कारण सब छात्रों के लिये भी वही शर्त लागू की जायगी। 'हिन्दुस्तानी' के मूल 'हिन्दुस्तानी' माध्यम को किस प्रकार सिद्ध करने का इगदा ग्वते हैं, इसे छोड़ कर अत्र जग वर्तमान पर दृष्टिपात कीजिये। मालूम हुआ है कि लन्दनज विश्वविद्यालय में बहुत से दजों में 'हिन्दुस्तानी' में पढ़ाई आरम्भ हो गई है और उसका स्वरूप यह है—'इन्स ने अब तक डो प्रोड्रेस की है—', "अगर एक स्ट्रैट लाइन पर एक परपेन्डीकुलर ट्राप किया जाय और सिक्मटी डिग्रीज का एंगिल बनाती हुई एक दूसरी लाइन खींची जाय—", "अगर एक मेटल के दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर दो टुकड़े मिलाये जायें तो एक वेल्तेज क्रियेट हो जाता है और इलेक्ट्रीसिटी की एक करेन्ट फ्लो होने लगती है—"; "हिन्दुस्तान की हिस्ट्री की जो किताबे इ डियन लैंगुएज में मिलती हैं या जो ट्रांसलेशन हुये हैं—", आदि, आदि। \* अस्तु, हिन्दी की क्रियाओं के साथ किसी भी भाषा के शब्दों को प्रयुक्त करके 'हिन्दुस्तानी' का ढिढोरा पीटना तो संभव था, परन्तु लिपि के मामले में क्या किया जाता अर्थात्

---

\* एंग्लो-'हिन्दुस्तानी' स्कूलों में भी जहाँ 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम हुये काफी समय हो चुका है और जहाँ हिन्दी लेने वाले और उर्दू लेने वाले विद्यार्थियों को एक साथ एक ही दरजे में 'हिन्दुस्तानी' के माध्यम से गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, आदि विषय पढ़ाये जाते हैं, यही हाल है। यह 'इङ्गलिस्तानी' का जयजयकार है! अध्यापकों को दोष देना बेकार है। 'हिन्दुस्तानी' की टोरथी भाषा में पढ़कर बेचारे क्या करें? 'हिन्दुस्तानी' कोई मंत्र तो है नहीं जिसे पढ़ने से हिन्दा और उर्दू का अंतर न-मंतर हो जायगा, परन्तु हिन्दुस्तानी वाले इन अंतर को मानने को और उसे मान कर उचित व्यवस्था करने को तैयार नई। उनको ज़िद का जो परिणाम हो सकता है वही हो रहा है। रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' में भी 'इङ्गलिस्तनी' की चाणनी कम नहीं।

दर्जे में किस लिपि में पढ़ाया जाता ? इस भीषण कठिनाई का अनुभव 'हिन्दुस्तानी' वाली राष्ट्रीयता के ठेकेदारों ने भी किया, अतः लखनऊ विश्वविद्यालय के उसी प्रस्ताव में जिसमें 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम बनाना स्वीकार किया गया है, 'हिन्दुस्तानी' के लिये तीन लिपियाँ स्वीकार की गई हैं—देवनागरी, फारसी लिपि और रोमन। और मालूम हुआ है कि इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में जितनी पढ़ाई 'हिन्दुस्तानी' में हो रही है, और जितना अन्य काम (जैसे विश्वविद्यालय के नोटिस, आज्ञा-पत्र, आदि) 'हिन्दुस्तानी' में हो रहा है, उस सब में अकेली और केवल रोमन लिपि का प्रयोग हो रहा है। ऐसा होना अनिवार्य है। 'दोनों लिपि'वाद के रहते जो इस स्थिति को बदलने की आशा रखता है उसे पहले मानव-प्रकृति को बदलना पड़ेगा। जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रहा है वही 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम घोषित करने नाम लूटने वाले अन्य विश्वविद्यालयों में होगा। 'हिन्दुस्तानी' की यही हिन्दुस्तानी पोशाक होगी !

पाठकों का ध्यान एक और तीसरी बात की ओर भी खींचना उचित जान पड़ता है। कुछ दिन हुए (अप्रैल, १९४७), पत्रों में आया था कि विधान परिषद् की अल्पसंख्यक-परामर्श समिति (Advisory Committee for Minorities) ने बच्चों और पर यह मतय किया है कि भारत की राष्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' हो जो देवनागरी या फारसी लिपि में लिखी जाय, तथा इस पर यह सुझाव पेश किया गया है कि 'हिन्दुस्तानी' की लिपि रोमन हो क्योंकि 'इससे अभागीयों को भारतीय मामले समझने में आसानी होगी', और समिति ने अभी तक इस सुझाव पर अपना निर्णय नहीं दिया है। अनुमान करना कठिन नहीं कि इस सुझाव को पेश करने वाले कौन हैं। उनकी राय में भारतीयों की अपेक्षा अभागीयों को भारतीय मामलों समझाना ज्यादा जरूरी है, और चाहे करोड़ों भारतीयों को एक नई विदेशी लिपि सीखना पड़े परन्तु थोड़े से विदेशियों को एक भारतीय

लिपि न सीपना पड़े। और किसी दूसरी बात का कोई महत्त्व है ही नहीं। जो भी हो, लक्षणों से यही जान पड़ता है कि अपने 'दोनों लिपि'-वाट के कारण समाप्ति को या तो यह मुभाव मान लेगा, या रोमन लिपि को भी 'हिन्दुस्तानी' के लिये स्वीकार करना पड़ेगा। इसका भी बड़ी परिणाम होगा। यह सब क्यों न हो! जिस दिन हम राष्ट्र का नरम बड़ा नेता नूका और उसने 'दोनों लिपि' की जिद्द परगरी, इस देश का राष्ट्रीयता ने घुन से उसी दिन से लग गया। मौलाना आजाद ने अपना पक्षमान पद म्भाजने के बाद प्राणीय सरकारों को आदेश देने कि वे 'दोनों लिपियों' का अधिष्ठा-धिक प्रचार करें। उन्हें मालूम था कि कौन सी प्राणीय सरकारें इन आदेशों का पालन करेंगी और कौन सी नहीं, अतः उर्दू लिपि के प्रचार के लिये इससे बढकर दूसरी ओट नहीं मिल सकती थी। परन्तु उन्हें भय है कि देवनागरी अपने गुणों के कारण कहीं फिर भी उर्दू लिपि पर हावी न हो जाय। उन्हें यह भी मालूम है कि पाकिस्तान 'दोनों लिपि' को दोगारी से आक्रान्त नहीं, और वहाँ रोमन लिपि का कोई संचालन नहीं—उर्दू लिपि वहाँ पूर्णतया सुचित है, अतः उधर से निश्चिन्त हो 'हिन्दुस्थान', और 'हिन्दुस्थान' के मुसलमानों को हिन्दुई देवनागरी के प्रकार से बचाने के लिये और अपने दिल के हर को जड़ से निकाल डालने के लिये उन्होंने रोमन लिपि को शरण गरी, और उने हिन्दुस्थान का गद्दो पर बैठाने के लिये अपने पद और अपनी कामेभी प्रतिष्ठा का उपाग कर रहे हैं। परन्तु पूर्व हिन्दू कामे की 'दोनों लिपि' वाली वादियागरी और उसकी ओट से मुसलमानों द्वारा खेले जाने वाले शिकार को कब तक 'राष्ट्रीयता' के नरम से देखते रहेंगे? जब लेकर यह सोचने लगता है तो उसरी व्यथा का अन्त नहीं रहता।

## उत्तर-परिशिष्ट २

### ‘राष्ट्रीय’ सरकार की रेडियो की भाषा विषयक नीति

( लेखक—रविशंकर शुक्ल )

१

हिन्दी वालों को टालने के लिये सर अकबर हैदरी ने एक हिन्दी-उर्दू परामर्श समिति बना दी थी जो प्रति दो महीने बाद एक बैठक करके कुछ करने का नाट्य करती थी। इस समिति में एक सम्मेलन का प्रतिनिधि था, एक अजुमन-तरक़ी-उर्दू का और एक हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा का, और अध्यक्ष तथा संयोजक थे श्री बोखारी। पहला प्रश्न तो यही उठता है कि हिन्दी और उर्दू का ‘हिन्दुस्तानी’ से क्या वास्ता था, और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा देश में भाषा और साहित्य के जगत में किसका प्रतिनिधित्व करती थी या करती है ? ‘हिन्दुस्तानी’ में अखबार नहीं निकलते, पुस्तकें नहीं छपती, कहीं पढाई नहीं होती, ‘हिन्दुस्तानी’ के लेखक नहीं, साहित्य नहीं, फिर यह हिन्दुस्तानी प्रचार सभा जिसे स्थापित हुये केवल एक वर्ष हुआ है किसकी ओर से बोलने का दावा कर सकती है ? अस्तु, सर अकबर हैदरी का उद्देश्य यह था कि ‘हिन्दुस्तानी’ का बखेड़ा खड़ा करके मामले को उलझा दिया जाय और ‘हिन्दुस्तानी’ की आड़ में पूर्ववत् उर्दू का दोलनाला रहे, इसलिये उन्होंने इस बेजब और नवीन रस्था हि० प्र० रुभा का प्रातनिधि लेना आवश्यक समझा। हुआ भी वही जिसे सोचकर यह किया गया था, अर्थात् यह समिति मामला न सुलझा सकी और तीनों सदस्यों ने ‘हिन्दुस्तानी’ के शब्दों की तीन भिन्न सूचियाँ पेश कर दीं। यदि सर अकबर हैदरी की सरकार



होती तो वह उर्दू वाले की सूची पर 'हिन्दुस्तानी' की मोहर लगाकर रेडियो की प्रचलित 'हिन्दुस्तानी' को चालू रगती। पर भाग्य में अथवा दुर्भाग्य में उस सरकार के स्थान में एक 'राष्ट्रीय' सरकार प्राचुकी थी जिसमें रेडियो के सदस्य थे सरदार पटेल। सरदार पटेल उन्हें कामेय के एक बड़े नेता, गांधी जी के अनन्य अनुयायी और इस्लामिये तामेय की 'हिन्दुस्तानी' तथा हिन्दुस्तानी-वाद के एक भक्त। उनकी पीठ पर न्यय हिन्दुस्तानी प्रचार उभा के सभासति ७० राजेन्द्रप्रसाद थे, प्रता उनके लिये 'हिन्दुस्तानी' की विचारण करना और रेडियो को 'हिन्दुस्तानी'-प्रचार का साधन बना कर गांधीजी का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। उन्होंने हिन्दी उर्दू परामर्श समिति की सिफारिशों पर चली निर्णय दिए जिदाली उनसे प्राप्त थी। इन निर्णयों की घोषणा फरवरी, १९४७ में हुई और चली मोफता 'राष्ट्रीय सरकार' की रेडियो की नया विषयक नीति का प्रभाव है। मन्त्रेय से, इन नीति के आरम्भ में 'हिन्दुस्तानी' के भाग्य में 'हिन्दुस्तानी' है, और अन्त में 'हिन्दुस्तानी' है। जरा जा सकता है कि बृदिश सरकार और उसके अधीनस्थ हिन्दुस्तानी सरकारों ने हिन्दी का भाग हीन हर उर्दू को दिया था और उसका नाम 'हिन्दुस्तानी' रक्खा था, इस 'राष्ट्रीय' सरकार ने हिन्दी का स्थान अपनी 'हिन्दुस्तानी' को दिया है जो आन्तर्गत जुकन जी के शब्दों में जग छती हुई उर्दू है। घोषणा की 'हिन्दुस्तानी' विषयक मुख्य बातों पर ध्यान दीजिये : ( १ ) सम्मानार रेवल 'हिन्दुस्तानी' में होंगे, हिन्दी में नहीं ( २ ) स्त्रियों और बच्चों के प्रोग्राम तथा इसी प्रकार के जा अन्य प्रोग्राम हिन्दी में होंगे उनका एक 'बच्च भाग' 'हिन्दुस्तानी' में होगा, ( ३ ) हिन्दी-प्रदेश के सब स्टेशनों से उर्दू के अतिरिक्त एक निश्चित अनुपात में 'हिन्दुस्तानी' के प्रोग्राम होंगे—पेशावर से ५ प्रतिशत, लाहौर से ७½ प्रतिशत, दिल्ली से २० प्रतिशत और लखनऊ से १० प्रतिशत।

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ‘हिन्दुस्तानी’ के नाम पर सब भारतीय भाषाओं में से केवल हिन्दी के साथ अन्वयाय किया जायगा। सब भारतीय भाषाओं में खबरें होंगी, यहाँ तक पंजाबी और पश्तो में भी खबरें होंगी, परन्तु हिन्दी में खबरें नहीं होंगी। सब प्रान्तीय भाषाओं में स्त्रियों, बालकों, आदि के प्रोग्राम अबाध रूप से होंगे, परन्तु हिन्दी के प्रोग्रामों का ‘बड़ा भाग’ ‘हिन्दुस्तानी’ में होगा। इस घोषणा का सबसे भयकर भाग वह है जिसमें ‘हिन्दुस्तानी’ के समर्थन में तर्क दिये गये हैं। प्रत्येक हिन्दी प्रेमी दिल पर हाथ रखकर सोचे कि इन तर्कों का क्या मतलब है और ये तर्क हिन्दी के कौन भविष्य की ओर संकेत करते हैं। मुख्य तर्कों पर ध्यान दीजिये :

( १ ) ‘हिन्दुस्तानी’ उत्तरी भारत में आम तौर से बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है जो देवनागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाती है। ( उर्दू लिपि फिर ‘उर्दू लिपि’ क्यों कहलाई ! ) अपने दिल के चोर को न छिपा सकने के कारण घोषणा के अन्त में सरकार कहती है, “हिन्दुस्तानी की यह परिभाषा दोनों रेडियो-कमेटियों ने की है।”

( २ ) सरकार अनुभव करती है कि बहुत से सुनने वाले यह नहीं चाहते कि ऐसी ( ‘यह’ नहीं ! ) भाषा हिन्दीवालों और उर्दूवालों के विवाद में पिस जाय।

( ३ ) अतः सरकार चाहती है कि आम जनता और आम सुनने वालों के लिये, साहित्यिक हिन्दी और साहित्यिक उर्दू के अतिरिक्त और उनसे अलग, ‘सरल हिन्दुस्तानी’ में प्रोग्राम हो, तथा साहित्यिक रुचि वालों के लिये हिन्दी और उर्दू में प्रोग्राम हों।

( ४ ) सरकार को आशा है कि उसके निर्णय आम जनता को पसन्द आवेंगे, यद्यपि संभव है उनसे उन दो दलों को पूर्ण सतोष न हो जिनके बीच में विवाद है।

इन तर्कों का स्पष्ट अर्थ यह है कि सरकार की दृष्टि में हिन्दी उत्तरी

भारत में बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा नहीं है, हिन्दी केवल कविता और साहित्य की भाषा है और केवल साहित्यिक रचने वाला के काम की है। प्रायः जनता और आम जनता के भाषा व व्यवहार की भाषा 'हिन्दुस्तानी' है।

उन पक्षियों का लेखक नहीं कह सकता। क हिन्दी वालों ने इन सङ्घर्षी तर्कों का पूरा अर्थ समझा है या नहीं, क्योंकि इनका मजज कर्मों वाले उसके देखने में नहीं आये। लेखक इतना अस्पष्ट रह सकता है कि 'भारतीय' सरकार ने हिन्दी की अर्थों देना कर ली है, इस देखल उसे पकड़ने का देर है। और हिन्दी के रिक सिंहासन पर 'हिन्दुस्तानी' का प्रतिष्ठित करने का पूर्ण आयोजन हो चुका है।

हिन्दी वाले शायद यह सोचते होंगे कि और कुछ न मही, लगनऊ ने ७० प्रतिशत प्रोग्राम को हिन्दी में हाने। जिन तर्कों के चल पर आज समाज अलग हिन्दी में समाचार देने को तैयार नहीं, हिन्दी में मित्रियों, बंधों, आदि के प्रोग्राम देने को तैयार नहीं और आज लगनऊ ने १० प्रतिशत प्रोग्राम 'हिन्दुस्तानी' में दे रही है, उन्ही तर्कों के चल पर यदि सरकार कल यह कहे कि रेडियो आम जनता के लिये है, मुझे भर 'साहित्यिक रचि' वालों के लिये नहीं और इसलिये १० प्रतिशत से अधिक प्रोग्राम हिन्दी में नहीं हो सकते, तो उस समय हिन्दी वाले क्या उत्तर देंगे? सब की समझ में आने वाली 'सरल हिन्दुस्तानी' जब है ही, तो कोई भी प्रोग्राम कुछ की समझ में आने वाली हिन्दी में क्यों किया जाय? होगा इसका कोई उत्तर हिन्दी वालों के पास? भाला गड़ने से पहले सदैव भाले की नोक गड़ती है। शत्रु को दुर्बल समझनेवाला सदैव अन्त में मारा गया। जिसने भी झूठी उदारता या प्रमाद में आकर शत्रु को कंधे पर हाथ रखने दिया, उसने घोषा खाया।

२

हिन्दुस्तानीवाले हिन्दी को सामने से न घेर कर 'फ्लैक मूवमेन्ट' द्वारा

मारना चाहते हैं। उनकी चाल यह है कि हिन्दी को कविता की भाषा घोषित करके एक किनारे कर दिया जाय और सारा काम-काज ‘हिन्दुस्तानी’ में किया जाय। आगे चल कर हिन्दी अपने आप कविता की भाषा भी नहीं रहेगी। कांग्रेसी सरकारें इसी चाल को चल रही हैं। वे हिन्दी को एक प्रांतीय भाषा के अधिकार से भी वंचित कर रही हैं। आज केन्द्र की ‘राष्ट्रीय’ सरकार हिन्दी में समाचार, आदि देने को तैयार नहीं। कल कहा जायगा कि युक्त-प्रात, विहार, मध्य-प्रात, आदि में सारा राज-काज, शिक्षा-कार्य, आदि सबकी समझ में आने वाली ‘हिन्दुस्तानी’ में होगा, साहित्यिकों और कवियों के विलास की भाषा हिन्दी में नहीं। सरदार पटेल की रेडियो की भाषा-विषयक घोषणा हिन्दी के अस्तित्व पर क्रूर कुठाराघात है। हिन्दी पर कांग्रेसी सरकारों और कांग्रेसी नेताओं की ओर से आये हुये और आने वाले इस महान् सकट का मुकाबला करने के लिये हिन्दी वालों को तैयार हो जाना चाहिये। जहाँ तक सरदार पटेल की रेडियो की भाषा-विषयक नीति का सम्बन्ध है, हमें भी ‘हिन्दुस्तानी’ का सामने से विरोध करने की आवश्यकता नहीं, परन्तु हिन्दी की रक्षा के लिये युद्ध ठानना ही पड़ेगा। सरकार को रेडियो में हिन्दी को एक प्रादेशिक भाषा के नाते स्वतंत्र स्थान देना ही पड़ेगा। जिस प्रकार अन्य प्रांतीय साहित्यिक भाषाओं में समाचार, स्त्रियों, बच्चों, आदि के प्रोग्राम होते हैं उसी प्रकार हिन्दी में समाचार, स्त्रियों, बालकों, आदि के अवाध प्रोग्राम होना परम आवश्यक है। रही ‘हिन्दुस्तानी’ की बात, सो हम किसी ऐसी ‘हिन्दुस्तानी’ से परिचित नहीं जिससे रेडियो का काम चल सके। मजे की बात यह है कि एक ओर सरकार ‘हिन्दुस्तानी’ के गुण गाती है, उसे ऐमी और वैमी भाषा बताती है, परन्तु दूसरी ओर उसकी शब्दावली बनाने के लिए कमेटी बैठाती है और उसके शब्द निरन्तर गढ़ने और बनाने के लिए एक स्थायी परामर्श समिति बनाने का इरादा प्रकट करती है। यदि ‘हिन्दुस्तानी’ कोई प्रचलित

भाषा है, 'सरल और समझ में आने वाली' भाषा है, तो उसकी शब्दावली निश्चित करने के लिये किसी कमेटी को क्या आवश्यकता है ? हिन्दी, उर्दू या किसी अन्य भाषा के लिये तो आज तक सरकार ने ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई । यदि 'यह न मे सुननेवाले' 'हिन्दुस्तानी' चाहते हैं तो उन्होंने उस 'हिन्दुस्तानी' का कोई रूप भी तो बना रखा होगा ? यदि 'हिन्दुस्तानी' उत्तरी भाग में आम तौर में बोली और समझी जाती है, तो उत्तरी भाग के लोगों ने उसका रूप भी तो मच लिया होगा, उसमें साहित्य का निर्माण भी तो किया होगा, उत्तरी भाग में उसमें अगवार और पुस्तकें भी तो लपती होंगी ? क्या मूर्ख कि इस घण्ट-वासी 'हिन्दुस्तानी' में तो कुछ नहीं होता, सब कुछ शौन में 'साहित्यिक रचि' वालों की समझ में आने वाली भाषा में होता है ! फिर सरकार ने, यह शर्त क्यों लगाई है कि रेटियों के जिन कर्मचारियों के जन्मे 'हिन्दुस्तानी' के प्रोग्राम होंगे, उनके लिये 'हिन्दी और उर्दू टॉनों' का जानना आवश्यक होगा ? केवल 'हिन्दुस्तानी', पर जो कुछ भी है, का जानना यथेष्ट क्यों नहीं, विशेष रूप से तब जब 'हिन्दुस्तानी' 'सबकी समझ में आने वाली' और 'उत्तरी भारत में आम तौर से बोली और समझी जाने वाली' भाषा है ? स्पष्ट है, सरकार अपने दिल का चोर छिपा नहीं सकी है । सरकार के हिन्दुस्तानी-वाद का खोपलापन घोषणा में ही पग-पग पर झलक रहा है । सरकार ने अन्त में 'दोनों रेटियों कर्मचारियों' का सहायक पकड़ना चाहा है, परन्तु यह भी व्यर्थ है । पहली कमेटी ( जिसके एक सदस्य डा० ताराचन्द्र थे ) के सदस्य सर अकबर हैदरी ने अपनी इच्छा में चुने थे, और एक विशेष उद्देश्य से चुने थे । उनमें हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था । वह 'हिन्दुस्तानी' के पिट्टुओं की कमेटी थी जिनका उद्देश्य 'हिन्दुस्तानी' के नाम से उर्दू का प्रचार करना और जारी रखना था । वह कमेटी 'हिन्दुस्तानी' की हिमायत क्यों न करती ? दूसरी कमेटी, जिसमें एक

सम्मेलन का प्रतिनिधि लिया गया था, के सामने ‘हिन्दुस्तानी’ पर राय देने का सवाल ही नहीं था। उसे तो केवल ‘हिन्दुस्तानी’ की शब्दावली गढ़ने का आदेश दिया गया था, और वह यह कार्य न कर सकी। उसमें अजुमन तरक्की उर्दू के प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि ‘हिन्दुस्तानी’ का किस्सा खत्म किया जाय और हिन्दी और उर्दू में अलग अलग समाचार हो, तथा सम्मेलन के प्रतिनिधि ने इसका अनुमोदन किया। सरकार ने इस बात को क्यों छिपा लिया? दो सदस्यों की एक राय होते हुये अकेले सदस्य अर्थात् हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के प्रतिनिधि की बात सरकार ने क्यों मानी? ऊपर से तुरा यह है कि सरकार ने हिन्दी और उर्दू के समर्थकों को विवादी दल ठहराया है और आप निष्पक्ष मध्यस्थ बनने का दावा किया है। भगड़ा केवल दो दलों—हिन्दी वालों और उर्दू वालों—के बीच में नहीं है। भगड़े में हिन्दुस्तानी वालों की पार्टी भी उतनी ही शामिल है। परन्तु सरकार ने इस तीसरे भगडालू दल का नाम नहीं लिया। उल्टे वह इसके साथ एकाकार हो गई है। वह निष्पक्ष जज नहीं रही बरन् इस तीसरी पार्टी का वकील बन गई है। सरकार के ‘हिन्दुस्तानी’ के साथ घोर पक्षपात का एक और सबूत है। सरकार घोषणा में स्वयं कहती है कि पत्र-पत्रिकाओं के सर्कुलेशन के आधार पर प्रत्येक स्टेशन में हिन्दी और उर्दू प्रोग्रामों का अनुपात निर्धारित किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि वे ‘हिन्दुस्तानी’ की पत्र-पत्रिकाएँ कौन सी हैं जिनके सर्कुलेशन के आधार पर सरकार ने सब स्टेशनों में ‘हिन्दुस्तानी’ को पृथक् प्रतिनिधित्व दिया है, यहाँ तक कि दिल्ली में २० प्रतिशत दिया है? हम तो ‘हिन्दुस्तानी’ की एक भी पत्रिका का नाम नहीं जानते। फिर, दूसरी रेडियो कमेटी ने यह कहीं नहीं कहा

\* केवल नाम रखने से भाषा ‘हिन्दुस्तानी’ नहीं हो जाती। गांधी जी के ‘हरिजनसेवक’ या पं० सुन्दरलाल की ‘विश्ववाणी’ या डा० ताराचन्द्र के ‘नया हिन्दू’ की भाषा हिन्दुस्तानी की किसी भी परिभाषा पर खरी नहीं उतरती। वह है ख़राब उर्दू, रेडियो की ‘हिन्दुस्तानी’ से भी बदतर।

है कि हिन्दुस्तानी नाम की ऐसी कोई भाषा है जिसमें समाचार हो सकता है, रेडियो का काम चल सकता है या कोई अन्य गम्भीर कार्य हो सकता है। इस कमेटी ने केवल इतना ही कहा है कि हिन्दुस्तानी एक बोली है जो उत्तरी भारत में बोली और समझी जाती है। इसका दूसरा नाम 'बड़ी बोली' है। इसी बोली के आधार पर हिन्दी और उर्दू जड़ों हैं और वह दोनों में निहित हैं। इस बोली से रेडियो का काम नहीं चल सकता। रेडियो का काम हिन्दी और उर्दू में चल सकता है। हिन्दी और उर्दू में ही उत्तरी भारत में सब काम होता है, पत्र, आदि निकलते हैं, और 'कामन मैन' इन्हें ही पढ़ता है और ये ही पढ़ाई जानी हैं। सरकार यह आदेश अवश्य दे सकती है कि रेडियो में सरल से सरल हिन्दी और सरल से सरल उर्दू का प्रयोग हो, परन्तु सरल से सरल हिन्दी और सरल से सरल उर्दू एक ही चीज नहीं। सरकारी घोषणा पर गोप प्रकट करने के लिये जब केन्द्रीय असेम्बली में नवाब सिद्दीकअली खॉं ने कटौती का प्रस्ताव रखा तब वहस का जवाब देने हुये सरदार पटेल ने बड़े तपाक से कहा कि अच्छा हो यदि साहित्यिक हिन्दी और उर्दू के हिमायती जनता के लाभार्थ निर्मित रेडियो को अपने विवाद में न घसीटें, और "मुझे 'literary flourishes of Urdu or of Sanskrit' से कोई वास्ता नहीं," और इस पर कांग्रेसी सदस्यों ने बड़े जोर से तालियाँ भी पीट दीं मानो जनता की बड़ी भारी विजय हो गई हो और आल इन्डिया रेडियो, जो वर्षों से 'जनता की भाषा' की विजय को प्रत्यक्ष कर ही रहा था, सदा के लिये भारत की राजधानी में इस विजय का साक्षात् प्रतीक बन कर गड़ गया हो। परन्तु सच यह है कि बड़ा अच्छा हो यदि राजनीतिक नेता अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिये भाषा और साहित्य के मामले में टखल न दें, और भाषा के साथ मनमानी न करें। यह 'literary flourishes of Urdu or of Sanskrit' का नहीं, भाव और अर्थ को प्रकट करने के लिये आवश्यक कम से कम शब्दों

का सवाल है। सरल से सरल हिन्दी और सरल से सरल उर्दू में वह भेद फिर भी रहेगा जो राजनीति, साहित्य, प्रतिनिधि, दशमलव, भाषण, सम्वाद-दाता, मन्त्रि-मंडल, प्रदर्शन, भविष्य, केन्द्र, सभापति, सम्यता, प्रजा-तंत्र, विद्यार्थी, आदि, आदि और स्यासत, अदब, नुमायन्दा, आशार्था, तकरीर, नामानिगार, बजारत, मुजाहिरा, मुस्तकविल, मरकज, सदर, तहजीब, जम्हूरि-यत, तालिब इल्म आदि, आदि में है। इनसे अधिक सरल और ‘literary flourishes of Urdu or of Sanskrit’ से रहित शब्द कहाँ से आंवं, अथवा, जब ये दोनों प्रकार के शब्द उत्तरी भारत में प्रचलित हैं, इन्हें छोड़कर इनके पर्यायवाची नये शब्द क्यों गढ़े जायें (यदि गढ़ना संभव भी हो तो) और वे कैसे ‘सबकी समझ में आनेवाले’ या ‘उत्तरी भारत में आमतौर से बोले और समझे जानेवाले’ हो जायेंगे, अथवा कुछ शब्द हिन्दी के और कुछ शब्द उर्दू के कैसे और क्यों छूटे जायें और क्या वह मिश्रण ‘सबकी समझ में आने वाला’ या ‘ज्यादा लोगों की समझ में आनेवाला’ या ‘उत्तरी भारत में आम तौर से बोला और समझा जानेवाला’ होगा? स्पष्ट है, सरकार को उत्तरी भारत की जनता तक पहुँचने के लिये हिन्दी और उर्दू—अवश्य ही सरलतम हिन्दी और सरलतम उर्दू—दो भाषाओं या ‘शैलियों’—का उसी प्रकार आश्रय लेना पड़ेगा जिस प्रकार अहिन्दी प्रान्तों में प्रान्तीय भाषाओं का। सरकार को एक तीसरी भाषा या शैली, देश में प्रचलित भाषाओं या शैलियों में निराली भाषा या शैली, गढ़ने का कोई अधिकार नहीं। वह केवल प्रचलित भाषाओं या शैलियों का उपयोग कर सकती है। यदि वह एक नई भाषा या शैली गढ़ना ही चाहती है तो प्रथम वह अपने समर्थन में ‘कामन मेन’ का नाम न ले—‘कामन मेन’ के लिये हिन्दी और उर्दू जमाने से बन चुकी हैं और ‘कामन मेन’ उन्हीं को पढ़ता है। दूसरे, सरकार हिन्दी का हक छीन कर ‘हिन्दुस्तानी’ को नहीं दे सकती। यह तो एक विचित्र बात है कि जिम हिन्दी में सैकड़ों अक्षर निकलते हैं जिन्हें लाखों व्यक्ति पढ़ते हैं, उसमें समाचा



ब्राह्मकाष्ठ न हों, परन्तु एक नई 'हिन्दुस्तानी' में हों जिसमें कोई अग्रव्यार नहीं निकलता और जो केवल सरकार के दिमाग में है। सरकार अपनी 'हिन्दुस्तानी' के समर्थन में बहुत से 'कामन मैनों' और 'कामन लिसनरों' की दुहाई देती है, परन्तु उन लिसनरों, आदि को क्या भूल जाती है जो वर्षों से हिन्दी में पृथक समाचारों की माँग कर रहे हैं ? उन पर सरदार पटेल, जो 'कांग्रेस किसी को मजबूर नहीं कर सकती' इस सिद्धान्त को मानकर देश के विभाजन के लिये भी तैयार हैं, अपनी 'हिन्दुस्तानी' क्यों लाटना चाहते हैं ? जब सरकार हिन्दी के पृथक अस्तित्व और व्यापकता में इन्कार नहीं करती—सबूत यह है कि उसने स्वयं हिन्दी को सत्र स्टेशनों में पृथक प्रतिनिधित्व दिया है, और लखनऊ में ७० प्रतिशत तक दिया है—तो वह उन्हीं कारणों से और उन्हीं के लिये जिनके लिये विभिन्न स्टेशनों में ये सब हिन्दी के प्रोग्राम होंगे, हिन्दी में पृथक समाचार क्यों नहीं देगी ? जिन हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के सर्कुलेशन के आधार पर सरकार ने प्रत्येक स्टेशन में हिन्दी का अनुपात निर्धारित किया है, उन्हीं के आधार पर हिन्दी में पृथक समाचार भी होने चाहिये। एक मामूली रेडियो रखनेवाला एक मामूली अखबार पढ़नेवाले से कम अपढ़ नहीं होता, और न हिन्दी के अखबारों में केवल साहित्यिक चर्चा होती है और न उन्हें केवल 'साहित्यिक रुचि' वाले पढ़ते हैं। हिन्दी केवल साहित्य और साहित्यिक रुचि वालों के काम नहीं आ रही है। हिन्दी में सब काम हो रहा है और सरकार की दिमागी 'हिन्दुस्तानी' के मुकाबले कहीं अधिक काम हो रहा है। हिन्दी का हिन्दी प्रदेश में बोली जानेवाली साधारण बोली या हिन्दुस्तानी से वही भ्रंश है जो साहित्यिक बंगला का बंगाल में बोली जानेवाली साधारण बोली से, या साहित्यिक गुजराती का गुजरात में बोली जानेवाली गुजराती से, आदि, आदि। केवल हिन्दी के पीछे 'साहित्यिक' विशेषण लगाकर सरकार उसे क्यों बदनाम करना चाहती है ? आज सरकार कहती है कि 'कामन मैन्'

हिन्दी नहीं चाहता, हिन्दी नहीं समझता, ‘हिन्दुस्तानी’ चाहता और समझता है, कल सरकार कहेगी कि हिन्दी प्रदेश का ‘कामन मैन’ तुलसी और सूर को नहीं समझता, रामचरित-मानस पढ़ना नहीं चाहता वरन् उसका ‘हिन्दुस्तानी’ में सरकारी अनुवाद पढ़ना चाहता है ! जिस प्रकार सरकार ने हिन्दी के प्रोग्रामों को ‘साहित्यिक रुचि’ वालों के निमित्त बताकर हिन्दी को एक किनारे कर दिया है उसका तो यही अर्थ निकलता है कि सरकार की राय में जो भी व्यक्ति हिन्दी पढ़ता है वह ‘साहित्यिक रुचि’ वाला है और सिवा ‘साहित्यिक रुचिवालों’ के कोई और हिन्दी नहीं समझता ! जो भी हो, जब सरकार ने स्वयं हिन्दी, उर्दू और ‘हिन्दुस्तानी’ का पृथक पृथक अस्तित्व स्वीकार किया है और तीनों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया है, तो सरकार तीनों में पृथक समाचार भी क्यों नहीं देगी ? जब सरकार बँगला जाननेवालों के लिये ( साहित्यिक ) बँगला में, गुजराती जाननेवालों के लिये ( साहित्यिक ) गुजराती में यहाँ तक कि अँगरेजी जाननेवालों के लिये ( साहित्यिक ) अँगरेजी में खबरें देगी और दे रही है, तो हिन्दी जाननेवालों के लिये हिन्दी में खबरें क्यों नहीं देगी ? हिन्दी के साथ ही विशेष व्यवहार क्यों ? क्या हिन्दी समझनेवालों की संख्या अँगरेजी समझनेवालों की संख्या से भी कम है ? क्या ‘कामन मैन’ और ‘कामन लिसनर’ उस अँगरेजी को समझता है जिसमें खबरें होती हैं, परन्तु हिन्दी नहीं समझता ? यदि सरदार पटेल को ‘कामन मैन’ की इतनी चिन्ता है तो वे अँगरेजी की खबरें और अँगरेजी के प्रोग्राम क्यों नहीं बन्द करते ? लखनऊ से, उदाहरण के लिये, अँगरेजी में भी खबरें होती हैं । क्या सरकार कोई कारण बता सकती है कि इन अँगरेजी की खबरों के स्थान में हिन्दी की खबरें ब्राडकास्ट करने से ‘कामन मैन’ का अधिक लाभ क्यों न होगा ? स्पष्ट है, सरकार हिन्दी के साथ भारत की अन्य भाषाओं के साथ किये गये व्यवहार से भिन्न व्यवहार नहीं कर सकती । जिस प्रकार सरकार बंगालियों, गुजरातियों, आदि

मे यह नहीं कह सकती कि तुम्हें अपनी चिर-परिचित बँगला और गुजराती के स्थान में किसी सरकारी और नई बँगला और गुजराती में खबरें सुननी पड़ेगी और तुम्हारी स्त्रियों, बालकों, आदि के प्रोग्रामों का 'बड़ा भाग' किसी सरकारी और नई बँगला और गुजराती में होगा, उसी प्रकार सरकार हिन्दियों में यह नहीं कह सकती कि तुम्हें अपनी चिर-परिचित हिन्दी के स्थान में सरकारी 'हिन्दुस्तानी' में खबरें सुननी पड़ेगी और तुम्हारी स्त्रियों, बालकों, आदि के प्रोग्रामों का 'बड़ा भाग' सरकारी 'हिन्दुस्तानी' में होगा। यदि सरकार हिन्दुस्तानी गठना ही चाहती है तो भारत के सभी प्रमुख विद्वानों की समिति बना कर उससे गठवाये और जब वह गठ जाय और उसे सब स्वीकार कर लें तब—उससे पहले नहीं—उसे भारत भर के स्टेशनों में समान स्थान दे और अँगरेजी के स्थान में उसका प्रयोग करे। हिन्दी में वृथक समाचारों की और स्त्रियों, बालकों, आदि के अवाध प्रोग्रामों की तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिये। हम यहाँ यह भी बताना आवश्यक समझते हैं कि अँगरेजी के समान समृद्ध तो 'हिन्दुस्तानी' की कौन कहे, आज तक की साहित्यिक हिन्दी भी नहीं है। आजकल हमें पूरा अर्थ और ध्वनि जानने के लिए अँगरेजी की खबरों को सुनने के लिए बाध होना पड़ता है। यदि केन्द्रीय सरकार के कांग्रेसी सदस्य दिखाने के लिये पहले सड़ी सी 'हिन्दुस्तानी' में भाषण देकर फिर असली भाषण अँगरेजी में देकर संतुष्ट हैं, तो उनको 'हिन्दुस्तानी' उन्हें सुधारक हो। हमें अँगरेजी की खबरें सुनने के लिये शिक्शा न किया जाय। हम पूरा अर्थ, ठीक ठीक भाव और ध्वनि जानने के लिये भी अपनी हिन्दी में खबरें चाहते हैं। जो 'हिन्दुस्तानी' में खबरें सुनना चाहते हैं या 'हिन्दुस्तानी' की खबरें सुनकर संतुष्ट हैं, वे शौक से 'हिन्दुस्तानी' में सुनें। सरकार हिन्दी का गला काट कर रेडियो को एक राजनीतिक दल की भाषा के प्रचार का साधन नहीं बना सकती। देश में हिन्दी भी है और उसे भी रेडियो में अपना उचित स्थान और रेडियो द्वारा प्रोत्साहन पाने का पूरा अधिकार है।

हिन्दी-प्रेमियों को इन्हीं तर्कों और युक्तियों को अपनी ढाल और तलवार बनाकर आगे बढ़ना चाहिये ।

### ३

सरकार की घोषणा की कुछ अन्य बातों पर भी दृष्टि डालना आवश्यक है । सरकार ने बम्बई, पेशावर, लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता और ढाका में हिन्दी, उर्दू और ‘हिन्दुस्तानी’ के प्रोग्रामों का सापेक्षिक अनुपात निर्धारित कर दिया है—पेशावर में पश्तो को ५० प्रतिशत, उर्दू को ४५, हिन्दुस्तानी को ५ प्रतिशत, हिन्दी को शून्य, लाहौर में पंजाबी को २५ प्रतिशत, उर्दू को ५६½, हिन्दी को ११½, हिन्दुस्तानी को ७½ प्रतिशत, दिल्ली में हिन्दी को ४०, उर्दू को ४०, हिन्दुस्तानी को २० प्रतिशत, लखनऊ में हिन्दी को ७०, उर्दू को २०, हिन्दुस्तानी को १० प्रतिशत, और बम्बई, कलकत्ता और ढाका में हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी को बराबर बराबर । अर्थात् सब जगह हिन्दी को अपने प्राप्य से बहुत कम और उर्दू को अपने प्राप्य से बहुत अधिक दिया गया है, और हिन्दुस्तानी प्रिया को सब जगह बिना किसी तर्क या सिद्धान्त के यों ही घुसा दिया गया है—कालान्तर में हिन्दी और उर्दू को विलकुल चट कर जाने के लिये । क्या सरकार इस बात से इन्कार कर सकती है कि सीमा-प्रांत की ‘आम तौर से बोली और समझी जाने वाली’ भाषा पश्तो, पंजाब की पंजाबी, बंगाल की बंगला, और बम्बई की मराठी हैं ? फिर पेशावर, लाहौर, कलकत्ता, ढाका और बम्बई में इन भाषाओं के बजाय ‘हिन्दुस्तानी’ में कोई भी प्रोग्राम क्यों किया जाय ? क्या इन प्रान्तों का ‘कामन मैन’ या ‘कामन लिंसनर’ इन भाषाओं की अपेक्षा ‘हिन्दुस्तानी’ को ज्यादा अच्छी तरह समझता है ? इन प्रान्तों में तो केवल हिन्दी और उर्दू को पठित साहित्यिक भाषाओं के नाते स्थान मिल सकता था । फिर इन प्रान्तों में जो भी हिन्दुस्तानी बोली या समझी जाती है उसका स्वरूप सब प्रान्तों में एक ना नहीं । उदा-

हरण के लिये, बंगाल और बम्बई में 'आम तौर से बोली और समझी जाने वाली' हिन्दुस्तानी, जिसे वहाँ का 'कामन मेन' समझ सकता है, हिन्दी से भिन्न नहीं, फिर कलकत्ता, ढाका और बम्बई में 'हिन्दुस्तानी' को हिन्दी से पृथक् प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया और हिन्दी को उर्दू के समकक्ष क्यों रख दिया गया ? क्या हम कम से कम यह आशा रखें कि न्याय के नाते इन स्टेशनों में 'हिन्दुस्तानी' की चीजें उन्हीं को दी जायँगी जो प्रान्त के स्थायी निवासी हैं और जिनकी मातृभाषा प्रान्तीय भाषा है ? यदि इन सब स्टेशनों में 'हिन्दुस्तानी' को 'राष्ट्र-भाषा' के नाते स्थान दिया गया है तो मद्रास और टिंचि में भी स्थान क्यों नहीं दिया गया, और क्या 'हिन्दुस्तानी' की शब्दावली के विषय में परामर्श देने वाली स्थायी समिति में सब प्रान्तीय भाषाओं के विद्वान् लिये जायँगे और क्या प्रान्तीय स्टेशनों में 'हिन्दुस्तानी' की सब चीजें प्रान्त के स्थायी निवासियों को, जिनकी मातृ-भाषा प्रान्तीय भाषा हो, दी जायँगी ? क्या 'राष्ट्र भाषा' का यही अर्थ और न्याय का यही तकाज़ा नहीं है ?

अब हिन्दी और उर्दू को लीजिये । नवाब सिद्दीकअलीखाँ के कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुये सरदार पटेल ने असेम्बली में स्पष्ट स्वीकार किया कि उर्दू को 'वेटेज' दिया गया है । हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया । क्या अब तक रेडियो में उर्दू की जो नूती बोल रही थी उसका यही तकाज़ा था ? फिर, यदि सरकार ने उर्दू को वेटेज दिया ही, शायद इसलिये कि उर्दू अल्पमत में है, तो सरकार ने हिन्दी को वहाँ वेटेज क्यों नहीं दिया जहाँ हिन्दी अल्पमत में है अर्थात् लाहौर और पेशावर में, और यह कहाँ का न्याय है कि अल्पमत को इतना वेटेज दिया जाय कि वह बहुमत के बराबर हो जाय जैसा कि दिल्ली में किया गया है ? दिल्ली पूरे भारत का स्टेशन है, दिल्ली भारत भर में सुना जाता है और इस समय बिहार, मध्य-प्रान्त, पूर्वी युक्तप्रान्त और राजस्थान जैसे हिन्दी-प्रधान क्षेत्रों में दिल्ली के

अलावा कोई दूसरा स्टेशन नहीं पहुँचता। और देश में अथवा इन हिन्दी-प्रधान क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार उर्दू के प्रचार से कई गुना है। ऐसी स्थिति में दिल्ली में हिन्दी और उर्दू को बराबर प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया ? लाहौर और पेशावर में हिन्दी को बेटेज देना तो दूर रहा, सरकार ने हिन्दी को उसके प्राप्य से भी कम दिया है। पंजाब में सब हिन्दू बालिकायें और स्त्रियाँ हिन्दी पढ़ती और जानती हैं। लाहौर में हिन्दी को १५ प्रतिशत तो केवल इसी आधार पर मिलना चाहिये, परन्तु सच यह है कि बालकों के मामले में भी पंजाब विश्वविद्यालय की हिन्दी की परीक्षाओं में बैठने वालों की संख्या उर्दू की परीक्षाओं में बैठने वालों से अधिक है। ऐसी स्थिति में लाहौर में हिन्दी को क्या उर्दू के मुक़ाबिले में मिलना चाहिये था ? और पेशावर में हिन्दी बिलकुल नदारद है, यद्यपि सीमा-प्रान्त में अनेक हिन्दी स्कूल हैं और वहाँ की सब हिन्दू बालिकायें और स्त्रियाँ हिन्दी ही पढ़ती और जानती हैं और बहुत से हिन्दू बालक भी हिन्दी पढ़ते और जानते हैं। लखनऊ में भी हिन्दी को उसके प्राप्य से कम दिया गया है, और ‘हिन्दुस्तानी’ का पूरा भाग हिन्दी के हिस्से में से छीना गया है। यह है सरदार पटेल का ‘राष्ट्रीय न्याय’ ! एक हिन्दू के लिए हिन्दी का गला काट कर उर्दू का घर भरना और हिन्दी के भाग को कम करके उर्दू के साथ उदारता दिखाना उससे भी निकृष्ट साम्प्रदायिकता है जितनी हिन्दी को उसके प्राप्य से अधिक देना होती।

घोषणा की कुछ अन्य उल्लेखनीय बातें ये हैं ( १ ) घोषणा में कहा गया है कि ‘हिन्दुस्तानी’ के प्रोग्रामों की व्यवस्था हेडक्वार्टर का स्टाफ करेगा, परन्तु यह नहीं बताया गया कि किस प्रकार करेगा। ‘हिन्दुस्तानी’ का कोई निश्चित स्वरूप नहीं, ‘हिन्दुस्तानी’ के लेखक नहीं, फिर लेखकों को ‘हिन्दुस्तानी’ की चीजें सरकारी हिन्दुस्तानी में लिखने के लिये कैसे विवश किया जायगा ? यदि इस दिशा में कुछ न किया गया और लेखकों को अपनी

मनमानी हिन्दुस्तानी में लिखने दिया गया तो इसकी क्या गारंटी है कि उनकी भाषा हिन्दी या उर्दू न हो जायगी और वहाँ भगड़ा फिग न खड़ा हो जायगा जिसके कारण आज हिन्दी और उर्दू प्रोग्रामों का अनुपात निर्धारित किया गया है। विशेषरूप से रेडियो के वर्तमान उर्दू-पत्रपाती और हिन्दी-टोही स्टाफ पर कैसे निष्वास किया जा सकता है? अथवा क्या हम सरकार के कथन का यह अर्थ समझें कि 'हिन्दुस्तानी' की सब चीजें रेडियो का वेतन भोगी स्टाफ लिखेगा? ॥ (२) सरकार ने यह नहीं बतलाया कि 'हिन्दुस्तानी' की चीजें, खबरे, आदि किस लिपि में लिखी जायेंगी। यदि उर्दू लिपि में भी लिखने की छूट होगी तो उसमें हिन्दी के अधिकांश शब्द और हिन्दुओं के नाम किस प्रकार लिखे जायेंगे, शुद्ध उच्चारण का क्या प्रबन्ध किया जायगा और वर्तमान घोर अशुद्ध उच्चारण का किस प्रकार सुधार किया जायगा? चूँकि रेडियो के दफ्तर में 'हिन्दुस्तानी' की चीजें किस लिपि में लिखी जाती हैं, इससे जनता और सुननेवालों को कोई मतलब नहीं, और चूँकि सरकार स्नयं कहती है कि 'हिन्दुस्तानी' वाले स्टाफ के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों का जानना आवश्यक होगा, हम यह जानना चाहते हैं कि शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से सरकार यह आशा क्यों नहीं दे सकती कि 'हिन्दुस्तानी' की खबरें, घोषणायें,

॥ इस समय अवस्था यह है कि 'हिन्दुस्तानी' की चीजें वही पुराने लेखक लिख कर दे रहे हैं और उनकी भाषा या हिन्दी है (कुछ की), या उर्दू—रेडियो के पत्रों में जिन चीजों के आगे स्पष्टतः 'हिन्दी में' और 'उर्दू में' लिखा जा रहा है उनका भाषा से बिलकुल भिन्न नहीं। केवल सरकार की जिद पूरी करने के लिये प्रोग्राम वाले 'हिन्दुस्तानी' के लिये निश्चित अनुपात में कुछ हिन्दी की और शेष उर्दू की मनमानी चीजें छोटकर उनके ऊपर 'हिन्दुस्तानी में' की सुहर लगा देते हैं। अर्थात् वही पुराना म्लाहे का मूल यना हुआ है जिसके कारण सरकार को हिन्दी और उर्दू का अनुपात निश्चित करने के लिये विवश होना पड़ा।

सूचनायें और अन्य चीजे सदैव देवनागरी में लिखी और पढ़ी जायें ? ( ३ ) घोषणा में कहा गया है कि रेडियो के वर्तमान स्थायी स्टाफ को हिन्दी और उर्दू दोनों जानने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता । क्यों ? यदि वह किसी कारण मभव नहीं, तो कम से कम हिन्दी न जानने वाले अस्थायी स्टाफ को अलग करना और अस्थायी रूप से उच्च पदों पर आसीन हिन्दी न जाननेवाले व्यक्तियों को अपने स्थायी पदों पर वापस भेजना तो मभव है । हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों की कमी को इस प्रकार पूरा क्यों नहीं किया जाता ? श्री बोखारी ने तो कितने ही कर्मचारियों को इस ‘कसूर’ पर निकाल दिया कि उनका उर्दू का ज्ञान विस्तृत नहीं था, क्या राष्ट्रीय सरकार हिन्दी के लिये इतना भी नहीं कर सकती ? फिर, हिन्दी और उर्दू दोनों के ज्ञान की जाँच क्या और किस प्रकार होगी ? क्या देवनागरी में चार पक्तियाँ लिख और पढ़ सकना हिन्दी की योग्यता का प्रमाण मान लिया जायगा ? ‘हिन्दुस्तानी’ वाले स्टाफ की हिन्दी और उर्दू की योग्यता की जाँच करने के लिये सरकार एक निष्पक्ष और बाहरी परीक्षा-बोर्ड द्वारा समान स्टैंडर्ड की हिन्दी और उर्दू की विभागीय परीक्षाओं की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती ? ( ४ ) सरकार ने इस बात को मान लिया है कि हिन्दी के प्रोग्रामों की व्यवस्था करने के लिये स्टाफ में हिन्दी की यथेष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की संख्या काफी ही, परन्तु सरकार ने इस बात को अमली रूप देने का कोई प्रबंध नहीं किया है । कम से कम सरकार यह आदेश दे सकती थी कि भविष्य में स्टाफ में केवल हिन्दी जाननेवालों की भरती हो जब तक उनकी संख्या यथेष्ट न हो जाय । ( ५ ) यद्यपि सरकार ने यह स्वीकार किया है कि उर्दू गजलों के मुकाबले हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ कवियों की कविताएँ गाई जायें, परन्तु किस अनुपात में गाई जायें, वह रेडियो के वर्तमान उर्दू-पोपक स्टाफ पर छोड़ दिया गया है । ( ६ ) रेडियो-कमेटी की इस सिफारिश पर कि ‘आदावअर्ज’, ‘खुदा हाफिज है’, आदि अभिवादनों का प्रयोग विलकुल



चुन्द कर दिया जाय, सरकार ने निर्णय दिया है कि जनता में आमता में प्रचलित ( 'popularly used' ) अभिवादन का प्रयोग किया जाय, परन्तु यह नहीं बतलाया कि किस स्थान में किस अभिवादन का प्रयोग किया जाय । यह रेडियो के बोम्बार्डी-परन्तु अफसरों पर छोड़ दिया गया है ।

## ४

यह लेख इसका आभाम दिये बिना पूर्ण न होगा कि घोषणा होने के तीन महीने बाद भी आज उसका पालन किस प्रकार हो रहा है । इसमें घोषणा की कितनी ही अल्प वातों का उत्तर भी मिल जायगा । नवनों की भाषा में कोई उल्लेखनीय या निश्चित परिवर्तन नहीं हुआ है । वही लिखने वाले हैं, वही पढ़ने वाले । स्टाफ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और पुराने स्टाफ से किसी सुधार की आशा करना दुराशा मात्र है । यहाँ तक कि कोई घोषक ( announcer ) भी, जो स्थायी छोड़ अस्थायी नौकर भी नहीं हैं परन्तु कलाकारों की भाँति नियुक्त किये जाते हैं, नहीं बदला गया है । 'हिन्दुस्तानी' की सब लिखाई पूर्ववत् उर्दू लिपि में हो रही है और उच्चारण का भी वही हाल है । रेडियो के किसी घोषक के मुँह ने 'गमायण' या 'नागयण' तो स्वप्न में भी नहीं निकल सकता । 'हिन्दी और उर्दू दोनों का जानना आवश्यक होगा', यह केवल फाइलों में धरा हुआ है । स्वयं सरकार ने अभी तक 'हिन्दुस्तानी' की परामर्श-समिति का निर्माण नहीं किया है । कब कमेटी बनेगी, कब वह बैठेगी और कब वह 'हिन्दुस्तानी' का निर्माण करेगी ! एक ओर राष्ट्रीय सरकार हिन्दी में खबरें देने को तैयार नहीं, दूसरी ओर रेडियो की वर्तमान 'हिन्दुस्तानी' बदलने के लिये क्रियाशील नहीं । निचोड़ यह है कि हम 'राष्ट्रीय सरकार' के व्यर्थ, अनुचित और निराधार हिन्दुस्तानीवाद के कारण इसी वर्तमान 'हिन्दुस्तानी' नामधारी उर्दू को सुनने के लिये विवश हैं । 'हिन्दुस्तानी' की सूचनाओं, घोषणाओं, आदि की भाषा में तो कोई अन्तर हुआ ही नहीं है । केवल लखनऊ से

( दिल्ली से वह भी नहीं ) ‘मजलिस’ शब्द निकाल दिया गया है, परन्तु चूँकि हिन्दुस्तानी ‘सभा’ नहीं समझ सकते, उसके स्थान में ‘सुभू का प्रोग्राम’, ‘दोपहर का प्रोग्राम’ और ‘शाम का प्रोग्राम’ धर दिया गया है । ‘हिन्दुस्तानी’ की चीजें पूर्ववत् उर्दू वालों और मुसलमानों को दी जा रही हैं और उनकी भाषा पूर्ववत् शुद्ध उर्दू है जिसका अर्थ यह है कि उर्दू पेशावर, लाहौर, दिल्ली, और लखनऊ में ४५, ५६, ४० और २० प्रतिशत नहीं, ५०, ६३, ६० और ३० प्रतिशत है, और बम्बई, कलकत्ता और ढाका में हिन्दी के बराबर नहीं, दूनी है, और स्त्रियों, बालकों, आदि के तथाकथित हिन्दी प्रोग्रामों का दो-तिहाई भाग उर्दू में होता है । पेशावर और बम्बई में स्त्रियों, बालकों, आदि के प्रोग्रामों को हिन्दी में अलग किया ही नहीं गया है, अर्थात् वहाँ वे पूर्ववत् केवल ‘हिन्दुस्तानी’ अर्थात् उर्दू में हो रहे हैं । इसी प्रकार सैनिकों के प्रोग्राम, प्रवासी भारतीयों के प्रोग्राम, आदि भी हिन्दी में अलग नहीं किये गये हैं और पूर्ववत् केवल ‘हिन्दुस्तानी’ अर्थात् उर्दू में हो रहे हैं । हिन्दी वालों को उनके पत्रों के उत्तर भी ‘पयामी’, ‘जवाबी’ गण पूर्ववत् अपनी ‘हिन्दुस्तानी’ अर्थात् उर्दू में सुना रहे हैं । रेडियो की किसी पत्रिका से यह भी पता नहीं चल सकता कि कौन सा स्त्रियों या बालकों का प्रोग्राम हिन्दी का है, और कौन सा उर्दू का । रेडियो वालों की गय में दोनों प्रोग्राम सब स्त्रियों या बच्चों के लिये एक समान उपयुक्त हैं और सरकार ने महज मजाक के लिये इन प्रोग्रामों को अलग-अलग हिन्दी और उर्दू में करने के लिये कहा है, और इसीलिये सप्ताह के दोनों स्त्रियों ( या बालकों ) के प्रोग्रामों में कोई अन्तर नहीं—दोनों के संचालक वही पुराने उर्दूवालों लोग (‘आपा’, ‘बाजी’, आदि ) हैं जो हिन्दी के पत्रों के उत्तर भी पहले दफ्तर से उनकी उर्दू में नकल करा कर देते हैं, दोनों में वही ‘आदाब-अर्ज’ चलता है और दोनों में हिन्दी और उर्दू की चीजें मिली-जुली होती हैं, अर्थात् केवल एक बार के बजाय दो बार प्रोग्राम होता है, और कुछ नहीं । प्रत्येक

प्रोग्राम का समय भी पहले का प्राप्त है। 'आशापूरण' और 'महा हान्दिये' का सब नटेशनों में पूर्णवत् प्रयोग हो रहा है। रेडियो वाला ही राय में पेशावर ने पटना तथा और दिल्ली में पेशावर तथा ही पटना में यही अभिप्रायन 'ग्राम तौर में प्रचलित' है, और 'ममत्का', 'ममस्ते', 'प्रणाम', या 'गम गम' केवल दो नाम विचारणीय पदों का है। मगीर का भी यही हाल है। पन्द्रह दिन का समीच का प्रोग्राम देना चाहिए, इतना का एसा कोई काम नहीं मिलेगा जिसका 'कल्याण' को भार दफेन मारा गया हो, पन्नु लिन्दी के प्राचीन कविता में केवल मृदली, मू और भीम के और आधुनिक कविता में जेबल वन्दन, कोविन्द और एक ही और के नाम मिलेगे और वे भी कहीं नहीं और सभी। शायद रचितो माने हिन्दी के किमी और तपि का नाम जानने ही नहीं। सर्वथा अत्युत्कृष्ट भर्तृ, सलाम मछलीशहरी, हफीज जलन्धरी, ननवीर, अरमान शीरानी अन्नाइ. केफ, गुलशन, आदि उर्दू कवियों के नटे हुने, अर्याहीन, दिना मिन्वर के थोड़े से हिन्दी गीत भी गाये जा रहे हैं। इन कवियों ने आशा, जीवन और आकाश जैसे दो-तीन दर्जन हिन्दी शब्द वाद कर लिये हैं और उनकी कला की पराकाष्ठा है इन शब्दों को घुमा फिगा कर किमी प्रकार मृदन्दी में पिरो देना। हिन्दी कविता ने न कभी गीत लिखे न लिखना जानने है, इसलिये हिन्दी गीतों के लिये मिला हुआ रूपता भी उर्दू कविता की जेब में पहुँचना आवश्यक है। वे ही तो हिन्दी के 'स्टेउड' कवि हैं।

यह कहना अत्युक्ति न होगा कि अमल में मन्कारी घोषणा ने रेडियो की दुनिया में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।

#### ५

अन्त में 'राष्ट्रीय' सरकार, मरदान पटेल और उनके सहयोगियों से एक बात पृच्छे बिना नहीं रहा जाता। कांग्रेस के गर्जन-नर्जन, ननों तक हिन्दुओं की गर्दन रेतने और मुसलमानों की सुशामद तथा जिन्ना साहब के तलवे सह-

लाने के बावजूद पाकिस्तान तो बन कर रहा, और उन्हें ही जिन्होंने जन्म भर अपने आप को हिन्दू नहीं बरन् ‘हिन्दुस्तानी’ नाम की किसी चिड़िया, और हिन्दुओं के नहीं बरन् ‘हिन्दुस्तानी’ नामक किसी जाति का प्रतिनिधि सिद्ध करने में एड़ी-चोटी का जोर लगाया है, हम अभागे और मूर्ख हिन्दुओं की ओर से पाकिस्तान के पट्टे पर सही करनी पड़ी। अस्तु, पाकिस्तान का रेडियो तो डके की चाँट शुद्ध उर्दू में बोलेगा। क्या अब भी अभागे हिन्दुओं के इस अभागे ‘हिन्दुस्थान’ के रेडियो में कांग्रेसी नेताओं के परम ‘राष्ट्रीय’ अधिनायकत्व में हम कमबख्त ‘हिन्दुस्तानी’ का रगड़ा रहेगा और बेचारी हिन्दी को कहीं ठौर न होगी ? और इसी प्रकार दिल्ली में ‘हिन्दी उर्दू पैरिटी’ रहेगी ? और ‘हिन्दुस्तान’ की राष्ट्र भाषा वही कांग्रेस-पूजित ५० प्रतिशत हिन्दी ५० प्रतिशत उर्दू वाली ‘हिन्दुस्तानी’ तथा राष्ट्रलिपि ‘देवनागरी और फारसी (!) लिपि दोनों’ रहेंगी ? नेता दिल पर हाथ रखकर उत्तर दें।

१६-६-४७

## उत्तर-परिशिष्ट ३

### ‘हिन्दुस्तानी’ का रहस्य

—एक हिन्दी के मुख से—

१

### अहिन्दी प्रान्त और ‘हिन्दुस्तानी’

अभी हाल में (अक्टूबर, १९४६) पत्रों में यह समाचार पढ़ने को मिला कि आन्ध्र के ‘नेशनलिस्ट’ मुसलमानों का एक शिष्ट-मडल मौलाना आजाद से मिला और वह इच्छा प्रकट की कि आन्ध्र के मुसलमानों की शिक्षा का माध्यम तेलगू के बजाय उर्दू कर दिया जाय, और मौलाना आजाद ने उसके दृष्टिकोण का आदर किया और मद्रास के प्रधानमंत्री ने उसकी माँग मान लेने की सिफारिश की है। इस समाचार से शायद बहुतों को आश्चर्य हुआ होगा, परन्तु भारतीय मुसलमानों की तो वही मनोवृत्ति है। विचित्र बात यह नहीं है कि मुसलमानों ने—‘राष्ट्रीय’ अथवा लीगी, क्योंकि उर्दू के मामले में दोनों में कोई अंतर नहीं—ऐसी माँग पेश की है; विचित्र बात यह है कि मौलाना आजाद ने इस माँग का समर्थन किया है। अस्तु, आशा है अब हिन्दुस्तानीवालों को इसका विश्वास हो जायगा कि कांग्रेसी मुसलमान भी (जो ढाल में नमक के बराबर बैसे ही हैं) भापा के मामले में अन्य मुसलमानों के साथ हैं। यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि ऐसी माँगें सभी अहिन्दी प्रान्तों—तामिल नाद, महाराष्ट्र, गुजरात,

उड़ीसा, बंगाल, आसाम, आदि—के मुसलमानों द्वारा पेश की जायगी। इन माँगों का अर्थ भी समझ लेना चाहिये। आन्ध्र को ही लीजिये। आन्ध्र के मुसलमानों की माँग का सीधा-सादा अर्थ यह है कि आन्ध्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को बीच से दो-टूक कर दिया जाय, साम्प्रदायिक अलगाव और कटुता के बीज बोये जायँ, करदाताओं का रूपया ( जो हिन्दुओं की जेब से ही आवेगा ) अलग उर्दू स्कूल और कालेज खोलने में फूँका जाय, शिक्षा के व्यय को व्यर्थ दूना किया जाय और शासन की कठिनाइयाँ सहस्र गुना बढ़ाई जायँ, क्योंकि यह निश्चिन्त है कि इस माँग के बाद यह माँग पेश की जायगी कि राजकार्य में उर्दू को तेलगू के समकक्ष स्थान दिया जाय। एक ओर तो भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्निर्माण की चर्चा ज़ोरों से चल रही है, दूसरी ओर गांधीजी हिन्दी की 'हिन्दुस्तानी' करने और उर्दू लिपि के प्रचार में इस उद्देश्य से जुटे हुये हैं कि मुसलमान खुश हो जायँ और भाषा की 'एकता' स्थापित हो जाय, और इधर मुसलमान एक ऐसे प्रान्त में ही भाषा का पाकिस्तान बनाने की माँग कर रहे हैं जो अब तक भाषा और सस्कृति की दृष्टि से एक रहा है ! पता नहीं, डा० पट्टाभि सीतारमैय्या को, जो तेलगू भाषी आन्ध्र की भाषा के आधार पर एक पृथक प्रान्त बनाने के लिये यत्नशील हैं, आन्ध्र के भीतर ही एक अलग उर्दुस्तान बनाने की माँग कहाँ तक रुचेगी, और गांधीजी, जो प्रान्तीय प्रकरणों में प्रान्तीय भाषा के प्रयोग पर और राष्ट्रीय प्रकरणों में राष्ट्र-भाषा ( अर्थात् अपनी 'हिन्दुस्तानी' ) के प्रयोग पर जोर देते हैं, अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमानों की इस प्रकार की माँगों का कहाँ तक समर्थन करेंगे।

कहना कठिन है कि विभिन्न अहिन्दी प्रांतों ( बंगाल को छोड़कर, जहाँ की लीगी सरकार 'हिन्दुई भाषा' बंगला को निकाल कर उर्दू की प्रतिष्ठा करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगी ) की कांग्रेसी सरकारें इस

प्रकार की प्रतिविययादी मागों का क्या उत्तर देंगी। जग देर के लिये मान लीजिये कि वे मौलाना आजाद की मित्राग्नि की भी पर्याप्त न कर कम में कम इस मामले में अपनी 'अपीजमेंट पालिसी' का परित्राग कर इन माँगों को टुकरा देंगी। परन्तु असली प्रश्न यह है कि यदि कांग्रेसी सरकार राष्ट्र-भाषा की गाधीजी की दी हुई नई परिभाषा मान कर उनकी

'हिन्दुस्तानी' ( $= \frac{\text{हिन्दी} + \text{उर्दू}}{2}$ ) और देवनागरी के साथ उर्दू लिपि

को स्कूलों में अनिवार्य ( या वैकल्पिक ही, क्योंकि मुसलमान अक्सर चूकने वाले नहीं ) विषय के रूप में धर देते हैं, तो क्या उस प्रकार से ही अहिन्दी मुसलमानों का वह उद्देश्य पूर्ण न हो जायगा जो इन माँगों में निहित है ? जब अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमान इस प्रकार नकारी खर्च में ही उर्दू लिपि सीख लेंगे तो उन्हें शुद्ध उर्दू सीखने से, प्रान्तीय भाषा के साहित्य को छोड़कर उर्दू साहित्य अग्राने में, अपना साग काम काज प्रान्तीय भाषा के बजाय उर्दू में करने में, अर्थात् प्रान्तीय भाषा त्याग कर उर्दू अग्राने से कौन रोक सकेगा ? सरकारी खर्च में ही 'हिन्दुस्तानी' की शिक्षा के द्वारा उन्हें उर्दू शब्दों, उर्दू के ढाँचे, व्याकरण, आदि का जो ज्ञान होगा उसके कारण उनके लिये अपना लक्ष्य प्राप्त करना बहुत आसान हो जायगा, और चूँकि हिन्दू भी उर्दू लिपि और ५०-५० प्रतिशत पाली 'हिन्दुस्तानी' जानते होंगे, उनके मार्ग की एक बाधा और दूर हो जायगी। इसके अतिरिक्त अहिन्दी हिन्दू भी अन्ततः गाधीजी की 'हिन्दुस्तानी' को, जिसे वे केवल स्कूलों में पढ़ेंगे, नहीं बरन् उस 'हिन्दुस्तानी' को ( अर्थात् उर्दू ) अग्राने-येंगे जिसे वे नित्य अपने पड़ोसी मुसलमानों के मुख से सुनेंगे। उपदेश से उदाहरण में अधिक बल होता है। एक नई भाषा पढ़ने की अपेक्षा सुनने से ज्यादा जल्दी आती है। चूँकि मुसलमान प्रान्तीय भाषा का बहिष्कार कर उर्दू पर जोर देंगे और चूँकि हिन्दुओं को 'हिन्दुस्तानी' के ज्ञान के

कारण उर्दू समझने में कोई विशेष अडचन नहीं पड़ेगी, उर्दू अपने आप प्रान्त की कामन भाषा हो जायगी, और फलस्वरूप सारे देश की वास्तविक राष्ट्र-भाषा भी हो जायगी। लिपि के मामले में भी वही होगा। अपने उस करोड़ अखड़ अनुयायियों के बल पर उर्दू भारत को सब से अधिक शक्ति-शाली भाषा और उसका साहित्य सबसे अधिक समृद्ध हो जायगा, और उसके सामने सभी प्रान्तीय भाषाएँ और उनके साहित्य फीके पड़ जायेंगे। दूसरे शब्दों में, उर्दू सब प्रान्तीय भाषाओं पर अमरवेलि की तरह छा जायगी। उर्दू की विदेशी सस्कृति, विदेशी प्रवृत्ति, वातावरण, शब्दावली और साज-सज्जा का प्रान्तीय भाषाओं और उनके द्वारा प्रतिध्वनित होने वाली स्वदेशी सस्कृति पर अत्यन्त विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा—उसी प्रकार जिस प्रकार आज अँगरेजी का पड़ रहा है, केवल उर्दू का प्रभाव हमने भी अधिक पड़ेगा।

यह भी निश्चित है कि कुछ समय बाद मुसलमान प्रान्तीय भाषा में अनावश्यक उर्दू शब्द बुसेइना आरम्भ करेंगे, और इस प्रकार प्रान्तीय भाषा की एक अलग शैली की ही सृष्टि कर डालेंगे, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दू बँगला—मुस्लिम बँगला, हिन्दू तेलगू—मुस्लिम तेलगू जैसी समस्याये प्रकट हो जायेंगी। उत्तर में मुसलमानों ने ऐसा ही किया। उन्होंने हिन्दी में से हिन्दी शब्द निकाल निकाल कर अरबी और फारसी के शब्द ढूँं, और इस प्रकार उर्दू की सृष्टि कर डाली, और इस का परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा, राजकार्य आदि, आदि के क्षेत्रों में हिन्दी—उर्दू समस्या भीषण रूप धारण कर रही है। प्रान्तीय भाषा की मुस्लिम शैली का निर्माण इस कारण और भी सरल होगा कि हिन्दू भी 'हिन्दुस्तानी' द्वारा उर्दू शब्दों से परिचित होंगे। यदि प्रान्तीय भाषा को विकृत करने का जानबूझ कर प्रयत्न न भी किया गया, तो भी ऐसा ही होगा क्योंकि प्रात की व्यापक भाषा, राष्ट्र की कामन भाषा और मुसलमान पड़ोसियों की भाषा के नाते



उर्दू का प्रान्तीय भाषा पर अत्यन्त व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ऐसा मर्देव हुआ है। भूतकाल में राज-भाषा फारसी का प्रान्तीय भाषाओं पर प्रभाव पड़ा और वर्तमान काल में तो अँगरेजी का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि प्रान्तीय भाषाओं की आधी देशी और आधी अँगरेजी वाचू शैलियाँ ही बन गई हैं। यदि 'हिन्दुस्तानी' उर्दू में परिणित न भी हुई, तो 'हिन्दुस्तानी' का अर्थ अरबी-फारसी शब्दावली प्रान्तीय भाषा को विकृत करने और उसके साहित्य को आने वाली पीढ़ियों के लिये मृत-साहित्य बनाने के लिये पर्याप्त होगी। यह भी निश्चित है कि उर्दू लिपि सीप जाने के बाद सुमलमान प्रान्तीय भाषा को उर्दू लिपि में लिखने में बहुत सभ्य है कि प्रान्तीय भाषा की लिपि के विभाजन में ही उसकी शैली के विभाजन का श्रीगणेश हो \*। चूँकि हिन्दू भी 'हिन्दुस्तानी' की एक लिपि के नाते उर्दू लिपि जानते होंगे, उन्हें भी उर्दू लिपि में लिखित प्रान्तीय भाषा को स्वीकार करने में या कम से कम उसे सहन करने में कठिनता महसूस न होगी।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह कोरी रूपोल-कल्पना नहीं है। भारतीय

लिपि का भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उर्दू के पृथक विकास का एक कारण यह था कि मुसलमानों ने हिन्दी फारसी लिपि में लिखी; पारसियों की गुजराती रोमन लिपि में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओं की गुजराती से सर्वथा भिन्न है और गोआ के ईसाइयों की कोंकणी रोमन लिपि में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओं की कोंकणी ( देवनागरी में लिखित ) से सर्वथा भिन्न है। लिपि और भाषा का अटूट सव्य होता है। जिस प्रकार रोमन लिपि के प्रभाव से अँगरेज़ी शब्द पारसी गुजराती और ईसाई-कोंकणी में अनायास धर करते जाते हैं और फारसी लिपि के प्रभाव से फारसी शब्द सिन्धी और उर्दू में, और उर्दू शब्द मुस्लिम (!) पंजाबी में धर करते जाते हैं, उसी प्रकार फारसी लिपि के प्रभाव से उर्दू शब्द प्रान्तीय भाषाओं की मुस्लिम शैली में ( फारसी लिपि में लिखित ) अनायास धर करते जायेंगे। प्रान्तीय भाषा के बहुत से शब्दों का उर्दू लिपि में न लिखे जा सकने के कारण बहिष्कार होगा। जेप शब्दों का उच्चारण अट्ट होगा, सो अलग।

मुसलमानों की मनोवृत्ति और उर्दू के प्रति उनके अनुचित आकर्षण के इतने सबूत मिल चुके हैं कि इसमें सन्देह करने की कोई गुजाइश नहीं कि विभिन्न अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमान प्रान्तीय भाषाये त्याग कर उर्दू अपनायगे, और इसके वही परिणाम होंगे जो ऊपर बतलाये गये हैं। उर्दू और उर्दू लिपि के स्टीमरोलर के नीचे काश्मीर, पंजाब और हैदराबाद की देशी भाषायें और लिपियाँ पिस चुकी हैं। पंजाबी पर उर्दू का इतना ज़बरदस्त प्रभाव पडा है कि उसका मूल संस्कृत-बहुल रूप बिलकुल बदल गया है। पंजाबी मुसलमान जब पंजाबी लिखते ही हैं तो उसे उसकी स्वाभाविक लिपि गुरुमुखी के 'बजाय उर्दू लिपि में लिखते हैं, और पंजाब विश्व-विद्यालय को पंजाबी के लिये गुरुमुखी और उर्दू लिपि दोनों को स्वीकार करना पडा है। सीमा-प्रांत में पश्तो पर उर्दू छाती जा रही है। सिन्ध में मुसलमानों को सिन्धी तभी सह्य हुई जब उन्होंने उसमें जी भर कर अरबी और फ़ारसी ठूस ली और उसकी मूल लिपि देवनागरी हटा कर फ़ारसी लिपि धर ली। सिन्धी का अरबीकरण अब भी जारी है, और चूँकि सिन्ध में मुसलमानों का बहुत बड़ा बहुमत है, उन्होंने सिन्धी हिन्दुओं को भी अपनी अरबी फ़ारसी-मयी सिन्धी और फ़ारसी लिपि स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया है। तिस पर भी सिन्ध में उर्दू को खूब प्रोत्साहन दिया जा रहा है।\* यह कहना बिलकुल यथार्थ होगा कि गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' नहीं 'वरन् उर्दू', और 'दोनों लिपि' नहीं, वरन् केवल उर्दू लिपि इस समय भी पूरे पश्चिमी पाकिस्तान की और उसके अलग अलग भागों—पंजाब, काश्मीर, सीमा-प्रान्त, बलूचिस्तान—की भी, कामन भाषा और लिपि बन चुकी हैं। उर्दू पूरे हैदराबाद की भी डीफैक्टो कामन भाषा और साहित्यिक भाषा है। उर्दू के प्रभाव के कारण हैदराबाद की देशी भाषाओं मराठी और तेलगू का

\* अब तो सिन्धी का बिलकुल बहिष्कार किया जा रहा है और उसके स्थान में उर्दू की प्रतिष्ठा की जा रही है। आगे 'पुनर्लेख' देखिये।

स्वरूप अत्यन्त विकृत और कलुषित होना जा रहा है। बंगाल में 'हिन्दू बँगला' और 'मुस्लिम बँगला' के नाम अभी से सुनाई पड़ने लगे हैं,

६ फरवरी, १९४७ के 'साइंटिफिक रिव्यू' में प्रोफेसर हेमन्तकुमार सरकार लिखते हैं।

'The writing of primary text-books has been taken up by the League Government. A new type of language advocated by newspapers like the *azad* with Arabic and Persian words preponderating is coming to vogue. The peculiar phonetics and Islamic idioms are absolutely foreign to Bengalis. Primary schools are now called *Muktabs* it is likely that the secondary schools, mostly built up by the money and energy of the Hindus, will be called *Madriassas* ... The Hindus will soon have to read accounts of 'Janab Ramehandia and his Begum' Sita' अर्थात्

‘( बंगाल में ) लीगी सरकार ने प्राथमिक पाठ्य-पुस्तकों का लेखन-कार्य अपने कब्जे में कर लिया है। भाषा का एक नया रूप जिसकी वकालत आज्ञाद जैसे श्रवधार करते हैं और जिसमें अरबी और फारसी शब्द भरें हुये हैं, सामने आ रहा है। इसकी विचित्र ध्वनि-प्रणाली और सुसलमानों सुहावरे तथा शब्द-विन्यास बंगालियों के लिये बिलकुल विदेशी और अपरिचित है। प्राइमरी स्कूलों को अब 'मकतब' कहा जाता है और संभावना है कि सेकन्डरी स्कूलों का, जो अधिकतर हिन्दुओं के रुपये और धर्म से स्थापित हुये हैं, नामकरण 'मदरसा' होगा। हिन्दुओं को अब शीघ्र ही 'जनाब' रामचन्द्र और उनकी बंगम सीता की कहानियो पढ़नी पड़ेगी।’

जहाँ-जहाँ सुसलमानों के हाथ में शक्ति है वहाँ-वहाँ उन्होंने भारतीय भाषाओं का अरबी और फारसी-करण या तो कर लिया है या अब कर रहे हैं, और फारसी लिपि को भी या तो चुमेड़ लिया है या अब चुसेड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ हिन्दुओं का बहुमत है वहाँ-वहाँ यही काम अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' द्वारा करने का जिम्मा कांग्रेस ने ले लिया है।

जो हिन्दुस्तानी वाले इस भ्रम में हैं कि हिन्दुस्तानी-वाद के पीछे सबसे

और चूँकि उर्दू को जोर शोर से सरकारी प्रोत्साहन मिल रहा है, धीरे धीरे एक उर्दू-बंगला समस्या आकार धारण करती जा रही है। बंगाल की लीगी सरकार के 'सेकडरी एजुकेशन बिल' का एक गुप्त उद्देश्य उर्दू का प्रचार और प्रसार है। बम्बई प्रान्त में मुसलमानों ने अभी से अपनी मातृ-भाषाएँ मराठी और गुजराती त्याग कर उर्दू को अपना लिया है, और उदारहृदया बम्बई सरकार ने उनके लिये पृथक उर्दू स्कूलों का प्रवन्ध कर दिया है। अभी हाल में जब बम्बई में एक मराठी विश्वविद्यालय खोलने की चर्चा चल रही थी, बम्बई में एक उर्दू कान्फ्रेंस (जिसको गांधीजी ने भी आशीर्वाद दिया) बुलाई गई और उसमें यह मॉग पेश की गई कि बम्बई-प्रान्त के मुसलमानों के लिये एक अलग उर्दू विश्वविद्यालय खोला जाय, क्योंकि 'मराठी के कारण मुसलमानों की संस्कृति खतरे में पड़ जायगी।' जब राष्ट्रवादी अंगरेजी का पूर्ण बहिष्कार कर देंगे तब देखेंगे बम्बई की असेम्बली कैसे अर्थात् किस भाषा में अपना काम करती है जिससे वह सब सदस्यों की समझ में आजाय, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यदि वहाँ यही स्थिति रही, और यदि श्रीयुत खेर ने जो प्रधान-मंत्री और शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ गांधी जी की हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के एक प्रमुख सदस्य हैं, बम्बई में गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' का प्रचार किया, तो उर्दू बम्बई प्रान्त की डीपैक्टो कामन भाषा हो जायगी, और उसके नीचे मराठी और गुजराती की दुर्दशा होती चली जायगी। यह सर्व-विदित है कि मुसलमान बक्ता शुद्ध उर्दू के सिवा अधिक बोधगम्यता का सिद्धान्त है, वे भी ओख खोलकर देख लें कि यह बोधगम्यता का नहीं, संस्कृति का सवाल है, नहीं तो बंगाली मुसलमान आज बंगला के अपने चिरपरिचित संस्कृतज शब्दों को निकाल कर उनके स्थान में अपरिचित विदेशी शब्द न भरता। 'हिन्दुस्तानी' को मुसलमानों से मजूर कराने के लिये उसे अरबी और फारसी मथ कर बनाना पड़ेगा।

किसी दूसरी हिन्दुस्तानी में नहीं बोलते, और उत्तर में ही नहीं, प्रयत्न करके बंगाल और मद्रास में भी उर्दू में ( गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी या कांग्रेस के हिन्दू नेताओं की ५०-५० प्रतिशत वाली हिन्दुस्तानी में नहीं ) भाषण करते हैं, चाहे वे प्रादेशिक भाषा क्यों न जानते हों। इसमें मुसलमानों की मनो-वृत्ति पर भ्रष्ट प्रकाश पड़ता है। रहा महा सन्देह आन्ध्र के मुसलमानों की इस माँग में दूर हो जाता है कि उनकी शिक्षा का माध्यम तेलगू के बजाय उर्दू कर दिया जाय।

क्या हम अहिन्दी प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारों से और गांधीजी के हिन्दुस्तानी-प्रचार के पीछे मतवालों से पूछ सकते हैं, कि यदि अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमानों को राष्ट्र-भाषा के रूप में 'हिन्दुस्तानी' के बजाय हिन्दी, और राष्ट्र-लिपि के रूप में 'दोनों लिपि' के बजाय केवल देवनागरी सिखाई जाय, तो भी क्या उन्हें अपनी मातृ-भाषा और प्रान्त-भाषा को निगदत करने, त्यागने या विकृत करने की अथवा उसे उसकी स्वाभाविक लिपि के बजाय किसी दूसरी लिपि में लिखने की कोई प्रेरणा होगी अथवा साधन ही लभ्य होंगे ? उस हालत में भी क्या उन्हें सार्वदेशिक प्रकरण के सिवा दूसरे प्रकरण में 'राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रयोग करने की इच्छा होगी ? रही अहिन्दी हिन्दुओं की बात, सो वे तो अपनी मातृ-भाषाओं और लिपियों से प्रेम करते हैं। उनके द्वारा तो प्रान्तीय भाषाओं की हानि कभी हो ही नहीं सकती। इसके अतिरिक्त हिन्दी, और बंगला, आसामी, उड़िया, तेलगू, तामिल मराठी, गुजराती, आदि प्रान्तीय भाषाओं की संस्कृति, प्रवृत्ति और शब्दावली में इतना साम्य है कि उनका एक दूसरे पर प्रभाव एक दूसरे के लिये लाभ-दायक ही सिद्ध हो सकता है।

समस्या को भली भाँति समझ लेना चाहिये। हिन्दी और उर्दू एक भाषा की केवल दो शैलियाँ हो अथवा न हों, वे भाषा की दो सर्वथा भिन्न दिशाएँ अचश्य हैं। एक की दिशा भारत की ओर जाती है और दूसरी की

फारस और अरब की ओर, केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक महत्वपूर्ण बात में—शब्दों के रूपों में, अलकारों में, उपमाओं में, छन्दों में, व्याकरण में, सस्कृति में और लिपि में। जब तक दोनों की दिशा एक न हो, तब तक उनका एक होना और गांधीजी की सरस्वती का प्रकट होना असंभव है। और बात यह है कि हिन्दी की दिशा या प्रवृत्ति वही है जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं की। प्रत्येक प्रान्तीय भाषा और उर्दू में सघर्ष का यही मूल कारण है। 'यह हिन्दी—उर्दू की समस्या' नहीं, भाषा के क्षेत्र में हमारी वही चिर-परिचित हिन्दू—मुसलिम समस्या है। अभी यह हिन्दी—उर्दू के सघर्ष के रूप में दिखाई देती है, शीघ्र ही वह उर्दू—बंगला सघर्ष, उर्दू—तेलगू सघर्ष, उर्दू—तामिल सघर्ष, उर्दू—मराठी सघर्ष, उर्दू—गुजराती सघर्ष, आदि के रूप में दिखाई पड़ने लगेगी। बम्बई में उर्दू—मराठी और उर्दू—गुजराती युद्ध अपनी मध्यम अवस्था में पहुँच चुका है, बंगाल में उर्दू और बंगला का युद्ध आरम्भ हो गया है और मद्रास में उर्दू—तेलगू और उर्दू—तामिल युद्ध आरम्भ होने जा रहा है। गांधीजी ने बीमारी को जड़ तक न पहुँच कर बीमारी के एक चिन्हमात्र की चिकित्सा करनी चाही है, और उनका इलाज—५०-५० प्रतिशतवाली 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि'—बीमारी से भी अधिक भयकर है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, उससे बीमारी और बढ़ेगी। गांधीजी का हिन्दुस्तानी-बाद उर्दू और विभिन्न प्रांतीय भाषाओं के युद्ध में सभी प्रान्तीय भाषाओं के परास्त और पददलित होने का कारण बनेगा। वह केवल हिन्दी की अखडता, शुद्धता और अस्तित्व पर ही नहीं, बरन् सभी प्रान्तीय भाषाओं की अखडता, शुद्धता और अस्तित्व पर कुठाराघात है। हिन्दुओं की शक्ति विभिन्न प्रांतीय भाषाओं के बीच में, उनके पृथक पृथक विकास और साहित्य की अभिवृद्धि करने में वैसे ही बँटी हुई थी, आज गांधीजी ने हिन्दी के क्रेम्प में जो फूट डाली है और जिस बाद को 'राष्ट्रीयता' का जामा पहनाया है, उसका

परिणाम यही होगा कि उर्दू हम वाद को अपनी ढाल और नलचाग दोनों बनाकर पहले हिन्दी को और फिर एक एक करके प्रान्तीय भाषाओं को चौपट कर देगी। दूसरे शब्दों में, गांधी जी, कांग्रेस और अन्य हिन्दुस्तानी वालों ने अपने हिन्दुस्तानी-ग्रान्दोलन द्वारा हिन्दी को जो क्षति पहुँचाई है और पहुँचा रहे हैं, वह केवल हिन्दी की नहीं, सब प्रान्तीय भाषाओं की क्षति है। आज सब भारतीय भाषाया में न केवल हिन्दी वह भाषा है ही जो संस्कृत का उत्तराधिकार प्राप्त करके संस्कृत की भौतिक विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं को एक बधन में बाँधने का ऐतिहासिक कर्तव्य पूरा करने में समर्थ है, वह उर्दू के प्रहारों से प्रान्तीय भाषाओं की रक्षा के लिये उनका वाहरी दुर्ग भी है। अहिन्दी जन इस दुर्ग को नष्ट करके स्वयं अपनी भाषाओं के बिनाश का मार्ग खोलेंगे। अभी हाल की (अक्टूबर, १९१६) की खबर है कि मद्रास की कांग्रेसी सरकार ने मद्रास-प्रान्त के सब स्कूलों के लिये राष्ट्र-भाषा के रूप में 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' की शिक्षा का प्रवन्ध करना अनिवार्य करार दे दिया। कहना कठिन है यह 'हिन्दुस्तानी' कौनसी हिन्दुस्तानी है। यदि यह उत्तरी-भारत की बोलचाल की हिन्दुस्तानी, जिसे बोलचाल की हिन्दी कहना अधिक उचित होगा, है और मद्रास सरकार यह समझती है कि उससे राष्ट्र का काम चल सकता है और वह सार्वदेशिक भाषा के रूप में अँगरेजी को निफालने में समर्थ है तो वह भ्रम में है। अगर यह कोई साहित्यिक हिन्दुस्तानी है जिससे बच्चों को कहानियाँ के अतिरिक्त कोई और काम भी निकल सकता है, तो कहना कठिन है वह क्या है, क्योंकि यहाँ उत्तर में तो हमें हिन्दी और उर्दू के अतिरिक्त किसी साहित्यिक हिन्दुस्तानी का अथवा हिन्दी साहित्य या उर्दू साहित्य के अतिरिक्त किसी 'हिन्दुस्तानी' साहित्य का पता नहीं। उत्तर के स्कूलों में तो कोई 'हिन्दुस्तानी' नहीं, बरन् 'हिन्दी' और 'उर्दू' पढ़ाई जाती हैं। हमें किसी ऐसी साहित्यिक 'हिन्दुस्तानी' का (या उसके सिद्धान्तों का) भी पता नहीं जिसे पूरे देश ने

राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकृत कर लिया हो। यदि मद्रास-सरकार यह समझती है कि उत्तर की पर्वाह न करके वह अपनी अलग साहित्यिक हिन्दुस्तानी का और उसके साहित्य का निर्माण कर सकती है और उसे जीवित भी रख सकती है, तो फिर उसे घोर भ्रम हुआ है (कम से कम फिर उसे वह 'राष्ट्र-भाषा' कहकर तो न पुकारे)। जो कुछ भी हो, यह तो स्पष्ट है कि वह 'हिन्दी' नहीं है। शायद वह हिन्दी और उर्दू का एक वैसा ही मनमाना घोल है जैसा गाधीजी के पत्र 'हरिजन-सेवक' में काम में लाया जाता है, जिसके कोई सिद्धांत नहीं, कोई आदर्श नहीं और जो कुछ व्यक्तियों की जिद रखने के लिये तैयार किया गया है (इस घोल के विशेषज्ञ सब जगह, या सीखे सिखाये नहीं मिलते—खास तौर से तैयार किये जाते हैं\*)। और उर्दू लिपि तो साफ़ साफ़ रक्खी ही गई है। अतः यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि मद्रास की कांग्रेसी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो तामिल और तेलगू का सत्यानाश करके रहेगा। ऊपर से तुरा यह है कि फिर भी इससे कोई समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि स्थिति यह है कि मुसलमान प्रान्त फिर भी शुद्ध उर्दू के सिवा किसी भी दूसरी हिन्दुस्तानी को और उर्दू लिपि के सिवा किसी दूसरी लिपि को आश्रय देने को तैयार नहीं (सिन्ध का उदाहरण सामने है जहाँ लीगी सरकार ने अभी हाल में 'हिन्दुस्तानी' नाम धरकर उर्दू को शिक्षा का अनिवार्य विषय घोषित कर दिया, और चूँकि लिपि के मामले में घोषणा देना संभव न था, इसलिये उस 'हिन्दुस्तानी' के लिये लिपि डके की चोट

---

ॐ दक्षिण भारत हिन्दी ( ? ) प्रचार सभा की 'हिन्दुस्तानी' पुस्तकों की 'हिन्दुस्तानी का पता तां निश्चित रूप से लग गया है। उसके विधाता सभा के प्रधान-मंत्री श्री सत्यनारायण तथा कुछ अन्य दक्षिण-स्थित व्यक्ति हैं, और वह है उर्दू लिपि में शुद्ध उर्दू और देवनागरी में उर्दू जिसमें कहीं कहीं अकेले या कोष्ठकों में उर्दू पर्यायों के साथ हिन्दी के सरल शब्द धर दिये गये हों।



केवल उर्दू लिपि स्वीकृत की, गांधीजी, कांग्रेस और आचार्य जयदानी चुप रहे)। बम्बई और अन्य अहिन्दी प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारें यही कहेंगी जो मद्रास सरकार ने किया है। ऐसी स्थिति में एक हिन्दी-प्रेमी और विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं के प्रेमी का अहिन्दी भाषी जनप और जन-नायकों से यथा निर्दिष्ट है, तनिक टकने और विचार करने, प्रस्ताव नाम और कुछ व्यक्तियों में, वे चाहें किन्तु ही महान की न हा, अन्य विद्वान मन कर और अपने ही हाथों अपने अपने और साधनों ने यह न करने की तुम्हारे मन पर ही सुठाराधान करेगा, इन प्रान्तीय प्रेय की लज्जा और पुरानी सहजति पर भयकर आघात करेगा और जिसमें उस उद्देश्य का सफल होना तो दूर रहा जिसे लेकर तुम यह करना चाहते हो, उल्टे प्रतिनिधायकिया और राष्ट्र-द्रोहियों को प्रतिनामी गौरी की प्रति हो जायगी। हम उत्तरवासी तो किरी प्रकाश अपना ज्ञान बना लेते हैं क्योंकि हिन्दी और उर्दू फिर एक ही बोली के आधार पर गड़ी है, परन्तु उर्दू—बंगला, उर्दू—तेलगू, उर्दू—तामिल, उर्दू—मराठी जैसी समस्याएँ तुम्हारी प्रगति के मार्ग में ऐसी रुकावट बनकर गड़ी हो जायँगी जिनका कोई इलाका न होगा।

२

### कांग्रेस और 'हिन्दुस्तानी'

यह स्पष्ट है कि विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेसी सरकारें कांग्रेस के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दबाव के कारण ही गांधीजी के हिन्दुस्तानी-कार्यक्रम को अपना रही हैं, अतः कांग्रेस की हिन्दुस्तानी विषयक नीति के सम्बन्ध में भी कुछ कहना आवश्यक हो जाता है। कहना न होगा, राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस की अपीजमेंट पालिसी पूर्णतः असफल रही है। उससे केवल साम्प्रदायिकता को और शह मिली है। और कितनी ही नई समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

भाषा के क्षेत्र में अपीजमेन्ट पालिसी—'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि'-वाद अपीजमेन्ट के सिवा और कुछ नहीं—की भी वही गति होगी। उसमें केवल समस्या और दुरूह होगी (पहले बतलाया जा चुका है) और देश की वास्तविक राष्ट्र-भाषा हिन्दी का घोर अहित होगा। मुसलमान, जिनके लिये हो यह सब बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, हिन्दुस्तानी-वाद से रस्ती भर प्रभावित नहीं। उनकी मातृ-भाषा चाहे हिन्दी हो, चाहे बँगला, तेलगू, तामिल, मराठी, या गुजराती, उन्हें उर्दू छोड़कर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी से और उर्दू लिपि छोड़कर किसी दूसरी लिपि से कोई मतलब नहीं। वे 'दोनों लिपि' और गांधीजी के 'हरिजनसेवक' की हिन्दुस्तानी भी कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। 'हिन्दुस्तानी' का रहस्य उसी दिन खुल गया जिस दिन रेडियो हिन्दी उर्दू सलोहकार कमेटी में अजुमन-तरक्की-उर्दू के प्रतिनिधि ने घोषित किया कि उसकी और अजुमन की राय है कि 'हिन्दुस्तानी' के प्रयोग में समय नष्ट न किया जाय। इस मामले में कांग्रेसी मुसलमान और 'नेशनलिस्ट' मुसलमान लीगी मुसलमानों के साथ हैं। यह पहले कहा जा चुका है कि मौलाना आजाद ने आन्ध्र के मुसलमानों की प्रतिक्रियावादी मँग का समर्थन किया। जब सब से बड़े कांग्रेसी मुसलमान का यह हाल है तो दूसरे मुसलमानों का क्या कहना। एक दूसरा सबूत यह है कि यद्यपि हिन्दू कांग्रेसी नेता अपने भाषणों में निस्पृहता, उदारहृदयता, 'एकता'-प्रियता और न जाने क्या क्या दिखाने को उर्दू शब्द जानबूझ कर भरते हैं, कांग्रेस के मुसलमान नेता सदैव शुद्ध उर्दू में बोलते हैं (लीगी मुसलमानों के मुकाबले में कांग्रेसी मुसलमानों का कोई विशेष महत्त्व नहीं, यह बात अलग है।) फलतः राष्ट्रीय प्रकरणों में या चर्चा की 'हिन्दुस्तानी' चलती है या उर्दू। हिन्दी कहीं दिखाई नहीं देती। आज की अन्तर्कालीन सरकार को ही देख लीजिये। उसमें या उर्दू पर जान देनेवाले हैं या 'हिन्दुस्तानी' पर मरने वाले अर्थात् आवे उर्दू शब्द और देवनागरी के साथ साथ उर्दू लिपि का प्रचार करने वाले और चाहने

पाले। वेचानी हिन्दी को पृष्ठनेपाला कहें नहीं है। इन सब चीजों का परिणाम यह हो रहा है कि उर्दू, उर्दू शब्दों और उर्दू लिपि का प्रचार हो रहा है, हिन्दी कमजोर पड़ रही है और कमजोर 'हिन्दुस्तानी' फिर भी राष्ट्रभाषा नहीं होती। 'हिन्दुस्तानी' का उद्भव नहीं, बस केवल हिन्दी का बहिष्कार हो गया। गांधी-भाभी और जामिंदारी हिंदू आरक्षकों, रजि. मुसलमान 'हिन्दुस्तानी' स्वीकार नहीं करने को हम कैसे राष्ट्रियता से च्युत हो जायें? प्रथम तो यह समझ में नहीं आता कि 'हिन्दुस्तानी' 'राष्ट्रीय' किस प्रकार है? अपनी लिपि और शब्दों के द्वैतवाद (प्रत्यक्ष है) के कारण 'हिन्दुस्तानी' तो भाषा का साक्षात् पाकिस्तान है जिसमें दो लिपियाँ इस कारण रक्ती जायी हैं कि एक हिन्दुओं की लिपि है और एक मुसलमानों की, और शब्दों के जोड़े इस कारण रक्ते जाते हैं कि मरुत हिन्दुओं की पवित्र भाषा है और अरबी मुसलमानों की (और फारसी?)। भला वहीं इस द्वैतवाद से 'एक राष्ट्र' की राष्ट्रियता सध नकती है? द्वितीय, वाशिंगटन ने मुस्लिम लोग के पाकिस्तानी नारे के विरुद्ध लड़कर मुस्लिम लीग को अपनी 'अराब हिन्दुस्तान' की राष्ट्रियता स्वीकार करने पर तो मजबूर कर लिया (या घेरा करने का दावा करती है) उपरन्तु पर मुसलमानों को 'हिन्दुस्तानी' में दोलने और लिखने के निचे वैसे विदग करेगी, और मुस्लिम प्रांतों के मुसलमानों को 'हिन्दुस्तानी' और देवनागरी बने सिद्धांतों? क्या कांग्रेस आज भी यह आशा करती है कि यदि वाशिंगटन हिन्दू इसी प्रकार 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर हिन्दी को हत्या करते रहेंगे, तो अविध्य में मुसलमान भी दिल पिघलाव-योग के चशीभूत होकर 'हिन्दुस्तानी' में दोलने लगेंगे?

जैसा पहले कहा जा चुका है, उर्दू की दिशा का प्रवृत्ति हिन्दी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं की दिशा या प्रवृत्ति में मूलतः भिन्न है। जन्म

अब वह बात भी नहीं रही। आगे 'पुनश्च' देखिये।

उर्दू की दिशा बदलने की है, हिन्दी को दिशा बदलने की नहीं। अगर उर्दू अपनी दिशा बदलने को तैयार नहीं, तो उसका दंड हमें न दिया जाय—हमें अपनी दिशा में चलने दिया जाय। उर्दू वालों को उर्दू छोड़कर हिन्दी ग्रहण करने पर तैयार करना है, हमें हिन्दी छोड़कर आधी उर्दू, आधी विदेशी 'हिन्दुस्तानी' ग्रहण करने पर नहीं। हम पर 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' न लादी जाय। हमारा कांग्रेस से करबद्ध निवेदन है कि वह शुद्ध साम्प्रदायिकता को राष्ट्रीयता समझने की भूल न करे और अस्थायी लाभ, जो भी सदिग्ध है, की खातिर राष्ट्रीयता को सदैव के लिये पगु न करे। यदि मुसलमान अपनी पर-देश-भक्ति (extra-territorialism) नहीं छोड़ सकते, तो क्या कांग्रेस 'एकता' के नारे लगाकर हम भी भारत और भारतीयता से कम प्रेम करना सिखायगी? यदि अन्य देशों के अपने सहघमियों की भाँति (उदाहरणार्थ फारसी मुसलमान, जो फारसी में से अनावश्यक अरबी शब्द चुन चुन कर निकाल रहे हैं—यहाँ तक कि यदि कोई फारसी मुसलमान भूल से अपनी अर्जी में किसी बहिष्कृत अरबी शब्द का प्रयोग कर देता है तो सरकार उसकी अर्जी अस्वीकृत कर देती है) भारतीय मुसलमान राष्ट्रीय दृष्टि-कोण नहीं अपना सकते, तो क्या कांग्रेस 'एकता' के नाम पर हमें भी अराष्ट्रीय दृष्टि-कोण अपनाने पर विवश करेगी?

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहती है और ठाक कहती है, स्वतन्त्रता और राजनीतिक एकता मुस्लिम लीग को और कसेशन देने से नहीं हो सकती। हम कहते हैं, भाषा की एकता भी उर्दू वालों को और कसेशन देने से नहीं हो सकती। यह यथेष्ट कमेसन है कि उर्दू वालों को उर्दू और उर्दू लिपि सीखने पढ़ने दिया जाय, परन्तु राष्ट्र-भाषा हो 'हिन्दुस्तानी' एक 'और कसेशन' है। यह यथेष्ट कसेशन है कि उर्दू को हिन्दी न बनाया जाय, परन्तु "हिन्दी को 'हिन्दुस्तानी' बनाया जाय" एक 'और कसेशन' है जो राजनीतिक 'और कसेशन' की भाँति निष्फल तो होगा ही, हिन्दी और हिन्द की असीम

हानि करेगा और 'एकता' फिर भी उतनी ही दूर रहेगी जितनी पहले थी ।

साम्प्रदायिक समस्या पर दृष्टिपात करते हुए आचार्य कृपलानी ने मेरठ में अपने राष्ट्रपति के पद से दिये गये भाषण में कहा, “ हम जो कुछ भी करें उसमें हमें राष्ट्रीयता और जनतंत्र पर साम्प्रदायिक और जनतंत्र-विरोधी सिद्धान्तों को विजय नहीं पाने देना चाहिए । -----मेरा विश्वास है कि यदि हमने पृथक-निर्वाचन के अराष्ट्रीय और अजनतत्रात्मक सिद्धान्त को मानने से साफ़ साफ़ इनकार कर दिया होता, तो हम अपनी वर्तमान मुश्किल से बहुत कुछ बच गये होते ।-----” भविष्य के लिये चेतावनी देते हुए उन्होंने फिर कहा, “-----संभव है, तात्कालिक कठिनाई से बचने के लिए हम फिर ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार कर लें जो राष्ट्रीयता और जनतंत्र के मूल पर कुठाराघात करने वाले हों । ----- मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में हमारे बयोवृद्ध नेता स्वयं भाषण देंगे और देश को भी भाषण रखेंगे कि कहीं वे दबाव या बहने-सुनने में आकर राष्ट्रघाती, अजनतत्रात्मक समझौते न कर दें ।-----” हम कांग्रेस के बयोवृद्ध नेताओं और सबसे बयोवृद्ध नेता महात्मा गांधी से प्रार्थना करते हैं कि वे हिन्दी-उर्दू समस्या को, जिसे सब एक साम्प्रदायिक समस्या मानने को तैयार होंगे, और अपने हिन्दुस्तानी चाद को राष्ट्रपति की इन उक्तियों की रोशनी में देखें । राष्ट्र-भाषा में एक स्वदेशी शब्द, जिसे ८० व्यक्ति समझते हों, के बजाय एक विदेशी शब्द, जिसे केवल २० व्यक्ति समझते हों, रखना कहाँ तक राष्ट्रीय है और कहाँ तक जनतत्रात्मक है ? और राष्ट्र-भाषा के निमित्त एक विदेशी, अवैज्ञानिक, अनुपयुक्त और अपूर्ण लिपि को जिस अधिक से अधिक ३ करोड़ व्यक्ति जानते या मानते हों और जिसे त्यागना फारस और तुर्की जैसे मुसलमान देशों ने ही अपनी उन्नति के लिए आवश्यक समझा हो, एक स्वदेशी, वैज्ञानिक, उपयुक्त और पूर्ण लिपि, जिसे कम से कम १४ करोड़ व्यक्ति मूल रूप में और लगभग १० करोड़ व्यक्ति और

कुछ परिवर्तित रूपों में जानते या मानते हों, के समान स्थान देना वहाँ तक राष्ट्रिय, जनतंत्रात्मक या विज्ञान-सम्मान ही है ? क्या राष्ट्र-भाषा के निमित्त दो लिपि के सिद्धान्त को मान कर केवल तात्कालिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से एक राष्ट्र घाती, अ-जनतंत्रात्मक समझौता नहीं किया जा रहा है, और क्या यह अव्यावहारिक होने के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, जनतंत्र और एकता के मूल पर कुठाराघात नहीं करता और क्या इसे मानने से, यदि देश को ऐसी मुसीबतों से बचाना है जिनका अंत कभी न होगा, हमें साफ इन्कार न कर देना चाहिये ?

३

### 'हिन्दुस्तानी' का रहस्य

—भाषा-वेत्ताओं के मुख से—

हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान श्रीचन्द्रबली पाडे अपने 'True Genesis of Hindusthani' शीर्षक लेख में लिखते हैं :—

"It is generally alleged that the question of high Hindi first sprang up from the establishment of Fort Wilham College (1800) under the patronage of Dr. Gilchrist. But the policy as regards Hindi, Urdu and Hindustani followed by the Fort Wilham College, as it has been explained by Gilchrist himself was that—  
"In the Hindustani, as in other tongues, we might enumerate a great diversity of styles, but for brevity's sake, I shall only notice three here, leaving their sub-divisions to be discussed along, with the history of the language which has been reserved for the second volume First, the High Court or Persian

style. Second, the middle or genuine Hindustani style; third, the vulgar or Hinduwee.

“In the more elevated poems of Saqda, Wulee and others and in the affected, pompous, pedantic language or literature and politics, the first is predominant and leans to Arabic and Persian agreeably to circumstances.

“The elegy of Miskeen, the satires of Sanda, Hindustani Tales and Articles of War in the Oriental Linguist, the speech of wellbred Hindustani Munshees and servants are the best specimens I can recollect of the middle style, while the third or Hinduwee is evident in Mr. Foster’s unaffected translations of the Regulations of Government, in all or greatest part of Hindustani Compositions written in the Nagri character, in the dialect of the lower order of servants and Hindus, as well as among the peasantry of Hindustan. The preference which I give to the middle style over the others, must appear in every page of my works, as it is in truth central regulator or tongue by which we perceive the ascending and descending scales on either side” (From Appendix to Gilchrist’s Dictionary).

It must be noted here that the regulations of the Government of Fort Wilham were translated into the genuine Hindi language and Nagari character commonly spoken and used by the Indian masses.

But the authorities of the Fort William College gave preference to the Munshee’s Hindustani about which Sir C. E. Trevelyan (afterwards the Governor of the Madras Presidency) in 1834 remarks that —

“The Arabian Hindustani, which has grown up at Calcutta under the fostering patronage of Government, and is spoken by the Munshees of the College of Fort William, and the Maulvees and students of the Mohamedan College, is quite a different language from that which prevails in any other part of India” (From the History of the Application of the Roman Alphabet, by M. Williams, Published by Longmans, London, 1859, page 29 )

And it is no wonder that in the middle of the 19th century Hindoostani becomes the synonym for Urdu, Sir Richard Temple (the Governor of Bombay, 1877-1880) observes that—

“The tongue of Moslems in India was most largely to be Persian, but since the middle of the century it has become Hindustani, formerly called Urdu, which is still the official language of the Courts in the districts round Lahore, Delhi, Agra, Lucknow. Elsewhere the official language of the Courts is the language of the region, that is to say, Bengali for Bengal, Oriya for Orissa, Hindi for Bihar and Benares, Maharatti for Nagpore and the Central Deccan to



Bombay, Gujrat for the Western Coast, Telegu for the Southern Deccan and the Eastern Coast, Kannaree for the South Western Coast and Tamil for the Southern Peninsula. Of these main languages, all save Hindustani and the Tamil are derived from Sanskrit." (From Progress of India, Japan and China in the Century, W. and R. Chambers, Ltd, London, 1902, p 181).

And that is why the Concise Oxford Dictionary maintains "Hindustani—Language of Mohammedan conquerors of Hindustan, Urdu"

प्रसिद्ध भाषा-वेत्ता डा० हर्नीतियुमार चटर्जी अपनी पुस्तक 'इन्डोएरियन ऐंड हिन्दी' ( Indo-Aryan and Hindi ) में लिखते हैं—

“बारहवीं और तेरहवीं शताब्दियों की तुर्क-विजयों के पश्चात् उत्तरी भारत (पूर्वी पंजाब से लेकर बंगाल तक) की प्रचलित भाषा के नामों में से हिन्दी सबसे प्राचीन और सरल नाम है, और मैं इसका प्रयोग इसी पुराने अर्थ और ध्वनि में करता हूँ और जनता में भी अभी तक इस नाम से यही भाव ग्रहण किया जाता है। 'हिन्दुस्तानी' बहुत बाद की और अधिक बोझिली उपज है—शुद्ध फ़ारसी शब्द के नाते अब यह शब्द मुसलमानी हिन्दी अर्थात् उर्दू, जिसमें फ़ारसी और अरबी शब्दों की भरमार रहती है और देशज हिन्दी तथा संस्कृत शब्द यथाशक्ति न्यून और बहिष्कृत रहते हैं, का पर्याय हो गया है। भारतीय भाषाओं के कुछ विद्यार्थियों और कांग्रेस तथा अन्य स्वयंसेवकों के राजनीतिक तथा सामाजिक कार्य-वर्ताओं की ओर से इस फ़ारसी शब्द 'हिन्दुस्तानी' को अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त करने का और उसे साहित्यिक हिन्दी (नागरी हिन्दी) और उर्दू दोनों की आधार-

भूत बोली के अर्थ में प्रयुक्त करने का प्रयत्न हुआ है, परन्तु इन कोशिशों के बावजूद लगभग सब अँगरेज और अन्य विदेशी लोग अब भी ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘उर्दू’ दोनों शब्दों को हिन्दी भाषा की एक ही शैली अर्थात् उस शैली का बोधक समझते हैं जो फारसी लिपि में लिखी जाय और जिसमें अरबी फारसी शब्दावली प्रयुक्त की जाय।’

कांग्रेस की हिन्दुस्तानी के विषय में डा० चटर्जी उसी पुस्तक में आगे फिर लिखते हैं—

“अब कांग्रेस हिन्दुस्तानी के ठेठ आधार अर्थात् खड़ी बोली, जिस पर साहित्यिक हिन्दी और उर्दू दोनों की नींव रखी हुई है, के आधार पर एक नई भाषा या साहित्यिक शैली गठने का विचार इस कथित ह्रादे के साथ कर रही है कि विदेशी अरबी-फारसी शब्दों, जिन पर मुस्लमान नेता जोर देते हैं, और देशज हिन्दी और संस्कृत शब्दों, जिन पर हिन्दुस्थानी-भाषी क्षेत्र के तथा शेष भारत के हिन्दू जोर देते हैं, के बीच में एक उचित और न्याय्य सन्तुलन रखा जाय। परन्तु व्यवहार में यह फारसी-निष्ठ हिन्दुस्तानी बन रही है जिसे गुजराती, बंगाली, महाराष्ट्री, उड़िया और दक्षिण के लोग नहीं समझ पाते ( परन्तु फिर भी उनसे हिन्दुस्थानी के इस रूप को राष्ट्र-भाषा के रूप में ग्रहण करने के लिये कहा जाता है )+ और जिसमें विहार और

---

\* उदाहरण के लिये बी० बी० सी०, मास्को रेंडियो, अकारा रेंडियो और अन्य विदेशी रेंडियो स्टेशनों की ‘हिन्दुस्तानी’ सुन लीजिये, जो शुद्ध उर्दू है—  
आल इंडिया रेंडियो की ‘हिन्दुस्तानी’ नामधारी अपेक्षाकृत पतली चाशनी वाली उर्दू भी नहीं।

+अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गुजराती, महाराष्ट्री, बंगाली, आसामी, उड़िया और दक्षिण भारतीय सदस्य प्रायः यह शिकायत करते सुने जाते हैं कि हम पं० बालकृष्ण शर्मा और श्री टण्डनजी के हिन्दी भाषण तो काफी अच्छी तरह समझ लेते हैं परन्तु पं० नेहरू, मौलाना आज़ाद और आचार्य कृपलानी की ‘हिन्दुस्तानी’ ठीक ठीक हमारी समझ में नहीं आती।

संयुक्त-प्रान्त, राजपूताना, मध्य भारत और मध्य-प्रान्त की जनता जो संस्कृतज शब्दावली की अभ्यस्त है, आराम और सुविधा का अनुभव नहीं करती। यह भाषा शायद संयुक्त-प्रान्त, बिहार, हिन्दी-भाषी मध्य-प्रान्त तथा पंजाब के पढ़े लिखे सिखाँ और हिन्दुओं की एक विशिष्ट संख्या को सुविधा-जनक जान पड़े।

“यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि पूर्वी संयुक्त-प्रान्त, बिहार, नेपाल, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, आन्ध्र, तामिल नाड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लोग हिन्दी-हिन्दुस्थानी के प्रति जो आकर्षण अनुभव करते हैं वह मूलतः दो बातों पर निर्भर है—उसकी देवनागरी लिपि और उसकी संस्कृत-निष्ठ शब्दावली। हमें इस बड़ी सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिये और न यह कभी भुलाई जा सकती है।”\*

## ४

### कैबिनेट मिशन की विधान-योजना और ‘हिन्दुस्तानी’

यह भली भाँति स्पष्ट हो चुका है कि मुसलमान गांधी जी द्वारा प्रस्तावित ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘दोनों लिपि’ मानने को भी तैयार नहीं। पंजाब, सीमा-प्रान्त, सिन्ध और बलूचिस्तान, इन मुस्लिम प्रान्तों के प्रकरण में इस बात

\*कम से-कम ‘हिन्दुस्तानी’ की रट अब क्यों जब भारत के वही भाग कांग्रेस की मुट्ठी में से निकल गये जिनसे अपनी ‘राष्ट्र-भाषा’ मनवाने के लिये घूस देने के विचार से कांग्रेस, विशेष रूप से कांग्रेस के हिन्दू नेता इतने वर्षों से वास्तविक राष्ट्र-भाषा हिन्दी की सुझत करके ‘हिन्दुस्तानी’ बनाने में लगे हुये थे ?

अब तक कहा जाता था कि देश में उर्दू-भाषी प्रदेश भी हैं, राष्ट्र-भाषा ‘हिन्दुस्तानी’ ऐसी हो जिसे फ्रांटियर के लोग भी समझ सकें; अब शायद यह कहा जाय कि स्वयं की अपेक्षा एक पड़ोसी राष्ट्र को अपनी राष्ट्र-भाषा समझाना ज्यादा ज़रूरी है !

का दो-टुक महत्त्व है। इन प्रान्तों में ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' और देवनागरी का न कोई स्थान है और न कभी होगा। उर्दू, शुद्ध उर्दू, और उर्दू लिपि इस समय भी उनकी डी फ़ैक्टो कामन भाषा और कामन लिपि हैं। कैबिनेट मिशन ने जो विधान योजना प्रस्तुत की है, उसके अनुसार इन प्रान्तों पर सदैव मुस्लिम बहुमत वाली सरकारों का जो शायद लगी ही होंगी, राज्य होगा। केन्द्रीय सरकार के पास इन प्रान्तों की सरकारों को अपने अपने प्रान्त के स्कूलों में वर्धा को 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिये या अपनी दोनों लिपियों सहित वर्धा की 'हिन्दुस्तानी' की शिक्षा का एक अनिवार्य विषय करार देने के लिये मजबूर करने का कोई वैधानिक साधन न होगा। फिर ये प्रान्त एक ग्रूप (ग्रूप 'बी') बनायेंगे, और यह निश्चित है कि उर्दू और उर्दू लिपि ग्रूप की कामन या राष्ट्र-भाषा और लिपि घोषित की जायेंगी और उनका पढ़ना और सीखना ग्रूप के प्रत्येक निवासी के लिये अनिवार्य करार दिया जायगा। ऐसी परिस्थिति में सारे राष्ट्र को एक कामन राष्ट्र-भाषा के बन्धन में बाँधने का हमके भिवा कोई दूसरा उपाय न होगा कि ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' नहीं बरन् शुद्ध उर्दू, और उर्दू लिपि काग्रेस प्रान्तों अर्थात् हिन्दुस्तान ग्रूप (ग्रूप 'ए') की भी कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा और लिपि घोषित कर दी जायें, और उनका पढ़ना और सीखना ग्रूप के प्रत्येक निवासी के लिये अनिवार्य करार दिया जाय। यदि आरम्भ में काग्रेस ने किसी उर्दू से कम फारसीमयी 'हिन्दुस्तानी' को ही ग्रूप 'ए' की कामन भाषा करार दिया, तो भी परिस्थितियाँ और आवश्यकतायें उसे शीघ्र ही उर्दू से अभिन्न बना देंगी, क्योंकि एक ओर तो 'हिन्दुस्तानी' के स्वरूप को निर्धारित करने वाले कोई नियम या सिद्धान्त नहीं हैं और प्रत्येक उर्दू शब्द उसमें लिया जा सकता है, और दूसरी ओर ग्रूप 'बी' की सरकार या सरकारें उर्दू के स्वरूप में कोई परिवर्तन न होने देंगी और उसमें कोई हिन्दी संस्कृत

शब्द न चुमने देंगी। और यदि आरम्भ में कांग्रेस ने दोनों लिपियों को ही रूप 'ए' की कामन और राष्ट्र-लिपि करार दिया, तो उर्दू लिपि अपने आप वास्तविक राष्ट्र-लिपि अर्थात् सारे राष्ट्र की लिपि तो हो ही गई, देवनागरी को थोड़े दिनों बाद बेकार बतकर छोड़ भी दिया जायगा। यदि उसे न भी छोड़ा गया ( जिसकी कोई सम्भावना नहीं, क्योंकि बेकार और अनावश्यक चीजें कभी अधिक समय तक नहीं टिकती ) तो हिन्दू यह मोच-मोच कर पुन-कायमान तो न होंगे कि रूप 'धी' के हिन्दू-मुसलमानों को देवनागरी नहीं सीखनी पड़ती तो न सही, रूप 'ए' के मुट्ठी भर मुसलमानों को तो उर्दू लिपि के साथ साथ देवनागरी सीखनी पड़ती है। फिर यदि रूप 'ए' के निचामियों को यह विकल्प ही दिया गया कि जो चाहे वह उर्दू लिपि और जो चाहे वह देवनागरी सीखे, तो इसमें या तो "एक कामन राष्ट्र-भाषा जो सब भारतीयों द्वारा सीखी हुई दो लिपियों में से किसी में लिखी जाय" का लक्ष्य ही भ्रष्ट हो जायगा या रूप 'ए' के हिन्दू अमल में उर्दू लिपि चुनने पर बाध्य होंगे या क्रिये जायेंगे और वही सारे राष्ट्र की डीपेंकटो कामन लिपि या राष्ट्र-लिपि हागी। यह भी स्पष्ट है कि इस परिस्थिति में हिन्दी और उर्दू दोनों को रूप 'ए' को राष्ट्र-भाषा घोषित करने में भी समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि इसका अर्थ होगा उर्दू को ही वास्तविक राष्ट्र-भाषा अर्थात् सारे राष्ट्र की भाषा बनाना, और चूँकि हिन्दी की कोई आवश्यकता न होगी, उसे शीघ्र ही एक बेकार का बोझ समझ कर हटा भी दिया जायगा। यदि उसे न भी हटाया गया, तो हिन्दू यह मोच-मोच कर आत्म-मतोप में विभोर तो न होंगे कि रूप 'धी' के हिन्दू-मुसलमानों को हिन्दी नहीं सीखनी पड़ती तो न सही, रूप 'ए' के मुट्ठी भर मुसलमानों को तो उर्दू के साथ साथ हिन्दी भी सीखनी पड़ती है। और यदि रूप 'ए' के निचामियों को यह विकल्प ही दिया गया कि जो चाहे वह उर्दू सीखे और जो चाहे वह हिन्दी सीखे तो इससे या तो "सम्पूर्ण राष्ट्र की एक कामन राष्ट्र-भाषा

जिसे सब भारतीय जानते और सीखते हों" का लक्ष्य ही भ्रष्ट हो जायगा या ग्रूप 'ए' के हिन्दू अमल में उर्दू चुनने पर बाध्य होंगे या क्रिये जायेंगे और वही सारे राष्ट्र की डी पैक्टो कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा होगी।

प्रत्यक्ष है, परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस के हिन्दुस्तानी-वाद का अर्थ है उर्दू और उर्दू लिपि को पिछवाड़े के रास्ते से प्रविष्ट कर राष्ट्र पर राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि के रूप में लाद देना।

यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके सत्य होने के लिये कैबिनेट मिशन की योजनानुसार ग्रूपों का बनना आवश्यक नहीं है। ग्रूप 'बी' में वही प्रान्त ही तो हैं जिन्होंने न आज तक वर्धा के हिन्दुस्तानी वाद से वास्ता रक्खा है, और न कभी रक्खेंगे, चाहे वे अलग अलग रहें और चाहे एक ग्रूप में आवद्ध हो जायें। और ग्रूप 'ए' में वही प्रान्त हैं जिनकी पृथक पृथक सरकारें कांग्रेसी होने के नाते उसी नीति का अनुसरण करेंगी जो उन सब की एक कांग्रेसी, सम्मिलित केन्द्रीय सरकार की हो सकती है। कैबिनेट मिशन की ग्रूप-योजना ने केवल उसी बात को स्पष्ट-तर कर दिया है जो भाषा के मामले में उसके बिना ही काफी स्पष्ट थी और है। इसके अतिरिक्त, यदि मन के लड्डू फोड़ना छोड़ दिया जाय तो इसका कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता कि प्रान्तों के ग्रूप नहीं बनेगे, अथवा यदि बनेगे तो वे भाषा और संस्कृति का विषय केन्द्रीय सरकार को सौंप देंगे। कम से कम ग्रूप 'बी' का बनना निश्चित है, और इतना काफी है। कोई यह भी न समझे कि इस ग्रूप वाजी के वाद कांग्रेस ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' (अथवा हिन्दी और उर्दू दोनों) को ग्रूप 'ए' की कामन भाषा और लिपि, और इसलिये शिक्षा का अनिवार्य विषय, घोषित करने की मूर्खता नहीं करेगी। जो कांग्रेस (अर्थात् विभिन्न कांग्रेसी प्रान्तीय सरकारें) सन् १९३८ के अपने अल्प राज्य-काल में यह भली भाँति जानते हुये भी कि मुस्लिम प्रान्त वर्धा की 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों

लिपि' ( अथवा हिन्दी उर्दू दोनों ), की बात बिलकुल नहीं पढ़ेंगे ( और न उन्होंने पढ़ी ), युक्त-प्रान्त, बिहार और मध्य-प्रान्त ऐसे हिन्दी-भाषी प्रान्तों में, जहाँ सुदृढ़ भर, और वे भी हिन्दी भाषी, मुसलमान रहते हैं, हिन्दी को निकाल कर 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' ( अथवा हिन्दी उर्दू दोनों ) को सबके निर पग लादन, और राज-भाषा, शिक्षा के माध्यम, आदि के पद पर प्रतिष्ठित करने में, और बम्बई ऐसे संस्कृत-निष्ठ भाषा बोलने वाले प्रान्त में राष्ट्र-भाषा के रूप में ५० ५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' और उर्दू लिपि की अनिवाये शिक्षा जायी करने से बाज न आई, यह प्रश्न 'श्री' के ( अर्थात् उन्हीं मुस्लिम प्रान्तों के ) उर्दू को अपनी भाषा बनाने पर भी केवल १० प्रतिशत ( १८७ में २० ) मुस्लिमों के कारण ( जिनमें से अधिकांश हिन्दी और अन्य संस्कृत-निष्ठ भाषाएँ बोलते और समझते हैं और देवनागरी या उसके किसी रूप में लिखते हैं ) शून्य 'ए' की ( अर्थात् अपने अधीनस्थ हिन्दू प्रान्तों की ) कामन भाषा हिन्दी के बजाय 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' ( अथवा हिन्दी उर्दू दोनों ) फिर घोषित कर सकती है—बस, केवल 'महात्मा' का उपाधि धारण करने वाले गांधी जी, 'तग-खयाली' से दूर रहने वाले और अन्तरगात्रीयता में विचरने वाले प० नेहरू, सदा एक-स रहने वाले डा० राजेन्द्रप्रसाद, और मौलाना अबुलकलाम आजाद, श्री आनन्दबाली, डा० मैथिलमहमद और श्री रफीअहमद फिदवई मरीखे काग्रेसी और मौलाना मदनी जैसे 'नेशनलिस्ट' मुस्लिम सलामत रहें । राज्य की वागडोर फिर संभालने के ६ महीने के अन्दर अन्दर ही संयुक्त-प्रान्त की काग्रेसी सरकार का 'हिन्दुस्तानी' को संयुक्त प्रान्त की देशज भाषा ( 'वर्नाक्युलर' ) घोषित करना, संयुक्त-प्रान्त और बिहार की काग्रेसी सरकारों का 'हिन्दुस्तानी' को कालजों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये कदम उठाना और संयुक्त-प्रान्त की सरकार का 'हिन्दुस्तानी' के साहित्य की अभिवृद्धि के लिये ५० हजार रुपये स्वीकृत करना, आदि और मद्रास की काग्रेसी

सरकार का अपने प्रान्त के सब स्कूलों में 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' की शिक्षा का प्रबन्ध अनिवार्य करार देना हवा का रख बताने के लिये काफी हैं ।

इतिहास साक्षी है कि एक बनावटी समझौते पर आधारित या आश्रित एकता कभी स्थायी नहीं होती । परन्तु "हिन्दुस्तानी और दोनों लिपि" तो एक ऐसा समझौता भी नहीं है जिसे दोनों बिराधी दलों ने मान लिया हो । यह तो एक दल का दूसरे के सामने आत्म समर्पण है । मद्रास, बम्बई, आदि अहिन्दी प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारों द्वारा अपने अधीनस्थ स्कूलों में 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' की शिक्षा के प्रचलित किये जाने का परिणाम यही होना है कि उर्दू और उर्दू लिपि भारत की एकमात्र डी फैक्टो राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि हो जायेगी । इसमें सन्देह करने की कोई गुजाइश नहीं । भाषा की समस्या को कॅबिनेट मिशन की विधान-योजना की रोशनी में देखते हुये क्या कांग्रेस के लिये यह उचित नहीं है कि इसके पूर्व कि वह हिन्दू प्रान्तों पर, जो उसकी मुट्टी में हैं, अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' ( या हिन्दी उर्दू दोनों ) लादे और इस प्रकार उनका समय, शक्ति और पैसा बरबाद करे, उनकी भाषा-समस्या को और जटिल बनाये और हिन्दुओं में फूट डाले और संघर्ष उत्पन्न करे—और यह सब उनमें रहनेवाले मुट्टी भर ( १८७ में २० ) मुसलमानों ( जिनमें से अधिकांश हिन्दी या अन्य संस्कृत-निष्ठ भाषायें बोलते और समझते हैं ) के कारण, कम से कम वह अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' को राष्ट्र-भाषा के रूप में मुसलमान प्रान्तों से भी, कहने के लिये भी और अमल में भी, मनवा ले ? अगर वह ऐसा नहीं कर सकती या करने में असमर्थ है, तो न्याय और तर्क का तक्का यह है कि ग्रुप 'ए' की कामन भाषा और लिपि हिन्दी और केवल देवनागरी हों और ग्रुप के प्रत्येक निवासी के लिये हिन्दी और देवनागरी का सीखना अनिवार्य हो । केन्द्रीय सरकार हिन्दी और उर्दू दोनों को राष्ट्र-भाषा स्वीकृत करे और दोनों को



समान पद दे। यह कोई नई बात न होगी। केनाडा में पूर्वी केनाडा, जहाँ फ्रेंच भाषी जनता का बहुमत है, की राष्ट्र-भाषा फ्रेंच है, और फ्रेंच-जोन की धारा-सभा और सरकार की सारी कार्रवाई फ्रेंच में होती है, और पश्चिमी केनाडा, जहाँ अँगरेजी भाषी जनता का बहुमत है, की राष्ट्र-भाषा अँगरेजी है और अँगरेजी-जोन की धारा-सभा और सरकार की सारी कार्रवाई अँगरेजी में होती है। केनाडा की केन्द्रीय सरकार अँगरेजी और फ्रेंच दोनों को राष्ट्र-भाषा मानती है और दोनों को समान पद देती है। इसी प्रकार स्वीटजरलैंड में तीन राष्ट्र भाषाएँ हैं और तीनों के अलग अलग जोन हैं। भारत में श्रू 'ए' की कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा हिन्दी होगी, श्रू 'बी' को उर्दू, और केन्द्र दोनों को राष्ट्र-भाषा मानेगा। यह भारत की राष्ट्र-भाषा समस्या का आदर्श नहीं, तो विशेष सतोपजनक और व्यापहारिक हल होगा। हिन्दी और उर्दू तो अँगरेजी और फ्रेंच (या जर्मन) की अपेक्षा फिर एक दूसरे के अधिक निकट हैं। श्रू 'सी' के बंगाल-प्रान्त की प्रान्त भाषा होगी बँगला और आसाम की असमी। यह श्रू बँगला को अपनी कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा बना सकता है (और उस अवस्था में केन्द्र के लिये बँगला को भी राष्ट्र-भाषा स्वीकृत करना आवश्यक होगा), यद्यपि ज्यादा अच्छा यह होगा कि ये प्रान्त हिन्दी और उर्दू को राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकार कर लें या हिन्दी या उर्दू बतौर राष्ट्र-भाषा के सीखना प्रत्येक की इच्छा पर छोड़ दें।

५

## कांग्रेस से एक अपील

अन्त में हम कांग्रेस से अपील करते हैं कि उसके 'हिन्दुस्तानी' के विषय में चाहे जो विचार हों पर हमारी हिन्दी को बख्श दे। वह 'हिन्दुस्तानी' के जोश में आकर हिन्दी का अस्तित्व मिटाने की चेष्टा न करे। कांग्रेस ने बार बार यह घोषणा की है कि वह जनता के प्रत्येक भाग की भाषा और सस्कृति

की रक्षा और आदर करेगी। कांग्रेस अपनी इस घोषणा का पालन करे। कम से कम हिन्दी के अपने निजी प्रदेश में अर्थात् सयुक्त-प्रान्त, बिहार और मध्य-प्रान्त, इन हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का अखण्ड राज्य रहना चाहिये और इनमें सारा काम-काज जैसे राज्य-व्यवहार, शिक्षा का काम और सार्वजनिक व्यवहार परंपरागत शुद्ध हिन्दी में होना चाहिये। कांग्रेस इन हिन्दी प्रान्तों पर अपनी 'हिन्दुस्तानी'—उसकी अन्तिम रू-रेखा कांग्रेस चाहे जो भी निश्चित करे—प्रान्तीय भाषा के तौर पर न लादे। इन प्रान्तों की जनता ने विगत शताब्दियों में हिन्दी को रूप दिया है और उसकी वाणी हिन्दी साहित्य के रूप में प्रस्तुत हुई है, इसलिये इन प्रान्तों में हिन्दी को छोड़कर प्रादेशिक भाषा के बतौर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी का कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य प्रान्तों में परंपरागत प्रान्तीय भाषा को छोड़कर किसी दूसरी भाषा का प्रान्तीय प्रकरण में कोई स्थान नहीं। कांग्रेस की घोषणा का यही अर्थ निकलता है और इसी प्रकार हिन्दी, परंपरागत हिन्दी, के हितों की रक्षा हो सकती है। राष्ट्र को, यदि वह ऐसा करना ही चाहे तो, राष्ट्र-भाषा निर्माण करने का अधिकार हो सकता है परन्तु उसे राष्ट्र के किसी भाग या राष्ट्र की जनता के किसी भाग पर उसकी निजी परंपरागत भाषा हटा कर उसके स्थान में राष्ट्र-भाषा लादने का कोई अधिकार नहीं। यदि राष्ट्र-भाषा को ऐसा और वैसा होना चाहिये, ऐसी और वैसी सस्कृति का प्रतीक होना चाहिये, तो खुशी से राष्ट्र उसे इच्छानुसार गढ़े, परन्तु, हमारी निजी भाषा हिन्दी और हमारी निजी सस्कृति के प्रतीक हिन्दी का भी तो अपने प्रदेश में पूर्ण अधिकार रहना चाहिये। हम कांग्रेस से अपील करते हैं कि वह हिन्दी को अपने घरमें से निकाल कर 'हिन्दुस्तानी' को बसाने का प्रयत्न करना छोड़ दे।

केन्द्र में भी (जैसे आल इन्डिया रेडियो, सरकारी फिल्म, केन्द्रीय सूचना विभाग, आदि) हिन्दी, परंपरागत शुद्ध हिन्दी, को कम से कम वह स्थान दिया जाय जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं को दिया जाय। हम कांग्रेस से, जिसके

हाथ में आज केन्द्रीय- सरकार को भी बागडोर है, अपील करने हैं कि वह हिन्दी के साथ कम से कम इतना न्याय करे। यदि उसे हिन्दुस्तानीवाद में वास्तव में विश्वास है तो इसके पूर्व कि वह ऐसे प्रकरणां में हिन्दी के स्थान में 'हिन्दुस्तानी' धरे जहाँ अन्य प्रान्तीय भाषाओं को स्वतन्त्र स्थान प्राप्त हैं, जैसे आल इंडिया रेडियो में, और इसलिये जहाँ हिन्दी का भी एक प्रान्तीय भाषा के नाते ही स्वतन्त्र स्थान होना चाहिये, वह पहले अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' को वहाँ प्रतिष्ठित करे जहाँ केवल एक भाषा है और इसलिये जहाँ केवल गण्टू-भाषा को ही होना चाहिये, अर्थात् वह पहले, उदाहरण के लिये, सेना और रक्षा-विभाग की रोमन उर्दू और होम-विभाग तथा अन्य विभागों की राजभाषा उर्दू के स्थान में अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' को प्रतिष्ठित करे (यदि सेना में 'दोनों लिपि' की गुंजाइश नहीं, तो विदेशी रोमन लिपि के स्थान में दो 'गण्टू-लिपियों' में से अधिक प्रचलित लिपि अर्थात् देवनागरी प्रतिष्ठित करे)। जहाँ जहाँ अब तक हिन्दी थी वहाँ वहाँ हिन्दी को निकालकर अपनी 'हिन्दुस्तानी' धरने में कांग्रेस ने देर नहीं की, हमें यह भी तो मालूम हो कि जहाँ जहाँ अब तक उर्दू का अखण्ड राज्य रहा है और है वहाँ वहाँ उर्दू को निकालकर अपनी 'हिन्दुस्तानी' प्रतिष्ठित करने के लिये कांग्रेस कहाँ तक तैयार है, कहाँ तक समर्थ है और उसमें ऐसा करने का वहाँ तक साहस है। यह तो निश्चित प्रकार का न्याय होगा कि केन्द्र में प्रान्तीय भाषाओं का स्थान हो और 'हिन्दुस्तानी' का भी स्थान हो जैसे आल इंडिया रेडियो में, और उर्दू का स्थान भी अक्षुण्ण रहे जैसे सेना और रक्षा-विभाग में (और संयुक्त प्रान्त, बिहार और मध्य-प्रान्त की अदालतों, पुलिस, दफ्तरों, आदि में भी), परन्तु हिन्दी वहीं दिखाई न दे।

### पुनश्च

जिस बात का डर था, अन्त में वह होकर रही। पाकिस्तान बन गया।

जिस कमजोर और सीमित केन्द्र की कैबिनेट मिशन ने व्यवस्था की थी, अब वह भी नहीं रहा। कांग्रेस ने शेर की खाल उतार फेंकी और जनता से किये गये अपने वादों को भूल कर, बिना चीं-चपड़ किये, बिना हाथ-पैर मारे चुपचाप पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। हमारा प्रिय आर्यावर्त्त जिसकी एकता का उच्च घोष वेदों ने किया था और जिम्ने अपनी सांस्कृतिक एकता को अब तक अखड बनाये रक्खा था, आज टूक-टूक हो गया। हिन्दुओं के साथ, जिन्होंने भारत-माता की वेड़ियों को काटने के लिये और उसके शरीर को अक्षत रखने के लिये अपना खून और पसीना बहाया था, कांग्रेस ने घोर निश्वासघात किया है। हिन्दुओं की वर्त्तमान दयनीय स्थिति का सबसे कष्टपूर्ण पहलू यह है कि हिन्दुओं का ऐसा कोई नेता नहीं है जो मि० जिन्ना से टक्कर ले सके और हिन्दुओं की ऐसी कोई सस्था नहीं जो हिन्दुओं की ओर से बोल और कर सके। पाकिस्तान मुसलमानों का हो गया, परन्तु हिन्दुस्तान अब भी हिन्दुओं का नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने जिन्हे पग पग पर हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने, उनकी ओर से बोलने और सही करने के लिये बुलाया जा रहा है, जन्म भर मनसा, वाचा और कर्मणा यह सिद्ध करने की भरसक चेष्टा की है, और अब भी कर रहे हैं, कि वे हिन्दू नहीं हैं। गांधीजी जिन्होंने हिन्दुओं को मनचाहा नाच नचाया है और जो हिन्दुओं को वर्त्तमान दशा पर पहुँचाने के लिये सबसे अधिक जिम्मेदार हैं, हार गये हैं परन्तु अपनी हार मानने को तैयार नहीं। वे चाहते हैं कि उनके आत्मिक लाभ के लिये अब हिन्दुस्तान के हिन्दू जिन्ना साहब के दो राष्ट्र-वाद (टू नेशन थ्योरी) को अपने कर्म्मों से गलत सिद्ध करे, जिसका अर्थ केवल यह है कि यदि हिन्दुस्तान के मुसलमान हिन्दुस्तान में एक जगह (जो सम्भवतः पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल ही होगी) क्राफी संख्या में जाकर बस जायँ तो वे फिर उसे अपना घर बताकर हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान की सम्पत्ति और साधनों के द्वारा बँटवारे की माँग कर सकें। और कांग्रेसी

नेता जो शुद्ध अहिंसात्मक उपायों से ब्रिटिश सत्ता को भारत छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं परन्तु उन्हीं उपायों ने मुसलमानों को भारत में रहने पर मजबूर करने में 'हिंसा' समझते हैं, दो-चार आँसू ढरकाकर उस माँग को मान लें ! ( हिटलरशाही में दत्त पाकिस्तानी सरकार भी तो उस माँग के पीछे होगी, और फिर 'आत्म-निर्णय' के कांग्रेसी निद्वान्त को कंमे मुलाया जा सकेगा ! ) दूसरे शब्दों में, गांधी जी चाहते हैं कि हिन्दू अब भी आस्तीन के साँप को दूध पिलाने रहें और हिन्दुस्तान को उनके आध्यात्मिक प्रयोगों के लिये बलिदान का बकरा बने रहने दें । दूसरी ओर पं० नेहरू हैं, जिन्हें अपने नाम के पहले 'पंडित' ( जिसका अर्थ है 'विद्वान्' ) लगने से इसलिये चिढ़ थी और है कि उस शब्द का मन्व्य हिन्दुओं से है, और जो अब चाहते हैं कि भारत का जो भाग हिन्दुओं के हिस्से पड़ा है, उसका भी नाम 'हिन्दुस्तान' ( जो अभी कल तक सम्पूर्ण भारत के लिये आता रहा है ) न रहे क्योंकि उसमें 'हिन्दू' शब्द वर्तमान है, और उसका नाम 'इन्डिया' रक्खा जाय । और गांधी जी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं । कांग्रेस नेताओं का शब्द-जाल द्वारा अपनी हार, शर्म और शोक को छिपाने का प्रयत्न करना और पुनर्मिलन आदि का सवज वाग देखना और दिखाना वास्तव में एक अनोखा दृश्य उपस्थित कर रहा है ।

जो होना था सो हो गया । अब भविष्य का क्या हो ? स्पष्ट है, हिन्दुस्तान एक हिन्दू राष्ट्र हो जिसका राज-धर्म हिन्दू-धर्म हो और जिसमें सब प्रमुख पदों पर हिन्दुओं और अमुस्लिमों की नियुक्ति हो । ऐसा कोई व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से हिन्दू-धर्म न मानता हो और जो हिन्दू-संस्कृति में झुका हुआ न हो, हिन्दुस्तान-सरकार का प्रधान नहीं हो सकता । सारा संसार 'नेहरू-सरकार को हिन्दू-सरकार बताता और समझता है, जब कि वास्तव में अर्थात् अमल में वह हिन्दू-सरकार नहीं है । ऐसी आति का कारण नहीं रहने या भविष्य में उत्पन्न होने दिया जा सकता । और मुसलमानों को,

जैसा कि मध्य-प्रांत के प्रधान-मंत्री ने कहा है, हिन्दुस्तान राष्ट्र की नागरिकता के अधिकार न दिये जायें। पूरे भारत के मुसलमानों ने अपने आप को एक पृथक राष्ट्र बताते हुये एक पृथक वास-भूमि की माँग की है, और उन्हें अब यह मिल चुकी है और स्पष्टतः भारत का बँटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, अतः इस्लाम धर्म के किसी अनुयायी को हिन्दुस्तान में नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते। चित और पट दोनों मुसलमानों की नहीं हो सकतीं। गांधी जी के कहने पर पाकिस्तान जैसे स्थूल सत्य को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। 'अल्पसंख्यक' के किसी भूठे नाम पर पाकिस्तान के फिफथ कालम को स्वच्छन्द नहीं छोड़ा जा सकता। जहाँ तक नाम का सम्बन्ध है, 'इन्डिया' प० नेहरू की, जो मौलाना आजाद की सान्धानुसार स्वप्न भी अँगरेजी में देखते हैं, स्व-भाषा का शब्द होगा, परन्तु ६६\*६ प्रतिशत भारतीयों की मातृ-भाषा का शब्द नहीं है। प० नेहरू की सनक पूरी करने के लिये इतिहास नहीं बदला जा सकता। नाम में केवल एक परिवर्तन हो सकता है और अचश्य होना चाहिये। वह यह कि फारसी 'स्तान' बदल कर 'स्थान' अर्थात् 'हिन्दुस्तान' अब 'हिन्दुस्थान' कर दिया जाय।

### 'हिन्दुस्तानी' की टोंय-टोंय फिस

इन बातों को छोड़कर अब मूल विषय पर आइये। हिन्दुस्थान की राष्ट्र भाषा क्या हो? स्पष्ट है, हिन्दुस्थान की राष्ट्र-भाषा हिन्दी हो। 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' के मुकाबले में हिन्दी और देवनागरी का पक्ष शाश्वत तर्कों और सिद्धान्तों पर आधारित है और उसका राजनीतिक लौट-पौट से कोई लगाव नहीं रहा है, परन्तु अब तो हिन्दुस्तानी-वाद की कोई जड़ ही नहीं रह गई। जिन प्रदेशों और जिन लोगों को फॉसने के लिये कांग्रेस ने हिन्दुस्तानी-वाद अपनाया था अब वे ही अलग हो गये। कांग्रेस ने ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' का बखेड़ा मुसलमानों को राष्ट्र-

भाषा के मामले पर राजी करने के लिये सदा किया था। अब केवल हिन्दू भारत का सवाल है जो सदा से हिन्दी को राष्ट्र-भाषा और देवनागरी को राष्ट्र-लिपि मानता आ रहा है क्योंकि उसके लिये यही भाषा और लिपि सबसे अधिक सुलभ, सरल और उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, यह निश्चित है कि पाकिस्तान उर्दू को अपनी राष्ट्र-भाषा बनायगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से हिन्दी और देवनागरी का सर्वथा बहिष्कार कर दिया जायगा। इन दोनों बातों का सिन्ध में श्रीगणेश हो चुका है। सिन्ध की अपनी अलग भाषा है, परन्तु सिन्ध की पाकिस्तानी सरकार ने उर्दू को सिन्ध की राज-भाषा और कच्छहरियों को भाषा घोषित कर दिया है, और सिन्ध के शिक्षा मंत्री पीर इलाही वरुश ने बताया है कि कराची विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम उर्दू होगी, और उर्दू भाषा का विषय सब के लिए प्राइमरी स्टेज से ही अनिवार्य होगा। सिन्ध-सरकार ने हिन्दी और देवनागरी पर भी खुल्लम-खुल्ला प्रहार करना आरम्भ कर दिया है, और हिन्दुओं की सब शिक्षा-संस्थाओं की स्वतन्त्रता अपहरण करने या उन्हें बिलकुल मिटा डालने का आयोजन किया है। जो भी शिक्षा-संस्था, चाहे वह हिन्दुओं की निजी मन्था ही क्यों न हो, कराची विश्व-विद्यालय की अधीनता स्वीकार नहीं करेगी, उसे नहीं रहने दिया जायगा। प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस अब भी इस कमबख्त 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' का रगड़ा हिन्दुस्थान पर लादेगी ? ताली दोनों हाथों से बजती है। क्या यह बात क्षण भर के लिये भी सहन की जा सकती है कि उर्दू तो पाकिस्तान में राष्ट्र-भाषा, राज-भाषा, शिक्षा का माध्यम, रेडियो का भाषा, आदि के बतौर अखंड राज्य करे परन्तु हिन्दुस्थान में हिन्दी की सुन्नत करके 'हिन्दुस्तानी' को प्रकट किया जाय, और हिन्दी कहीं की न रहे ? जब उर्दू ऐसी ही रही, तो हिन्दी को मिटाने से क्या होगा ? जब 'उर्दू' नाम वर्तमान रहा, तो 'हिन्दी' नाम मिटाने से क्या होगा ? ऊपर कैबिनेट-मिशन की विधान-

योजना की रोशनी में जो कुछ कहा जा चुका है, उसके बाद इसके सिवा कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं कि चूँकि अब हिन्दुस्थान और पाकिस्तान का कामन केन्द्र भी नहीं रहा, अब हिन्दी और उर्दू दोनों को केन्द्र की भाषा स्वीकृत करने का भी प्रश्न नहीं रहा। अब हिन्दी, और केवल हिन्दी, को हिन्दुस्थान की केन्द्रीय भाषा, राष्ट्र-भाषा, शिक्षा का प्रमुख माध्यम और रेडियो की प्रमुख भाषा, आदि होना चाहिये, और हिन्दी भाषा का विषय हिन्दुस्थान भर के शिक्षाक्रम में सबके लिये उसी प्रकार अनिवार्य होना चाहिये जिस प्रकार आज अँगरेजी का है। हिन्दी प्रान्तों में भी अब हिन्दी और केवल और अकेली हिन्दी राज-भाषा, कचहरियों की भाषा और शिक्षा का माध्यम हो सकती है, और हिन्दी भाषा का विषय प्राइमरी स्टेज से सबके लिये अनिवार्य होना चाहिये। इसी प्रकार हिन्दी अपने अपने प्रान्तों में अखंड राज्य करने वाली प्रान्तीय भाषाओं की भाँति फल-फूल और अबाध रूप से उन्नति कर सकती है और इसी प्रकार हिन्दी प्रान्तों में भाषा के आधार पर निर्मित अन्य प्रान्तों की भाँति भाषा की एकता स्थापित की जा सकती है। उर्दू वैकल्पिक विषय रह सकती है और वह भी तभी जब पाकिस्तान में हिन्दी को यही स्थान दिया जाय। हिन्दुस्थान में उर्दू को उससे ऊँचा पद नहीं दिया जा सकता जो पाकिस्तान में हिन्दी को दिया गया है या भविष्य में दिया जाय। गांधी जी के उदारता-वाद के लिये जो हिन्दुओं और हिन्दी को इस गिरी हुई दशा पर पहुँचाने के लिये जिम्मेदार है, अब बिलकुल गु जाइश नहीं। मुसलमानों की हम बहुत खुशामद-चिरौरी कर चुके। हिन्दुस्थान या हिन्दी प्रान्तों पर दो-दो राज-भाषाओं और राज-लिपियों का फिजूल खर्च और झमेला नहीं लादा जा सकता। हिन्दु बालकों पर एक विदेशियत में रंगी हुई भाषा और एक व्यर्थ लिपि का बोझ नहीं डाला जा सकता। हिन्दुस्थान की विधान परिषद का कर्त्तव्य है कि वह विधान में हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि के पद



पर विधिवत् प्रतिष्ठित करे। मभव है, गांधीजी का सकेत पाकर या अपनी जिद रग्वने के लिये अथवा आत्म-सम्मान की झूठी भावना से प्रेरित होकर कुछ कांग्रेसी नेता अब भी अपनी ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' (५० नेहरू के सनोपार्थ सब हिन्दूयना निकाल डालने के लिये इसका नाम 'इ टिश' रख कर ?) और 'दोनों लिपि' हिन्दुस्थान के गले मढने का प्रयत्न करें, और 'पुनर्मिलन की सभायना' (यदि सत्य हो भी जाय तो उसका भाषा की ममस्या पर क्या प्रभाव पडेगा ?), 'अल्पसख्यकों के साथ न्याय' (वे 'अल्पसख्यक' कौन हैं ?), 'जनता की भाषा' (वह क्या है ?), आदि, आदि जैसे सारहीन और खोखले तर्कों को उपस्थित करें, परंतु विधान-परिषद के हिन्दू सदस्यों को जो वहाँ हिन्दुओं की वोटों ने पहुँचे हैं और जिन्होंने अपने आपको हिन्दू समझना नहीं छोड़ दिया है, और अत्रिक मूर्ख बनने से साफ इन्कार कर देना चाहिये। हिन्दुस्थान की विधान-परिषद ससार को दिखा दे कि भरतवशी अब भी अपनी जन्म भूमि और पुरख भूमि में बसते हैं और अपनी पुरानी, प्रिय भारती को भूले नहीं हैं।

१६ जून, १९४७

रविशकर शुक्ल

